सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2025-26

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय एवं अनुभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1. मिशन लाइफ		
1.1	पर्यावरण के लिए जीवनशैली	1
1.2	एक पेड़ माँ के नाम	7
1.3	मेरी Life पोर्टल	8
2. पर्यावरण – प्रदूषण उपशमन, नीति और कानून		
2.1.	प्रदूषण नियंत्रण	10
2.2.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	27
2.3.	खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन	37
2.3.1	इकोलेबलिंग	50
2.4.	नीति एवं कानून	50
2.5.	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	51
3. पर्यावरण अधिनियम और मंजूरी		
3.1.	पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)	53
3.2.	तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड)	56
4. संरक्षण - जैव विविधता		
4.1	संरक्षण एवं सर्वेक्षण- III (जैव विविधता) प्रभाग	62
4.2	संरक्षण एवं सर्वेक्षण- III (जैव सुरक्षा) प्रभाग	65
4.3	संरक्षण एवं सर्वेक्षण-II	66
4.3.1	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई)	67
4.3.2	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई)	72
4.3.3	वनस्पति उद्यानों को सहायता (एबीजी कार्यक्रम)	76
4.4	जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र	79
4.5	पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र	83
5. आर्द्रभूमि और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र		
5.1	जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए)	87
5.2	संधारणीय तटीय प्रबंधन (एससीएम)	91
5.3	राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र एनसीएससीएम	95
6. संरक्षण-वन		
6.1	वन संरक्षण	107
6.2	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	110
6.3	वन स्थापना	124
6.4	वन नीति	126
6.5	वन संरक्षण	128
6.6	सर्वेक्षण और उपयोग	130
6.7	वानिकी अनुसंधान	136
6.8	राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	156
6.9	राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	158

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय एवं अनुभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
7. संरक्षण-वन्यजीव		
7.1	वन्यजीव संरक्षण	163
7.2	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	165
7.3	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	171
7.4	हाथी परियोजना	174
7.5	परियोजना बाघ / राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)	179
7.6	भारतीय वन्यजीव संस्थान	192
8. जलवायु परिवर्तन		
8.1	जलवायु परिवर्तन	198
8.2	ओजोन परत संरक्षण	212
8.3	मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	225
9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		
9.1.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	229
9.2.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	236
10. अनुसंधान		
10.1	पर्यावरण में अनुसंधान	240
10.2	हिमालयी अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएचएस)	243
10.3	जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान	246
11. पर्यावरण संबंधी जानकारी, शिक्षा और जागरूकता		
11.1	पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	250
11.2	राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय	270
11.3	मीडिया सेल	272
11.4	स्वच्छ और स्वस्थ भारत सेल	275
11.5	आर्थिक विभाग	277
11.6	सांख्यिकी विभाग	278
11.7	क्षेत्रीय सचिव समूह - संसाधन (एसजीओएस-3) और विकसित भारत	281
11.8	गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सेल	281
12. प्रशासन और नागरिक निर्माण		
12.1	प्रशासन	283
12.2	भारतीय वन सेवा (भाव सेवा) संवर्ग प्रबंधन	286
12.3	सतर्कता अनुभाग	287
12.4	संसद अनुभाग	289
12.5	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस	291
12.6	सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई)	298
12.7	सामान्य प्रशासन (जीए) विभाग	298
12.8	लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	299
12.9	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	299
12.10	सिविल निर्माण इकाई (सीसीयू)	301
13. विकास निगरानी एवं मूल्यांकन, बजट एवं लेखा		
13.1	विकास, निगरानी एवं मूल्यांकन प्रभाग, डीएमईडी	306
13.2	बजट और लेखा	306

संक्षिप्त रूप

एआईसीओपीटीएएवस	अखिल भारतीय समन्वित परियोजना (वर्गिकी में क्षमता निर्माण)
ए.डब्ल्यू	पशु कल्याण
बीएसआई	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
बीयूआर	द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट
कैम्पा	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीबीडी	जैव विविधता पर सम्मेलन
सीडीएम	स्वच्छ विकास तंत्र
सीईएस	पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र
सीएमडब्ल्यू	आर्द्रभूमियों का संरक्षण एवं प्रबंधन
सीओपी	पक्षों का सम्मेलन
सीपीए	वायु प्रदूषण नियंत्रण
सीपीबी	जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीडब्ल्यू	जल प्रदूषण नियंत्रण
सीआरजेड	तटीय विनियमन क्षेत्र
सीएसडी	सतत विकास आयोग
सीटी	स्वच्छ प्रोद्योगिकी
डीएसएस	निर्णय समर्थन प्रणाली
डीटीईपीए	दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण
ईआईवीआर	अप्रतिम मूल्य वाली संस्थाओं का नियमन
एएनवीआईएस	पर्यावरण सूचना प्रणाली

ईपीटीआरआई	पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
ईएसए	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र
जीबीपीएनआईएचई	जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान
जीईएसी	आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति
जीईएफ	वैश्विक पर्यावरण सुविधा
जीआईएम	हरित भारत मिशन
ग्लोब	पर्यावरण के लाभ हेतु वैश्विक शिक्षण एवं अवलोकन
जीओआई	- भारत सरकार
जीएसडीपी	- हरित कौशल विकास कार्यक्रम
एचएसएमडी	- खतरनाक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग
आईसीआईएमओडी	समेकित पर्वतीय विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र
आईएफएस	भारतीय वन सेवा
आईजीपीपी	इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार
आईएनसीसीए	जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन हेतु भारतीय नेटवर्क
आईपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय पेनल
एमबीपी	मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम
एमओईएफ एंड सीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एनएटीसीओएम	राष्ट्रीय संप्रेषण
एनबीए	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

संक्षिप्त रूप

एनबीएपी	राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना
एनसीजेडएमए	राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण
एनईपीटीआरआई	राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
एनईएसएफपी	राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान फेलोशिप कार्यक्रम
एनएफए	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पुरस्कार
एनएफएपी	राष्ट्रीय वानिकी क्रियावली कार्यक्रम
एनएफसी	राष्ट्रीय वन आयोग
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनजीआरबीए	राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
एनएलसीपी	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना
एनएमसीजी	स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन
एनएमएनएच	प्राकृतिक इतिहास हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय
एनएनआरएमएस	राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनजेडपी	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान
ओसी	ओजोन प्रकोष्ठ
ओएल	राजभाषा
पीई :	हाथी परियोजना
पीजी	जन शिकायत

पीटी	बाघ परियोजना
आरई	पर्यावरण अनुसंधान
आरएफडी	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरओएचक्यू	क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय
आरटी	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसएसीओएन	सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र
एसबीए	स्वच्छ भारत अभियान
एसडी	सतत विकास
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसआईसी ओएम	एकीकृत तटीय प्रबंधन हेतु संस्था
एसओईआर	पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट
एसटीपी	मलजल शोधन संयंत्र
टीओएफ	वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष
यूएनसीसीडी	मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
डब्ल्यूसीसीबी	वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
डब्ल्यूजीईईपी	पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति
डब्ल्यूएचसी	विश्व धरोहर संरक्षण
डब्ल्यू आईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान
जेडएसआई	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

मंत्रालय की भूमिका एवं अधिदेश

मंत्रालय की भूमिका और जनादेश

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार में भारत की पर्यावरण और वन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली मुख्य एजेंसी है। यह मंत्रालय देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे झीलों और नदियों, जैव विविधता, वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम और कमी के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सहनशीलता के लिए रणनीतियों को तैयार करने से संबंधित कार्य करता है। इन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करते समय, मंत्रालय सतत विकास के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। यह मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप), दक्षिण एशिया सहयोगात्मक पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी), एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीआईएमओडी) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (यूएनसीईडी) के लिए मुख्य एजेंसी भी है। पर्यावरण से संबंधित मामलों पर मंत्रालय सतत विकास आयोग (सीएसडी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) जैसे बहुपक्षीय निकायों और एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईएससीएपी) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) जैसे क्षेत्रीय निकायों के साथ भी समन्वय करता है। इसके अलावा, मंत्रालय ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ), एडैप्टेशन फंड और लॉस एंड डैमेजेज (एफएलआरडी) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नामित प्राधिकरण भी है। राज्य स्तरीय कैम्पा के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने, राज्य स्तरीय कैम्पा की निगरानी/सहायता करने और सिफारिशें प्रदान करने तथा मुद्दों को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का गठन किया गया है।

2. मंत्रालय के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- वनस्पतियों, जीवों, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण और सर्वेक्षण
- वनरोपण और विक्षुब्ध क्षेत्रों का पुनर्जनन
- पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश की कार्य योजना का समन्वय
- प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
- भारत की तीन रियो कन्वेंशन यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफ-सीसीसी), संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) और जैविक विविधता कन्वेंशन (सीबीडी) के प्रति प्रतिबद्धताओं और दायित्वों से संबंधित गतिविधियों और संबंधित रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुगम बनाना।
- बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलनों से संबंधित गतिविधियों को सुगम बनाना और भारत को वियना सम्मेलन के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना।

3. पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए विधायी और नियामक उपायों के एक समूह द्वारा इन उद्देश्यों को अच्छी तरह से समर्थन प्राप्त है। विधायी उपायों के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति एवं नीति वक्तव्य, 1992; राष्ट्रीय वन नीति, 1988; प्रदूषण नियंत्रण पर नीति वक्तव्य, 1992; राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 तथा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) भी मंत्रालय के कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन विषय मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर उपलब्ध (अंतिम संशोधन 25.08.2025 को हुआ) (कार्य आवंटन नियम, 1961) के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय[1]

1. पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जिसमें तटीय जल, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का पर्यावरण शामिल है,

1. संशोधन श्रृंखला संख्या 306 दिनांक 31.07.2014 द्वारा संशोधित।

लेकिन खुले समुद्रों का समुद्री पर्यावरण इसमें शामिल नहीं है।

2. पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना एवं जागरूकता।

3. पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य।

4. पर्यावरण प्रभाव आकलन।

5. संरक्षण, प्रबंधन और वृक्षारोपण के लिए वन विकास एजेंसी और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम।

6. प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और अन्वेषण, विशेषकर वन, वनस्पति, जीव-जंतु, पारिस्थितिकी तंत्र आदि का।

7. झीलों और आर्द्रभूमि सहित जैव विविधता का संरक्षण।

8. छोड़ा गया। [2]

8A. छोड़ा गया। [3]

9. वन्यजीव संरक्षण, परिरक्षण, सुरक्षा योजना, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट शामिल हैं।

10. पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीवों से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

11. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एवं वनस्पति उद्यान।

12. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण।

13. राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय।

14. जीवमंडल संरक्षण कार्यक्रम।

15. देश में राष्ट्रीय वन नीति और वानिकी विकास, जिसमें सामाजिक वानिकी भी शामिल है।

16. केंद्र शासित प्रदेशों में वन और वन प्रशासन से संबंधित सभी मामले।[4]

17. भारतीय वन सेवा।

18. वन्यजीव संरक्षण और वन्य पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा।

19. वानिकी में मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है।

20. पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान।

21. वन विकास योजनाओं के लिए राष्ट्रीय सहायता।

22. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैंगलोर।

23. वनरोपण और पर्यावरण विकास, जिसमें राष्ट्रीय वनरोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड शामिल होगा।

23A. वनों और बंजर भूमि में जैव-ईंधन के वृक्षारोपण और जैव-ईंधन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे। [5]

24. मरुस्थल और मरुस्थलीकरण।

25. भारतीय वन सर्वेक्षण।

26. भारतीय जैव विविधता संस्थान, इटानगर।

27. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

28. गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान।

---

2. संशोधन श्रृंखला संख्या 350 दिनांक 14.06.2019 द्वारा हटाया गया (पूर्व में संशोधन श्रृंखला संख्या 306 दिनांक 31.07.2014 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)।
3. संशोधन श्रृंखला संख्या 350 दिनांक 14.06.2019 द्वारा हटाया गया (पूर्व में संशोधन श्रृंखला संख्या 306 दिनांक 31.07.2014 द्वारा जोड़ा गया था)।
4. संशोधन श्रृंखला संख्या 300 दिनांक 26.02.2012 द्वारा संशोधित।

29. भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव बोर्ड।

30. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान।

31. राष्ट्रीय चिड़ियाघर पार्क सहित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण।

32. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद।

33. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड।

34. छोड़ा गया । [6]

35. छोड़ा गया । [7]

36. छोड़ा गया । [8]

36A. जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित अन्य सभी मामले। [9]

37. छोड़ा गया । [10]

38. छोड़ा गया। [11]

39. छोड़ा गया । [12]

40. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6)।

41. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36)।

42. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (14 ऑफ 1981)।

43. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (16 ऑफ 1927)।

44. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53वां अधिनियम)

45. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69)।

46. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29)।

47. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6)।

48. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19)। *

नोट :- वनों से संबंधित समग्र नीति के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिम्मेदार होगा, सिवाय उन सभी मामलों के जिनमें वन भूमि पर वनवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित कानून शामिल हैं। **

5. संशोधन श्रृंखला संख्या 287 दिनांक 12.07.2006 के माध्यम से सम्मिलित किया गया।
6. संशोधन श्रृंखला संख्या 349 दिनांक 04.04.2019 द्वारा हटा दिया गया (पशुपालन एवं डेयरी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया)।
7. संशोधन श्रृंखला संख्या 349 दिनांक 04.04.2019 द्वारा हटा दिया गया (पशुपालन एवं डेयरी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया)।
8. संशोधन श्रृंखला संख्या 349 दिनांक 04.04.2019 द्वारा हटा दिया गया (पशुपालन एवं डेयरी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया)।
9. संशोधन श्रृंखला संख्या 306 दिनांक 31.07.2014 के माध्यम से सम्मिलित किया गया।
10. संशोधन श्रृंखला संख्या 349 दिनांक 04.04.2019 द्वारा हटा दिया गया (पशुपालन एवं डेयरी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया)।
11. संशोधन श्रृंखला संख्या 334 दिनांक 06.07.2017 द्वारा हटा दिया गया।
12. संशोधन श्रृंखला संख्या 334 दिनांक 06.07.2017 द्वारा हटा दिया गया।

* संशोधन श्रृंखला संख्या 334 दिनांक 06.07.2017 के माध्यम से सम्मिलित किया गया।
** संशोधन श्रृंखला संख्या 285 दिनांक 17.03.2006 के माध्यम से सम्मिलित किया गया।

अध्याय -1

मिशन लाइफ

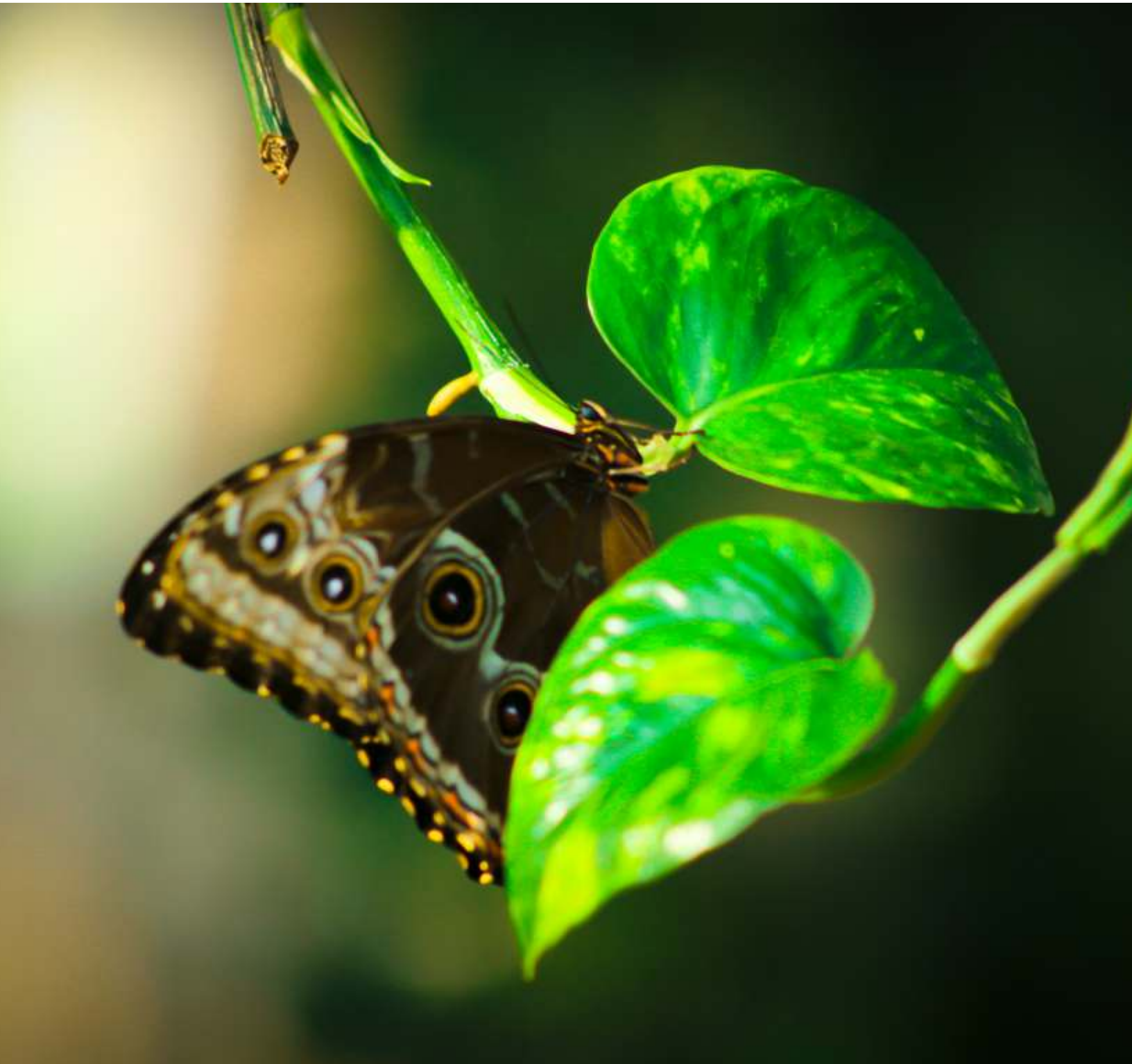

1.1 मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)

क परिचय

लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 में शुरू किया था। यह पहल जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया में व्यक्तियों को प्रेरक शक्ति के रूप में पुनर्परिभाषित करने हेतु भारत की एक प्रमुख पहल है। केवल नीतिगत या तकनीकी परिवर्तनों पर निर्भर रहने के बजाय, मिशन लाइफ संधारणीय व्यवहार पर आधारित जीवनशैली परिवर्तन की वकालत करता है।

मिशन लाइफ का 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवडिया में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। यह पृथ्वी ग्रह के भविष्य को बनाने में रोजमर्रा के विकल्पों की शक्ति को रेखांकित करता है। मिशन लाइफ, संधारणीय, समावेशी एवं जलवायु-सहनीय विकास पथ को बढ़ावा देकर 'विकसित भारत@2047' की परिकल्पना की प्राप्ति में योगदान देगा। यह पहल पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए संसाधनों के "अंधाधुंध और विनाशकारी उपभोग" से "सचेत और सोच-समझकर उपयोग" की ओर बदलाव की वकालत करती है।

मिशन लाइफ़ भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी), पंचामृत प्रतिबद्धताओं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ गठबंधन करते हुए इस विचार को सुदृढ़ करता है कि जमीनी स्तर पर किए गए व्यवहारगत परिवर्तन, जब राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनाए जाते हैं, तो पर्यावरणीय सहनशीलता को उल्लेखनीय रूप से मजबूत कर सकते हैं।

भारत ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों के माध्यम से संधारणीय जीवनशैली पर वैश्विक चर्चा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिनांक 1 मार्च, 2024 को केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के छठे सत्र में, श्रीलंका और बोलीविया द्वारा सह-प्रायोजित 'सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना' विषय पर भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया।

मिशन लाइफ को सात प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के इर्द-गिर्द संरचित किया गया है। जो हमारे दैनिक जीवन के उन प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहाँ सतत प्रथाएं सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें शामिल हैं ऊर्जा बचाना, जल बचाना, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना, अपशिष्ट में कमी लाना, ई-अपशिष्ट में कमी लाना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाना तथा सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना।

ख प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

1. राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क

संपूर्ण समाज एवं संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के अनुरूप जन-सक्रियता अभियानों, सोशल मीडिया पहुँच तथा नागरिक सहभागिता के माध्यम से लाइफ के सात विषयों पर राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को सुदृढ़ किया गया, जिससे जलवायु-सचेत जीवनशैली के लिए सशक्त गति उत्पन्न हुई। मेरी लाइफ के लॉन्च के बाद से, 6 करोड़ से अधिक लोगों ने लगभग 34 लाख लाइफ कार्यक्रमों में भाग लिया।

प्रमुख विषयगत अभियानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना: विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले 22 मई, 2025 को शुरू किए गए इस प्रमुख अभियान ने मिशन लाइफ के 'एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को ना कहें' विषय के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत किया । इसके बाद, राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण निवारण अभियान को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए शुरू किया गया। मेरी

लाइफ पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, देशभर में 5 लाख से अधिक गतिविधियों में कुल मिलाकर 39 लाख से अधिक नागरिकों ने भाग लिया।

ख ई-अपशिष्ट जागरूकता एवं न्यूनीकरण अभियान: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और यूनिसेफ युवाह के सहयोग से, यह अभियान दो चरणों (फरवरी-मई 2025 और अक्टूबर-नवंबर 2025) में आयोजित किया गया था, जिसमें तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम और चंडीगढ़ के 23 शहर शामिल थे। इस अभियान में आभासी कार्यशालाओं और स्कूल-आधारित संग्रह अभियानों के माध्यम से 1600 से अधिक स्कूलों के लगभग 1.76 लाख छात्रों को शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 8950 किलोग्राम से अधिक ई-अपशिष्ट का सुरक्षित पुनर्चक्रण हुआ। इन कार्यकलापों में विशेषज्ञों के व्याख्यान, कहानी सुनाना और छात्रों द्वारा संचालित परियोजनाएँ शामिल थीं, साथ ही स्कूलों में ई-अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित किए गए थे।

ग हरित योग: मिशन लाइफ उन रोजमर्रा की आदतों की वकालत करता है, जो सतत विकास के व्यापक प्रयासों में योगदान देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए, दिनांक 7 अप्रैल, 2025 को शुरू किया गया हरित योग, इस वैश्विक आयोजन के 11वें संस्करण को चिह्नित करने वाले 10 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। मिशन लाइफ के 'स्वस्थ जीवनशैली अपनाएँ' और 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के अनुरूप, योग को वृक्षारोपण और प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान के साथ जोड़कर एक सोशल मीडिया अभियान आयोजित किया गया।

घ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2025 अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। मंत्रालय के राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण निवारण अभियान को भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित एसएचएस 2025 के साथ एकीकृत किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों ने 147 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों के रूपांतरण और 246 सार्वजनिक स्थानों की सफाई सहित कई प्रकार की कार्यकलापों में भाग लिया, जिसमें 48,592 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। जागरूकता अभियान के तहत, 222 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 5 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को ना कहें नामक 24 अभियान आयोजित किए गए जिनमें 1658 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों में आयोजित 48 से अधिक सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों में 1500 से अधिक लाभार्थियों ने निवारक स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया।

ङ विशेष अभियान 5.0: स्वच्छता अभियान का विशेष अभियान 5.0 स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू किया गया। ई- अपशिष्ट और राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण निवारण अभियान (एनपीपीपीआरसी) पर विशेष जोर दिया गया।

अभियान का तैयारी चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया गया। कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हुआ। विशेष अभियान 5.0 को मंत्रालय के सभी 132 चिन्हित स्थलों पर लागू किया गया, जिनमें अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त निकाय शामिल हैं।

तैयारी के चरण के दौरान, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा निर्धारित विशेष अभियान 5.0 के 11 मापदंडों के संबंध में जानकारी एकत्र की गई, जिनमें शामिल हैं: (i) सांसदों से संदर्भ (ii) संसदीय आश्वासन (iii) आईएमसी संदर्भ (iv) राज्य सरकार के संदर्भ (v) सार्वजनिक शिकायतें (vi) पीएमओ संदर्भ (vii) सार्वजनिक शिकायत अपीलें (viii) नियमों / / प्रक्रियाओं में सरलीकरण (ix) अभिलेख प्रबंधन (भौतिक फाइलें और ई-फाइलें), (x) निपटान हेतु स्क्रैप और अतिरिक्त वस्तुएं तथा (xi) स्वच्छता अभियान। समेकित डेटा को प्रतिदिन लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान (एससीडीपीएम) पोर्टल पर अपलोड किया गया।

चिन्हित 132 स्थलों के स्वच्छता अभियान, राज्य सरकार के संदर्भ, जन शिकायतें, जन शिकायत अपील, भौतिक फाइलों और ई-फाइलों की समीक्षा के अंतर्गत 100% उपलब्धियां हासिल की गईं। 9,996 भौतिक फाइलें हटाई गईं और 4,897 ई-फाइलें बंद की गईं। ई- अपशिष्ट सहित स्क्रैप के निपटान से 47,24,913 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और 29,560 वर्ग फुट जगह खाली हुई, जैसा कि एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए अंतिम आंकड़ों में बताया गया है।

जेडएसआई कोलकाता के स्वयंसेवकों न्यू अलीपुर के बाजार क्षेत्र में सफाई अभियान। 450 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र कर नगर निगम को सौंपा गया।

2. लाइफ पवेलियन के माध्यम से वकालत :

प्रचार और जनसंपर्क के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सक्रिय रूप से लाभ उठाया है और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सहयोग करके उनके प्लेटफार्मों के माध्यम से मिशन लाइफ को बढ़ावा दिया है। मिशन लाइफ

विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में लाइफ पवेलियन

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 एक्सपो में लाइफ पवेलियन

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 एक्सपो में लाइफ पवेलियन

को भारत पर्व, महाकुंभ मेला, विश्व पर्यावरण दिवस 2025, वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो 2025 और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 एक्सपो सहित प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों में प्रदर्शित किया है। समर्पित लाइफ पवेलियन में इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले, वर्चुअल रियलिटी अनुभव और लाइव प्रदर्शन की सुविधा थी, जिससे आगंतुक सात लाइफ विषयों के बारे मे जान सकते थे, प्रतिज्ञा ले सकते थे और स्थायी जीवन शैली के लिए प्रतिबद्ध हो सकते थे।

3. मिशन लाइफ को शिक्षा के क्षेत्र में एकीकृत करना:

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सतत भविष्य के आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए मिशन लाइफ को स्कूली शिक्षा में एकीकृत करने पर चर्चा हुई, जैसा कि 25 अप्रैल 2025 को आयोजित तीसरी पीएमसीसी बैठक में प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार था।

- इसी प्रकार, उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) के सचिव और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रायल के सचिव के स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मिशन लाइफ को पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिशन लाइफ पर एक अनिवार्य क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से गतिविधियों में एकीकृत करने पर चर्चा की गई।
- माईभारत प्लेटफॉर्म पर 10 दिवसीय अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपी) के माध्यम से युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया गया, जिसमें व्यावहारिक शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता का अवसर प्रदान किया गया।

- आइडियाज4लाइफ पहल: मिशन लाइफ की रूपरेखा के तहत 'आइडियाज4लाइफ पहल' वर्ष 2024 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य मिशन लाइफ के सात विषयों पर विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों आदि से नवोन्मेषी विचार प्राप्त करना है। कुल 1384 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से सात विषयों में से प्रत्येक में शीर्ष 3 विचारों सहित 21 विचारों को चुना गया और 5 जून, 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्हें सम्मानित किया गया।

4. डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रचार:

- मायगव (MyGov) के साथ 'प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' विषय पर एक माह का अभियान 3 जून 2025 को प्रारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत एक समर्पित अभियान पृष्ठ शामिल था, जिसमें एनवायरो क्विज़, इन्फोग्राफ़िक्स चैलेंज, ई-प्रतिज्ञा तथा चर्चा मंच नामक चार गतिविधियाँ शामिल थीं। इस अभियान में 93,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

- हर महीने, मंत्रालय लाइफ के सात विषयों में से एक पर ध्यान केंद्रित करता है और रचनात्मक सामग्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाता है। मिशन लाइफ को वन्यजीव सप्ताह, स्वच्छ वायु अभियान, हरित योग आदि अभियानों के साथ एकीकृत करते हुए एक जागरूकता अभियान भी आयोजित किया गया था।

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संपर्क

- ज़िम्बाब्वे में आयोजित रामसर कॉप15 में अपनाया गया भारत का 'आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संधारणीय जीवनशैली को बढ़ावा देना' संबंधी प्रस्ताव, यूएनईए-6 में अपनाए गए 'सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना' संबंधी प्रस्ताव पर आधारित है।

- एसीई गैलरी: मिशन लाइफ के लिए मंत्रालय के तकनीकी भागीदार यूनिसेफ युवाह ने जर्मनी के बॉन में आयोजित यूएनएफ़सीसीसी की सहायक निकायों के 62वें सत्र के दौरान एसीई पोस्टर पैविलियन में मिशन लाइफ पोस्टर की प्रस्तुति एवं अनावरण में सहयोग प्रदान किया।

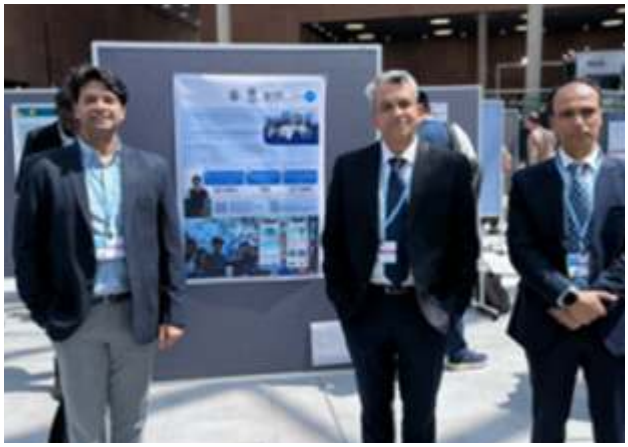

बॉन में एसबी62 के दौरान एसीई पोस्टर पवेलियन में अपर सचिव डॉ. अमनदीप गर्ग

- 10-वर्षीय फ्रेमवर्क प्रोग्राम (10वाईएफपी) एक वैश्विक मंच है, जो देशों को सतत उपभोग और उत्पादन की ओर बढ़ने में सहायता करता है। भारत वर्ष 2026 तक दो साल की अवधि के लिए 10वाईएफपी का बोर्ड सदस्य है। इस भूमिका में, मंत्रालय ने लगातार आभासी चर्चाओं में भाग लिया और संधारणीय सार्वजनिक खरीद, चक्रीय अर्थव्यवस्था और संधारणीय जीवन शैली जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया है।

- भारत और जापान ने दिनांक 29-30 अगस्त 2025 को टोक्यो में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान अगले दशक के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया। यह दृष्टि उनकी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए आठ दिशाएँ निर्धारित करती है, जिसमें मिशन लाइफ के अनुरूप सतत जीवनशैली, जलवायु कार्रवाई तथा पर्यावरण-अनुकूल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। आगामी पीढ़ियों के लिए

पारिस्थितिक विरासत स्तंभ के तहत, दोनों देशों ने मिशन लाइफ के माध्यम से संधारणीय समुदायों और कम कार्बन वाली जीवनशैली को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई।

1.2 एक पेड़ माँ के नाम

- 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाने के लिए लक्ष्य के साथ किया गया था। इस सफल अभियान की निरंतरता को रेखांकित करते हुए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान ने "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" का दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें डेटा जुटाने और वृक्षारोपण की निगरानी के लिए मेरी लाइफ पोर्टल का उपयोग किया गया।

- इस अभियान के तहत पौधरोपण के लक्ष्य हासिल कर लिए गए, जिसमें देश भर के हर जिले के प्रयासों को दर्ज किया गया है। इसके प्रमुख तत्वों में अवक्रमित भूमि का जीर्णोद्धार करना, स्थानीय प्रजातियों पर जोर देना और एक मजबूत सामाजिक दृष्टिकोण शामिल हैं। मेरी लाइफ पोर्टल वृक्षारोपण गतिविधियों की रिकॉर्डिंग और निगरानी को सुविधाजनक बनाएगा, साथ ही सोशल मीडिया हैशटैग के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

- ईपीएमकेएन अभियान 2025 का उद्देश्य पिछले वर्ष की वृक्षारोपण पहलों की उपलब्धियों को उजागर करना, नवीन प्रयासों को प्रदर्शित करना, विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाने के लिए चालू वर्ष की रणनीतियों को प्रस्तुत करना है। मानसून के मौसम के अनुरूप, जून 2025 से इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इसके अलावा, इसमें व्यापक मीडिया कवरेज और सार्वजनिक भागीदारी शामिल होगी। एक कार्य योजना का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें भाग लेने वाले मंत्रालयों और राज्य सरकारों को विशिष्ट लक्ष्य बताए गए हैं। यह अभियान 'मेरी लाइफ' पोर्टल और 'माई भारत पोर्टल' के माध्यम से निरंतर जुड़ाव पर जोर देता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होती है और वृक्षारोपण गतिविधियों की प्रगति का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। मेरी लाइफ पोर्टल पर वृक्षारोपण डेटा की रिपोर्टिंग और संग्रह के लिए मॉड्यूल सक्रिय है। इस कार्यक्रम में पिछले वर्ष लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए राज्य वन विभागों की ओर से जागरूकता अभियान और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। जिला वृक्षारोपण समितियों सहित विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जा रही है, जिससे नियमित मूल्यांकन के माध्यम से पेड़ों को स्वस्थ और जीवित रखना सुनिश्चित किया जा रहा है। यह अभियान सुनियोजित रखरखाव ढांचे के माध्यम से स्थानीय समुदायों को पौधों की रक्षा और पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- चालू वर्ष में, सहभागी मंत्रालयों औरन राज्य वन विभागों, अन्य विभागों, जनता और सभी हितधारकों के माध्यम से 100 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

- इसकी स्थापना के बाद से अब तक 260 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, इसकी जानकारी मंत्रालय के मेरीलाइफ पोर्टल पर उपलब्ध है।

इस अभियान के तहत मार्च 2026 तक 1000 सूक्ष्म वन स्थापित करने की भी योजना है, जिससे शहरी पारिस्थितिकी और जैव विविधता में वृद्धि होगी। स्कूलों में 8,00,000 से अधिक ईको क्लबों द्वारा भागीदारी किए जाने की उम्मीद है, जिससे युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय योगदान देने वाले चार (04) सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों / कार्यकर्ताओं को राष्ट्रपति भवन द्वारा विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित 'एट होम रिसेप्शन' के लिए आमंत्रित किया गया। ये विशेष आमंत्रित व्यक्ति बिहार, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान से थे। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' में योगदान दिया है और वे हरित क्षेत्रों और सूक्ष्म वनों के निर्माण में शामिल हैं। इस अभियान को जन-प्रवर्तन बनाकर और / राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य सरकारी / गैर-सरकारी हरित एजेंसियों के

समन्वय से, घोषित लक्ष्यों को न केवल दस्तावेज़ों में बल्कि भावपूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात् दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना: हमारी माताओं का सम्मान करना और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करना।

1.3 मेरी Life पोर्टल

लाइफ़ कार्यकलापों की व्यवस्थित निगरानी और सहभागिता के लिए दो समर्पित पोर्टल विकसित किए गए हैं:

- मिशन लाइफ पोर्टल: लाइफ कार्यक्रमों से संबंधित रचनात्मक सामग्री और वीडियो का संग्रह
- मेरी लाइफ पोर्टल: यह एक ऐसा मंच है जहां व्यक्ति, मंत्रालय, विभाग और संस्थान 106 से अधिक मंत्रालयों और विभागों में किए जा रहे सहयोगात्मक प्रयासों की प्रगति की निगरानी करने, कार्य रिपोर्ट अपलोड करने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

अभिसरण को सक्षम बनाने और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए, डेटा के निर्बाध साझाकरण के लिए एपीआई-आधारित सेवाओं के माध्यम से निम्नलिखित प्लेटफार्मों को मेरी लाइफ पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है:

- माई भारत पोर्टल (युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय)
- मंत्रालय का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम पोर्टल
- पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी)
- एसबीएम(जी) एमआईएस पोर्टल (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)
- मिशन लाइफ पोर्टल पर ईको क्लब (विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)
- एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत ईको क्लबों की भागीदारी - विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अध्याय - 2

पर्यावरण – प्रदूषण नियंत्रण, नीति और कानून

2.1. प्रदूषण नियंत्रण

'प्रदूषण नियंत्रण' प्रभाग एक केंद्रीय क्षेत्र योजना - 'प्रदूषण नियंत्रण' का संचालन करता है, जो वर्ष 2018-19 से शुरू हुई थी और वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी जारी रहेगी। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए इस योजना का परिव्यय 3802.5 करोड़ रुपये है। सीओपी योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(1) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) एक प्रमुख पहल है। इसे 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों (मानकों को पूरा ना करने वाले 82 शहरों + मानकों को पूरा ना करने वाले तथा दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 40 शहरों + दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 8 शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक, एकीकृत और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से शुरू किया गया है।

- यह कार्यक्रम पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10) की सांद्रता को कम करने पर केंद्रित है। ये सूक्ष्म वायुजनित कण होते हैं, जो मुख्य रूप से सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण गतिविधियों, खुले में कचरा जलाने और औद्योगिक कार्यों जैसे स्रोतों से उत्पन्न होते हैं।

- एनसीएपी का लक्ष्य 2019-20 के आधारभूत स्तर की तुलना में पीएम10 के स्तर में 40% तक की कमी लाना है या वैकल्पिक रूप से, यह सुनिश्चित करना है कि शहर वर्ष 2025-26 तक पीएम10 के लिए 60 $\mu g/m^3$ के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) को पूरा करें।

- एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक शहर ने पीएम10 की सांद्रता को कम करने के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के साथ एक स्वच्छ वायु कार्य योजना (सीएपी) तैयार की है। इन योजनाओं में सड़क की धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वच्छ वायु कार्य योजना (सीएपी) के तहत शहरों को प्रमुख प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने, उनके प्रभाव के आधार पर उन्हें प्राथमिकता देने और परिवेशी वायु गुणवत्ता में मात्रात्मक सुधार प्राप्त करने के लिए लक्षित शमन उपायों को लागू करने का आदेश दिया गया है।

- ये शहर-स्तरीय स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ व्यापक राज्य-स्तरीय और राष्ट्रीय-स्तरीय कार्य ढांचों के अनुरूप हैं, ताकि दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित हो सके, प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और संसाधनों का एकीकरण संभव हो सके।

- नगर कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन के लिए धनराशि का उपयोग विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय के माध्यम से किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए):
  - स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम-यू)
  - अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)
  - स्मार्ट सिटी मिशन
  - पीएम ई-बस सेवा योजना
  - शहरी परिवहन
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी):
  - किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक व्यवस्था (एसएटीएटी)
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच):
  - वाहन स्क्रैपिंग नीति
- भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई):
  - पीएम ई-ड्राइव योजना

- विद्युत मंत्रालय:
    - o समर्थ – राष्ट्रीय जैवमास मिशन (तापीय विद्युत संयंत्रों में कृषि अवशेषों के उपयोग से संबंधित संधारणीय कृषि मिशन)
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई):
    - o राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम
- वित्तीय सहायता की कमी को दूर करने के लिए, एनसीएपी के तहत प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाता है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपने मिलियन-प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड (एमपीसीसीएफ) के माध्यम से 48 मिलियन-प्लस शहरों/शहरी समूहों (42 एमपीसी और 6 शहरी समूह) में लक्षित कार्रवाइयों के लिए ₹16,539 करोड़ का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना 'प्रदूषण नियंत्रण' के अंतर्गत 82 शहरों में ₹3,591 करोड़ की महत्वपूर्ण अंतर पूर्ति-निधि (क्रिटिकल गैप फंडिंग) प्रदान की गई। समग्र रूप से अब तक इन शहरों को ₹13,852.22 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। इसमें ₹11,457.34 करोड़ 48 मिलियन-प्लस शहरों/शहरी समूहों में लक्षित कार्रवाइयों के लिए तथा ₹2,394.88 करोड़ 82 शहरों को 'प्रदूषण नियंत्रण' केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से प्रदान किए गए हैं।
- आज तक, एनसीएपी के तहत 130 शहरों को कुल ₹13852.22 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - o पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सीपी योजना के तहत मानकों को पूरा ना करने वाले 82 शहरों को ₹2,394.88 करोड़ आवंटित किए गए।
    - o पंद्रहवें वित्त आयोग के एमपीसीसीएफ के तहत 48 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों को ₹11,457.34 करोड़ आवंटित किए गए।
- शहरों को अपनी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए कार्य-निष्पादन आधारित अनुदान प्राप्त होते हैं। बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले शहरों को अतिरिक्त धन और मान्यता के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता है।
- यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों को शामिल करते हुए एक बहुक्षेत्रीय पहल पर आधारित है।
- माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष समिति कार्यक्रम को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है। अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 43 बैठकें (04 शीर्ष समिति, 08 संचालन समिति, 14 निगरानी समिति और 17 कार्यान्वयन समिति की बैठकें) आयोजित की जा चुकी हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य और शहर स्तर पर कुल 534 बैठकें आयोजित की गईं। इनमें 27 राज्य संचालन समिति की बैठकें, 48 वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (एक्यूएमसी) या राज्य स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति (एसएलएमआईसी) की बैठकें और 459 जिला स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति (डीएलएमआईसी) की बैठकें शामिल थीं।
- इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी के अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनसीएपी के सभी 130 शहरों में क्षेत्रीय दौरा किया है।
- एनसीएपी को राज्य और जिला स्तरीय डीआईएसएचए समितियों के दायरे में लाया गया है। इससे उत्तरदायित्व और समन्वय में वृद्धि हुई है। इन समितियों की अध्यक्षता राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में उपराज्यपाल द्वारा और जिला स्तर पर संबंधित जिले से निर्वाचित संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा की जाती है।
- कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने एसपीसीबी/पीसीसी और 130 शहरों में परियोजना

प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) स्थापित की हैं, जिनमें प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति की गई है। ये इकाइयां राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को व्यावहारिक सहायता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, 60 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों को तकनीकी सहायता, अनुसंधान सहायता और क्षमता संवर्धन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है।

- संस्थागत तत्परता और कार्यक्रम की निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, सभी स्तरों पर हितधारकों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक संरचित क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी 'प्राण' पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत, वेब-आधारित डैशबोर्ड है। इसमें सभी 130 शहरों में भौतिक प्रगति (जैसे प्रस्तावित स्वच्छ वायु कार्य योजना, पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या, आयोजित बैठकें) और वित्तीय प्रगति (निधि का आवंटन, जारी और उपयोग) दोनों को शामिल किया गया है।

- 130 एनसीएपी शहरों में 855 स्टेशनों (500 मैनुअल स्टेशन और 355 सीएएक्यूएमएस स्टेशन) पर वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। वर्ष भर यह डेटा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाता है। शहरों के प्रदर्शन का आकलन पीएम10 सांद्रता के वार्षिक औसत और इन स्टेशनों के माध्यम से वार्षिक रूप से एकत्र किए गए वायु गुणवत्ता डेटा से गणना किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आधार पर किया जाता है।

- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पहल, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों (कैप) के कार्यान्वयन और वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयासों के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करती है। स्वच्छ वायु दिवस (7 सितंबर) के अवसर पर प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया जाता है।

- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यढांचा 2022-23 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सड़कों की धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, अन्य उत्सर्जन (डीजी सेट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान) और सूचना एवं संचार पर्यावरण संरक्षण (आईईसी) गतिविधियों पर शहरों द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख है।

- सभी 130 शहरों की भागीदारी और रैंकिंग को 3 समूहों में विभाजित किया गया है (जनसंख्या 3 लाख से कम; 3-10 लाख; और 10 लाख से अधिक)।

- शहरों द्वारा स्व-मूल्यांकन; राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन; सीपीसीबी द्वारा मूल्यांकन; स्वतंत्र समितियों द्वारा क्षेत्र सत्यापन

- 4 सर्वेक्षण संपन्न किए गए (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2025-26)

- स्वच्छ वायु दिवस (7 सितंबर) के अवसर पर प्रत्येक समूह के शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

- पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए मिशन 'लाइफ' (LiFE) को राज्य और शहर की कार्य योजनाओं में एकीकृत किया गया है।

- एनसीएपी के अंतर्गत प्रमुख वायु गुणवत्ता सुधार संबन्धी कार्यों के वर्तमान कार्यान्वयन का विवरण निम्न प्रकार है;

    - खुली सतहों से धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए कुल 16,424.14 किलोमीटर सड़कों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पक्का किया गया है।

    - धूल हटाने के नियमित कार्यों में सहयोग के लिए 802 मैकेनिकल रोड स्वीपर (एमआरएस) खरीदे गए हैं।

    - शहरों में वनस्पति को बढ़ावा देने और परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 9,367.31

एकड़ हरित क्षेत्रों का विकास किया गया है।

- o निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों की स्थापना के माध्यम से प्रतिदिन 8,232 टन (टीपीडी) की क्षमता सृजित की गई है।

- o शहरी परिवहन प्रणालियों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए 3,234 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी और तैनात की गई हैं।

- o स्वच्छ परिवहन की ओर संक्रमण को समर्थन देने के लिए 689 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

- o परंपरागत बायोमास आधारित दाह संस्कार प्रथाओं के स्थान पर 111 पीएनजी/इलेक्ट्रिक श्मशान गृह स्थापित किए गए हैं।

- o 1,125.21 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का शोधन किया गया है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार हुआ है और खुले में कचरा जलाने में कमी आई है।

- एनसीएपी के तहत 130 शहरों द्वारा की गई लक्षित कार्रवाइयों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। इनमें से 103 शहरों ने 2017-18 की तुलना में 2024-25 में पीएम10 सांद्रता में कमी दिखाई है, 64 शहरों ने आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में पीएम10 के स्तर में 20% से अधिक की कमी दिखाई है और इनमें से 25 शहरों ने 40% से अधिक की कमी हासिल की है। कुल 22 शहरों ने एनएएक्यूएस मानकों को पूरा किया है और उनमें पीएम10 की सांद्रता 60 μg/m3 से कम है।

- एनसीएपी के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं।

  - o वायु गुणवत्ता एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सीपी योजना के तहत वित्त पोषित 82 शहरों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निधि प्राप्त करने हेतु नई वायु गुणवत्ता चुनौती पद्धति की शुरुआत।

  - o शहरों को संतृप्ति-आधारित योजनाएँ तैयार करने का आदेश दिया गया (85 शहरों ने योजनाएँ तैयार कीं)

  - o शहर 2025-26 तक निम्नलिखित 5 प्रमुख गतिविधियों में संतृप्ति प्राप्त कर लेंगे।

    I. धूल नियंत्रण के लिए सड़क सुधार कार्यों में संपूर्ण सड़क निर्माण, हरियाली विकास और यांत्रिक सड़क सफाई आदि शामिल हैं।

    II. खुले क्षेत्रों, यातायात गलियारों और मियावाकी वृक्षारोपण सहित लघु वनों का हरियालीकरण

    III. यातायात जाम कम करने के लिए यातायात चौराहों में सुधार करना

    IV. श्मशान घाटों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय:

    - स्वच्छ ईंधनों में परिवर्तन, या
    - वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना

    V. जन जागरूकता और जनसंपर्क के लिए स्कूलों और कॉलेजों की भागीदारी के साथ-साथ 'माई भारत' के माध्यम से भी।

  - o 'माई भारत' मंच के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं को शामिल करना

  - o वृक्षारोपण गतिविधियों और लघु वन/ मियावाकी वृक्षारोपण के लिए कार्य योजनाएँ

  - o धूल रहित सड़कों के डिजाइन और निर्माण पर मार्गदर्शन दस्तावेज

  - o लघु वनों (मियावाकी वृक्षारोपण) के विकास पर मार्गदर्शन दस्तावेज

- एनसीएपी के तहत हुई प्रगति को आगे बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सतत सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, निम्नलिखित रणनीतिक कार्रवाइयां प्रस्तावित हैं:
    - o एनसीएपी के सभी 130 शहरों द्वारा संतृप्ति-आधारित शहर कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन
    - o सीमा पार प्रदूषण से निपटने और समन्वित क्षेत्रीय रणनीतियों को सक्षम बनाने के लिए, 8 राज्यों को शामिल करते हुए, भारत-गंगा के मैदान (आईजीपी) के लिए एक क्षेत्रीय वायुसंग्रह योजना का विकास और संचालन।
    - o एनसीएपी योजना को गति बनाए रखने और प्रभाव को गहरा करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच वर्षों की विस्तारित अवधि के लिए जारी रखा जाए।
    - o एनसीएपी के अंतर्गत मानकों को पूरा ना करने वाले अन्य शहरों को शामिल करना, कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करना और यह सुनिश्चित करना कि उभरते शहरी केंद्रों को आवश्यक सहायता प्राप्त हो।
    - o वायु गुणवत्ता सुधार प्रयासों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वार्ड स्तर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय समन्वय समिति:

- मौजूदा निगरानी समितियों के अतिरिक्त, केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत कार्यों के समन्वय के लिए, माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में और माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को सह-अध्यक्ष के रूप में शामिल करते हुए, एनसीएपी के तहत राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) का गठन किया गया है।
- एनसीसी का गठन केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य विकास एजेंसियों की योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय के माध्यम से एनसीएपी कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और समन्वय प्रदान करने के लिए किया गया है।
- एनसीएपी मिशन मोड में शहर की कार्य योजनाओं के 100% कार्यान्वयन पर जोर देता है, जिसमें एसबीएम-यू, अमृत, स्मार्ट सिटीज, एसएटीएटी, एफएएमई-II, नगर वन योजना और अन्य योजनाओं से प्राप्त धन का लाभ उठाया जाता है।
- सभी संबंधित मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विशेष रूप से एनसीएपी के तहत लक्षित शहरों के संदर्भ में, एनसीएपी गतिविधियों के साथ अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को संरेखित करने वाली अभिसरण कार्यनीतियाँ प्रस्तुत करें।

(2) प्रदूषण कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की सहायता करना

योजना के इस घटक के अंतर्गत 8 उत्तर-पूर्वी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता प्रयोगशाला विकास, ई-गवर्नेंस और आईटी अनुप्रयोगों के लिए दी जा रही है। इसमें ऑनलाइन कंसेंट प्रबंधन तथा ऑनलाइन उत्सर्जन / अपशिष्ट जल निगरानी प्रणाली, आईटी अवसंरचना का विकास, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता गतिविधियाँ, प्रदूषण आकलन, जैसे स्रोत निगरानी तथा परिवेशी वायु, जल और शोर की निगरानी भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्थापना संबंधी व्यय का अधिकतम 50 प्रतिशत तक वहन किया जा रहा है।

(3) अनुसंधान एवं आउटरीच कार्यक्रम

इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल किए जाते हैं:

(i) सीपीसीबी / एसपीसीबी / पीसीसी के माध्यम से प्रदूषण, विशेष रूप से वायु और जल प्रदूषण के नियंत्रण और कमी के लिए परिणाम उन्मुख समयबद्ध अनुसंधान एवं विकास अध्ययन। 50 से अधिक परियोजनाएँ चल रही हैं और वे पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

(ii) सीपीसीबी / एसपीसीबी, अर्ध-सरकारी संगठनों के माध्यम से एसएमई के बीच जागरूकता और शिक्षा, सेमिनार / कार्यशालाएँ / सम्मेलन, अनुपालन

सहायता।

वायु अधिनियम और जल अधिनियम में संशोधन:

- भारत सरकार 'व्यापार करने में आसानी' का वातावरण प्रदान करके उद्यमियों और निगमों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के व्यावसायिक परिदृश्य को नया रूप देने और पुनर्परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से अनेक सुधार किए गए। इसका उद्देश्य न केवल व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना था, बल्कि नागरिकों के लिए अनुपालन को सरल, तर्कसंगत, डिजिटल और अपराध-मुक्त करके जीवन जीने में आसानी को भी बेहतर बनाना था।

- इसे गति प्रदान करने के लिए 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023' (संख्या 18, 2023) को संसद द्वारा 11.08.2023 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में संशोधन किया गया है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37, 38, 38ए और 39 के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने हेतु केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायनिर्णय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। धारा 21 के उपबंधों का पालन न करने और जुर्माना तथा अतिरिक्त जुर्माना न भरने के अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं किया गया है।

- चूंकि जल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में दिया गया राज्य का विषय है, इसलिए हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद जल अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रस्ताव ने संसद को संविधान के अनुच्छेद 252(1) के तहत "जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974" में संशोधन करने का अधिकार दिया और तदनुसार, "जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024" दिनांक 15-02-2024 को अधिसूचित किया गया। अब तक 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने संशोधन अधिनियम को अपना लिया है। ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, पंजाब, उत्तराखंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा हैं।

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में किए गए संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

i. जल अधिनियम की धारा 41, 41क, 42, 43, 44, 45 क और 48 के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने हेतु केंद्र और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायनिर्णय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

ii. धारा 25 और 26 के उपबंधों का पालन न करने और जुर्माना तथा अतिरिक्त जुर्माना न भरने के अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं किया गया है।

iii. जुर्माने की राशि कानून का पालन करने वाले उद्यमियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगी, जिससे कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा और साथ ही उनके संचालन में बेहतर कॉर्पोरेट प्रबंधन संबंधी कार्यप्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा।

iv. जुर्माने की राशि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी।

v. निर्णय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अवसर।

vi. इस संशोधन से स्वनियमन को प्रोत्साहन मिलेगा और विश्वास आधारित शासन का माहौल बनेगा।

अन्य महत्वपूर्ण संशोधन और इसका प्रभाव:-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 नवम्बर 2024 को जारी राजपत्र अधिसूचनाओं सा. का. नि. 702(ई) एवं 703(ई) के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि जिन उद्योगों ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है, उन्हें जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

के अंतर्गत स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, "श्वेत श्रेणी" के उद्योग (प्रदूषण न फैलाने वाले) सीटीई और सीटीओ दोनों आवश्यकताओं से पूरी तरह से मुक्त हैं।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से परामर्श के बाद जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति प्रदान करने, अस्वीकार करने या निरस्त करने संबंधी दिशा-निर्देश क्रमशः 30 और 29 जनवरी 2025 को अधिसूचित किए हैं।

इन दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- कब्जेदार को सहमति और प्राधिकरण प्रदान करने की एकल चरण प्रक्रिया।
- समेकित सहमति और प्राधिकरण के लिए सीमित अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण के साथ एकसमान आवेदन पत्र (सीटीई/सीटीओ)।
- सहमति शुल्क के आकलन के लिए मानकीकृत पद्धति, आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा और आवेदनों की जांच और सत्यापन के लिए एक समान प्रक्रियाएँ।
- यदि निर्धारित अवधि के भीतर एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो मामले को आवेदन के निपटान के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति को भेजा जाएगा।
- इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल का विकास, जो प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक एकल डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा। सीपीसीबी एक केंद्रीकृत पोर्टल, एकीकृत सहमति और प्राधिकरण प्रबंधन प्रणाली (यूसीएएमएस) विकसित कर रहा है, जो निर्धारित दिशानिर्देशों के सुव्यवस्थित प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक एकल-बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल का निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूरा हो सकता है। परिचालन शुरू होने के बाद, सहमति प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केवल यूसीएएमएस के माध्यम से ही संसाधित किया जाएगा और निपटाया जाएगा। पोर्टल के चालू होने तक, सीटीई/सीटीओ के अनुदान की प्रक्रिया प्रत्येक एसपीसीबी/ पीसीसी द्वारा अपनाई गई मौजूदा प्रणालियों के माध्यम से जारी रहेगी।
- केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण (अनुमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशानिर्देश, 2026 जारी किए हैं सा. का. नि. 62 (अ) दिनांक 27.12. 2026 और जल प्रदूषण नियंत्रण (अनुमति प्रदान करना, अस्वीकृति या रद्द करना) संशोधन शानिर्देश, 2026, सा. का. नि. 63 (अ) दिनांक 27.12. 2026 के अनुसार संशोधित दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:
- पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक की नियुक्ति
- लाल श्रेणी की इकाइयों को सहमति देने की प्रक्रिया अवधि में कमी
- संचालन की सहमति को स्थायी कर दिया गया है
- सभी प्रकार के खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए समेकित एकल सहमति
- अधिसूचित औद्योगिक संपदाओं या औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान, ताकि वे स्थापना के लिए सहमति प्राप्त कर सकें।
- औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए न्यूनतम दूरी मानदंड को निरस्त करना।

पर्यावरण मानकों का विकास:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उद्योगों, कार्यों या प्रक्रियाओं से निकलने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों, जैसे वायु प्रदूषकों, जल प्रदूषकों और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक तैयार करता है और अधिसूचित करता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार करना तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है। इन मानकों को संबंधित हितधारकों के

परामर्श से तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया सर्वोत्तम कार्यप्रथाओं और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित है। मानकों की अधिसूचना में भार आधारित मानकों का निर्माण भी शामिल है, अर्थात् प्राप्त उत्पाद की प्रति इकाई / निष्पादित प्रक्रियाओं के लिए प्रदूषकों के उत्सर्जन / निस्सरण की सीमा, ताकि संसाधन उपयोग दक्षता और संरक्षण पहलुओं को प्रोत्साहित किया जा सके। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अनुशंसित किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया / संचालन के मानक आम जनता सहित सभी हितधारकों के परामर्श के अधीन होते हैं। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न वायु/जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत, मंत्रालय ने विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों के लिए नए मानक विकसित करने / मौजूदा मानकों को संशोधित करने का कार्य शुरू किया।

उपलब्धियां और प्रगति निम्नलिखित हैं:

अब तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में मानकों को अधिसूचित / संशोधित किया जा चुका है। प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: ताप विद्युत संयंत्र, सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, चीनी उद्योग, सीमेंट संयंत्र, वस्त्र उद्योग, बूचड़खाना, सीवेज उपचार संयंत्र, उर्वरक उद्योग, हवाई अड्डा शोर मानक, डीज़ल / पेट्रोल / एलपीजी / सीएनजी जेनसेट, बॉयलर आधारित उद्योग, मानव-निर्मित फाइबर उद्योग, पेंट उद्योग, कॉफी प्रसंस्करण उद्योग, टेनरी उद्योग, केरोसीन, तथा पाँच औद्योगिक क्षेत्रों - चूना भट्ठा, सिरेमिक, कांच, फाउंड्री एवं रीहीटिंग भट्टियां - के लिए SO और NOx उत्सर्जन मानक, औषधि उद्योग, पीवीसी पाइप एवं फिटिंग तथा झिल्ली आधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली आदि। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वर्ष 2025 में उत्सर्जन एवं बहिःस्राव विसर्जन संबंधी मानकों पर प्रकाशित अंतिम अधिसूचनाएं निम्नलिखित हैं

1. ईंट भट्टों के लिए पर्यावरणीय मानकों में संशोधन, राजपत्र अधिसूचना सं. सा. का. नि. 70(अ), दिनांक 22.01.2025 के माध्यम से किया गया।

2. कास्टिक सोडा निर्माण उद्योगों के लिए पर्यावरण मानक राजपत्र अधिसूचना सा. का. नि. 194(अ) दिनांक 26.03.2025 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

3. राजपत्र अधिसूचना सा. का. नि. 446(अ) दिनांक 03.07.2025 के माध्यम से तापीय विद्युत संयंत्रों से शीतलन टावरों को छूट देने संबंधी अधिसूचना।

4. राजपत्र अधिसूचना सा. का. नि. 465(अ) दिनांक 11.07.2025 के माध्यम से तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरण मानकों में संशोधन।

5. राजपत्र अधिसूचना सा. का. नि. 482(अ) दिनांक 21.07.2025 के माध्यम से एल्युमीनियम उद्योगों के लिए पर्यावरण मानकों में संशोधन।

6. कीटनाशक उद्योगों के लिए पर्यावरण मानकों में संशोधन राजपत्र अधिसूचना सा. का. नि. 487(अ) दिनांक 22.07.2025 के माध्यम से किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)

- एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत दिनांक 23 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना के अनुसार इस आयोग का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के साथ-साथ इससे जुड़े या आनुषंगिक मामलों पर विचार करना है।

- अधिनियम के अनुसार, वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के लिए तीन वैधानिक उप-समितियों (i) निगरानी और पहचान, (ii) सुरक्षा और प्रवर्तन तथा (iii) अनुसंधान और विकास का गठन किया गया है। आयोग ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में कुछ कार्यों के लिए विशेषज्ञ समूहों के गठन के अलावा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) पर अन्य उप-समितियों का भी गठन किया है।

- अपनी स्थापना के बाद से, आयोग एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से उठा रहा है और वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जनित्र (डीजी) सेटों से प्रदूषण, वाहन और परिवहन क्षेत्र, कृषि पराली जलाना, नगरपालिका

ठोस अपशिष्ट/बायोमास जलाना, स्वच्छता लैंडफिल स्थलों में आग, निर्माण और विध्वंस परियोजना संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों की धूल और बिखरे हुए स्रोतों से प्रदूषण आदि शामिल हैं।

- क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में विभिन्न कार्यों का मार्गदर्शन और निर्देशन करने के लिए, आयोग ने वर्ष 2025 में एनसीआर राज्यों की सरकार/ जीएनसीटीडी और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए संबंधित विभिन्न एजेंसियों को 10 वैधानिक निर्देश, 01 सलाहकार और कार्यकारी आदेश जारी किए हैं।

- इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में शुरू किए गए/प्रगति पर पहुंचे उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1) औद्योगिक प्रदूषण

आयोग की स्थापना के समय से ही अनुमोदित ईंधनों पर औद्योगिक कार्यों का संचालन करना उसकी प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। आयोग विभिन्न हितधारकों (एनसीआर राज्य, दिल्ली जीएनसीटी, सीपीसीबी, एनसीआर राज्यों के एसपीसीबी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति आदि) के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है ताकि एनसीआर जिलों में संचालित उद्योगों के नियमित ऑडिट और निरीक्षण के माध्यम से उत्सर्जन के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में चिन्हित 7983 ईंधन-आधारित उद्योगों में से, दिल्ली के सभी उद्योगों को पहले ही अनुमोदित/ स्वच्छ ईंधन पर स्थानांतरित कर दिया गया है, केवल 310 उद्योगों को छोड़कर जो या तो बंद रहे हैं या राज्यों के निर्देशों के माध्यम से बंद कर दिए गए हैं। पूर्व निर्देश के क्रम में, आयोग ने दिशा-निर्देश सं. 65 के माध्यम से 01.01.2023 से दिल्ली–एनसीआर के सभी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित ईंधनों की सूची अनिवार्य कर दी है।

एनसीआर में चिन्हित 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 224 में पीएनजी का बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है। शेष 16 क्षेत्रों में से, कम मांग के कारण 5 क्षेत्रों में कैस्केड सेवा संभव है, 8 क्षेत्रों में काम प्रगति पर है और हरियाणा के 3 क्षेत्र विचाराधीन हैं।

2.) डीज़ल जनित्र सेटों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना

डीज़ल जनित्र (डीजी) सेटों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आयोग ने दिनांक 29.09.2023 को दिशा-निर्देश सं. 76 जारी किया, जिसे बाद में संशोधित भी किया गया। यह दिशा-निर्देश दिल्ली–एनसीआर के सभी क्षेत्रों, जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय तथा कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि में डीजी सेटों के उपयोग को विनियमित करता है। इस निर्देश के अनुपालन को इकाइयों / उद्योगों के नियमित निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

3) वाहनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में, राज्यों को नए "प्रदूषण नियंत्रण" (पीयूसी) प्रमाणपत्र व्यवस्था के तहत वाहनों के नियमित प्रमाणीकरण और उत्सर्जन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। एनसीआर में 2025 के दौरान पीयूसी नियमों के उल्लंघन/स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाले/अतिभारित वाहनों आदि के लिए चालान किए गए वाहनों और अधिक आयु वाले वाहनों को जब्त किए जाने का विवरण निम्नलिखित है:

एनसीआर राज्य	पीयूसी जारी की गई	जारी किए गए चालानों की संख्या	10/15 वर्ष से अधिक आयु के जब्त किए गए पेट्रोल/डीजल वाहन
दिल्ली	32, 68, 933	5, 92, 889	35, 558
हरियाणा	26, 60, 799	33, 910	545
राजस्थान	14, 58, 70	19, 756	7, 18
उत्तर प्रदेश	14, 58, 708	86, 371	1, 231

इसके अलावा, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रभावी दीर्घकालिक रणनीति के रूप में, ई-मोबिलिटी की ओर संक्रमण को आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पहचाना गया है। एनसीआर के सभी राज्यों और जीएनसीटीडी द्वारा अपनी-अपनी मध्यम / दीर्घकालिक लक्षित ईवी नीतियों के साथ आने के साथ, आयोग ने सरकारी खरीद, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि को "शून्य उत्सर्जन और ई-वाहनों की खरीद को अनिवार्य बनाने" के लिए एक सलाह भी जारी की है।

राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर, 2025 तक एनसीआर में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। / दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियम निम्नलिखित हैं:

दिल्ली – 4,37,854	**हरियाणा** – 1,08,141
उत्तर प्रदेश – 1,70,143	**राजस्थान** – 26,189

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार (30 सितंबर, 2025 तक), दिल्ली क्षेत्र में कुल 3,100 बैटरी चार्जिंग स्टेशन और 4793 चार्जिंग पॉइंट पहले से ही स्थापित हैं।

दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों की अधिक संख्या से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से आयोग ने दिनांक 23.04.2025 को वैधानिक दिशा-निर्देश सं. 88 जारी किया, जिसे 17.10.2025 को संशोधित किया गया। यह संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 के आदेश के अनुरूप किया गया, जिसके तहत आवश्यक वस्तुएँ ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को दी गई छूट समाप्त कर दी गई थी। न्यायालय ने यह माना कि सीमा जांच चौकियों पर भौतिक सत्यापन से लंबे समय तक रुकावट और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या और बढ़ जाती है।

01.11.2025 से दिल्ली में किसी भी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन, जैसे एलजीवी, एमजीवी और एचजीवी, के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध लागू किया गया है।

यह प्रतिबंध बीएस-VI, सीएनजी, एलएनजी और ईवी वाहनों पर लागू नहीं होगा। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बशर्ते कि सभी बीएस-IV वाणिज्यिक मालवाहक वाहन, अर्थात् एलजीवी, एमजीवी और एचजीवी को 31.10.2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।

माननीय एनजीटी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप, आयोग ने 23.04.2025 को निर्देश 89 जारी किया है, जिसे 08.07.2025 को संशोधित किया गया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में जीवन-अवधि समाप्त हो चुके वाहनों (10/15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल / डीजल वाहन) के बेड़े के लिए एनसीआर राज्य सरकार और दिल्ली एनसीटी को निर्देश दिया गया है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.08.2025 के आदेश के मद्देनजर उक्त निर्देश को स्थगित रखा गया है।

देश के विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों से दिल्ली आने वाली अत्यधिक प्रदूषणकारी अंतर-शहरी एवं अंतर-राज्य बस सेवाओं को लेकर उठी चिंताओं के मद्देनज़र, दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसों को स्वच्छ ईंधन आधारित विकल्पों में परिवर्तित करने हेतु दिशा-निर्देश सं. 78 और 81 जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी), कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, संस्थान/स्कूल बस परमिट आदि के अंतर्गत संचालित बसें भी दिल्ली आती हैं। इस उप-क्षेत्र से होने वाले वाहनजनित वायु प्रदूषण को कम करने के व्यापक हित में, ऐसी बसों को भी स्वच्छ ईंधन आधारित विकल्पों, जैसे सीएनजी, ईवी या बीएस-VI डीज़ल में परिवर्तित करना आवश्यक है। तदनुसार, आयोग ने निर्देश संख्या-93 दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया कि दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसों को, जिनमें अखिल भारतीय पर्यटक परमिट और अन्य सेवा व्यवस्थाओं के तहत चलने वाली बसें भी शामिल हैं, 01.11.2026 तक सीएनजी / ईवी / बीएस-वीआई डीजल बसों जैसे स्वच्छ साधनों में परिवर्तित किया जाए।

दिल्ली-एनसीआर में, विशेष रूप से मोटर वाहन एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स संस्थाओं के क्षेत्रों में,

वाहन प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ गतिशीलता की ओर तेजी से संक्रमण के लिए, आयोग ने दिनांक 03.06.2025 को निर्देश संख्या 94 जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित को अनिवार्य किया गया है:

i. मौजूदा वाहन बेड़े में केवल सीएनजी / इलेक्ट्रिक 3-पहिया ऑटो रिक्शा ही अतिरिक्त रूप से शामिल किए जाएंगे;

ii. 01 जनवरी 2026 से मौजूदा 4-पहिया एलसीवी, 4-पहिया एलजीवी (एन1 श्रेणी - 3.5 टन तक) और 2-पहिया वाहनों के बेड़े में पूरी तरह से डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले किसी भी पारंपरिक आईईसी वाहन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4) निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न धूल

आयोग निरीक्षणों के माध्यम से निर्माण और विकास स्थलों पर प्रभावी धूल नियंत्रण उपायों से संबंधित विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित कर रहा है। आयोग द्वारा निगरानी के अतिरिक्त, एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा डीपीसीसी को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं (प्लॉट क्षेत्र ≥ 500 वर्ग मीटर तथा < 500 वर्ग मीटर) का नियमित भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। 01.01.2025 से 30.09.2025 तक किए गए निरीक्षणों का विवरण निम्नलिखित है:

क्रमांक	निरीक्षण की स्थिति	दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
क. निर्माण एवं विध्वंस स्थल (प्लॉट क्षेत्र ≥ 500 वर्ग मीटर)					
1.	प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किए गए निर्माण एवं विध्वंस स्थलों की संख्या	22,192	2,098	4,394	3,240
2.	उन सभी स्थलों की कुल संख्या जिन पर अनियमितताओं के लिए कारण जुर्माना लगाया गया था।	150	99	23	13
3.	बंद करने/कार्यस्थल पर कार्य रोकने के आदेश दिए गए स्थलों की संख्या।	72	12	17	2
ख. निर्माण एवं विध्वंस स्थल (प्लॉट का क्षेत्रफल < 500 वर्ग मीटर)					
4.	प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण किए गए निर्माण एवं विध्वंस स्थलों की संख्या	40,237	1,513	4,076	5,505
5.	उन सभी स्थलों की कुल संख्या जिन पर अनियमितताओं के कारण ईसी जुर्माना लगाया गया था।	1,030	69	94	0
6.	बंद करने/कार्यस्थल पर कार्य रोकने के आदेश दिए गए स्थलों की संख्या।	12	1,855	1	0

इसके अतिरिक्त, निर्माण एवं विध्वंस स्थलों की बड़ी संख्या से होने वाले वायु प्रदूषण की प्रभावी निगरानी और कड़े नियंत्रण के उद्देश्य से आयोग ने दिनांक 02.12.2024 को दिशा-निर्देश सं. 85 जारी किया। यह दिशा-निर्देश सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 की धारा 14(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य सचिव तथा

डीपीसीसी के सदस्य सचिव को अधिकार प्रदान किए गए। उन्हें आयोग की 'सुरक्षा एवं प्रवर्तन' संबंधी वैधानिक उप-समिति के सदस्य के रूप में अधिकृत किया गया है। धूल और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के गंभीर उल्लंघन की स्थिति में, वे परियोजना प्रवर्तकों या कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजन हेतु शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, ऐसे स्थलों को बंद करने तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट क्षेत्र वाले निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर गंभीर उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क लगाने और वसूलने का भी प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार, दिनांक 02.01.2025 को दिशा-निर्देश सं. 86 जारी किया गया। इसके माध्यम से नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) के आयुक्त / क्षेत्रीय उप-आयुक्त, नई दिल्ली नगर परिषद के सचिव तथा दिल्ली से सटे प्रमुख शहरों—गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत—के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / उप-आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है। यह अधिकार 500 वर्ग मीटर या उससे कम प्लॉट क्षेत्र वाले निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में प्रदान किया गया है।

5) सड़कों और खुले क्षेत्रों से उड़ने वाली धूल

दिल्ली एनसीआर में उच्च स्तर का वायु प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है, विशेष रूप से मानसून के बाद और सर्दियों के मौसम में जब स्थिर मौसम की स्थिति प्रदूषकों को फंसा लेती है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, आयोग ने धूल के हॉटस्पॉट की पहचान, सड़कों और सड़क किनारे का पक्का निर्माण, केंद्रीय किनारों और सड़क किनारे हरियाली, मशीनीकृत सफाई, नियमित जल छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) के उपयोग जैसे उपायों पर जोर दिया है।

दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों में विभिन्न सड़क स्वामित्व एजेंसियों के बीच 68 धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ (डीसीएमसी) गठित किए गए हैं, जो धूल कम करने की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करते हैं।

धूल के पुनः उत्पाथन की वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए, सीएसआईआर-एनईआरआई और सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली द्वारा पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के साथ वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अध्ययन किया गया था। एक विस्तृत सड़क स्थिति सर्वेक्षण में 2200 किलोमीटर से अधिक सड़कों को शामिल किया गया, जिससे पता चला कि 24% सड़कें खराब स्थिति में थीं, 42% मध्यम स्थिति में थीं और 34% अच्छी स्थिति में थीं। धूल कणों के विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश कणों का आकार 35 से 211 माइक्रोमीटर के बीच था, और सड़क के मध्य और किनारों के पास इनका संचय देखा गया, जो बेहतर एमआरएसएम डिजाइन और सड़क की सफाई की आवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है। ट्रैफ़िक और डिस्पर्जन मॉडलिंग ने विशेष रूप से घनी यातायात वाली खराब सड़क के हिस्सों पर उच्च उत्सर्जन की पहचान की। धूल को नियंत्रित करने के लिए, अध्ययन में कुशल धूल उत्पाथन प्रणालियों, कम यातायात वाले क्षेत्रों में दमनकारी पदार्थों के उपयोग और हरित अवरोधों के विकास की सिफारिश की गई। स्थिरता के लिए, शोधित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और सड़क किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए त्रिस्तरीय वृक्षारोपण प्रणालियों के कार्यान्वयन का सुझाव दिया गया। सड़क और वायु गुणवत्ता की स्थितियों का वास्तविक समय में आकलन करने के लिए ड्रोन और मोबाइल पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) सेंसर के माध्यम से निरंतर निगरानी का भी प्रस्ताव किया गया था। अध्ययन में सड़क निर्माण, हरियाली बढ़ाने और एमआरएसएम के अनुकूलित उपयोग के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार करने की भी सिफारिश की गई।

इस आयोग में नई दिल्ली स्थित सीएसआईआर-सीआरआरआई के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने "शहरी सड़कों के पक्का बनाने और हरियाली के लिए मानक कार्यढांचा" पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें दिल्ली एनसीआर में सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पक्कीकरण और हरियाली उपायों के साथ-साथ सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (आरएएमएस) और उन्नत तकनीकी क्रियाकलापों के उपयोग के माध्यम से कई कार्रवाइयों की सिफारिश की गई है।

6) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट दहन की रोकथाम और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से वायु प्रदूषण का शमन

तेजी से हो रहे शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन के कारण नगरपालिका ठोस अपशिष्ट

(एमएसडब्ल्यू) मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। लैंडफिल में अनुचित निपटान और बिना पृथक्करण किए गए कचरे को बार-बार खुले में जलाने से हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इनमें कणीय पदार्थ (पीएम10 और पीएम2.5), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), अमोनिया तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक शामिल हैं। प्लास्टिक युक्त मिश्रित कचरे को जलाने से जहरीले डाइऑक्सिन और फ्यूरान उत्पन्न होते हैं, जबकि अवायवीय अपघटन और मशीनरी की आवाजाही से लैंडफिल उत्सर्जन वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को और भी बड़ा देता है, जिससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कुप्रबंधन एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन जाता है।

ठोस अपशिष्ट दहन और खुले में दहन की रोकथाम के लिए इसके प्रबंधन के मामले में, सीएक्यूएम विभिन्न एजेंसियों जैसे नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों, एसपीसीबी और एमओएचए के साथ समन्वय करता है ताकि दिल्ली और एनसीआर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी की जा सके और ठोस अपशिष्ट दहन की गतिविधियों और लैंडफिल / डंपसाइट में आग लगने की घटनाओं को कम किया जा सके, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आए।

आयोग ने 02.05.2025 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 12 के तहत 03.06.2025 को निर्देश संख्या 91 जारी किया, जिसमें सैनिटरी लैंडफिल स्थलों, डंपसाइटों, खुले अपशिष्ट क्षेत्रों में आग की रोकथाम और विरासत तथा नव-उत्पादित एमएसडब्ल्यू दोनों के प्रबंधन का प्रावधान है।

7) कृषि पराली जलाना

आयोग ने धान के अवशेष प्रबंधन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है। आयोग द्वारा दिनांक 10.06.2021 के निर्देश के माध्यम से जारी किए गए ढांचे के आधार पर और साथ ही वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 के अनुभवों के आधार पर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने 2025 के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार कीं। तदनुसार, संबंधित राज्यों को 09.05.2025 को वैधानिक निर्देश संख्या 90 जारी किया गया था, जिसमें वर्ष 2025 के दौरान धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए रूपरेखा और कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया था, जिसका उद्देश्य सख्त प्रवर्तन के माध्यम से इस अभ्यास को समाप्त करना था। इस कार्य योजना में फसल अवशेषों का यथास्थान प्रबंधन, धान के भूसे का यथास्थान उपयोग, कड़ी निगरानी और प्रवर्तन तथा व्यापक जागरूकता अभियान जैसे उपाय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य फसल कटाई के बाद कृषि अवशेषों को जलाने की प्रथा को कम करना है। इस निर्देश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- राज्य में विशिष्ट प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति (प्रत्येक प्रमुख के लिए अधिकतम 50 किसान)।
- वर्ष 2025 में विभिन्न प्रकार और संख्या में मशीनों की खरीद के लिए अंतर विश्लेषण और स्थिति।
- राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के माध्यम से छोटे / सीमांत किसानों के लिए सीआरएम मशीनों की किराया-मुक्त संबंधी योजना।
- बाह्य प्रबंधन के लिए बेलर, रेकर और अन्य मशीनों की उपयोग स्थिति।
- धान के भूसे की गांठों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त भंडारण सुविधा की योजना बनाना,
- जिला स्तरीय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बाह्य उपयोग की योजना बनाना।
- धान की खरीद के लिए एक समान निर्धारित दर अनिवार्य करना,
- ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्रों की तर्ज पर ईंट भट्टों में सह-दहन के लिए धान के भूसे की गोलियों / ब्रिकेटों के उपयोग को अनिवार्य करना (निर्देश 92, दिनांक 03.06.2025),
- धान की पराली जलाने की किसी भी घटना की बारीकी से निगरानी, देखरेख और रोकथाम के लिए जिला / ब्लॉक स्तर पर एक समर्पित "पराली सुरक्षा बल" का गठन करना,
- कुछ किसानों द्वारा उपग्रह निगरानी से बचने के लिए देर शाम के समय पराली जलाने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देर शाम के घंटों में

गश्त को और अधिक सघन किया गया है।

आयोग ने समय-समय पर एनसीआर तथा दिल्ली से 300 किलोमीटर के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों सहित विभिन्न हितधारकों को निर्देश और परामर्श जारी किए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को 'बाह्य-स्थाने पराली प्रबंधन' के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पराली के बाह्य-स्थाने उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक सक्षम पारि तंत्र और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने पर बल दिया गया है। इस पहल के अंतर्गत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फसल अवशेष आधारित पेलेट्स (विशेष रूप से धान की पराली) का कम से कम 5–10 प्रतिशत सह-दहन (को-फायरिंग) शामिल है। 2025-26 के दौरान 11 सितंबर तक, क्षेत्र के टीपीपी ने कुल मिलाकर 33.31 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 8.59 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष आधारित पेलेट्स का सह-दहन किया है।

वर्ष 2025 में आयोग ने दिनांक 03.06.2025 को दिशा-निर्देश सं. 92 जारी किया। इसके माध्यम से पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को एनसीआर से बाहर स्थित सभी ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पेलेट / ब्रिकेट के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया। इसका उद्देश्य खुले में पराली जलाने की प्रथा को समाप्त करना है। धान की पराली आधारित पेलेट / ब्रिकेट के 50 प्रतिशत सह-दहन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत 01.11.2025 से कम से कम 20 प्रतिशत, 01.11.2026 से 30 प्रतिशत, 01.11.2027 से 40 प्रतिशत और 01.11.2028 से 50 प्रतिशत सह-दहन सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।

लगातार कई वर्षों से किए जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, पंजाब में वर्ष 2024 में 78.1% और हरियाणा में 61.6% की उल्लेखनीय कमी आई है। धान के अवशेष जलाने की घटनाओं में 2022 में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आईएआरआई के 2022 से 2024 तक के बुलेटिनों के अनुसार धान की कटाई के मौसम के दौरान धान के अवशेष जलाने की घटनाओं की संख्या निम्नलिखित है:

पंजाब			हरियाणा			उत्तर प्रदेश (एनसीआर)			कुल (दिल्ली और राजस्थान के एनसीआर जिलों सहित)		
2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
49922	36663	10909	3661	2303	1406	198	212	414	53792	39186	12750

15 सितंबर से 09 नवंबर की अवधि के दौरान वर्ष 2023 से 2025 तक धान अवशेष (पराली) जलाने की संचयी घटनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

पंजाब			हरियाणा			उत्तर प्रदेश (एनसीआर)			कुल (दिल्ली और राजस्थान के एनसीआर जिलों सहित)		
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
23620	6266	4062	1676	959	333	58	147	44	25361	7392	4456

8) चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना

आयोग ने प्रचलित जीआरएपी की रूपरेखा की व्यापक रूप से समीक्षा की है, ताकि प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र विकसित किया जा सके और सर्दियों के चरम महीनों के दौरान पूरे एनसीआर में आमतौर पर बनी रहने वाली प्रतिकूल वायु गुणवत्ता की स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। जीआरएपी के कार्यक्रम की समीक्षा आयोग द्वारा 2024 में की गई थी और निर्देश संख्या 83 17.09.2024 को जारी किया गया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर आगे संशोधित किया गया और 13.12.2024 को जारी किया गया।

जीआरएपी के संचालन हेतु गठित उप-समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है और यह उप-समिति जीआरएपी के आह्वान / निरस्तीकरण संबंधी निर्णय लेने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर रही है।

9) हरियाली और वृक्षारोपण

दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने के लिए हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों, दिल्ली सरकार के साथ-साथ केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है। आयोग ने उनसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली / वृक्षारोपण हेतु व्यापक कार्य योजनाएं मांगीं। कार्य योजनाओं के प्रमुख घटकों में केंद्रीय किनारों का हरियालीकरण, सड़क किनारे / मार्गों के अधिकार क्षेत्र के साथ खुले क्षेत्रों का हरियालीकरण, हॉटस्पॉट क्षेत्रों और अन्य उच्च प्रदूषित क्षेत्रों का हरियालीकरण शामिल है। एनसीआर राज्यों और जीएनसीटीडी में वृक्षारोपण के लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

राज्य	2025-26 का लक्ष्य	वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्धियाँ (30. 09. 2025 तक)
दिल्ली	61, 38, 058	20, 73, 524
उत्तर प्रदेश (एनसीआर जिले)	1, 71, 44, 900	1, 77, 94, 457
राजस्थान (एनसीआर जिले)	74, 22, 375	1, 14, 17, 577
हरियाणा (एनसीआर जिले)	1, 24, 31, 077	1, 24, 31, 077
कुल	4, 31, 36, 410	4, 37, 16, 635

धूल को कम करने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में हरित आवरण को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए निम्नलिखित परिकल्पना की गई है:

- राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे एनसीआर दिल्ली में उपलब्ध सीमित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, मियावाकी तकनीक सहित विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके शहरी वन (घने वृक्षारोपण) के निर्माण पर जोर दें।

- एनसीआर क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा, शैक्षणिक और अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों के साथ बातचीत के दौरान, उन्हें वृक्षारोपण अभियानों में छात्रों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और निवासियों को शामिल करने पर विशेष जोर देने की सलाह दी गई है।

- निगरानी, रोपण के बाद की देखभाल, उत्तरजीविता दर और देशी प्रजातियों का रोपण वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रमुख तत्व हैं। एनसीआर क्षेत्र में हरियाली और वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा की जा रही है।

- वृक्षारोपण अभियान में गैर सरकारी संगठनों और ग्रामीण कल्याण संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इस संबंध में राज्य सरकारें विभिन्न सूचना एवं संचार शिक्षा (आईईसी) कार्यविधियां शुरू कर सकती हैं।

- एनसीआर के शहरी क्षेत्रों और शहरों में, जहां भी संभव हो, "नगर वन" और "नगर वाटिका" के दायरे का विस्तार करना, जिसमें सीमित शहरी स्थानों में सघन वृक्षारोपण

(जैसे मियावाकी तकनीक या राजस्थान / यूपी द्वारा अपनाई गई तकनीक) को अपनाना भी शामिल है।

- आयोग ने वायु प्रदूषण सहनशील प्रजातियों की एक सूची दिल्ली सरकार की सभी एजेंसियों, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को वितरित की।

- आयोग ने सिफारिश की है कि वृक्षारोपण की निगरानी / लेखापरीक्षा एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि वृक्षारोपण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल और संख्या के सत्यापन के लिए यह आवश्यक है।

- आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जीएनसीटीडी और एनसीआर जिलों में सभी सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सलाह दी है कि वे कच्ची सड़कों के हरियालीकरण/पक्की सड़क बनाने, सभी केंद्रीय किनारों के हरियालीकरण और सघन वृक्षारोपण के लिए सड़कों की पहचान का अलग से हिसाब रखें।

10) गैर-बिंदु विसरित स्रोतों से प्रदूषण का उपशमन

गैर-बिंदु" बिखरे हुए स्रोतों से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, वायु प्रदूषण पैदा करने वाले बिखरे हुए / स्थानीय स्रोतों से संबंधित शिकायतों को मोबाइल एप्लिकेशन (एमसीडी का 311 ऐप) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित एजेंसी को सूचित किया जाता है। समस्याओं को अल्पकालिक / दीर्घकालिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें अल्पकालिक समस्याओं के शीघ्र समाधान और दीर्घकालिक समस्याओं के लिए योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब तक कुल 3,14,255 मुद्दों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 2,73,906 मुद्दे (लगभग 87.2%) दिल्ली में 09.10.2025 तक सफलतापूर्वक हल किए जा चुके हैं।

11) सर्दियों के दौरान ख़राब हुई वायु गुणवत्ता के लिए गहन कार्रवाई।

आयोग द्वारा गठित "प्रवर्तन कार्य बल" (ईटीएफ) जमीनी स्थिति की समीक्षा और जायजा लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है ताकि आयोग द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों और आदेशों के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन और अनुपालन की बारीकी से निगरानी की जा सके। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा विभिन्न निर्देशों और आदेशों के संबंध में पहचानी गई अनियमितताओं / अनुपालन न करने की घटनाओं को विस्तृत विचार-विमर्श और गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई तय करने के लिए प्रवर्तन कार्य बल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों में उद्योग, निर्माण और विध्वंस स्थलों, वाणिज्यिक / आवासीय परिसरों में डीजी सेट संचालन, खुले में कचरा जलाने और विविध स्रोतों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर गुप्त निरीक्षण / अचानक जांच के लिए कुल 40 निरीक्षण दल / फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं।

एनसीआर में विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक अधिकार क्षेत्रों में आयोग द्वारा अनुमोदित बंद करने के निर्देशों की स्थिति, प्रारंभ से लेकर दिनांक 07.11.2025 तक, निम्नानुसार है:

कुल निरीक्षण किए गए स्थल	जारी किए गए बंद करने के निर्देशों की संख्या				बंद करने के मामले/राज्य वार			
	उद्योग	निर्माण एवं विध्वंस स्थल	डीजी सेट	**कुल**	दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
4220	111	312	0	423	102	165	137	19

बाद में आयोग द्वारा इन इकाइयों / कार्यविधियों को उचित सुधारात्मक और निवारक उपायों के बाद संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई और 07.11.2025 तक पुनः शुरू किए गए संचालन का विवरण इस प्रकार है:

क्षेत्रवार पुनः शुरू होने के मामले			कुल	राज्यवार पुनः शुरू किए गए मामले			
उद्योग	निर्माण एवं विध्वंस स्थल	डीजी सेट		दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
68	241	0	309	84	84	123	18

इसके अलावा, 258 इकाइयों की अनुपालन स्थिति या तो जांच के अधीन है और / या अनुपालन / प्रतिक्रिया प्रस्तुत किए जाने पर जांच की जाएगी।

12) आईईसी कार्यविधियाँ

सीएक्यूएम पर्यावरण स्थिरता और वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में आईईसी, जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान सक्रिय रूप से चला रहा है। आयोग स्वच्छ वायु पर साइकिल चलाना, पैदल चलना, नुक्कड़ नाटक और सूचना एवं संचार शिक्षा संबंधी कार्यविधियों को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन भी कर रहा है। एनसीआर की संबंधित एजेंसियों के अधिकारी वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीएक्यूएम वायु मित्र प्रतिज्ञा आदि के माध्यम से एनसीआर के स्कूलों में "एक स्थायी भविष्य का निर्माण" कार्यक्रम भी चला रहा है।

ब्रेथ ऑफ चेंज' अभियान के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ईआईएसीपी केंद्रों के माध्यम से कार्यशालाओं, फिल्म प्रदर्शन, पॉडकास्ट तथा युवा-केंद्रित जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए 1.3 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा गया।

इसके अतिरिक्त, शुद्ध वायु संपर्क (सुवास) नेटवर्क के तहत, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विशेषज्ञ संवाद, ज्ञान आदान-प्रदान और प्रभावी संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आईईसी नॉलेज फोरम का गठन किया गया है।

13) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

आयोग ने वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग की अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत 7 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इस प्रकार की परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक में दी गई है। इनमें से निम्नलिखित 3 अध्ययन वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे किए गए:

(i) दिल्ली–एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्ययोजनाओं के माध्यम से वाहन यातायात से उत्पन्न सड़क धूल के पुनःउठान (री-सस्पेंशन) का समाधान' शीर्षक परियोजना के अंतर्गत अध्ययन संयुक्त रूप से किया गया। यह अध्ययन प्रधान अन्वेषकों डॉ. एस. के. गोयल, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, सीएसआईआर–नीरी, तथा डॉ. नीरज शर्मा, मुख्य वैज्ञानिक, टीपीई प्रभाग, सीआरआरआई, नई दिल्ली के संयुक्त पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

(ii) एनसीआर में दिल्ली और उसके सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली नामक परियोजना के अंतर्गत अध्ययन प्रधान अन्वेषक, डॉ. गौरव गोवर्धन, वैज्ञानिक 'डी', आईआईटीएम, पुणे के पर्यवेक्षण में किया गया था।

(iii) "एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ 2 और 3 पहिया ऑटो-रिक्शा के रेट्रो-फिटमेंट का आकलन" शीर्षक वाली परियोजना के अंतर्गत अध्ययन प्रधान अन्वेषक डॉ. रवींद्र कुमार, जीएम, एआरएआई, कोथरुड, पुणे की देखरेख में पूरा हो चुका है।

14) शिकायत निवारण एवं सुविधा

आयोग ने प्राप्त शिकायतों / समस्याओं के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गयी ।

15) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटन

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए दिनांक 07.11.2025 की स्थिति के अनुसार बजट अनुमान (BE) के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट आवंटन ₹38.98 करोड़ है। विवरण निम्नानुसार है:

	₹ (करोड़ में)
(क) अनुदान सहायता सामान्य	30.88
(ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	00.10
(ग) अनुदान सहायता वेतन	08.00
कुल	38.98

2.2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1 परिचय:

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत, केंद्र सरकार ने 23 सितंबर, 1974 को 'जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड' का गठन किया। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (संख्या 53 ऑफ 1988) के तहत बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) कर दिया गया। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत मई 1981 से सीपीसीबी को वायु प्रदूषण नियंत्रण की अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जो पर्यावरण संरक्षण उपायों के प्रवर्तन के लिए एक व्यापक कानून है, के अधिनियमन और अधिनियम के तहत नियमों की कई अधिसूचनाओं ने सीपीसीबी की कार्यविधियों के दायरे को विस्तृत कर दिया है।

सीपीसीबी एक वैधानिक निकाय है और अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के निष्पादन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 100% अनुदान सहायता प्राप्त करता है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान (बीई के तहत) में अनुदान सहायता के रूप में कुल 116.20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

शिलांग और पुणे में नव विकसित क्षेत्रीय निदेशालय प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया और माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सीपीसीबी के 50वें स्थापना दिवस पर दिल्ली स्थित सीपीसीबी के नए भवन की आधारशिला रखी गई।

2 संपन्न महत्वपूर्ण कार्यविधियाँ

1. वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क

वायु गुणवत्ता की निगरानी और सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 16 की उपधारा 2 (एच) के तहत राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) को 18 नवंबर, 2009 को एक नीतिगत दिशानिर्देश के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो पर्यावरण पर मानवीय कार्यविधि के प्रभाव को नियंत्रित करता है।

- सीपीसीबी ने 1984 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) शुरू किया था। वर्तमान में, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क में 1601 स्टेशन हैं, जो 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 583 शहरों को शामिल करते हैं। इन कुल 1601 स्टेशनों में से 1035 स्टेशन मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन हैं और 566 स्टेशन सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) हैं।

- सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली एक विशेष प्रणाली है, जो तापमान नियंत्रित कंटेनर/कमरे में रखी जाती है और विभिन्न विश्लेषकों का उपयोग करके परिवेशी वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए सुसज्जित होती है। इस प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न होने वाला रीयल टाइम डेटा सेंट्रल सर्वर और साथ ही सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर स्थानांतरित किया जाता है। इन सीएएक्यूएमएस के डेटा का उपयोग शहरों के दैनिक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एनएक्यूआई) को उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है।

- सीएएक्यूएमएस के तहत सभी स्थानों पर पार्टिकुलेट मैटर (पीएम10 और पीएम2.5), सल्फर डाइऑक्साइड (SO 2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO 2), अमोनिया (NH 3), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O 3) और बेंजीन (C 6 H 6) की निगरानी की जा रही है। सीएएक्यूएम स्टेशनों में हवा की गति, हवा की दिशा, परिवेश का तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, सौर विकिरण और वर्षा जैसे मौसम संबंधी मापदंडों को मापने के लिए सेंसर भी लगे हुए हैं।

- वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) निरंतर निगरानी स्टेशनों के माध्यम से प्रति घंटे के आधार पर उत्पन्न किया जा रहा है और सीपीसीबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। दैनिक एक्यूआई बुलेटिन जारी किया जाता है जिसमें 292 शहरों का एक्यूआई डेटा दिनांक तक उपलब्ध होता है। 130 गैर-प्राप्ति वाले शहरों में से, 101 शहरों के लिए सीएएक्यूएम के माध्यम से उत्पन्न डेटा का उपयोग करके एक्यूआई उत्पन्न किया जाता है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक पूरे देश में कण पदार्थ की सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाना था। लक्ष्य को संशोधित करके 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (60 $\mu g/ m^3$) की उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- गैर-प्राप्ति वाले शहर (एनएसी) उन शहरों को कहा जाता है जो एनएएएक्यूएस के तहत अधिसूचित किसी भी पैरामीटर की वार्षिक औसत सांद्रता को लगातार पांच वर्षों तक पार कर जाते हैं। राज्यों में वायु गुणवत्ता स्तर के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से अधिक होने और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूहों के आधार पर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन अनुदान की अनुशंसाओं के लिए 130 शहरों की पहचान की गई। स्वच्छ वायु शहर कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और 130 चिन्हित राष्ट्रीय वायु नियंत्रण केंद्रों (एनएसी) और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इन्हें लागू किया जा रहा है।

- गैर-प्राप्ति वाले शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल "प्राण" तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य एनसीएपी की निगरानी और कार्यान्वयन करना है, और यह 'www.prana.cpcb.gov.in' पर उपलब्ध है। प्राणा शहर की वायु कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में सहायता करने का प्रयास करती है और साथ ही, एनसीएपी के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों के बारे में जनता को जानकारी प्रसारित करती है।

2. जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क

जल की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाकर 4922 स्थानों तक कर दिया गया है। इन स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी जल गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देश, 2017 के अनुसार की जाती है।

- इस नेटवर्क में 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित निगरानी केंद्र शामिल हैं। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत निगरानी नेटवर्क नदियों पर 2260 स्थानों, झीलों पर 587 स्थानों, तालाबों पर 143 स्थानों, जलाशयों पर 102 स्थानों, भूजल पर 1271 स्थानों और अन्य जल निकायों पर 559 निगरानी स्थानों को कवर करता है।

- गंगा नदी की वास्तविक समय में जल गुणवत्ता की निगरानी 40 स्टेशनों (मुख्य धारा -17; सहायक नदियाँ-23) पर पीएच, बीओडी, डीओ, तापमान, ईसी, क्लोराइड, सीओडी, टर्बिडिटी, नाइट्रेट, टीओसी, जल स्तर और जल की गहराई सहित 12 मापदंडों के लिए की जाती है।

- गंगा नदी की जल गुणवत्ता की मैनुअल निगरानी सीपीसीबी द्वारा 5 मुख्य राज्यों उत्तराखंड (यूके), उत्तर प्रदेश (यूपी), बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी) में 112 स्थानों पर संबंधित एसपीसीबी के माध्यम से की जा रही है। नदी के पानी की गुणवत्ता का आकलन प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें बाहरी स्नान के लिए अधिसूचित किया गया है, जैसे कि पीएच (6.5-8.5), घुलित ऑक्सीजन (डीओ) (≥5 मिलीग्राम / लीटर), जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) (≤3 मिलीग्राम / लीटर), मल कोलीफॉर्म (एफसी) (≤2500 एमपीएन / 100 मिली) और मल स्ट्रेप्टोकोकी (एफएस) (≤500 एमपीएन /100 मिली)। नमूनाकरण पखवाड़े के आधार पर किया गया और वर्ष 2024 (जनवरी से दिसंबर) के आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरण माध्यिका का उपयोग करके किया गया, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक सरल माप है, और यह देखा गया कि:

- पीएच और डीओ (माध्यिका) पूरे क्षेत्र में स्थित सभी निगरानी स्थलों पर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों को पूरा कर रहे हैं।

3. प्रदूषित नदी के हिस्से

- नदी का वह स्थान जो बीओडी मानदंडों (> 3 मिलीग्राम / लीटर) का अनुपालन नहीं करता है, उसे प्रदूषित स्थान के रूप में पहचाना जाता है। एक ही क्रम में दो या दो से अधिक प्रदूषित स्थानों को प्रदूषित नदी क्षेत्र (पीआरएस) कहा जाता है। तदनुसार, पीआरएस को देखे गए अधिकतम बीओडी स्तर के आधार पर पांच प्राथमिकता श्रेणियों में प्राथमिकता I: 30 मिलीग्राम / लीटर से अधिक; प्राथमिकता II: 20-30 मिलीग्राम/ लीटर के बीच; प्राथमिकता III: 10-20 मिलीग्राम / लीटर के बीच; प्राथमिकता IV: 6-10 मिलीग्राम / लीटर के बीच; और प्राथमिकता V: 3-6 मिलीग्राम / लीटर के बीच वर्गीकृत किया गया है।

- 2018 के दौरान, 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 323 नदियों पर 351 पीआरएस की पहचान 521 नदियों (2016 और 2017) के जल गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर की गई थी। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापक कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं और ये कार्य योजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं तथा राज्य और केंद्रीय स्तर पर इनकी समीक्षा की जाती है। राज्य स्तर पर, कार्य योजनाओं की समीक्षा संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की चार सदस्यीय नदी पुनर्जीवन समिति (आरआरसी) द्वारा की जाती है, जिसमें निदेशक (पर्यावरण), निदेशक (शहरी विकास), निदेशक (उद्योग) और सदस्य सचिव, एसपीसीबी / पीसीसी शामिल होते हैं, जो प्रधान सचिव (पर्यावरण) के पर्यवेक्षण और समन्वय के अधीन कार्य करते हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की समग्र जिम्मेदारी होती है।

- वर्ष 2022 के दौरान, 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की 279 नदियों पर 311 पीआरएस की पहचान की गई, जो वर्ष 2019 और 2021 में 603 नदियों के जल गुणवत्ता आंकड़ों पर आधारित थी। इन्हें पाँच प्राथमिकता श्रेणियों (> 30 मिलीग्राम / लीटर) – 46; II

(20-30 मिलीग्राम/लीटर) – 16, III (10-20 मिलीग्राम / लीटर) – 39, IV (6-10 मिलीग्राम/लीटर) – 65, V (3-6 मिलीग्राम / लीटर) – 145 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

- वर्ष 2018 और 2022 के दौरान पीआरएस के तुलनात्मक आकलन से पता चला कि नदी निगरानी स्थलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद पीआरएस की कुल संख्या 351 (वर्ष 2018) से घटकर 311 (वर्ष 2022) हो गई है। 13 राज्यों में पीआरएस की संख्या में कमी आई है और 5 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पीआरएस की संख्या समान रही है।

- वर्ष 2018 में पहचाने गए 351 पीआरएस में से 180 पीआरएस की जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। नदी के 106 हिस्सों (बीओडी <3 मिलीग्राम / लीटर) को सूची से हटा दिया गया है और 74 को कम प्राथमिकता वाली श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है। 108 पीआरएस की प्राथमिकता श्रेणी 2018 और 2022 दोनों वर्षों में समान रही है, जो यह दर्शाता है कि जलग्रहण क्षेत्र में कार्यविधियों में वृद्धि के बावजूद प्रदूषण का कोई और प्रभाव नहीं पड़ा है।

- इसके अलावा, वर्ष 2025 के दौरान, 2022 और 2023 की जल गुणवत्ता के आधार पर, 32 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की 271 नदियों (623 नदियों में से) पर 296 पीआरएस की पहचान की गई। वर्ष 2018 में पीआरएस की संख्या 351 से घटकर वर्ष 2025 में 296 हो गई। वर्ष 2018 के दौरान प्रदूषित के रूप में पहचाने गए नदी के कुल 149 खंड, वर्ष 2022 और 2023 के जल गुणवत्ता आंकड़ों के आकलन के आधार पर प्रदूषित के रूप में नहीं पहचाने गए हैं।

4. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) - नमामि गंगे कार्यक्रम

नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत सीपीसीबी को तीन परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें गंगा नदी के जल की गुणवत्ता बढ़ाने और समग्र जन स्वास्थ्य में सुधार पर प्राथमिक जोर दिया गया। विवरण इस प्रकार हैं:

1. प्रदूषण सूचीकरण, आकलन और निगरानी (पीआईएएस) योजना को वर्ष 2011 में स्वीकृत किया गया था और बाद में इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया था। परियोजना को दिनांक 24.05.2023 को पुनः स्वीकृति प्रदान की गई। इसे दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹113.85 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

2. गंगा नदी के लिए जल गुणवत्ता निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम) परियोजना को वर्ष 2013 में स्वीकृत किया गया था और दिनांक 20.06.2020 को 126.17 करोड़ रुपये की राशि के साथ छह वर्षों के लिए 19.06.2026 तक विस्तारित किया गया था।

3. पर्यावरण नियामकों को सुदृढ़ करने (एसईआर) की परियोजना को पहली बार दिनांक 19.06.2013 को 69.26 करोड़ रुपये की राशि के साथ स्वीकृत किया गया था और एसईआर परियोजना के अगले चरण को 18.02.2022 को 3 वर्षों के लिए 66.21 करोड़ रुपये की राशि के साथ स्वीकृत किया गया था। परियोजना के तृतीय चरण को 07.05.2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसे 07.05.2025 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹56.54 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

- सीपीसीबी ने अनुपालन को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट पहलें की हैं। इसमें राज्य सरकार के विभागों और सीपीपीआरआई, वीएसआई, एनएसआई और उद्योग संघ जैसे विशेषज्ञ संस्थानों को शामिल करके क्षेत्र-विशिष्ट चार्टर का कार्यान्वयन शामिल है।

- गंगा बेसिन में जीपीआई द्वारा उत्सर्जित कुल औद्योगिक प्रदूषण में लगभग 70% अपशिष्ट और 90% बीओडी भार का योगदान करने वाले पांच प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे लुगदी और कागज, आसवन, चीनी, वस्त्र और चमड़ा उद्योग में उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने, अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रणालियों को अपनाने और अपशिष्ट शोधन सुविधाओं के उन्नयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से चार्टर तैयार किए गए हैं।

- अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों (जीपीआई) के वार्षिक निरीक्षण और प्रमुख जल-गहन

औद्योगिक क्षेत्रों में चार्टर के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 2023 में जीपीआई अनुपालन में 82% की वृद्धि हुई है, जबकि 2017 में यह केवल 39% थी। इसके अलावा, औद्योगिक अपशिष्ट जल से बीओडी भार में 47.2% की कमी देखी गई, जो 2017 में 26 टीपीडी से घटकर 2023 में 13.73 टीपीडी हो गया।

- चार्टर के कार्यान्वयन से गंगा बेसिन के विभिन्न क्षेत्रों में ताजे पानी की विशिष्ट खपत और अपशिष्ट जल के निर्वहन में उल्लेखनीय कमी आई है:

  - लुगदी एवं कागज क्षेत्र: ताजे पानी की विशिष्ट खपत 2017 में 16.91 किलोलीटर/मीट्रिक मीटर से घटकर 2024 में 10.11 किलोलीटर / मीट्रिक मीटर हो गई, जो 40% की कमी दर्शाती है।

  - चीनी क्षेत्र: ताजे पानी की विशिष्ट खपत 2017 में 299 किलोलीटर / मीट्रिक मीटर से घटकर 2024 में 68.03 किलोलीटर / मीट्रिक मीटर हो गई, जो 77.2% की कमी दर्शाती है।

  - वस्त्र क्षेत्र: ताजे पानी की विशिष्ट खपत 2019 में 141 किलोलीटर / मीट्रिक मीटर से घटकर 2024 में 30.46 किलोलीटर

  - डिस्टिलरी क्षेत्र: ताजे पानी की विशिष्ट खपत 2017 में 15 किलोलीटर / किलोलीटर से घटकर 2024 में 4.65 किलोलीटर / किलोलीटर हो गई, जो 69% की कमी दर्शाती है।

5. राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क

ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और उसमें सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- दिन और रात के लिए शोर के संबंध में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 3 के तहत अनुसूची III में अधिसूचित किया गया है।

- सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के सहयोग से 10 महानगरों (बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और मुंबई) में 82 ध्वनि निगरानी स्टेशनों के साथ राष्ट्रीय परिवेशी ध्वनि निगरानी नेटवर्क (एनएएनएएनएएमएन) की स्थापना की है।

6. पोर्टल का विकास

एकीकृत सहमति एवं प्राधिकरण प्रबंधन प्रणाली के लिए सामान्य सहमति पोर्टल का विकास, पर्यावरण राहत कोष पोर्टल का विकास, सामान्य ईपीआर पोर्टल और इको-मार्क पोर्टल का विकास।

7. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

- सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (17 श्रेणियां), घोर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) और सामान्य सुविधाओं जैसे कि सामान्य खतरनाक अपशिष्ट शोधन भंडारण और निपटान सुविधाओं (टीएसडीएफ) के भस्मक, सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाओं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) के भस्मक, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) के बीच स्व-नियमन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन सतत उत्सर्जन और अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) शुरू की है। वर्तमान में, लगभग 7,649 उद्योगों ने ओसीईएमएस स्थापित किया है और लगभग 44,000 उपकरणों के माध्यम से 15 मिनट के अंतराल पर सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी को ऑनलाइन डेटा प्रदान कर रहे हैं।

- सीपीसीबी ने प्रदूषण क्षमता के आधार पर क्षेत्रों को वर्गीकृत करने की पद्धति में संशोधन किया है। प्रदूषण सूचकांक (पीआई) के आधार पर उद्योगों को लाल, नारंगी, हरा और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पीआई जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खतरनाक

अपशिष्ट उत्पादन, ईंधन की खपत और अपशिष्ट जल उत्पादन की मात्रा का एक फलन है। अब तक, 419 औद्योगिक / गैर-औद्योगिक क्षेत्र (लाल: 124, नारंगी: 135, हरा: 94,सफ़ेद: 54 और नीला: 12) को प्रदूषण सूचकांक के संशोधित मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। घरेलू कार्यविधियों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं (ईएसएस) को अलग करने के लिए एक नई श्रेणी "नीली श्रेणी" शुरू की गई थी।

सीपीसीबी ने जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के तहत वर्गीकरण-2025 के कार्यान्वयन के लिए सभी एसपीसीबी / पीसीसी को दिनांक 12.02.2025 को निर्देश जारी किए हैं।

- अनुसूची-I के अंतर्गत पर्यावरण मानकों को अधिसूचित किया गया है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एल्युमिनियम उद्योग, कीटनाशक उद्योग तथा पल्प एवं पेपर उद्योग से संबंधित प्रावधान अधिसूचित किए गए। कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में विशिष्ट जल उपभोग सीमा के संबंध में दिनांक 03.07.2025 को संशोधन किया गया। साथ ही, श्रेणी क, ख और ग के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO उत्सर्जन मानकों की लागूता के संबंध में दिनांक 11.07.2025 को अधिसूचना जारी की गई। तटीय जल, समुद्री जल और आसवन के लिए जल गुणवत्ता मानकों हेतु मसौदा मानक अधिसूचित किए गए हैं। अब तक, पर्यावरण मानकों को ईपीए, 1986 की अनुसूची-I के अंतर्गत 79 क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किया गया है। शेष क्षेत्रों के लिए, ईपीए की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होते हैं।

- प्रदूषण फैलाने वाले द्वारा भुगतान के सिद्धांत के आधार पर, सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी ने उन उद्योगों और सार्वजनिक सुविधाओं के खिलाफ पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाना शुरू कर दिया है जो सख्त अनुपालन के लिए पर्यावरण मानदंडों / मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं।

8. व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आंकलन के लिए प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों (पीआईए) की पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी:

- व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) का उपयोग स्रोत, मार्ग और ग्राही के एल्गोरिदम का अनुसरण करते हुए किसी दिए गए स्थान पर पर्यावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सीईपीआई औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय गुणवत्ता के आंकलन से संबंधित है, जो वायु, सतही जल और भूजल प्रदूषण के साथ-साथ उद्योगों और स्वास्थ्य आंकड़ों पर आधारित है। औद्योगिक क्षेत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
    - सीईपीआई स्कोर 70 या उससे अधिक होने पर इसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र (सीपीए) माना जाता है।
    - 60 से 69 के बीच के सीईपीआई स्कोर को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र (एसपीए) माना जाता है।
    - 60 से कम सीईपीआई स्कोर वाले क्षेत्रों को अन्य प्रदूषित क्षेत्र (ओपी) माना जाता है।

- औद्योगिक समूहों में पर्यावरणीय गुणवत्ता परिदृश्य के आंकलन में अधिक पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए, सीपीसीबी ने 2016 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सहमति से सीईपीआई मानदंडों को संशोधित किया, जिसमें व्यक्तिपरक कारकों को हटा दिया गया, लेकिन उन कारकों को बरकरार रखा गया जिनकी निगरानी की जा सकती है। संशोधित सीईपीआई-2016 पद्धति का पालन करते हुए, वर्ष 2018 के दौरान 100 औद्योगिक क्षेत्रों का आंकलन किया गया और इस आंकलन के आधार पर, 38 औद्योगिक क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) और 31 औद्योगिक क्षेत्रों को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों (एसपीए) के रूप में पहचाना गया।

- सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर, संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी ने सीईपीआई स्कोर को कम करने के लिए इन 69 चिन्हित क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य योजनाएँ तैयार की हैं और

ये योजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सीईपीआई एक्शन प्लान रिव्यू पोर्टल को सीपीसीबी द्वारा एसपीसीबी / पीसीसी को एक्शन प्लान के कार्यान्वयन की स्थिति, की गई निगरानी और संबंधित सीपीए / एसपीए की राज्य समीक्षा बैठकों से संबंधित डेटा अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

- सीपीसीबी ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से सीईपीआई निगरानी के लिए प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों के चयन हेतु एक "कार्यप्रणाली" तैयार की है, जिसके तहत वार्षिक रूप से सीपीए, एसपीए, अन्य प्रदूषित क्षेत्रों और नए औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया जाएगा। कार्यप्रणाली के अनुसार, यदि लगातार दो पुनर्मूल्यांकनों (मानसून से पहले और मानसून के बाद) के दौरान सीईपीआई स्कोर में सीपीए / एसपीए के लिए परिभाषित कट-ऑफ स्तर तक कमी आती है, तो ऐसे क्षेत्र को सीपीए से एसपीए या एसपीए से अन्य प्रदूषित क्षेत्र में परिवर्तित करने पर विचार किया जा सकता है।

- उपरोक्त पद्धति के आधार पर, सीपीसीबी ने सीईपीआई स्कोर का आंकलन करने के लिए चयनित 50 औद्योगिक क्षेत्रों में पांच साल की अवधि के लिए सीईपीआई निगरानी करने का प्रस्ताव रखा।

9. न्यायालय / न्यायाधीशों में चल रहे मामलों की स्थिति:

पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण के लिए भारत की सभी अदालतों में व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों आदि द्वारा दायर किए गए मामलों की संख्या, जिनमें सीपीसीबी एक पक्षकार प्रतिवादी है, समय के साथ बढ़ती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है:

विवरण	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	एनजीटी प्रधान पीठ	एनजीटी क्षेत्रीय बेंच
मार्च 2025 तक	208	414	410	393
25.11.2025 तक के नए मामले	19	68	125	113
25.11.2025 तक निपटाया गया	07	33	42	53
25.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार	220	449	493	453

10. अपशिष्ट का प्रबंधन:

1 खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन:

सर्वेक्षण के अनुसार, 2023-24 के दौरान लगभग 18.51 मिलियन मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, जिसमें से लगभग 10.06 मिलियन मीट्रिक टन यानी कुल उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट का 54.35% या तो पुनर्चक्रित किया गया या उपयोग किया गया। 8.61 मिलियन मीट्रिक टन में से, लगभग 2.35 मिलियन मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया गया, 2.31 मिलियन मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का सह-प्रसंस्करण किया गया और लगभग 3.95 मिलियन मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, सीपीसीबी ने मार्च 2025 तक लगभग 84 प्रकार के खतरनाक और अन्य अपशिष्टों (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016 के उपयोग के लिए 116 मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की हैं। इनमें से 15 मानक परिचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) वर्ष 2024-25 के दौरान तैयार की गई हैं।

सीपीसीबी ने प्रयुक्त तेल ईपीआर के कार्यान्वयन के लिए

एक पोर्टल तैयार किया है। मार्च 2025 तक सीपीसीबी के साथ 21 उत्पादक और 5 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं।

ख जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन:

जैवचिकित्सा अपशिष्ट के शोधन और निपटान के लिए 247 सामान्य जैवचिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाएँ (सीबीडब्ल्यूटीएफ) कार्यरत हैं और 30 सीबीडब्ल्यूटीएफ निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में, 2,122 मीट्रिक टन / दिन की संचयी शोधन और निपटान क्षमता में 1031 मीट्रिक टन / दिन की भस्मीकरण क्षमता और 1091 मीट्रिक टन / दिन की ऑटोक्लेव क्षमता शामिल है, जो यह दर्शाता है कि उपलब्ध क्षमता जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन (815 मीट्रिक टन / दिन) से अधिक है।

ग फ्लाई ऐश प्रबंधन:

थर्मल पावर प्लांटों (टीपीपी) द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट संयंत्रों, ईंट निर्माण इकाइयों, सड़क और फ्लाईओवर तटबंधों, निचले इलाकों के सुधार और परित्यक्त खदानों के पुनर्भरण में किया जाता है। तदनुसार, 2024-25 के दौरान कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांटों की कुल स्थापित क्षमता 2,29,861.15 मेगावाट से उत्पन्न कुल 350.34 मिलियन टन राख के मुकाबले राख के उपयोग का प्रतिशत 2015-16 में 59.81% से बढ़कर 2024-25 में 98.10% हो गया है।

सीपीसीबी ने कोयला / लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांटों के पंजीकरण के लिए ऐश पोर्टल विकसित किया है, जहां राख उत्पादन, राख उपयोग और राख उपलब्धता के आंकड़े अपलोड किए जा सकते हैं।

घ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल को सीपीसीबी द्वारा फरवरी 2022 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पीडब्ल्यूएम नियमों के चौथे संशोधन के माध्यम से अधिसूचित ईपीआर दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है।

सीपीसीबी ने कम्पोस्टेबल निर्माताओं / विक्रेताओं के प्रमाणीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है और ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। 56,355 ब्रांड मालिकों, 2,926 उत्पादकों और 55 आयातकों को पंजीकरण जारी किया गया है। पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के उपबंध 4 (ज) के अनुसार, 299 कम्पोस्टेबल निर्माताओं / विक्रेताओं को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सीपीसीबी ने " एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (एसयूपी) के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का संकलन" तैयार किया है।

सीपीसीबी ने ईपीआर पोर्टल पर 200 टन से अधिक ईपीआर प्रमाणपत्र जारी करने वाले पंजीकृत पीडब्लूपी के ऑडिट के पहले चरण की शुरुआत की। इसके अलावा, 325 प्रमाणपत्र जारी करने वाली पीडब्ल्यूपी इकाइयों के साथ ऑडिट के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए सभी सीपीसीबी आर.डी. और एसपीबीसी / पीसीसी को पत्र जारी किया गया है। लेखापरीक्षा का दूसरा चरण 31 दिसंबर, 2025 को पूरा होने वाला है।

ङ ई- अपशिष्ट प्रबंधन:

ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को 02 नवंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया और 01 अप्रैल, 2023 से लागू किया गया है और इसने ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 का स्थान ले लिया है। सीपीसीबी ने ई- अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल विकसित किया है, जिसमें हितधारकों के पंजीकरण, उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं के बीच ईपीआर दायित्वों की पूर्ति के लिए ईपीआर क्रेडिट के लेनदेन के प्रावधान शामिल हैं।

आज की तारीख में, ई- अपशिष्ट पोर्टल के तहत 10,326 उत्पादक, 381 पुनर्चक्रणकर्ता, 99 निर्माता और 128 नवीनीकरणकर्ता पंजीकृत हैं। 381 पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 33,17,787.576 टन प्रति वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं ने पंजीकृत उत्पादकों को कुल 2,61,220 मीट्रिक टन ईपीआर प्रमाणपत्र हस्तांतरित किए, जबकि ईपीआर प्रमाणपत्रों की बाध्यता 2,66,616 मीट्रिक टन थी।

च बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन:

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 में संशोधन के बाद इसे 22.08.2022 को अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, अब तक बैटरी अपशिष्ट पोर्टल पर 3,937 उत्पादक और 473 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं।

छ अपशिष्ट टायर प्रबंधन:

सीपीसीबी ने अपशिष्ट टायरों के उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए पंजीकरण मॉड्यूल विकसित किए

हैं। तदनुसार, अब तक अपशिष्ट टायर ईपीआर पोर्टल पर 266 उत्पादक और 558 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत किए गए हैं। 559 पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 17,077,430.4 टन प्रति वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 198 पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं ने पंजीकृत उत्पादकों को कुल 19,12,849.503 मीट्रिक टन ईपीआर प्रमाणपत्र हस्तांतरित किए, जबकि ईपीआर प्रमाणपत्रों की बाध्यता 20,38,502.515 मीट्रिक टन थी।

11. औद्योगिक सीएएक्यूएमएस पोर्टल:

औद्योगिक परिसरों में स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली से डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने के लिए औद्योगिक वायु गुणवत्ता प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल परिवेशी वायु गुणवत्ता डेटा को ग्राफिकल और सारणीबद्ध दोनों प्रारूपों में प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में, नेटवर्क में 562 स्टेशन जुड़े हुए हैं।

12. समीर ऐप:

वायु गुणवत्ता के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए सीपीसीबी द्वारा समीर ऐप बनाया गया था। यह ऐप वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके 289 से अधिक शहरों के लिए एक्यूआई पर घंटेवार अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। इसे इंटरैक्टिव मैप फॉर्मेट का उपयोग करके आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। यह प्रत्येक निगरानी स्थान के लिए वास्तविक समय में एक्यूआई, प्रदूषक-वार उप-सूचकांक और एक्यूआई का अवलोकन दर्शाने वाला मासिक कैलेंडर प्रदान करता है। सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित दैनिक एक्यूआई बुलेटिन शाम 4 बजे ऐप पर अपलोड किया जाता है। यह ऐप वायु गुणवत्ता के मौजूदा स्तरों के अनुसार पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से जनता को परामर्श भी जारी करता है। यह सीएएक्यूएमएस डेटा सीसीपीबी सीसीआर पोर्टल (https://airquality.cpcb.gov.in) के माध्यम से जनता और विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाता है। लॉन्च होने के बाद से इसे एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर 2.5 लाख उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है।

इसके अलावा, समीर ऐप वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करता है। शिकायतकर्ता शिकायत के साथ तस्वीरें अपलोड कर सकता है और वायु प्रदूषण के स्रोत के सटीक स्थान का पता लगाने के लिए भू-निर्देशांक स्वचालित रूप से कैप्चर किए जाते हैं, जिससे संबंधित एजेंसियों द्वारा त्वरित कार्रवाई में सुविधा होती है। शिकायत के स्थान के आधार पर, शिकायतें स्वचालित रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों को भेज दी जाती हैं। दिल्ली-एनसीआर के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार 40 से अधिक एजेंसियों को ऐप पर कॉन्फ़िगर किया गया है, जो कार्यान्वयन एजेंसियों की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है। जनवरी 2015 से लेकर आज तक समीर ऐप पर 3855 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से लगभग 2152 शिकायतें (56%) 40 से अधिक कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से हल की गईं।

13. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म

सीपीसीबी ने प्रदूषण संबंधी मुद्दों पर जानकारी प्रसारित करने, सीपीसीबी के कार्यों, योजनाओं और कार्यकलापों के बारे में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को वायु प्रदूषण संबंधी प्रश्नों के लिए सीपीसीबी से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं। वर्तमान में, सीपीसीबी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उपलब्ध है। चालू वर्ष में, सीपीसीबी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 400 से अधिक रचनात्मक सामग्री पोस्ट की गई है।

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें सीपीसीबी अकाउंट पर प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों को संबंधित स्थानीय एजेंसियों के हैंडल पर अग्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक - आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क्रमांक	परियोजना का नाम और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	परियोजना की लागत और वर्षवार आवंटित बजट	मूल रूप से निर्धारित पूर्णता तिथि	आवंटित पीआई और सह-पीआई का नाम	वर्तमान स्थिति (जारी/पूर्ण)
1.	सीसीटीवी फुटेज को क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके वाहनों की गिनती के लिए कृत्रिम मेधा (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) टूल का उपयोग करना।	₹ 50.0 लाख + जीएसटी (18%)	15 महीने (30.06.2024)	डॉ. केवी जॉर्ज, मुख्य वैज्ञानिक एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण विभाग के प्रमुख, एनईईआरआई, नागपुर	क्षेत्रीय अध्ययन पूर्ण हो गया। रिपोर्ट लंबित है।
2.	दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित कार्य योजनाओं के माध्यम से वाहनों के आवागमन से उत्पन्न सड़क धूल के पुनः वाष्पीकरण की समस्या का समाधान करना।	₹ 48.5 लाख + जीएसटी (18%)	12 महीने (31.03.2024)	डॉ. एस के गोयल, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, सीएसआईआर-एनईईआरआई, डॉ. नीरज शर्मा, मुख्य वैज्ञानिक, टीपीई प्रभाग, सीआरआरआई	पूर्ण
3.	एनसीआर के प्रमुख प्रदूषण क्षेत्रों में वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषक मात्रा निर्धारण के लिए एक स्वायत्त ड्रोन स्वार्म ढांचा।	₹ 34.2792 लाख	24 महीने (18.01.2025)	डॉ. रवि कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला, पंजाब	जारी
4.	एनसीआर में दिल्ली और उससे निकटवर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली	₹ 31.98 लाख	24 महीने (01.03.2025)	डॉ. गौरव गोवर्धन, वैज्ञानिक 'सी' आईआईटीएम, पुणे	पूर्ण
5.	दिल्ली एनसीआर के एक बाज़ार में परिवेशी वायु शोधन प्रणाली (एपीएस) का परीक्षण: बाज़ार के बजाय, परीक्षण अध्ययन आनंद विहार, आईएसबीटी, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।	₹ 59.3154 लाख रुपये कर सहित	06 महीने (18.01.2024) को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया।	डॉ. के.एस. राजन, प्रोफेसर, रसायन अभियांत्रिकी विभाग, शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी, तंजावुर	पूर्ण
6.	रोलिंग स्टॉक और वाहनों के लिए कम सक्रिय फिल्टरलेस एयर क्लीनर रेट्रोफिट	₹ 31.35 लाख	24 महीने (13.02.2025)	डॉ. बहनी रे, सहायक प्रोफेसर, यांत्रिकी विभाग, आईआईटी दिल्ली, श्री करण राव, संस्थापक, सीईओ, स्वच्छ.आईओ	जारी
7.	एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के विकल्प के रूप में दो और तीन पहिया ऑटो-रिक्शा में इलेक्ट्रिक ड्राइव लगाने के रेट्रोफिटमेंट का मूल्यांकन	₹ 105.0 लाख	12 महीने (20 फरवरी 2024 बढ़ाकर 31.07.2024 तक कर दिया गया।)	श्री रवींद्र कुमार, महाप्रबंधक, एआरएआई, कोथरुड, पुणे	पूर्ण

2.3. खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन

क परिचय:

खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन (एचएसएम) प्रभाग, रसायनों और अपशिष्टों के प्रबंधन और सुरक्षित उपयोग के लिए मंत्रालय में मुख्य बिंदु है। एचएसएम विभाग अपशिष्ट और रसायनों से संबंधित नियमों के निर्माण और प्रशासन में शामिल है। यह विभाग भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपशिष्ट और रसायनों से संबंधित बहुपक्षीय सम्मेलनों के लिए मुख्य बिंदु भी है।

ख मुख्य कार्यक्रम/गतिविधियाँ

i. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को 8 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया था और इसका दायरा नगरपालिका क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर शहरी समूह, जनगणना नगर, अधिसूचित औद्योगिक नगर पालिका आदि तक विस्तारित कर दिया गया है। अपशिष्ट को स्रोत पर ही अलग करना और घर-घर जाकर एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि अपशिष्ट को पुनर्प्राप्ति, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण जैसे उपयोगी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सके।

ii. ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022:

ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को 2 नवंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। नए नियमों में सौर पीवी अपशिष्ट सहित 106 प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) शामिल हैं। ये नियम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणा के कार्यान्वयन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हैं। नए नियमों में वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ई- अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

iii. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016:

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016 को 4 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें प्राथमिकता के क्रम में अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम को शामिल किया गया था, अर्थात् रोकथाम, न्यूनीकरण, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, सह-प्रसंस्करण और सुरक्षित निपटान। ये नियम प्रत्येक ऐसे अधिभोगी पर लागू होंगे, जो खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के प्रबंधन में संलग्न है। इसमें इन अपशिष्टों का संभालन, उत्पन्न करना, संग्रह, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपयोग, शोधन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, उपयोगिता, विक्रय हेतु प्रस्तुति, हस्तांतरण या निपटान शामिल है। उक्त नियमों के माध्यम से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के आयात/निर्यात को भी विनियमित किया जा रहा है।

iv. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को संक्रामक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण, शोधन और निपटान को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और सुगम तरीके से सुधारने के उद्देश्यों के साथ अधिसूचित किया गया था। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो किसी भी रूप में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का उत्पन्न करना, संग्रह, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, शोधन, निपटान या प्रबंधन करते हैं। इसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, औषधालय, पशु चिकित्सा संस्थान, पशु गृह, पैथोलॉजी प्रयोगशालाएँ, रक्त बैंक, आयुष अस्पताल, क्लिनिकल प्रतिष्ठान, अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा शिविर, टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, विद्यालयों के प्राथमिक उपचार कक्ष, फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ तथा अनुसंधान प्रयोगशालाएँ शामिल हैं।

v. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन (टीपीए)
2018-19	3360043.45
2019-20	3469781.73
2020-21	4126808.44
2021-22	3901802.06
2022-23	4136188.83

यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, पूरे देश में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। इन नियमों के तहत देश में पचास माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक शीट का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकेजिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री से बने पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है। इन नियमों में प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से इसके निपटान के उपाय भी शामिल हैं।

अव्यवस्थित और अनियंत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत 1 जुलाई, 2022 से उन प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें कचरा फैलाने की क्षमता अधिक और उपयोगिता कम है। एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर भी 31 दिसंबर, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अतिरिक्त, पैंतीस राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने प्लास्टिक कैरी बैग और/या चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचनाएँ/आदेश जारी किए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इन दिशा-निर्देशों में ईपीआर, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में सतत प्लास्टिक पैकेजिंग की ओर बढ़ने और प्लास्टिक के फुटप्रिंट को कम करने के प्रावधान हैं। कुछ चिन्हित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग पर उत्पादकों की विस्तारित जिम्मेदारी से इधर-उधर बिखरे हुए और अनियंत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और चिन्हित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सभी छत्तीस राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव / प्रशासक की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल का गठन किया है। मंत्रालय द्वारा एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की कार्य समिति का भी गठन किया गया है।

(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / प्रदूषण नियंत्रण समितियों को निर्देश जारी किए गए हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं / उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक कच्चे माल निर्माताओं को भी चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।

(iii) देश में चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी निगरानी के लिए, निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्यरत हैं: (क) व्यापक कार्य योजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, (ख) एकल उपयोग प्लास्टिक उन्मूलन पर अनुपालन के लिए सीपीसीबी निगरानी मॉड्यूल, और (ग) सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप।

(iv) सीपीसीबी, एसपीसीबी / पीसीसी द्वारा स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं और एक सौ बीस माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं।

ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग पर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के राष्ट्रीय डैशबोर्ड के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) की कुल विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 8.3 मिलियन टन है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पहले से ही लगभग 57746 पीआईबीओ और 2969 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर पंजीकृत हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण सहित प्रसंस्करण के बाद पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों द्वारा उत्पन्न ईपीआर प्रमाणपत्रों की मात्रा 18 मिलियन टन है।

vi. पर्यावरण (निर्माण एवं विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025:

सरकार ने पहली बार निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया। ये नियम उन सभी पर लागू होते हैं जो किसी व्यक्ति, संगठन या प्राधिकरण की किसी भी नागरिक संरचना के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और विध्वंस के परिणामस्वरूप निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट जैसे भवन निर्माण सामग्री, मलबा और टूटे-फूटे अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। इन नियमों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, भंडारण और पुनर्संस्करण का प्रावधान है। मूल्यवान सामग्रियों और निर्माण एवं विकास अपशिष्ट के पुनर्चक्रण / पुनर्प्राप्ति पर 'संसाधन' के रूप में जोर दिया गया। इन नियमों के दायरे में भवनों का निर्माण और विध्वंस / नवीनीकरण, खुदाई, सड़क / फ्लाईओवर / अंडरपास / पुल निर्माण, उपयोगिता पाइपलाइन बिछाना आदि शामिल हैं। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए सभी स्थानों पर भौतिक पुनर्संसाधन सुविधा स्थापित करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई थी।

देश में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन को और मजबूत करना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 अप्रैल 2025 को राजपत्र अधिसूचना सं. सा. का. नि. 219(अ) के माध्यम से पर्यावरण (निर्माण एवं विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के पूर्ववर्ती नियमों का स्थान लेते हैं और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। संशोधित ढांचा एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और साथ ही एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इन नियमों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा को पेश किया गया। इन नियमों में निर्माण, पुनर्निर्माण और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में पुनर्चक्रित सामग्रियों के उपयोग के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे उन सामग्रियों के पुन: उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है जो अन्यथा पर्यावरण क्षरण में योगदान देंगी।

vii. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 प्रकाशित किए। नए नियम बैटरी (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2001 का स्थान लेते हैं। ये नियम सभी प्रकार की बैटरियों पर लागू होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियाँ, पोर्टेबल बैटरियाँ, ऑटोमोटिव बैटरियाँ और औद्योगिक बैटरियाँ। ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा पर आधारित हैं, जिसके तहत बैटरी के

उत्पादक (आयातकों सहित) बेकार बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/मरम्मत के लिए तथा अपशिष्ट से पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग नई बैटरियों में करने के लिए जिम्मेदार हैं।

viii. राख उपयोग अधिसूचना, 2021:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1999 की मौजूदा फ्लाई ऐश अधिसूचना की समीक्षा की है और कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांटों से उत्पन्न राख का 100% उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर, 2021 को नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, थर्मल पावर प्लांटों को 3-5 साल के चक्र में वर्तमान में उत्पन्न राख का 100% उपयोग और 10 साल में पुरानी राख का 100% उपयोग करना अनिवार्य है। राख के उपयोग के लिए पर्यावरण के अनुकूल उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। प्रावधानों का अनुपालन न करने पर तापीय ऊर्जा संयंत्रों और अन्य उपयोगकर्ता एजेंसियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। सड़क निर्माण, सड़कों और फ्लाईओवर के तटबंध बिछाने, बांधों के निर्माण, खनन, राख आधारित उत्पादों के निर्माण, भवन निर्माण में शामिल उपयोगकर्ता एजेंसियों को तापीय ऊर्जा संयंत्रों के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित राख या राख आधारित उत्पादों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।

ix. पर्यावरण संरक्षण (उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहन) नियम, 2025:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 06.01.2025 को पर्यावरण संरक्षण (जीवनकाल समाप्त हो चुके वाहनों) नियम, 2025 को अधिसूचित किया, ताकि उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन किया जा सके। ये नियम कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रेलर, कंबाइन हार्वेस्टर और पावर टिलर को छोड़कर सभी प्रकार के परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों पर लागू होते हैं। नियमों के तहत, परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के उत्पादकों को उपयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने के लिए अनिवार्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य दिए गए हैं, जो गैर-परिवहन वाहनों के लिए 20 साल पहले और परिवहन वाहनों के लिए 15 साल पहले बाजार में लाए गए वाहनों के लिए 8% से 18% की सीमा में हैं। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) को आरवीएसएफ में संसाधित ऑटोमोबाइल क्षेत्र से प्राप्त वाहनों या किसी अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री की स्क्रैपिंग द्वारा पुनर्प्राप्त स्टील के वजन के आधार पर ईपीआर प्रमाणपत्र उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया गया है।

x. पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में दूषित स्थलों की पहचान और प्रबंधन के लिए 24.07.2025 को पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया। उक्त नियमों के अंतर्गत दूषित स्थलों की पहचान, निर्धारण और शोधन की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। नियमों के तहत, जिम्मेदार व्यक्ति को उपचारात्मक योजना तैयार करने, उपचारात्मक योजना के अनुसार दूषित स्थलों की उपचारात्मक गतिविधियों को अंजाम देने और समय-समय पर सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। परित्यक्त दूषित स्थलों और बैंकों या न्यायिक कार्यवाही के अस्थायी कब्जे वाले स्थलों के मामले में, एसपीसीबी / पीसीसी को उपचारात्मक योजना तैयार करने और उपचारात्मक कार्यविधियों को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में सुधारात्मक कार्यविधियों पर होने वाला व्यय केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियमों में निर्धारित अनुपात और तरीके से वहन किया जाएगा।

xi. रासायनिक सुरक्षा: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में रासायनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989 और रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) (सीएईपीपीआर) नियम, 1996 को अधिसूचित किया। इन नियमों का उद्देश्य औद्योगिक कार्यविधियों से होने वाली रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकना और रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करना है। खतरनाक रसायनों के कब्जेदार को औद्योगिक कार्यविधि के

प्रमुख खतरों की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना और स्थल पर आपातकालीन योजना और सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करना, नियमित सुरक्षा ऑडिट और मॉक-ड्रिल आयोजित करना आदि आवश्यक है।

xii. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991:

सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 को खतरनाक पदार्थों के संचालन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने और उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। पीएलआई अधिनियम, 1991 में खतरनाक पदार्थों को संभालते समय हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप कामगारों (आम जनता) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या चोट या संपत्ति को हुए नुकसान को शामिल किया गया है। इस अधिनियम में 179 रसायनों और ज्वलनशील पदार्थों को शामिल किया गया है। संशोधित अधिनियम, 1992 की धारा 7A के अनुसार, प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) इकाइयां केंद्र सरकार द्वारा सृजित पर्यावरण राहत कोष (ईआरएफ) में बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की राशि के बराबर राशि का योगदान करेंगी।

xiii. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम:

- केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत स्वैच्छिक पर्यावरण संबंधी सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं।

- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) प्रशासक के रूप में नामित किया गया है और वह जीसीपी के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

- शुरुआत में, वन विभाग के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली बंजर भूमि, अपशिष्ट भूमि, जलसंभर क्षेत्रों आदि पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण की परिकल्पना की गई है।

- मंत्रालय ने वृक्षारोपण के संबंध में हरित ऋण की गणना के लिए संशोधित कार्यप्रणाली पर दिनांक 29.08.2025 की अधिसूचना प्रकाशित की है (जो दिनांक 22.02.2024 की पिछली कार्यप्रणाली अधिसूचना का स्थान लेती है)।

- जीसीपी पोर्टल (https://moefcc-gcp.in/) को वन विभाग (कार्यान्वयन एजेंसी)/ वृक्षारोपण भूमि ब्लॉक/ संस्था के पंजीकरण, संस्था द्वारा भूमि पार्सल के चयन, मांग पत्र तैयार करने, निधि के भुगतान, हरित ऋण जारी करने और निगरानी को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है।

- जीसीपी के कार्यान्वयन का समन्वय वन नीति प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (जीसीपी प्रशासक) द्वारा किया जा रहा है।

xiv. चक्रीय अर्थव्यवस्था:

- भारत सरकार का मुख्य ध्यान 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' पर है। भारत ने 2022 में बाजार आधारित ईपीआर विनियमन लागू किया था, जिसके कारण प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-अपशिष्ट, बैटरी कचरा, बेकार टायर और प्रयुक्त तेल सहित पांच प्रकार के कचरे में पुनर्चक्रण क्षेत्र का विकास हुआ है।

- ईपीआर विनियमन "अपशिष्ट से धन" और चक्रीय अर्थव्यवस्था को क्रियान्वित करने का एक उपकरण बन गया है।

- ईपीआर अवधारणा के तहत, उत्पाद को बाजार में लाने वाला उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी (पीआईबीओ) कानून के तहत इसके पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए

बाध्य हो जाता है। बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) सिद्धांत पर विनियम प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बेकार टायर, प्रयुक्त तेल, जीवन उपयोगिता वाले वाहन, अलौह धातुओं के स्क्रैप और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संबंध में अधिसूचित किए गए हैं।

- 2022 से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न अपशिष्ट धाराओं में बाजार आधारित ईपीआर विनियमन की शुरुआत से न केवल पुनर्चक्रण क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, बल्कि अपशिष्टों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन और कच्चे माल के उपयोग में कमी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और संसाधन संरक्षण में भी योगदान मिला है।

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) एक नीतिगत उपकरण है जिसे पर्यावरण संरक्षण कार्यनीति के रूप में लागू किया जा रहा है ताकि चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके तहत उत्पाद के निर्माता, आयातक, उत्पादक या ब्रांड स्वामी को बाजार में रखे गए अपने उत्पादों के उपयोग की समाप्ति के बाद उनके जीवन-चक्र की जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य किया जाता है।

- उपरोक्त ईपीआर ढांचे के तहत दिए गए जनादेश के अनुसार, अब तक सीपीसीबी द्वारा निम्नलिखित 5 ईपीआर पोर्टल विकसित किए गए हैं और ईपीआर ढांचे के कार्यान्वयन के लिए कार्यरत हैं:

  - प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर पोर्टल
  - ईपीआर अपशिष्ट टायर प्रबंधन पोर्टल
  - बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल
  - ई- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
  - प्रयुक्त तेल प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल।

- पुनर्चक्रणकर्ताओं और उत्पादकों के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए एक साझा ईपीआर पोर्टल, एकसमान सहमति पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं।

- सभी ईपीआर विनियमों के अंतर्गत, उत्पादक/ओईएम सीपीसीबी के साथ पंजीकृत होते हैं और पुनर्चक्रणकर्ता/नवीनीकरणकर्ता संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ पंजीकृत होते हैं।

- पुनर्चक्रणकर्ताओं के ईपीआर प्रमाणपत्रों का सत्यापन सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा आवधिक ऑडिट के माध्यम से किया जाता है।

- बाजार आधारित ईपीआर विनियमों के कार्यान्वयन की स्थिति (दिनांक 20.12.2025 तक) नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	अपशिष्ट के प्रकार	पंजीकृत उत्पादक	पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता/अपशिष्ट संसाधक	ईपीआर प्रमाणपत्र निर्माण (टन में)	ईपीआर प्रमाणपत्र का व्यापार (टन में)
1.	प्लास्टिक पैकेजिंग	57,428 पीआईबीओ	2950	179.07 लाख	144.42 लाख
2.	ई-अपशिष्ट	10,709 (निर्माता)	382	10.51 लाख	7.69 लाख
3.	बैटरी अपशिष्ट	4072 (निर्माता)	488	13.48 लाख	10.28 लाख

क्रम संख्या	अपशिष्ट के प्रकार	पंजीकृत उत्पादक	पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता/अपशिष्ट संसाधक	ईपीआर प्रमाणपत्र निर्माण (टन में)	ईपीआर प्रमाणपत्र का व्यापार (टन में)
4.	बेकार टायर	285 (निर्माता)	571	112.15 लाख	76.85 लाख
5.	प्रयुक्त तेल 01.04.2024 से प्रभावी	83 (निर्माता)	76	----	---
	कुल	75577	4467	315.21 लाख मीट्रिक टन	239.24 लाख मीट्रिक टन

*प्रयुक्त तेल के ईपीआर विनियम 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो गए हैं।

ईपीआर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स (चरणबद्ध रूप से 7 जनवरी, 2026 से लागू होगा)

ईपीआर – निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (चरणबद्ध रूप से 10 अप्रैल, 2026 से लागू होगा)

ईपीआर नॉन-फेरस मेटल (चरणबद्ध रूप से 24 अप्रैल, 2026 से लागू होगा)

xv. बहुपक्षीय समझौते:

यह विभाग निम्नलिखित बहुपक्षीय समझौतों के लिए केंद्र बिंदु है:

(क) बेसल सम्मेलन

यह सम्मेलन खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही और निपटान (आयात और निर्यात) को विनियमित करता है और घरेलू स्तर पर अपशिष्टों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को निर्धारित करता है। यह समझौता प्लास्टिक अपशिष्ट के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाता है। भारत ने जून 1992 में इस सम्मेलन की पुष्टि की अपशिष्ट थी। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मंत्रालय ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के तहत खतरनाक अपशिष्टों के आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए एक पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) तंत्र स्थापित किया है।

(ख) स्टॉकहोम सम्मेलन

स्टॉकहोम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) से बचाना है। यह सम्मेलन सभी पक्षों को जानबूझकर उत्पादित पीओपी के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने, जहां संभव हो अनजाने में उत्पादित पीओपी को समाप्त करने और पीओपी अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधन और निपटान करने के लिए बाध्य करता है। भारत ने जनवरी 2006 में कन्वेंशन की पुष्टि करते हुए 12 रसायनों (गंदे दर्जन) पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद, अक्टूबर 2020 में 7 और रसायनों को मंजूरी दी गई। इन रसायनों में कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और अनजाने में उत्पादित पीओपी शामिल हैं।

दायित्वों को लागू करने के लिए, मंत्रालय ने पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनिल्स विनियमन आदेश, 2016 और स्थायी कार्बनिक प्रदूषक नियम, 2018 को अधिसूचित किया, ताकि खतरनाक रसायनों के उत्पादन, आयात और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके। मंत्रालय ने 12 पीओपी के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन

योजना तैयार की है।

(ग) रॉटरडैम सम्मेलन

रोटरडैम सम्मेलन का उद्देश्य रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल पक्षों के बीच साझा जिम्मेदारी और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके और रसायनों के पर्यावरण के अनुकूल उपयोग में योगदान दिया जा सके। पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) प्रक्रिया एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा आयात करने वाले पक्षों के उन निर्णयों को औपचारिक रूप से प्राप्त और प्रसारित किया जाता है कि क्या वे सम्मेलन के अनुबंध III में सूचीबद्ध रसायनों की भविष्य की शिपमेंट प्राप्त करना चाहते हैं और निर्यात करने वाले पक्षों द्वारा इन निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है।

भारत ने मई 2005 में इस सम्मेलन की पुष्टि की थी। परिशिष्ट III में कुल 52 रसायनों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें कीटनाशक और औद्योगिक रसायन शामिल हैं। भारत ने खतरनाक रसायनों के आयात और निर्यात के लिए पूर्व सूचित सहमति की व्यवस्था स्थापित कर ली है। नामित राष्ट्रीय प्राधिकरणों (डीएनए) अर्थात् रासायनिक उर्वरक मंत्रालय और कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को क्रमशः औद्योगिक रसायन और कीटनाशकों के लिए पीआईसी प्रदान करने हेतु नामित किया गया है।

(घ) मिनामाता सम्मेलन

मिनामाता सम्मेलन एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है जिसका उद्देश्य मानवजनित उत्सर्जन और मर्करी और मर्करी के यौगिकों के रिसाव से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह सम्मेलन मर्करी के जीवन चक्र को संबोधित करता है, जिसमें आपूर्ति, व्यापार, मर्करी-युक्त उत्पाद, मर्करी का उपयोग करने वाली औद्योगिक प्रक्रियाएँ, पारंपरिक और छोटे पैमाने पर सोने का खनन, वायु में उत्सर्जन, भूमि और जल में रिसाव, अंतरिम भंडारण, अपशिष्ट और दूषित स्थल शामिल हैं। भारत ने जून 2018 में इस सम्मेलन की पुष्टि की थी।

इस सम्मेलन में मर्करी युक्त कुछ उत्पादों और मर्करी युक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) चिकित्सा पद्धतियों और पारंपरिक/धार्मिक प्रथाओं में मर्करी के उपयोग से संबंधित भारत के हितों को सम्मेलन के तहत संरक्षित किया गया है। भारत ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मर्करी के आयात और निर्यात के लिए पूर्व सूचित सहमति की व्यवस्था स्थापित की है।

भारत के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 3 से 7 नवंबर, 2025 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी-6) की छठी बैठक में भाग लिया। भारत को सीओपी-6 से निम्नलिखित मर्करी-युक्त उत्पादों के चरणबद्ध समापन की तिथियों को अगले पांच वर्षों (2026 से 2030 तक) के लिए बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है:

- स्विच और रिले
- सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए उच्च दाब मर्करी वाष्प लैंप (एचपीएमवी)
- सामयिक एंटीसेप्टिक
- गैर-इलेक्ट्रॉनिक मापन उपकरण,

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण (एसएआईसीएम)

अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण (एसएआईसीएम) को सितंबर 2023 में रसायनों पर वैश्विक ढांचा (जीएफसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। एसएआईसीएम

एक वैश्विक नीतिगत ढांचा है जिसका उद्देश्य रसायनों के पूरे जीवनचक्र में उनके उचित प्रबंधन (उत्पादन और उपयोग) को बढ़ावा देना है ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। रसायनों पर हाल ही में अपनाया गया वैश्विक ढांचा एक व्यापक पहल है जिसे उत्पादों और अपशिष्टों सहित संपूर्ण रासायनिक जीवनचक्र को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो "जीवनचक्र दृष्टिकोण" पर जोर देता है, जिम्मेदार प्रबंधन की वकालत करता है और भविष्य के उपकरणों के लिए लचीलापन प्रदान करता है। इसमें पारदर्शिता और स्थिरता से संबंधित विभिन्न उद्देश्य और लक्ष्य शामिल हैं, विशेष रूप से वे जो प्लास्टिक संधि से संबंधित हैं।

(च) रसायनों पर वैश्विक ढांचा (जीएफसी)

जीएफसी को पांचवें आईसीसीएम, आईसीसीएम5 द्वारा अपनाया गया था। यह एक स्वैच्छिक वैश्विक ढांचा है जिसका उद्देश्य रसायनों और अपशिष्ट से मानव स्वास्थ्य और ग्रह की रक्षा करना है। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के पांच रणनीतिक उद्देश्य और 28 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 या 2035 तक प्राप्त किया जाना है।

जीएफसी एक बहु-हितधारक समझौता है जिसमें सरकारों, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी और अंतर-सरकारी संगठनों, युवाओं और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसका उद्देश्य रसायनों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय ने नवंबर 2016 में घरेलू और सजावटी पेंटों में सीसा की मात्रा संबंधी नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें 90 भाग प्रति अरब से अधिक सीसा या सीसा यौगिकों वाले घरेलू और सजावटी पेंटों के निर्माण/व्यापार/आयात/निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए अंतरसरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) की बैठक आयोजित की गई है ।

(छ) रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति पैनल (आईएसपी-सीडब्ल्यूपी)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के संकल्प 5/8 के जनादेश के तहत , 20 जून 2025 को उरुग्वे में रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति पैनल (आईएसपी-सीडब्ल्यूपी) की स्थापना की गई है। इस पैनल को जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति मंच (आईपीबीईएस) के समान मॉडल पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक समझ को बेहतर बनाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और प्रदूषण और रासायनिक प्रबंधन चुनौतियों के प्रभावी समाधानों का मार्गदर्शन करना है। यह रसायनों और अपशिष्ट पदार्थों के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में वैज्ञानिक आकलन पर केंद्रित है। भारत दिसंबर 2025 में आईएसपी-सीडब्ल्यूपी का सदस्य बना।

xvi. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना:

एचएसएम प्रभाग रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों के सहयोग से निम्नलिखित बाह्य रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है:

i. जीईएफ-यूएनआईडीओ: भारत में पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स (पीसीबी) का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन;

ii. जीईएफ-यूएनआईडीओ: डीडीटी के गैर-पीओपी विकल्पों का विकास और प्रचार;

iii. जीईएफ-यूएनईपी: स्वास्थ्य सेवाओं में मर्करी मापने वाले उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना;

iv. यूएनईपी: भारत-नॉर्वे समुद्री प्रदूषण पहल;

v. यूएनईपी: हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए साझेदारी (पेज);

vi. जीआईजेड: चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान (सीईएस) जो पारिस्थितिक तंत्रों में समुद्री कचरे को रोकते हैं;

vii. यूरोपीय संघ: यूरोपीय संघ संसाधन दक्षता पहल (ईयू-आरईआई) और स्विच-एशिया कार्यक्रम;

viii. मर्करी पर मिनामाता सम्मेलन के अंतर्गत विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत भारत में मिनामाता सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत और नियामक ढांचे का विकास।

ix. जीआईजेड: भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अपशिष्ट समाधान

x. यूएनडीपी: भारत के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को गति देने के लिए जीईएफ-8 परियोजना।

xi. यूएनईपी: भारत के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (पीओपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (एनआईपी) की समीक्षा और अद्यतन।

xii. जीआईजेड : भारत में जलवायु कार्रवाई के लिए भारत-जर्मन सहायता परियोजना

ग निष्पादित गतिविधियाँ:

i. ईपीआर दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और कठिनाइयों को दूर करने के लिए 23 जनवरी 2025 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए गए।

ii. एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उन्मूलन और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यबल की नौवीं बैठक 20 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

iii. प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, जो कि चिन्हित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना के अंतर्गत नहीं आता है, वह 16 फरवरी 2022 को अधिसूचित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता है।

iv. प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित आईटी आधारित उपकरण स्थापित किए गए हैं:

क. एसयूपी और पीडब्ल्यूएम के उन्मूलन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड,

ख. प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर पोर्टल,

ग. एसयूपी शिकायत निवारण के लिए मोबाइल ऐप

घ. प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के लिए अनुपालन निगरानी मॉड्यूल।

v. प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के सभी मॉड्यूल चालू हैं। 13 जनवरी 2026 तक पंजीकृत बाध्य संस्थाओं की संख्या नीचे दी गई है (i) पंजीकृत पीआईबीओ: 57746 (ii) पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक: 2969

vi. ईपीआर के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा देश में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज की तारीख तक, पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधकों द्वारा 180.64 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के बराबर ईपीआर प्रमाणपत्र उत्पन्न किए गए हैं, जिनमें से 144.42 लाख टन ईपीआर

प्रमाणपत्र पंजीकृत पीआईबीओ को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

vii. वर्ष 2024-25 के लिए, 4991 शहरी स्थानीय निकायों में से 4767 शहरी स्थानीय निकायों और 665 जिला पंचायतों में से 541 जिला पंचायतों ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर दी है।

viii. भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 28 अप्रैल से 9 मई 2025 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित बेसल कन्वेंशन (बीसी सीओपी-17) के पक्षकारों के सम्मेलन की सत्रहवीं बैठक, रॉटरडैम (आरसी सीओपी-12) और स्टॉकहोम कन्वेंशन (एससी सीओपी-12) के पक्षकारों के सम्मेलन की बारहवीं बैठक में भाग लिया।

ix. पर्यावरण संरक्षण (जीवनकाल समाप्त हो चुके वाहन), 2025 के नियम दिनांक 06.01.2025 को अवधि समाप्त हो चुके वाहनों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए अधिसूचित किए गए थे।

x. देश में दूषित स्थलों की पहचान और प्रबंधन के लिए पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 को दिनांक 24.07.2025 को अधिसूचित किया गया था। उक्त नियमों के अंतर्गत दूषित स्थलों की पहचान, निर्धारण और उपचार की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है।

xi. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2025 को 25.02.2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें बैटरियों पर ईपीआर पंजीकरण संख्या के लेबलिंग के प्रावधानों और बैटरियों पर क्रमशः 'सीडी' और 'पीबी' अंकित करने के लिए बैटरियों में कैडमियम और सीसा की सीमा निर्धारित करने के संबंध में प्रावधान शामिल थे।

xii. बैटरी अपशिष्ट के लिए ईपीआर पोर्टल पूरी तरह से चालू है। दिसंबर 2025 के अंत तक, पोर्टल पर लगभग 4,100 उत्पादक और 490 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं। पुनर्चक्रित बैटरी कचरे की कुल मात्रा लगभग 64.37 लाख टन है। अपशिष्ट बैटरियों से प्राप्त 10 धातुओं के लिए 14.20 लाख टन के ईपीआर प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 11.02 लाख टन उत्पादकों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं ताकि वे अपने ईपीआर दायित्वों को पूरा कर सकें।

xiii. भारत के प्रतिनिधिमंडल ने 3 से 7 नवंबर, 2025 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी-6) की छठी बैठक में भाग लिया। भारत को सीओपी-6 से निम्नलिखित मर्करी-युक्त उत्पादों के चरणबद्ध समापन की तिथियों को अगले पांच वर्षों (2026 से 2030 तक) के लिए बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है:

- स्विच और रिले
- सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए उच्च दाब मर्करी वाष्प लैंप (एचपीएमवी)
- सामयिक एंटीसेप्टिक
- गैर-इलेक्ट्रॉनिक मापन उपकरण, जैसे कि बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, थर्मामीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर

xiv. अलौह धातुओं के स्क्रैप के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को 01.07.2025 को खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) (एचओडब्ल्यूएम) नियम, 2016 में संशोधन के माध्यम से अधिसूचित किया गया, ताकि अलौह धातुओं के स्क्रैप का पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यह 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। ये नियम अलौह धातुओं यानी एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता या उनके मिश्र धातुओं के स्क्रैप पर लागू होंगे। इसमें निर्माताओं को नए उत्पादों के निर्माण में एक निश्चित प्रतिशत में घरेलू स्तर पर पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करना भी

अनिवार्य किया गया है।

xv. जी20 की भारतीय अध्यक्षता ने 26 से 28 जुलाई 2023 तक आयोजित चौथे ईसीएसडब्ल्यूजी और मंत्रिस्तरीय बैठक में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन (आरईसीईआईसी) का शुभारंभ किया। आरईसीईआईसी एक उद्योग-नेतृत्व वाला गठबंधन है जिसका उद्देश्य संसाधन दक्षता (आरई) को बढ़ाने और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) संक्रमण को गति देने के लिए कंपनियों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

i. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसी) आरईसीईआईसी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

ii. संस्थापक सदस्यों ने गठबंधन की संस्थागत संरचना विकसित की है और अपने उद्योग सदस्यों में से एक संचालन समिति का गठन किया है जो आरईसीईआईसी का रोडमैप/ कार्ययोजना विकसित करती है और इसके कार्यान्वयन का कार्य करती है।

iii. वर्तमान में, आरईसीईआईसी के 59 सदस्य हैं जो जापान, अमेरिका, सिंगापुर, यूएई, डेनमार्क, यूके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और भारत सहित 10 देशों से हैं।

iv. 05 आरईसीईआईसी कार्य समूहों के माध्यम से तकनीकी विचार-विमर्श/ आदान-प्रदान जारी हैं:

क. रासायनिक क्षेत्र में सामग्री संक्रमण

ख. प्रयुक्त तेल में चक्रीयता

ग. वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में चक्रीयता

घ. ड्राई सेल बैटरी

ड. पैकेजिंग को नए सिरे से परिभाषित करना – वैकल्पिक और नवोन्मेषी समाधान

xvii. विश्व पर्यावरण दिवस 2025

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 जून 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'एक राष्ट्र, एक मिशन': प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना' के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया।. विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पहले एक महीने तक चलने वाले पूर्व-अभियान गतिविधियों के तहत, देश भर में लगभग 69,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत, नागरिक समाज, छात्रों और राज्यों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारियों ने 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण का पालन करते हुए भाग लिया।

- माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2025) के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत बरगद के पौधे का रोपण करके एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत इस पौधे को लगाया गया था, जिसका उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के 700 किलोमीटर क्षेत्र में वनीकरण करना है। उन्होंने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्वच्छ शहरी परिवहन को बढ़ावा देती है और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।

- प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर एक दिवसीय

राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी 5 जून 2025 को भारत मंडपम में किया गया था। इस प्रदर्शनी में भारत भर के स्टार्टअप्स, रिसाइक्लर्स और स्थानीय निकायों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर नवीन तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया। वेड 2025 समारोहों के हिस्से के रूप में 'प्लास्टिक अपशिष्ट पर स्थानीय निकायों के दृष्टिकोण'; 'पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में स्टार्टअप को बढ़ावा देना'; और 'प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर: अवसर और आगे का रास्ता' विषयों पर तीन तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए।

- सीपीसीबी द्वारा आयोजित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर एक राष्ट्रीय हैकाथॉन का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किया गया। प्रतिभागियों ने प्लास्टिक प्लास्टिक बैग (एसयूपी) के नवीन पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रस्तुत किए, जिनमें हिबिस्कस के पत्ते, चिटोसन, चावल के भूसे आदि से बने विकल्प शामिल थे। प्रमुख संस्थानों के छह प्रतिभागियों को पतले प्लास्टिक बैग और शीट के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की दो श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण निवारण अभियान (एनपीपीआरसी) 5 जून से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की गतिविधियां शामिल थीं। इन गतिविधियों में सरकारी कार्यालयों में, विशेष रूप से विशेष अभियान 5.0 के दौरान, अनावश्यक रूप से इस्तेमाल होने वाले एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल था।

xviii. अंतरसरकारी वार्ता समिति (आईएनसी)

- समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए गठित अंतर-सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी-5) का पांचवां सत्र 25 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया था। आईएनसी-5 में हुई वार्ता में प्लास्टिक उत्पादन, उपभोग और प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित प्रतिबद्धताओं पर सहमति नहीं बन सकी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अन्य बातों के अलावा इस बात पर जोर दिया है कि प्रस्तावित समझौते के तहत किसी भी प्रतिबद्धता में प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव 5/14 में रियो सिद्धांतों और देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं के आधार पर सहमति व्यक्त की गई है।

- अंतरसरकारी वार्ता समिति के पांचवें सत्र का दूसरा भाग 5 अगस्त 2025 से 14 अगस्त 2025 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट मतभेद थे। अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडलों के विचारों को जानने के अपने सर्वोत्तम प्रयास के रूप में 13 अगस्त 2025 और 15 अगस्त 2025 को आईएनसी के विचारार्थ प्रस्तावों के रूप में दो मसौदे प्रस्तुत किए, जिससे आईएनसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके और यह भी कहा कि यह प्रस्ताव समिति के लिए आकार देने, ढालने या सुधारने का एक साधन है। आईएनसी के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चार परस्पर जुड़े मुद्दों - उत्पादन, वित्त, प्लास्टिक उत्पाद और आम सहमति से निर्णय लेने - पर स्पष्ट मतभेद हैं।

- आईएनसी ने निर्णय लिया कि अध्यक्ष द्वारा 13 अगस्त और 15 अगस्त को प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव बैठक की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होगा। समापन सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्णय लेने, संशोधन करने और अनुलग्नकों में

संशोधन करने सहित सभी मामलों में आम सहमति के महत्व पर जोर दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों को समानता, सीबीडीआर, ऐतिहासिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विचार करने के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, और इस बात पर भी जोर दिया गया कि इन सिद्धांतों के बिना एक वित्तीय तंत्र अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के उद्देश्य को विफल कर देता है। यह उल्लेख किया गया कि चूंकि आईएनसी अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए दो मसौदा पाठों को सदस्यों का पूर्ण समर्थन नहीं मिला, इसलिए संपर्क समूहों में बातचीत के बाद तैयार किए गए पाठ का उपयोग आगे की चर्चाओं के लिए किया जा सकता है। समापन सत्र में कई सदस्य देशों के हस्तक्षेप के बाद, आईएनसी अध्यक्ष ने आईएनसी 5.2 को स्थगित कर दिया और सत्र को बाद की तारीख में फिर से शुरू करने का निर्णय लिया।

2.3.1 इकोलेबलिंग

इकोमार्क नियम 2024

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 26 सितंबर 2024 को इकोमार्क नियमों को अधिसूचित किया है, जिन्होंने 1991 की इकोमार्क योजना का स्थान ले लिया है।

इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा की खपत को कम करना, संसाधनों की दक्षता बढ़ाना और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर सटीक लेबलिंग सुनिश्चित करना और भ्रामक जानकारी को रोकना है।

ईकोमार्क उपभोक्ताओं को सोच-समझकर खरीदारी के निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और साथ ही निर्माताओं को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे हरित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

ईकोमार्क की शासन संरचना में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में) और तकनीकी समितियां शामिल हैं। संचालन समिति का गठन 23 अक्टूबर 2024 को किया गया है और इसमें संबंधित मंत्रालयों / विभागों, विशेषज्ञों और संस्थानों तथा उद्योग संघों के सदस्य शामिल हैं।

ईकोमार्क का लाभ वह उत्पाद उठाते हैं, जिनके पास बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत भारतीय मानकों का वैध लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाण पत्र है और / या जो केंद्र सरकार द्वारा जारी अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में आते हैं।

ईकोमार्क योजना के तहत मान्यता प्राप्त उत्पाद विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करेंगे, जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित होगा।

वर्तमान में, इस योजना के दायरे में 17 अलग-अलग उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं जिनमें खाद्य योजक, साबुन, डिटर्जेंट, बैटरी आदि जैसे 80 प्रकार के उत्पाद शामिल हैं।

2.4. नीति और कानून

1 परिचय एवं उद्देश्य-

नीति एवं विधि (पी एंड एल) प्रभाग राष्ट्रीय न्यायिक परिषद (एनजीटी) के प्रशासन / स्थापना संबंधी मामलों; एनजीटी भर्ती नियमों / एनजीटी अधिनियम और एनजीटी भर्ती नियमों में संशोधन; विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ समन्वय तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और एनजीटी (इसकी सभी पीठों) में अदालती मामलों के संचालन से संबंधित है।

लाभ एवं हानि प्रभाग, एनजीटी के प्रशासनिक मामलों को संभालता है, जिसमें उनका बजट और साथ ही ईएसजेड और सीपी डिवीजनों से संबंधित बजट का हिस्सा शामिल है, जो क्रमशः दहानू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण और पारिस्थितिकी हानि प्राधिकरण के प्रशासनिक प्रभारी हैं। इस विभाग को "राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण" मद के अंतर्गत बजट में धनराशि आवंटित की जाती है और इसके अंतर्गत बजट को आगे आवंटित किया जाता है –

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण;

चेन्नई स्थित पारिस्थितिकी हानि प्राधिकरण को अनुदान सहायता प्रदान करना, और

- दाहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण, अहमदाबाद को अनुदान सहायता।

कानूनी निगरानी प्रकोष्ठ (एलएमसी)

नीति एवं विधि प्रभाग में स्थापित एक कानूनी निगरानी प्रकोष्ठ अदालती मामलों की प्रगति की निगरानी करता है और अदालती मामलों के संबंध में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ एक प्रभावी समन्वयक के रूप में भी कार्य करता है। दिनांक 30.12.2025 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित न्यायालयी मामलों की कुल संख्या 3115 है।

2.5. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को एनजीटी अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन और व्यक्तियों तथा संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना तथा उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों के लिए भी शामिल है।

इस न्यायाधिकरण के पांच बैठक स्थल हैं, अर्थात् नई दिल्ली में प्रधान पीठ और पुणे, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में क्षेत्रीय पीठें। एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 4(1) के अनुसार, न्यायाधिकरण में (क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, (ख) कम से कम दस लेकिन अधिकतम बीस पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है, और (ग) कम से कम दस लेकिन अधिकतम बीस पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में एनजीटी में न्यायिक सदस्यों के पाँच (05) रिक्त पदों और विशेषज्ञ सदस्यों के पाँच (05) रिक्त पदों का विज्ञापन दिया। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अगस्त 2025 में एनजीटी के 02 न्यायिक और 04 विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की गई है और उन्हें एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। हालांकि, इन नियुक्तियों के बावजूद, किसी भी न्यायिक सदस्य ने कार्यभार नहीं संभाला है और चार विशेषज्ञ सदस्यों ने एनजीटी में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अध्याय 3

पर्यावरण अधिनियम और मंजूरी

3.1. पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)

1. पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) एक नियोजन उपकरण के रूप में कार्य करता है। विकास प्रक्रिया में आरम्भ से ही पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करने के लिए इसकी अभिकल्पना की गई और है। भारत में, ईआईए को पहली बार 1978 में नदी घाटी परियोजनाओं के लिए लागू किया गया था और बाद में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं तक इसका विस्तार किया गया था, जिनके लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) से अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। इन अभ्यासों को औपचारिक रूप से 1994 की ईआईए अधिसूचना के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया, जो 27 जनवरी 1994 को लागू हुई। प्रारंभ में, अधिसूचना में परियोजनाओं की 29 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता थी। यह ऐसी संख्या है जिसे बाद में निवेश मानदंडों के आधार पर बढ़ाकर 32 कर दिया गया। 2006 में, अधिक पारदर्शी, कुशल और विकेन्द्रीकृत प्रणाली बनाने के उद्देश्य से एक संशोधित ईआईए अधिसूचना प्रस्तुत की गई थी। इस संशोधन में, योजना चरण में ही पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को एकीकृत किया गया और सार्वजनिक भागीदारी पर अधिक जोर दिया गया। इसके साथ ही, इसने निवेश-आधारित मानदंडों से प्रभाव-आधारित मूल्यांकन की ओर एक बदलाव को भी चिह्नित किया, जिससे 39 श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य हो गई।

2. पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 और सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में सतत् विकास के उद्देश्य के अनुरूप विकास प्रक्रिया में पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृत करके उभरते मुद्दों का निपटान करने का भी प्रयास किया गया है। विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करते समय, निर्माण और संचालन दोनों चरणों के दौरान उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शर्तें, पर्यावरणीय सुरक्षा और शमन उपाय निर्धारित किए जाते हैं। इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा, (i) वायु गुणवत्ता, (ii) जल गुणवत्ता, (iii) भूमि क्षरण, (iv) जैव विविधता और (v) वन्यजीव पार्यावासों पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के लिए वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, हरित पट्टी विकास और वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण योजनाएँ और अन्य संबंधित पहलों जैसे उपायों को लागू करना आवश्यक है।

3. विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, उद्योग, तापीय ऊर्जा, नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाएँ, कोयला खनन, गैर-कोयला खनन, अवसंरचना, और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) साथ ही परमाणु, रक्षा और संबद्ध परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों से संबंधित श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ईएसी) की बैठकें आयोजित की गईं।

1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान, कुल 502 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई। वर्ष 2025 के दौरान (31 दिसंबर 2025 तक) मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरियों का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है। केंद्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने में 105 दिन की निर्धारित समय सीमा की तुलना में 64 दिन का औसत समय मिल गया था।

स्वीकृत पर्यावरणीय प्रस्तावों की संख्या (केंद्रीय स्तर पर)

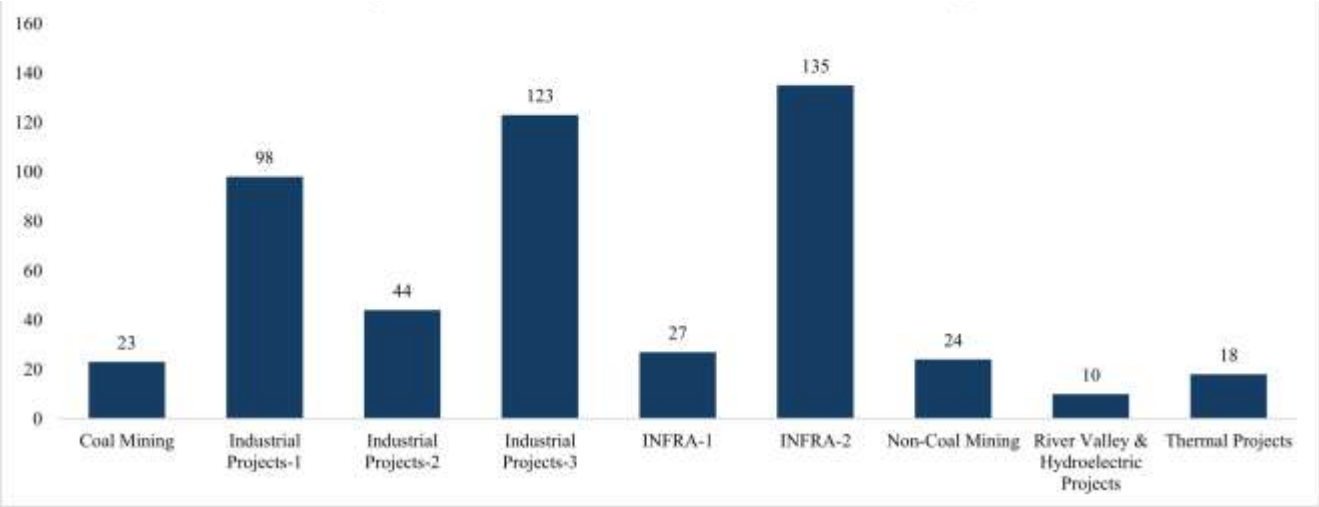

4. एकल-खिड़की एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।

ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और व्यापार में सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड (सीआरजेड) संबंधी मंजूरी के लिए एकल-खिड़की को मंच के तौर पर वर्ष 2018 में परिवेश पोर्टल की शुरुआत की गई थी और 2019 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया गया था। यह पोर्टल वर्तमान में 36 राज्यों / केंद्र शासित क्षेत्रों, 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और मंत्रालय में संचालनरत है।

परिवेश प्रणाली को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार उन्नत किया गया है और इसने निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित किया है। कार्यकुशलता और उपयोगकर्ता अनुभव को अधिक बेहतर बनाने के लिए, जीआईएस और उन्नत डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाते हुए परिवेश 2.0 को विकसित किया गया था ताकि ऑनलाइन मूल्यांकन, मंजूरी प्रदान करने और अनुपालन निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।

परिवेश 2.0 में, (नो योर अप्रूवल (केवाईए)), (नो योर कस्टमर (केवाईसी)) और जीआईएस-सक्षम निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) जैसे मॉड्यूल शामिल हैं, और यह केंद्रीय और एसईआईएए स्तरों पर क्रमशः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' पर्यावरण मंजूरी प्रस्तावों की पूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। इस प्लेटफॉर्म को गतिशक्ति, कोयला मंत्रालय की प्रणालियों और पीएमजी पोर्टल सहित राष्ट्रीय डिजिटल प्रणालियों के साथ भी एकीकृत किया गया है।

दिनांक 12.11.2024 के जी एस आर 702(ई) और 703(ई) के अनुसरण में मंत्रालय ने दिनांक 14.01.2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को संसाधित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, लेकिन स्थापना के लिए सहमति प्राप्त करने से छूट दी गई है। एसपीसीबी / पीसीसी से टिप्पणियाँ प्राप्त करने सहित संपूर्ण कार्यप्रवाह को परिवेश पोर्टल के माध्यम से स्वचालित कर दिया गया है।

परिवेश 2.0 के तहत कागज रहित मंजूरी प्रबंधन प्रणाली ने ई-गवर्नेंस को मजबूत किया है, व्यापार करने में सहजता में सुधार किया है और कार्बन

फुटप्रिंट को कम करने में योगदान दिया है। 2025 के दौरान प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं:

- पूर्व योजना: लगभग 5,500 उपयोगकर्ताओं ने प्रस्तावित परियोजनाओं की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के प्रारंभिक चरण के आकलन के लिए नो योर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल का उपयोग किया।

- सोच-समझकर निर्णय लेना: जीआईएस-सक्षम निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) का उपयोग करके 1,300 से अधिक टीओआर और ईसी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई।

- त्वरित प्रक्रिया: प्रणालीगत सुधारों और स्वचालन के कारण केंद्रीय स्तर पर ईसी प्रदान करने का औसत समय निर्धारित समय सीमा 105 दिनों के मुकाबले घटकर 64 दिन हो गया है।

5. अनुपालन एवं निगरानी प्रभाग (सीएमडी)

पर्यावरण मंजूरी की शर्तों की परियोजना पश्च निगरानी: ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत प्रदान श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा और श्रेणी 'बी' परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) / यूटीआईएए द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 के तहत मंजूरी भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या संबंधित एसईआईएए द्वारा परियोजना की संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद दी जाती है। इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत पर्यावरणीय मंजूरी देते समय, विभिन्न शर्तें और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान लागू किया जाना अपेक्षित है।

परियोजना पश्च निगरानी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि परियोजना चक्र के दौरान पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों को पर्यावरण मंजूरी पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार शामिल करने के लिए कार्रवाई की गई है; और

- संबंधित परियोजनाओं के संचालन के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए उचित सुधारात्मक उपाय करना।

ईआईए अधिसूचना, 2006 और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), 2011 के तहत जारी पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों के संबंध में ग्यारह (11) क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और नौ (9) उप क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों की सहमति तंत्र के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी की जाती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण अनुपालन और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में;

मंत्रालय ने दिनांक 13.07.2023 के कार्यालय आदेश के माध्यम से एक समर्पित और पृथक "अनुपालन और निगरानी प्रभाग" (सीएमडी) का गठन किया है। सीएमडी की प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

- ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत स्वीकृत ईसी की निगरानी

- एसईआईएए / सीज़ेडएमए का कार्यात्मक लेखापरीक्षा और अदालती मामलों के संबंध में ईसी के बाद की निगरानी।

- संसदीय मामले, वीआईपी संदर्भ, पीजी, आरटीआई आदि।

सी एंड एम प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत निगरानी रिपोर्टों की जांच करता है। गंभीर गैर अनुपालन की स्थिति में, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाती है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना और उसके बाद पर्यावरण

(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत मामलेवार निर्देश जारी करना शामिल है।

पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 29 अगस्त 2025 को व्यापार करने में सुगमता (ईओडीबी) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, विश्वास-आधारित शासन के सिद्धांतों तथा अनुपालन निगरानी के लिए पेशेवरों की भागीदारी के माध्यम से संसाधन आधार के विस्तार के अनुरूप, पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025 अधिसूचित किए। इन नियमों का उद्देश्य एक ओर अनुपालन दायित्वों के प्रवर्तन के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन सुनिश्चित करना तथा दूसरी ओर व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। इन नियमों के प्रमुख उद्देश्य अनुपालन निगरानी में मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और स्व-अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरणीय लेखापरीक्षाओं को संस्थागत रूप देना है।

ईआईए सलाहकारों का भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई / राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड एनएबीईटी) से प्रत्यायन:

विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन, परियोजना प्रस्तावक की सहायता से मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा तैयार की गई ईआईए / ईएमपी रिपोर्टों के आधार पर, ईआईए अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उचित निर्णय लेने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली ईआईए रिपोर्ट एक पूर्व शर्त है। फिलहाल, केवल क्यूसीआई / नाबेट से मान्यता प्राप्त सलाहकारों को ही ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने और ईएसी / एसईएसी के समक्ष मामले प्रस्तुत करने की अनुमति है। नाबेट की वेबसाइट के अनुसार, 08.01.2026 तक 241 मान्यता प्राप्त ईआईए सलाहकार संगठन हैं।

6. नीतिगत सुधार : प्रणालीगत सुधारों के तहत, सूचना एवं संचार विभाग ने प्रक्रिया में पर्यावरण सुरक्षा उपायों को एकीकृत करके विभिन्न नीतिगत सुधार किए हैं:

- पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, स्रोत या उधार लेने को पूर्व पर्यावरण अनुमोदन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

- प्रदूषण की संभावना के आधार पर, औद्योगिक संपदाओं / पार्कों और व्यक्तिगत उद्योगों के लिए हरित पट्टी / हरियाली आवरण की आवश्यकता को तर्कसंगत बनाया गया।

- पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम 2025 के तहत प्रमाणित तृतीय-पक्ष पर्यावरण लेखापरीक्षकों का एक समूह गठित किया जाएगा, जो परियोजनाओं का स्थलीय सत्यापन और लेखापरीक्षा करके प्रमुख पर्यावरण कानूनों और विनियमों के अनुपालन का प्रमाणन और मूल्यांकन करेगा।

- वैध ईसी प्राप्त हवाई अड्डों की सभी विस्तार / आधुनिकीकरण गतिविधियों का मूल्यांकन श्रेणी बी2 परियोजना के रूप में किया जाएगा (अर्थात् ईआईए रिपोर्ट तैयार करने और सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता के बिना), बशर्ते कि इसमें कोई अतिरिक्त भूमि क्षेत्र शामिल न हो।

- ईआईए अधिसूचना में उन प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है, जिनके अनुसार एक बार किसी औद्योगिक संपदा / पार्क को ईसी प्रदान कर दिया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाइयों को अलग से ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

3.2. तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड):

क. परिचय:

तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा तथा अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तटीय क्षेत्रों के संरक्षण / संरक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य से,

सीआरज़ेड अधिसूचना सं. सा.का. 114(ई) दिनांक 19.02.1991 को जारी की गई। यह अधिसूचना सीआरजेड अधिसूचना, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई थी और अधिसूचना संख्या सा.का. 19(ई), दिनांक 06/01/2011 के माध्यम से जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना में सीआरजेड क्षेत्र का वर्गीकरण, अनुमत और निषिद्ध गतिविधियाँ, सी आर जेड क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियों का विनियमन, मंजूरी की प्रक्रिया, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं की तैयारी, मानचित्रण और विशेष विचारणीय क्षेत्रों आदि को शामिल किया गया है।

2011 की अधिसूचना के अनुसार सीआरजेड वर्गीकरण

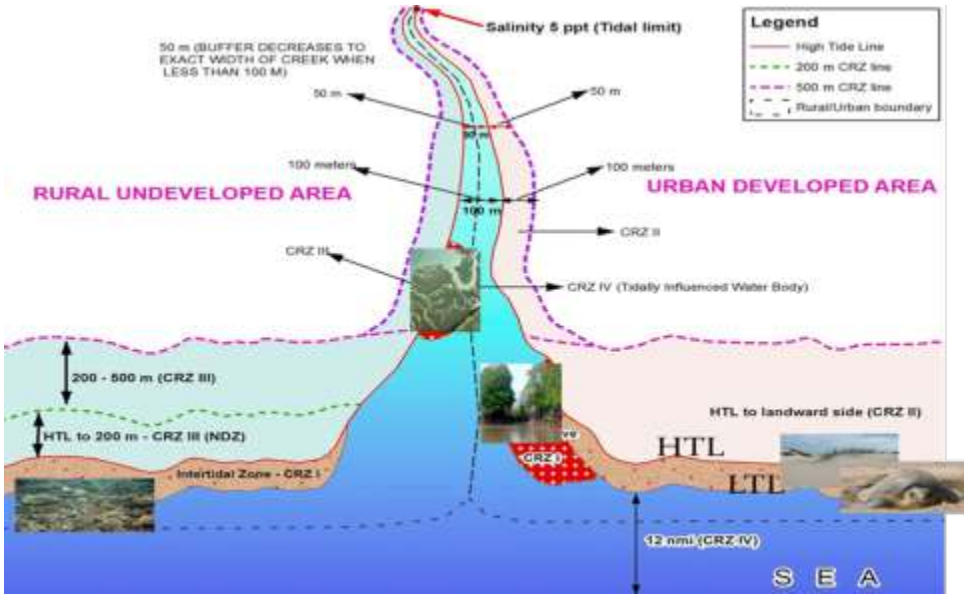

तटीय राज्य की सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर अधिसूचना में समय-समय पर संशोधन किया गया और समय के साथ अधिसूचना में व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तदनुसार जून 2014 में डॉ. शैलेश नायक (सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, ताकि तटीय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र और अन्य हितधारकों के विभिन्न मुद्दों और चिंताओं की जांच करके सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में उचित बदलावों की सिफारिश की जा सके। शैलेश नायक समिति ने राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया और 2015 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसद सदस्यों के साथ-साथ भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से सिफारिशों की आगे जांच की गई और एक मसौदा अधिसूचना यानी सीआरजेड अधिसूचना, 2018 (सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के प्रस्तावित प्रतिस्थापन में) अप्रैल, 2018 में आम जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के लिए जारी की गई। केंद्र सरकार को अनेक सुझाव और टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं और तटीय क्षेत्रों के सतत विकास की समग्र अनिवार्यता और तटीय पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31/12/2018 को नई तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को मंजूरी दी और इसे अंततः जीएसआर 37(ई), दिनांक 18/01/2019 के माध्यम से जारी किया गया। इस नए सीआरजेड अधिसूचना से वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय क्षेत्रों के संरक्षण में काफी मदद मिल सकती है, जिससे गरीब और कमजोर आबादी कल्याण सुनिश्चित करने के अलावा तटीय समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा। कुल मिलाकर, यह नई सीआरजेड अधिसूचना तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास को अधिक बढ़ावा देगी, जिससे तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अधिक अवसर और जीवन की बेहतर गुणवत्ता का सृजन होगा।

दिनांक 18/01/2019 के जीएसआर 37(ई), माध्यम से जारी की गई नई सीआरजेड अधिसूचना, 2019, हालांकि संबंधित तटीय राज्यों की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) को नई अधिसूचना के प्रावधानों के आधार पर संरेखित और अद्यतन किए जाने के बाद ही प्रभावी होगी। इस संबंध में

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी तटीय राज्यों को तत्काल कार्रवाई के लिए 'सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के अनुसार तैयार की गई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुरूप करने के लिए अद्यतन करने हेतु दिशानिर्देश' जारी किए हैं। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (सीजेडएमपी), जो सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई हैं, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल राज्यों के साथ-साथ गुजरात के आठ तटीय जिलों (वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, पोरबंदर, जूनागढ़, देव भूमि द्वारका, जामनगर और गिर सोमनाथ) के लिए अनुमोदित की गई हैं।

2019 की अधिसूचना के अनुसार सीआरजेड वर्गीकरण

(संशोधित / अद्यतन सीजेडएमपी के स्वीकृत होने के बाद प्रभावी होगा)

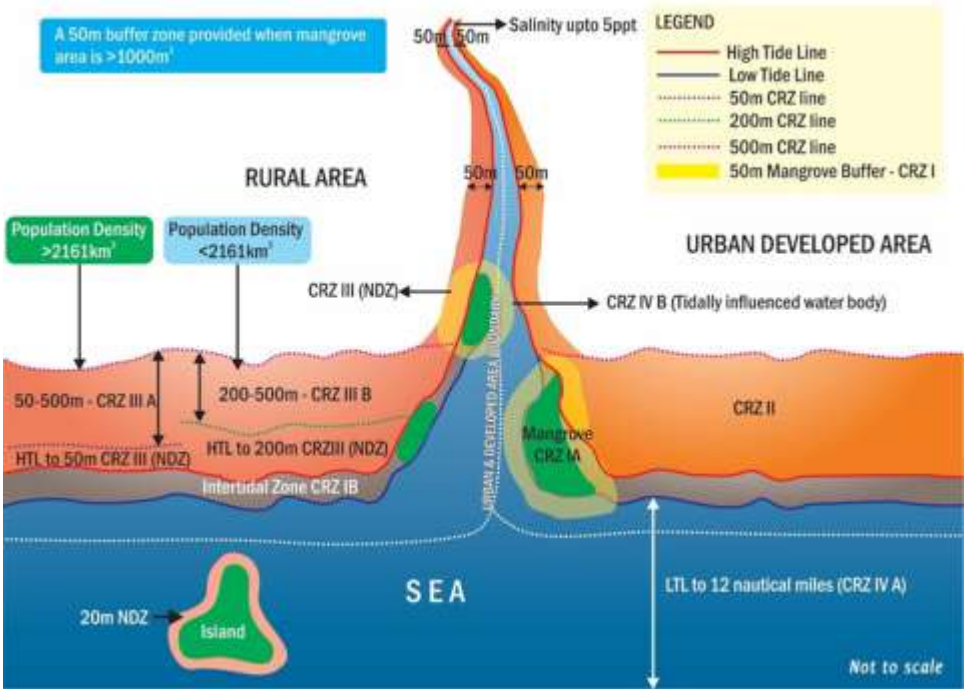

द्वीप के विनियमन:

मुख्य भूमि के साथ स्थित द्वीप (ज्वारीय रूप से प्रभावित जल निकायों के भीतर अपतटीय और अंतर्देशीय) तटीय क्षेत्र विनियमन (सीआरजेड) विनियमों के अंतर्गत आते हैं, जबकि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 6 जनवरी 2011 को जारी द्वीप संरक्षण क्षेत्र (आईपीजेड) अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आते हैं। सीआरजेड अधिसूचना के समान, द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 आईपीजेड अधिसूचना, 2011 के स्थान पर S.O. 1242 (ई), दिनांक 08/03/2019 को जारी की गई थी। हालांकि, यह नई अधिसूचना द्वीपों के आईसीआरजेड/आईआईएमपी को नई अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार संशोधित और अद्यतन किए जाने के बाद ही प्रभावी होगी। आईसीआरज़ेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के नौ द्वीपों के लिए एकीकृत तटीय विनियमन क्षेत्र योजनाएँ (आईसीआरजेडपी) स्वीकृत की गई हैं। इनमें ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, बराटांग, स्वराज द्वीप, रटलैंड, कार निकोबार और कामोर्ता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अंडमान एवं निकोबार के पाँच द्वीपों के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएँ (आईआईएमपी) भी स्वीकृत की गई हैं। इनमें स्मिथ द्वीप, लॉन्ग आइलैंड, फ्लैट बे, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप के 23 द्वीपों के लिए भी एकीकृत योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें बंगाराम, तिन्नाक्कारा, बराली द्वितीय एवं तृतीय, बिट्रा, चेतलात, किल्टान, कडमत, सुहेली, मिनिकॉय, विरिंगिली, वालियाकरा, अगात्ती एवं कल्पिट्टी, अमिनी, अंडरोथ, कलपेनी, चेरीयम, पिट्टी, कोडिथला,

तिलकम (पूर्व एवं पश्चिम) तथा कवरत्ती शामिल हैं।

ख. 01/01/2025 से 31/12/2025 तक प्रगति / उपलब्धियाँ-

i. नीतिगत निर्णय/ प्राधिकरणों का गठन:

- अंडमान एवं निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन दिनांक 09.06.2025 को जारी अधिसूचना सं. S.O. 2512(E) के माध्यम से किया गया।

- महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन दिनांक 07.07.2025 को जारी अधिसूचना सं. S.O. 3026(E) के माध्यम से किया गया।

- राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन दिनांक 06.08.2025 को जारी अधिसूचना सं. S.O. 3619(E) के माध्यम से किया गया।

- उड़ीसा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन दिनांक 02.05.2025 को जारी अधिसूचना सं. S.O. 2001(E) के माध्यम से किया गया।

- पुडुचेरी तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन दिनांक 02.07.2025 को जारी अधिसूचना सं. S.O. 2960(E) के माध्यम से किया गया।

- पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन दिनांक 12.11.2025 को जारी अधिसूचना सं. S.O. 5164(E) के माध्यम से किया गया।

- कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन दिनांक 31.12.2025 को जारी अधिसूचना सं. G.S.R. 942(E) के माध्यम से किया गया।

- आईपीज़ेड अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृतियों की वैधता अवधि को 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। इसमें कोविड-19 अवधि (01.04.2020 से 31.03.2021) के लिए दी गई छूट तथा इसके अतिरिक्त एक वर्ष का विस्तार भी शामिल है। यह विस्तार दिनांक 04.07.2025 को जारी अधिसूचना सं. S.O. 3013(E) के माध्यम से किया गया।

ii. सीआरजेड अधिसूचना 2011/2019 का कार्यान्वयन:

- तटीय क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 26/09/2025 को 48वीं राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) की बैठक आयोजित की गई।

- द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सात द्वीपों (उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, बारातांग, स्वराज द्वीप, रटलैंड, कार निकोबार और कमोर्ता) के लिए अनुमोदित द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र प्रबंधन योजना (आईसीआरजेडपी) और पांच द्वीपों (स्मिथ द्वीप, लॉन्ग द्वीप, फ्लैट बे, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप) के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (आईआईएमपी)।

- आईसीआरज़ेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के 23 द्वीपों के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (आईआईएमपी) को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें बंगाराम, तिन्नाक्कारा, बराली द्वितीय एवं तृतीय, बिट्रा, चेतलात, किल्टान, कडमत, सुहेली, मिनिकॉय, विरिंगिली, वालियाकरा, अगत्ती एवं कल्पिट्टी, अमिनी, अंडरोथ, कलपेनी, चेरीयम, पिट्टी, कोडिथला, तिलकम (पूर्व एवं पश्चिम) तथा कवरत्ती शामिल हैं।

- तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 के तहत गुजरात के आठ (8) जिलों, अर्थात् वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, पोरबंदर, जूनागढ़, देव भूमि द्वारका, जामनगर और गिर

सोमनाथ के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) को मंजूरी दी गई।

iii. ईएसी (सीआरजेड) / सीआरजेड क्लीयरेंस

- मंत्रालय द्वारा 01/01/2025 से 31/12/2025 तक कुल 111 सीआरजेड मंजूरी प्रदान की गई है। ये स्वीकृतियाँ विभिन्न विकासात्मक और परियोजना गतिविधियों तथा सीआरजेड विनियमों के अंतर्गत अनुमेय गतिविधियों के लिए निर्धारित जाँच-पड़ताल और संरक्षण की शर्तों से संबंधित हैं। प्रणालीगत सुधारों और स्वचालन के कारण केंद्रीय स्तर पर सीआरजेड मंजूरी प्रदान करने का औसत समय निर्धारित 60 दिनों की समयसीमा के मुकाबले घटकर 40 दिन रह गया है।

अध्याय 4

संरक्षण - जैव विविधता

4.1 संरक्षण एवं सर्वेक्षण- III (जैव विविधता) प्रभाग

1 परिचय, उद्देश्य और कार्य

सीएस III (जैव विविधता) प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यक्षेत्रों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ :

  I. जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी)।

  II. आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल।

- राष्ट्रीय विधान : जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023 में किया गया)

- सीबीडी 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए प्रमुख समझौतों में से एक है। सीबीडी के तीन उद्देश्य नामतः जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का निष्पक्ष और समान वितरण है जिसका दिनांक 18 फरवरी 1994 को अनुमांदन सीबीडी की पुष्टि के बाद, भारत द्वारा कन्वेंशन के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और कन्वेंशन द्वारा प्रदत्त अवसरों को साकार करने के लिए कई कदम उठाए गए। भारत ने इस सम्मेलन के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया। भारत ने 2008 में एक राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (एनबीएपी) भी तैयार की थी। इसके अलावा, एनबीएपी का एक परिशिष्ट 2014 में तैयार किया गया था इस परिशिष्ट में 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य शामिल थे, जिन्हें 20 वैश्विक आइची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप विकसित किया गया था। भारत राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों में हुई प्रगति पर अद्यतन जानकारी प्रदान करते हुए सीबीडी को एक राष्ट्रीय रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। हाल ही में, भारत ने 10 सितंबर 2024 को सीबीडी पोर्टल पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) के अनुरूप अपने 23 राष्ट्रीय लक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा, भारत ने 31 अक्टूबर 2024 को सीबीडी पोर्टल पर अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना प्रस्तुत की।

- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत और समान वितरण पर नागोया प्रोटोकॉल (एबीएस)। इसे वर्ष 2010 में सीबीडी के तत्वावधान में अपनाया गया था। भारत ने 11 मई 2011 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और 9 अक्टूबर 2012 को इसकी अनुमोदन की गई। एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ। नागोया प्रोटोकॉल को बीडी अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अन्य उपायों के साथ-साथ लागू किया जा रहा है।

- अंतर-सरकारी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ मंच (आईपीबीईएस) की स्थापना अप्रैल 2012 में विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा की गई थी। इसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल के जैव विविधता समकक्ष के रूप में कार्य करता है ताकि इसका उद्देश्य जैव विविधता पर विज्ञान-नीति संवाद को सुदृढ़ करना है ताकि नीति-निर्माताओं को जैव विविधता से संबंधित विश्वसनीय, स्वतंत्र और प्रामाणिक जानकारी प्रदान किया जा सके। इसके माध्यम से जैव विविधता के सतत उपयोग द्वारा मानव कल्याण और सतत विकास को प्रोत्साहन किया जाता हों।

- सीबीडी के अनुसरण में, भारत ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023) अधिनियमित किया और 2004 में जैव विविधता नियमों को अधिसूचित किया, जिन्हें जैव विविधता नियम 2024 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

- यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, उसके घटकों के सतत उपयोग, तथा जैव संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत और समान रूप से वितरण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम इससे जुड़े या सहायक विषयों से भी संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुरूप केंद्रीय व्यापार अधिनियम (सीबीडी) के प्रावधानों को प्रभावी

बनाना है। नागोया प्रोटोकॉल के पहुंच और लाभ-साझेदारी से संबंधित प्रावधान, जिनका भारत पक्षकार है, जैव विविधता अधिनियम के माध्यम से भी लागू किए जा रहे हैं।

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 को तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से लागू किया जाता है: एनबीए, राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी)। एनबीए एक वैधानिक निकाय है, जो जैव विविधता से संबंधित विषयों पर सरकार के लिए सहायक की नियामक और परामर्शात्मक कार्य प्रदान करता है करता है।

ख. संपन्न की गईं महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- मंत्रालय ने 22 मई 2025 को "जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय "प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास" है। इस कार्यक्रम में केंद्र/राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, कॉलेज के छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सदस्यों ने बड़ी व्यापक भागीदारी रही और सभी ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताएँ व्यक्त कीं।

- इस कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024-2030 पर असाधारित पुस्तिका के साथ-साथ निम्नलिखित पुस्तिकाओं और ब्रोशर भी जारी किया गए।

  i. हितधारकों के लिए सारांश: भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी 2024-2030)।

  ii. पुस्तिका जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के लिए भारत की सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट (एनआर 7) की तैयारी से संबंधी ब्रोशर

  iii. पाठ्यक्रम एवं विवरणिका: व्यवसाय और जैव विविधता संरक्षण में एमओईएफसीसी-आईआईसीए-एनबीए-यूएनडीपी प्रमाणपत्र कार्यक्रम

  iv. भारत में जैव विविधता धरोहर स्थलों का संग्रह

  v. पुस्तिका जैव विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुंच और लाभों के उचित और समान वितरण संबंधी विनियम, 2025)

ग. प्रगति / नवाचार

नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत जारी अंतर्राष्ट्रीय समान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी): एबीएस पर नागोया प्रोटोकॉल के तहत, पक्षकारों को आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच के समय एक मंजूरी या उसके समकक्ष दस्तावेज जारी करना आवश्यक है, जो इस बात का प्रमाण हो कि आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच पूर्व-सूचित सहमति पर आधारित थी और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें का निर्धारण किया गया । प्रोटोकॉल के तहत यह भी आवश्यक है कि पक्षकार एबीएस क्लियरिंग हाउस को परमिट या उसके समकक्ष जानकारी उपलब्ध कराएँ ताकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) बन सके। अक्टूबर 2015 से अब तक एबीएस सीएच वेबसाइट में जैव संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को आईआरसीसी उत्पन्न करने के लिए 5903 में से 3556 (60.24%) अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

i. भारत भर में 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों 2.76 लाख बीएमसी स्थापित की गई हैं।

ii. एसबीबी और एनबीए के सहयोग से बीएमसी द्वारा 2.72 लाख पीबीआर का दस्तावेजीकरण किया गया है।

iii. 19 राज्यों में 54 जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं।

iv. अब तक एनबीए द्वारा सभी एसबीबी/यूटीबीसी, अनुसंधान संस्थानों, वन विभागों आदि को लगभग 70 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

v. अब तक, भारत ने 3,556 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र (आईआरसीसी) जारी किए हैं। जैव विविधता पर सम्मेलन के पोर्टल पर अन्य पक्षों द्वारा प्रकाशित कुल 62,00 अंतर्राष्ट्रीय विविधता

सम्मेलनों (आईआरसीसी) में से 57.35% भारत के हैं।

ड. नए अधिनियमों/नियमों का प्रकाशन

- दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 332 माध्यम से, तथा प्रवेश और लाभ-साझेदारी विनियम, 2014 के स्थान पर, जैव विविधता (जैव संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण) विनियम, 2025 अधिसूचित किए गए।

- जैव विविधता नियम, 2024 के नियम 19 तथा उससे संबंधित प्रपत्र 11 और 12 में जैव विविधता (संशोधन) नियम, 2025 के माध्यम से संशोधन किया गया, जो राजपत्र अधिसूचना सा.का. नियम द्वारा जारी किया गया। जिसे दिनांक 6 मई 2025 को पारित अध्यादेश संख्या 295(E) 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ।

च. महत्वपूर्ण सम्मेलन

भारत में आयोजित कार्यशालाएँ:

- सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग के लिए परामर्श सत्र 19 सितंबर 2025 को नई दिल्ली।

- "जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना" शीर्षक वाली जीओआई- यूएनडीपी - जी ई एफ 7 बी डी परियोजना पर राष्ट्रीय और सह राज्य स्तरीय आरंभिक कार्यशाला को 14-15 नवंबर, 2025 को शिलांग, मेघालय में आयोजित किया गया।

- जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के लिए भारत की सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट (एनआर-7) की तैयारी हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रारंभिक कार्यशाला 19.09.2025 को आयोजित की गई।

- भारत में "जैव विविधता का संरक्षण, इसका सतत उपयोग, लाभों का उचित और समान वितरण (कंज़र्व)" विषय पर जीबीएफएफ परियोजना के लिए सत्यापन कार्यशाला 05-06 जुलाई 2025 को फरीदाबाद में आयोजन।

- बायोफिन की वार्षिक योजना एवं समीक्षा बैठक 24 जनवरी 2025 को चेन्नई में आयोजित होगी।

- 23 जनवरी 2025 को चेन्नई में जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना; परियोजना अभिविन्यास कार्यशाला एवं योजना बैठक।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- जैव विविधता पर कनवेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की सोलहवीं बैठक का द्वितीय पुनरारंभ सत्र; जैव विविधता पर कनवेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की पाँचवीं बैठक, जो आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत और समान वितरण पर नागोया प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्यरत थी; जैव विविधता पर कनवेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की ग्यारहवीं बैठक, जो जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्यरत थी; यह सभी बैठकें 25 से 27 फरवरी 2025 तक रोम, इटली में आयोजित की गईं।

- एशिया के देशों के लिए जैव विविधता के ज्ञान प्रबंधन पर क्षेत्रीय कार्यशाला, 11-13 मार्च 2025, बैंकॉक, थाईलैंड।

- पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैव विविधता की निगरानी और रिपोर्टिंग पर उप-क्षेत्रीय संवाद (कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे का लक्ष्य -2), 2-5 सितंबर 2025, बैंकॉक, थाईलैंड।

- वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श पर सहायक निकाय की सत्ताईसवीं बैठक, 20-24 अक्टूबर 2025, पनामा सिटी, पनामा।

- आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों से संबंधित जैव विविधता पर सम्मेलन के अनुच्छेद 8, (ञ) और अन्य प्रावधानों पर सहायक निकाय की पहली बैठक, 27-30 अक्टूबर 2025, पनामा सिटी, पनामा

छ. प्रमुख प्रकाशन

भारत में जैव विविधता धरोहर स्थलों का संकलन 22 मई, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर जारी किया गया।

ञ. स्वायत्त निकाय-

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक निगमित निकाय है, जिसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार चेन्नई में 1 अक्टूबर 2003 में स्थापित किया गया। यह एक स्वायत्त, वैधानिक और नियामक संगठन है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करना है। जैव विविधता अधिनियम 2002 को वर्ष 2003 में लागू किया गया था। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य जैव संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का संरक्षण, सतत उपयोग और निष्पक्ष एवं समान बंटवारा करना है। इस अधिनियम को तीन स्तरीय संस्थागत संरचनाओं (राष्ट्रीय स्तर पर एनबीए, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- एनबीए के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  i. देश के जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना, ताकि जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके;

  ii. जैव विविधता से संबंधित स्थानीय समुदायों के ज्ञान का सम्मान और संरक्षण करना;

  iii. जैव संसाधनों के संरक्षक और जैव संसाधनों के उपयोग से संबंधित ज्ञान और जानकारी रखने वाले स्थानीय लोगों के साथ लाभों की वितरण सुनिश्चित करना;

  iv. जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करके उनका संरक्षण और विकास करना;

  v. संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास; समितियों के गठन के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की व्यापक योजना में राज्य सरकार की संस्थाओं की भागीदारी।

क्रम संख्या	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि	तृतीय पक्ष मूल्यांकन की स्थिति
1	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	प्रावधानों के अनुसार जैव विविधता अधिनियम, 2002 में	रुपये 9.50 करोड़ जारी किए गए (दिनांक 31.12.2025 तक)	सीएजी द्वारा संचालित

4.2 संरक्षण एवं सर्वेक्षण- III (जैव सुरक्षा) प्रभाग

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

- इस विभाग के कार्यक्षेत्र में जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के अंतर्गत जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (सीपीबी), देयता और निवारण पर नागोया-कुआला-लांपुर पूरक प्रोटोकॉल (एनकेएलएसपीएलआर) और आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के कार्य से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं।
- सीबीडी के अंतर्गत सीपीबी एक अंतरराष्ट्रीय समझौता

है, जिसका उद्देश्य आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित प्रबंधन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से उन जीवों पर लागू होता है, जो जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। इसे 29 जनवरी, 2000 को अपनाया गया था और यह 11 सितंबर, 2003 को लागू हुआ था।

- एनकेएलएसपीएलआर एलएमओ से संबंधित दायित्व और निवारण के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम और प्रक्रियाएँ स्थापित करके जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग का समर्थन करता है। इस पूरक प्रोटोकॉल को 15 अक्टूबर, 2010 को नागोया, जापान में आयोजित सीओपी-एमओपी-5 (सीओपी-एमओपी-5) सम्मेलन में अपनाया गया था। यह सीपीबी के विस्तार के रूप में 5 मार्च, 2018 को लागू हुआ।

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 1989 में अधिसूचित खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण से संबंधित नियम (नियम, 1989) के अनुसार, आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह समिति अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनर्संयोजकों (रिकॉम्बिनेंट्स) के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित क्रियाकलापों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करती है। यह समिति आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में छोड़ने से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षण भी शामिल हैं।

ख. संपन्न की गईं महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

दिनांक 01.01.2025 से, जीईएसी की पाँच बैठकें क्रमशः दिनांक 17.04.2025, 09.06.2025, 14.07.2025, 10.10.2025 और 18.12.2025 को आयोजित की गईं, जिनमें समिति ने निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किए:

i. जीएम फसलों के सीमित क्षेत्र परीक्षण

ईएसटी – 3

बीआरएल-I – 3

बीआरएल-II - 2

ii. जीईओ-09 का उपयोग करके इथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन को प्रारंभ करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई।

iii. इथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जीईओ का आयात -07.

ग. निरंतर समितियाँ/ आयोग

उपर्युक्त उल्लिखित आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति।

घ. महत्वपूर्ण सम्मेलन

- जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय परामर्श हेतु सहायक निकाय (एसबीएसटीटीए) नामक एक खुला अंतर-सरकारी वैज्ञानिक परामर्श निकाय स्थापित किया गया है। यह पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) तथा उपयुक्त होने पर, उसके अन्य सहायक निकायों को अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित समयोचित परामर्श प्रदान करता है।

- एसबीएसटीएए की 27वीं बैठक में, कार्य सूची की मद संख्या 7। जैव सुरक्षा प्रभाग से संबंधित जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन।

- इस विभाग ने पनामा सिटी, पनामा में 20-24 अक्टूबर 2025 को आयोजित वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह पर सहायक निकाय (एसबीएसटीएए) में भारत की स्थिति प्रस्तुत करने और उस पर बातचीत करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सहायता प्रदान की।

4.3 संरक्षण एवं सर्वेक्षण-II

सीएस-II विभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ संगठनों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के प्रशासन का प्रबंधन करता है। बीएसआई और जेडएसआई प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं, जो हमारे देश की अत्यंत समृद्ध वनस्पति और जीव-जंतु विविधता के सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

4.3.1 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई)

क. संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य और कार्य

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी, जिसके बाद से यह जीव-जंतु समुदायों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और वर्गीकरण संबंधी अध्ययनों के लिए समर्पित है। जेडएसआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र पूरे देश में फैले हुए हैं। प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

प्राथमिक उद्देश्य

1. भारत के विभिन्न राज्यों, पारिस्थितिकी तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों में जीव-जंतुओं की विविधता का अन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीकरण और निगरानी करना।
2. राष्ट्रीय प्राणी संग्रहों का रखरखाव एवं विकास
3. भारत के जीव-जंतुओं पर वर्गीकरण एवं क्रमबद्ध अध्ययन
4. संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की आवधिक समीक्षा
5. भारत के जीव-जंतुओं, राज्यों के जीव-जंतुओं और संरक्षण क्षेत्रों का प्रकाशन
6. प्रजातियों और समुदायों पर पारिस्थितिक और जैविक अध्ययन
7. भारत के जीव-जंतुओं के डेटाबेस का निर्माण और रखरखाव
8. जीव वर्गीकरण और संरक्षण में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
9. वन्यजीव फोरेंसिक और पहचान एवं शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों/संस्थाओं को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना
10. मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में संग्रहालय का विकास और रखरखाव
11. भारत के जीव-जंतुओं पर जीनोमिक अध्ययन

द्वितीयक उद्देश्य

1. प्रबंधन कार्य योजनाओं को तैयार करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव और जैव विविधता का आकलन
2. ईआईएसीपी वेबसाइट और सीआईटीईएस सेल का निर्माण और रखरखाव
3. अनुसंधान फैलोशिप, एसोसिएटशिप और एमेरिटस वैज्ञानिक कार्यक्रम
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जैव विविधता पर सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम
5. जीआईएस और अन्य उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके भारतीय जीव-जंतुओं का अध्ययन
6. राष्ट्रीय प्राणी संग्रह का डिजिटलीकरण
7. भारतीय जीव-जंतुओं की डीएनए बारकोडिंग
8. जीव-जंतुओं की विविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी

क. जेडएसआई के कार्य/शक्ति:

- जेडएसआई दुनिया के सबसे बड़े जीव-जंतु संग्रहों में से एक है, जिसमें 67 लाख जीव-जंतुओं के नमूने मौजूद हैं।
- प्रोटोज़ोआ से लेकर स्तनधारी वर्ग तक, जीव-जंतुओं

के विभिन्न समूहों पर मजबूत वर्गीकरण संबंधी विशेषज्ञता।

- भारत की जीव विविधता पर नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना।
- देश के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों से संबंधित नई खोजों के आंकड़ों को प्रति वर्ष 500-600 प्रजातियों की दर से अद्यतन किया जा रहा है।
- मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के संग्रहालयों में देश के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के विभिन्न जीव-जंतुओं के नमूनों का प्रदर्शन करना।
- देश में एकमात्र संगठन, जो जीव-जंतुओं के सभी समूहों के वर्गीकरण पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- डीएनए, फोरेंसिक अध्ययन और जीआईएस प्रयोगशालाओं का रखरखाव करना।
- एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय, जो प्राणी विज्ञान से संबंधित पुस्तकों और साहित्य का संग्रह करता है।
- प्रकाशनों का डिजिटल अभिलेखागार।
- प्रकारों का डिजिटलीकरण
- आउटरीच क्रियाकलाप
- अंतर-मंत्रालयी सेवाएँ
- अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहयोग
- जैव विविधता संरक्षण से संबंधित क्रियाकलापों में जेडएसआई का योगदान, जिसमें सीबीडी, एबीएस, डब्ल्यू(पी)ए, बीडीए, सीआईटीईएस, आईयूसीएन, डीजीक्यूआई आदि शामिल हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर 'एनिमल डिस्कवरीज 2025'एनिमल डिस्कवरीज 2025' पुस्तक का विमोचन किया।

ख. संपन्न महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- विभिन्न क्षेत्रों में 60,919.261 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करते हुए कुल 168 सर्वेक्षण पूर्ण किए गए, जिनमें लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण, वर्गीकरण संबंधी अध्ययन और विविध अन्वेषण शामिल हैं। कुल मिलाकर 1,74,957 नमूने एकत्र किए गए और 6974 प्रजातियों की पहचान की गई, जिनमें 1,564 कॉर्डेटा और 5,410 नॉन-कॉर्डेटा शामिल हैं।
- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रोटिस्टा से लेकर स्तनधारी वर्ग तक की कुल 6,938 प्रजातियों को राष्ट्रीय प्राणी संग्रह में जोड़ा गया।
- विभिन्न जीव-जंतु समूहों में कुल 117 नई प्रजातियों की खोज की गई।
- अरुणाचल प्रदेश से इंडो-बर्मी पैंगोलिन (*मैनिस इंडोबर्मनिका*) की खोज।
- भारतीय जीव-जंतुओं की सूची में 128 नए रिकॉर्ड जोड़े गए, जिनमें एककोशिकीय प्रोटिस्ट से लेकर उच्च कशेरुकी जीव शामिल हैं।
- बैक्टीरिया, कोलेम्बोला, कीट (लेपिडोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, कोलिओप्टेरा, ओडोनेटा, हाइमेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा, डिप्टेरा), मैलाकोस्ट्राका, मोलस्का, क्रस्टेशिया,

मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी सहित 567 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 1,352 डीएनए बारकोड बोल्ड और जेनबैंक में प्रस्तुत किए गए।

- जेडएसआई ने 1,017 प्रकाशनों का निर्माण किया, जिनमें 45 पुस्तकें, 242 एससीआई-अनुक्रमित पत्र, 208 एनएएएस-रेटेड पत्र, 77 सहकर्मी-समीक्षित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्र, 263 पुस्तक अध्याय, 118 भारत के जीव-जंतुओं की चेकलिस्ट, 58 लोकप्रिय लेख और ई-न्यूज़लेटर के छह अंक शामिल हैं।

- ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रारूप में कुल 218 प्रचार क्रियाकलाप आयोजित की गईं, जिनसे भारत भर में 11,690 से अधिक छात्रों और शोधकर्ताओं को लाभ हुआ।

- एमओईएफसीसी के तहत एक अधिकृत वन्यजीव फोरेंसिक प्राधिकरण के रूप में, जेडएसआई ने देशभर के 74 विभागों से प्राप्त 105 प्रजातियों से संबंधित 1,545 जब्त नमूनों का विश्लेषण किया।

- मच्छरों, कोलियोप्टेरन्स और प्रोटोज़ोआ को लक्षित करने वाले स्वचालित निगरानी प्रणालियों के लिए तीन पेटेंट प्रदान किए गए हैं, जो अनुप्रयुक्त जीव-जंतु निगरानी प्रौद्योगिकियों में नवाचार को दर्शाते हैं।

- जेडएसआई ने 196 संस्थानों/कॉलेजों को वर्गीकरण संबंधी पहचान सेवाएँ प्रदान कीं, जिसमें 1,005 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5,717 नमूनों की पहचान की गई। इनमें कीट, मछलियाँ, मोलस्क, मकड़ी, पक्षी, क्रस्टेशियन और कशेरुकी शामिल हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार हुआ, जिसमें प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों (लंदन, स्टॉकहोम, जिनेवा), इटली, रोमानिया और दक्षिण कोरिया के विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की गई और विश्व ओडोनाटा की नियमावली में योगदान दिया गया।

- जेडएसआई मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों ने स्वच्छता अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया और परिसरों और कार्यालय परिसरों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाए।

- जेडएसआई ने जागरूकता और संरक्षण क्रियाकलापों के माध्यम से मिशन लाइफ का पालन किया।

- जेडएसआई ने आईयूसीएन राष्ट्रीय रेड लिस्टिंग के लिए वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं का समर्थन किया।

- स्थानिक और अनुसूचित प्रजातियों सहित 61 प्रजातियों का मूल्यांकन पूरा किया गया।

ग. प्रगति/नवाचार

- प्रमुख वर्गीकरण समूहों में भारतीय जीव-जंतुओं के अंतर्गत 117 नई प्रजातियाँ खोजी गईं और 128 नए अभिलेख जोड़े गए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश से खोजी गई आनुवंशिक रूप से विशिष्ट नई इंडो-बर्मी पैंगोलिन प्रजाति (*मैनिस इंडोबर्मनिका*) भी शामिल है।

- पुस्तकों, एससीआई-अनुक्रमित पत्रों, एनएएएस-रेटेड पत्रों, पुस्तक अध्यायों, चेकलिस्टों और लोकप्रिय लेखों सहित 1,017 वैज्ञानिक प्रकाशन तैयार किए गए।

- बोल्ड और जेनबैंक में जमा की गई 567 प्रजातियों के 1,352 डीएनए बारकोड के साथ डिजिटल अनुक्रम सूचना को मजबूत किया गया, जिससे आणविक संदर्भ संसाधनों में वृद्धि हुई।

- मिशन लाइफ और स्वच्छता अभियान 5.0 के तहत व्यापक संरक्षण अभियान चलाया गया है, जिसमें 600 पौधों का रोपण, राष्ट्रव्यापी श्रमदान क्रियाकलाप, 16 राज्यों में 20 विषयगत कार्यक्रम और 218 आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। इनसे 11,690 से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।

- 10 वैज्ञानिकों को आईयूसीएन रेड लिस्ट का प्रशिक्षण, 61 प्रजातियों के आकलन की पूर्णता तथा 47 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति एजेंडों पर विशेषज्ञ योगदान के माध्यम से नीति समर्थन को सुदृढ़ किया गया।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

- अब तक, जेडएसआई द्वारा लगभग 1,04,561 प्रजातियों के जानवरों को प्रलेखित किया जा चुका है। निर्धारित अवधि के दौरान, जेडएसआई मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा कुल 6,974

प्रजातियों की पहचान की गई है।

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुल 7,237 वैज्ञानिक प्रकाशन पूरे किए गए हैं।

- डीएनए बारकोड संसाधनों को समृद्ध करने और वर्गीकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने में जेडएसआई एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 13,742 बारकोड जेनरेट किए जा चुके हैं।

- जेडएसआई की स्थापना के बाद से, इसके वैज्ञानिकों ने 5,820 नई प्रजातियों का वर्णन किया है।

ड. सतत समितियाँ/आयोग

- अनुसंधान सलाहकार एवं निगरानी समिति (आरएएमसी): यह सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है और वर्ष में दो बार जेडएसआई की प्रगति की समीक्षा करता है।

- वैज्ञानिक सलाहकार समिति: वैज्ञानिक क्रियाकलापों और प्रगति की समीक्षा के लिए मासिक बैठक होती है।

- अर्धवार्षिक वैज्ञानिक प्रगति समिति: विभिन्न विभागों में मध्य वर्ष की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है।

- वार्षिक वैज्ञानिक प्रगति समिति: संस्थान-व्यापी वार्षिक वैज्ञानिक परिणामों की समीक्षा और सत्यापन करता है।

च. महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

- 'आक्रामक विदेशी जीव-जंतुओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया गया।

- जीव-जंतुओं के संग्रह, संरक्षण और पहचान पर प्रशिक्षण कार्यशालाएँ, जिनमें मीठे पानी की मछलियाँ, कीड़े-मकोड़े और प्राणीशास्त्रीय नमूने शामिल हैं।

- जेडएसआई वैज्ञानिकों के लिए आईयूसीएन रेड लिस्ट मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला।

- सामाजिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीटों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

- भारत के संरक्षित जानवरों, मच्छरों के वर्गीकरण और निगरानी और डीएनए बारकोडिंग पर प्रशिक्षण सत्र।

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

- जेडएसआई ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 9-15 अक्टूबर 2025 को आयोजित आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में भाग लिया।

- वैज्ञानिकों ने आईयूसीएन रेड लिस्ट की बैठकों, नीतिगत परामर्शों और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, लंदन, एनएचएमएस, स्टॉकहोम और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जिनेवा सहित वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान चर्चाओं में भाग लिया।

छ. अंतर्राष्ट्रीय समझौते, देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते

अंतरराष्ट्रीय संगठन

- यूनाइटेड किंगडम – एनएचएम लंदन: घोंघे, कीड़े, सरीसृप, हिमालयी परागणकर्ता और काइरोप्टेरा चमगादड़ जैसे जीवों पर निरंतर सहयोग जारी रहा; वैज्ञानिक होलोटाइप अध्ययन और वर्गीकरण संबंधी अनुसंधान के लिए दौरा करते रहे।

- स्वीडन – एनएचएमएस स्टॉकहोम: हेमिप्टेरा होलोटाइप और नई प्रजातियों के रिकॉर्ड पर सहयोग।

- स्विट्जरलैंड – एनएचएम जिनेवा: चमगादड़ वर्गीकरण (काइरोप्टेरा) पर चल रहा सहयोग।

- आईयूसीएन रेड लिस्ट यूनिट: प्रजातियों के आकलन और नीतिगत समर्थन के लिए निरंतर सहयोग।

राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन

जेडएसआई ने निम्नलिखित कंपनियों के साथ सक्रिय समझौता ज्ञापनों को जारी रखा:

- आईसीएआर-केंद्रीय मीठा जल मत्स्य पालन संस्थान, भुवनेश्वर
- बरहामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा
- आईसीएआर-एनबीएयर, बेंगलुरु
- विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर
- बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बीआईटीएस), पिलानी
- कोंगुनाडु कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, तमिलनाडु
- अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
- विवेकानंद शैक्षणिक संस्थान, तमिलनाडु

ज. प्रमुख प्रकाशन

- राष्ट्रीय आधारभूत जैव विविधता प्रलेखन प्रयास के अंतर्गत, इस अवधि के दौरान भारत के जीव-जंतुओं की 121 चेकलिस्ट प्रकाशित की गईं।
- एनिमल डिस्कवरीज़ 2025 - नई प्रजातियाँ और नए रिकॉर्ड: पूर्वी घाट, भारत की जीव विविधता
- उत्तराखंड के सोननाडी वन्यजीव अभ्यारण्य के जीव-जंतु
- चिलिका झील की जीव विविधता
- पश्चिमी घाट के उभयचरों पर वर्गीकरण संबंधी अध्ययन
- अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र जल निकासी क्षेत्र में स्थित सियांग नदी की मछलियाँ
- भारत में मीठे पानी के कछुओं का वितरण और उपस्थिति
- भारतीय जंपिंग स्पाइडर (एरेनिए: साल्टिसिडी) की सूची
- उत्तर-पश्चिमी भारत के मीठे पानी के कछुओं और स्थलीय कछुओं के लिए फील्ड मार्गदर्शिका
- राजस्थान के जीव-जंतु – भाग 1: अकशेरुकी

एक सींग वाला गैंडा (*राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस लिनिअस*, 1758)

व्हाइटस्पॉटेड ईगल रे *एटोबैटस ओसेलैटस* (कुहल, 1823)

सुंदरबन जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र का मैंग्रोव आवास

4.3.2 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई)

क. संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य और कार्य

परिचय:

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत सर्वोच्च वर्गीकरण अनुसंधान संगठन है। इसे 13 फरवरी, 1890 को स्थापित किया गया था। इसकी प्राथमिक भूमिका भारत के व्यापक पादप संसाधनों की खोज, पहचान और प्रलेखन करना है। बीएसआई हर्बारिया संग्रहों में प्रामाणिक पादप संग्रहों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, उन्नत वर्गीकरण अनुसंधान को बढ़ावा देता है और पादप संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्थान-बाह्य संरक्षण के अंतर्गत स्थानिक, संकटग्रस्त तथा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों के संरक्षण में भी सक्रिय रूप से संलग्न है। बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है। यह 21 क्षेत्रीय केंद्रों, इकाइयों और वनस्पति उद्यानों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उपस्थिति बनाए हुए है।

बीएसआई कई राष्ट्रीय सुविधाओं का भी रखरखाव करता है, जैसे कि हर्बेरियम जिसमें लगभग 36 लाख हर्बेरियम नमूने शामिल हैं; वर्गीकरण संबंधी अध्ययनों के लिए कोलकाता/हावड़ा, शिलांग, पुणे, देहरादून, कोयंबटूर और इलाहाबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अनुसंधान प्रयोगशालाएँ; वस्त्र डिजाइन (1050 नमूने), प्राकृतिक रंग (3000), वानस्पतिक चित्र (5800), अभिलेखीय दस्तावेज़ (60,000), पांडुलिपियाँ, पत्राचार और वाट लेजर आदि के संग्रह वाला डिजिटल अभिलेखागार; 20,000 से अधिक प्रदर्शनों के साथ औद्योगिक और नृजातीय-वनस्पति संग्रह; एक लाख से अधिक सूचीबद्ध पुस्तकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लगभग 75 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पादप वर्गीकरण पत्रिकाओं की सदस्यता वाला पुस्तकालय।

उद्देश्य और कार्य

दृष्टि:

भारत की वनस्पति, कवक और शैवाल संपदा को पूरी तरह से समझा जाए और प्रलेखित किया जाए; और मानव कल्याण के लिए इसके सतत उपयोग का समर्थन करने के लिए ज्ञान साझा किया जाए।

उद्देश्य:

देश के सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विकास और पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से वन्य वनस्पति संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना, जिसमें उनका सतत उपयोग भी शामिल है।

वर्तमान जनादेश:

- भारत में वनस्पति विविधता का अन्वेषण, सूचीकरण और प्रलेखन।
- आधुनिक वर्गीकरण/वंशानुगत उपकरणों का उपयोग करते हुए विभिन्न पादप समूहों का पुनरीक्षणात्मक/एकलशास्त्रीय/व्यवस्थितीय अध्ययन।
- संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान और उनका संरक्षण।
- वनस्पति उद्यानों, संग्रहालयों और वनस्पति संग्रहों का विकास और रखरखाव करना।
- पौधों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय वनस्पतियों, चेकलिस्टों और ई-वनस्पति सूचियों का प्रकाशन।
- भारतीय वनस्पतियों और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना।
- पादप वर्गीकरण में क्षमता निर्माण।
- भारतीय वनस्पति संपदा पर जन जागरूकता और विस्तार क्रियाकलाप।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- बीएसआई ने 13 फरवरी, 2025 को कोलकाता में अपना 136वाँ स्थापना दिवस मनाया और 13-15 फरवरी, 2025 तक पादप वर्गीकरण, नृजातीय वनस्पति विज्ञान, वनस्पति उद्यान और जैव विविधता

संरक्षण पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (आईएसपीटीईबीजी एंड बीसी 2025) की मेजबानी की। यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 520 प्रतिभागियों के लिए पादप वर्गीकरण, संरक्षण तकनीकों और नृजातीय वनस्पति विज्ञान संबंधी अध्ययनों में अनुसंधान और व्यावहारिक अनुभवों को साझा करने के लिए एक प्रमुख मंच बना।महाराष्ट्र में 21-23 जनवरी, 2025 और उत्तराखंड में 5-7 मार्च, 2025 के दौरान जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए एक तीन दिवसीय प्रायोगिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ और कार्यशालाएँ:

  - बीएसआई-आईएसआईएम, कोलकाता द्वारा वीवर्स स्टूडियो और बांग्लादेश संग्रहालयों के साथ संयुक्त रूप से कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में 30 जनवरी से 24 फरवरी, 2025 तक एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन का आयोजन किया गया।

  - कोलकाता स्थित बीएसआई-आईएसआईएम द्वारा फरवरी 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल के बाली द्वीप समूह में 'प्राकृतिक रंगों के निष्कर्षण और अनुप्रयोग' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूके के ससेक्स विश्वविद्यालय और एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ साझेदारी की गई।

- विशेषीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:

3 से 7 फरवरी 2025 के दौरान हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका के डॉ. के. एन. गांधी के मार्गदर्शन में, वनस्पति नामकरण पर एक पाठ्यक्रम बीएसआई-एसएचआरसी, गंगटोक द्वारा आयोजित किया गया।

  - 'अरुणाचल वर्गीकरण शिखर सम्मेलन' शीर्षक से एक दिवसीय कार्यशाला: 'वर्तमान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में वनस्पतियों और जीवों का अनावरण' का आयोजन बीएसआई-एपीआरसी, इटानगर द्वारा नाबार्ड के सहयोग से किया गया था।

  - बीएसआई-एजेडआरसी, जोधपुर द्वारा 'पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के पुष्पीय तत्वों का वर्गीकरण और पारिस्थितिकी तथा विभिन्न पादप समूहों के वर्गीकरण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- वर्गीकरण एवं संरक्षण कार्यशालाएँ:

  - 'हर्बेरियम बनाने की कला और विज्ञान' शीर्षक से एक दिवसीय कार्यशाला: हैदराबाद स्थित बीएसआई-डीआरसी द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बेगमपेट के सहयोग से 13 मार्च, 2025 को एक व्यावहारिक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

  - आईयूसीएन भारत और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित आईयूसीएन रेड लिस्ट आकलनकर्ता प्रशिक्षण कार्यशालाएँ, बीएसआई और जेडएसआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थीं। ये कार्यशालाएँ बीएसआई-सीएनएच, हावड़ा में 26–30 अगस्त 2024 और 12–15 दिसंबर 2024 तथा बीएसआई-एनआरसी, देहरादून में 23–29 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थीं।

- पर्यावरण जागरूकता पहल:

  - 'मिशन लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) पहल के तहत, सूर्या, भारत के सहयोग से, पोर्ट ब्लेयर स्थित बीएसआई-एएनआरसी में 'हमारे पर्यावरण के बदलते प्रतिमान' पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया।

ग. प्रगति/नवाचार

नई खोजें: बीएसआई ने प्लांट डिस्कवरीज 2024 को प्रकाशित किया, जो एक महत्वपूर्ण सूची है। इसमें भारतीय वनस्पति में 1 कुल, 10 वंश, 410 प्रजातियाँ और 23 अधो-प्रजातीय टैक्सा जोड़े गए हैं। इन खोजों में से 245 विज्ञान के लिए पूरी तरह से नई थीं, जबकि 188 ने देश के भीतर वितरण

के नए रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें बीज वाले पौधों और कवक ने नवीनताओं में अधिकतम (36%) योगदान दिया। इन निष्कर्षों के अनुसार भारत में दर्ज कुल पादप विविधता अब 56,177 टैक्सा हो गई है। इसमें 22,368 एंजियोस्पर्म, 15,986 फंगी, 9,117 शैवाल, 3,151 लाइकेन, 2,850 ब्रायोफाइट, 1,325 ऐरिडोफाइट, 1,297 सूक्ष्मजीव और 83 जिम्नोस्पर्म शामिल हैं।

डिजिटलीकरण के अंतर्गत , बीएसआई "इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम" (https://ivh.bsi.gov.in/), ई-प्लांट चेकलिस्ट ऑफ इंडिया और ई-फ्लोरा ऑफ इंडिया (https://efloraindia.bsi.gov.in/), ई-आर्काइव्स (https://archive.bsi.gov.in/), रेयर बुक्स (https://bsi.gov.in/page/en/rare-books), जर्नल नेलुम्बो (http://nelumbo-bsi.org), मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस (https://bsi.gov.in/page/en/medicinal-plant-database) आदि जैसे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का रखरखाव करता है, जो वनस्पति विज्ञान समुदाय के लिए महत्वपूर्ण ऑनलाइन संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और देश में वर्गीकरण अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कुल 40,503 हर्बेरियम शीटों का सफलतापूर्वक डिजिटलीकरण किया गया, 88,056 संबंधित मेटाडेटा रिकॉर्ड सावधानीपूर्वक तैयार किए गए और ऑनलाइन अभिलेखागार में एकीकृत किए गए।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियों को इस प्रकार चिह्नित किया जा सकता है:

- वनस्पति सर्वेक्षण, संग्रह और पहचान: बीएसआई ने 80 अलग-अलग अनुसंधान पहलों के तहत देश के विविध पादप-भौगोलिक क्षेत्रों में 88 पुष्प सर्वेक्षण और स्थानीय दौरे आयोजित किए। भारत के विभिन्न हर्बेरियम में तीन हर्बेरियम परामर्श यात्राएँ (एचसीटी) भी आयोजित की गईं। संदर्भ अवधि के दौरान, इन संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप विभिन्न पादप श्रेणियों में 4,922 पुष्प नमूनों का संग्रह और सटीक पहचान की गई।

- स्थान-बाह्य संरक्षण : बीएसआई ने सक्रिय रूप से लगभग 673 पौधों की प्रजातियों को एकत्र किया, उनका गुणन किया और उन्हें अपने वनस्पति उद्यानों के नेटवर्क में शामिल किया। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में औषधीय पौधों और जंगली खाद्य फलों के नए अनुभाग स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, एक वर्गीकरण उद्यान और एक संवेदी उद्यान की शुरुआत की गई है। हावड़ा स्थित केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम (सीएनएच) में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रयोगशाला और मशरूम प्रयोगशाला जैसी नई सुविधाएँ स्थापित की गई हैं।

ड. सतत समितियाँ / आयोग –

- बीएसआई अनुसंधान सलाहकार एवं निगरानी समिति (आरएएमसी) की 14वीं बैठक 18 से 20 अप्रैल, 2025 तक हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित की गई।

च. भारत में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संरक्षण मंचों पर बीएसआई का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने जैव विविधता प्रलेखन और नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

- डॉ. एस. एस. दास, वैज्ञानिक-एफ एवं प्रभारी, तकनीकी अनुभाग, बीएसआई-मुख्यालय, ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में अबू धाबी में आयोजित आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, भारत ने अपनी राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और दृष्टि 2025-2030 की शुरुआत की, जो देश की समृद्ध जैव विविधता के व्यापक मूल्यांकन और संरक्षण के लिए विज्ञान-आधारित ढांचों पर जोर देने वाली एक ऐतिहासिक पहल है।

- डॉ. अविषेक भट्टाचार्य, वैज्ञानिक-ई, बीएसआई-सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, हावड़ा ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर, 2025 तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित सीआईटीईएस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-20) की 20वीं बैठक में भाग लिया।

छ. विदेश मंत्रालय (एमईए), देशों के साथ समझौते, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अनुपालन।

बीएसआई ने तीन नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके अपने सहयोगी अनुसंधान नेटवर्क का विस्तार

किया है। ये समझौते उड़ीसा के बरहामपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता की ग्रीन फॉर लाइफ फाउंडेशन, तथा यूनाइटेड किंगडम के एडिनबरा स्थित प्रतिष्ठित रॉयल बॉटैनिक गार्डन के साथ किए गए। इनके माध्यम से भविष्य के वैज्ञानिक सहयोग और संयुक्त अनुसंधान पहलों के लिए साझेदारियों को औपचारिक रूप दिया गया।

ज. प्रमुख प्रकाशनों की सूची

संदर्भित अवधि के दौरान, बीएसआई ने फ्लोरा ऑफ इंडिया के 11 खंड प्रकाशित किए (खंड 8, 11, 14, 16, 19, 21, 27, 28, 30, 31, 32)। राज्य वनस्पति प्रकाशनों का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए तीन-तीन खंड प्रकाशित किए गए हैं। बीएसआई ने "भारत के 400 जंगली मशरूम, एक सचित्र क्षेत्र मार्गदर्शिका" नामक समेकित पहचान संसाधन भी तैयार किया है। इसे शोधकर्ताओं और छात्रों को उपस्थिति के आधार पर, खाद्य और गैर-खाद्य मशरूम के बीच अंतर करने में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

शीघ्र प्रकाशन हेतु निर्धारित नए शीर्षक:

- भारत वृक्ष - ट्रीज़ ऑफ़ इंडिया (दो खंड), जो भारत की वृक्ष संपदा को दर्शाएगा।
- बॉटनिकल पेंटिंग्स , एक कॉफी टेबल बुक है, जो स्वतंत्रतोत्तर काल के भारतीय वनस्पति कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित करती है।
- अमेज़िंग अंटार्कटिका (साइनोप्रोकार्योट्स और एल्गी) - यह पुस्तक लार्समैन हिल्स क्षेत्र में प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभियान के बाद वहाँ के सूक्ष्मजीवी जीवन पर पहली बार विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

ऐस्काइनैंथस चायंगताजोएन्सिस (चौल्लू) ए एंड एन द्वीपों से बायोल्यूमिनेसेंट फंगस माइसिना प्रजाति

सेंट्रान्थेरा ग्रैंडिफ्लोरा (*बेंथ*) (सैलिस्ब.), स्काउटिंग

स्मोस चिनेंसिस (लौर)

लैगस्ट्रोमिया पार्विफ्लोरा (*रॉक्सब.*) - लाइथ्रेसी कुल

बायोल्यूमिनसेंट कवक *माइसेना* एसपी

कर्कुमा एरोमैटिका

होया लैंसिओलेटा (वॉल)

4.3.3 वनस्पति उद्यान सहायता (एबीजी) कार्यक्रम

एबीजी कार्यक्रम का परिचय और उद्देश्य:

भारत जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) का हस्ताक्षरकर्ता है। यह अनुच्छेद 6, 7, 12 और 15 में उल्लिखित अपने बाह्य संरक्षण लक्ष्यों को एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1992 में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "वनस्पति उद्यानों को सहायता (एबीजी)" नामक अनुदान सहायता कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम विभिन्न वनस्पति-भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित बॉटैनिकल गार्डनों को संकटग्रस्त और स्थानिक पादपों के स्थान-बाह्य संरक्षण और प्रवर्धन में सहायता देने के लिए शुरू किया गया। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त, आर्थिक और उच्च-मूल्य वाली प्रजातियों के बड़े पैमाने पर प्रवर्धन को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस कार्यक्रम की क्रियाकलापों में प्रदर्शन और ज्ञान का प्रसार, जीवित सामग्रियों और बीजों का आदान-प्रदान, संरक्षण उद्देश्यों के लिए विभिन्न वनस्पति उद्यानों के बीच संबंध स्थापित करना और अनुकूलन क्षमता का अध्ययन करने के लिए पौधों पर आधारित अनुसंधान करना भी शामिल है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से, वनस्पति उद्यानों का रखरखाव करने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत कर सकें। यह धनराशि संकटग्रस्त और स्थानिक पौधों की प्रजातियों के संरक्षण और प्रसार को सुगम बनाती है और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करती है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न पादप-भौगोलिक क्षेत्रों में बाह्य संरक्षण के लिए रेफरल मॉडल केंद्र स्थापित करना है। इसके लिए, अग्रणी और छोटे वनस्पति उद्यानों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इन उद्यानों का उद्देश्य प्रमुख नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करना है, जो ज्ञान और पहचाने गए पौधों की सामग्री के आदान-प्रदान के लिए अंतर्संबंध विकसित करते हैं, जिससे अंततः कमजोर पौधों की आबादी का सतत रखरखाव सुनिश्चित होता है।

इस योजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. क्षेत्र-विशेष से संबंधित पहचानी गई संकटग्रस्त और स्थानिक पादप प्रजातियों का स्थान-बाह्य संरक्षण और प्रवर्धन।

2. फसल पौधों के चयनित जंगली निकटवर्ती के लिए स्थान-बाह्य संरक्षण प्रयासों का संचालन।

3. बड़े पैमाने पर गुणन के लिए नर्सरियाँ स्थापित करना और प्रत्येक प्रजाति के लिए विशिष्ट पादप प्रसार तकनीक विकसित करना।

4. चिन्हित बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, आवश्यक संरक्षण उपकरण प्राप्त करना और उद्यान रखरखाव के लिए पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करना।

5. अन्य वनस्पति उद्यानों और संस्थानों के साथ गुणनित पौधों की सामग्री का वितरण और आदान-प्रदान करना।

6. पौधों की विविधता के साथ-साथ संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों के बारे में जन शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मौसमी कार्यक्रमों और विषय-आधारित क्रियाकलापों का आयोजन करना।

प्रगति/उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बीएसआई (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण) ने "वनस्पति उद्यानों को सहायता" कार्यक्रम के तहत देश भर के 14 वनस्पति उद्यानों को स्सहायता देने के लिए कुल ₹1,49,86,168/- जारी किए।

संरक्षण प्रयासों में क्षेत्रीय अन्वेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हावड़ा के शिबपुर स्थित एजेसी बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में एक अभियान चलाया। उन्होंने सतारा जिले से *एपोनोगेटन सैटारेन्सिस* के स्वस्थ कंदों को सफलतापूर्वक एकत्र किया। इन कंदों को सावधानीपूर्वक साफ किया गया, काई में लपेटकर पैक किया गया और आगे के अध्ययन एवं प्रसार के लिए वापस बगीचे में ले जाया गया। वहाँ पहुँचने पर, *एपोनोगेटन सैटारेन्सिस* के लिए इष्टतम विकास स्थितियों का निर्धारण करने के लिए एक प्रायोगिक परिक्षण शुरू किया गया। कंदों को छह विभिन्न माध्यम संरचनाओं में रोपा गया: कीचड़, रेत, लेटराइट पत्थरों के साथ रेत, लेटराइट पत्थरों के साथ लाल मिट्टी, लेटराइट पत्थरों के साथ कीचड़, तथा रेत, लाल मिट्टी, वर्मीकम्पोस्ट, कोकोपीट और कीचड़ का समग्र मिश्रण (20:20:20:20:20 के अनुपात में)। प्रारंभिक अवलोकन से पता चलता है कि लेटराइट चट्टान माध्यम वाली लाल मिट्टी, सादी मिट्टी और रेत, लाल मिट्टी, मिट्टी, वर्मीकम्पोस्ट और कोकोपीट के जटिल मिश्रण से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए भी इसी प्रकार के प्रसार प्रयोग चल रहे हैं, जिनमें *गार्सिनिया इंडिका* और *क्रेमा अंडमानिका* शामिल हैं। इन चल रहे अनुसंधान और प्रसार क्रियाकलापों का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किए गए हैं, जिसमें पॉली हाउस के अंदर एक फॉगर सिस्टम और चेन-लिंक्ड नर्सरी बेड स्टैंड की स्थापना शामिल है।

संरक्षण प्रयासों में व्यापक नेटवर्किंग और सहयोग भी शामिल है। ग्रीन अहल्या ने अपनी पौध संग्रहण पहलों के तहत, दक्षिण भारत भर में कई प्रमुख नर्सरियों और अनुसंधान संस्थानों का दौरा किया ताकि रोपण सामग्री प्राप्त की जा सके और एक महत्वपूर्ण जर्मप्लाज्म बैंक विकसित करने के लिए उपलब्धता की जांच की जा सके। जिन स्थानों का दौरा किया गया उनमें केएफआरआई नर्सरी, केएयू (केरल कृषि विश्वविद्यालय) नर्सरी, पट्टिकड में रायिरथ गार्डन, बैंगलोर में टीडीयू-एफआरएलएचटी, आईआईएचआर बैंगलोर और आईएफजीटीबी कोयंबटूर शामिल थे। आईसीएफआरई - वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी) में 22 मई 2025 को जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस स्मृति-स्वरूप ताड़ पौधारोपण कार्यक्रम के साथ मनाया गया। संस्थान ने सूचना प्रसार को बढ़ाने के लिए कई वृक्ष प्रजातियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड बनाकर आधुनिक तकनीक को भी अपनाया है।

क्षेत्रीय संस्थान, दोनों खोज और व्यावहारिक संरक्षण विधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गुजरात के वडोदरा स्थित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा ने हाल ही में किए गए एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान वलसाड के ओझर गांव में कैंसजेरा रीडी की एक नई आबादी की खोज की, जिससे गुजरात के भीतर इस प्रजाति के ज्ञात वितरण का प्रभावी रूप से विस्तार हुआ है। विश्वविद्यालय ने तने की कलमों का उपयोग करके *कॉमिफोरा स्टॉक्सियाना* का सफल प्रसार भी हासिल किया, जो इसके संरक्षण और संभावित बड़े पैमाने पर गुणन के लिए एक व्यावहारिक और कुशल दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान महोत्सव 2025 के दौरान एक अनूठी जागरूकता पहल का आयोजन किया गया। लुप्तप्राय ताड़ प्रजाति हाइफेने डाइकोटोमा के बीज भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 210 प्रतिभागियों और गणमान्य व्यक्तियों को वितरित किए गए। यह पहल एक स्मरणीय स्मृति-चिह्न के रूप में रही और पौध संरक्षण तथा जन-

जागरूकता को बढ़ावा देने के उत्सव के मूल उद्देश्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी।

विभिन्न प्रजातियों के लिए व्यावहारिक प्रसार तकनीकों को लगातार परिष्कृत किया जा रहा है। 21 मार्च 2025 को सापुतारा से एकत्र किए गए *बॉम्बैक्स इंसिग्ने* के बीजों को हवा में सुखाया गया और अंकुरण के लिए शुरू करने से पहले सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में संग्रहीत किया गया। इस प्रक्रिया में अच्छी जल-निकासी वाले पॉटिंग मिश्रण से भरे नर्सरी पॉलीबैगों में सीधे बीज बोए गए।

पश्चिमी घाट से *सिज़िगियम स्टॉक्सी* (डुथी) गैंबल के पौधों का संग्रह

संरक्षण के लिए प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस

स्कूल के छात्रों के लिए प्रवर्धन विधियों का प्रदर्शन करते हुए प्रशिक्षण सत्र

स्कूल के छात्रों के लिए प्रवर्धन विधियों का प्रदर्शन करते हुए प्रशिक्षण सत्र

बॉम्बेक्स इनसिग्ने के लिए तैयार पौधे

त्वरित प्रतिक्रिया कोड

4.4 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र

विभाग का नाम: संरक्षण एवं सर्वेक्षण - I (जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र) प्रभाग

क. विभाग का संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य और कार्य

जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र ऐसे विस्तृत परिदृश्य होते हैं, जो स्थलीय तथा तटीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों या इनके संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के ढांचे के अंतर्गत नामित किया गया है। जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों और स्थानीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसके अभिन्न घटकों में से एक है।

जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र को निम्नलिखित तीन परस्पर संबंधित क्षेत्रों में सीमांकित किया गया है :

i. मुख्य क्षेत्र - भूदृश्यों, पारिस्थितिक तंत्रों, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए कड़ाई से संरक्षित क्षेत्र।

ii. बफर क्षेत्र - मुख्य क्षेत्र को घेरे रहता है; इसका उपयोग अनुसंधान, शिक्षा और सतत विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए किया जाता है।

iii. संक्रमण क्षेत्र - सबसे बाहरी भाग; यह सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देता है।

मानव और जीवमंडल (एमएबी) कार्यक्रम यूनेस्को की एक प्रमुख अंतरसरकारी वैज्ञानिक पहल है, जिसे 1971 में अंतःविषयक अनुसंधान, क्षमता निर्माण और नीतिगत सलाह के माध्यम से लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। एमएबी कार्यक्रम जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में योगदान देता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सीएस । (जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र) प्रभाग 'जैव विविधता संरक्षण' नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना का संचालन करता है, जो 'प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण' नामक एक व्यापक योजना के अंतर्गत एक उप-योजना है। इस योजना के तहत, प्रभाग उन राज्यों को अनुदान सहायता प्रदान करके जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र (यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के ढांचे के तहत नामित) का समर्थन करता है, जहां जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं, ताकि उनके प्रबंधन योजना में निर्दिष्ट संरक्षण और विकास क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, मंत्रालय लागत साझाकरण के आधार पर राज्यों को अनुदान सहायता प्रदान करता है, यानी 60:40 (केंद्रीय: राज्य) अन्य राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र : राज्य) तथा उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 (केंद्र : राज्य)।

भारत में जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों की सूची

क्रम संख्या	बीआर का नाम	पदनाम का वर्ष	डब्ल्यूएनबीआर में शामिल होने का वर्ष	राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
1	नीलगिरी*	1986	2000	तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक	5520
2	नंदा देवी*	1988	2004	उत्तराखंड	6407.03
3	नोक्रेक*	1988	2009	मेघालय	820
4	मन्नार की खाड़ी*	1989	2001	तमिलनाडु	10500
5	सुंदरबन*	1989	2001	पश्चिम बंगाल	9630
6	मानस	1989		असम	2837
7	ग्रेट निकोबार*	1989	2013	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	885
8	सिम्लिपाल*	1994	2009	उड़ीसा	5569
9	दिब्रू–सैखोवा	1997		असम	765
10	देहांग-दिबांग	1998		अरुणाचल प्रदेश	5111.50
11	पचमढ़ी *	1999	2009	मध्य प्रदेश	4981.72
12	खांगचेंदज़ोंगा*	2000	2018	सिक्किम	2931.12
13	अगस्त्यमलाई*	2001	2016	केरल, तमिलनाडु	3500
14	अचानकमार-अमरकंटक*	2005	2012	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	3835.46
15	कच्छ का महान रण	2008		गुजरात	12454
16	शीत रेगिस्तान*	2009	2025	हिमाचल प्रदेश	7770
17	शेषाशलम्	2010		आंध्र प्रदेश	4755.58
18	पन्ना*	2011	2020	मध्य प्रदेश	2998.98

**विश्व जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में शामिल*

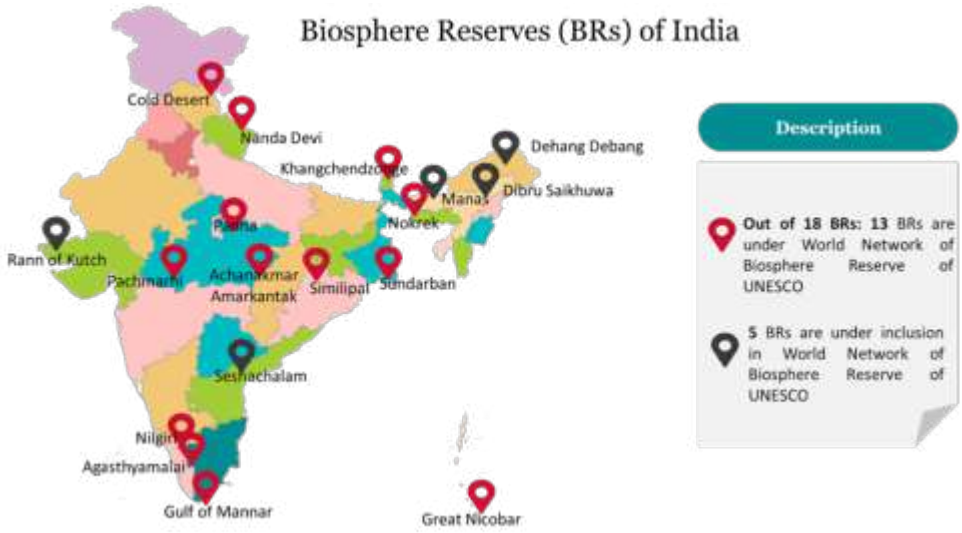

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022–23 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों हेतु एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) लागू की जा रही है। यह योजना चार चिन्हित जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों, अर्थात् नंदा देवी (उत्तराखंड), पचमढ़ी (मध्य प्रदेश), देहांग–दिबांग (अरुणाचल प्रदेश) और अगस्थ्यमाला (केरल एवं तमिलनाडु) में लागू की जा रही है। मंत्रालय उक्त अवधि में उक्त पांच राज्यों को जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों के लिए आईएमपी के कार्यान्वयन हेतु निधि उपलब्ध कराता है।

- एक नोडल बिंदु के रूप में, मंत्रालय ने नंदा देवी, सिमलीपाल, पचमढ़ी, नोकरेक, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अचानकमार-अमरकंटक और सुंदरबन सहित आठ जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों के लिए दस वर्षीय आवधिक समीक्षा रिपोर्ट यूनेस्को, पेरिस स्थित एमएबी सचिवालय को उनके विचारार्थ प्रस्तुत की है।

- इसके अतिरिक्त, देहांग-दिबांग और शीत रेगिस्तान को विश्व जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल करने के लिए दो प्रस्ताव भी यूनेस्को के एमएबी सचिवालय को विचारार्थ प्रस्तुत किए गए हैं। शीत रेगिस्तान को यूनेस्को के विश्व जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है।

- राज्य सरकारों से जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किए जाने वाले नए क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया है।

- 26-28 सितंबर, 2025 के दौरान चीन में आयोजित आईसीसी-एमएबी बैठक में भागीदारी।

ग. प्रगति/नवाचार

मध्य प्रदेश राज्य से कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ क्षेत्रों को जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए तीन नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों को आईसीसी-एमएबी के अगले सत्र में विचार हेतु यूनेस्को के एमएबी सचिवालय को प्रस्तुत किया गया।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

- वर्ष 2025 में चीन में आयोजित आईसीसी-एमएबी बैठक के दौरान, शीत रेगिस्तान जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के विश्व जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया, जो भारत की ओर से एक नया जुड़ाव है। भारत के पास अब यूनेस्को के विश्व जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में 13 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक संख्या है।

शीत रेगिस्तानी जीवमंडल रिज़र्व

इस प्रभाग के अंतर्गत योजना/कार्यक्रम-

क. योजना का नाम: जैव विविधता संरक्षण योजना

- 'जैव विविधता संरक्षण' योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्राकृतिक संसाधनों और पारितंत्र का संरक्षण नामक केंद्र प्रायोजित छत्र योजना के अंतर्गत एक उप-योजना है। इस योजना के तहत, यूनेस्को के 'मानव और जीवमंडल कार्यक्रम' के ढांचे के अंतर्गत नामित जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लक्षित लाभार्थी मुख्य रूप से जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भर आबादी हैं। यह योजना संरक्षण से संबंधित अन्य योजनाओं से अलग है और इसका मुख्य उद्देश्य बफर और संक्रमण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पूरक और वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करके स्थानीय निवासियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि कोर जोन के प्राकृतिक भंडारों की जैव विविधता पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 से, चार चिन्हित जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों, अर्थात् नंदा देवी (उत्तराखंड), पचमढ़ी (मध्य प्रदेश), देहांग-दिबांग (अरुणाचल प्रदेश) और अगस्त्यमाला (तमिलनाडु और केरल) में पांच साल की अवधि के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना को प्रायोगिक आधार पर लागू किया जा रहा है। आईएमपी जैव विविधता संरक्षण, टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने, पर्यावरण-पर्यटन विकास, क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रमों को कवर करने वाला एक विस्तृत रोडमैप प्रदान करता है। आईएमपी अनुसंधान, निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के लिए तंत्र भी स्थापित करते हैं, जिससे पारिस्थितिक अखंडता को सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ संयोजित करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

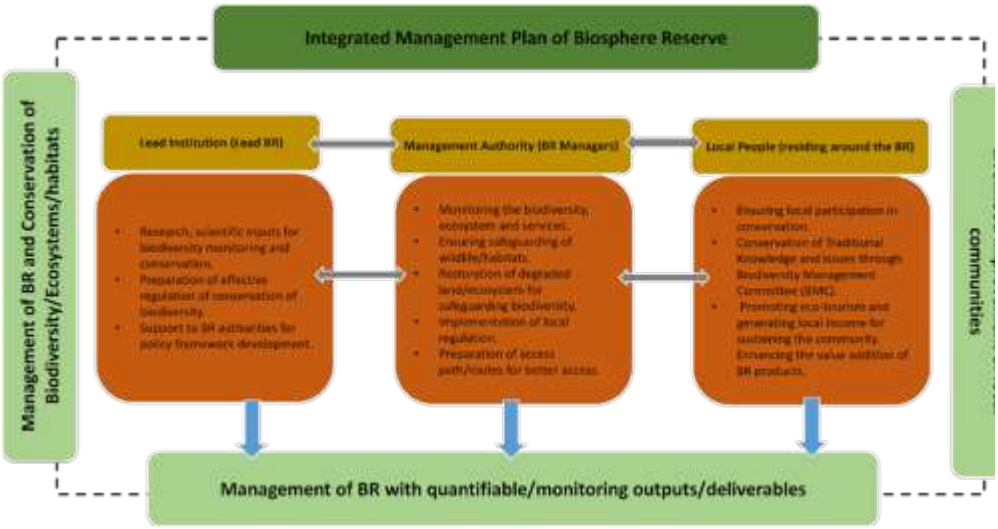

01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों के लिए आईएमपी के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित राशि उक्त पांच राज्यों को जारी की गई है:

अवधि	मात्रा (लाख रुपये में)
01.01.2025 से 31.03.2025 तक	60.21
01.04.2025 से 31.12.2025 तक	216.89

ख. प्रगति/उपलब्धि

- चार जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों में पांच साल की अवधि के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना प्रगति पर है (चौथे वर्ष में)।

- शीत रेगिस्तान जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया है, जो भारत की ओर से एक नया जुड़ाव है। भारत के पास अब यूनेस्को के विश्व जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में 13 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक संख्या है।

- मंत्रालय नए जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र को नामित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य से कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ क्षेत्रों को जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित करने हेतु तीन नए प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों को आईसीसी-एमएबी के अगले सत्र में विचार हेतु यूनेस्को के एमएबी सचिवालय को प्रस्तुत किया गया।

4.5 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र

- पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) घोषित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों सहित विशेषीकृत पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक प्रकार का "आघात अवशोषक" बनाना है। ईएसजेड उन क्षेत्रों से संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें उच्च सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों तक जहां कम सुरक्षा की आवश्यकता होती है और जहां विकास की अनुमति दी जा सकती है। देश में कुल 688 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (संरक्षित क्षेत्र) घोषित किए गए हैं।

- संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना या घोषणा करना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास वन्यजीव और जैव विविधता का संरक्षण तथा सतत विकास सुनिश्चित करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को उसकी भूदृश्यता, वन्यजीव, जैव विविधता और ऐतिहासिक महत्व आदि के कारण विशेष संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) घोषित या अधिसूचित करता है। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र की वहन क्षमता को बनाए रखने और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना है।

- किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास ईएसजेड (पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र) घोषित करने के लिए, इस उद्देश्य से तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ साझा किया जाता है। अब तक, देश भर में कुल 688 संरक्षित क्षेत्रों में से, मंत्रालय ने 498 क्षेत्रों को कवर करते हुए 355अंतिम ईएसजेड अधिसूचनाएँ प्रकाशित की हैं, जो 31 दिसंबर 2025 तक 73602.71 वर्ग किलोमीटर के ईएसजेड क्षेत्र को कवर करती हैं।

- वर्ष 2014 से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास ईएसज़ेड की घोषणा की प्रगति और ईएसज़ेड विनियमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में) का एक ग्राफिकल निरूपण नीचे दिया गया है:

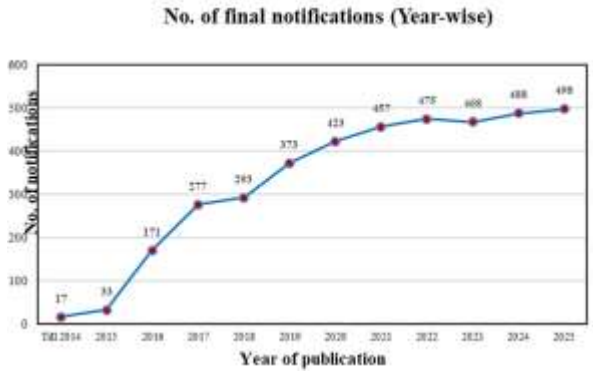

- इसके अलावा, मंत्रालय पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) भी अधिसूचित या घोषित करता है, जो समृद्ध पर्यावरणीय संसाधनों वाले क्षेत्र को दिया जाने वाला एक प्रकार का पदनाम है और जिसे अपने भूदृश्य, वन्यजीव या ऐतिहासिक महत्व के कारण विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। ईएसए घोषित करने का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले क्षरण को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों के लिए पर्यावरणीय खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना है। अब तक, मंत्रालय ने देश में छह ईएसए अधिसूचित किए हैं।

- मंत्रालय ने क्षेत्रीय मास्टर प्लान / क्षेत्रीय योजना / विकास योजना आदि की मंजूरी के लिए संबंधित राज्य सरकारों को ईएसजेड अधिसूचनाओं में संशोधन करके सशक्त बनाया है, ताकि ईएसजेड अधिसूचनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

- मंत्रालय का ईएसज़ेड प्रभाग दहानू तालुका पर्यावरण

तालिका : वर्ष 2025 में प्रकाशित होने वाली अंतिम ईएसजेड अधिसूचनाएँ

क्रम संख्या	राज्य	संरक्षित क्षेत्र का नाम	तिथि प्रकाशन
1.	राजस्थान	शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य	19.02.2025
2.	छत्तीसगढ	भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य	10.03.2025
3.	पश्चिम बंगाल	हॉलिडे द्वीप अभयारण्य	14.05.2025
4.	जम्मू और कश्मीर	ट्राल वन्यजीव अभयारण्य	26.05.2025
5.	कर्नाटक	कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य	04.06.2025
6.	हिमाचल प्रदेश	रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य	15.10.2025
7.	पश्चिम बंगाल	लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य	05.12.2025
8.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य	09.12.2025

संरक्षण प्राधिकरण को दिए जाने वाले अनुदान सहायता से संबंधित मामलों का भी प्रशासन और प्रबंधन करता है। यह प्राधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दहानू तालुका के संरक्षण और संरक्षणार्थ गठित किया गया है। वर्ष 2025 में 31.12.2025 तक दी गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

तालिका : वर्ष 2025 के दौरान जारी की गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्रमांक	संगठन का नाम	उद्देश्य	31.12.2025 तक जारी की गई कुल राशि	तृतीय-पक्ष मूल्यांकन की स्थिति	टिप्पणी
1.	दहानू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (डीटीईपीए)	प्राधिकरण की कार्यप्रणाली	₹ 72,82,676.84/-	शून्य	निधियाँ स्थापना व्यय (ईएफएंडसीसी) (3493) योजना के अंतर्गत प्रमुख शीर्ष '3435' पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, अनुदान सहायता – सामान्य (3435.01.001.04.04.31) से, मांग संख्या 28, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वितीय वर्ष 2025–2026 (योजना) के दौरान पीएल प्रभाग के बजट मद से जारी की गई।

अध्याय 5

आर्द्रभूमि और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र

5.1 जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए)

1. आर्द्रभूमि प्रभाग

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आर्द्रभूमि प्रभाग देश में आर्द्रभूमि के सतत प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में काम करता है। आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए इस विभाग के उद्देश्य को चार व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) का कार्यान्वयन, रामसर कन्वेंशन, नियामक ढांचा और क्षमता निर्माण।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया। यह एक रामसर स्थल है। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश वन विभाग और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सहयोग से किया गया था। उत्सव की शुरुआत एक पक्षी अवलोकन कार्यक्रम से हुई, जिसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

(ii) सहभागिता मिशन के अंतर्गत, तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं - उत्तरी राज्यों के लिए 1 फरवरी 2025 को अयोध्या में, पश्चिमी राज्यों के लिए 3–4 जुलाई 2025 के दौरान उदयपुर में तथा उत्तर राज्यों के लिए 30–31 अक्टूबर 2025 के दौरान शिमला में।

(iii) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख) श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 23 से 31 जुलाई, 2025 के दौरान विक्टोरिया फॉल्स (जिम्बाब्वे) में आयोजित आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन के संविदा पक्षकारों के सम्मेलन (कोप-15) -2025 की 15वीं बैठक में भाग लिया। कोप15 का विषय था "हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण"।

ग. प्रगति/नवाचार

(i) रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि - मंत्रालय के आर्द्रभूमि प्रभाग ने 11 अधिक रामसर स्थलों (अनुलग्नक-1) को नामित करने में सुविधा प्रदान की, जिससे देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या दिसंबर 2025 के अनुसार 85 से बढ़कर 96 हो गई। जनवरी 2026 में दो और रामसरों को शामिल किया गया, जिससे कुल संख्या 98 हो गई। वर्तमान में, रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत एशिया में पहले और विश्व में तीसरे स्थान पर है।

(ii) भारत में पहली बार आर्द्रभूमि शहर का दर्जा - मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर को कोप-15 के दौरान रामसर कन्वेंशन के तहत 'आर्द्रभूमि शहर' के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि, इन शहरों ने लोगों और प्रकृति के लाभ हेतु शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है। इससे शहरी नियोजन और सामुदायिक प्रबंधन में आर्द्रभूमि को एकीकृत करने में भारत के नेतृत्व को और मजबूती मिली।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

(i) भारत के मसौदा प्रस्ताव को अपनाया जाना: आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने' पर भारत का प्रारूप प्रस्ताव 23.20 को औपचारिक रूप से कॉप द्वारा अपनाया गया। भारत के मिशन लाइफ के अनुरूप यह प्रस्ताव, जिम्मेदारी से उपभोग करने और सहभागी संरक्षण अभ्यासों के लिए वैश्विक आह्वान को सुदृढ़ करता है।

(ii) स्थायी समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित: भारत को 2026-2028 की तीन वर्षीय अवधि के लिए रामसर स्थायी समिति में चुना गया है। यह 1999-2002 की अवधि के बाद से समिति में भारत का तीसरा

कार्यकाल है।

(iii) प्रमुख रामसर निकायों में सदस्यता : भारत ने रामसर सम्मेलन की दो महत्वपूर्ण कार्यकारी संरचनाओं में सदस्यता हासिल कर ली है। (क) आरआईएस अद्यतन पर कार्य समूह - रामसर सूचना पत्रकों की गुणवत्ता और संगति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। (ख) सीईपीए निरीक्षण पैनल - सम्मेलन के अंतर्गत संचार, शिक्षा, भागीदारी और जागरूकता पहलों की देखरेख करना।

(iv) आर्द्रभूमि की ग्राउंड ट्रुथिंग और सीमांकन एक सतत प्रक्रिया है और अभी जारी है।

ड. नए अधिनियमों/नियमों का प्रकाशन

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए/ आगे प्राप्त होने वाले सुझावों के आधार पर आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा और इसे अधिसूचित किया जाएगा।

च. निरंतर समितियाँ/ आयोग

जिम्बाब्वे में 20 से 31 जुलाई, 2025 तक आयोजित रामसर सम्मेलन के कोप15 के दौरान, भारत को 2026-2028 की तीन वर्षीय अवधि के लिए रामसर स्थायी समिति में चुना गया। यह 1999-2002 की अवधि के बाद समिति में भारत का तीसरा कार्यकाल है।

छ. आयोजित किए गए महत्वपूर्ण सम्मेलन/कार्यशालाएँ

(i) उत्तरी राज्यों के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर क्षेत्रीय कार्यशाला - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 फरवरी 2025 को अयोध्या, उत्तर प्रदेश में उत्तरी राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में एसएसी एटलस, 2021 के आधार पर आर्द्रभूमियों के ग्राउंड-ट्रुथिंग एवं सीमांकन की प्रगति से संबंधित अद्यतन जानकारी, रामसर स्थलों की अधिसूचना तथा आर्द्रभूमि क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जाने जैसी प्रमुख उपलब्धियाँ, प्रत्येक क्षेत्र में आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के दौरान सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान शामिल थी। इसके साथ ही, चुनौतियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने के लिए एक व्यापक मंच भी प्रदान किया गया।

(ii) मध्य और पश्चिमी राज्यों के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर क्षेत्रीय कार्यशाला -

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3-4 जुलाई 2025 को राजस्थान के उदयपुर में पश्चिमी और मध्य राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला ने सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने, नीति और शासन ढांचे पर विचार-विमर्श करने और आर्द्रभूमि संरक्षण में आने वाली चुनौतियों के समाधान तलाशने के लिए एक मंच के रूप में काम किया।

इस आयोजन के अंतर्गत, दो महत्वपूर्ण प्रकाशनों का शुभारंभ किया गया: एएनयूपी न्यूज़लेटर (जनवरी-जून 2025), जो देश भर में आर्द्रभूमि संरक्षण के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकासों पर प्रकाश डालता है। आर्द्रभूमि संरक्षण: "यह करें और यह न करें" नामक पुस्तिका, आर्द्रभूमि संरक्षण में लगे समुदायों और निर्णयकर्ताओं के लिए आसानी से समझ में आने वाले दिशानिर्देश प्रदान करती है। इस कार्यशाला ने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नीति और शासन ढांचे पर विचार-विमर्श करने और आर्द्रभूमि संरक्षण में आने वाली चुनौतियों के समाधान तलाशने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। तकनीकी सत्रों में रामसर अभिसमय के अंतर्गत आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन, सहभागितापूर्ण आर्द्रभूमि संरक्षण, स्थानीय विकास योजना के साथ आर्द्रभूमियों का एकीकरण तथा प्रभावी सहभागिता रणनीतियाँ विकसित करने हेतु आर्द्रभूमि मित्रों के साथ संवाद सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया।

(iii) शिमला में उत्तरी राज्यों के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर क्षेत्रीय कार्यशाला।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30-31अक्टूबर 2025 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर एक क्षेत्रीय सहभागिता

कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के दौरान, टाटा मोटर्स के प्रतिनिधि ने कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयासों/ तरीकों के बारे में जानकारी दी, सीएसआर पहलों के बारे में भी बताया, जिन्हें अन्य कंपनियाँ आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अपना सकती हैं। इस कार्यशाला के दौरान, 3 प्रकाशन जारी किए गए: (i) आर्द्रभूमि के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवनशैली (पोस्टकार्ड), (ii) भारत की पीटभूमि: एक अवलोकन और भविष्य का रोडमैप और (iii) भारत की आर्द्रभूमि के लिए राष्ट्रीय सीईपीए रणनीति। कार्यशाला के हिस्से के रूप में सभी प्रतिभागियों ने रेणुका आर्द्रभूमि का भी दौरा किया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तरी राज्यों के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर एक क्षेत्रीय सहभागिता कार्यशाला का आयोजन।

ज. 2025 में प्रकाशित होने वाले प्रमुख प्रकाशनों की सूची:

(i) भारत की 85वीं अमृत धरोहर: भारत के रामसर स्थल फैक्टबुक 'भारत की 85 अमृत धरोहर: भारत के रामसर स्थल फैक्टबुक' एक व्यापक संसाधन है, जो भारत के रामसर स्थलों के महत्व को उजागर करता है।

(ii) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन: यह शिक्षण मॉड्यूल का एक संग्रह है, जिसका लक्ष्य छह शिक्षण मॉड्यूल और हितधारकों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण योजनाओं के संग्रह के साथ व्यापक क्षमता विकास पहलों में योगदान देना है।

(iii) लाइफ के लिए आर्द्रभूमि: यह प्रकाशन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'जैव-विविधता एवं जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन' परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह परियोजना जर्मन संघीय पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय (बीएमयूवी) की ओर से डॉयचे गेसेलशाफ्ट फ़्यूर इंटरनेशनल ज़ुसामेनआर्बाइट (जीआईजेड) जीएमबीएच द्वारा अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल (आईकेआई) के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

(iv) एएनयूपी न्यूजलेटर (द्विवार्षिक): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आर्द्रभूमि प्रभाग द्वारा दो न्यूज़लेटर प्रकाशित किए गए।

(v) भारत की आर्द्रभूमि के लिए राष्ट्रीय सीईपीए रणनीति : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत की आर्द्रभूमियों के लिए संचार, क्षमता निर्माण, शिक्षा, सहभागिता एवं जागरूकता (सीईपीए) रूपरेखा तैयार की गई।

(vi) डिजिटल उपकरणों का शुभारंभ: आर्द्रभूमि के जलवायु परिवर्तन सह-लाभ (कोवेट) एक निर्णय-सहायता उपकरण है। इसे आर्द्रभूमि प्रबंधन हस्तक्षेपों के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सह-लाभों का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को जलवायु संबंधी खतरों की पहचान करने, हस्तक्षेपों का मानचित्रण करने और फसलों के नुकसान में कमी, जल भंडारण में सुधार, स्वास्थ्य जोखिमों से बचाव और समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों के लचीलेपन जैसे लाभों को मापने में मदद करता है। को-वेट को भारत में जलवायु कार्रवाई के लिए भारत-जर्मन सहायता परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह आर्द्रभूमि प्रबंधकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को हस्तक्षेपों को मापने योग्य अनुकूलन परिणामों से जोड़ने के लिए एक संरचित, चरण-दर-चरण ढांचा प्रदान करता है।

(vii) पोस्टर का विमोचन: सात कदम (हिंदी): लघु जल निकायों के संरक्षण के लिए सात चरण

2. प्रभाग के अंतर्गत योजना:

क. जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आर्द्रभूमि प्रभाग, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य वांछित जल गुणवत्ता संवर्धन प्राप्त करने के साथ-साथ जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में सुधार के लिए आर्द्रभूमि का समग्र संरक्षण और पुनर्स्थापन करना है। इसका उद्देश्य राज्यों के साथ विकासात्मक कार्यक्रमों में आर्द्रभूमियों के मुख्यधारा एकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन, क्षमता विकास तथा अनुसंधान को समर्थन प्रदान किया जाता है। इसमें अपशिष्ट जल का अवरोधन, मोड़ और उपचार, तटरेखा संरक्षण, झील के किनारे का विकास, मौके पर ही सफाई यानी गाद और खरपतवार हटाना, तूफानी जल प्रबंधन, जैव उपचार, जलग्रहण क्षेत्र का उपचार, झील का सौंदर्यीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव बाड़ लगाना, मत्स्य पालन विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण शिक्षा और जागरूकता सृजन और सामुदायिक भागीदारी जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।

ख. प्रगति/उपलब्धियाँ:

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु केंद्रीय अंश के रूप में ₹6.70 करोड़ की राशि संबंधित राज्य सरकारों / संगठनों को जारी की गई। इनमें नागालैंड की दोयांग, मणिपुर की यारल पाट, ओडिशा की अंसूपा झील तथा मध्य प्रदेश की अमृत सागर आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 (01.04.2025 से 31.12.2025) के दौरान 8 आर्द्रभूमियों (जिसमें रामसर स्थल भी शामिल हैं) के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को ₹14.04 करोड़ की राशि जारी की गई। इनमें मध्य प्रदेश की सीता सागर एवं अमृत सागर, सिक्किम की खेछेओपलरी, गुरुडोंगमार, यांगचेन त्सो एवं तामज़े, पश्चिम बंगाल की ईस्ट कोलकाता आर्द्रभूमि तथा उत्तर प्रदेश की सरसई नावर आर्द्रभूमि शामिल हैं। समग्र रूप से, दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की रिपोर्टेड अवधि के दौरान कुल ₹20.76 करोड़ की राशि जारी की गई है।

3. गैर सरकारी संगठनों सहित संस्थानों / संगठनों को जारी की गई अनुदान सहायता।

क्रमांक	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि	तृतीय पक्ष मूल्यांकन की स्थिति
1.	एनसीएससीएम	"आर्द्रभूमि का समग्र संरक्षण और एकीकृत प्रबंधन" कार्यक्रम भारत की आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करने, राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और उन्नत अनुसंधान क्षमता विकास पर केंद्रित है।	2 करोड़	शून्य

वर्ष 2025 के दौरान घोषित किए गये रामसर स्थल

क्रमांक	आर्द्रभूमि/रामसर स्थल का नाम	राज्य
1.	खाचोएडपालरी आर्द्रभूमि	सिक्किम
2.	सक्कराकोट्टई पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
3.	थेरथांगल पक्षी अभयारण्य	तमिलनाडु
4.	उधवा झील पक्षी अभयारण्य	झारखंड
5.	मेनार आर्द्रभूमि परिसर	राजस्थान
6.	खिचन आर्द्रभूमि	राजस्थान
7.	गोकुल जलाशय	बिहार
8.	उदयपुर झील	बिहार
9.	गोगबिल झील	बिहार
10.	सिलिसरह झील	राजस्थान
11.	कोपरा जलाशय	छत्तीसगढ

जिम्बाब्वे में कोप15 में माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा रामसर सम्मेलन के महासचिव से मुलाकात

पूर्णाधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

5.2 संधारणीय तटीय प्रबंधन (एससीएम)

1. संधारणीय तटीय प्रबंधन प्रभाग

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

संधारणीय तटीय प्रबंधन प्रभाग का गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.05.2022 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित कार्य आवंटन के साथ किया गया था:

i. राष्ट्रीय तटीय मिशन का कार्यान्वयन

ii. राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) से संबंधित मामले

iii. ब्लू इकोनॉमी से संबंधित मामले

iv. संधारणीय तटीय प्रबंधन प्रभाग को सौंपी गई बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ _ ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा समर्थित भारत के तटीय समुदायों की जलवायु अनुकूलन क्षमता बढ़ाने की परियोजना (जीसीएफ-ईसीआरआईसीसी)

मुख्य भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

1. तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों और आवश्यक सेवाओं की सहनशीलता को सुदृढ़ करना

2. तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को समर्थन देने के लिए लक्षित अनुसंधान और विकास पहल करना

3. तटीय समुद्री स्थानिक योजना और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को आगे बढ़ाना

4. तटीय पारिस्थितिकी एवं समुद्री पर्यावरण के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हुए, प्रारंभिक एवं प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जलवायु-सहनीय विकास को सक्षम बनाना।

5. तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण पर हितधारकों की जागरूकता बढ़ाना, अनुकूलन और शमन उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भर भारत पहलों को आगे बढ़ाना।

6. समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

स्थानीय समुदायों को स्वच्छ समुद्र तटों और प्रदूषण-मुक्त महासागरों के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने (यह एसडीजी 14 "जल के नीचे जीवन" के अंतर्गत प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं) तथा समुद्री कचरे के प्रभावी प्रबंधन और रोकथाम पर विशेष जोर देने के उद्देश्य से, मंत्रालय प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर व्यापक समुद्र तट स्वच्छता अभियान आयोजित करता है। वर्ष 2025 में, सेवा पर्व के तहत 20 सितंबर 2025 को 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 80 समुद्र तटों पर समुद्र तट सफाई अभियान चलाया गया, जिसका मुख्य आयोजन उड़ीसा के पुरी स्थित गोल्डन बीच पर हुआ।

ओडिशा के गोल्डन बीच पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस

ग. प्रगति/नवाचार

I. 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 13 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 सीजन के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। हालांकि, पुडुचेरी के ईडन बीच के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र सशर्त रूप से प्रदान किया गया है और समुद्र तट सुरक्षा उपायों के न्यूनतम अनुपालन की बहाली के अधीन इसे रोक दिया गया है।

i. घोघला समुद्र तट - दीव, (दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव)

ii. ईकोबीच - कासरकोड (कर्नाटक)

iii. पडुबिद्री समुद्र तट, पडुबिद्री (कर्नाटक)

iv. कप्पड़ समुद्रतट, काझिकोड (केरल)

v. कोवलम समुद्रतट, कोवलम (तमिलनाडु)

vi. रुशिकोंडा समुद्र तट, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)

vii. गोल्डन बीच, पुरी (उड़ीसा)

viii. सोनापुर समुद्रतट, सोनापुर (उड़ीसा)

ix. राधानगर समुद्र तट, स्वराज द्वीप (अंडमान)

x. तन्निरभावी समुद्र तट (कर्नाटक)

xi. चाल समुद्र तट, कन्नूर (केरल)

xii. शिवराजपुर (गुजरात)

xiii. ईडन बीच, पुडुचेरी (पुडुचेरी)

II. इसके अतिरिक्त, आठ समुद्र तटों (महाराष्ट्र में 5 और अंडमान में 3) को ब्लू फ्लैग समुद्र तटों के लिए आवश्यक अवसंरचना और प्रबंधन अभ्यासों को विकसित करने के उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

III. केरल के कोझिकोड स्थित कप्पड ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर "जंगली ऑर्किड का पुनर्वास" पहल को दक्षिणी गोलार्ध के ब्लू फ्लैग देशों के बीच "परागकणों और कीटों के नुकसान से मुकाबला" विषयगत श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केस स्टडी - अच्छे अभ्यासों की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह मान्यता डेनमार्क के फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंटल एजुकेशन (एफईई) द्वारा दी गई स्वीकृति है और यह समुद्र तट प्रबंधन प्रथाओं में जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली को एकीकृत करने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

IV. समुद्र तट पर संधारणीय संचालन संबंधी भारतीय मानकों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और इसे हितधारकों को टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। यह गतिविधि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सहयोग से संचालित की गई है।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

देश भर के 13 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 सीजन के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है।

ड. भारत में आयोजित सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

भुवनेश्वर कार्यशाला

भारत के तटीय समुदायों की जलवायु अनुकूलन क्षमता बढ़ाना (ईसीआरआईसीसी) परियोजना पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 23 से 25 सितंबर 2025 तक भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) के सहयोग से किया गया था। इस कार्यशाला में नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, अभ्यासकर्ता और समुदाय के प्रतिनिधि एक साथ आए ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके, अनुभव साझा किए जा सकें और परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

तीन दिवसीय कार्यशाला को उच्च स्तरीय विचार-विमर्श और व्यावहारिक शिक्षण दोनों को सुगम बनाने के लिए संरचित किया गया था। इसमें परियोजना की पृष्ठभूमि, संस्थागत संरचनाओं और हितधारकों की भूमिकाओं को कवर करने वाली विस्तृत परियोजना ब्रीफिंग के साथ-साथ कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति पर एक प्रस्तुति भी शामिल है।

च. देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ द्विपक्षीय व बहुपक्षीय समझौते ।

भारत और फ्रांस के ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर संयुक्त कार्य समूह के तहत फ्रांसीसी संगठन के साथ सहयोग के लिए तीन मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार किए गए हैं। समझौता ज्ञापनों के विषय हैं: (i) समुद्री स्थानिक योजना, (ii) तटीय पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ और (iii) तटीय पारिस्थितिकी पर्यावरण

छ. प्रमुख प्रकाशनों की सूची

निम्नलिखित रिपोर्टें जीसीएफ-ईसीआरआईसीसी परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित की गई हैं।

i. उड़ीसा में केकड़ा पालन

ii. तटीय उड़ीसा के जलवायु चैंपियन - सफलता की कहानियाँ

2. राष्ट्रीय तटीय मिशन

योजना/कार्यक्रम और इसके उद्देश्य:

राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम), राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों की सहनशीलता और स्थिरता को बढ़ाना है। यह योजना प्रारंभिक रूप से पांच वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2021-2026) के लिए 87 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। यह 2025 से 2031 तक छह और वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, जिसमें 767 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है (जिसे 16 मई 2025 को अनुमोदित किया गया था)।

एनसीएम के अंतर्गत गतिविधियाँ तटीय क्षेत्र में केंद्रित होंगी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखते हुए ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी तथा तटीय समुदायों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेंगी। अनुमोदित गतिविधियों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित है:

i. जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील और पर्यावरण के अनुकूल तटीय पर्यटन अवसंरचना का विकास

ii. जलवायु परिवर्तन के लिए ए एंड एन कार्य योजना जिसमें जीवमंडल प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप शामिल हैं

iii. प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी और निवारण उपाय (गहरे समुद्र में होने वाले उत्सर्जन का अध्ययन)

iv. प्रवाल भित्तियों का विकास और उसका प्रबंधन

v. समुद्री जल डॉल्फिन का संरक्षण

vi. अत्यधिक अपरदनशील तटरेखाओं के लिए हरित तटीय अवसंरचना हेतु मानदंड विकसित करना और दिशा-निर्देश तैयार करना

vii. एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना और तटीय एवं समुद्री स्थानिक योजना का विकास

viii. परियोजना की तैयारी संबंधी व्यय (जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के कारण तटीय समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र की संचयी भेद्यता के आकलन सहित)

ix. पर्यावरण शिक्षा, क्षमता निर्माण। जागरूकता,

x. परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ तथा निगरानी, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग

xi. सोमनाथ में समुद्री अनुसंधान, संरक्षण एवं सूचना केंद्र सह समुद्री महासागर क्षेत्र

स्वायत्त निकाय

राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) एससीएमडी के अंतर्गत एक संगठन है, जो एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है और इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है। इसके वित्तीय प्रबंधन सहित कार्य और परिणाम इसके समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं और समझौता ज्ञापन में दिए गए जनादेश के अनुसार आम सभा / शासी परिषद / प्रबंधन समितियों द्वारा इनकी समीक्षा की जाती है। एनसीएससीएम से प्राप्त विस्तृत नोट इनपुट के साथ संलग्न है।

3. जारी किया गया अनुदान:

क्रमांक	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि
1.	राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र, चेन्नई	20 सितंबर, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर समुद्र तट सफाई अभियान चलाया जाएगा।	सेवा पर्व के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस (सितंबर का तीसरा शनिवार) पर समुद्र तट सफाई अभियान चलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार को आगे हस्तांतरण हेतु सामान्य अनुदान सहायता में 1.21 करोड़ के आवंटन के मुकाबले एनसीएससीएम को 1.18 करोड़ जारी किए गए।

5.3 राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र एनसीएससीएम

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में स्थापित राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) को भारत के तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और सतत प्रबंधन में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है। तटीय अनुसंधान और प्रबंधन के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, एनसीएससीएम केंद्र और राज्य सरकारों और संबंधित तटीय अधिकारियों को वैज्ञानिक, तकनीकी और ज्ञान-आधारित सहायता प्रदान करता है। यह केंद्र तटीय नियोजन और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 और 2019 के अनुसार तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) की तैयारी और तकनीकी मूल्यांकन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एनसीएससीएम संधारणीय तटीय प्रबंधन अभ्यासों को बढ़ावा देने और तटीय, समुद्री और आर्द्रभूमि प्रणालियों की दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत अनुसंधान और विकास कार्य करता है। एनसीएससीएम सतत तटीय प्रबंधन को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता मजबूत करने और समुद्री स्थानिक योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत अनुसंधान और विकास कार्य करता है। यह विज्ञान आधारित अनुसंधान के माध्यम से भारत की नीली अर्थव्यवस्था पहलों का समर्थन करता है और तटीय आजीविका और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देता है, जिससे तटीय, समुद्री और आर्द्रभूमि प्रणालियों की दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

एनसीएससीएम के प्रमुख उद्देश्य

- वैज्ञानिक अनुसंधान: जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता मजबूत करने, भारत की ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करने, समुद्री स्थानिक योजना को आगे बढ़ाने और तटीय आजीविका और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तटीय, समुद्री और आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्रों पर बहुविषयक अनुसंधान और विकास कार्य करना, जिसमें उनके संसाधन, कार्य और पर्यावरणीय प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

- एकीकृत प्रबंधन: तटीय और समुद्री क्षेत्रों के लिए एकीकृत और टिकाऊ प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, विशेष रूप से पारंपरिक तटीय और द्वीपीय समुदायों के समर्थन पर जोर देना।1

- राष्ट्रीय ढांचे का विकास: तटीय क्षेत्रों के सतत प्रबंधन के लिए नीति, रणनीतियों और निर्णय लेने में सहायता हेतु एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना, उसे सुदृढ़ बनाना और उसे क्रियान्वित करना।

- नीति एवं तकनीकी सहायता: तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) और समुद्री स्थानिक योजना से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक, तकनीकी और परामर्शी सहायता प्रदान करना।

- ज्ञान एवं क्षमता संवर्धन: तटीय शासन और प्रबंधन अभ्यासों में सुधार लाने के उद्देश्य से ज्ञान के प्रसार, प्रशिक्षण और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करना।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

(i) राष्ट्रीय तटीय मिशन में योगदान

राष्ट्रीय तटीय प्राथमिकताओं के अनुरूप रणनीतिक अवधारणा नोट्स और प्रारंभिक परियोजना प्रस्तावों की एक श्रृंखला तैयार करके, एनसीएससीएम ने वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय तटीय मिशन के प्रमुख घटकों को विकसित किया। पारिस्थितिक और पर्यावरणीय आधारभूत रेखाओं, तटवर्ती प्रक्रियाओं और जलवायु भेद्यता के विस्तृत आकलन के आधार पर, एनसीएससीएम ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप क्षेत्रों की पहचान की है जिनके लिए लक्षित प्रबंधन और पुनर्स्थापन उपायों की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं, सामाजिक-आर्थिक आकलन, भू-स्थानिक विश्लेषण और जोखिम-आधारित योजना सहित अंतःविषयक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए, संस्थान ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए अवधारणा नोट्स और मसौदा परियोजना संरचनाएँ तैयार कीं। इन रूपरेखाओं में पारिस्थितिकीय सततता, जलवायु अनुकूलन तथा सामुदायिक सहनशीलता को मूल सिद्धांतों के रूप में प्रमुखता दी गई। इन तकनीकी योगदानों और साक्ष्य-आधारित सिफारिशों के माध्यम से, एनसीएससीएम ने पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, पर्यावास बहाली और जलवायु-सहनशील तटीय अवसंरचना के डिजाइन पर केंद्रित मिशन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मंत्रालय का समर्थन किया। इस संस्था के कार्यों ने भारत की तटीय प्रणालियों और समुदायों की दीर्घकालिक सहनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन-उन्मुख पहलों के लिए वैज्ञानिक आधार को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया।

(ii) तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी), आईसीआरजेड, आईआईएमपी और सीआरजेड मानचित्र

विभिन्न तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनसीएससीएम द्वारा 720 से अधिक तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (सीजेडएमपी) और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानचित्र (आईसीआरजेड और आईआईएमपी मानचित्रों सहित) तैयार किए गए, जिससे सीआरजेड अधिसूचनाओं, 2011 और 2019 का प्रभावी संचालन संभव हो सका। ये परिणाम उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी व्याख्या, तटरेखा परिवर्तन मॉडलिंग, विस्तृत पारिस्थितिक लक्षण वर्णन और व्यापक क्षेत्र सत्यापन के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, जो उच्च स्थानिक सटीकता और नियामक अनुरूपता सुनिश्चित करते हैं। ये मानचित्र तटीय शासन, नियामक मूल्यांकन और राज्य-स्तरीय तटीय नियोजन प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय-सहायता उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।

कर्नाटक के तट का अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना मानचित्र

एनसीएससीएम ने द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 के अनुरूप, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई प्राथमिकता वाले द्वीपों के लिए द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र के मानचित्र और एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएँ (आईआईएमपी) तैयार कीं। इन योजनाओं में संधारणीय विकास को दिशा देने के लिए पारिस्थितिक आधारभूत रेखाओं, भू-आकृति विज्ञान विश्लेषण, भूमि उपयोग और भूमि आवरण विश्लेषण, वहन क्षमता आकलन और जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग ढाँचों को एकीकृत किया गया है। ये आईआईएमपी जलवायु-लचीले अवसंरचना की योजना, पर्यावास संरक्षण और नाजुक द्वीप पारिस्थितिक तंत्रों के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक व्यापक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं।

(iii) आक्रामक चारू मसेल का मानचित्रण

एनसीएससीएम और तमिलनाडु आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से तमिलनाडु के एनोर क्रीक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आक्रामक चारू मसल (माइटेला स्ट्रिगाटा) का एक व्यवस्थित मूल्यांकन किया। इस अध्ययन में भौगोलिक उपकरणों का उपयोग करके प्रजातियों के वितरण का हाई-रिज़ॉल्यूशन स्थानिक मानचित्रण, क्षेत्र-आधारित घनत्व अनुमान और पर्यावास लक्षण वर्णन शामिल था, ताकि उपनिवेशीकरण की सीमा और संबंधित पारिस्थितिक परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जा सके।

इस मूल्यांकन ने एम. स्ट्रिगाटा की आक्रामक गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिसमें देशी बेंथिक समुदायों, पर्यावास संरचना और मत्स्य उत्पादकता पर इसके प्रभाव शामिल हैं। इन निष्कर्षों से प्रजातियों के प्रसार को नियंत्रित करने, देशी जैव विविधता की रक्षा करने और एनोर क्रीक आर्द्रभूमि प्रणाली के पारिस्थितिक कार्यपद्दति और सहनशीलता को बनाए रखने के उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित प्रबंधन रणनीतियों के निर्माण में योगदान मिलता है।

एनोर क्रीक और पुलिकट झील के किनारे चर्रू मसल्स के प्रमुख संक्रमण हॉटस्पॉट का मानचित्र

(iv) तमिलनाडु के पल्लीकरनई रामसर स्थल के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना

एनसीएससीएम, तमिलनाडु आर्द्रभूमि प्राधिकरण के लिए चेन्नई महानगर क्षेत्र के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण शहरी आर्द्रभूमि, पल्लीकरनई रामसर साइट के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना विकसित कर रहा है। यह योजना व्यापक पारिस्थितिक आकलन, आक्रामक प्रजातियों के मानचित्रण, जल विज्ञान विश्लेषण और पर्यावास लक्षण वर्णन के आधार पर तैयार की जा रही है, ताकि लक्षित पुनर्स्थापन और प्रबंधन हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन किया जा सके। आईएमपी का एक प्रमुख घटक आर्द्रभूमि का विस्तृत बाथिमेट्रिक मूल्यांकन है, जो हाइड्रोलॉजिकल प्रवाह, जल प्रतिधारण गतिशीलता और प्रवेश एवं निकास चैनलों के कामकाज की सटीक समझ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह जानकारी प्रभावी जलवैज्ञानिक बहाली उपायों को तैयार करने और समग्र आर्द्रभूमि गतिशीलता में सुधार के लिए आवश्यक है।

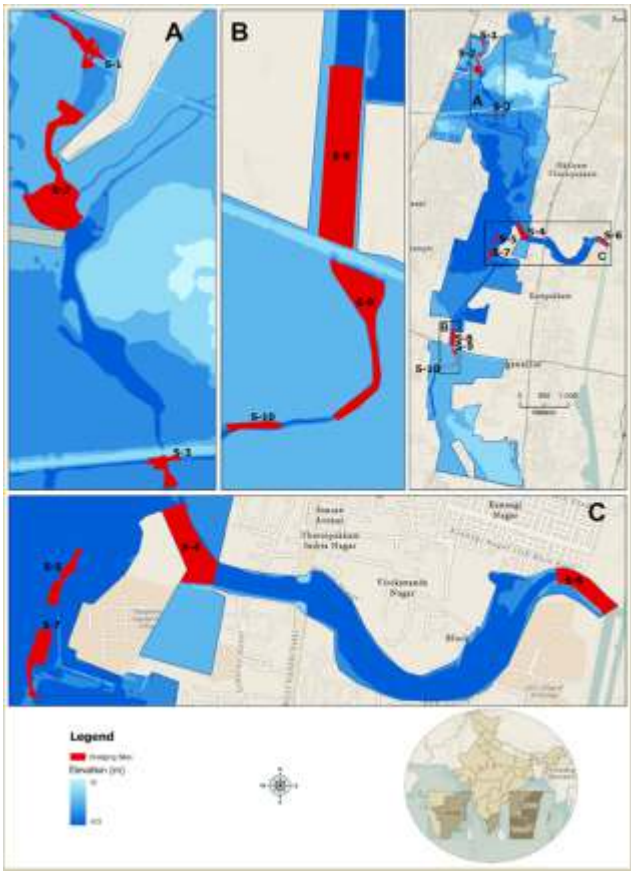

पल्लीकरनई आर्द्रभूमि में जल विज्ञान को बहाल करने के लिए गाद निकालने हेतु संभावित स्थलों की पहचान की गई।

प्रबंधन ढांचा आक्रामक वनस्पतियों के व्यवस्थित नियंत्रण, देशी आर्द्रभूमि वनस्पति की पुनःस्थापना और प्राकृतिक जल विज्ञान व्यवस्था की बहाली पर जोर देता है ताकि पर्यावास संपर्क को बढ़ाया जा सके, जैव विविधता का समर्थन किया जा सके, शहरी बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके और इस उच्च मूल्य वाले शहरी आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

(v) केरल तट पर जहाज़ के डूबने के पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन

केरल तट से दूर हुई दो प्रमुख समुद्री घटनाओं- एमएससी एल्सा III और वान हाई 503 के जहाज के डूबने की घटना, जिसमें 9 जून 2025 को जहाज पर रखे एक कंटेनर में विस्फोट के बाद आग लग गई थी - के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और केरल सरकार के साथ संयुक्त रूप से एक व्यापक पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभाव आकलन किया गया था। इस मूल्यांकन में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का एक एकीकृत समूह लागू किया गया, जिसमें समुद्र विज्ञान मॉडलिंग, प्रदूषक की गति और परिवर्तन और परिवहन विश्लेषण, बेंथिक और पेलैजिक जैव विविधता मूल्यांकन और मलबे के फैलाव पैटर्न का भू-स्थानिक मानचित्रण शामिल है। समुद्री पर्यावरण में हाइड्रोकार्बन, दहन अवशेष और खतरनाक माल सामग्री जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन, वितरण और स्थायित्व की जांच की गई और संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों पर उनके संभावित प्रभावों का आकलन किया गया। इनमें प्लवक समुदाय, तलीय सतहें, प्रवाल समूह, तटीय आर्द्रभूमि और तटीय मत्स्य पालन शामिल थे। इस मूल्यांकन के परिणामों ने तटीय पर्यावरण प्रबंधन और निर्णय लेने में सहायता के लिए लक्षित प्रदूषण प्रतिक्रिया उपायों, पारिस्थितिक बहाली रणनीतियों और दीर्घकालिक निगरानी प्रोटोकॉल के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया।

(vi) केरल के बैकवाटर द्वीपों के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (आईआईएमपी)

एनसीएससीएम द्वारा विकसित केरल के बैकवाटर द्वीपों के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (आईआईएमपी) में विस्तृत भू-स्थानिक विश्लेषण और क्षेत्र-आधारित पारिस्थितिक आकलन शामिल हैं। योजना प्रक्रिया में उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग करके उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) और निम्न ज्वार रेखा (एलटीएल) का सटीक सीमांकन शामिल है, जिसे जमीनी सत्यापन, भूमि उपयोग/भूमि आवरण आकलन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के मानचित्रण द्वारा समर्थित किया जाता है।

द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 के अनुसार आईआईएमपी तैयार किए जाते हैं। यह योजना बैकवाटर द्वीप प्रणालियों के सतत विकास को निर्देशित करने के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। प्रमुख घटकों में पर्यावास

संरक्षण और पारिस्थितिक बहाली, आपदा से निपटने की क्षमता में वृद्धि, जलवायु अनुकूलन उपायों को शामिल करना, स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका में सुधार और कम प्रभाव वाली विकास पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल हैं। यह ढांचा सामुदायिक भागीदारी और संसाधन प्रबंधन पर विशेष जोर देता है, जिसका उद्देश्य केरल के नाजुक और अत्यधिक उत्पादक द्वीप पारिस्थितिक तंत्रों के भीतर संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाते हुए पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करना है।

(vii) आर्द्रभूमि का समग्र संरक्षण और एकीकृत प्रबंधन योजना

क. ज्ञान नेटवर्क और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि आकलन

एक प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में, एनसीएससीएम "आर्द्रभूमि का समग्र संरक्षण और एकीकृत प्रबंधन योजना" परियोजना के तहत पूरे भारत में आर्द्रभूमि के राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान नेटवर्क विकसित कर रहा है और व्यवस्थित पारिस्थितिक आकलन कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आर्द्रभूमि प्रभाग द्वारा वित्त पोषित यह पहल, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर साक्ष्य-आधारित आर्द्रभूमि शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से सामंजस्यपूर्ण डेटासेट, आर्द्रभूमि वर्गीकरण और प्रबंधन ढांचे के निर्माण का समर्थन करती है।

ख. पूर्वोत्तर भारत में रामसर आर्द्रभूमि का आकलन

आर्द्रभूमि के समग्र संरक्षण और एकीकृत प्रबंधन योजना (2021-2026) के तहत, एनसीएससीएम पूर्वोत्तर भारत में पांच रामसर स्थलों का व्यापक मूल्यांकन कर रहा है। इन गतिविधियों में भारत के 46 रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्रों में क्षेत्र-आधारित सर्वेक्षण, पारिस्थितिक लक्षण वर्णन, जैव विविधता और स्थल-विशिष्ट खतरों का दस्तावेजीकरण और तलछट जैविक कार्बन भंडार का अनुमान लगाना शामिल है, जिनमें मिजोरम, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्र भी शामिल हैं। ये आकलन विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों में आर्द्रभूमि प्रणालियों में कार्बन पृथक्करण क्षमता, जैव-रासायनिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज की समझ में योगदान करते हैं।

भारत के उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि और पीटभूमि में कार्बन का आकलन

ग. पीटभूमि अनुसंधान

एनसीएससीएम का पीटभूमि अनुसंधान, भारत में कार्बन-समृद्ध उच्च-ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि तंत्रों की वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। यह संस्थान आर्द्रभूमि की मिट्टी में कार्बन की मात्रा निर्धारित करने के लिए विस्तृत क्षेत्रीय मूल्यांकन कर रहा है, जिससे उच्च-रिज़ॉल्यूशन भू-स्थानिक डेटासेट का उपयोग करके पीटभूमि के वितरण और विस्तार का मानचित्रण संभव हो सकेगा। इन मूल्यांकनों में पीट की गहराई और लक्षण वर्णन, जैविक कार्बन भंडार, वनस्पति संरचना, जलवैज्ञानिक व्यवस्था और संबंधित जैव-रासायनिक प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं। एकीकृत क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, प्रयोगशाला विश्लेषणों और भू-स्थानिक मॉडलिंग के माध्यम से, यह शोध पीटभूमि की कार्बन पृथक्करण क्षमता का मात्रात्मक आकलन करता है, जलवायु और मानवजनित दबावों के प्रति उनकी भेद्यता का मूल्यांकन करता है और इस सीमित एवं नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए साक्ष्य-आधारित पीटभूमि स्वास्थ्य कार्ड विकसित करता है। यह कार्य पीटभूमि पारिस्थितिकी, जैवभू-रसायन

विज्ञान, जल विज्ञान पर राष्ट्रीय ज्ञान को मजबूत करता है और पीटभूमि संरक्षण का समर्थन करता है। इस शोध के माध्यम से, पीटभूमि की महत्वपूर्ण कार्बन भंडारण क्षमता का मात्रात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है, जो दीर्घकालिक जैविक कार्बन को बनाए रखने और वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है ।

घ. वहन क्षमता आकलन

पर्यटन और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए सतत सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में स्थित पांच रामसर आर्द्रभूमियों के लिए वहन क्षमता मूल्यांकन किया गया। यह अध्ययन इन नाजुक उच्च-ऊंचाई वाले और मध्य-पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्रों में पारिस्थितिक गड़बड़ी को कम करने के लिए आगंतुकों की संख्या और वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सिफारिशों में निर्दिष्ट ट्रेकिंग गलियारों की स्थापना, सीमांकित कैंपिंग क्षेत्र, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बफर क्षेत्र और घोंसला बनाने के आवासों, नदी तट की वनस्पति और इन आर्द्रभूमि की जलवैज्ञानिक अखंडता की रक्षा के लिए मौसमी पहुंच प्रतिबंधों को लागू करना शामिल है।

ड. प्रकृति आधारित समाधान और प्रदूषण प्रबंधन

यह अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र की सहनशीलता को मजबूत करने के लिए विकेंद्रीकृत, प्रकृति-आधारित अपशिष्ट जल प्रबंधन समाधान जैसे कि डीईडब्ल्यूएटीएस, निर्मित आर्द्रभूमि और पर्यावरण स्वच्छता प्रणालियों का प्रस्ताव देता है। अतिरिक्त उपायों में प्रदूषण भार को कम करने के लिए रंग-कोडित अपशिष्ट पृथक्करण प्रणालियों का कार्यान्वयन, रिवर्स वेंडिंग प्रौद्योगिकियाँ और स्रोत से झील तक प्लास्टिक प्रबंधन ढांचे शामिल हैं। यह रूपरेखा सामुदायिक संरक्षण, युवाओं के नेतृत्व वाली इको-पर्यटन पहलों तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच सुदृढ़ समन्वय को आवश्यक घटकों के रूप में रेखांकित करती है, ताकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की रामसर आर्द्रभूमियों में उत्तरदायी विकास को सक्षम बनाते हुए दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय सततता सुनिश्चित की जा सके।

(viii) अंतरराष्ट्रीय महत्व की संभावित आर्द्रभूमियों के लिए 75 प्राथमिकता प्राप्त आर्द्रभूमियों का संकलन तथा आर्द्रभूमि पारितंत्र स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्डों की तैयारी।

तमिलनाडु की चयनित आर्द्रभूमियों में जलविज्ञान, प्रजातीय विविधता, आवास की स्थिति, भूमि-उपयोग के प्रभावों तथा सामाजिक–पारिस्थितिक संबंधों का आकलन करने हेतु व्यापक पारिस्थितिक सर्वेक्षण किए गए। इस कार्य में दो प्रमुख घटक शामिल हैं:

(i) 75 प्राथमिकता प्राप्त आर्द्रभूमियों के लिए एक वैज्ञानिक संकलन की तैयारी, जिसमें पारिस्थितिक आधाररेखाएँ, जलविज्ञान प्रोफ़ाइल तथा प्रबंधन संबंधी पहलुओं का एकीकरण किया गया; और

(ii) अंतर्राष्ट्रीय महत्व की क्षमता वाले आर्द्रभूमि क्षेत्रों के लिए आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड का विकास।

ये रिपोर्ट कार्ड जल गुणवत्ता, आवास की अखंडता, प्रजातीय संरचना तथा मानवजनित दबाव जैसे प्रमुख पारिस्थितिक संकेतकों का समेकन कर साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिससे दीर्घकालिक आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए निगरानी, अनुकूली प्रबंधन तथा नीतिगत निर्णय-निर्माण को दिशा मिलती है।

(ix) महाराष्ट्र की आर्द्रभूमि की सीमाओं का सीमांकन और आर्द्रभूमि से संबंधित संक्षिप्त दस्तावेज़ों का निर्माण

महाराष्ट्र सरकार ने एनसीएससीएम को "महाराष्ट्र राज्य के लिए आर्द्रभूमि के मानचित्र और संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ आर्द्रभूमि की पर्यटन क्षमता का आकलन" नामक परियोजना का कार्य सौंपा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में, एनसीएससीएम ने 1:4000 के पैमाने पर हाई-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी का उपयोग करते हुए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार आर्द्रभूमि की सीमाओं का सीमांकन किया। आर्द्रभूमि और आर्द्रभूमि परिसरों का मानचित्रण जीआईएस का उपयोग करके किया गया, जिसमें जलमग्नता के पैटर्न और वनस्पति विशेषताओं के आधार पर सीमाएँ परिभाषित की गईं। इसके बाद, व्यापक जमीनी सर्वेक्षणों के माध्यम से उनका सत्यापन किया गया। क्षेत्रीय सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक अनुकूलित मोबाइल-आधारित डेटा संग्रह प्रणाली (आर्कजीआईएस सर्वे123) को तैनात किया गया, जिससे प्रत्येक साइट पर वास्तविक समय में भू-संदर्भित अवलोकन संभव हो सके। इसके बाद अप्रैल 2024 तक की सीमा स्थितियों की तुलना 2021 के एसएसी बेसलाइन से की

गई, ताकि समय के साथ होने वाले स्थानिक और जलवैज्ञानिक परिवर्तनों का आकलन किया जा सके।

इसके समानांतर, व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षणों के आधार पर, एनसीएससीएम आर्द्रभूमि नियम 2017 और संबंधित कार्यान्वयन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए महाराष्ट्र की सभी 25,935 आर्द्रभूमियों के लिए संक्षिप्त दस्तावेज तैयार कर रहा है। नियम 7 के तहत आवश्यकतानुसार, प्रत्येक आर्द्रभूमि के भौगोलिक विस्तार, जल विज्ञान व्यवस्था, पारिस्थितिक स्वास्थ्य, सामाजिक-आर्थिक निर्भरता (कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों सहित) और गतिविधियों के नियामक वर्गीकरण को वैज्ञानिक रूप से चित्रित करने के लिए विस्तृत स्थल-स्तरीय मूल्यांकन किए गए।

निगरानी और स्थानिक निर्णय लेने में सहायता के लिए एनसीएससीएम ने एक गतिशील वेब नक्शा-आधारित वेटलैंड डैशबोर्ड विकसित किया है, जो सभी संबंधित अधिकारियों के लिए जमीनी सर्वेक्षणों और स्थानिक परतों से वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करता है। यह डैशबोर्ड महाराष्ट्र राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से वह उच्च स्थानिक सटीकता के साथ क्षेत्र-सत्यापन की प्रगति को देख सकता है, ट्रैक कर सकता है और उसका आकलन कर सकता है। इन सभी प्रयासों से महाराष्ट्र भर में आर्द्रभूमि के प्रलेखन, शासन और प्रबंधन के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार तैयार होता है, जिससे दीर्घकालिक संरक्षण और सूचित नीति नियोजन को बढ़ावा मिलता है।

(x) भारत के तटीय समुदायों की जलवायु अनुकूलन क्षमता बढ़ाना, ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ)

एनसीएससीएम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित "भारत के तटीय समुदायों की जलवायु सहनशीलता बढ़ाना" नामक ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है। इस पहल का उद्देश्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में रहने वाली तटीय आबादी की अनुकूलन क्षमता और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता को मजबूत करना है, जहाँ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों का जोखिम विशेष रूप से अधिक है। इस संदर्भ में, एनसीएससीएम ने पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित और समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोणों को एक व्यापक तटीय जोखिम ढांचे में एकीकृत करके, तीन तटीय परिदृश्यों के लिए भौतिक भेद्यता आकलन पूरा कर लिया है। इन आकलनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति भारत की तटीय रेखा की उच्च संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है और संचयी तटीय भेद्यता सूचकांक प्राप्त करने के लिए भौतिक, पारिस्थितिक और सामाजिक कमजोरियों का मूल्यांकन किया गया है। यह एकीकृत विश्लेषण तटीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित योजना, लक्षित जलवायु अनुकूलन उपायों और पारिस्थितिकी तंत्र-संवर्धन हस्तक्षेपों का समर्थन करता है।

(xi) लक्षद्वीप समूह के जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना

जलवायु परिवर्तन पर लक्षद्वीप राज्य कार्य योजना का मसौदा आईपीसीसी प्रतिनिधि एकाग्रता मार्ग (आरसीपी) परिदृश्यों सहित कई संभावित जलवायु भविष्य के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए सतत विकास के मार्गों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक छोटे द्वीप समूह के रूप में, जलवायु परिवर्तन के परिदृश्यों को सभी आरसीपी मार्गों के तहत विकसित किया गया था। इसमें दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनों और द्वीपसमूह की नाजुक पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों पर उनके प्रभावों को समझने के लिए वर्ष 2100 तक के पूर्वानुमानों का मॉडल तैयार किया गया था। इस योजना में जलवायु भेद्यता आकलन, क्षेत्रीय प्रभाव विश्लेषण और लक्षद्वीप की अनूठी भू-आकृति विज्ञान और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के अनुरूप पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत किया गया है। मीठे पानी की सुरक्षा बढ़ाने, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करने और जलवायु-सहनशील आजीविका को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है, ताकि इन नाजुक द्वीपों में दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया जा सके।

(xii) सतत समुद्र तटों का संधारणीय विकास

पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित समुद्र तटों के विकास को सुगम बनाने के लिए वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सुरक्षा मूल्यांकन के साथ-साथ विस्तृत योजना अभ्यास भी किए गए। एनसीएससीएम ने 10 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कीं और तमिलनाडु के मरीना बीच (चेन्नई में मरीना बीच को दुनिया

का दूसरा सबसे लंबा प्राकृतिक शहरी समुद्र तट माना जाता है), थिरुवनमियूर, पलावक्कम, उथंडी और अन्य समुद्र तटों सहित प्राथमिकता वाले समुद्र तटों के लिए स्थल-विशिष्ट मूल्यांकन किया। इस कार्य में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मानदंडों के अनुरूप उच्च ज्वार रेखा से दूरी, समुद्र तट की आकृति विज्ञान, जल गुणवत्ता, गहराई और तटीय प्रक्रियाओं, सुरक्षा और सेवा अवसंरचना, और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन आवश्यकताओं का व्यापक विश्लेषण शामिल था। ये तकनीकी रूप से सुदृढ़ डीपीआर और आकलन तटीय अधिकारियों और राज्य सरकार को टिकाऊ समुद्र तट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, जो पर्यावरणीय गुणवत्ता, आगंतुक सुरक्षा और दीर्घकालिक तटीय लचीलेपन को बढ़ाते हैं।

ग. जलवायु परिवर्तन सहायता पर निरंतर वर्टिकल IV

एनसीएससीएम, निरंतर कार्यक्रम के वर्टिकल IV - जलवायु परिवर्तन सहायता के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में से एक है, जो अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई) के साथ घनिष्ठ साझेदारी में काम कर रहा है। ये संस्थान मिलकर उच्च ऊंचाई वाली आर्द्रभूमि पर एक परियोजना को संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसमें समन्वित क्षेत्र अभियान, साझा वैज्ञानिक मूल्यांकन और आर्द्रभूमि जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है। इसका उद्देश्य तटीय और हिमालयी दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की गहरी पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है, साथ ही इस बात पर जोर देना है कि जलवायु परिवर्तन इन चरम और अत्यधिक संवेदनशील वातावरणों को प्रभावित करने वाले एक केंद्रीय कारक के रूप में कैसे कार्य करता है।

2025 में, एनसीएससीएम ने नाजुक हिमालयी आर्द्रभूमि प्रणालियों, विशेष रूप से उत्तर और पूर्वोत्तर के पीटभूमि क्षेत्रों में कार्बन गतिशीलता के केंद्रित मूल्यांकन के साथ इस राष्ट्रीय पहल में अपना योगदान आगे बढ़ाया। इस संस्थान ने सिक्किम और लद्दाख के प्रतिनिधि आर्द्रभूमि क्षेत्रों में मृदा जैविक कार्बन भंडार, ग्रीनहाउस गैस प्रवाह और पोषक तत्वों की परस्पर क्रियाओं की मात्रा निर्धारित करने के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और प्रयोगशाला विश्लेषण किए। जैव-रासायनिक मापों को स्थानिक डेटासेट और जलवायु चर के साथ एकीकृत करके, यह मूल्यांकन इन ठंडे, कम ऑक्सीजन वाले पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बन भंडारण क्षमता, अपघटन प्रक्रियाओं और प्रवाह पैटर्न की समझ को बढ़ाता है। इन परिणामों से भारत के व्यापक जलवायु शमन और कार्बन प्रबंधन ढांचे के भीतर महत्वपूर्ण लेकिन अत्यधिक संवेदनशील कार्बन भंडार के रूप में उच्च ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि के महत्व को रेखांकित करके राष्ट्रीय जलवायु नीति को दिशा मिल सकती है।

घ. प्रगति/नवाचार

उच्च ऊंचाई वाले रामसर आर्द्रभूमि का समग्र प्रबंधन:

- हिमाचल प्रदेश में तीन और लद्दाख में दो सहित पांच रामसर स्थलों के लिए व्यापक पारिस्थितिक और जलवैज्ञानिक प्रबंधन रिपोर्ट तैयार की गई, ताकि एकीकृत संरक्षण रणनीतियों के माध्यम से नाजुक उच्च-ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा की जा सके।

लक्षद्वीप में एकीकृत द्वीप प्रबंधन:

- तेईस (23) द्वीपों के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएँ (आईआईएमपी), जिनमें पारिस्थितिक आधार रेखाएँ, जोखिम-संवेदनशील भूमि-उपयोग ढाँचे, जलवायु अनुकूलन मार्ग और सतत विकास रणनीतियाँ शामिल हैं, पूरी हो चुकी हैं।

तटरेखा प्रबंधन और तटीय शासन:

- कर्नाटक तट के लिए विकसित तटरेखा प्रबंधन योजनाएँ (एसएमपी) तैयार की गई हैं और महाराष्ट्र, दमन और दीव में इन्हें विकसित करने का काम जारी है। गोवा और केरल के लिए तटरेखा परिवर्तन आकलन आयोजित किए गए, जिससे तटीय विनियमन और आपदा शमन के लिए आवश्यक डेटासेट उपलब्ध हुए।

पर्यावरण-अनुकूल प्रमाणित टिकाऊ समुद्र तट (ब्लू फ्लैग):

- जल गुणवत्ता, पर्यावरण शिक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और सुरक्षा अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मानकों के अनुरूप, तमिलनाडु के पांच प्रमुख समुद्र तटों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की, जिनमें मरीना, अरियामन, कामेश्वरम और सिल्वर समुद्र तट शामिल हैं।

नैटकॉम:

• सीएमएफआरआई के साथ मिलकर, तटीय पारिस्थितिक तंत्रों पर अनुभाग का मसौदा तैयार करके, कार्बन गतिशीलता, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और जलवायु प्रभावों पर वैज्ञानिक डेटा को एकीकृत करके, भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) में योगदान दिया।

रणनीतिक वैज्ञानिक साझेदारियाँ:

• एनसीएससीएम ने राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संरक्षण, सतत तटीय विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति संवेदनशील परिचालन योजना के संबंध में, आईएसआरओ और भारतीय तटरक्षक बल को वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की।

संस्थागत गुणवत्ता और प्रत्यायन को सुदृढ़ बनाना:

कई राष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 45001, आईएसओ / आईईसी 17025:2017 (एनएबीएल), तथा एनएबीईटी-क्यूसीआई द्वारा सेक्टर 33 (पोर्ट / बंदरगाह / ब्रेकवॉटर एवं ड्रेजिंग) के लिए मान्यता। एनसीएससीएम के कुछ वैज्ञानिकों को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में नामित किया गया है, जिससे वैज्ञानिक विश्वसनीयता और परिचालन उत्कृष्टता में वृद्धि होती है।

ड. एनसीएससीएम की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियाँ

(1) आईएफएस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम:

एनसीएससीएम ने "कोरल रीफ और सीग्रास" विषय पर दो विशेष राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारियों के लिए जनवरी और फरवरी 2025 में "पारिस्थितिकी, संरक्षण और प्रबंधन" नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं को मजबूत करना था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 37 आईएफएस अधिकारियों को नामित किया, जिनमें से 27 ने लक्षद्वीप द्वीप समूह (13-17 जनवरी 2025) और रामेश्वरम-रामानथपुरम (17-21 फरवरी 2025) में आयोजित प्रशिक्षणों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वैज्ञानिक व्याख्यानों, विशेषज्ञों के नेतृत्व में होने वाली चर्चाओं, स्नोर्कलिंग और डाइविंग आधारित क्षेत्र अवलोकनों, पर्यावास निगरानी प्रदर्शनों और बहाली तकनीक के अवलोकनों के माध्यम से, अधिकारियों को प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास के मैदानों के पारिस्थितिक कामकाज, जैव विविधता के महत्व और संरक्षण चुनौतियों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। इन कार्यक्रमों ने भारत की तटीय लचीलापन और समुद्री जैव विविधता को आधार प्रदान करने वाले पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक समझ को गहरा करने और नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया।

(2) एनसीएससीएम की मिशन कर्मयोगी पहल

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, एनसीएससीएम संरचित और निरंतर क्षमता-निर्माण हस्तक्षेपों के माध्यम से संस्थागत दक्षताओं को मजबूत करने के लिए मिशन कर्मयोगी को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है। केंद्र ने एक व्यापक क्षमता आवश्यकता आकलन (सीएनए) पूरा कर लिया है और वर्तमान में कार्यात्मक आवश्यकताओं और उभरती पर्यावरणीय प्रबंधन चुनौतियों के साथ प्रशिक्षण प्राथमिकताओं को संरेखित करने के लिए अपनी वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (सीबीपी) विकसित कर रहा है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने और शिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन, वितरण और निगरानी की देखरेख के लिए एनसीएससीएम में एक समर्पित क्षमता निर्माण इकाई

(सीबीयू) की स्थापना की गई है। ये सभी प्रयास सामूहिक रूप से मिशन कर्मयोगी के योग्यता-आधारित ढांचे के अनुरूप व्यावसायिक विकास, ज्ञान संवर्धन और प्रदर्शन सुधार की एक सतत संस्कृति का समर्थन करते हैं।

च. कार्यक्रम जिनमें भाग लिया गया/जो आयोजित किए गए

पर्यावरण स्थिरता और तटीय प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, एनसीएससीएम कई महत्वपूर्ण पहलों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जो इस प्रकार हैं:

सेवा पर्व 2025 के दौरान समुद्र तट की सफाई

सेवा पर्व 2025 (17 सितंबर-2 अक्टूबर) के दौरान, एनसीएससीएम ने "सेवा पर्व + अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2025" पहल के तहत भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर समुद्र तट सफाई अभियान आयोजित करने और उसे सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण समन्वयकारी भूमिका निभाई। केंद्र ने तटीय स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया, स्वयंसेवी भागीदारी को जुटाया और कई राज्यों में सफाई गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण किया। अपने समर्पित समुद्र तट सफाई पोर्टल के माध्यम से, एनसीएससीएम ने 20 सितंबर 2025 को आयोजित कई अभियान दर्ज किए, जहाँ समन्वित जागरूकता प्रयासों ने समुदायों को जिला प्रशासन के सहयोग से समुद्री कचरे को इकट्ठा करने, अलग करने और जिम्मेदारी से निपटाने में सक्षम बनाया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (2025) - 21 जून 2025

एनसीएससीएम ने चेन्नई के सत्यबामा विश्वविद्यालय के संकाय और छात्रों के सहयोग से कोवलम बीच पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई 2025) मनाया। सूर्योदय के समय आयोजित योग सत्र में प्रतिभागियों को एक शांत तटीय परिवेश में एकत्रित किया गया, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा मिला और साथ ही स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ पर्यावरण के बीच अंतर्निहित संबंध पर भी जोर दिया गया। इस पहल के माध्यम से, एनसीएससीएम ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत के तटीय पारिस्थितिक तंत्रों की सराहना और संरक्षण में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

छ. निरंतर समितियाँ/ आयोग

एनसीएससीएम के कार्यवाहक निदेशक कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समितियों में पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, और उच्च स्तरीय पर्यावरण और तटीय शासन मंचों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एनसीएससीएम के वैज्ञानिक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से संबंधित कई विशेषज्ञ समूहों और राज्य स्तरीय तकनीकी समितियों में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और नियामक प्राधिकरणों को वैज्ञानिक आकलन और तकनीकी जानकारी प्रदान करते हैं।

एनसीएससीएम के वैज्ञानिक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कार्य समूहों में भी सक्रिय रूप से योगदान देते हैं, जो भारत में समुद्र तटों और तटीय पर्यावरण के सतत प्रबंधन के लिए मानकों और दिशानिर्देशों के विकास में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे तटीय पारिस्थितिकी, जलवायु लचीलापन, समुद्री जैव विविधता, प्रदूषण प्रबंधन और सतत विकास से संबंधित कई तकनीकी और वैज्ञानिक समितियों में अपनी सेवाएँ देते हैं और साक्ष्य-आधारित

सिफारिशें और विशेषज्ञ समीक्षाएँ प्रदान करते हैं। इन भूमिकाओं के माध्यम से, एनसीएससीएम विज्ञान-आधारित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है, पर्यावरणीय शासन को बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय और राज्य नीतियाँ सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित हों।

ज. प्रमुख प्रकाशनों की सूची

2025 में अब तक पीयर-रिव्यू और उच्च प्रभाव कारक वाली पत्रिकाओं में कुल 15 वैज्ञानिक प्रकाशन और पुस्तकों में 3 अध्याय प्रकाशित हुए हैं। कई पांडुलिपियाँ प्रकाशन के लिए विचार और/या स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं।

एनसीएससीएम ने तटीय और समुद्री आवासों में व्यवस्थित पारिस्थितिक आकलन और मानकीकृत डेटा संग्रह का समर्थन करने के लिए विशेष ज्ञान उत्पादों का एक समूह विकसित किया है। इसमें प्रवाल भित्ति और समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वेक्षण मैनुअल, मैंग्रोव वन संरचना के आकलन के लिए प्रोटोकॉल, नमक दलदल तथ्य पत्रक और तमिलनाडु के सात रामसर स्थलों के लिए आर्द्रभूमि स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड शामिल हैं। ये नियमावली और उपकरण वैज्ञानिक क्षमता को मजबूत करने, कार्यप्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित करने और पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी में सर्वोत्तम अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक आधार बनाते हैं।

इन ज्ञान उत्पादों के पूरक के रूप में, तकनीकी शिक्षा विभागों और अनुसंधान संस्थानों के लिए एनसीएससीएम के क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, सतत विकास और समुद्री संरक्षण की समझ को काफी हद तक बढ़ाया है। विशेषज्ञों के नेतृत्व में दिए गए व्याख्यानों, इंटरैक्टिव सत्रों और व्यावहारिक शिक्षण के माध्यम से, प्रतिभागियों ने तटीय संसाधन शासन, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों सहित समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के अनुप्रयोग में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। ये सभी पहलें मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक वैज्ञानिक कौशल विकसित करने और भारत के तटीय और समुद्री पर्यावरण के साक्ष्य-आधारित प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एनसीएससीएम की प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं।

(i) प्रवाल भित्ति एवं समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वेक्षण नियमावली, मैंग्रोव वन संरचना के आकलन के लिए प्रोटोकॉल और खारे दलदल के बारे में तथ्यपत्र

(ii) तमिलनाडु के सात रामसर स्थलों के लिए आर्द्रभूमि स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड

(iii) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

अध्याय 6

संरक्षण - वन

6.1 वन संरक्षण

1. प्रभाग का नाम: वन संरक्षण (एफसी) प्रभाग

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के वन संरक्षण प्रभाग को 'वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980' के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। यह अधिनियम 25 अक्टूबर, 1980 को लागू हुआ था, और तब से इसमें वर्ष 1988 तथा 2023 में संशोधन किए गए हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है: (i) वन भूमि का अव-आरक्षण; (ii) वन भूमि का गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग; (iii) पट्टे या किसी अन्य माध्यम से वन भूमि का हस्तांतरण; और (iv) पुनर्वनीकरण के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की पूर्ण कटाई।

यह अधिनियम प्रकृति में विनियामक है और इसका उद्देश्य देश में पारिस्थितिक सुरक्षा को मज़बूत करना, वनों का संरक्षण सुनिश्चित करना और वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इस अधिनियम का दायरा 04.08.2023 को लागू किए गए 'वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023' द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया। इसका उद्देश्य संरक्षण के साथ-साथ वन प्रबंधन को बेहतर बनाना, विभिन्न प्रकार की भूमियों पर इसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करना, निजी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना और इसके प्रावधानों को पिछले चार दशकों में देखे गए बदलते पारिस्थितिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुरूप बनाना है।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियम और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया गया है। ये नियम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की स्वीकृति, प्रतिपूरक वनीकरण के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रवर्तन तंत्र की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से वन भूमि के रूपांतरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों की वन संरक्षण प्रभाग द्वारा जांच की जाती है। इसके बाद, अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित सलाहकार समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है। प्रत्येक प्रस्ताव का पूरी सावधानी से विश्लेषण किया जाता है और केवल गैर-वनमिकी उद्देश्यों के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा तक वन भूमि का उपयोग केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही करने की अनुमति दी जाती है।

सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार कुछ शर्तों के अधीन पूर्व स्वीकृति प्रदान करती है, जिनमें शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान, गैर-वन भूमि या खराब वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण करना और आवश्यकता-आधारित शमन उपायों का कार्यान्वयन शामिल है। इन उपायों में जलग्रहण क्षेत्र शोधन (सीएटी) योजनाएँ, वन्यजीव प्रबंधन योजनाएँ, मृदा और नमी संरक्षण कार्य और सुरक्षा क्षेत्रों का रखरखाव शामिल हो सकते हैं। ये सभी केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों में निर्धारित हैं।

वर्ष 2025 के दौरान (01.01.2025 से 28.12.2025 तक), वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत मंत्रालय द्वारा 12,649.57 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन से संबंधित 104 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस अनुमोदन के विरुद्ध, 13,768.35 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण का प्रावधान किया गया है, जिसमें 8,223.13 हेक्टेयर विक्षुब्ध वन भूमि और 5545.22 हेक्टेयर गैर-वन भूमि शामिल है।

ख. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 2025 में किए गए प्रमुख विधायी और नीतिगत सुधार

वन संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025: वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 को जीएसआर संख्या 593(ई) दिनांक 31.08.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, ताकि अनुमोदन प्रक्रिया को निम्नानुसार सुव्यवस्थित बनाया जा सके:

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा भूमि बैंक निर्माण के दायरे का विस्तार करना: 0.4 कैनोपी घनत्व तक की खराब वन भूमि, सरकारी भूमि और राज्य सरकार द्वारा सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमि में भूमि बैंक बनाने के दायरे का विस्तार करने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान किए गए, ताकि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

2. केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत जुटाए गए वनीकरण का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न संस्थाओं द्वारा खराब हो चुकी वनभूमियों, सरकारी

भूमियों या गैर-वन भूमियों में किए गए वृक्षारोपण का उपयोग प्रतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि यह केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन हो।

3. महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों, गहरे स्तर पर स्थित और परमाणु खनिजों के खनन के संबंध में निम्नीकृत वन भूमि पर सीए (संभावित खनन क्षेत्र) की अनुमति देना: देश में महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक, गहरे स्थित तथा परमाणु खनिजों के खनन हेतु स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अंतर्गत उन्हें क्षतिग्रस्त वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) करने की छूट प्रदान की गई है, जैसा कि निम्नानुसार है:

   i. महत्वपूर्ण, रणनीतिक और परमाणु खनिजों के खनन के लिए वन भूमि का दोगुना हिस्सा खनन के लिए उपयोग में लाया गया है।

   ii. महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची में शामिल न होने वाले गहरे भंडारों में पाए जाने वाले खनिजों के खनन के लिए वन क्षेत्र के तीन गुना क्षेत्र को स्थानांतरित किया जा रहा है।

4. प्रतिपूरक वनरोपण भूमि के हस्तांतरण और उत्परिवर्तन के आधार पर कार्य अनुमति प्रदान करना और अंतिम/द्वितीय चरण की स्वीकृति देना: एजेंसियों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और समय पर अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सीए के लिए प्रस्तावित गैर-वन भूमि के हस्तांतरण और उत्परिवर्तन के बाद भी सीए भूमि की अधिसूचना पर जोर दिए बिना क्रमशः चरण-II अनुमोदन और कार्य अनुमति प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।

5. राज्य के पीसीसीएफ और एचओएफएफ द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण भूमि की अधिसूचना : लंबी अधिसूचना प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी को कम करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए पीसीसीएफ और एचओएफएफ को अधिकृत करने हेतु सक्षम प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

6. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत दी गई सैद्धांतिक मंजूरी की वैधता को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना: पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के तहत दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद शून्य और अमान्य हो जाती है। सुधार में यह प्रावधान किया गया कि यदि उपयोगकर्ता एजेंसी पांच वर्षों की अवधि के भीतर सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है, तो केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसे केंद्र सरकार उचित समझे।

7. भूमिगत कार्यों और भूमिगत खनन के लिए सीए के प्रावधानों को सरल बनाना: विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में शामिल भूमिगत खनन और भूमिगत कार्यों के संबंध में, जिनके पास सतही अधिकार नहीं हैं, कोई प्रतिपूरक वनीकरण लागू नहीं होगा।

8. राष्ट्रीय महत्व और सार्वजनिक उपयोग से संबंधित प्रस्तावों को ऑफलाइन मोड में प्रस्तुत करने की अनुमति देना: उपयोगकर्ता एजेंसियों को रक्षा, रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित प्रस्तावों या सार्वजनिक हित या आपातकालीन प्रकृति से संबंधित असाधारण मामलों को पूर्व अनुमोदन के लिए ऑफ़लाइन मोड में प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान किए गए हैं, जो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आते हैं।

ग. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 की अधिसूचना:

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में 29.11.2025 को संशोधन किया गया, जिससे राज्य के प्रमुख अधिकारी को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए खराब वन भूमि की पहचान में उपयोगकर्ता एजेंसी की सहायता और सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाया गया।

घ. दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण जारी करके किए गए नीतिगत सुधार:

i. वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषण : वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से छूट दी गई है, बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा

निर्दिष्ट नियम और शर्तें लागू हों। वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषण की छूट प्राप्त श्रेणी की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

- संभागीय वन अधिकारी द्वारा 45 दिनों के भीतर एक ही बार में अनुमोदन दिया जाना है।

- केवल वृक्षों की कटाई से संबंधित प्रस्तावों में ही एनपीवी की लागत ली जाएगी, जबकि वृक्षों की कटाई से संबंधित प्रस्तावों में न तो एनपीवी की लागत ली जाएगी और न ही प्रतिपूरक वनीकरण की लागत ली जाएगी।

- गड्ढे खोदने और खाई खोदने से संबंधित प्रस्तावों में कोई एनपीवी और सीए शुल्क नहीं लिया जाएगा।

- उपयोगकर्ता एजेंसी को वन क्षेत्रों से नमूने एकत्र करने की अनुमति दी गई है। सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र-सी को सरल बनाया गया है।

- पहले से ही विभाजित वन भूमि के संबंध में सर्वेक्षण और अन्वेषण की अनुमति, जिसके लिए खनन कार्यों के लिए अधिनियम की धारा 2(1)(ii) के तहत केंद्र सरकार द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, राज्य वन विभाग द्वारा ऑफ़लाइन मोड में दी जा सकती है।

- वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए अधिनियम के दायरे से छूट प्राप्त बोरहोलों की संख्या बढ़ाकर निम्नलिखित कर दी गई है:

    - स्ट्रेटीफॉर् एवं टैब्यूलर भंडारों के लिए प्रति 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अधिकतम 6 इंच व्यास तक के 62 बोरहोल की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम 25 बोरहोल की सीमा का पालन किया जाए।

    - लेंस के आकार के अयस्क पिंडों के लिए, प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में 6 इंच व्यास तक के 80 बोर होल खोदे जा सकते हैं, हालांकि प्रति वर्ग किलोमीटर में अधिकतम 25 बोर होल खोदे जा सकते हैं।

- राज्य के प्रमुख अधिकारियों (एफसीए) को उन सर्वेक्षण और अन्वेषण प्रस्तावों को, जो छूट के अंतर्गत नहीं आते हैं, सीधे क्षेत्रीय कार्यालय या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राल को अग्रेषित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ii. प्रतिपूरक वनरोपण: ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के तहत निजी और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किए गए वनरोपण को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाना: वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 14(4)(डी) के तहत जारी दिशानिर्देश विभिन्न एजेंसियों, जिनमें निजी संस्थाएँ भी शामिल हैं, को प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम के तहत जुटाए गए वनीकरण का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- जीसीपी के तहत किए गए वनीकरण को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम 13 के तहत स्वीकार्य प्रतिपूरक वनीकरण के बदले में लिया जा सकता है।

- जीसीपी के तहत एजेंसियों द्वारा किए गए वनरोपण, जो कि नियम 13 के अंतर्गत खराब वन भूमि पर सीए बढ़ाने के लिए शामिल नहीं हैं, को प्रतिपूरक वनरोपण के बदले में दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें प्रस्तावित वन क्षेत्र का चार गुना प्रदान किया जाए।

- परियोजना की मंजूरी के अनुपालन में दायित्वों को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता को पूरा करना।

iii. प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि बैंक बनाने हेतु राज्य के प्रमुख अधिकारी को सुदृढ़ बनाना: मंत्रालय ने दिनांक 27.09.2025 के अपने दिशानिर्देशों के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को प्रमुख अधिकारी के अधीन एक समर्पित

परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करने की सलाह दी है। पीएमयू, भूमि बैंक बनाने के लिए भूमि पार्सल की पहचान करने में सहायता करेगा, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए खराब वन भूमि का पता लगाने में उपयोगकर्ता एजेंसियों का समर्थन करेगा और प्रस्तावों की तैयारी और प्रस्तुति में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। पीएमयू की स्थापना के लिए आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं को राज्य कैम्पा निधि से पूरा किया जा सकता है।

iv. भूमि अधिग्रहण के समय संयुक्त क्षेत्र सत्यापन में स्थानीय वन विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि परियोजनाओं में वन भूमि की भागीदारी का पता लगाया जा सके : वन भूमि की स्थिति में अस्पष्टता के कारण परियोजना कार्यान्वयन में होने वाली देरी को रोकने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी अवसंरचना या विकास परियोजना के लिए, जिम्मेदार एजेंसी को अधिसूचना की एक प्रति स्थानीय वन विभाग के साथ साझा करनी होगी, वन और राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त क्षेत्र सत्यापन सुनिश्चित करना होगा ताकि वन भूमि की शीघ्र पहचान की जा सके और यदि ऐसी भूमि पाई जाती है, तो परियोजना प्रस्तावक को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार परिवेश पोर्टल के माध्यम से इसके डायवर्जन की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी होगी।

v. खनन पट्टों से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में राजस्व, वन और खनन विभागों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण : वर्तमान में, कई एजेंसियां खनन पट्टों में डायवर्जन के लिए प्रस्तावित वन क्षेत्रों का अलग-अलग सर्वेक्षण करती हैं, जिससे दोहराव, अतिरिक्त लागत और वैधानिक प्रक्रियाओं में देरी होती है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि नीलामी से पहले या नीलामी के बाद के चरण में राजस्व, वन और खनन विभागों के प्रतिनिधियों वाली टीमों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किए जाने चाहिए। राज्य खनन विभाग इस प्रक्रिया का समन्वय करेगा।

6.2 प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)

1. राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

क. परिचय:

राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा), जिसका गठन प्रतिपूरक वनरोपण कोष अधिनियम, 2016 के तहत किया गया है, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण कोष की योजना, प्रबंधन और उपयोग की देखरेख के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। यह निधि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के विचलन के लिए एकत्रित प्रतिपूरक शुल्कों से गठित होती है। एक शासी निकाय, एक कार्यकारी समिति और एक निगरानी समूह के माध्यम से कार्य करते हुए, प्राधिकरण देश भर में पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा देने और टिकाऊ वन प्रबंधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उद्देश्य:

राष्ट्रीय कैम्पा के प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण कोष के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। इनमें गैर-वन उपयोग के कारण वन भूमि और उससे जुड़ी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई करना, वनीकरण और खराब हो चुके वनों के पुनर्जनन का समर्थन करना और राष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाना शामिल है। राष्ट्रीय कैम्पा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूरक वनरोपण और वन संरक्षण से संबंधित अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायता प्रदान करता है।

कार्य

राष्ट्रीय कैम्पा प्रतिपूरक वनरोपण गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है। इनमें राष्ट्रीय कोष का प्रबंधन करना, आवर्ती और गैर-आवर्ती प्रशासनिक व्ययों को पूरा करना और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक परिचालन योजनाओं (एपीओ) को मंजूरी देना शामिल है। यह वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वन्यजीव आवास सुधार और सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन पर तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण अपने शासी निकाय द्वारा अनुमोदित विशेष योजनाओं, प्रमुख परियोजनाओं और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करता है और उनकी निगरानी करता है।

ख.संपन्न महत्वपूर्ण कार्यकलाप

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, राष्ट्रीय कैम्पा ने पारदर्शिता को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन को एकीकृत करने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलें शुरू कीं।

1. राष्ट्रीय निधि योजनाओं के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल:

   राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत समर्थित योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रस्तुति, मूल्यांकन, अनुमोदन, निधि प्रवाह और वास्तविक समय की निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए एक व्यापक एमआईएस पोर्टल को चालू किया गया। इससे ऑडिट की तैयारी, पारदर्शिता और समय पर निर्णय लेने में काफी सुधार हुआ है।

2. दो स्तरीय निगरानी एवं मूल्यांकन ढांचा:

एक सुदृढ़ दो-स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई, जिसमें डिजिटल एपीओ पोर्टल के माध्यम से पूर्व-अनुमोदन जांच और एक समर्पित प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमोदन के बाद की निगरानी को एकीकृत किया गया। सैटेलाइट डेटा, ड्रोन और जीआईएस उपकरणों के उपयोग से कैम्पा द्वारा वित्त पोषित गतिविधियों के साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में वृद्धि हुई है।

3. हरित-संकल्प पोर्टल:

   नर्सरी प्रत्यायन और रोपण सामग्री की पता लगाने की क्षमता के लिए एक संरचित प्रणाली बनाने के उद्देश्य से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। नर्सरियों और बीज स्रोतों को आवंटित अद्वितीय आईडी और क्यूआर कोड के माध्यम से, यह प्लेटफॉर्म वनीकरण पहलों में गुणवत्ता नियंत्रण, योजना और पारदर्शिता को बढ़ाता है।

4. वन भूमि का भौगोलिक संदर्भ निर्धारण:

   सुप्रीम कोर्ट के लाफार्ज उमियाम फैसले के अनुपालन में, नेशनल कैम्पा ने वन सीमाओं के डीजीपीएस/सीओआरएस-आधारित भू-संदर्भ निर्धारण को आगे बढ़ाया। यह कानूनी रूप से मजबूत जीआईएस-संबंधित डेटासेट सुनिश्चित करता है, जो वन भूमि के उपयोग में बदलाव के लिए पारदर्शी निर्णय लेने में सहायता करते हैं और दीर्घकालिक शासन को मजबूत करते हैं।

5. डिजिटल वार्षिक परिचालन योजना (डिजिटल एपीओ):

   वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एक प्रमुख सुधार में परिवेश 2.0 के माध्यम से डिजिटल एपीओ को अपनाना शामिल था। यह प्रणाली एकीकृत मंजूरी डेटा और भू-स्थानिक परतों का उपयोग करके एपीओ की संपूर्ण डिजिटल तैयारी, जांच और अनुमोदन की अनुमति देती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापक रूप से अपनाए जाने से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पारदर्शी और समयबद्ध अनुमोदन में सुविधा हुई है।

ग. वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियाँ:

1. मार्च 2024 तक 10.95 लाख हेक्टेयर में प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, उपयोगकर्ता एजेंसियों ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 8319.32 करोड़ रुपये जमा किए।

2. तदर्थ कैम्पा से 31.03.2018 तक 54,685.00 करोड़ रुपये और 01.04.2018 से 31.03.2025 तक 43,211.13 करोड़ रुपये जमा किए गए, जिससे कुल प्राप्तियाँ 97,896.13 करोड़ रुपये हो गईं।

3. ग्यारह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश से क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) द्वारा परियोजना-वार सत्यापित और मिलानित प्रतिपूरक वनीकरण डेटा प्राप्त हो चुका है।

4. राष्ट्रीय प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 35,567.84 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्य के लिए 432.05 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल स्वीकृत प्रतिपूरक वनीकरण परियोजनाओं (एपीओ) की राशि 7555.24 करोड़ रुपये है।

वर्ष 1980 से 31 मार्च, 2025 तक प्रतिपूरक वनीकरण की स्थिति

(क्षेत्रफल हे० में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत परिवर्तित वन क्षेत्र (31.03.2025 तक)	1980 से 31.03.2025 तक प्रस्तावित/निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण (CA)	1980 से अब तक किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (31.03.2025 तक)	शेष/बैकलॉग प्रतिपूरक वनीकरण (31.03.2025 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2744.67	2695.17	649.99	2045.18
2	आंध्र प्रदेश	28647.65	42723.20	37370.20	5353.08
3	अरुणाचल प्रदेश	31764.93	61209.53	42415.16	18794.37
4	असम	6244.83	10015.22	8588.01	1427.21
5	बिहार	4844.44	7739.82	7245.22	494.61
6	चंडीगढ़	64.14	110.20	110.20	0.00
7	छत्तीसगढ़	43951.18	74065.84	64160.92	9904.92
8	दिल्ली	322.42	407.93	340.46	96.16
9	गोवा	2362.87	3566.38	3189.81	376.58
10	गुजरात	71626.61	103875.91	98529.63	5346.28
11	हरियाणा	8861.65	16606.12	11890.64	4169.48
12	हिमाचल प्रदेश	15843.20	31731.55	29596.60	2135.00
13	जम्मू एवं कश्मीर	11194.85	22389.70	26736.27	0.00
14	झारखंड	30682.93	74039.63	47802.36	26237.27
15	कर्नाटक	31577.24	30292.74	28669.41	1623.33
16	केरल	38112.49	60830.53	60424.13	406.40
17	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	मध्य प्रदेश	287248.22	262123.15	246146.82	15976.33
19	महाराष्ट्र	78468.00	113702.46	103736.63	9965.83
20	मणिपुर	5916.86	11590.47	6931.82	4658.65
21	मेघालय	1010.72	1406.96	1035.61	371.36
22	मिजोरम	11576.46	12054.23	11059.21	995.01
23	ओडिशा	69490.00	98058.90	79264.70	18794.20
24	पंजाब	13173.09	24332.07	23335.15	996.92
25	राजस्थान	38894.76	53508.00	41455.60	12052.39

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत परिवर्तित वन क्षेत्र (31.03.2025 तक)	1980 से 31.03.2025 तक प्रस्तावित/निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण (CA)	1980 से अब तक किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (31.03.2025 तक)	शेष/बैकलॉग प्रतिपूरक वनीकरण (31.03.2025 तक)
26	सिक्किम	3541.23	5789.88	5589.06	200.82
27	तमिलनाडु	5232.64	4225.56	3972.57	252.98
28	तेलंगाना	42168.62	36059.17	32310.75	3748.43
29	त्रिपुरा	–	8541.09	8157.38	383.71
30	उत्तर प्रदेश	49611.14	42699.82	34785.43	7914.39
31	उत्तराखंड	53265.55	59276.66	56212.60	3064.06
32	पश्चिम बंगाल	3491.11	3407.17	3204.45	202.72
	कुल	991934.50	1278529.05	1124916.79	157987.66

घ. महत्वपूर्ण सम्मेलन और कार्यशालाएँ

1. डिजिटल एपीओ पर क्षेत्रीय कार्यशालाएँ (पांच क्षेत्र)

पश्चिम, उत्तर-पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पूर्व क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यशालाओं में वरिष्ठ और जमीनी स्तर के वन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। चर्चाओं में डिजिटल एपीओ प्रक्रियाएँ, भौगोलिक डेटा का एकीकरण, डैशबोर्ड, वैधानिक समयसीमा और समस्या निवारण शामिल थे। 500 से अधिक वन प्रभागों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डिजिटल एपीओ (एपीओ) की शुरुआत की और राज्यों ने सफलतापूर्वक मैनुअल से डिजिटल वर्कफ़्लो में परिवर्तन किया।

2. तटीय आवासों के संरक्षण एवं ठोस आजीविका सृजन हेतु मैंग्रोव पहल (MISHTI) पर राष्ट्रीय कार्यशाला

आंध्र प्रदेश में 8-9 जनवरी 2026 को आयोजित इस कार्यशाला में वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और हितधारक एक साथ आए। इस चर्चा में मिष्टी के दृष्टिकोण, मैंग्रोव आधारित जलवायु लचीलापन, आजीविका सृजन और समन्वित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को दिशा-निर्देशों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें वैज्ञानिक पुनर्स्थापन और सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध किया गया।

निष्कर्ष

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित कार्यशालाओं और डिजिटल पहलों ने संस्थागत क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया, डिजिटल शासन को मजबूत किया और योजना रूपरेखाओं की सुसंगत समझ सुनिश्चित की। ये सभी सुधार मिलकर देशभर में कैम्पा और मिष्टी की पहलों के पारदर्शी, कुशल और परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत समर्थित योजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में, अवधि वर्षों में)

क्रमांक	योजना का नाम	व्यय	अवधि	उद्देश्य:
1	बांधवगढ़ क्षेत्र में हाथी गलियारों, आवास उपयोग और संघर्ष के प्रमुख क्षेत्रों का आकलन	0.97	3	i. बांधवगढ़ क्षेत्र में एशियाई हाथियों के आवास, उपयोग और आवागमन की पारिस्थितिकी को समझना। ii. हाथियों के आवागमन को प्रभावित करने वाले कारकों और गलियारों की संपर्क स्थिति का मानचित्रण करना। iii. कोदो बाजरा की खेती से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों की जांच करना। iv. मानव-हाथी संघर्ष के स्वरूपों और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना।
2	अत्यंत संकटग्रस्त घड़ियाल का संरक्षण और प्रबंधन	45.15	5	i. घड़ियालों की परिवर्तनशील आबदी का आकलन और निगरानी करना। ii. घड़ियालों के महत्वपूर्ण आवासों का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना। iii. खतरे को कम करने की रणनीतियों को लागू करने के लिए संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करके सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। iv. घड़ियाल की पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी और अंतर-प्रजाति गतिशीलता पर वैज्ञानिक अध्ययनों को आगे बढ़ाकर अनुसंधान और क्षमता निर्माण को समर्थन देना।
3	भारत में हाथी अभ्यारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन करना	2.29	18 महीने	i. कानूनी संरक्षण, प्रबंधन रणनीतियों, पारिस्थितिक कार्यों और मानवजनित दबाव में अंतर का मूल्यांकन करना, जिससे आरक्षित-आधारित संरक्षण दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ii. पर्यावास प्रबंधन के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान करना, जिसमें संवर्धन और सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। iii. हाथी अभ्यारण्यों के भीतर हाथी संरक्षण योजना के निर्माण के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रस्तावित करना।
4	भारत में नदी और एस्टुएरिन डॉल्फ़िन की आबादी की व्यापक गणना	12.43	2.5	i. क्षमता निर्माण: वन विभाग के कर्मचारियों और संबंधित विभागों/संगठनों के लिए नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण तकनीकों पर कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। ii. डॉल्फ़िन की गणना: भारत भर में गंगा, सिंधु नदी और इरावदी नदी के डॉल्फ़िन की व्यापक गणना करना और उनके आवासों का आकलन करना। iii. जैव विविधता और पर्यावास निगरानी
5	भारत में स्लॉथ बियर का संरक्षण और प्रबंधन - एक भूदृश्य आधारित पहल	13.67	5	i. स्लॉथ बियर की आबादी की स्थिति और उनकी मौजूदगी की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करना, जो उनके विभिन्न राज्यों में मौजूद है। ii. ऐसे क्षेत्रों में जहां मानव और भालू के बीच नकारात्मक अंतःक्रिया की संभावना अधिक होती है, वहां प्रभावी रणनीतियों को विकसित करना और लागू करना। iii. खराब हो चुके स्लॉथ बियर के आवासों की पहचान करना और उन्हें पुनर्स्थापित करना तथा पारिस्थितिक बहाली प्रयासों के माध्यम से आवास/गलियारे की संपर्क व्यवस्था को बनाए रखना।
6	भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, कोयंबटूर स्थित एसएकॉन में मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीसीएम) की स्थापना की गई है।	99.545	5	i. नीति एवं वकालत समर्थन: मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना और कमियों का विश्लेषण करना ताकि केंद्र और राज्य सरकारों को लक्षित नीति और जमीनी कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन मिल सके, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए समर्थन देना भी शामिल है, जिस पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विचार कर रहा है। ii. स्थानिक विश्लेषण और ज्ञान प्रबंधन: क्षेत्र-निर्धारण (वन्यजीव-मैट्रिक्स, इंटरफेस और मानव-मैट्रिक्स का), स्थानिक प्राथमिकता निर्धारण और विभिन्न हितधारकों की इच्छा के अनुसार मानव-वन्यजीव अंतःक्रियाओं पर क्षेत्र-विशिष्ट और प्रजाति-विशिष्ट कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन। मानव-वन्यजीव संपर्क और उससे संबंधित कार्यों पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस का प्रबंधन करना, जिसमें 'मानव-वन्यजीव संपर्क की स्थिति रिपोर्ट' का निर्माण भी शामिल है। iii. उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण: लक्षित हितधारकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मार्गदर्शन और ज्ञान हस्तांतरण (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता और व्यवहार्यता का आकलन करना।

क्रमांक	योजना का नाम	व्यय	अवधि	उद्देश्य:
				iv. जागरूकता और हितधारकों की सहभागिता: स्थिति के प्रबंधन हेतु विभिन्न स्तरों पर हितधारकों की नियमित सहभागिता सुनिश्चित की गई। इसके लिए सामाजिक अभियंत्रण के माध्यम से ज्ञान एवं जागरूकता सामग्री का निर्माण और प्रसार किया गया। लोगों को संवेदनशील बनाने तथा संघर्ष प्रबंधन के लिए स्वयंसेवकों और संरक्षण समर्थक समूह का निर्माण करने पर बल दिया गया। v. क्षमता एवं कौशल विकास: वन अधिकारियों/कर्मचारियों, संबंधित एजेंसियों और सामुदायिक नेताओं की क्षमता विकसित करने और उनकी क्षमता एवं प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम और ज्ञान उत्पादों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना।
7	बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधन: मानव-बाघ संघर्ष से निपटने की एक निवारक रणनीति	88.70	3	i. बाघ अभ्यारण्यों के बाहर के क्षेत्रों में मानव-बाघ और अन्य सह-शिकारियों के बीच संघर्ष की समस्या का समाधान करने के लिए बुनियादी ढांचे, संरक्षण प्रणाली आदि को मजबूत करना। ii. बाघ अभ्यारण्यों के बाहर के क्षेत्रों में बाघों, उनके सह-शिकारियों और उनके आवासों का सतत संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सह-अस्तित्व बनाए रखना।
8	विश्व संरक्षित क्षेत्र डेटाबेस (डब्ल्यूडीपीए) के साथ रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्र (आरएफए) और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की शेपफाइलों को अपलोड करने और साझा करने का कार्य पूरा करना।	1.50	2	संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित संपूर्ण जानकारी और डेटा को विश्व संरक्षित क्षेत्र डेटाबेस (डब्ल्यूडीपीए) में शामिल करके पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार करना।
9	प्रभावी वन्यजीव प्रबंधन उपायों की पहचान करना ताकि उन्हें दोहराया जा सके	1.70	15 महीने	i. भारत भर में वन्यजीव प्रबंधन के क्षेत्र में अतीत में किए गए सफल प्रयासों का दस्तावेजीकरण और विश्लेषण करें। ii. इन मॉडलों से प्रमुख प्रतिलिपि योग्य तत्वों की पहचान करना — कानूनी, पारिस्थितिक, सामाजिक और वित्तीय। iii. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हस्तक्षेपों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए एक प्रतिकृति ढांचा विकसित करना। iv. एकीकृत संरक्षण और विकास परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को शामिल करना। v. ज्ञान के प्रसार के लिए सफल वन्यजीव प्रबंधन उपायों का वीडियो दस्तावेजीकरण।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कैम्पा की कार्यकलाप

(i) वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिपूरक वनरोपण

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य स्वीकृत			स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य (करोड़ में)			स्वीकृत कुल धनराशि
		अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	-	2.3 हे.	140.11 हे.	-	0.38	0.81	1.19
2	आंध्र प्रदेश	388.26 हे.	1247.7 हे.	3436.97 हे.	2.205	8.735	11.639	22.579
3	अरुणाचल प्रदेश	-	1799.54 हे.	1929.06 हे.	-	20.63	57.11	57.11
4	असम	285.24 हे.	255.4 हे.	1350.35 हे.	7.1	1.44	5.59	14.13
5	बिहार	-	-	-	-	-	-	-
6	चंडीगढ़	-	0.24 हे.	56.19 हे.	-	0.24	0.435	0.675
7	छत्तीसगढ	4217.05 हे.	2552.14 हे.	12560.589 हे.	170.91	54.42	12.71	238.04
8	दिल्ली	-	83.48 हे.	219.16 हे.	-	7.27	15.58	22.85
9	गोवा	-	130 हे.+ 6.95 लाख	1432 हे.+ 3.30 लाख	-	3.65	5.62	9.27
10	गुजरात	2205 हे.	2559.23 हे.	17703.75 है.	120.77	30.71	35.04	186.52
11	हरियाणा		737.84 हे.	5248.93 हे.	-	48.27	22.27	70.54
12	हिमाचल प्रदेश	890.767 हे.	886.5454 हे.	8976.91 है.	4.15	5.98	6.66	16.79
13	जम्मू और कश्मीर		20.2 लाख	3.78 लाख	-	2.03	1.09	3.12
14	झारखंड	8190.68 हे.	3943.43 हे.	13709.85 हे.+ 222.45 किमी + 1000 गैब	215.76	21.4	21.68	258.84
15	कर्नाटक	1200 हे.	2595.54 हे.	6915.11 हे.	20.18	27.56	14.93	62.67
16	केरल	-	208.7 हे.+ 1800 संख्या	141.79 हे.	-	1.45	1.29	2.74
17	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-
18	मध्य प्रदेश	8706.11 हे.	4466.30 हे.	31062.33 हे.	178.11	32.75	87.89	298.75
19	महाराष्ट्र	3899.20 हे.	1131.44 हे.	8398.49 हे.	141.33	19.61	25.32	186.26
20	मणिपुर	1855.23 हे.	989.97 हे.	1199.55 हे.	9.78	3.6	1.35	14.73
21	मेघालय	372.55 हे.	16.71 हे.+ 500 संख्या + 1029 बेड	716.63 हे.+ 35 बेड	0.87	1.73	1.16	3.76
22	मिजोरम	186.465 हे.	-	-	0.55			0.55
23	उड़ीसा	-	3990570 संख्या	13205.804 है.	16	112.48	17.76	146.24

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य स्वीकृत			स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य (करोड़ में)			स्वीकृत कुल धनराशि
		अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	
24	पंजाब	750 हे.	582.252 हे. संख्या + 81811 संख्या . एसीए के अंतर्गत ऊंचे पौधे + 1.45 संख्या . लाख ऊंचे पौधों का संवर्धन + नर्सरी में 200.06 संख्या . लाख पौधे	9518.31 हे.+ 340812 संख्या एसीए के अंतर्गत ऊंचे पौधे	61.21			61.21
25	राजस्थान	2357.642 हे.	1925.377 हे.	26195.22 हे.	13.13	20.83	19.56	53.52
26	सिक्किम	-	234.91 हे.	863.98 हे.	-	25.2	3.97	29.17
27	तमिलनाडु	-	188.47 हे.	435.559 हे.	-	3.99	3.04	7.03
28	तेलंगाना	112.61 हे.	1217.08 हे.	17948.85 हे.	0.74	12.46	48.27	61.47
29	त्रिपुरा	600 हे.	583.08 हे.	3196.61 हे.	7.38	3.5	3.02	13.9
30	उत्तर प्रदेश	1490.60 हे. (36045 पौधों की संख्या)	1825.28 हे. (71385 पौधों की संख्या)	16634.55 हे. (569155 पौधों की संख्या)	12.19	14.55	18.14	44.88
31	उत्तराखंड	1500 हे.	1600 हे.	4057508 संख्या + 16000 लाख	18	10	40.4	68.4
32	पश्चिम बंगाल	250.52 हे. + 1400 संख्या	297.61 हे.+1567 संख्या	844.52 हे.+ 767 संख्या	0.35	0.74	1.53	2.62
	कुल							1959.55

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2025–26 तक राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा द्वारा स्वीकृत एपीओ

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एपीओ द्वारा स्वीकृत राशि (करोड़ में)						
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	2.13	शून्य	10.97	6.7	10.42	5.9

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एपीओ द्वारा स्वीकृत राशि (करोड़ में)						
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26
2	आंध्र प्रदेश	322.97	330.82	325	224.09	226.75	253.6	261.07
3	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	155.46	240.35	195.29	190.69	126.55	390.3
4	असम	55.89	88.34	95.01	162.57	109.69	104.39	102.75
5	बिहार	140.18	238.76	106.84	115.42	37.88	65.18	48.01
6	चंडीगढ़	1.87	2.26	3.6	1.66	1.54	1.4	0.75
7	छत्तीसगढ़	848.51	1347.02	1500.76	688.46	471.21	401.69	537.13
8	दिल्ली	शून्य	19.55	16.15	33.93	47.15	34.55	47.8
9	गोवा	17.95	32.68	21.55	36.53	31.28	29.56	33.68
10	गुजरात	256.47	240.69	200	205.4	250.02	310.5	400.45
11	हरियाणा	100.97	203.95	317.59	270.68	69.03	110.83	192.32
12	हिमाचल प्रदेश	145.82	158.38	138.1	190.23	185.14	184.52	254.44
13	जम्मू एवं कश्मीर	126.74	184.33	269.97	312.69	370.55	180.18	160.78
14	झारखंड	399.29	376.56	437.62	764.85	412.14	654.62	1123.69
15	कर्नाटक	146.23	212.94	321.09	270.98	313.89	288.06	337.9
16	केरल	शून्य	15.78	25.13	17.26	9.06	8.93	8.27
17	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	60.55	76.94	111.88
18	मध्य प्रदेश	456.09	860.93	713.46	889.84	1070.6	1398.42	1443.63
19	महाराष्ट्र	499.38	599.32	688.27	708.11	597.57	720.32	531.24
20	मणिपुर	30.36	27.79	25.09	22.59	20.26	27.36	44.52
21	मेघालय	शून्य	33.97	36.4	26.67	30.91	24.75	25.11
22	मिजोरम	शून्य	32.66	18.08	16.74	14.6	22.77	21.28
23	ओडिशा	610.52	773.39	901.03	1191.31	948.04	1112.93	1119.86
24	पंजाब	102.15	177.85	218.06	203.01	257.1	125.94	165.68
25	राजस्थान	265.39	280.7	286.7	249.19	286.49	198.44	269.7
26	सिक्किम	54.99	75.49	71.32	69.82	79.95	44	110.39
27	तमिलनाडु	शून्य	66.62	शून्य	38.22	44.15	35.27	23.46
28	तेलंगाना	501.26	483.78	752.71	772.65	455.3	386.8	412.99
29	त्रिपुरा	20.83	21.51	35.24	52.9	85.77	61.87	90.71
30	उत्तर प्रदेश	285.68	442.01	586.89	344.08	172.04	155.57	176.11
31	उत्तराखंड	218	353.64	726.88	320.15	383.82	335.37	403.67
32	पश्चिम बंगाल	70.07	74	58.3	52.83	79.4	63.51	90.13
	कुल	**5677.61**	**7913.31**	**9137.19**	**8459.12**	**7319.27**	**7555.24**	**8945.6**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य स्वीकृत			वित्तीय लक्ष्य स्वीकृत			स्वीकृत कुल धनराशि
		अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	-	2	-	-	0.01	-	0.01
2	आंध्र प्रदेश	10 ha	600 है.	1502.2 है.	0.05	1.42	1.29	2.76
3	अरुणाचल प्रदेश	503 ha	5700 ha+ 26660 संख्या .	14970.45 है.	10.97			10.97
4	असम	245 ha	-	840 है.	4.54		2.73	7.27
5	बिहार	-	-	-	-	-	-	-
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ	-	-	-	-	-	-	-
8	दिल्ली			40 है.			0.06	0.06
9	गोवा		145 है.	475 है.	-	1.09	1.19	2.28
10	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-
11	हरियाणा		200 है.	1166 है.		5.14	2.31	7.45
12	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
13	जम्मू और कश्मीर		1800000 संख्या	1283000 संख्या		4.81	3.55	8.36
14	झारखंड	3075 है.	1609.54 है.	-	27.00	2.83	-	29.83
15	कर्नाटक	7000 है.+3080000 संख्या .	6000 है.+2904000 संख्या .	-	42.48	17.45	-	59.93
16	केरल	-	-	-	-	-	-	-
17	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-
18	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
19	महाराष्ट्र	-	365 है.	1040 है.	-	2.92	4.86	7.78
20	मणिपुर	540 है.		2085 है.	2.71		2.34	5.05
21	मेघालय	26.2 है.	65 बेड	108 है.+80 बेड	0.04	0.10	0.28	0.42
22	मिजोरम	-	-	1800 है.	-	-	2.25	2.25
23	उड़ीसा	18285 है.	18285 है.	97456 है.	169.80			169.80
24	पंजाब	1400 है.	1129 है.	5423 है.	16.36			16.36
25	राजस्थान	1900 ha	1000 है.	34117 है.	11.34	1.28	11.26	23.89
26	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
27	तमिलनाडु	-	20 है.	28.52 है.		0.12	0.21	0.32
28	तेलंगाना	-	-	1901 है.+ 1286 किमी	-	-	2.58	2.58
29	त्रिपुरा	600 ha	900 है.	1059.67 है.	7.38	5.40	2.50	15.28
30	उत्तर प्रदेश	2990 ha	1529.10 है.	-	7.95	2.52	-	10.47
31	उत्तराखंड	-	948.4 है.		-	2.30		2.30
32	पश्चिम बंगाल	10 ha		50 है.	0.02		0.04	0.06
	कुल							385.47

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृत्रिम पुनर्जनन

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य स्वीकृत			वित्तीय लक्ष्य स्वीकृत			स्वीकृत कुल धनराशि
		अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	-	2	-	-	0.01	-	0.01
2	आंध्र प्रदेश	10 ha	600 है.	1502.2 है.	0.05	1.42	1.29	2.76
3	अरुणाचल प्रदेश	503 ha	5700 ha+ 26660 संख्या .	14970.45 है.	10.97			10.97
4	असम	245 ha	-	840 है.	4.54		2.73	7.27
5	बिहार	-	-	-	-	-	-	-
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ	-	-	-	-	-	-	-
8	दिल्ली			40 है.			0.06	0.06
9	गोवा		145 है.	475 है.	-	1.09	1.19	2.28
10	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-
11	हरियाणा		200 है.	1166 है.		5.14	2.31	7.45
12	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
13	जम्मू और कश्मीर		1800000 संख्या	1283000 संख्या		4.81	3.55	8.36
14	झारखंड	3075 है.	1609.54 है.	-	27.00	2.83	-	29.83
15	कर्नाटक	7000 है.+3080000 संख्या .	6000 है.+2904000 संख्या .	-	42.48	17.45	-	59.93
16	केरल	-	-	-	-	-	-	-
17	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-
18	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
19	महाराष्ट्र	-	365 है.	1040 है.	-	2.92	4.86	7.78
20	मणिपुर	540 है.		2085 है.	2.71		2.34	5.05
21	मेघालय	26.2 है.	65 बेड	108 है.+80 बेड	0.04	0.10	0.28	0.42
22	मिजोरम	-	-	1800 है.	-	-	2.25	2.25
23	उड़ीसा	18285 है.	18285 है.	97456 है.	169.80			169.80
24	पंजाब	1400 है.	1129 है.	5423 है.	16.36			16.36
25	राजस्थान	1900 ha	1000 है.	34117 है.	11.34	1.28	11.26	23.89
26	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
27	तमिलनाडु	-	20 है.	28.52 है.		0.12	0.21	0.32
28	तेलंगाना	-	-	1901 है.+ 1286 किमी	-	-	2.58	2.58
29	त्रिपुरा	600 ha	900 है.	1059.67 है.	7.38	5.40	2.50	15.28
30	उत्तर प्रदेश	2990 ha	1529.10 है.	-	7.95	2.52	-	10.47
31	उत्तराखंड	-	948.4 है.		-	2.30		2.30
32	पश्चिम बंगाल	10 ha		50 है.	0.02		0.04	0.06
	कुल							385.47

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आधुनिक नर्सरियों के निर्माण के लिए स्वीकृत निधि

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य स्वीकृत			वित्तीय लक्ष्य स्वीकृत			स्वीकृत कुल धनराशि
		अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	-	10000 पौधे	153000 पौधे	-	0.01	0.21	0.22
2	आंध्र प्रदेश	595 है.	1383.50 है.	4533 है.	3.75	8.47	11.89	24.11
3	अरुणाचल प्रदेश	8026.41 है.	18360.64 है.	1000867 संख्या	73.09	20.07	9.21	102.37
4	असम	583 है.	286.86 है.	5551.77 है.	12.57	1.8	23.01	37.38
5	बिहार	-	-	-	-	-	-	-
6	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ		-	36192.29 है.	-	-	22.05	22.05
8	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-
9	गोवा	-	-	-	-	-	-	-
10	गुजरात	900 है.	9400 है.	14829 है.	12.07	56.8	58.17	127.04
11	हरियाणा	-	185 है.	3482.82 है.		7.43	22.45	29.88
12	हिमाचल प्रदेश	-	727 है.	-	-	4.78	3.33	8.11
13	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-
14	झारखंड	6500 है.	640 है.	6115 है.	82.91	9.45	13.27	105.63
15	कर्नाटक	800 है.	800 है.	3883.72 है.	7	10.54	6.8	24.34
16	केरल	-	-	-	-	-	-	-
17	लद्दाख	-	310050 संख्या	44957 संख्या	0.3	1.655	0.14	2.095
18	मध्य प्रदेश	31692 है.	44655 है.	183001 है.	332.71	116.98	166.01	615.7
19	महाराष्ट्र	-	-	255 है.	-	-	1.31	1.31
20	मणिपुर	970 है.	970 है.	6290 है.	4.75	3.26	7.02	15.03
21	मेघालय	192 है.	71.06 है.+ 12 किमी	1011.4 है.+ 4 किमी+एलएस	1.14	3.01	3.6	7.75
22	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-
23	उड़ीसा	1215.5 है.	1215.5 है.	7843 है.	47.66			47.66
24	पंजाब	100 है.	100 है.	4650 है.	9.33			9.33
25	राजस्थान	815 है.+1000 आरकेएम	2175 है.+180 आरकेएम	8640 है.+ 510 आरकेएम	5.935	7.94	10.39	24.265
26	सिक्किम	-	240 है.	220 है.		3.77	0.37	4.14
27	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-
28	तेलंगाना	1500 है.	1150 है.	5543.45 है.+ 6509314 संख्या	5.55	10.03	26.97	42.55
29	त्रिपुरा	400 है.	500 है.	902.69 है.	4.92	3	1.9	9.82
30	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य स्वीकृत			वित्तीय लक्ष्य स्वीकृत			स्वीकृत कुल धनराशि
		अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	अग्रिम	निर्माण	रखरखाव	
31	उत्तराखंड	600	767.5 है.+ 23244 ha/संख्या + 1665720 संख्या	5847760 संख्या + 4636.35 है.	8	28	15.5	51.5
32	पश्चिम बंगाल	60 है.+10 संख्या	277.4 है.+ 20 किमी		0.44	0.958		1.398
	कुल							1313.679

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आधुनिक नर्सरियों के निर्माण के लिए स्वीकृत निधि

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	7500 पौधे + एलएस	0.09
2	आंध्र प्रदेश	स्थापना-5 संख्या अद्यतन- 24 संख्या रखरखाव- 65 संख्या	1.711
3	अरुणाचल प्रदेश	2.5ha+733253.3 संख्या	14.3
4	असम	-	-
5	बिहार	-	-
6	चंडीगढ़	-	-
7	छत्तीसगढ	24संख्या	9.4
8	दिल्ली	1+ 1 संख्या	0.14
9	गोवा	-	-
10	गुजरात	41.00laks	17.5
11	हरियाणा	-	-
12	हिमाचल प्रदेश	-	5.1
13	जम्मू और कश्मीर	186	1.08
14	झारखंड	49संख्या +148.5 है.	50.99
15	कर्नाटक	-	-
16	केरल	2 LS	0.372
17	लद्दाख	8 स्थान+4 संख्या	1.02
18	मध्य प्रदेश	-	24.11
19	महाराष्ट्र	133	0.67
20	मणिपुर	17	1.7

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
21	मेघालय	5 संख्या + 130 मीटर + 60 बेड + एलएस	0.4
22	मिजोरम	-	-
23	उड़ीसा	-	-
24	पंजाब	37.56 लाख नर्सरी स्टॉक + 1.00 ऊंचे पौधे का उत्पादन	5.08
25	राजस्थान	8 संख्या +एलएस	4.9
26	सिक्किम	-	0.3
27	तमिलनाडु	-	-
28	तेलंगाना	4.195 एलबीपीएस	0.83
29	त्रिपुरा	5	0.6
30	उत्तर प्रदेश	46 संख्या	3.22
31	उत्तराखंड	2 संख्या	1.5
32	पश्चिम बंगाल	-	-
	कुल		145.013

उड़ीसा राज्य वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कैमरे की स्थापना।

बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधन: मानव-बाघ संघर्ष से निपटने की एक निवारक रणनीति

6.3 वन स्थापना

क. परिचय एवं उद्देश्य

वन स्थापना प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित स्थापना मामलों के एक निश्चित समूह से संबंधित है, जैसे कि भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून; वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली; वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून; राष्ट्रीय चिड़ियाघर, नई दिल्ली; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून; और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय)।

विभाग के प्रमुख कार्य

- अधीनस्थ कार्यालयों भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वन शिक्षा निदेशालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान तथा क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्यालय) - के लिए संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा के माध्यम से अवर श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिंदी) और आशुलिपिक के 'घ' पदों की रिक्तियों की सूचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजने हेतु प्रमुख प्रभाग।

- प्रशासनिक विभागों के साथ मिलकर भर्ती लक्ष्यों की निगरानी करना।

- देहरादून स्थित आईसीएफआरई के महानिदेशक की नियुक्ति के लिए एसीसी की मंजूरी से संबंधित कार्यों का प्रशासन करना।

- यूपीएससी के माध्यम से मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप ए और बी के अधिकारियों की भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति।

- देहरादून स्थित आईसीएफआरई में संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु जाँच समिति का गठन।

- अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती नियमों (आरआर) की स्वीकृति/संशोधन।

- एफएसआई, डीएफई, आईएनजीएफए, डब्ल्यूसीसीबी, एनजेडपी और आईसीएफआरई/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से उनके वन प्रतिष्ठानों के लिए पदों के सृजन/पुनरुद्धार से संबंधित प्रस्तावों पर प्रशासनिक कार्यवाही करना ।

- मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ए', 'बी' और 'सी' के अनुशासित मामलों/एसीआर/एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध अपीलों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना।

- मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार जन शिकायतों, आरटीआई आवेदनों और वीआईपी मामलों पर कार्यवाही एवं निपटान।

- नई दिल्ली स्थित डब्ल्यूसीसीबी के संबंध में वार्षिक वेतन वृद्धि, एलटीसी आदि प्रदान करने जैसे सामान्य स्थापना संबंधी मामले।

ख. इस अवधि के दौरान की गई कार्यकलाप

- भारतीय वन सर्वेक्षण के कर्मचारियों से संबंधित सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत अपील मामलों का निपटारा यूपीएससी की सलाह प्राप्त करके किया गया, जिससे जटिल सेवा मामलों का समयबद्ध, कानूनी रूप से सुदृढ़ और सुविचारित समाधान सुनिश्चित हुआ।

- सीएचएसएल-2024 (एलडीसी) के चयनित उम्मीदवारों के 60 डोजियर अधीनस्थ कार्यालयों में वितरित करके और सीएचएसएल-2025 के तहत 41 एलडीसी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को एक समेकित अनुरोध प्रस्तुत करके भर्ती प्रक्रिया को मजबूत किया गया।

- अधीनस्थ कार्यालयों में मानव संसाधन में वृद्धि करने के लिए एसएससी के माध्यम से 20 आशुलिपिक समूह 'घ' और 12 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की भर्ती पूरी की गई है।

- डब्ल्यूसीसीबी (मुख्यालय) और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में 37 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के

लिए अनुमोदन प्राप्त करके संविदात्मक मानव संसाधन की तैनाती को सुव्यवस्थित किया गया।

- भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिड़ियाघर, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वानिकी शिक्षा निदेशालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों का गठन करके प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति को सुगम बनाया गया।

- भारतीय वन सर्वेक्षण, वानिकी शिक्षा निदेशालय और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में अनेक भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने, प्रकाशित करने और हितधारकों से परामर्श करके त्वरित कैडर युक्तिकरण और नीति सुधार, जिसमें राजपत्र अधिसूचनाओं का प्रकाशन भी शामिल है करना।

- प्रमुख तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर परामर्श और जांच के लिए पशु चिकित्सा विभाग, यूपीएससी और विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ अंतर-मंत्रालयी समन्वय।

- आईसीएफआरई और इसके संस्थानों में नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए खोज-सह-चयन समितियों की स्वीकृति प्राप्त की गई और उप महानिदेशक और निदेशक के आठ वरिष्ठ पदों को भरने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया।

- डब्ल्यूसीसीबी में उप निदेशक (आईआरएस-सी एंड आईटी) और सहायक निदेशक पदों सहित प्रमुख पदों के लिए प्रतिनियुक्ति-आधारित चयन प्रक्रिया पूरी की और डब्ल्यूसीसीबी में आईपीएस पदों को भरने के लिए गृह मंत्रालय के साथ अनुरोध प्रस्तुत करके अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति का समन्वय किया।

- 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान, एफई डिवीजन ने 134 आरटीआई अनुरोधों, 9 आरटीआई अपीलों, 55 सार्वजनिक शिकायतों, 10 सार्वजनिक शिकायत अपीलों और 9 वीआईपी/सांसद संदर्भों पर कार्रवाई की और उनका निपटारा किया। इन मामलों को मानक समय सीमा यानी 10 दिनों से कम समय में निपटाया गया।

- विभिन्न माननीय न्यायालयों और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में 32 अदालती मामलों की पैरवी की और उनमें बचाव किया।

- सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह और मिशन कर्मयोगी के तहत निर्धारित प्रशिक्षण घंटे पूरे कर लिए हैं।

- भारत के उप-संगठनों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित वन स्थापना के अन्य विविध मामले।

ग. चालू कार्य:

- कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को प्रमुख प्रभाग के रूप में लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर-डी और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर (हिंदी) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

- एसएससी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का उपरोक्त पदों के लिए मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में आवंटन।

- मिशन मोड भर्ती चरण II में पी-II और अधीनस्थ कार्यालयों तथा आईसीएफआरई के बीच समन्वय।

- अधीनस्थ कार्यालयों और आईसीएफआरई के कर्मचारियों को ईएचआरएमएस और स्पैरो - अपार पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करना।

- वन कर्मचारियों की नियुक्ति, शिकायतों, अदालती मामलों और विभिन्न वानिकी कार्यकारी और मंत्रिस्तरीय कैडरों में रिक्तियों से संबंधित मामलों के लिए अधीनस्थ कार्यालयों/आईसीएफआरई और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समन्वय/अनुसरण बैठकें आयोजित करना।

- अधीनस्थ कार्यालयों और आईसीएफआरई द्वारा एफआर 56(जे)/(एल) और नियम 48 के कार्यान्वयन पर आवधिक निगरानी और अनुपालन रिपोर्टिंग।

- एफई प्रभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों और आईसीएफआरई का वार्षिक निरीक्षण।

6.4 वन नीति

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वन नीति प्रभाग राष्ट्रीय वन नीति, 1988, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों की वन संबंधी नीतियों और कानूनों से संबंधित कार्य करता है। यह पभाग कृषि वानिकी को बढ़ावा देने और देश में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली को लागू करने में सहायता करता है। यह संयुक्त राष्ट्र वानिकी मंच (यूएनएफएफ), एशिया प्रशांत वानिकी आयोग (एपीएफसी), एशिया प्रशांत वन आक्रामक प्रजाति नेटवर्क (एपीएफआईएसएन), एफएओ की वानिकी समिति (कोफो), यूएन-आरईडीडी, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र (सिफ़ोर) और एफएओ के अंतर्राष्ट्रीय चिनार आयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए राष्ट्रीय केंद्र प्रभाग है। इस विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर देश में आरईडीडी+ कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। वन नीति प्रभाग भारत-ब्रिटेन वन साझेदारी से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है। यह विभाग वन और सतत विकास तथा वन और व्यापार से संबंधित बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर नीतिगत मामलों और द्विपक्षीय वार्ताओं से संबंधित है।

यह विभाग समय-समय पर महत्वपूर्ण वानिकी मामलों पर राज्य सरकारों को नीतिगत दिशा-निर्देश देता है और सलाह जारी करता है। इस विभाग के अधीन कोई कार्यालय / संस्थान नहीं है।

ख.संपन्न की गई महत्वपूर्ण कार्यकलाप

01/01/2025 से आज तक की अवधि के दौरान अब तक की गई संक्षिप्त कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(i) राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (एनटीपीएस) का कार्यान्वयन: मंत्रालय ने सभी राज्यों में लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के निर्बाध अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए एक राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (एनटीपीएस) विकसित की है। राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (एनटीपीएस) पर ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग पारगमन परमिट जारी करने, निगरानी करने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। यह व्यापार में सुगमता के लिए लकड़ी और अन्य लघु वन उत्पादों के पारगमन हेतु एकल अखिल भारतीय परमिट को बढ़ावा देता है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एनटीपीएस को लागू करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न बैठकें और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे।

(ii) कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि में वृक्षों की कटाई के लिए आदर्श नियम : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2025 में 'कृषि भूमि में वृक्षों की कटाई के लिए आदर्श नियम' जारी किए हैं , जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नियामक ढांचे को सरल बनाने और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में सहायता करना है। आदर्श नियमों का उद्देश्य कृषि वानिकी भूमि के पंजीकरण और वृक्षों की कटाई और परिवहन के प्रबंधन के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएँ प्रदान करके एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचा स्थापित करना है। इस पहल से किसानों और अन्य हितधारकों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और कृषि वानिकी पद्धतियों को अपनाने के अवसर खुल सकते हैं। इन आदर्श नियमों को वृक्ष आधारित कृषि प्रणालियों में शामिल लोगों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे आदर्श नियमों की जांच करें और कृषि वानिकी में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और किसानों को अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना किए बिना पेड़ों को अपनी कृषि प्रणालियों में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अपनाने पर विचार करें।

(iii) ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 : पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से अक्टूबर 2023 में मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगस्त 2025 में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत खराब हो चुकी वन भूमि के जीर्णोद्धार के लिए संशोधित तौर-तरीके जारी किए हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अब व्यक्तियों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए खराब हो चुकी वन भूमि के जीर्णोद्धार का कार्य करने हेतु खुला है। एक समर्पित ऑनलाइन

जीसीपी पोर्टल विकसित किया गया है, जहां संस्थाएँ और अन्य हितधारक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें भूमि पार्सल का चयन करना, निधि का भुगतान करना और ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करना शामिल है।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस (21 मार्च, 2025) के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सेंट्रल रिज में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया।

(v) मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस 2025 के आयोजन के लिए अपने सभी अधीनस्थ निकायों/संस्थानों के साथ-साथ राज्य वन विभागों को सक्रिय रूप से शामिल किया और निर्देश दिया, जो जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा (1-15 नवंबर 2025) के दौरान भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया।

(vi) विशेष अभियान 5.0: वन नीति विभाग ने सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा कर लिया है, जिनमें: (क) अनुसूची के अनुसार फाइलों की छँटाई (ख) स्थान निर्माण (ग) सभी लंबित शिकायतों, आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों आदि का निपटान (घ) सभी डेस्क की सफाई (ङ) अनुपयोगी उपकरणों का निपटान आदि शामिल है।

ग. प्रगति / नवाचार

- 31 दिसंबर, 2025 तक, कुल 2,572 अवनतित भूमि भूखंड, जिनकी कुल माप लगभग 60,563 हेक्टेयर है और जो 17 राज्यों में फैले हुए हैं, को ग्रीन क्रेडिट पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, 17 सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों ने 225 ब्लॉकों की पुनर्स्थापना के लिए ₹335.05 करोड़ का भुगतान किया है, जिनका क्षेत्रफल 4,391 हेक्टेयर है।

- अब तक 33 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य पारगमन नियम में संशोधन करके या जहाँ पारगमन नियम (टीपी नियम) लागू नहीं है, वहां एनटीपीएस के कार्यान्वयन के लिए एनटीपीएस का उपयोग करने पर सहमति जताकर एनटीपीएस को अपनाया है।

घ. भारत में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

(i) संयुक्त राष्ट्र वन मंच की बैठकों में भागीदारी : डीजीएफ एंड एसएस के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 5 से 9 मई, 2025 तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित संयुक्त वन मंच (यूएनएफएफ) की 20वीं बैठक में भाग लिया। इस सत्र के दौरान, भारत ने वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन में देश की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप पिछले पंद्रह वर्षों में वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने ' क्षयग्रस्त वन परिदृश्यों का जीर्णोद्धार' विषय पर एक सह-कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली स्थित एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीआरआई) के सहयोग से न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनएफएफ 20 में ' भारत का सतत वन प्रबंधन और जलवायु लचीलापन के प्रति दृष्टिकोण' विषय पर एक प्रस्तुति दी गई।

(ii) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तुर्की सरकार द्वारा 20-22 अक्टूबर 2025 को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित संयुक्त राष्ट्र रक्षा मंत्रालय (यूएनएफएफ) के अंतर्गत कंट्री लेड इनिशिएटिव (सीएलआई) कार्यक्रम में भाग लिया।

(iii) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 4-7 नवंबर, 2025 को थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित एशिया-प्रशांत वानिकी आयोग के 31वें सत्र में भाग लिया।

(iv) भारत द्वारा आगामी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के सातवें सत्र में ' जंगल की आग के प्रबंधन पर वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना ' विषय पर एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसे यूएनईपी को यूएनईए-7 में विचार किए जाने वाले मसौदा प्रस्तावों की आधिकारिक सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ड. विदेश मंत्रालय (एमईए), देशों के साथ समझौते, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अनुपालन।

न्यूजीलैंड के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच वानिकी सहयोग पर आशय पत्र पर 17 मार्च, 2025 को हस्ताक्षर किए गए।

6.5 वन संरक्षण

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

परिचय:-

i. वन संरक्षण मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग को वनों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे कि अवैध वृक्ष कटाई, वनों की कटाई, अतिक्रमण और वन अग्नि आदि से वनों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। यह विभाग वन अग्नि आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों की भी देखरेख करता है।

ii. मंत्रालय का वन संरक्षण प्रभाग केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके वनों के संरक्षण, वन अग्नि की रोकथाम और नियंत्रण में राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के प्रयासों का समर्थन करता है।

प्रभाग का उद्देश्य और कार्य:-

i. वन अग्नि से संबंधित मुद्दों के लिए मुख्य प्रभाग।

ii. वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन।

iii. वनों के संरक्षण से संबंधित चिंताओं में अवैध वृक्ष कटाई को रोकना, वनों की कटाई को रोकना और वन भूमि पर अतिक्रमण की समस्या का समाधान करना शामिल है।

iv. भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वन अग्नि का प्रबंधन करना, जैसे कि अलर्ट प्रसारित करना, आग लगने से पहले चेतावनी देना और भारतीय वन सर्वेक्षण को जले हुए क्षेत्रों का आकलन करने में सहायता करना। आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के लिए मुख्य प्रभाग।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण कार्यकलाप

i. भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, जो कि मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, ने पूरे देश में वनाग्नि का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग आधारित प्रणाली स्थापित की है, जो वन आग से संबंधित जानकारी का त्वरित पता लगाने और प्रसार करने की अनुमति देती है। इस तकनीक से पूरे देश में जंगल की आग का शीघ्रता के साथ पता लगाने और उसे नियंत्रित करने में काफी मदद मिलती है।

ii. भारतीय वन सर्वेक्षण की वन अग्नि चेतावनी प्रणाली के उपयोगकर्ता सब्सक्रिप्शन की संख्या वर्तमान वन अग्नि ऋतु (नवंबर 2024-जून 2025) में बढ़कर 4.35 लाख हो गई है, जबकि पिछली वन अग्नि ऋतु (नवंबर 2023-जून 2024) में यह संख्या 3.21 लाख थी।

iii. मंत्रालय ने आईसीएफआरई के माध्यम से रोकथाम, शमन और प्रतिक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को भी अंतिम रूप दे दिया है और उन्हें कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया है।

iv. मंत्रालय ने एनडीएमए और एनडीआरएफ के समन्वय से बड़े पैमाने पर जंगल की आग से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तीन बटालियनों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें 150 कर्मी शामिल हैं। एनडीआरएफ की इन तीनों बटालियनों को तत्काल देहरादून, बर्नीहाट और विजयवाड़ा में तैनात किया गया है।

v. वन अग्नि और रासायनिक दुर्घटनाओं से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रमुख मंत्रालय के रूप में, मंत्रालय ने ऐसी आपदाओं की निगरानी के लिए एक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में होने वाली आग और रासायनिक आपदाओं से संबंधित घटनाओं की बारीकी से निगरानी करने के लिए एक 24 घंटे की टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800119334) स्थापित की गई है ।

vi. आग लगने के मौसम की शुरुआत से पहले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार सलाह भेजी जा रही है, जिसमें उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वे जंगल की किसी भी आग को जल्द से जल्द बुझाने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें ताकि इसे प्रभावी ढंग से रोका और प्रबंधित किया जा सके।

vii. भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव "वनाग्नि प्रबंधन पर वैश्विक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना" को दिसंबर 2025 में केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण

सभा (यूएनईए) के सातवें सत्र में अपनाया गया है। भारत ने रेखांकित किया कि वनाग्नि वैश्विक स्तर पर उभरती हुई सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बन गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वनाग्नि प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को मजबूत करना है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में वनाग्नि की संख्या, विस्तार और तीव्रता में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो पहले केवल मौसमी घटनाओं तक सीमित हुआ करती थी। यह प्रस्ताव ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब के अंतर्गत चल रहे वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसके तहत समेकित अग्नि प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें सशक्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, जोखिम मूल्यांकन उपकरणों, तथा उपग्रह और स्थल आधारित पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी के विकास पर बल दिया गया है। साथ ही समुदाय आधारित चेतावनी तंत्र को प्रोत्साहित करने तथा वनाग्नि की रोकथाम, आग के बाद की प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन में सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया गया है। यह प्रस्ताव सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण के महत्व को भी रेखांकित करता है। साथ ही यह सदस्य देशों को वनाग्नि से लचीलापन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्ययोजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करता है तथा बहुपक्षीय वित्तपोषण और परिणाम आधारित वित्तीय तंत्र के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता देकर अंतरराष्ट्रीय वित्त तक पहुंच को सुगम बनाने का भी समर्थन करता है।

ग. प्रगति/नवाचार

वन संरक्षण विभाग, वन सर्वेक्षण विभाग के वन अग्नि भू-पोर्टल का उपयोग करके 2024-25 के वन अग्नि मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वास्तविक समय के निकट वन अग्नि का पता लगाने और बड़े पैमाने पर लगने वाली वन आग की निगरानी कर रहा है।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

वन अग्नि से बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य वन अग्नि से निपटने के लिए रोकथाम, नियंत्रण और प्रतिक्रिया संबंधी कार्यों का ज्ञान प्रदान करना है। एनडीआरएफ की तीन बटालियनों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें देहरादून, गुवाहाटी और विजयवाड़ा में तैनात किया गया है।

ड. सतत समितियाँ/ आयोग

i. वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए स्क्रीनिंग जांच समिती की कुल दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

ii. नई दिल्ली स्थित माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार, वन संरक्षण प्रभाग ने वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सचिव (ईएफ एंड सीसी) की अध्यक्षता में एक केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया है।

वन संरक्षण प्रभाग के अंतर्गत योजना:

केंद्र प्रायोजित योजना: वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना

क. उद्देश्य:

- वन अग्नि की घटनाओं की आवृत्ति को कम करने और प्रभावित क्षेत्रों में वनों की उत्पादकता को बहाल करने में सहायता करना।
- वन सीमावर्ती समुदायों के साथ औपचारिक रूप से सहयोग स्थापित करना और वनों का संरक्षण करना।
- पर्यावरण की स्थिरता को बनाए रखने के व्यापक उद्देश्य का समर्थन करना।
- वन अग्नि की भविष्यवाणी करने की प्रणाली और अग्नि के खतरे को वर्गीकृत करने की विधि विकसित करना।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आग के प्रबंधन और रोकथाम के लिए एक प्रणाली की योजना बनाने, विकसित करने और लागू करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी (जैसे जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग) का यथासंभव कुशल उपयोग करने में

सहायता करना।

- वन अग्नि की गतिशीलता और प्रभावों की समझ बढ़ाना।

ख. प्रगति/उपलब्धियाँ

08 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत ₹13.89 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन।

6.6 सर्वेक्षण और उपयोग

1 परिचय, उद्देश्य और कार्य

सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग वन संसाधनों के सर्वेक्षण और उपयोग से संबंधित मामलों को देखता है। यह चंदन, लाल चंदन, अगरवुड आदि से जुड़ी व्यापार नीति के विषयों को संभालता है। इसमें वन उत्पादों के निर्यात एवं आयात का विनियमन, निर्यात–आयात (एक्सिम) नीति के अनुरूप, शामिल है।

यह राज्य वन विकास निगमों से संबंधित मामलों को भी देखता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन प्लांटेशन विकास निगम लिमिटेड से जुड़े विषय भी इसी प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। अन्य दायित्वों में लकड़ी-आधारित उद्योग (डब्ल्यूबीआई) से संबंधित मामले शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता का क्रियान्वयन भी इसकी जिम्मेदारी है। यह प्रभाग भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना (आईएफडब्ल्यूसीएस) का कार्यान्वयन भी देखता है। इसके अतिरिक्त, विश्व संरक्षित क्षेत्र डेटाबेस से संबंधित विषय भी इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन (आईटीटीओ) और बांस और रतन के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनबीएआर) से संबंधित मामलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी प्रबंधन करता है। इस विभाग के अधीन एक ही संगठन है, अर्थात् भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, और स्थापना संबंधी मुद्दों को छोड़कर एफएसआई से संबंधित सभी मामले इसी विभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। एसयू प्रभाग केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से संबंधित मामलों से भी निपटता है।

प्रभाग का उद्देश्य और कार्य: गतिविधियों और उनके कार्यान्वयन संस्थानों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) भारतीय वन सर्वेक्षण: भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) रिमोट सेंसिंग और फील्ड इन्वेंटरी का उपयोग करके देश के वन संसाधनों का आकलन करता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों के वानिकी कर्मियों को वन आधारित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ii) केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति:- पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने तथा इन आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने हेतु दिनांक 05.09.2023 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता:- कार्य योजना भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य साधन है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता को सर्वप्रथम 2004 में अपनाया गया था, जिसमें बाद में 2014 में संशोधन किया गया। इसे 2023 में राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 के रूप में और संशोधित किया गया था।

(iv) भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना:- स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से संधारणीय लकड़ी और वन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना (आईएफडब्ल्यूसीएस) दिसंबर 2023 में जारी की गई थी।

(v) लकड़ी आधारित उद्योग: लकड़ी आधारित उद्योगों (स्थापना एवं विनियमन) संबंधी दिशानिर्देश, 2016 दिनांक 11.11.2016 को अधिसूचित किए गए थे। और इनमें 2017 और 2019 में संशोधन किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित कार्य करने के लिए 'राज्य स्तरीय समिति' का गठन करते हैं।

(vi) राज्य वन विकास निगम: एसयू डिवीजन, राज्य वन विकास निगमों से संबंधित मामलों के लिए मुख्य विभाग है।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन (आईटीटीओ): भारत आईटीटीओ का संस्थापक सदस्य है, जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों का संरक्षण करना और देशों को वानिकी के क्षेत्र में आर्थिक रूप से विकसित होने में सहायता करना है। इसमें 76 सदस्य देश हैं जिनमें से 37 उत्पादक और 39 उपभोक्ता हैं। भारत उत्पादक सदस्य देशों के समूह में आता है। आईटीटीओ की सदस्यता विश्व के उष्णकटिबंधीय लकड़ी के व्यापार के 90% और विश्व के उष्णकटिबंधीय वनों के 80% का प्रतिनिधित्व करती है। मंत्रालय में एसयू डिवीजन आईटीटीओ से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्य प्रभाग है।

(viii) अंतर्राष्ट्रीय बांस और रतन नेटवर्क (इनबार): इनबार एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इनबार बांस और रतन के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। मंत्रालय में एसयू डिवीजन, इनबार के लिए मुख्य प्रभाग है।

(ix) सर्वेक्षण और सीमांकन: - एसयू डिवीजन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वन सीमाओं के डिजिटलीकरण में तेजी ला रहा है और अधिसूचित वन क्षेत्र और सीमाओं के डिजिटलीकरण के बाद प्राप्त वन क्षेत्र के बीच की विसंगतियों को दूर कर रहा है।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण कार्यकलाप

एसयू डिवीजन के संबंध में 01.01.2025 से आज तक की अवधि के दौरान की गई महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

i. इस विभाग ने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है:

1 वन आवरण मानचित्रण और वृक्ष आवरण

मूल्यांकन:

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) उपग्रह डेटा की व्याख्या के माध्यम से द्विवार्षिक आधार पर देश के संपूर्ण वन आवरण का आकलन करता है और 'भारत की वन स्थिति रिपोर्ट' में जानकारी प्रकाशित करता है। अब तक, 1987 से 2023 तक वन आवरण आकलन के अठारह चक्र पूरे हो चुके हैं। वन आवरण मानचित्रण (एफसीएम) के 18वें चक्र के परिणाम आईएसएफआर 2023 में प्रकाशित हुए थे और वर्तमान में आईएसएफआर 2025 के लिए 19वें चक्र के एफसीएम का काम प्रगति पर है।

वन आवरण मानचित्रण के अलावा, वनों के बाहर के वृक्षों (टीओएफ) की सूची के आंकड़ों का उपयोग करके देश के वृक्ष आवरण का आकलन भी किया जा रहा है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार, पिछले आकलन, आईएसएफआर 2021 की तुलना में वन क्षेत्र में 156.41 किमी2 (0.02%) और वृक्ष क्षेत्र में 1,289.40 किमी2 (1.16%) की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र को मिलाकर कुल 1,445.81 वर्ग किमी (1.18%) की वृद्धि हुई है। नीचे मानचित्र में विभिन्न प्रकार के वनों का विवरण दिखाया गया है।

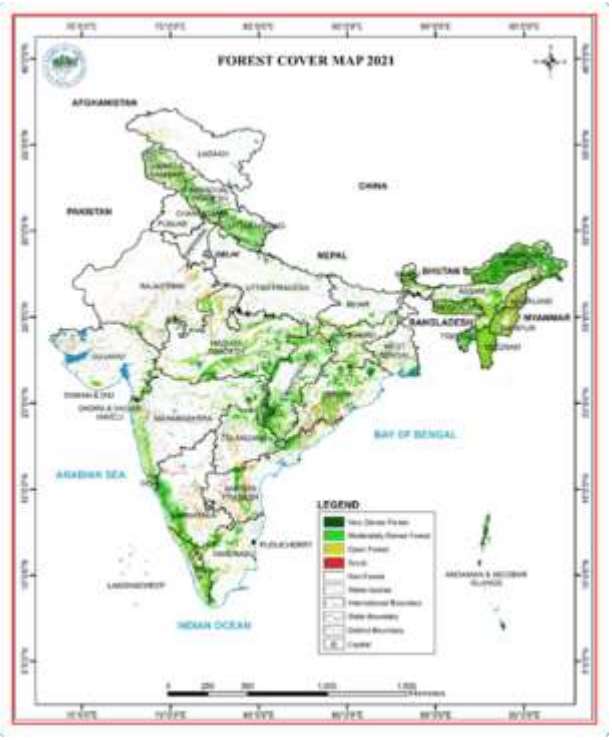

वन आवरण मानचित्रण

2. वन अग्नि की निगरानी और वन अग्नि जोखिम क्षेत्र निर्धारण मानचित्रण

(i) वन अग्नि की लगभग रियल टाइम निगरानी:

एफएसआई 2004 से नासा के एक्वा और टेरा उपग्रहों पर लगे मॉडिस (मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर) सेंसर द्वारा पता लगाए गए वन अग्नि स्थलों के बारे में राज्य वन विभागों को सचेत करता आ रहा है। तब से लेकर अब तक वन अग्नि चेतावनी प्रणालियों में लगातार सुधार होता रहा है।

(ii) एफएसआई फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 में कई उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं। इसमें सटीकता बढ़ाने के लिए बेहतर कस्टम फ़िल्टर उपलब्ध है। बड़े वनाग्नि की स्वतः पहचान और निगरानी के लिए 'लार्ज फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग प्रोग्राम' शामिल है। मैप सर्वर आधारित 'वन अग्नि जियो-पोर्टल' के माध्यम से अलर्ट का डायनामिक प्रदर्शन अन्य विषयगत परतों के साथ देखा जा सकता है। राज्य वन विभागों के जियो-पोर्टल के साथ एकीकरण हेतु वेब मैप सर्विस उपलब्ध है। राज्य वन विभागों के लिए अनुकूलित (कस्टमाइज़्ड) अलर्ट की सुविधा भी प्रदान की गई है।

एसएनपीपी-वीआईआईआरएस सेंसर के लिए नवंबर 2024 से जून 2025 की अवधि के दौरान लगभग रियल टाइम में वनाग्नि का पता लगाने की संख्या 2.38 लाख रही है। एफएसआई वन अग्नि चेतावनी प्रणाली का उपयोग देश भर में 4.35 लाख से अधिक पंजीकृत ग्राहकों द्वारा किया जा रहा है।

(iii) बड़ी वन अग्नि की निगरानी:

एफएसआई बड़े पैमाने पर जंगल की आग की निगरानी के लिए लगभग रियल टाइम में एसएनपीपी-वीआईआईआरएस डिटेक्शन का उपयोग करता है। बड़े वन अग्नि निगरानी प्रणाली में, एफएसआई का उद्देश्य देश भर में बड़ी आग की घटनाओं पर नज़र रखना और गंभीर वन अग्नि का पता लगाने, उस पर नज़र रखने और उसकी रिपोर्ट करने के उद्देश्य से विशिष्ट बड़े अग्नि अलर्ट प्रसारित करना है, ताकि राज्य वन विभाग में वरिष्ठ स्तर पर ऐसी आग की निगरानी में मदद मिल सके और ऐसी आग को बुझाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सहायता समय पर प्राप्त की जा सके। नवंबर 2024 से जून 2025 के दौरान कुल 14,609 बड़ी वन अग्निकांडों का पता चला।

(iv) अग्नि मौसम सूचकांक (एफडब्ल्यूआई) पर आधारित पूर्व-अग्नि चेतावनी:

वन की तरह प्रतीत होने वाली भूमि की जानकारी और वन अग्नि अभिलेखीय जानकारी का उपयोग वन अग्नि खतरे की रेटिंग उत्पन्न करने के लिए भी किया जा रहा है। आग लगने के मौसम के दौरान, वन अग्नि खतरे की रेटिंग की अत्यधिक जोखिम और बहुत उच्च जोखिम श्रेणियों की जानकारी प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को राज्य वन विभागों को पूर्व-अग्नि चेतावनी के रूप में प्रसारित की जाती है। आग लगने से पहले की चेतावनियाँ ईमेल के माध्यम से केएमएल (कीहोल मार्कअप लैंग्वेज) फ़ाइल के रूप में भेजी जाती हैं, जो गूगल अर्थ के अनुकूल फ़ाइल है और इसे राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख और वन अग्नि मुख्य अधिकारी को भेजा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अखिल भारतीय स्तर पर आपदाओं के लिए एक सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत की है। मार्च 2023 से अलर्ट जनरेटिंग एजेंसी (एजीए) के रूप में स्थापित एफएसआई, एसएसीएचईटी पोर्टल पर प्री-फायर अलर्ट डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है। स्थानीय पर्यावरण, जलवायु और अन्य संबंधित कारकों का आकलन करने के बाद, संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा इस डेटा को पूर्व-अग्नि चेतावनी के रूप में जनता को प्रसारित किया जाता है।

(v) संग्रहीत सूचनाओं के जीआईएस विश्लेषण के आधार पर अग्निप्रवण वन क्षेत्रों की पहचान पर अध्ययन:

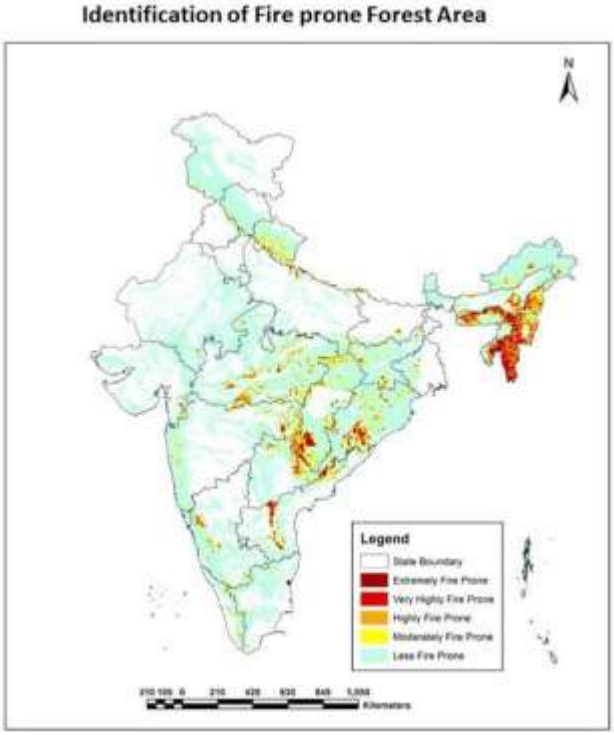

देश में आग लगने की संभावना वाले वन क्षेत्रों को दर्शाने वाला

मानचित्र

ऊपर चित्र में दिखाया गया मानचित्र यह दर्शाता है कि क्षेत्र में जंगल की आग लगने की कितनी संभावना है और यह जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी प्रबंधन उपकरण हो सकता है। किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं की आवृत्ति के आधार पर इस प्रवृत्ति का निर्धारण किया जा सकता है। इन मानचित्रों का उपयोग जंगल में आग लगने की अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है ताकि सतर्कता बढ़ाकर भविष्य में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके।

(vi) पश्चिमी हिमालयी राज्यों में वन अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण मानचित्रण:

पश्चिमी हिमालयी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं) के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया है ताकि अग्नि जोखिम क्षेत्रों की पहचान की जा सके और उपयुक्त वेरिएबल का उपयोग करके उन्हें विभिन्न जोखिम वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। परिणामों से आग का पता लगाने की घटनाओं के साथ अच्छा संबंध पाया गया है, जिसमें अधिकांश आग लगने की घटनाएँ बहुत उच्च जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं। यह देखा गया है कि प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले मामलों की संख्या सबसे अधिक अत्यधिक जोखिम वाले वर्ग में है, उसके बाद उच्च जोखिम और मध्यम जोखिम वाले वर्ग आते हैं।

(vii) एफएसआई वन अग्नि भू-पोर्टल

वन अग्नि भू-पोर्टल, वन अग्नि 3.0 (http://vanagniportal.fsiforestfire.gov.in/ fsi_fire/fire.html) एफएसआई का एक इन हाउस प्रयास है, जो मैपसर्वर जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर/टूल का उपयोग करता है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। जियो-पोर्टल उपयोगकर्ता के लिए इंटरैक्टिव और सरल दृश्य सुविधा प्रदान करता है। इसमें वनाग्नि से संबंधित डेटा देखा जा सकता है, जैसे

नियर -रियल-टाइम वनाग्नि डेटा और बड़े वनाग्नि घटनाओं की ट्रैकिंग। इसके साथ अन्य विषयगत परतें भी उपलब्ध हैं, जैसे वन प्रशासनिक सीमाएँ, वन आच्छादन, वन प्रकार, अग्नि-संवेदनशील वन क्षेत्र तथा एफडब्ल्यूआई आधारित अग्नि जोखिम श्रेणी। पोर्टल पर बड़े वनाग्नि घटनाओं के सक्रिय और निष्क्रिय पिक्सल का विवरण भी उपलब्ध है। वनाग्नि खतरा श्रेणी की जानकारी भी यहाँ देखी जा सकती है।

ग. राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (एनएसडीआई)

राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (एनएसडीआई) एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसकी निगरानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एनएसडीआई प्रभाग द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य देश भर में उपलब्ध स्थानिक डेटाबेस को मानकों और मापदंडों के एक सामान्य समूह के अनुरूप बनाने पर आम सहमति बनाना और देश भर के विभिन्न संस्थानों और संगठनों के बीच डेटा विषयों में असमानता को कम करना है। इस संबंध में, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) को एक भागीदार संस्था और कार्य समूहों (डब्ल्यूजी) के सदस्य के रूप में पहचाना गया है, जिन्हें वन संसाधनों और उनकी श्रेणियों से संबंधित विषयगत स्तर बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। एफएसआई राष्ट्रीय डेटा रजिस्ट्री (एनडीआर) के कार्य समूह के तकनीकी सदस्य के रूप में काम कर रहा है। एनडीआर डेटा नोड सुलभ और कार्यात्मक है। भू-स्थानिक डेटा एकीकरण की दिशा में अंतरसंचालनीय डेटा/मानचित्र सेवाएं प्रदान करने के लिए एफएसआई सहित सभी संबंधित एनडीआर नोड एजेंसियों को वर्चुअल मशीन (वीएम) आवंटित की गई हैं।

घ. निर्णय समर्थन प्रणाली

निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) एक वेब आधारित जीआईएस उपकरण है, जो वनों की गुणात्मक, मात्रात्मक और प्रशासनिक विशेषताएँ प्रदान करता है, वन प्रबंधन पर स्पष्ट, निष्पक्ष और त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। यह प्रणाली नियम आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करती है, जो बदले में अक्षुण्ण और गैर-अक्षुण्ण क्षेत्रों की पहचान के लिए स्थानिक परतों से प्राप्त कई मापदंडों का उपयोग करती है। इसका उपयोग मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य वन विभागों, और साथ ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विद्युत मंत्रालय, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाइड्रोकार्बन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आदि जैसे अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

ङ. राष्ट्रीय वन सूची और राष्ट्रीय वन सूची का आधुनिकीकरण:

वन संसाधनों के बढ़ते भंडार, वन क्षेत्र और अन्य मापदंडों पर राष्ट्रीय स्तर के अनुमान उत्पन्न करने के लिए एफएसआई द्वारा वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन सूची (एनएफआई) डिजाइन को अपनाया गया था। पूरे देश को 14 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और सर्वेक्षण के लिए 60 जिलों का चयन किया गया था, जो वनों के साथ-साथ वनों के बाहर के वृक्षों में भी दो साल के चक्र में पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए थे। एफएसआई ने एनएफआई कार्यक्रम को जिला आधारित दृष्टिकोण से ग्रिड आधारित दृष्टिकोण में पुनर्गठित किया। नई डिजाइन के तहत, पूरे देश को 5 किमी × 5 किमी के एकसमान राष्ट्रीय ग्रिड में विभाजित किया गया है। इस प्रकार, वन सूची के लिए पुनरीक्षण का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष और टीओएफ सूची के लिए 10 वर्ष कर दिया गया है।

च. भारत में वन संसाधनों के बाहर के वृक्ष:

वर्तमान एनएफआई डिजाइन के तहत देश में वन के बाहर के वृक्षों (टीओएफ) के संसाधनों और टीओएफ क्षेत्र के विस्तार का अनुमान लगाने के लिए एक नई पद्धति विकसित की गई है। इसमें पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों का आकलन नई विकसित पद्धति का उपयोग करके किया गया है। टीओएफ में उपलब्ध लकड़ी से प्राप्त होने वाली संभावित वार्षिक उपज का भी आकलन किया गया है। आईएसएफआर 2023 वन क्षेत्रों में सूचीबद्ध लगभग 27,917 भूखंडों और टीओएफ क्षेत्र में सूचीबद्ध 62,074 भूखंडों की जानकारी पर आधारित है।

छ. राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (एनडब्ल्यूपीसी-2023):

एनडब्ल्यूपीसी 2023 के अनुसार, एफएसआई ने दो एप्लिकेशन विकसित किए हैं, अर्थात् (i) फील्ड में डेटा संग्रह के लिए एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन, और (ii) डेटा प्रविष्टि के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन (डब्ल्यूबीए)। एंड्रॉइड आधारित एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsi.NFI&pcampaignid=web_share पर उपलब्ध कराया गया है।

ज. प्रशिक्षण-सह-क्षमता निर्माण कार्यशाला:

एफएसआई ने राज्य वन विभागों, विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है और साथ ही टोंगा साम्राज्य के वन अधिकारियों को "राष्ट्रीय वन सूची" पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

झ. नाटकॉम के अंतर्गत वन कार्बन परियोजनाएँ

i. एफएसआई विभिन्न राष्ट्रीय संचार माध्यमों (एनएटीकॉम) के लिए नियमित आधार पर देश के जंगलों में कार्बन भंडार का अनुमान लगाता रहा है और देश की ग्रीनहाउस गैस सूची तैयार करने में मंत्रालय को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता रहा है।

ii. केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) वन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, सीईसी विभिन्न हितधारकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन करता है। सीईसी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट का विवरण सीईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iii. भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना (आईएफडब्ल्यूसीएस), जिसे "प्रमाण" (कृषि वानिकी और प्राकृतिक वानिकी संसाधनों के लिए सतत प्रबंधन प्रथाओं की मान्यता और प्रत्यायन के लिए कार्यक्रम) के रूप में ब्रांडेड किया गया है, वनों के बाहर और अन्य प्राकृतिक वनों में पेड़ों के सतत प्रबंधन और लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पादों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। यह योजना भारत की वानिकी प्रथाओं की अखंडता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जो वन प्रबंधकों, किसानों और लकड़ी आधारित उद्योग को एक विश्वसनीय प्रमाणन प्रदान करती है जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में सुधार होता है। सतत प्रथाओं को बढ़ावा देकर, आईएफडब्ल्यूसीएस-प्रमाण पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों का समर्थन करता है, साथ ही लकड़ी आधारित उद्योग में शामिल संबंधित हितधारकों के लिए आर्थिक अवसरों को भी बढ़ावा देता है।

iv. 1 जनवरी 2025 से लेकर आज तक की संदर्भ अवधि के दौरान, आईएफडब्ल्यूसीएस-प्रमाण ने शासन, प्रत्यायन, मानक-निर्धारण, क्षमता निर्माण, आउटरीच

और प्रमाणन कार्यान्वयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आईएफडब्ल्यूसीएस तकनीकी समिति और आईएफडब्ल्यूसीएस की प्रमुख बहुहितधारक बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 51 प्रमाणन निकायों (सीबी) को अधिसूचित करके, पांच आवेदनों को संसाधित करके और चार सीबी को अनंतिम अनुमोदन प्रदान करके प्रमाणन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया गया। कई महत्वपूर्ण मानक दस्तावेज पूरे किए गए और अनुमोदित किए गए, जिनमें सार्वभौमिक आवश्यकताओं वाले वन और टीओएफ प्रबंधन मानक, मान्यता और प्रमाणन मानक, समूह प्रमाणन दिशानिर्देश, उत्पाद सूचियाँ, ट्रेडमार्क उपयोग नियम और अद्यतन चेन ऑफ कस्टडी मानक शामिल हैं। पोर्टल विकास के लिए आरएफपी जारी करने, एनआईसी होस्टिंग और वीपीएन की मंजूरी मिलने और आईआईएफएम वेबसाइट पर एक अंतरिम वेबपेज लॉन्च करने के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति हुई है। क्षमता निर्माण प्रयासों में लेखा परीक्षकों का प्रशिक्षण, अनिवार्य आईएफएस अधिकारी पाठ्यक्रम और अनुकूलित ऑनलाइन प्रशिक्षण शामिल थे, जिन्हें प्रमुख राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और भारत-यूके अंतरराष्ट्रीय ज्ञान विनिमय कार्यशाला के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा पूरक बनाया गया था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब के बड़े वन क्षेत्रों को कवर करने वाले कई एफएम और टीओएफएम पूर्व-लेखापरीक्षाओं और मुख्य लेखापरीक्षाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रमाणीकरण गतिविधियां आगे बढ़ीं, और मध्य प्रदेश को प्रस्तुत प्रस्तावों के माध्यम से योजना के तहत महत्वपूर्ण संस्थागत, तकनीकी और परिचालन उपलब्धियों को सामूहिक रूप से चिह्नित किया गया।

v. वर्ष के दौरान, लाल चंदन, अगरवुड, अगरवुड तेल और चंदन की लकड़ी के निर्यात/आयात के संबंध में प्राप्त संदर्भों पर कार्रवाई की गई और राज्यों तथा साइट्स एमए इंडिया के परामर्श से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के विदेश व्यापार महानिदेशालय को आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

vi. वाणिज्य विभाग से बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं, जिनमें मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और लकड़ी उत्पादों का व्यापार, जिसमें लकड़ी उत्पादों पर टैरिफ भी शामिल है, से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों का गहन विश्लेषण किया गया और वाणिज्य विभाग / आर्थिक प्रभाग को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सुझाव और टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं।

ग. प्रगति/नवाचार

- देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट-2023 का विमोचन।
- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्य योजनाओं की तैयारी के लिए वेब आधारित और मोबाइल आधारित एनडब्ल्यूपीसी-2023 ऐप का प्रारंभ।

घ. निरंतर समितियाँ / आयोग

श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाल ताड़ के तेल (आरओपी) के वृक्षारोपण पर अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।

ङ. भारत में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी परिषद (आईटीटीसी) के 61वें सत्र और इसकी संबद्ध समितियों के सत्रों में भाग लिया। इस सत्र के दौरान, भारत ने सतत वन प्रबंधन, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना (आईएफडब्ल्यूसीएस) और वन अग्नि प्रबंधन में तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन (आईटीटीओ) के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

च. प्रमुख प्रकाशनों की सूची

- एफएसआई द्वारा जारी भारत की वन स्थिति रिपोर्ट-2023: यह रिपोर्ट वन संसाधनों की स्थिति का विवरण प्रदान करती है।

6.7 वानिकी अनुसंधान

1. विभाग का नाम: आर टी

2. योजना / कार्यक्रम का नाम: भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद

क. परिचय एवं उद्देश्य

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), जो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है, वानिकी के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के समग्र विकास का कार्य कर रही है। यह परिषद वानिकी क्षेत्र में मामलों के अनुरूप समाधान-आधारित वानिकी अनुसंधान से संबंधित कार्य करती है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता का संरक्षण, मरुस्थलीकरण से निपटना और संसाधनों का सतत प्रबंधन और विकास जैसी वैश्विक चिंताएँ शामिल हैं।

आईसीएफआरई के उद्देश्य

- देश में वन संसाधनों के वैज्ञानिक और संधारणीय प्रबंधन की दिशा में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को संचालित करना, सहायता प्रदान करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना।

- परिषद में वानिकी अनुसंधान कार्यक्रमों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और जलवायु परिवर्तन से निपटने सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करना।

- केंद्र और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और नीतिगत सहायता प्रदान करना, ताकि राष्ट्रीय महत्व के वानिकी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

- वन विज्ञान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना और वन पर निर्भर समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों को ऐसे ज्ञान का प्रसार करना, साथ ही पर्यावरण और वन क्षेत्र में परामर्श और क्षमता निर्माण सेवाएँ प्रदान करना।

- राज्यों, वन आधारित उद्योगों, वृक्ष उत्पादकों, किसानों और अन्य लोगों को वन संरक्षण, वृक्षारोपण, कृषि-वानिकी और संबद्ध गतिविधियों के लिए तकनीकी सहायता और समर्थन प्रदान करना।

संधारणीय संसाधन उपयोग, आजीविका और आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वन आधारित प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों का विकास करना।

- देश में वानिकी शिक्षा को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना, जिसमें एक समान पाठ्यक्रम का विकास भी शामिल है।

- वन संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक और अनुकूल अन्य गतिविधियों का संचालन करना, जिन्हें परिषद आवश्यक समझे।

ख. संपन्न किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- आईसीएफआरई की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 6 अक्टूबर 2025 को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में डीजीएफ एंड एसएस, मंत्री, डीजी, आईसीएफआरई और सोसायटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

माननीय मंत्री जी ने आईसीएफआरई की 31वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की।

- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माननीय मंत्री, श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता वाली

संसदीय सलाहकार समिति ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री, श्री कीर्ति वर्धन सिंह और छह माननीय सांसदों के साथ दिनांक 23.01.2025 को आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी, कोयंबटूर का दौरा किया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माननीय मंत्री आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं।

- केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 20-21 अप्रैल 2025 को देहरादून स्थित आईसीएफआरई-एफआरआई का दौरा किया और आईसीएफआरई-एफआरआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, आईसीएफआरई के महानिदेशक और आईसीएफआरई-एफआरआई, देहरादून के निदेशक उपस्थित थे।

माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री का आईसीएफआरई - एफआरआई में दौरा

- योग दिवस 2025 के अवसर पर, आईसीएफआरई-एफआरआई, देहरादून ने हरित योग सत्र का आयोजन किया। मुख्य अतिथि, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आईसीएफआरई, आईसीएफआरई-एफआरआई, आईएनजीएफए, कैस्फ़ोस, डीएफई और केवी एफआरआई के प्रतिभागियों के साथ योगाभ्यास किया।

आईसीएफआरई-एफआरआई में हरित योग सत्र

- श्री तन्मय कुमार, आईएएस, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एएस एंड एफए, एडीजी (वन्यजीव) तथा डीआईजी (आरटी) के साथ 08.01.2025 को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का दौरा किया और परिषद की गतिविधियों तथा 'संधारणीय भूमि प्रबंधन' उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की समीक्षा की। बैठक में आईसीएफआरई के महानिदेशक और अन्य आईसीएफआरई अधिकारी उपस्थित थे।

आईसीएफआरई में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव का दौरा

- देहरादून स्थित आईसीएफआरई ने 19-05-2025 को

जोरहाट स्थित आईसीएफआरई-आरएफआरआई में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निरंतर की पहली त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया। श्रीमती कंचन देवी, आईएफएस, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के निदेशक, अधिकारी एवं वैज्ञानिक उपस्थित थे।

आईसीएफआरई-आरएफआरआई में पहली निरंतर बैठक

- विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस 2025 के अवसर पर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जोधपुर स्थित आईसीएफआरई-एएफआरआई में "मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण रणनीतियों" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसद सदस्य (राज्यसभा) श्री राजेंद्र गहलोत भी गणमान्य व्यक्ति के रूप में मौजूद थे।

- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) ने 25.04.2025 को डीजीएफ़ एंड एसएस, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको-डेवलपमेंट बोर्ड (एनएईबी) के सहयोग से 'वन हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रमुख भारतीय नदी तंत्रों के पुनर्जीवन हेतु डीपीआर के कार्यान्वयन' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और आईसीएफआरई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वन संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रमुख भारतीय नदी प्रणालियों के पुनरुद्धार के लिए डीपीआर पर कार्यान्वयन कार्यशाला

- वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, आईसीएफआरई और इसके संस्थानों ने राष्ट्रीय गीत पाठ सत्र का आयोजन किया। इस अवसर को चिह्नित करने और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया।

- महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, श्रीमती कंचन देवी ने 'क्यूपीएम प्रमाणन

प्रोटोकॉल, नर्सरियों के प्रमाणन हेतु एजेंसियों का प्रत्यायन तथा क्यूपीएम उत्पादन के लिए ऑनलाइन प्रणाली' विषय पर आयोजित एफएओ कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया।

महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा 'क्यूपीएम प्रमाणन प्रोटोकॉल, नर्सरियों के प्रमाणन हेतु एजेंसियों का प्रत्यायन तथा क्यूपीएम उत्पादन के लिए ऑनलाइन प्रणाली' विषय पर एफएओ द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया गया।

- आईसीएफआरई - आईएफजीटीबी ने केएफआरआई द्वारा आयोजित और इंटरनेशनल टीक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंडिया द्वारा समन्वित पांचवें विश्व टीक सम्मेलन में भाग लिया, जो 17-20 सितंबर 2025 के दौरान कोचीन, केरल में आयोजित किया गया था। श्रीमती कंचन देवी, आईएफएस, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून ने सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया

आईसीएफआरई के महानिदेशक ने पांचवें विश्व सागौन सम्मेलन में एक विशेष संबोधन दिया।

- आईसीएफआरई और आईसीआईएमओडी ने संयुक्त रूप से 17 से 19 दिसंबर 2025 तक राजाजी टाइगर रिजर्व, चिल्ला, देहरादून में "पश्चिमी हिमालय में मानव-वन्यजीव संघर्ष और सहअस्तित्व" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य वन विभाग, उत्तराखंड वन पंचायतों, आईसीएफआरई, आईसीआईएमओडी, आईयूसीएन, डब्ल्यूआईआई, गैर सरकारी संगठनों और नेपाल वन विभाग के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- आईसीएफआरई की अनुसंधान नीति समिति (आरपीसी) की 25वीं बैठक 24-25 फरवरी 2025 को आयोजित की गई, जिसके दौरान वर्ष 2025-26 के लिए 39 नई परियोजनाओं और 108 चल रही परियोजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई।

- पांच क्षेत्रीय अनुसंधान सम्मेलनों का आयोजन किया गया:

  i. संधारणीय वानिकी के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) सुनिश्चित करना: आईसीएफआरई-टीएफआरआई, जबलपुर में मानक, स्रोत और पद्धतियाँ

  ii. ट्रीज-2025* वृक्ष सुधार: भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद - वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर में 'उन्नत उत्पादकता की प्राप्ति एवं स्थिरता को सक्षम बनाना - 2025' कार्यक्रम आयोजित किया गया।

  iii. रांची स्थित आईसीएफआरई-आईएफपी में

समावेशी और सतत आर्थिक विकास के लिए वानिकी संबंधी हस्तक्षेप।

iv. झूम खेती के पारिस्थितिक प्रभाव: जोरहाट स्थित आईसीएफआरई-आरएफआरआई में अनुसंधान एवं शमन कार्य

v. देहरादून स्थित आईसीएफआरई-एफआरआई में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले शहरों के निर्माण में शहरी वानिकी और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका पर व्याख्यान।

- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खराब हो चुकी वन भूमि के जीर्णोद्धार के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए कार्यप्रणाली और खराब हो चुकी वन भूमि पर वृक्षारोपण करने के तौर-तरीकों को संशोधित किया है। प्रारंभिक चरण में, वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत खराब हो चुकी भूमि पर स्वैच्छिक पर्यावरण-पुनर्स्थापन और वृक्षारोपण की परिकल्पना की गई है। जीसीपी के तहत विभिन्न राज्यों में कुल 4391 हेक्टेयर (225 भूभाग) खराब वन भूमि का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

- आईसीएफआरई संस्थानों में 17 जुलाई से 29 अगस्त वर्ष 2025 तक 31 एआईसीआरपी और 2 एफजीआर परियोजनाओं को कवर करते हुए दस राष्ट्रीय आउटरीच कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, अरुणाचल प्रदेश के वानिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वानिकी पाठ्यक्रम।

- आईसीएफआरई और इसके संस्थानों ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के चरण-2 के तहत अपने कर्मचारियों के लिए व्यवहार प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

- झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, गुजरात, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न वन प्रभागों के लिए 287 वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।

- नवसारी (गुजरात), एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय (उत्तराखंड), संबलपुर अनुसंधान क्षेत्र (ओडिशा) तथा इंदौर (मध्य प्रदेश) में 04 नए वन विज्ञान केंद्र (वीवीके) स्थापित किए गए। डी. गुडलूर, जिला डिंडीगुल (तमिलनाडु) तथा नागपुर, जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में दो नए डेमो गांव स्थापित किए गए।

इसके अतिरिक्त, देशभर में 16 वृक्ष उत्पादक मेला/संस्थान–उद्योग बैठकें आयोजित की गईं। इन मेलों में लगभग 3375 हितधारकों ने भाग लिया।

- हितधारकों के लिए 225 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 5,577 प्रतिभागियों तक पहुँच बनाई गई। इन प्रशिक्षणों में वन एवं नर्सरी प्रबंधन, सिल्वीकल्चर, आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन, एचपीएलसी, क्रोमैटोग्राफी, जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता तथा पर्यावरण प्रबंधन जैसे विविध विषय शामिल थे। इसके अतिरिक्त, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से 25 रेडियो वार्ताएँ भी प्रसारित की गईं। इससे औपचारिक प्रशिक्षण स्थलों से बाहर भी व्यापक जन-सम्पर्क सुनिश्चित हुआ।

- वर्ष 2025 में, 267 आईसीएफआरई कर्मचारियों ने आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकरण कराया और निरंतर क्षमता-निर्माण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया। पूरे वर्ष के दौरान, इन कर्मचारियों द्वारा उल्लेखनीय रूप से 7,610 पाठ्यक्रम पूरे किए गए।

- प्रकृति कार्यक्रम ने युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत आयाम जोड़ा, जिसमें 95 गतिविधियों के माध्यम से 10,853 छात्रों को सीधे वैज्ञानिकों और वनों और जैव विविधता की दुनिया से जोड़ा गया।

- राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

- राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, इस अवधि में आईसीएफआरई (मुख्यालय) और इसके संस्थानों ने 27 त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाओं / प्रशिक्षणों का आयोजन किया।

- आईसीएफआरई (मुख्यालय) और इसके संस्थानों ने

सितंबर 2025 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाया, जिसमें राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया गया।

- आईसीएफआरई-आरएफआरआई, जोरहाट को 6 फरवरी, 2025 को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता (2023-24) के लिए टोलिक, जोरहाट से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, जबलपुर स्थित आईसीएफआरई-टीएफआरआई को भी 31 जुलाई, 2025 को जबलपुर स्थित टोलिक द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, आईसीएफआरई-एएफआरआई, जोधपुर को 20 अगस्त, 2025 को टोलिक, जोधपुर द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ग. प्रगति / नवाचार

- कैसुआरिना पर किए गए शोध से पता चला है कि क्लोन सीएच 5 ऊंचाई और मोटाई के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर रिलीज के लिए सर्वश्रेष्ठ क्लोन के रूप में उभरा है।

- *मेलिया ड्यूबिया* जीके 10 की एक किसान द्वारा विकसित किस्म को पीपीवी और एफआरए, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ मौजूदा (सामान्य ज्ञान की किस्म) श्रेणी के तहत 18 वर्षों की संरक्षण अवधि के लिए पंजीकृत किया गया था।

- वृक्ष सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित की गईं:

  - झारखंड के चंदवा और एरिड (रांची) में कैसुरिना के दो क्लोनल परीक्षण स्थापित किए गए।

  - आईसीएफआरई-आईएफपी परिसर (52 प्रजातियाँ) और मंदार (18 प्रजातियाँ) में बांस के क्लोनल गुणन क्षेत्र (सीएमए) बनाए गए।

  - 17 बांस प्रजातियों के 215 उत्कृष्ट और उससे भी अधिक श्रेणी के समूह की पहचान की गई।

  - *मधुका लोंगिफोलिया* का एक वनस्पति गुणन उद्यान (वीएमजी) स्थापित किया गया, जिसमें 60 सीपीटी (कैपिटलाइज्ड प्लांट्स) शामिल थे। इसके अलावा, सीपीटी के 150 से अधिक ग्राफ्ट भी तैयार किए गए।

  - पूर्वी भारत में पाए जाने वाले 99 सीपीटी में से *श्लेइचेरा ओलेओसा* के 20 सीपीटी की पहचान की गई। इसके अलावा, सीपीटी के 50 से अधिक ग्राफ्ट भी तैयार किए गए।

  - लक्षित छह एफजीआर प्रजातियों का फील्ड जीन बैंक स्थापित किया गया। *बुकानिया कोचिनचिनेंसिस, हल्दीना कॉर्डिफ़ोलिया, पेट्रोकार्पस मार्सुपियम, लित्सिया ग्लूटिनोसा, स्टेरकुलिया यूरेन्स, बोसवेलिया सेराटा* ।

  - मुलुगु स्थित फील्ड रिसर्च स्टेशन में *गार्डेनिया रेसिनिफेरा* का प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किया गया है।

- भारत के वन आनुवंशिक संसाधनों के लिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, वन विस्तारा का शुभारंभ आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी, कोयंबटूर द्वारा किया गया। इसे राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संरक्षण एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया गया था।

- उत्तर पूर्वी भारत के बांस के फूल आने से संबंधित डेटाबेस तैयार किया गया। पूर्वोत्तर भारत की 40 बांस प्रजातियों के बांस के फूल आने से संबंधित द्वितीयक डेटा एकत्र और संकलित किया गया।

- विभिन्न प्रकार के विकास माध्यमों के प्रयोग के माध्यम से *डेस्मोडियम गैंगेटिकम, डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया* और *डिप्लोक्रेमा ब्यूटाइरेसिया* के लिए मानकीकृत संवर्धन पद्धतियाँ ।

- विभिन्न गैर-पौधों (एनटीएफपी) की पारंपरिक कटाई तकनीकों का दस्तावेजीकरण किया और *डिप्लोक्रेमा ब्यूटिरेसिया* फल, *डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया* प्रकंद, *वैलेरियाना जटामानी* प्रकंद, *मिरिका एस्कुलेंटा* और *प्रूनस सेरासोइड्स* छाल के लिए टिकाऊ कटाई प्रोटोकॉल विकसित किए।

- *डिप्लोक्रेमा ब्यूटिरेसिया* के मानकीकृत कटाईत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन तकनीकें ।

- 18 वानिकी प्रजातियों के लिए रंग-आधारित बीज परिपक्वता संकेतकों का मानकीकरण किया गया। बीज प्रबंधन और बीज निष्कर्षण की विधियों को भी मानकीकृत किया गया। प्रत्येक प्रजाति के लिए विशिष्ट बीज भंडारण प्रोटोकॉल विकसित किए गए। इन प्रजातियों में *एसर पिक्टम, अल्बिज़िया ओडोरैटिसिमा, डायोस्पाइरोस टोमेंटोसा, सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, एरिथ्रिना सुबेरोसा, हेटेरोपैनेक्स फ्रैग्रेंस, माकिलस ओडोरैटिसिमा, स्टर्कुलिया विलोज़ा, टूना सेराटा, क्वेरकस ग्लॉका, स्टीरियोस्पर्मम सुवेओलेन्स, लिट्सिया चिनेंसिस, एल्नस निटिडा, किडिया कैलिसीना, त्सुगा डुमोसा, अल्बिज़िया जुलिब्रिसिन, प्रेम्ना लैटिफोलिया* तथा *ट्रेरोस्पर्मम एसेरिफोलिय* शामिल हैं।

- दक्षिण त्रिपुरा (01 मॉडल वृक्षारोपण) और पश्चिम त्रिपुरा (02 मॉडल वृक्षारोपण) में तीन बांस प्रजातियों, अर्थात् *थिरसोस्टैचिस ओलिवरी, बंबूसा बाल्कोआ* और *बी.पॉलीमोर्फा* का उपयोग करके तीन स्थल-विशिष्ट बांस-आधारित पवनरोधी मॉडल वृक्षारोपण और उनके प्रबंधन पद्धतियों को विकसित किया गया ।

- तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के पिचावरम (रामसर साइट) में मैंग्रोव वनों में पहला दीर्घकालिक पारिस्थितिक भूखंड (एलटीईएमपी) विकसित किया गया। 1.25 हेक्टेयर क्षेत्र में 12 टैक्सोन से संबंधित 3000 से अधिक जीवों की गणना की गई है। दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी भूखंड मृदा मैट्रिक्स परिवर्तनों, जलवैज्ञानिक प्रवाह और जैव-मौसम विज्ञान कारकों पर डेटा प्रदान करता है।

तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के पिचावरम (रामसर साइट) में पहले एलटीईएमपी में आवधिक डेटा संग्रह।

- भारतीय हिमालय से प्राप्त एक नई कंद प्रजाति - *ट्यूबर एशियाटिकम* एसपी. नोव. - एक वास्तविक ट्रफल प्रजाति की रिपोर्ट की गई है।

- केले के छद्म तने का उपयोग फ्लैट पैनलों के निर्माण में सफलतापूर्वक किया गया है। विकसित उत्पाद नमी प्रतिरोधक क्षमता की निर्धारित विशेषताओं को पूरा करता है।

- विस्तृत रूपात्मक और फाइलोजेनेटिक विश्लेषणों के माध्यम से हार्जियानम क्लेड के भीतर एक नए टैक्सोन, *ट्राइकोडर्मा फ्रियानम* एसपी. की खोज की गई है। इस वर्गीकरण संबंधी नवीनता को माइकोबैंक में MB857520 के तहत पंजीकृत किया गया है। विशेष रूप से, *टी. फ्रियानम* उच्च लवणता के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करता है। यह इन-विट्रो परिस्थितियों में प्रबल प्रतिरोधी (एंटागोनिस्टिक) गतिविधि भी दर्शाता है। यह यूकेलिप्टस को प्रभावित करने वाले कई रोगजनक कवकों की वृद्धि को प्रभावी रूप से रोकता है। इनमें हाल ही में पहचानी गई अत्यधिक रोगजनक प्रजाति *कैलोनैक्ट्रिया यूकेलिप्टोरम (MB853568), नियोफ्यूसिकोक्कम मैंगिफेरी, बोट्रायोस्फेरिया डोथिडिया* तथा *लासियोडिप्लोडिया इरानीएन्सिस* शामिल हैं। ये विशेषताएँ वानिकी पारितंत्रों में जैव-नियंत्रण अनुप्रयोगों तथा तनाव-सहनशीलता के लिए इसकी संभावनाओं को रेखांकित करती हैं।

- लकड़ी के फ्रेम सेक्शन के अग्नि प्रतिरोध प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक परीक्षण पद्धति विकसित की गई। प्रायोगिक परिणामों के आधार पर, अकार्बनिक अग्निरोधी अवरोधों के साथ लकड़ी के प्रभावी उपयोग के लिए डिजाइन अवधारणाएँ विकसित की गईं।

जलने के बाद विघटित नमूना

बांस के कनेक्टर के ऊपर रिंग कनेक्टर लगाया गया है।

जलने के बाद भी अक्षुण्ण नमूना (फास्टनर सहित)

वृत्ताकार रिंग के साथ बांस के कनेक्टर्स की व्यवस्था

- आईएस मानक के अनुसार एमआर ग्रेड पास करने वाला प्लाईवुड: आईएस 3087 के अनुसार ग्रेड-2 के लिए शून्य फॉर्मेल्डिहाइड उत्सर्जन वाला पार्टिकल बोर्ड 848-2006 विकसित किया गया था। कवक के विरुद्ध जैविक स्थायित्व अध्ययन से पता चला कि इसका स्थायित्व मौजूदा एमआर ग्रेड रेजिन के समान है।

- 190 मिमी x 190 मिमी x 110 मिमी गहराई वाले फैब्रिकेटेड बॉक्स टाइप बांस कनेक्टर, 180 मिमी व्यास, 6 मिमी मोटाई और 50 मिमी गहराई वाले इनर रिंग कनेक्टर को तैयार किया गया है, जिसमें तिरछे विपरीत दिशा में छेद किए गए हैं और 45 डिग्री पर बॉल और सॉकेट मूवमेंट की सुविधा है।

- रबर की लकड़ी (*हेविया ब्रासिलिएन्सिस*) और चीड़ की लकड़ी (*पाइनस रॉक्सबर्गी*) को अग्निरोधी रसायनों (एफआर) से उपचारित किया गया। एनएस$_{2.5}$ / डीएपी$_{20}$ / डीसीडी$_3$ संसेचन वाले नमूनों ने यूएल-94 वी-0 रेटिंग के साथ उत्कृष्ट ज्वाला मंदता प्रदर्शित की। यांत्रिक गुणों, तापीय स्थिरता और ज्वलनशीलता के परिणामों के आधार पर, इस अध्ययन ने नाइट्रोजन-फॉस्फोरस यौगिकों और नैनो-SiO_2 के बीच एफआर के रूप में उत्कृष्ट तालमेल की पुष्टि की।

- जोरहाट स्थित आईसीएफआरई-आरएफआरआई में

एक बांस संग्रहालय और व्याख्या केंद्र विकसित किया गया।

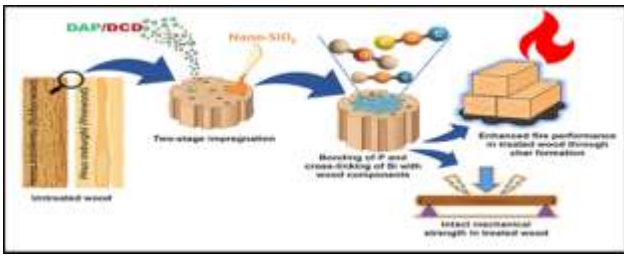

नाइट्रोजन-फॉस्फोरस एफआर के साथ नैनो-SiO_2 के संसेचन को दर्शाने वाला ग्राफिकल सारांश, जो लकड़ी के मजबूती गुणों को बरकरार रखता है।

- आईसीएफआरई-आरएफआरआई में उन्नत ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला और कंपोजिटिंग सुविधा स्थापित की गई।

- दिहिंग पटकाई जलसंभर, जेपोर वन रेंज में एक स्वचालित डिजिटल जलस्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित किया गया है ताकि उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र से होकर बहने वाली दिहिंग नदी के जलस्तर की नियमित रूप से निगरानी की जा सके।

दिहिंग पटकाई जलक्षेत्र में जल स्तर की स्थापना और निगरानी

- अगरतला स्थित आईसीएफआरई-एलईसी ने 'बायोचार-समृद्ध कम्पोस्ट' विकसित और जारी किया है।

अगरतला स्थित आईसीएफआरई-एलईसी द्वारा बायोचार युक्त खाद का विमोचन

- आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी द्वारा विकसित चुनिंदा व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष फसलों के बायोमास संवर्धन के लिए विभिन्न लाभकारी सूक्ष्मजीवों की शुद्ध संस्कृतियों का उपयोग करते हुए " एन-फिक्सर ", राइजोरेड, के-मोबिलाइजर और

बायोरेक्लेमर नामक जैव-उर्वरक उत्पाद।

- शिवाजी राजीविका किसान उत्पादक समूह, मालेरा और मोरस वन धन विकास केंद्र, पंचायत घराट, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान के सदस्यों के लिए मोमोर्डिका डियोइका (कांकोंडा) अचार तैयार करने पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने उत्पाद के लिए एफएसएसएआई प्रमाणन प्राप्त किया (लाइसेंस सं. 22223050000223)।

- वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से, पवित्र बोधि वृक्ष की पवित्र विरासत को संरक्षित किया गया है। परिणामस्वरूप, यह वृक्ष उत्कृष्ट रूप से स्वास्थ्य बना हुआ है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है।

- वन संबंधी उपायो के माध्यम से सुवर्णरेखा और दामोदर नदियों के पुनर्जीवन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। इसमें परियोजना का दायरा, उपाय सम्बन्धी मॉडल तथा बजट अनुमान का विवरण शामिल है।

इसे स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

- निम्नलिखित विषयों पर 09 वित्त चित्र तैयार की गईं: जोरहाट और अगरतला में आयोजित टीजीएम (2), उत्तर प्रदेश में 'ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट्स', नई प्रजातियों का परिचय — अगर, बाँस और चंदन, वन सम्बन्धी उपायों के माध्यम से इको-रीस्टोरेशन, एचएफआरआई, शिमला द्वारा विकसित मृदा स्वास्थ्य संवर्धक, एचएफआरआई, शिमला द्वारा विकसित जैव-कीटनाशक उत्पाद, एचएफआरआई, शिमला द्वारा विकसित उच्च पर्वतीय समशीतोष्ण औषधीय पौधों की महत्वपूर्ण प्रजातियाँ, टीएफआरआई पर नई वित्त चित्र।

- विकसित उत्पाद:
  - कपास के डंठल और जूलिया वनस्पति से प्राप्त लिग्निन का उपयोग करके फिनोल लिग्निन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन/चिपकने वाला पदार्थ।
  - केले के तने से बना फाइबर बोर्ड।
  - 120 मिनट की अग्नि सुरक्षा रेटिंग वाला अग्निरोधी दरवाजा (एफआरडी)।
- प्रदान किया गया पेटेंट:
  - तेल के अम्लीकरण को कम करने की एक विधि।
  - वेनीर वुड कम्पोजिट बोर्ड के निर्माण के लिए एक सहक्रियात्मक संयोजन और उसकी विधि।
  - तेल के अम्लीकरण को कम करने की एक विधि।
- आवेदन किया गया पेटेंट:
  - ज्वाला रोधी बांस की चटाई आधारित कंपोजिट और उनकी तैयारी विधि।
  - एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी जेली फॉर्मूलेशन और इसे तैयार करने की विधि
  - *गैनोडर्मा ल्यूसिडम* का अर्क और आलू के

छिलके से प्राप्त स्टार्च आधारित खाद्य फिल्म।

- o ज्वाला रोधी बांस की चटाई आधारित कंपोजिट और उनकी तैयारी विधि।
- o लिप बाम का एक सूत्र और उसे तैयार करने की विधि।
- o मच्छर भगाने वाले उत्पाद का सूत्र और उसे बनाने की विधि।
- o सफाई का घोल और उसे तैयार करने की विधि।
- o साबुन का एक मिश्रण और उसे बनाने की विधि।
- o प्राकृतिक वसायुक्त तेल से निर्मित एक लोशन और इसे तैयार करने की विधि।
- o प्राकृतिक वसायुक्त तेल से साबुन का निर्माण और उसके निर्माण की विधि।
- o अगरवुड प्रेरण के लिए अभिनव टीकाकरण सूत्र।
- o जूते की पॉलिश का फार्मूला।

- ट्रेडमार्क:
  - o हिम मृदा संजीवनी-1, हिम ग्रोथ बूस्टर, हिम बायोकिल, हिम अल्बीवाश और हिम त्रिचोकवाच के लिए पांच ट्रेडमार्क दाखिल किए गए।

- छह गैर-अनन्य लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:
  - o आईसीएफ़आरई–टीएफ़आरआई, जबलपुर द्वारा एम/एस मुकुंद बायोटेक, जबलपुर के साथ सागौन (*टेक्टोना ग्रैंडिस*) क्लोनों के व्यापक संवर्धन तथा बाँस (*बंबूसा तुलडा* एवं *बी. बाल्कोआ*) के क्लोनल प्लांटिंग मैटेरियल (सीपीसी) के उत्पादन एवं हितधारकों को आपूर्ति हेतु दो समझौता ज्ञापन किए गए।
  - o आईसीएफ़आरई–टीएफ़आरआई, जबलपुर द्वारा एम/एस देवलीला बायोटेक, रायपुर के साथ *बंबूसा बाल्कोआ* के क्यूपीएम के व्यापक संवर्धन एवं हितधारकों को आपूर्ति हेतु समझौता किया गया।
  - o आईसीएफ़आरई–एफ़आरआई, देहरादून द्वारा एम/एस इको हार्वेस्ट कार्बन एलायंस, कानपुर (उ.प्र.), एम/एस बृंदा एग्रो, शामली (उ.प्र.) तथा एम/एस बीज टेक ग्रोवरी, मेरठ (उ.प्र.) के साथ उन्नत मेलिया डुबिया (मालाबार नीम) तथा नीम की किस्मों के वाणिज्यिक संवर्धन हेतु समझौते किए गए।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

- जीआई निलंबूर की आबादी से संबंधित ऊतक संवर्धन द्वारा विकसित क्लोनल सागौन (पांच फेनोटाइप) का परीक्षण तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में किया गया। भारत में सागौन की आबादी (125 व्यक्ति) का जीनोमिक वाइड एसोसिएशन (71 एसएनपी) के माध्यम से विश्लेषण करने से लकड़ी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझने में मदद मिली। टीक जीन डेटाबेस (टीजीडी) को एक व्यापक टीक आनुवंशिक डेटा प्रबंधन संसाधन के रूप में विकसित किया गया था।

- एफआरआई देहरादून में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों से *डलबर्जिया सिसो* के 150 पौधों का एक जर्मप्लाज्म भंडार स्थापित किया गया। 86 जीनोटाइपों से युक्त एक वीएमजी भी बनाया गया।

- देशी वृक्ष सुधार कार्यक्रम के तहत, केरल में व्यापक सर्वेक्षण किए गए और बेहतर विकास और कीटों और रोगों के प्रति सहनशीलता के आधार पर मिट्रागाइना पार्विफोलिया की 50 संभावित बहुमूल्य वृक्षों (सीपीटी) की पहचान की गई। मित्रागाइना पार्विफोलिया के व्यापक आनुवंशिक आधार वाले प्रोजनी परीक्षण

तुवरनकुरिची, तमिलनाडु में स्थापित किए गए। हेल्डिनिया कॉर्डिफोलिया के प्रोजनी परीक्षण सलेम, तमिलनाडु में स्थापित किए गए।

- वन क्षेत्र से बाहर वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वृक्ष किसानों द्वारा पसंद की जाने वाली नौ वृक्ष प्रजातियों के दो जर्मप्लाज्म बैंक स्थापित किए गए। *सैंटालम एल्बम, टेरोकार्पस मार्सुपियम, टेरोकार्पस सैंटालिनस, कैसुरिना एसपीपी, मेलिया डुबिया, टेक्टोना ग्रैंडिस, गमेलिना आर्बोरिया* और *स्विटेनिया महागोनी* के संसाधनों को इरोड, नामक्कल, कोयंबटूर और सेलम फॉरेस्ट टीएनएफडी एक्सटेंशन सेंटर में इकट्ठा किया गया। इसके अलावा, टीएनएफडी के सहयोग से तिरुवनमलाई और थुवरंकुरिची में एफजीआर फील्ड जीन बैंक स्टेशनों पर बांस और लाल चंदन की प्रजाति विशिष्ट फील्ड जीन बैंक स्थापित किए गए थे।

- केरल के पनमपल्ली (0.25 हेक्टेयर) और तमिलनाडु के नेवेली (0.5 हेक्टेयर) और गुडलुर (0.4 हेक्टेयर) में *पिथेसेलोबियम डलस* और *लिमोनिया एसिडिसिमा* के जर्मप्लाज्म बैंक सफलतापूर्वक स्थापित किए गए।

- तिरुवन्नामलाई में 10 एफजीआर प्रजातियों का एक फील्ड जीन बैंक स्थापित किया गया। प्रत्येक प्रजाति को 0.7 हेक्टेयर क्षेत्र में 4 मीटर × 3 मीटर की दूरी पर लगाया गया। स्थापित प्रजातियाँ निम्नलिखित हैं: स्ट्रिक्नोस नक्स-वोमिका – 5 जनसंख्या / 100 अभिग्रहण। सिएबा पेंटान्ड्रा – 5 जनसंख्या / 100 अभिग्रहण। *स्विटेनिया महागोनी* – 3 जनसंख्या / 100 अभिग्रहण। क्लोरोझाइलॉन स्विटेनिया – 2 जनसंख्या, प्रत्येक में 100 अभिग्रहण। एगल मार्मेलोस – 2 जनसंख्या, प्रत्येक में 100 अभिग्रहण। निओलामार्किया कदम्बा – 3 जनसंख्या, प्रत्येक में 100 अभिग्रहण। साराका असोका – 1 जनसंख्या / 100 अभिग्रहण। सैपिन्डस इमार्जिनेटस – 3 जनसंख्या, प्रत्येक में 100 अभिग्रहण। आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस – 1 जनसंख्या / 100 अभिग्रहण। ऐलैंथस ट्राइफिसा – 3 जनसंख्या / 100 अभिग्रहण।

- उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में *पाइरस पाशिया* (कैंथ) और *फिकस पाल्माटा* (बेदू) की श्रेष्ठ प्रजातियों के वृक्षों का मूल्यांकन किया गया ताकि उनके वितरण, पुनर्जनन, उत्पादकता और मूल्यवर्धन क्षमता का आकलन किया जा सके। *पाइरस पाशिया* उत्तराखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता था, जिसकी उच्चतम घनत्व (110 पेड़/हेक्टेयर) कुलसारी, चमोली में थी, जबकि हरियाणा और पंजाब में इसका पुनर्जनन खराब रहा। *एफ. पाल्माटा* का वितरण व्यापक था और इसका पुनर्जनन विशेष रूप से पौड़ी (उत्तराखंड) और पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में अधिक स्वस्थ था। *पी. पाशिया* में अधिकतम फल उपज 55 किलोग्राम/वृक्ष और *एफ. पाल्माटा* में 40 किलोग्राम / वृक्ष तक पहुंच गई । पोषण संबंधी संरचना क्षेत्र के अनुसार भिन्न थी, उत्तराखंड के फलों में नमी और मिठास अधिक थी जबकि पंजाब के फल प्रोटीन और वसा से भरपूर थे। अंकुरण परीक्षणों से पता चला कि 50-90% छाया और मिट्टी-रेत-एफवाईएम माध्यम में जीए की मजबूत प्रतिक्रिया और बेहतर वृद्धि देखी गई।

- रोगजनकता परीक्षण में फ्यूजेरियम एसपी. के ए3 आइसोलेट को सबसे अधिक विषैला और व्यापक स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त पाया गया। रोग के लक्षणों के आधार पर, जीनोटाइप को प्रतिरोधी, मध्यम प्रतिरोधी और संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सोलह जीनोटाइप (जैसे, डीएफआरआई-1008, डीएफआरआई-5008, डीएफआरआई-9065-1, डीएफआरआई-031, डीएफआरआई-528, डीएफआरआई-14) में न्यूनतम या कोई लक्षण नहीं दिखे और इन्हें विल्ट-प्रवण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए अनुशंसित किया जाता है। मध्यम रूप से प्रतिरोधी जीनोटाइप (जैसे, डीएफआरआई-5018, डीएफआरआई-024, डीएफआरआई-9063-1) ने आंशिक सहनशीलता प्रदर्शित की। डीएफआरआई-9058-2, डीएफआरआई-169 और डीएफआरआई-5009 सहित सात जीनोटाइप अत्यधिक संवेदनशील थे, जिनमें गंभीर प्रणालीगत मुरझाने के लक्षण दिखाई दिए।

- तमिलनाडु के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में देशज हरी पत्ती खाद देने वाली वृक्ष प्रजातियों - पोंगामिया पिन्नाटा, अज़ादिरैक्टा इंडिका, ग्लिरिसिडिया सेपियम तथा थेस्पेसिया पॉपुल्निया - को हेज़ पंक्तियों के रूप में रोपित कर फील्ड परीक्षण स्थापित किए गए। मूल्यांकित प्रजातियों में से,*ग्लिरिसिडिया सेपियम* ने

सोडिक मिट्टी में बेहतर अनुकूलन क्षमता और प्रदर्शन प्रदर्शित किया। ग्लिरिसिडिया की टहनियों, गोबर की खाद (एफवाईएम) और जिप्सम के संयुक्त प्रयोग से कार्बनिक कार्बन में उल्लेखनीय सुधार हुआ, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ी, विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत (ईएसपी) में कमी आई और मृदा में कार्बन का भंडारण बढ़ा।

- कैसुआरिना हाइब्रिड (सीएच) क्लोन की जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) का मूल्यांकन सैप फ्लो मीटर का उपयोग करके किया गया। यह अध्ययन तमिलनाडु के करूर स्थित टीएनपीएल यूनिट-I में स्थापित कैसुआरिना संकरों के चार साल पुराने क्लोनल परीक्षण में किया गया था। मूल्यांकन किए गए चार संकर क्लोनों में से, सीएच5 ने प्रति लीटर पानी के सेवन पर उत्पादित तने की लकड़ी के 6.94 ग्राम के औसत जल उपयोग दक्षता के साथ उच्चतम जल उपयोग दक्षता प्रदर्शित की, इसके बाद सीएच1 (5.52 ग्राम प्रति लीटर) और सीजे1 (5.20 ग्राम प्रति लीटर) का स्थान रहा। क्लोन सीएच2 ने सबसे कम दक्षता प्रदर्शित की, जिसका जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) 4.69 ग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया। कैसुआरिना हाइब्रिड क्लोनों के बीच जल उपयोग दक्षता में पहचाने गए अंतर भारत सरकार के "प्रति बूंद अधिक फसल" के दृष्टिकोण के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो कुशल जल उपयोग के साथ उत्पादकता को अधिकतम करने पर जोर देता है।

सैप फ्लो मीटर के माध्यम से जल अवशोषण की रिकॉर्डिंग

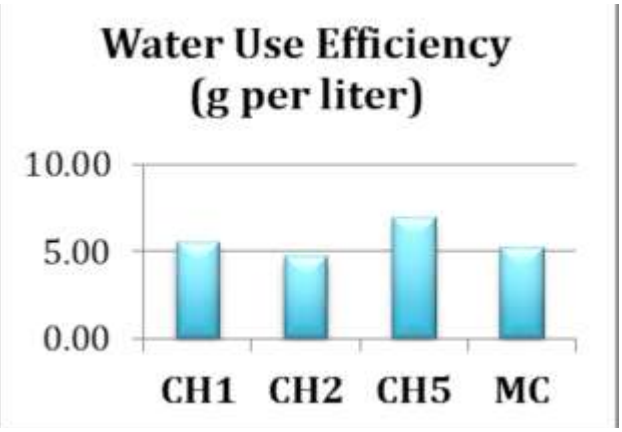

कैसुआरिना हाइब्रिड क्लोनों की जल उपयोग दक्षता में भिन्नता

- यूकेलिप्टस कैमाल्डुलेन्सिस में छह संभावित EcHKT1;1 बेस-संपादित घटनाएँ तथा पाँच संभावित EcHKT1;1 जीन नॉकआउट विकसित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 22 नियंत्रण घटनाएँ भी उत्पन्न की गई हैं। इनमें जीन संपादन और नमक सहनशीलता की विशेषताओं का पता लगाना आवश्यक है। तीव्र वृद्धि के लिए संभावित GA2ox जीन संपादन लक्ष्यों की पहचान gRNA डिजाइन करने के लिए की गई थी। पल्पिंग गुणों में सुधार के लिए, F5H जीन और C4H प्रमोटर को pCAMBIA1305.2 प्लांट एक्सप्रेशन वेक्टर में क्लोनिंग के लिए पीसीआर द्वारा प्रवर्धित किया गया था।

- मैक्सेंट द्वारा किए गए प्टेरोकार्पस सैंटालिनस के वितरण संबंधी पूर्वानुमान प्रजाति के ज्ञात वितरण से मेल खाते हैं और इससे कुछ संभावित प्रयावासों की पहचान हुई है। *पी. सैंटालिनस* को केवल पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों के शुष्क पर्णपाती जंगलों से ही रिपोर्ट किया गया है। वर्तमान अध्ययन में पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में प्रजातियों की प्राकृतिक सीमा से परे समान पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले पर्यावासो की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में, जो उड़ीसा की सीमा से लगते हैं, कर्नाटक में पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारों पर और असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले इन संभावित पर्यावासो का उपयोग भविष्य में इस प्रजाति के वाणिज्यिक वृक्षारोपण कार्यक्रमों में मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है।

- हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, संघ राज्य क्षेत्र के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणालियों का दस्तावेजीकरण किया गया। ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में विभिन्न पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणालियों के तहत सबसे पसंदीदा कृषि वानिकी प्रजातियां*पोपुलस निग्रा, सैलिक्स अल्बा, प्रूनस आर्मेनिका, एलाग्नस एंगुस्टिफोलिया* और*जुनिपेरस पॉलीकार्पोस*स हैं । परंपरागत कृषि वानिकी प्रणालियों के अंतर्गत पसंदीदा कृषि वानिकी प्रजातियों के पारिस्थितिक स्थान मॉडलिंग से पता चला है कि*सैलिक्स अल्बा* की उपस्थिति के लिए कुल संभावित उपयुक्त क्षेत्र लगभग 19,073 किमी^{2} , पोपुलस *निग्रा* लगभग 16501 किमी^{2} , प्रूनस *आर्मेनिका* लगभग 11,443 किमी^{2} और मालस *प्यूमिला* लगभग 5325 किमी^{2} है। स्थानीय किसान समुदायों को वितरण हेतु मॉडल नर्सरी, बारागाँव, फील्ड रिसर्च स्टेशन, तबो और एफआरएस, लेह में पसंदीदा कृषि वानिकी प्रजातियों के 5000 गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया।

- फ्लेमिंगिया आधारित कृषि वानिकी मॉडल, जैसे कि फ्लेमिंगिया-गेंदा और फ्लेमिंगिया-मक्का, रोरो, खुंटी में स्थापित किए गए हैं। न्यू भूसुर और लालगुटवा में फ्लेमिंगिया-पपीता कृषि वानिकी मॉडल स्थापित किया गया है। फ्लेमिंगिया आधारित कृषि वानिकी मॉडल जैसे फ्लेमिंगिया-पत्तागोभी, फ्लेमिंगिया-फूलगोभी, फ्लेमिंगिया-मिर्च, फ्लेमिंगिया-टमाटर, फ्लेमिंगिया-मक्का, फ्लेमिंगिया-फबा-बीन आदि को रोरो, खुंटी में स्थापित किया गया है।

- बांधवगढ़ और कान्हा बाघ अभ्यारण्य में, दलदली भूमि, प्राकृतिक शुष्क घास के मैदान और ग्राम-स्थानांतरित शुष्क घास के मैदान जैसी तीन घास के मैदान श्रेणियों का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन 45 0.1 हेक्टेयर वृक्ष चतुर्भुज और 180 शाकीय चतुर्भुज चतुर्भुज का उपयोग करके किया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, पादप-सामाजिक विश्लेषण ने नियंत्रण और अंतर्प्राप्त स्थलों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाया: नियंत्रण क्षेत्रों में *शोरिया रोबस्टा , डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलोन और मधुका इंडिका का प्रभुत्व था, जबकि अंतर्प्राप्त स्थलों में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा , बुकानिया लैंज़न* और *टर्मिनलिया टोमेंटोसा* की अधिक उपस्थिति देखी गई , जो वन-किनारे की प्रजातियों द्वारा घास के मैदानों में अतिक्रमण का संकेत देती है।

- छत्तीसगढ़ वन प्रभाग के तीनों कृषि जलवायु क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण किए गए और गंभीर रूप से लुप्तप्राय वृक्ष प्रजाति *कॉर्डिया मैकलियोडी* (दाहिमन) के 125 से अधिक पौधों को जियो-टैग किया गया। कोरिया (सीजी), सागर (एमपी) और पुणे (महाराष्ट्र) के वन प्रभागों से बीज एकत्र किए गए। दहिमन का वानस्पतिक प्रवर्धन अत्यंत लापरवाहीपूर्ण रहा, अंकुरण अधिकतम 22% ही पाया गया लेकिन जड़ विकास में कोई सफलता नहीं मिली। टीएफआरआई परिसर में 90 पौधों के साथ एक वनस्पति गुणन उद्यान स्थापित किया गया था।

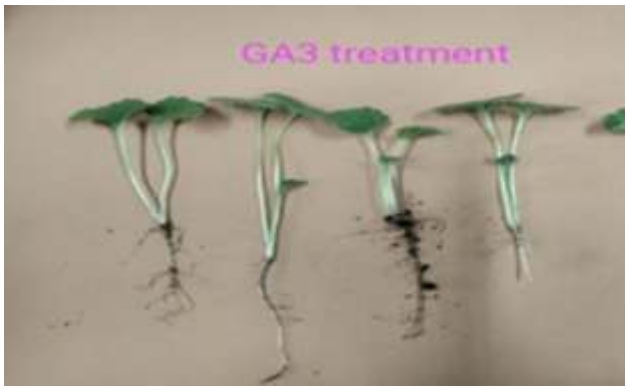

सी. मैक्लियोडी में पौध वृद्धि। पौधों में जड़ सड़न रोग। *सी. मैक्लियोडी* का व्यापक संवर्धन।

- *फेनेरा वाहली* के फलों और बीजों का विभिन्न विकासीय चरणों में अध्ययन किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि *पी. वाहली*आई के फलों और बीजों में महत्वपूर्ण आकारिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं। बीजों की अधिकतम जीवनक्षम्यता, अंकुरण (लगभग 75–80%) तथा शक्ति 330–360 डीएए के बीच प्राप्त होती है। नर्सरी परीक्षणों से पता चला कि 0.5% थायोयूरिया और 10% एसिड स्कारिफिकेशन का उपयोग करके *पी. वाहली* में अंकुरण दर 15-20% अधिक थी। भंडारण अध्ययनों ने *पी. वाहली* में ऑर्थोडॉक्स बीज व्यवहार की पुष्टि की। व्यवहार्य जर्मप्लाज्म को दीर्घकालिक संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक *एक्स-सीटू* बीज जीन बैंक में संरक्षित किया गया था।

पी. वाहली में फल परिपक्वता चरण और बीज अंकुरण तथा पूर्व-शोधन परीक्षण

- संतालम एल्बम के पौधों में हौस्टोरियम प्रेरण कारक तथा 2,6-डाइमिथॉक्सी-पी-बेंज़ोक्विनोन (डीएमबीक्यू) के वृद्धि एवं प्री-हौस्टोरिया निर्माण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। नियंत्रण की तुलना में शोधन के दो महीने बाद, 1000 μmolL -1 पर डीएमबीक्यू ने अंकुर की वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिसमें शूट की लंबाई (12.05%), जड़ की लंबाई (24.91%), कॉलर व्यास (17.41%), पत्तियों की संख्या (21.51%), पत्ती की सतह का क्षेत्रफल (19.85%), क्लोरोफिल सामग्री सूचकांक (11.21%) और प्री-हॉस्टोरियम गठन (21.67%) शामिल हैं।

- *पी. सैंटालिनस* के क्लोनिंग में एक नवीन दृष्टिकोण अपनाकर सफलता प्राप्त की गई, जिसमें *पी. सैंटालिनस* के ठूंठों से उत्पन्न कॉपिस शूट को एयर लेयरिंग तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक जड़ें विकसित की गईं। इस तकनीक को अंकुरों के व्यास (10-15 मिमी व्यास), माध्यम (नारियल का गूदा), हार्मोन सांद्रता (आईबीए 1000 पीपीएम) और हार्मोन लगाने की विधि (स्प्रे विधि) के लिए अनुकूलित किया गया था। इस तकनीक के माध्यम से कुल गुणन दर 60% थी। इसके अलावा, इस अध्ययन में चयनित प्लस पेड़ों की क्लोनिंग में फांक ग्राफ्टिंग के माध्यम से सफलता मिली, जिसमें 47% की सफलता दर प्राप्त

की जा सकी।

- *कैसल्पिनिया बोंडुक* (गतरन), *हाइप्टिस सुवेओलेन्स* (वन तुलसी) और *ब्यूटिया मोनोस्पर्मा* (पलाश) के बीजों के पाउडर की प्रभावकारिता का परीक्षण प्राकृतिक जल शोधन एजेंट के रूप में कृत्रिम रसायनों के उपयोग के विकल्प के रूप में किया गया। प्रत्येक प्रजाति के बीज के पाउडर ने पानी की गुणवत्ता के विभिन्न मापदंडों पर आशाजनक परिणाम दिखाए। एच. सुवेओलेंस की 150 मिलीग्राम/लीटर सांद्रता पर विद्युत चालकता (ईसी) में 16.7% की गिरावट आई और सी. बॉन्डुक की 300 मिलीग्राम/लीटर सांद्रता पर 17.6% की गिरावट आई। बी. मोनोस्पर्मा की 150 मिलीग्राम/लीटर सांद्रता पर कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) में 23.1% की कमी आई और एच. सुवेओलेंस की 250 मिलीग्राम/लीटर सांद्रता पर 20.8% की कमी आई। 100 मिलीग्राम/लीटर की सांद्रता पर बी. मोनोस्पर्मा के साथ अमोनिया (एनएच) की सांद्रता में 50% की कमी आई और 250 मिलीग्राम/लीटर की सांद्रता पर एच. सुवेओलेन्स के साथ शोधन करने पर 80% की कमी आई, जबकि नाइट्रेट (एनओ) का स्तर 150 मिलीग्राम/लीटर की सांद्रता पर सी. बॉन्डुक के साथ शोधन करने पर 50% और 200 मिलीग्राम/लीटर की सांद्रता पर बी. मोनोस्पर्मा के साथ शोधन करने पर 60% तक गिर गया।

- प्रमुख कीटों पर किए गए जैव-प्रभावकारिता प्रयोगों से पता चला कि स्पाइनोसाड 45% एससी और एज़ाडिराक्टिन (0.05%) ने *हाइब्लिया प्यूरिया, यूटेक्टोना मैकेरालिस, प्लेकोप्टेरा रिफ्लेक्सा, पैपिलियो डेमोलेअस* और *हैसोरा क्रोमस* जैसे प्रमुख पर्णपातियों के साथ -साथ थ्रिप्स जैसे चूसने वाले कीटों के खिलाफ लगातार उच्चतम नियंत्रण प्रदान किया। नीम और करंज के तेलों ने मध्यम लेकिन लगातार एंटीफीडेंट और निवारक प्रभाव प्रदर्शित किए, जबकि *ब्यूवेरिया बेसिआना* और अन्य माइक्रोबियल फॉर्मूलेशन ने पर्यावरण के अनुकूल आईपीएम एकीकरण के लिए उपयुक्त धीमी, पूरक क्रिया दिखाई।

- अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा राओई, कैन्थेकोना फुर्सेलाटा के वयस्क, क्राइसोपरला ज़स्त्रोवी सिलेमी के लार्वा, और मधु मक्खियों (एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका) सहित विभिन्न लाभकारी कीड़ों पर क्लीस्टेन्थस कॉलिनस नैनोइमल्शन के प्रभावों को निर्धारित करने के लिए प्रयोगशाला स्थितियों के तहत जैव सुरक्षा प्रयोग किए गए। परिणामों से पता चला कि नैनोइमल्शन परीक्षण किए गए सभी गैर-लक्षित प्रजातियों के लिए काफी हद तक सुरक्षित था। टी. रावई में वयस्क उद्भव (92.3%–74.5%) और परजीवीकरण दर (85.4%–68.3%) उच्च दर्ज की गई। सी. फरसेलाटा के वयस्कों में मृत्यु दर कम रही (8.4%–22.6%), और सी. जेड. सिलेमी के लार्वा में जीवित रहने की दर उच्च रही (77.4%–91.6%)। मधुमक्खियों में मृत्यु दर नगण्य (24 एचएटी पर 5.8%–18.2%) देखी गई, जिससे यह पुष्टि होती है कि सी. कोलिनस नैनोइमल्शन गैर-लक्षित लाभकारी जीवों के लिए न्यूनतम जोखिम पैदा करता है।

- कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन पर लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में राख के तालाब के चारों ओर नौ स्वदेशी प्रजातियों के साथ एक हरित पट्टी स्थापित की गई है।

केटीपीएस कोडरमा के ऐश तालाब में वृक्षारोपण

- झारखंड के चतरा जिले में अमरापली खदान में 3

हेक्टेयर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मियावाकी वृक्षारोपण शुरू किया गया है, जिसमें 56 से अधिक स्वदेशी प्रजातियों का समूह है। अब तक कुल 60000 पौधे लगाए जा चुके हैं। 'आम्रपाली, चतरा, झारखंड में मियावाकी बागान' पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है।

मियावाकी वृक्षारोपण के 6 महीने बाद का अवलोकन

सीसीएल अमरापली में 6 महीने बाद अमरापली में वृक्षारोपण।

- पारिस्थितिक बहाली प्रयासों के तहत, मेघाहाथबुरु लौह अयस्क खदान के खनन क्षेत्र में लगभग आठ हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए, 15 अलग-अलग स्थानों पर कुल 17,067 पौधे लगाए गए। इसमें 14,924 पेड़ और 2,143 झाड़ियाँ शामिल हैं।

- मेघालय वन विभाग के लिए 150 लीटर पादप वृद्धि-प्रोत्साहक राइजोबैक्टीरिया (पीजीपीआर) तैयार किया और साथ ही फील्ड कार्यकर्ताओं के साथ पीजीपीआर का प्रयोग भी किया।

पीजीपीआर की तैयारी और पीजीपीआर के अनुप्रयोग के दौरान क्षेत्र प्रदर्शन।

- नीम की लकड़ी (*अज़ादिराच्टा इंडिका*) प्रजाति का उपयोग करके 60 मिनट तक अग्निरोधी दरवाजे के निर्माण की अवधारणा को अनुकूलित किया गया और व्यावसायिक पैमाने पर प्रदर्शित किया गया। कारखाने में निर्मित शटर आईएस:3614 के अनुसार 60 मिनट की रेटिंग के अनुरूप है।

ड. वर्तमान में कार्यरत समितियाँ / आयोग - वर्ष के दौरान उनका कार्य और वर्तमान पद।

- आईसीएफआरई एशिया प्रशांत वानिकी अनुसंधान संस्थान संघ (एपीएएफआरआई) के उपाध्यक्ष; एशिया प्रशांत वन आनुवंशिक संसाधन कार्यक्रम (एपीएफओआरजीई) के सह-अध्यक्ष; अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन संघ (आईयूएफआरओ) के देश प्रमुख और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) एवं एशिया प्रशांत वन आनुवंशिक संसाधन कार्यक्रम (एपीएफओआरजीई) के राष्ट्रीय संपर्क बिंदु हैं।

- आईसीएफआरई के सहायक महानिदेशक (मीडिया और विस्तार) "फलदायी भारत केंद्र के लिए वैज्ञानिक समिति" के सदस्य हैं।

- आईसीएफआरई-आईडब्ल्यूएसटी के वैज्ञानिकों ने सीईडी 46- पी:6 (लकड़ी और बांस; इंजीनियरड टिम्बर (लकड़ी) और बांस), सीईडी 20 और बीआईएस द्वारा भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता के प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड पर भारतीय मानकों पर पाठ्यक्रम सामग्री की बैठक में भाग लिया।

- आईसीएफआरई-एफआरई, संयुक्त राष्ट्र एफसीसीसी को भारत का अनुकूलन संचार तैयार करने हेतु गठित "वानिकी और जैव विविधता" और "हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र" संबंधी क्षेत्रीय कार्य समूह का सदस्य है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चार धाम परियोजना पर गठित उच्च-स्तरीय समिति, उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित 60 मेगावाट मोरी जलविद्युत परियोजना में सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु गठित बहु-अनुशासनात्मक समिति और राष्ट्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु आपदा प्रबंधन योजना (एनईएफसी-डीएमपी) के मुख्य अधिकारी एवं कार्य समूह का सदस्य भी है।

- उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय निर्देशों के अनुसार, आईसीएफआरई-एफआरआई के निदेशक बलियानाला शोधन योजना पर एचपीसी के अध्यक्ष हैं।

- भारत की पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना की तैयारी हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति में निदेशक आईसीएफआरई-एफआरआई के नामित सदस्य।

- आईसीएफआरई-आरएफआरआई के निदेशक असम में राज्य औषधीय पादप बोर्ड (एसएमपीबी) के शासी निकाय; असम राज्य बांस मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी); हरित भारत मिशन (असम) की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति; क्षेत्रीय विकास-पूर्वोत्तर, नीति आयोग, नई दिल्ली; बांस विकास के लिए राष्ट्रीय निकाय, एमओईएफ एंड सीसी; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, गुवाहाटी; पीपीवी एंड एफआरए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; माजुली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति और पूर्वोत्तर में अगरवुड को बढ़ावा देने के लिए अंतर-मंत्रालयी कार्य बल के सदस्य हैं।

च. भारत में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- आईसीएफआरई एचएफआरआई शिमला ने हिम साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के सहयोग से "प्रौद्योगिकी और पारंपरिक ज्ञान को जोड़ने वाले सतत सामग्री और जैव संसाधन एकीकरण" विषय पर दो दिवसीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

- आईसीएफआरई-एचएफआरआई के निदेशक ने पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 15वें द्विवार्षिक आईएसएसएस सम्मेलन और बीज पारिस्थितिकी बैठक VIII में भाग लिया और शोध पत्र प्रस्तुत किए।

- आईसीएफआरई-आईडब्ल्यूएसटी के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय मास टिम्बर सम्मेलन (एमटीसी) में भाग लिया और "ग्लूलैम" शीर्षक से भारत के पोर्टलैंड, अमेरिका में सतत निर्माण की दिशा में एक कदम एक पोस्टर की प्रस्तुति दी ।

- आईसीएफआरई-आईडब्ल्यूएसटी के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया: एशिया के अनूठे जंगल और पेड़: फिलीपींस के लॉस बानोस में विविधता का संरक्षण, लचीलापन निर्माण और उत्पादकता में वृद्धि।

- आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया: एशिया के अनूठे जंगल और पेड़: फिलीपींस के लास बानोस में विविधता संरक्षण, लचीलापन निर्माण और उत्पादकता संवर्धन पर एक सत्र की सह-अध्यक्षता करते हुए उन्होंने मुख्य भाषण दिया। आईसीएफआरई के एडीजी (मीडिया और विस्तार) और आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी के वैज्ञानिकों ने भी शोध पत्र प्रस्तुत किए।

- आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी के वैज्ञानिकों ने चियांग माई, थाईलैंड में आयोजित 31वें एपीएफसी में "एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लघु पादप वृक्षारोपण: आगे की

चुनौतियाँ और अवसर" विषय पर एक सह-कार्यक्रम का संचालन किया और पैनलिस्ट के रूप में कार्य किया तथा भारत में लघु पादप कृषि और कृषि वानिकी की चुनौतियों और अवसरों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

- आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी के वैज्ञानिकों ने श्रीलंका के मुक्त विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा कोलंबो में आयोजित सतत विकास के लिए मैंग्रोव पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएमएस-2025) में एक पूर्ण व्याख्यान दिया।

- आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी के वैज्ञानिकों ने केएफआरआई द्वारा आयोजित और इंटरनेशनल टीक इंफॉर्मेशन नेटवर्क (टीईएकेनेट) इंडिया द्वारा समन्वित, केरल के कोचीन स्थित ग्रैंड हयात में आयोजित 5वें विश्व टीक सम्मेलन में भारत में एक मौखिक प्रस्तुति दी।

- आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी के वैज्ञानिकों ने थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित 31वें एपीएफसी में "एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लघु वृक्षारोपण: आगे की चुनौतियाँ और अवसर" विषय पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम में पैनलिस्ट के रूप में और भारत के केरल के बोलगट्टी स्थित ग्रैंड हयात कोच्चि में आयोजित 5वें विश्व सागौन सम्मेलन में पोस्टर प्रस्तुति के लिए भाग लिया।

- आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी के वैज्ञानिकों ने थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित आईटीटीओ की बैठक में सागौन के पालतूकरण पर शोध पत्र प्रस्तुत किए।

छ. विदेश मंत्रालय (एमईए), देशों के साथ समझौते, अंतरराष्ट्रीय संगठन।

- आईसीएफआरई और इसके संस्थानों ने इंडस ट्री क्राफ्ट्स फाउंडेशन, बेंगलुरु; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), देहरादून; राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद; राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस), बेंगलुरु; हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग का वन्यजीव विंग; हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल, शिमला; मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर); राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), गुवाहाटी; आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली; असम राज्य वन विभाग, गुवाहाटी; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मांड्या, कर्नाटक और सीएसआईआर-आईआईसीटी, सिकंदराबाद के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आईसीएफआरई और इंडस ट्री क्राफ्ट फाउंडेशन के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह

1 प्रमुख प्रकाशनों की सूची

इस वर्ष के दौरान, आईसीएफआरई कर्मियों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 520 से अधिक शोध पत्र/ पुस्तकें/लोकप्रिय लेख आदि प्रकाशित किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन निम्नलिखित हैं:

पुस्तकें / पुस्तिकाएँ

- कैसुआरिना से मुनाफा कमाना।
- आईसीएफआरई 2025-30 की विस्तार रणनीति।
- कम ज्ञात वन पौधों का संकलन।
- भारत की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के लिए पौधों का प्रजनन
- दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम के परागणकर्ता
- दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, असम की मैक्रोफंगल विविधता
- कृषि वार्षिकी - सूचना पुस्तिका

- वानिकी में समृद्धि
- कृषि वानिकी और जलवायु परिवर्तन उप शमन: सतत पौध संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन के लिए बहुपोषी अंतःक्रियाओं का उपयोग करना।
- सतत कृषि वानिकी के लिए बहुपोषी अंतःक्रियाएँ: लाभकारी कीटों और पारिस्थितिक गतिकी की शक्ति का उपयोग करना।
- अतेई आरक्षित वन की वनस्पति।
- तरुचिन्तन

प्रशिक्षण नियमावली :

- वन नर्सरी के कीटों के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के रूप में वनस्पति निष्कर्षण और सूत्रीकरण।
- कीटों के सतत प्रबंधन के लिए वृक्षों से प्राप्त तेलयुक्त बीजों और पौधों से बने पर्यावरण के अनुकूल जैव-कीटनाशक।

तकनीकी ब्रोशर

- शुष्क क्षेत्रों में मारवाड़ सागौन को प्रभावित करने वाले रोहिडा (*टेकोमेला अंडुलाटा*) के पर्णपाती कीट *पटिलाउस टेकोमेला* का वर्गीकरण संबंधी लक्षण वर्णन और डीएनए बारकोडिंग ।
- शक्तिशाली जैव-नियंत्रण कार्य प्रदर्शित करने वाले नए *ट्राइकोडर्मा हर्ज़ियानम* आइसोलेट्स का लक्षण वर्णन और आईटीएस डीएनए बारकोडिंग के माध्यम से उनकी आणविक पहचान करना।
- पोषक तत्वों की बेहतर मात्रा बढ़ाने, रोगजनकों को दबाने और संधारणीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए ट्राइकोडर्मा-आधारित जैव संवर्धन के माध्यम से नीम के पत्तों की खाद को बेहतर बनाना।
- नर्सरी में होने वाले सामान्य रोग और कीट-पतंगे: कारण, लक्षण, रोकथाम और प्रबंधन।
- तेलंगाना राज्य के अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए गम्हार-लोबिया आधारित कृषि वानिकी मॉडल।
- लाल चंदन (टेरोकार्पस सैंटालिनस Lf) को बढ़ावा देना, प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों के साथ विकास।
- इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टोमोग्राफ (ईआरटी) का उपयोग करके *ट्रेरोकार्पस सैंटालिनस* प्रजाति के खड़े पेड़ों में भीतरी लकड़ी का अनुमान लगाना।

पैम्फलेट:

- फूल की गांठों के संक्रमण के प्रबंधन के लिए कार्य
- सतत कीट प्रबंधन हेतु वृक्षों के तीलिये बीजों
- खेजड़ी, कुमट एवं कैर के मुख्य कीटपरागणकर्ता
- पॉपलर आधारित कृषि वानिकी मॉडल (हिंदी और अंग्रेजी में)।
- खतरे और संभावनाएं: *डी. सिसो* का बदलता पारिस्थितिक स्थान।
- सिनामोमम सेसिडोडाफ्ने : औद्योगिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए कम ज्ञात वन पौधे।
- महुआ (*मधुका लोंगिफोलिया*): पूर्वी भारत में वृक्ष सुधार के उपाय
- लौह अयस्क खानों के ऊपरी आवरण का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन - एक हरित और उत्पादक परिदृश्य की ओर एक कदम।
- पूर्वी भारत में वन आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण: एक भू-स्थानिक दृष्टिकोण।
- डालबर्गिया सिसो के बदलते पारिस्थितिक परिवेश में उत्पन्न खतरे और संभावनाएँ: संरक्षण कार्य की योजना बनाने और जलवायु परिवर्तन के उभरते खतरों से निपटने के लिए एक स्थानिक दृष्टिकोण।
- महुआ वृक्ष सुधार
- लौह खदान का पर्यावरण-अनुकूल पुनर्स्थापन।

6.8 राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

1 परिचय:

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एनएईबी) देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन तथा पारिस्थितिकी विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसमें विशेष ध्यान क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों, वन क्षेत्रों से सटे भूभागों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ-साथ पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट आदि जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर दिया जाता है। मंत्रालय के मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ (डीसी) को एनएईबी के साथ विलय कर दिया गया है तथा भूमि क्षरण तटस्थता, मरुस्थलीकरण, सूखा और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निरोधक अभिसमय (यूएनसीसीडी) से संबंधित कार्य एनएईबी द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) को राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) में समाहित कर दिया गया है। जीआईएम निदेशालय के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का विवरण अलग से प्रेषित किया गया है।

एनएईबी द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों में इको-डेवलपमेंट फोर्स (ईडीएफ) योजना, जो डीजीटीए के साथ संयुक्त रूप से संचालित की जाती है और जिसे मंत्रालय के बजट से समर्थन प्राप्त है, राष्ट्रीय कैम्पा से वित्तपोषित नगर वन योजना (एनवीवाई) तथा स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई) शामिल हैं। इसके साथ ही "एक पेड़ माँ के नाम" (ईपीएमकेएन) अभियान भी एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य "सम्पूर्ण सरकार" और "सम्पूर्ण समाज" के दृष्टिकोण के साथ वनीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों और मातृ प्रकृति के बीच संबंध को सुदृढ़ करना है।

ख. संपन्न महत्वपूर्ण कार्य

ईपीएमकेएन कार्यक्रम के तहत दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.12.2025 के दौरान मेरीलाइफ पोर्टल पर व्यक्तियों, संस्थानों, एजेंसियों तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 130 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। नगर-वन योजना (एनवीवाई) के अंतर्गत योजना के आरंभ से अब तक देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 654.30 करोड़ रुपये की लागत से 620 नगर वनों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से संदर्भ अवधि के दौरान 75 नगर वनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

एनएबी / जीआईएम / डीसी द्वारा अरावली लैंडस्केप पुनर्स्थापन / अरावली ग्रीन वॉल (एजीडब्ल्यू) परियोजना के अंतर्गत संबंधित राज्यों में अभिसरण मोड में किए जा रहे कार्यों की निगरानी और मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से 13 नदियों के पुनर्जीवन हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डीपीआर) के क्रियान्वयन की भी निगरानी की जा रही है।

ग. प्रगति/नवाचार

- वृक्षारोपण के लिए स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों पर जोर दिया गया है और राज्यों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों आदि जैसे संस्थानों के उचित सहयोग से लघु वनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आईसीएफआरई आदि के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा रहा है।

घ. सेट महत्वपूर्ण / संचयी उपलब्धियाँ

- वर्ष 2024 से अब तक अभियान के अंतर्गत 260 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया है, जैसा कि 'मेरी लाइफ'पोर्टल पर रिपोर्ट किया गया है।

- नगर वन योजना (एनवीवाई) के अंतर्गत योजना के आरंभ से अब तक देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 620 नगर वनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

ड. भारत में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

राजस्थान वन विभाग और जीआईजेड इंडिया के सहयोग से 21 मई 2025 को उदयपुर में "अरावली परिदृश्य और इसकी जैव विविधता का जीर्णोद्धार" (अरावली ग्रीन वॉल परियोजना) विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 29 जिलों में अरावली ग्रीन वॉल पहल के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई और अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिक महत्व पर जोर दिया गया। माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली भूदृश्य बहाली के लिए विस्तृत कार्य योजना (डीएपी) जारी की, जिसमें समन्वित, भूदृश्य-स्तरीय बहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

विश्व सूखा एवं मरुस्थलीकरण निवारण दिवस के अवसर पर 17 जून 2025 को जोधपुर स्थित एएफआरआई में "मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण रणनीतियों" पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया , जहां माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने समुदाय के नेतृत्व में अरावली वनों के पुनर्स्थापन और भारत द्वारा वन क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में भूमि प्रबंधन, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत अंतर-राज्यीय सहयोग और 2030 तक भूमि अपरदन तटस्थता प्राप्त करने पर महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन और तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। एनएईबी ने 17 जून 2025 को जोधपुर में "मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने सम्बन्धी कार्यनितियां" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

एनएईबी और आईसीएफआरई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला

"वन संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से 13 प्रमुख भारतीय नदियों के पुनरुद्धार के लिए डीपीआर का कार्यान्वयन" विषय पर 25 अप्रैल 2025 को एक बैठक आयोजित की गई थी। वन संबंधी उपायों के माध्यम से भारत की 13 प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

च. प्रमुख प्रकाशनों की सूची–

- अरावली भूदृश्य के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत कार्य योजना (डीएपी)।

योजना / कार्यक्रम / पहल

राष्ट्रीय वनरोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड नगर वन योजना (एनवीवाई) को लागू कर रहा है, जिसके तहत 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान देश में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिका विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य वनों के बाहर वृक्षों और हरित आवरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ाना और शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को पारिस्थितिक लाभ प्रदान करना है, साथ ही शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के लिए धनराशि राष्ट्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत सीएएमपीए के राष्ट्रीय कोष से प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाड़ लगाने, मिट्टी की नमी संरक्षण के उपाय और संबंधित कार्यकलापों, प्रशासनिक कार्यों, वृक्षारोपण और रखरखाव की लागत को कवर करना है। इस अवधि के दौरान कुल 75 नगर वन स्वीकृत किए गए हैं।

इनपुट : राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नगर वन के निर्माण के लिए प्रेरित करना, मार्गदर्शन करना और वित्त पोषण प्रदान करना।

आउटपुट : जंगलों और हरित आवरण के बाहर वृक्षों को बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ाना और शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को पारिस्थितिक लाभ प्रदान करना।

परिणाम चर : शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सीखने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और स्वस्थ मनोरंजन सुविधाओं के लिए हरित स्थान उपलब्ध कराना।

क. एक पेड़ माँ के नाम (ईपीएमकेएन):

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर शुरू किया गया "एक पेड़ मां के नाम" अभियान इस वर्ष भी जारी है। इस अभियान ने "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" का दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें डेटा जुटाने और वृक्षारोपण की निगरानी के लिए मेरी लाइफ पोर्टल का उपयोग किया गया। यह अभियान 'मेरी लाइफ' पोर्टल और 'माई भारत पोर्टल' के माध्यम से निरंतर जुड़ाव पर जोर देता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होती है और वृक्षारोपण क्रियाकलापों की प्रगति का रिकॉर्ड रखा जा सकता है।

ईपीएमकेएन अभियान 2025 का उद्देश्य पिछले वर्ष की वृक्षारोपण पहलों की उपलब्धियों को उजागर करना, नवाचारी प्रयासों को प्रदर्शित करना और विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी को दर्शाना है, जिसका लक्ष्य 5 जून 2025 से शुरू होकर मार्च 2026 में समाप्त होने वाले 100 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस अभियान के तहत मार्च 2026 तक 1000 सूक्ष्म वन स्थापित करने की भी योजना है, जिससे शहरी पारिस्थितिकी और जैव विविधता में वृद्धि होगी।

इनपुट : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ईपीएमकेएन के अंतर्गत सीएएमपीए, एनवीवाई, राज्य योजनाओं आदि जैसी वृक्षारोपण संबंधी विभिन्न योजनाओं के सक्रिय समन्वय के लिए मार्गदर्शन, दिशा-निर्देश और प्रेरणा प्रदान करना।

आउटपुट : राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण की जानकारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए मेरीलाइफ प्लेटफॉर्म पर विधिवत रूप से दी जाती है और संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वृक्षारोपण की स्थापना और रखरखाव के लिए अपने-अपने प्रोटोकॉल और मानक परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इसकी जांच की जाती है।

वारियेबल परिणाम : सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्य वन विभागों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि जैसे बड़े राज्यों में अपने लक्ष्यों से कहीं अधिक उपलब्धि हासिल की है। शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग (डोसेल) के तत्वावधान में आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली छात्रों का इस वर्ष 2025 में किया गया योगदान भी सराहनीय है और प्रशंसा का पात्र है।

प्रगति / उपलब्धियाँ

- ईपीएमकेएन के अंतर्गत जून 2024 से दिसंबर 2025 तक 260 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया है, जैसा कि मेरीलाइफ पोर्टल में दर्ज किया गया है।

- नगर वन योजना (एनवीवाई) के अंतर्गत देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 620 नगर वनों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि संदर्भ अवधि के दौरान 75 नगर वनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

6.9 राष्ट्रीय हरित भारत मिशन

1. विभाग का नाम: ग्रीन इंडिया मिशन

क. परिचय:

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत के वन आवरण की रक्षा, बहाली और संवर्धन करना तथा जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है। यह हरियाली के समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है और कार्बन पृथक्करण और उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर सह-लाभ के रूप में ध्यान केंद्रित करता है।

मिशन के उद्देश्य

- वन / वृक्ष आवरण में वृद्धि और मौजूदा वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार।
- जैव विविधता, जल विज्ञान संबंधी सेवाएं और कार्बन पृथक्करण सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार।
- जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले परिवारों की वन-आधारित आजीविका आय में वृद्धि।
- वार्षिक CO2 पृथक्करण में वृद्धि।

इसके अलावा, भारत सरकार की मौजूदा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 17 जून 2025 को ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) का संशोधित मिशन दस्तावेज जारी किया है। नए मिशन दस्तावेज़ के तहत, खुले वन और गैर-वन क्षेत्रों के शोधन के लिए पुनर्ग्रहण / पुनर्स्थापन वानिकी पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें मृदा और नमी संरक्षण क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करना, परिदृश्य के अंतर्गत प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप क्षेत्रों के साथ सूक्ष्म-पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण अपनाना, क्षेत्रीय रूप से अनुकूल सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल को अपनाना और केंद्र और राज्य सरकार की अन्य वनरोपण योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर परिदृश्य को संतृप्त करने पर जोर देना शामिल है।

संवेदनशील भूदृश्यों को संतृप्त करने के लिए नवीन और प्रदर्शनकारी पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन मॉडलों पर जोर दिया जाएगा, जिसमें बहु-हितधारक सक्रिय भागीदारी के साथ गैर-वन भूमि पर गैर-लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी) और कृषि-वानिकी आधारित टिकाऊ वृक्षारोपण मॉडल स्थापित करने और निजी खिलाड़ियों की बढ़ी हुई भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होगा। मिशन के हस्तक्षेप तीन आधारों के तहत किए जाएंगे:

- वन आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार;
- वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन;
- वन पर निर्भर समुदायों के लिए घरेलू आय में वृद्धि और आजीविका के विविधीकरण का उद्देश्य।

ख. निष्पादित कार्यकलाप :

- ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) की गतिविधियाँ वर्ष 2015–16 में प्रारंभ की गई थीं और अब तक 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को 1,016.21 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत 1,71,345 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा वन पर निर्भर समुदायों के आजीविका सुधार से संबंधित गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।
- छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मिजोरम, सिक्किम और केरल सहित सात राज्यों को वनीकरण गतिविधियों के संचालन हेतु 53.34 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इन गतिविधियों में अग्रिम कार्य, वृक्षारोपण का सृजन तथा पूर्व वर्ष में किए गए वृक्षारोपण का रख-रखाव शामिल है।

ग. प्रगति / उपलब्धियाँ

वन और गैर-वन क्षेत्रों में 171345 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने के साथ-साथ आजीविका में सुधार से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2015-16 से 2025-26 (31.01.2026 तक) की अवधि के लिए सत्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को 1016.21 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। नीचे दी गई तालिका में राज्यवार वृक्षारोपण परियोजनाओं और जारी की गई राशि का विवरण दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	सृजन कार्य संपन्न हुआ (हेक्टेयर में)।	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	1,433	6.19
2	अरुणाचल प्रदेश*	5,314	34.71
3	छत्तीसगढ	19,128	75.58
4	हरयाणा	1,301	73.38
5	हिमाचल प्रदेश	1,299	17.09
6	जम्मू एवं कश्मीर	1,778	36.72
7	कर्नाटक	2,722	24.61
8	केरल	12,297	33.96
9	मध्य प्रदेश	32,831	123.26
10	महाराष्ट्र	5,223	10.30
11	मणिपुर	16,488	62.66
12	मिजोरम	19,643	169.11
13	ओडिशा	20,711	88.37
14	पंजाब	7168	26.95
15	सिक्किम	6,567	49.34
16	उत्तराखंड	14,836	167.59
17	पश्चिम बंगाल	2,606	10.95
18	उत्तर प्रदेश	0	5.43
	कुल	**171345**	**1016.21**

राज्यों ने अग्रिम कार्य शुरू कर दिया है। राज्य द्वारा अग्रिम कार्यों के संबंध में की गई वास्तविक प्रगति के आधार पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

2. गैर सरकारी संगठनों सहित संस्थानों/संगठनों को जारी की गई अनुदान सहायता:

- ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जीआईएम गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य वन विकास एजेंसियों (एसएफडीए) को जारी की गई धनराशि (01.04.2025 से अब तक):

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटित/जारी की गई कुल राशि (करोड़ रुपये में)
1	छत्तीसगढ़ एसएफडीए (मूल स्वीकृति)	2.74
2	हरियाणा एसएफडीए (मूल स्वीकृति)	25.65
3	कर्नाटक एसएफडीए (मूल स्वीकृति)	0.95
4	मिजोरम एसएफडीए (मूल स्वीकृति)	8.90
5	सिक्किम एसएफडीए (मूल स्वीकृति)	6.61
6	केरल एसएफडीए	8.49
	कुल	**53.34**

- मंत्रालय ने आईसीएफआरई में सतत भूमि प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-एसएलएम) स्थापित किया है। प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की मुख्य भूमिका यूएनसीसीडी के सदस्य विकासशील देशों के बीच ज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन के प्रशिक्षण को साझा करना और भूमि क्षरण को रोकने और खराब भूमि के पुनर्स्थापन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा। ग्रीन इंडिया मिशन निदेशालय ने सीओई-एसएलएम के जनादेश के अंतर्गत अनुमोदित वार्षिक परिचालन योजना के अनुसार गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से अब तक 1.39 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

अध्याय 7

संरक्षण - वन्यजीव

7.1 वन्य जीव संरक्षण

क परिचय:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का वन्यजीव प्रभाग भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रमुख प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। वन्यजीव विभाग का नेतृत्व अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) करते हैं, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत निदेशक, वन्यजीव संरक्षण के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। यह विभाग वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नीति निर्माण, कानूनी और नियामक मामलों और वित्तीय नियोजन के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्र प्रायोजित योजना - वन्यजीव पर्यावास विकास (सीएसएस-डीडब्ल्यूएच) के माध्यम से वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा, प्रबंधन और संरक्षण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ख निष्पादित गतिविधियाँ:

- देश में संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में वृद्धि
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक
- प्रोजेक्ट डॉल्फिन
- प्रोजेक्ट लायन
- मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन
- वन्यजीव सप्ताह, 2025 समारोह
- केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता - वन्यजीव आवास का विकास
- भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की रिपोर्ट (2020-2025)
- अंतर्राष्ट्रीय बैठकों / सम्मेलनों में भागीदारी

ग प्रगति / नवाचार:

i. देश में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क:

उल्लिखित अवधि के दौरान देश में संरक्षित क्षेत्रों (पीए) के नेटवर्क को मजबूत किया गया है, जिससे संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़कर 1,134 हो गई है। ये संरक्षित क्षेत्र सामूहिक रूप से 187,162.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.69 प्रतिशत है।

ii. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक:

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक 3 मार्च 2025 को गुजरात के सासन गिर में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने सरकार की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण पहलों की समीक्षा की, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार और प्रमुख प्रजाति कार्यक्रमों जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। डॉल्फ़िन और एशियाई शेरों के संरक्षण प्रयासों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस की स्थापना की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या स्थिति शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की।

प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी, जो वन्यजीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन से संबंधित समन्वय और शासन के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करेगा और उन्होंने कई संरक्षण उपायों पर बल देते हुए और उनकी सिफारिश भी की।

iii. प्रोजेक्ट डॉल्फिन:

इस अवधि के दौरान, नदी में रहने वाली डॉल्फ़िन की आबादी के पहले अनुमान की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और जारी किया गया, जिसमें देश में 6327 नदी में रहने वाली डॉल्फ़िन आबादी बताई गई। इस अभूतपूर्व अभियान में आठ

राज्यों की 28 नदियों में 8,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी का सर्वेक्षण शामिल था। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान रहा। इसके बाद, डॉल्फिन की आबादी के आकलन के दूसरे चक्र के लिए रूपरेखा तैयार की गई।

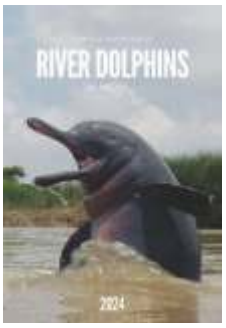

iv. प्रोजेक्ट लायन:

एशियाई शेर की 2025 में की गई 16वीं गणना के अनुसार, गुजरात राज्य में एशियाई शेरों की कुल संख्या 891 दर्ज की गई, जो जून 2020 में की गई पिछली गणना की तुलना में 32.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

v. मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन:

मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व: पर वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान एक राष्ट्रीय हैकाथॉन "नवीन समाधानों के लिए युवाओं को शामिल करना" कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस हैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष (एचडब्ल्यूसी) प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करना; बीमा, मुआवजा और प्रोत्साहन तंत्र सहित टिकाऊ वित्तीय मॉडल की पहचान करना; समुदाय-आधारित सहभागिता मॉडल प्रस्तावित करना; और बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, नीलगाय, लंगूर, मकाक, पक्षी (मोर और तोते सहित), मगरमच्छ, सांप और अन्य संबंधित प्रजातियों से जुड़े संघर्ष प्रबंधन के लिए प्रजाति-विशिष्ट रणनीतियों का निर्माण करना था।

vi. वन्यजीव सप्ताह 2025 समारोह:

वन्यजीव सप्ताह 2025 को "मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व" विषय के तहत मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान, देश भर में इस विषय से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह के एक भाग के रूप में, मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2025 को हरि सिंह सभागार, आईएनजीएफए, एफआरआई परिसर, देहरादून में माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य वन विभागों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, छात्र और संरक्षण विशेषज्ञ शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने प्रजाति संरक्षण और संघर्ष प्रबंधन के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के साथ-साथ प्रजाति आबादी आकलन और निगरानी कार्यक्रमों के लिए 4 राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजनाएं और फील्ड गाइड लॉन्च किए।

vii. केंद्र प्रायोजित योजना - वन्यजीव पर्यावास विकास (सीएसएस_डीडब्ल्यूएच) के एक घटक, प्रजाति

पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्लॉथ बियर और घड़ियालों को शामिल करना:

इस वर्ष के दौरान, वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना - वन्यजीव पर्यावासों का विकास (सीएसएस-डीडब्ल्यूएच) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीएसएस-डीडब्ल्यूएच घटक के अंतर्गत स्लॉथ बियर और घड़ियाल को प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।

viii. भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की रिपोर्ट (2020-2025):

438 संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों) की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) रिपोर्ट जारी की गई, जो 64.41% के समग्र औसत एमईई स्कोर को दर्शाती है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को "अच्छा" इंगित करता है। इनमें से 84 संरक्षित क्षेत्रों को "बहुत अच्छा" दर्जा दिया गया, जो उनकी मजबूत प्रबंधन प्रथाओं, संरक्षण लक्ष्यों के पालन और एमईई की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।

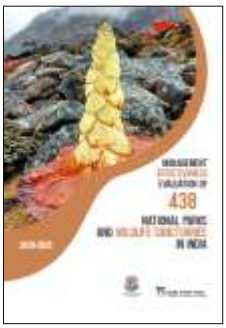

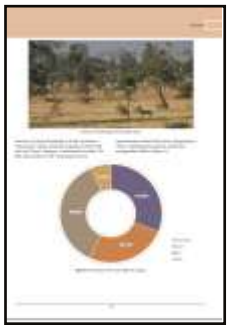

ix. अंतर्राष्ट्रीय बैठकों / सम्मेलनों में भागीदारी:

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर 5-6 जून 2025 को किर्गिज़ गणराज्य के इस्सिक-कुल में आयोजित वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम (जीएसएलईपी) की नौवीं संचालन समिति की बैठक में भाग लिया।
- भारत के प्रतिनिधिमंडलों ने फरवरी 2025 में आयोजित सीआईटीईएस स्थायी समिति की 78वीं बैठक और 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित सीआईटीईएस सीओपी-20 में भाग लिया।

- प्रतिनिधिमंडल ने 6 से 16 जुलाई 2025 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47 वें सत्र में भाग लिया।

7.2 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

क परिचय:

स्थापना एवं जनादेश: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) का गठन भारत सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38वाई के तहत वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए किया गया था। यह एक बहु-अनुशासनात्मक निकाय के रूप में कार्य करता है जिसमें पुलिस, वन विभाग, सीमा शुल्क और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल होते हैं ताकि वन्यजीव अपराधों के

खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38जेड के तहत, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को निम्नलिखित वैधानिक कार्य सौंपे गए हैं:

i. संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसे संकलित करना तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई हेतु राज्य और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रसारित करना तथा एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना;

ii. इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ब्यूरो द्वारा स्थापित क्षेत्रीय और सीमावर्ती इकाइयों के माध्यम से की जाने वाली कार्रवाइयों का समन्वय;

iii. वर्तमान में लागू विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के तहत दायित्वों का कार्यान्वयन, जो भारत द्वारा भविष्य में अनुमोदित या स्वीकार किए जा सकते हैं;

iv. वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई को सुगम बनाने हेतु विदेशी देशों के संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता प्रदान करना;

v. वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक और व्यावसायिक जांच के लिए बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण का विकास करना और वन्यजीव अपराधों से संबंधित अभियोजनों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना;

vi. भारत सरकार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना और समय-समय पर संबंधित नीति और कानूनों में आवश्यक बदलावों का सुझाव देना।

ख निष्पादित गतिविधियाँ:

अपने जनादेश के अनुरूप, ब्यूरो ने निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं:

- ब्यूरो ने वन्यजीव अपराधों और अपराधियों से संबंधित 158 खुफिया जानकारियों को एकत्रित, संकलित और संबंधित केंद्रीय / राज्य एजेंसियों को संयुक्त प्रवर्तन अभियानों/अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रसारित किया है।

- डब्ल्यूसीसीबी वेबसाइट पर ऑनलाइन डेटा प्रबंधन प्रणाली बनाकर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की 36 एजेंसियों (वन एवं पुलिस विभाग) से वन्यजीव अपराध डेटा का संग्रह करना।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्यजीव अपराध प्रवर्तन:-

  - इस अवधि के दौरान ब्यूरो द्वारा अन्य राज्य/ केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए अभियानों में वन्यजीव अपराध के 118 मामले दर्ज किए गए।

- अन्य एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे महत्वपूर्ण वन्यजीव अपराधों की जांच और अभियोजन में सहायता करना: इस वर्ष वन्यजीव अपराध के 89 नए मामलों की जांच में राज्य अधिकारियों को सहायता प्रदान की गई।

- वन्यजीव अपराधों से निपटने और वन्यजीव अपराधों की जांच में क्षमता निर्माण:-

  - वन्यजीव अपराधों की जांच और खुफिया जानकारी जुटाने के तरीकों पर आधारित प्रत्येक दो दिवसीय 23 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, । इन पाठ्यक्रमों में 1222 पुलिस, वन, भारतीय तटरक्षक बल और सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

  - वन्यजीव अपराधों और वन्यजीव वस्तुओं की पहचान से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य एजेंसियों के लिए 79 जागरूकता कार्यक्रम / कार्यशालाएं / ऑनलाइन वेबिनार आयोजित

किए गए, जिनमें 3770 अधिकारियों ने भाग लिया।

- वन्यजीव अपराधों और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर पीआरआई सदस्यों/ग्रामीणों के लिए 41 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 3432 पीआरआई सदस्यों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

- वन्यजीवों और वन्यजीव अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों और प्रवर्तन एजेंसियों को विशेषज्ञ संसाधन व्यक्ति उपलब्ध कराए गए।

- डब्ल्यूसीसीबी में मानव संसाधन विकास - संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षकों के रूप में उनकी क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु डब्ल्यूसीसीबी अधिकारियों की तैनाती।

सीमा पार तक फैले संगठित वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए समन्वय और सहयोग: - डब्ल्यूसीसीबी ने संगठित सीमा पार वन्यजीव अपराध से निपटने से संबंधित निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहु-एजेंसी बैठकों में भाग लिया।

1. डब्ल्यूसीसीबी के अधिकारी विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य हैं, जिसका गठन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा तालुका स्थित केंद्रीय चंदा वन प्रभाग में बाघों के अवैध शिकार और उसके शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिए दर्ज अपराध मामलों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए किया गया है।

2. इंटरपोल द्वारा आयोजित विदेशी प्रजातियों की तस्करी के मामलों के समन्वय के लिए बैठक 24 से 28 फरवरी 2025 तक कुआलालंपुर, मलेशिया और बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई।

3. 05.05.2025 को, मानस लैंडस्केप में हाथियों के शिकार से जुड़े हाथी दांत के अवैध शिकार / व्यापार के मुद्दों की जांच के लिए अतिरिक्त निदेशक/ आईजीपी, डब्ल्यूसीसी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी ने इस मामले की विस्तृत जांच की है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

4. डब्ल्यूसीसीबी ने माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में 26 जून 2025 को आईजीएनएफए, देहरादून में आयोजित 21वीं परियोजना हाथी संचालन समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया।

5. ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला का विषय: उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देना: भारत, नेपाल और भूटान से सीखे गए सबक" विषय पर 30 जून 2025 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यशाला "सिक्किम-पूर्वी हिमालय में बाघ संरक्षण की जांच और समाधान" नामक चल रही परियोजना के अंतर्गत आयोजित की गई थी, जिसे केएफडब्ल्यू-आईयूसीएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम (आईटीएचसीपी) के तहत समर्थन प्राप्त है।

6. एस ए डब्ल्यू ई एन - वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क (डब्ल्यू ई एन) - 30.07.2025 को वर्चुअल मीटिंग।

7. श्रीलंका के कोलंबो में सावेन की 12वीं कार्यकारी समिति की बैठक - 30 जुलाई से 01 अगस्त 2025 तक वर्चुअल बैठक।

8. सीबीआई द्वारा 16-17.10.2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगोड़ों को पकड़ने और गिरफ्तार करने में सहयोग बढ़ाने पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

9. भारत सरकार-यूएनडीपी-जीईएफ - स्मॉल कैट परियोजना " स्मॉल कैट और तेंदुए के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण जंगली बिल्ली परिदृश्यों के संरक्षण और लचीलेपन को मजबूत करना" के लिए चौथी राष्ट्रीय परियोजना संचालन समिति (एनपीएससी) की बैठक तीस्ता सम्मेलन कक्ष, पहली मंजिल, वायु विंग, आईपीबी, एमओईएफसीसी में हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई।

10. 11 से 13 नवंबर 2025 के दौरान , डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और डब्ल्यूसीसीबी पूर्वोत्तर क्षेत्र के कानून प्रवर्तन

अधिकारियों के लिए मेघालय के शिलांग में 'अवैध वन्यजीव व्यापार नेटवर्क से निपटने के लिए वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क को मजबूत करना' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं।

11. "साइबर वन्यजीव अपराध" शीर्षक से एक दिवसीय क्षमता-निर्माण कार्यशाला: "कानूनी ढांचा और प्रवर्तन कार्रवाई" विषय पर एक व्याख्यान 17 नवंबर 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन डब्ल्यूटीआई द्वारा डब्ल्यूसीसीबी के समन्वय से किया गया था।

12. 25 से 27 नवंबर, 2025 के दौरान सावेन सचिवालय ने डब्ल्यू डब्ल्यू एफ (भूटान, भारत और नेपाल) के समन्वय और सहयोग से नई दिल्ली में वन्यजीव अपराध से निपटने पर प्रशिक्षकों के क्षेत्रीय प्रशिक्षण (ToT) का आयोजन किया।

13. डब्ल्यूसीसीबी ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर, 2025 तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित सीआईटीईईएस कॉप20 बैठक में भाग लिया।

14. डब्ल्यूसीसीबी ने माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में 21 दिसंबर, 2025 को पश्चिम बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व में आयोजित परियोजना हाथी संचालन समिति की 22वीं बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया।

15. डब्ल्यूसीसीबी ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और सीआईटीईईएस के प्रावधानों के अनुसार वन्यजीव से संबंधित शिपमेंट की आयात और निर्यात की अनुमति निर्धारित करने में सीमा शुल्क विभाग की सहायता भी की है।

16. सीआईटीईएस के अंतर्गत वैध व्यापार का विनियमन: डब्ल्यूसीसीबी ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, सीआईटीईएस और एक्जिम नीति के प्रावधानों के अनुसार एक्जिम खेपों के वनस्पति और जीव-जंतुओं के नमूनों के पूर्व / पश्चात निरीक्षण का संचालन करके सीमा शुल्क विभाग की सहायता की। इस प्रकार के निरीक्षणों के परिणामस्वरूप इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश भर में विभिन्न निकास बिंदुओं पर 137 (डब्ल्यूएलपीए- 47, सीआईटीईएस- 63 और एक्जिम- 27) नीति उल्लंघनों का पता चला।

17. वन्यजीव अपराध प्रवर्तन, नीति और कानून से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों को चेतावनी और सलाह जारी करना: वर्ष के दौरान, देश भर में प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए वन्यजीव अपराध के तौर-

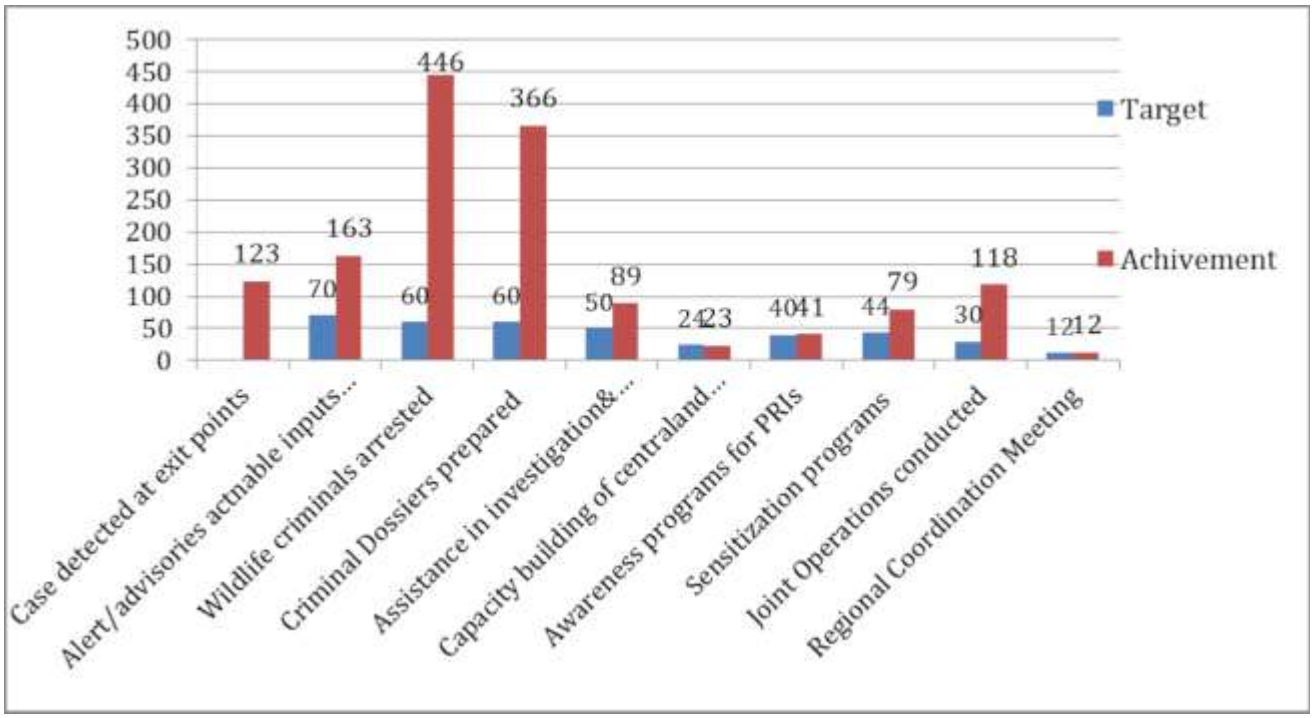

तरीकों, व्यापार मार्ग और प्रवृत्ति पर 5 परामर्श जारी किये गए और वन्यजीव अपराध से संबंधित मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को 158 कार्रवाई योग्य अलर्ट / इनपुट जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न वन्यजीव वस्तुओं / संरक्षित जानवरों की जब्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

ग डब्ल्यूसीसीबी के परिचालन लक्ष्यों के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियाँ

पहचान और ज़ब्ती: डब्ल्यूसीसीबी की तस्वीरें

ऊपर से दक्षिणावर्त (मेघालय में 14/10/2025 को दक्षिण गारो हिल्स में लगभग 9.335 किलोग्राम वजन के पैंगोलिन की जब्ती के साथ-साथ (02) व्यक्तियों की गिरफ्तारी;,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 18/10/2025 को 295 जीवित और 355 मृत तोते जब्त किए गए;

मेघालय में 31/10/2025 को गारो हिल्स में लगभग 11.915 किलोग्राम वजन का पैंगोलिन जब्त किया गया और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

महाराष्ट्र में 04/11/2025 को डब्ल्यूसीसीबी द्वारा चलाए गए संयुक्त प्रवर्तन अभियानों के दौरान 2 काले हिरण की खालें जब्त की गईं और अमरावती में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।)

घ कार्यकलाप:

विश्व ओजोन दिवस 2025:

जून 2025: विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों ने कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इन पहलों का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के बारे

में जागरूकता को मजबूत करना था। इन कार्यक्रमों में स्कूल के छात्रों, वन अधिकारियों, दिल्ली पुलिस कर्मियों, आम जनता और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारियों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया था।

वन्यजीव सप्ताह 2025:

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने पूरे भारत में विभिन्न स्थानों जैसे स्कूलों, हवाई अड्डों, राष्ट्रीय उद्यानों, विदेशी डाकघरों, एसएसबी प्रशिक्षण विद्यालय, तटरक्षक बल आदि में जागरूकता, संवेदीकरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन गतिविधियों का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन, मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व पर जन जागरूकता को बढ़ावा देना था, जिसमें 'सेवा पर्व' (प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व) पर जोर दिया गया था, साथ ही वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रवर्तन एजेंसियों, वन विभागों, छात्रों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। देशभर में कुल 23 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सीआईटीईएस से संबंधित गतिविधियाँ:

क. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, सीबीआईसी के डीजी सिस्टम के समन्वय से, वन्यजीव संबंधी शिपमेंट के निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक आयात प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए स्विफ़्ट 2.0 के साथ एकीकृत होने वाली आयात मंजूरी प्रणाली विकसित कर रहा है।

ख. सीआईटीईएस की वार्षिक रिपोर्ट, 2024 तैयार कर प्रबंधन प्राधिकरण-सीआईटीईएस, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर दी गई है।

हिंदी अनुभाग रिपोर्ट 2025:

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने की अपनी पहल के तहत 09.09.2025 से 23.09.2025 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान, चार प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, टिप्पणी और मसौदा तैयार करने की प्रतियोगिता और द्विभाषी शब्द अर्थ प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जो अतिरिक्त निदेशक और विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025:

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने ईमानदारी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देने के अपने सतत प्रयासों के तहत 27.10.2025 से 02.11.2025 की अवधि में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का आयोजन और पालन किया।

डब्ल्यूसीसीबी इंटर्नशिप कार्यक्रम:

डब्ल्यूसीसीबी में शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2025 तक शुरू हुआ था और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 12 इंटर्न ने शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लिया था। ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (जून-2025) के दौरान, मुख्यालय सहित डब्ल्यूसीसीबी के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 5 इंटर्न ने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लिया है।

सोशल मीडिया आउटरीच:

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो अवैध वन्यजीव अपराध से निपटने की पहलों के बारे में जनता को जागरूक करने और उनसे जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। एक व्यापक आधिकारिक वेबसाइट बनाए रखने के अलावा, डब्ल्यूसीसीबी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से मौजूद है।

7.3 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

क परिचय, उद्देश्य और कार्य

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। भारत में चिड़ियाघरों के कामकाज की देखरेख करने और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत इसका गठन 1992 में किया गया था। सीजेडए की प्रमुख चिंता देश के चिड़ियाघरों में पशुओं के आवास, रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के मौजूदा मानकों को बढ़ाना रही है।

उद्देश्य:

- भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों और मानदंडों को लागू करें और
- अव्यवस्थित और कुविचारित चिड़ियाघरों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण रखें।

कार्य:

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (ग) के अंतर्गत प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

क्रमांक	सौंपा गया कार्य	कार्यों का निष्पादन
क	चिड़ियाघरों में रखे जाने वाले जानवरों के आवास, रखरखाव और पशु चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करना।	सीजेडए ने बंदी अवस्था में रखे गए जानवरों के आवास और रखरखाव के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए हैं: 1. चिड़ियाघर के नियमों की मान्यता 2. चिड़ियाघरों की स्थापना और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश
ख	चिड़ियाघरों के कामकाज का निर्धारित मानकों या मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन और आकलन करना।	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 25 चिड़ियाघरों का भौतिक मूल्यांकन किया है।
ग	चिड़ियाघरों को मान्यता देना या मान्यता रद्द करना	सीजेडए ने 7 चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की/मान्यता का नवीनीकरण किया। इसके अलावा, 7 नए चिड़ियाघरों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। वर्तमान में देश में 156 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हैं।
घ	लुप्तप्राय वन्य जीवों की प्रजातियों की पहचान करना ताकि उन्हें बंदी प्रजनन के लिए तैयार किया जा सके और इस संबंध में चिड़ियाघर को जिम्मेदारी सौंपी जा सके।	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने लक्षित संरक्षण प्रजनन के लिए 74 स्वदेशी जीव प्रजातियों की पहचान की है। इसमें पक्षियों की 24 प्रजातियां, स्तनधारियों की 46 प्रजातियां और सरीसृपों की 4 प्रजातियां शामिल हैं। इस उद्देश्य के लिए 42 चिड़ियाघरों की पहचान की गई है, जिनमें से 29 को समन्वय चिड़ियाघर के रूप में नामित किया गया है। पहले यह परिकल्पना की गई थी कि प्रत्येक पहचानी गई प्रजाति के कम से कम 100 ऐसे व्यक्ति स्थापित किए जाएं जो आनुवंशिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ हों। इसका लक्ष्य इन आबादी को एक 'बीमा' के रूप में रखना है

क्रमांक	सौंपा गया कार्य	कार्यों का निष्पादन
		(प्रजाति के विलुप्त होने की भविष्यवाणी को रोकने और भविष्य की संरक्षण रणनीतियों के लिए विकल्पों को संरक्षित करने के लिए प्रजाति की एक व्यवहार्य बाह्य आबादी को बनाए रखना) यदि प्रजाति के पुनर्स्थापन की योजना बनाई जाती है। मोटे तौर पर, इन आबादी की स्थापना "प्रजाति संरक्षण के लिए बाह्य प्रबंधन के उपयोग पर आईयूसीएन प्रजाति संरक्षण आयोग के दिशानिर्देश संस्करण 2.0" का अनुसरण करती है। सीजेडए ने 2011 में "केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश/मानदंड" भी प्रकाशित किए। सीजेडए ने भारतीय चिड़ियाघरों में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया है और एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों के प्रबंधन में रचनात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
		रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, बेंगलुरु के बैनरघट्टा जैविक पार्क को तकनीकी समिति द्वारा लंबी चोंच वाले गिद्ध के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में भागीदार चिड़ियाघर के रूप में जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की गई थी।
ङ	प्रजनन प्रयोजन के लिए पशुओं की खरीद, विनिमय और उधार देने के समन्वय हेतु	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, सीजेडए ने भारतीय चिड़ियाघरों के बीच 19 पशु विनिमय/स्थानांतरण प्रस्तावों और भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच 267 विनिमय प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
च	बंदी अवस्था में पाले गए लुप्तप्राय वन्य पशुओं की प्रजातियों के प्रजनन अभिलेखों के रखरखाव को सुनिश्चित करना।	भारतीय चिड़ियाघरों में रखे गए बंदी जंगली जानवरों की 34 प्रजातियों की पहचान स्टडबुक तैयार करने के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम को वर्तमान में आईयूसीएन- कंजर्वेशन प्लानिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप - वन प्लान अप्रोच सहित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके अद्यतन किया जा रहा है।
छ	चिड़ियाघरों में बंदी जानवरों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं और विषयों की पहचान करना।	सीजेडए मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को दीर्घकालिक भविष्य के विकास के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने में सहायता कर रहा है। चिड़ियाघरों के बेहतर विकास के लिए सीजेडए को अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु सीजेडए द्वारा पहले से अनुमोदित चिड़ियाघरों की मास्टर (लेआउट) योजनाओं और चिड़ियाघरों की मास्टर योजना की भी समीक्षा की जा रही है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, सीज़ेडए ने 2 चिड़ियाघरों की मास्टर (लेआउट) योजना को मंजूरी दी है और 5 चिड़ियाघरों की मास्टर योजना को मंजूरी दी है।
ज	भारत और भारत के बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के प्रशिक्षण का समन्वय करना।	सीज़ेडए चिड़ियाघर प्रबंधन के सभी क्षेत्रों जैसे चिड़ियाघर प्रबंधक, पशु चिकित्सक, शिक्षाविद, जीवविज्ञानी, मध्य स्तरीय अधिकारी और चिड़ियाघर के रखवाले आदि के लिए समर्पित व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

क्रमांक	सौंपा गया कार्य	कार्यों का निष्पादन
झ	चिड़ियाघरों के प्रयोजनों के लिए बंदी प्रजनन और शैक्षिक कार्यक्रमों में अनुसंधान का समन्वय करना।	इस अवधि के दौरान, सीज़ेडए ने कई शोध परियोजनाओं को एनओसी प्रदान की है जिनमें चिड़ियाघर/एक्स-सीटू संबंध हैं। हालांकि, किसी भी शोध परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई क्योंकि इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।
ञ	चिड़ियाघरों के उचित प्रबंधन और वैज्ञानिक आधार पर विकास के लिए तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना।	चिड़ियाघरों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान चिड़ियाघरों द्वारा पालन किए जाने वाले पशु पर्यावास के आयामों का संशोधन प्रगति पर है।
ट	चिड़ियाघरों के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यों को करना।	शून्य

ख संपन्न की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- भारतीय चिड़ियाघरों के पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (व्यक्तिगत रूप से, हाइब्रिड मोड और वर्चुअल रूप से) आयोजित किए गए।

- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करते हुए, गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र (एनआरसी-डब्ल्यू) की स्थापना से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। एनआरसीडब्ल्यू के लिए नागरिक अवसंरचना विकास कार्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की नागरिक निर्माण इकाई (सीसीयू) को सौंपा गया है।

ग महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, बेंगलुरु के बैनरघट्टा जैविक पार्क को तकनीकी समिति द्वारा लंबी चोंच वाले गिद्ध के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में भागीदार चिड़ियाघर के रूप में जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की गई थी।

- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 25 चिड़ियाघरों का भौतिक मूल्यांकन किया है।

घ सतत समितियाँ / आयोग – वर्ष के दौरान उनका कार्य और वर्तमान स्थिति :

- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण : माननीय मंत्री (ईएफ एवं सीसी) की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का कार्यकाल 13.09.2026 तक है; रिपोर्टिंग अवधि में 1 बैठक आयोजित की गई;

- प्रशासनिक समिति : डीजीएफ एवं एसएस की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक समिति का कार्यकाल 13.09.2026 तक है; रिपोर्टिंग अवधि में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

- तकनीकी समिति : एडीजीएफ (वन्यजीव) की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का कार्यकाल 13.09.2026 तक है; रिपोर्टिंग अवधि में 4 बैठकें आयोजित की गईं;

- चिड़ियाघर डिजाइनिंग पर विशेषज्ञ समूह : चिड़ियाघर डिजाइनिंग पर विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता सदस्य सचिव-सीजेडए की अध्यक्षता में 13.09.2026 तक के लिए की गई है; रिपोर्टिंग अवधि में 5 बैठकें आयोजित की गईं।

ङ भारत में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, 2 व्यक्तिगत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिए गए हैं:

कार्यशाला/प्रशिक्षण	आयोजन की तिथि	प्रतिभागी	लाभान्वित प्रतिभागी
असम में उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और चिड़ियाघर निदेशकों/प्रबंधकों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।	4-5 सितंबर 2025	पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और चिड़ियाघर निदेशक/प्रबंधक	25
टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में पूर्वी क्षेत्र के लिए चिड़ियाघर कर्मचारी प्रशिक्षण (चार दिनों के लिए)	25-28 अगस्त 2025	पूर्वी राज्यों के चिड़ियाघर कर्मचारी।	34

माननीय श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के शासी निकाय की बैठक 22 अप्रैल 2025 को इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

7.4 हाथी परियोजना

1. हाथी परियोजना प्रभाग

च प्रमुख प्रकाशित प्रकाशनों की सूची

1. भारतीय चिड़ियाघर वार्षिक पुस्तक, खंड X – 2025।

विवरण – इंडियन जू ईयर बुक चिड़ियाघर प्रबंधन, संरक्षण प्रजनन और वन्यजीव स्वास्थ्य देखभाल में सर्वोत्तम प्रथाओं, व्यावहारिक अनुसंधान और अनुभवात्मक शिक्षा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करती है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

क परिचय, उद्देश्य और कार्य

भारत में पर्याप्त जैविक और सांस्कृतिक विविधता है, साथ ही संरक्षण पहलों का एक लंबा इतिहास भी है। एशिया के जिन 13 देशों में हाथी पाए जाते हैं, उनमें से भारत में वैश्विक जंगली एशियाई हाथी आबादी का 60% से अधिक हिस्सा है। भारत में एशियाई हाथी मुख्य रूप से दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी, पूर्वी मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में वितरित हैं। एशियाई हाथी को आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में

सूचीबद्ध किया गया है, जो जंगली में इसके विलुप्त होने के महत्वपूर्ण जोखिम को दर्शाता है। भारत में हाथियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित किया गया है। पर्यावास बहाली का समर्थन करने और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, भारत सरकार ने 1992 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:

- हाथियों, उनके पर्यावासों और गलियारों की रक्षा के लिए।
- मानव-हाथी संघर्ष की चुनौतियों का समाधान करना।
- कैद में रखे गए हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए।

हाथी परियोजना का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना - बाघ और हाथी परियोजना के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है और केंद्रीय निधि का अनुपात इस प्रकार है: पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए राज्यों का हिस्सा क्रमशः 60:40 और 90:10 है। वर्तमान में यह परियोजना 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

ख संपन्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून स्थित आईएनजीएफए में आयोजित हाथी परियोजना की 21वीं संचालन समिति की बैठक में गलियारों, संघर्ष का उप-शमन और हाथी अभ्यारण्य प्रबंधन पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई।
- विश्व हाथी दिवस 2025 का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कोयंबटूर में किया गया था, ताकि हाथियों को भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में संरक्षित किया जा सके और उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व हाथी दिवस समारोह की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों, संरक्षणवादियों, छात्रों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की सम्मानित उपस्थिति में की।
- जन जागरूकता अभियान : एनएमएनएएच और हाथी परियोजना ने दक्षिण भारत के 5,518 स्कूलों में लगभग 15 लाख छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाया और उन्हें हाथी संरक्षण के लिए बहुभाषी शपथ दिलाई।
- विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथी संरक्षण और प्रबंधन में अनुकरणीय प्रयासों के लिए गज गौरव पुरस्कार (2025) प्रदान किए गए। पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया:
  - अरुणाचल प्रदेश के श्री गणेश तमांग (महावत) और श्री सुमित गोगोई (सेवक) को संयुक्त रूप से।
  - मध्य प्रदेश से श्री केसु सिंह वाल्के (सहायक महौत), श्री सहदान राम लाकड़ा (सहायक महौत) को संयुक्त रूप से
  - तमिलनाडु के श्री एम. मुरली (शिकार-विरोधी निगरानीकर्ता) और श्री एस. कार्तिकेयन (वन रक्षक) को संयुक्त रूप से।
  - उत्तर प्रदेश से श्री इरशाद अली (महावत)।
- रेल दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय– डब्ल्यूआईआई–रेलवे ने संयुक्त रूप से 3,452 किलोमीटर में फैले 127 संवेदनशील क्षेत्रों (हाथी क्षेत्र में 110 और बाघ क्षेत्र में दो राज्यों में 17) का सर्वेक्षण किया। इनमें से 77 क्षेत्रों (14 राज्यों में फैले 1,965 किलोमीटर) को 705 शमन संरचनाओं (रैंप, क्रॉसिंग, बाड़ और ओवरपास) के लिए प्राथमिकता दी गई।
- भारत के असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में हाथी-मानव संघर्ष (2000-2023) - रुझान, चुनौतियाँ और अंतर्दृष्टि: 2000-2023 की अवधि को कवर करने वाली यह रिपोर्ट, संघर्ष के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए स्थानिक डेटा, क्षेत्र सर्वेक्षण और वन विभाग के रिकॉर्ड का उपयोग करती है ताकि हॉटस्पॉट की पहचान की जा सके और संघर्ष की गंभीरता और हाथी

मृत्यु दर पर भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन किया जा सके। इसमें स्थानीय समुदायों और हाथियों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए शमन रणनीतियों का प्रस्ताव है और इसे माननीय मंत्री, ईएफसीसी द्वारा आईजीएनएफए, देहरादून में परियोजना हाथी की 21वीं संचालन समिति की बैठक के दौरान जारी किया गया था।

- क्षेत्रीय कार्य योजनाएँ (आरएपी): क्षेत्रीय कार्य योजना (आरएपी) का उद्देश्य समन्वित, भूदृश्य-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से हाथियों और उनके आवासों के दीर्घकालिक संरक्षण को बढ़ावा देना है। हाथियों की सीमा पार आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, आरएपी पारिस्थितिक संपर्क बनाए रखने, मानव-हाथी संघर्षों (एचईसी) को कम करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए मसौदा योजना तैयार करने हेतु मसौदा समितियां गठित की गई हैं।

- बंदी हाथियों के दांत काटने संबंधी सलाह: हाथी के दांत, जो डेंटिन (हाथीदांत) से बने होते हैं, भोजन की तलाश, रक्षा और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन विशेष रूप से कैद में रहने पर, इनमें फ्रैक्चर और बीमारियों का खतरा रहता है। दांतों की उचित देखभाल, जिसमें सुरक्षित छंटाई भी शामिल है, उनके कल्याण के लिए आवश्यक है, जबकि अनुचित तरीकों से गंभीर या घातक चोटें लग सकती हैं। यह परामर्श बंदी हाथियों में दांतों की सुरक्षित छंटाई के लिए नैतिक और वैज्ञानिक दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिससे पशु कल्याण और कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। इसे देहरादून स्थित आईएनजीएफए में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक के दौरान ईएफसीसी के माननीय मंत्री द्वारा जारी किया गया था।

- स्वस्थ पैर, स्वस्थ हाथी : कैद में रखे गए हाथियों में फोड़े, दरारें, सड़न, गठिया और संक्रमण जैसी पैरों की बीमारियां रुग्णता के प्रमुख कारण हैं, जो अक्सर खराब स्वच्छता, अनुचित छंटाई, अनुपयुक्त फर्श और नियमित निरीक्षण की कमी के परिणामस्वरूप होती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट ने पशु चिकित्सकों और तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से "स्वस्थ पैर, स्वस्थ हाथी" नामक एक कार्यक्रम विकसित किया है। "कैद में रखे गए एशियाई हाथियों के पैरों की देखभाल के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका" - यह पहली संरचित, विज्ञान-आधारित पुस्तिका है जो महावतों, पशु चिकित्सकों और देखभालकर्ताओं को कैद में रखे गए हाथियों के पैरों के प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन और कल्याण पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

ग महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

- बंदी हाथियों का डीएनए प्रोफाइलिंग: 25 राज्यों से 2,000 से अधिक जैविक नमूने (कैद में रखे गए हाथियों की आबादी का लगभग 70%) एकत्र किए गए हैं और डब्ल्यूआईआई के सहयोग से गजाह सूचना ऐप के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया है।

- अखिल भारतीय समन्वित हाथी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या अनुमान (2022) पूर्ण हो गया है।

घ निरंतर समितियाँ / आयोग

- दक्षिण भारत के हाथी क्षेत्र राज्यों के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार करने के लिए 19.02.2025 को एक उप-समिति का गठन किया गया था।

- बंदी हाथी स्वास्थ्य देखभाल एवं कल्याण समिति (सीईएचडब्ल्यूसी) - 5वीं बैठक 07.03.2025 को आयोजित हुई।

- केंद्रीय परियोजना हाथी निगरानी समिति (सीपीईएमसी) - 17.03.2025 को आयोजित 8वीं बैठक।

- पूर्वोत्तर भारत के हाथी क्षेत्र राज्यों के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार करने हेतु एक उप-समिति का गठन 06.08.2025 को किया गया था।

- पिछले 10 वर्षों में ट्रेन दुर्घटनाओं के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 07.08.2025 को एक उप-समिति का गठन किया गया था।

- बाघ और हाथी अभ्यारण्यों के अतिव्यापी क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए 24.09.2025 को एक उप-

समिति का गठन किया गया था।

ङ महत्वपूर्ण सम्मेलन / बैठकें

- पूर्वोत्तर भारत में मानव संसाधन परिवहन आयोग (एचईसी) प्रबंधन पर क्षेत्रीय परामर्श बैठक 21 जनवरी 2025 को गुवाहाटी में आयोजित की गई।

- हाथी परियोजना की 21वीं संचालन समिति की बैठक 26 जून 2025 को आईएनजीएफए, देहरादून में आयोजित की गई।

- हाथी के आवास प्रबंधन, गलियारा प्रबंधन और मानव-हाथी संघर्ष के शमन में अच्छी प्रथाओं पर अनुभव साझा करने की कार्यशाला 12 अगस्त 2025 को कोयंबटूर में आयोजित की गई थी।

- प्रोजेक्ट एलिफेंट की 22वीं संचालन समिति की बैठक 21 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के सुंदरबन टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई।

च विदेश मंत्रालय / अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- आईयूसीएन द्वारा 5 से 7 फरवरी 2025 तक आयोजित चौथी एशियाई हाथी रेंज राज्य बैठक में श्री रमेश कुमार पांडे (आईजीएफ) और डॉ. धीरज मित्तल (एआईजीएफ) ने भाग लिया।

- वन मंत्रालय (वन्यजीव/हाथी परियोजना) के अतिरिक्त महानिदेशक श्री रमेश कुमार पांडे के नेतृत्व में दो सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक 'जी' डॉ. पराग निगम भी शामिल थे, ने भाग लिया।

  उन्होंने 17 से 21 सितंबर 2025 तक वियतनाम के बिएन होआ में आयोजित आईयूसीएन प्रजाति संरक्षण आयोग (एसएससी) एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह (एएसईएसजी) की 12वीं बैठक में भाग लिया।

- भारत में स्थित सभी माइक साइटों के वर्ष 2024 के आंकड़े साइट्स सचिवालय को प्रस्तुत किए गए।

छ प्रमुख प्रकाशन

i. संवेदनशील रेलवे मार्गों पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों की ट्रेन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुझाए गए उपायों पर रिपोर्ट: 14 राज्यों के लिए एक समेकित रिपोर्ट।

ii. असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में हाथियों से जुड़े संघर्षों को कम करने के उपायों का सुझाव देने हेतु राज्यवार रिपोर्ट।

iii. ट्रम्पेट न्यूज़लेटर (खंड IV, अंक 3 और खंड V, अंक 1) – त्रैमासिक अपडेट।

iv. ट्रम्पेट स्पेशल एडिशन – भारत के हाथी और जनजातियाँ – संरक्षण में जनजातीय भागीदारी पर प्रकाश डालता है।

v. स्वस्थ पैर, स्वस्थ हाथी: कैद में रखे गए एशियाई हाथियों के पैरों की देखभाल के लिए एक मार्गदर्शिका।

vi. हाथी की देखभाल प्रबंधन: हाथी संचालकों के लिए एक मार्गदर्शिका

vii. ट्रम्पेट स्पेशल एडिशन – हाथी की आबादी का अनुमान लगाना और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

2. हाथी परियोजना प्रभाग के अंतर्गत योजना / कार्यक्रम

केंद्र प्रायोजित योजना – प्रोजेक्ट एलिफेंट

क प्रगति/उपलब्धियाँ

- हाथी बहुल राज्यों में पर्यावास संरक्षण और संघर्ष शमन को मजबूत करना।

- गजाह सूचना ऐप के माध्यम से बंदी हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटल प्रलेखन।

- संरक्षण, संवर्धन, पर्यावास सुधार, मानव-हाथी संघर्ष शमन और बंदी हाथियों के कल्याण संबंधी गतिविधियों के लिए 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को

सहायता प्रदान की गई।

- क्षेत्रीय कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण।
- विश्व हाथी दिवस समारोहों, प्रदर्शनियों और प्रकाशनों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना।

3. स्वायत्त निकाय

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जंगली और बंदी दोनों जगहों पर हाथियों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु परियोजना हाथी के तकनीकी विंग के रूप में देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) में "हाथी प्रकोष्ठ" की स्थापना की है।

4. दिनांक 19.11.2025 गैर सरकारी संस्थानों / संगठनों (स्वयं सहायता समूह सहित) को जारी की गई अनुदान सहायता

क्रम संख्या	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि	मूल्यांकन की स्थिति / टिप्पणी
1.	राज्य वन विभाग	हाथियों के, उनके पर्यावासों और गलियारों के संरक्षण के बारे में अध्ययन करना, मानव-हाथी संघर्ष की चुनौतियों का समाधान करना और बंदी हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना।	₹ 18,73,71,118/-	नीति आयोग के अंतर्गत विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने पैकेज 8 के तहत पर्यावरण और वन क्षेत्रों को शामिल करते हुए, वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि के लिए सीएसएस का व्यापक मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा है। केंद्र प्रायोजित योजना "वन्यजीव पर्यावास का विकास" (सीएसएस:डीडब्ल्यूएच) के मसौदा मूल्यांकन रिपोर्ट पर प्राप्त टिप्पणियां दिनांक 22.09.2025 को नीति आयोग के साथ साझा की गई हैं।
2.	भारतीय वन जीव संस्थान	हाथी प्रकोष्ठ	₹ 1,08,51,756/-	आंतरिक रूप से निदेशक, डब्ल्यूआईआई द्वारा मूल्यांकन/निगरानी की गई।

पीई की 21वीं संचालन समिति

गज गौरव पुरस्कार 2025

गज गौरव पुरस्कार 2025

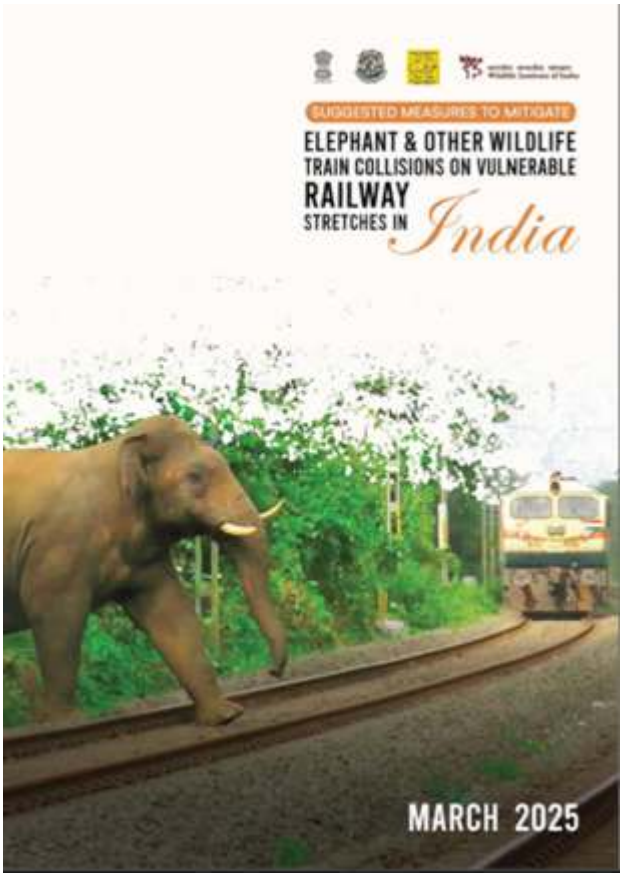

ट्रेन दुर्घटना रिपोर्ट का कवर

7.5 परियोजना बाघ / राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

क परिचय:

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) का एक वैधानिक निकाय है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित, 2006 में संशोधित, एनटीसीए देश में बाघ संरक्षण प्रयासों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठन उक्त अधिनियम द्वारा इसे सौंपे गए जनादेश के भीतर कार्य करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बाघों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए उपायों को बढ़ाना और लागू करना है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के दायरे में अपने जनादेश का निर्वहन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बाघ संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना है। इसमें परामर्शी और मानक दिशानिर्देशों के माध्यम से निगरानी बनाए रखना शामिल है, जिन्हें बाघ की स्थिति के व्यापक आकलन, चल रही संरक्षण परियोजनाओं और विशेष रूप से गठित समितियों की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया जाता है।

अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन और परियोजना बाघ के लिए मानक) दिशानिर्देश, 2012 के अनुसार, 'परियोजना बाघ' पहल के माध्यम से देश के 18 राज्यों में 58 बाघ अभ्यारण्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ ही बसे हुए बाघों को जंगलों में रहने के लिए की सहायता के लिए भी प्रावधान करता है। 'प्रोजेक्ट टाइगर' केंद्र प्रायोजित वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास योजना के एक घटक के रूप में संचालित होता है, जो बाघों के प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षण के लिए समर्पित है। इस योजना ने लुप्तप्राय बाघ को विलुप्त होने के कगार से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्नत पद्धति का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय बाघ आकलन (एआईटीई) के हाल ही के निष्कर्षों से स्पष्ट है।

भारत में बाघों की एक व्यवहार्य आबादी के रखरखाव के लिए परियोजना बाघ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए, और लोगों के लाभ, शिक्षा और आनंद के लिए जैविक महत्व के क्षेत्रों को राष्ट्रीय विरासत के

रूप में हमेशा के लिए संरक्षित करने के लिए, एनटीसीए:

1. बाघ को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी हो सके।

2. यह राज्यों, अभ्यारण्य प्रबंधन और एनटीसीए के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का प्रावधान करके, संघीय ढांचे के भीतर बाघ अभ्यारण्यों के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों की जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

3. संसद द्वारा निगरानी का प्रावधान करता है।

4. यह परियोजना बाघ अभ्यारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के आजीविका संबंधी हितों का समाधान करती है।

एनटीसीए के कार्य

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38O के तहत, वर्ष 2006 में यथा संशोधित किया गया था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य निम्नलिखित हैं: -

i. अधिनियम की धारा 38V की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी देना।

ii. सतत पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और आकलन करना तथा बाघ अभ्यारण्यों के भीतर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे किसी भी पारिस्थितिक रूप से अस्थिर भूमि उपयोग की अनुमति न देना।

iii. बाघ अभ्यारण्यों के बफर और कोर क्षेत्रों में बाघ संरक्षण के लिए पर्यटन क्रियाकलापो हेतु मानक निर्धारित करना और बाघ परियोजना हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश देना तथा उनका उचित अनुपालन सुनिश्चित करना।

iv. कार्य योजना संहिता में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्षों के समाधान हेतु प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण और उपायों का प्रावधान करना तथा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों या बाघ अभ्यारण्यों के बाहर के वन क्षेत्रों में सह-अस्तित्व पर जोर देना शामिल है।

v. इसमें संरक्षण उपायों से संबंधित जानकारी प्रदान करना शामिल है, जिसमें भविष्य की संरक्षण योजना, बाघों और उनके प्राकृतिक शिकार प्रजातियों की जनसंख्या का अनुमान, पर्यावासों की स्थिति, रोग निगरानी, मृत्यु दर सर्वेक्षण, गश्त, अप्रिय घटनाओं पर रिपोर्ट और प्रबंधन के अन्य पहलू शामिल हैं जैसा भी उचित समझा जाए, साथ ही भविष्य की संरक्षण योजना भी शामिल है।

vi. बाघ, सह-शिकारियों, शिकार के पर्यावास, संबंधित पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों और उनके मूल्यांकन पर अनुसंधान और निगरानी को मंजूरी देना और समन्वय करना।

vii. यह सुनिश्चित किया जाए कि बाघ अभ्यारण्यों और एक संरक्षित क्षेत्र या बाघ अभ्यारण्य को दूसरे संरक्षित क्षेत्र या बाघ अभ्यारण्य से जोड़ने वाले क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से अस्थिर उपयोगों के लिए तब तक परिवर्तित न किया जाए, जब तक कि यह जनहित में न हो और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति और बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर हो।

viii. राज्य में जैव विविधता संरक्षण पहलों के लिए अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पर्यावरण विकास और जनभागीदारी के माध्यम से बाघ अभ्यारण्य प्रबंधन को सुगम बनाना और समर्थन देना तथा केंद्र एवं राज्य कानूनों के अनुरूप आसपास के क्षेत्रों में इसी प्रकार की पहलों का समर्थन करना।

ix. बाघ संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और कानूनी सहायता सहित महत्वपूर्ण समर्थन सुनिश्चित करें।

x. बाघ अभ्यारण्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए चल रहे क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सुगम बनाना, और

xi. बाघों और उनके पर्यावास के संरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए

निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की हैं।

ख महत्वपूर्ण कार्यकलाप

1. कुल मिलाकर, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत तीन नए बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित/अनुमोदित किए गए हैं—गुरु घासीदास-तामो पिंगला बाघ अभ्यारण्य (छत्तीसगढ़), रतपानी बाघ अभ्यारण्य (मध्य प्रदेश) और राष्ट्रीय माधव उद्यान (मध्य प्रदेश)। इन नए अभ्यारण्यों के जुड़ने से भारत में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या बढ़कर 58 हो गई है। इस विस्तार से देश के संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क और मजबूत हुआ है, जिससे बाघ अभ्यारण्यों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.5% हो गया है।

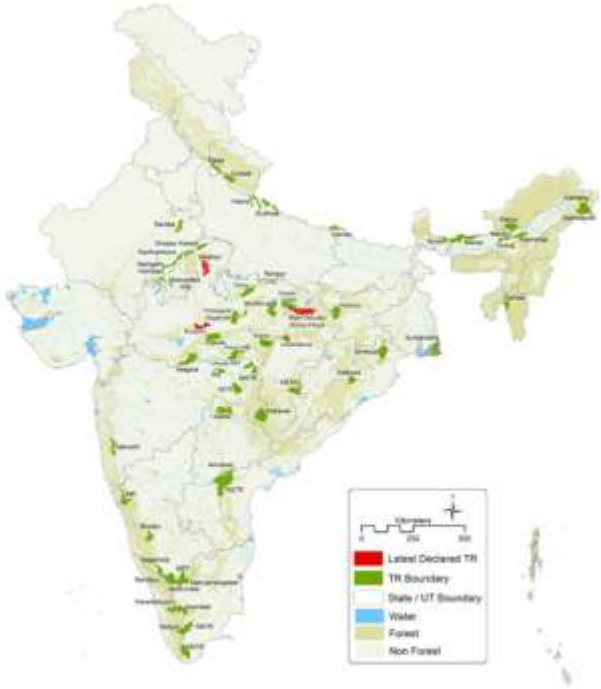

2. अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन

   i. आईबीसीए से 19 देश जुड़ चुके हैं। इनमें भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया, कंबोडिया, गिनी, सूरीनाम, भूटान, इथियोपिया, आर्मेनिया, रवांडा, नेपाल, ग्वाटेमाला, मंगोलिया, इरीट्रिया, अंगोला, मलेशिया और दक्षिण सूडान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कज़ाखस्तान, थाईलैंड और नामीबिया पर्यवेक्षक देशों के रूप में जुड़े हैं। साथ ही, इससे 9 भागीदार संगठन और 3 रणनीतिक भागीदार भी जुड़े हैं।

   ii. जनवरी 2025 में आईबीसीए की स्थापना संबंधी समझौता आधिकारिक रूप में लागू हुआ।

Tanuj Shakar
Director (Coordination)
Email: dircord@mea.gov.in
Tel: 011-23014754

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

No. AA/321/01/2022-164

3rd Feb 2025

Ministry of External Affairs presents its compliments to the Secretariat, International Big Cat Alliance, New Delhi and has the honour to refer to its letter No. IBCA/IC/01/2024 dated 15 January 2025, regarding the entry into force of the Framework Agreement on the Establishment of International Big Cat Alliance under Article XVIII of the Framework Agreement, and to state that as mentioned in Article XXI of the Framework Agreement, the Government of India (Ministry of External Affairs) will serve as the depository for instruments of ratification, acceptance, approval, or accession from countries seeking to become parties to the agreement under Article XII.

2. It may be noted that Article XVIII (1) of the Framework Agreement specifies that the Agreement will come into effect on the 15th day following the deposit of the 5th instrument of ratification, acceptance, or approval, which includes India's instrument. This provision ensures a coordinated and timely implementation of the Agreement among participating countries.

3. The Ministry would like to inform that, under Article XVIII(1) of the Framework Agreement, five countries - Nicaragua, Eswatini, India, Somalia, and Liberia - have submitted their ratifications/approvals on various dates. The ratification/approval of the agreement by Government of Liberia on January 8, 2025 marks the 5th instrument of ratification/approval upon which the framework agreement shall take effect on January 23, 2025.

4. In view of the above, the Ministry is delighted to confirm that the Framework Agreement on the Establishment of the International Big Cat Alliance (IBCA) will officially come into force on January 23, 2025. To ensure widespread awareness, the Ministry requests the IBCA Secretariat to publicize this milestone on relevant platforms.

5. The Ministry of External Affairs of the Republic of India avails itself of this opportunity to renew to the Secretariat, IBCA, New Delhi, the assurances of its highest consideration.

IBCA Secretariat
118, First floor,
Jorbagh,
New Delhi-110003

   iii. अप्रैल 2025 में भारत सरकार के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था।

iv. आईबीसीए की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बिग कैट के पर्यावास वाले देशों के बीच सामूहिक कार्रवाई के लिए की गई।

v. श्री भूपेंद्र यादव , पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा आईबीसीए के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया गया ।

vi. वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन - अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट सम्मेलन के आयोजन की संभावित तिथि 2026 की तीसरी तिमाही के दौरान होगी।

3. वैश्विक बाघ दिवस, 2025 - वैश्विक बाघ दिवस मनाया गया जिसमें लगभग 2000 स्कूली बच्चों ने सप्ताह भर चलने वाले समारोहों में भाग लिया, जिसमें बाघों पर वृत्तचित्र, चित्रकला प्रतियोगिता, जीवंत संवाद, राष्ट्रीय चिड़ियाघर का भ्रमण और बाघों की प्रदर्शनी शामिल हैं। भारत के विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों के ग्यारह अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा क्षेत्र में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

4. कला प्रदर्शनी- अक्टूबर 2025 में, जनजातीय कला प्रदर्शनी का चौथा संस्करण - मौन वार्तालाप: मार्जिन से केंद्र तक का आयोजन संकला फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। इन कलाकृतियों ने स्वदेशी समुदायों और उन पारिस्थितिक तंत्रों के बीच गहरे

संबंधों को प्रदर्शित किया, जिनका उन्होंने सदियों से पोषण किया है। इन जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी कलाकारों की सक्रिय भागीदारी से तैयार की गई इस प्रदर्शनी ने इस बात की एक जीवंत झलक पेश की कि कैसे प्रकृति, अनुष्ठान और संस्कृति एक साथ मिलकर विशिष्ट रूप से जीवंत दृश्य परंपराओं का निर्माण करते हैं।

5. बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधन - माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2025 में घोषित और माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा अक्टूबर 2025 में आधिकारिक रूप से शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य बाघ अभ्यारण्यों के बाहर के क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की उभरती चुनौती का समाधान करना है। यह समाधान क्षमता निर्माण, तकनीकी प्रगति, जागरूकता और पहुंच, और मानव-वन्यजीव संघर्ष से रणनीतिक और वैज्ञानिक रूप से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से किया जाएगा। इस परियोजना का पहला चरण भारत के 9 राज्यों के 40 प्रभागो में कार्यान्वित किया जा रहा है।

6. प्राधिकरण की बैठक - भोपाल में एनटीसीए की 27वीं बैठक श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। बाघ अभ्यारण्यों की स्थिति और प्रबंधन की दिशा पर विचार-विमर्श किया गया और साथ ही "खुर वाले जानवरों की स्थिति" रिपोर्ट जारी की गई।

ग प्रगति / नवाचार

1. भारत ने अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 का छठा चक्र शुरू किया

दिनांक 22 अगस्त, 2025 को, एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) ने देहरादून में राज्य नोडल अधिकारियों की एक बैठक की मेजबानी की, ताकि अखिल भारतीय बाघ अनुमान (एआईटीई) 2026 के छठे चक्र को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया जा सके। इसके बाद परिदृश्य स्तर पर

प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ताकि अनुमान लगाने की प्रक्रिया का प्रभावी कार्यान्वयन और सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - मध्य भारत और पूर्वी घाट - पहली कार्यशाला दिनांक 15 से 17 सितंबर 2025 तक पेंच टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह भूभाग भारत के मध्य बाघ उपस्थिति क्षेत्रों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।

- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण-दक्षिणी क्षेत्र- दूसरी कार्यशाला, दिनांक 24 से 26 सितंबर 2025 तक, बांदीपुर और मुदुमलाई बाघ अभ्यारण्यों में संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी, जो दोनों नीलगिरी जीवमंडल का हिस्सा हैं, जो दुनिया में बाघों के सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक है। इस प्रशिक्षण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के वन कर्मियों ने भाग लिया।

- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण-सुंदरबन- सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अनूठे और चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में दिनांक 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र कर्मियों ने भाग लिया। इन सत्रों में मैंग्रोव पर्यावासों के लिए उपयुक्त अनुकूली निगरानी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां पारंपरिक तरीकों में अक्सर संदर्भ के अनुसार संशोधन की आवश्यकता होती है।

- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - उत्तर और पश्चिम क्षेत्र - एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 18 से 20 नवंबर 2025 तक भारतीय वन्यजीव संस्थान और राजाजी टाइगर रिजर्व में संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की दलो ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों के बाघ-प्रधान क्षेत्रों के साथ-साथ राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण - पूर्वोत्तर भारत - नामेरी टाइगर रिजर्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र की कार्यशाला दिनांक 18 से 20 नवंबर 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसमें मिजोरम, उत्तरी बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के कारण, बाघ अभयारण्य और गैर- बाघ अभयारण्य प्रतिभागियों के लिए फील्ड कार्यप्रणाली और व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र अलग-अलग आयोजित किए गए।

2. भारत के विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों में अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों का क्षेत्रीय स्तर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघ वाले जंगलों के वन कर्मी भी शामिल थे। प्रशिक्षणों के बाद, भारत ने जमीनी सर्वेक्षण शुरू किए, जिसमें चरण I अभ्यास (मांसाहारी जीवों के संकेतों का सर्वेक्षण और लाइन ट्रांससेक्ट शामिल) और चरण III (कैमरा ट्रैपिंग) अभ्यास शामिल थे।

3. परियोजना चीता इतिहास रचता जा रहा है, जो वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में एक उल्लेखनीय अध्याय जोड़ रहा है। दिसंबर 2025 तक, पुनर्प्रवेश कार्यक्रम के तहत 30 चीतों को दर्ज किया गया है, जिनमें भारत में जन्मे 19 शावक शामिल हैं। भारत में जन्मी एक चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया, जो परियोजना चीता में एक ऐतिहासिक रूप से मील का पत्थर साबित हुआ और यह दर्शाता है कि यह प्रजाति धीरे-धीरे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढल रही है।

4. नवंबर में, भारत के राष्ट्रपति ने बोत्सवाना का दौरा किया, जहां बोत्सवाना ने आधिकारिक तौर पर भारत को 8 चीते सौंपे। इन चीतों को सफलतापूर्वक संगरोध सुविधाओं में छोड़ दिया गया, जिसके बाद इन्हें भारत में स्थानांतरित किया जाएगा।

घ भारत में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1. क्षेत्रीय निदेशकों का सम्मेलन - संरक्षण के प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर विचार-विमर्श और मंथन करने के

लिए मार्च 2025 में राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और देश भर के बाघ अभ्यारण्यों के क्षेत्रीय निदेशकों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। इन सत्रों ने एक सहयोगात्मक और सहभागी वातावरण को बढ़ावा दिया, जिससे बाघ संरक्षण और पर्यावास प्रबंधन में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि, अनुभव और रणनीतियों को साझा करना संभव हुआ। आगामी छठे चक्र के अखिल भारतीय बाघ अनुमान के लिए कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तिका "बाघों की गणना" को वन महानिदेशक और विशेष सचिव श्री सुशील अवस्थी द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया गया।

2. क्षेत्रीय कार्यशालाएँ- बाघ संरक्षण के लिए जमीनी स्तर की चुनौतियों की समीक्षा करने और प्राथमिकता प्रबंधन कार्यों की पहचान करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। ये कार्यक्रम असम के मानस बाघ अभयारण्य (28-29 मई, 2025), तमिलनाडु के मुदुमलाई बाघ अभयारण्य (17-18 जून, 2025), महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य (1-2 जुलाई, 2025) और राजाजी बाघ अभयारण्य और डब्ल्यूआईआई (16-17 जुलाई, 2025) में आयोजित किए गए थे और इनमें राज्यों के सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, पीसीसीएफ, एफडी और टाइगर रिजर्व के डीएफओ ने भाग लिया था। बैठक के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर, बाघ अभ्यारण्य प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई और प्राधिकरण द्वारा इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

3. एनटीसीए ने महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य में आयोजित वाइल्डकॉन 2025 में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले शाकाहारी और बड़े मांसाहारी जीवों के प्रबंधन पर तकनीकी सत्र में भाग लिया।

4. एमएस-एनटीसीए ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 78वें सीआईटीईईएस सम्मेलन में भारत में चीतों के पुनर्प्रवेश की यात्रा को प्रस्तुत किया।

5. ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा आयोजित हाई-एल्टीट्यूड टाइगर्स कार्यशाला में एडीजी-पीटी और एमएस-एनटीसीए, डॉ. गोविंद सागर भारद्वाज ने उद्घाटन भाषण दिया।

ङ अंतरराष्ट्रीय सहयोग

1. भूटान के प्रमुख वन अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की एक परिचयात्मक यात्रा के दौरान एनटीसीए मुख्यालय का दौरा किया और बाघ

संरक्षण तथा मानव-वन्यजीव संपर्क के प्रबंधन पर विचार-विमर्श किया।

2. वन्यजीव प्रबंधन में सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय वार्ता के हिस्से के रूप में कंबोडिया का प्रतिनिधिमंडल भारत में मुदुमलाई और बांदीपुर बाघ अभ्यारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित था।

3. जून 2025 में, एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना चीता की प्रगति पर चर्चा करने और उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, भारत ने औपचारिक रूप से चीतों के अनुकूलन, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी और परियोजना की स्थिति का विवरण देने वाली सभी तकनीकी और निगरानी रिपोर्टें सौंप दीं। दोनों देशों ने संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के लिए संदर्भ की शर्तों को भी अंतिम रूप दिया, जो चल रही प्रगति की समीक्षा करने और वन्यजीव संरक्षण में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करेगा। दक्षिण अफ्रीका का एक प्रतिनिधिमंडल नवंबर 2025 में भारत आया था ताकि परियोजना चीता में हुई प्रगति और भविष्य के अवसरों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके।

4. परियोजना चीता के अगले चरण पर चर्चा करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 27 से 30 जुलाई, 2025 तक नामीबिया का दौरा किया। दोनों पक्ष चीता संरक्षण पर हुए समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए, जिसके तहत भारत ने दिनांक 20 अगस्त, 2025 को औपचारिक रूप से 8-10 चीतों की मांग की और भारतीय उच्चायोग, नामीबिया के पर्यावरण और विदेश मंत्रालयों तथा चीता संरक्षण कोष के समन्वय से, इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

5. परियोजना चीता के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 8 से दिनांक 12 सितंबर, 2025 तक बोत्सवाना का दौरा किया। इस यात्रा ने वन्यजीव संरक्षण में भारत और

बोत्सवाना के बीच मजबूत साझेदारी की पुष्टि की और वैश्विक चीता संरक्षण प्रयासों की दीर्घकालिक सफलता के लिए साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। संरक्षण सहयोग और भारत में चीतों के पुनःप्रवेश के भविष्य पर विचार-विमर्श करने और भारत में चीतों के पुनःप्रवेश स्थलों का दौरा करने के लिए बोत्सवाना का एक प्रतिनिधिमंडल दिसंबर 2025 में भारत आया था।

च प्रमुख प्रकाशन

1. बाघों की गणना- अखिल भारतीय बाघ अनुमान के छठे चक्र के लिए कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण।

2. भारत के बाघ-प्रधान क्षेत्रों में खुर वाले पशुओं की स्थिति - भारत में खुर वाले पशुओं का पहला राष्ट्रव्यापी आकलन, जिसमें प्रजातियों का क्षेत्रवार वितरण, उपस्थिति और घनत्व प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्र और अभ्यारण्य के अनुसार है।

3. भारत के बाघ-प्रधान क्षेत्रों में छोटी बिल्लियों की स्थिति - भारत में छोटी जंगली बिल्लियों का पहला राष्ट्रव्यापी आकलन, जिसमें 9 प्रजातियों की उपस्थिति की स्थिति और रुझान प्रस्तुत किया गया है।

4. स्ट्राइप्स पत्रिका - वैश्विक बाघ दिवस संस्करण - एनटीसीए की प्रचार पत्रिका, जिसमें भारत द्वारा प्राप्त की गई प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

5. स्ट्राइप्स पत्रिका - दिसंबर अंक - एनटीसीए की प्रचार पत्रिका, जिसमें विभिन्न भू-भागों में बाघों के फैलाव और आवागमन पर लेख, एआईटीई के छठे चक्र का प्रारंभ और परियोजना चीता तथा आईबीसीए पर नवीनतम अद्यतन प्रस्तुत किए गए हैं।

6. टाइगरवर्स - भारत के बाघ अभ्यारण्यों के बारे में कम ज्ञात तथ्यों का संकलन, जो इन अभ्यारण्यों द्वारा संरक्षित पारिस्थितिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता को उजागर करता है।

7. परियोजना चीता का अद्यतन - परियोजना चीता के 3 वर्षों में हुई प्रगति और प्राप्त की गई उपलब्धियां।

8. एनटीसीए की कार्यकलाप और पहलों का विवरण - एनटीसीए द्वारा की गई कार्यकलापो और पहलों का संकलन।

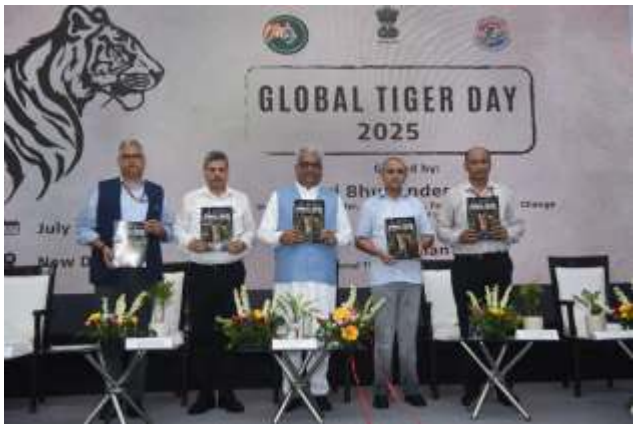

छ संचयी उपलब्धियाँ

1. भारत में बाघों की आबादी में वर्ष 2006 में 1411 से बढ़कर वर्ष 2022 में 3682 हो जाने के साथ-साथ 6% की स्थिर वार्षिक वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में भारत में वैश्विक जंगली बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा मौजूद है।

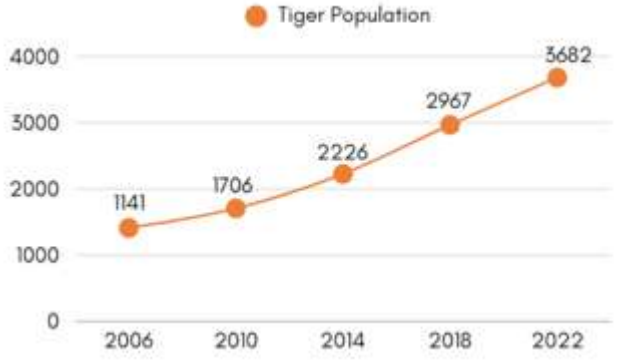

2. हर चार वर्ष में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय बाघ अनुमान अभ्यास को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े कैमरा-ट्रैप सर्वेक्षण के रूप में मान्यता दी गई है।

3. पिछले कुछ वर्षों में, भारत के बाघ अभ्यारण्यों ने बाघ संरक्षण के लिए संरक्षण और प्रबंधन रणनीतियों में भी सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) स्कोर में वृद्धि हुई है।

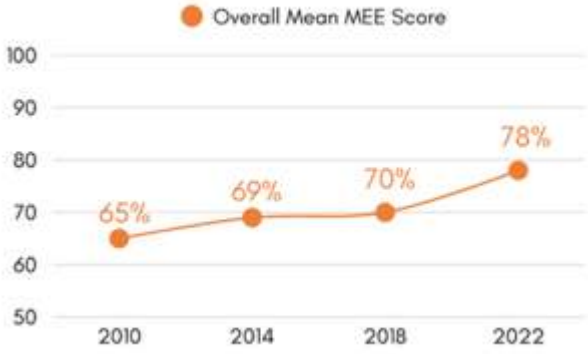

4. तीन वर्ष पहले शुरू होने के बाद से, परियोजना चीता ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। 20 चीतों (नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12) से इनकी आबादी बढ़कर 30 हो गई है (दिसंबर 2025 तक), जिनमें से 11 भारतीय मूल के चीते वयस्क/उप-वयस्क अवस्था में पहुंच चुके हैं और 8 भारतीय मूल के शावक

अपनी मां की देख-रेख में हैं। गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य में तीन चीतों (दो नर और एक मादा) को छोड़ा गया।

योजना- परियोजना बाघ

- भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय पशु, बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में "परियोजना बाघ" शुरू करके एक अग्रणी पहल की है। अपने प्रारंभिक वर्षों में 9 बाघ अभयारण्यों से शुरू होकर, परियोजना बाघ का दायरा बढ़कर 58 बाघ अभयारण्यों तक हो गया है, जो लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, और 18 राज्यों में इनकी बाघ रेंज स्थित है।। यह हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.23% है।

- बाघ अभ्यारण्यों का गठन कोर/बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। मुख्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का कानूनी दर्जा प्राप्त है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन और गैर-वन भूमि का मिश्रण हैं, जिनका प्रबंधन बहुउपयोग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। प्रो परियोजना बाघ का उद्देश्य बाघ अभ्यारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में बाघों से संबंधित एक विशेष एजेंडा को बढ़ावा देना है, जबकि बफर क्षेत्रों में लोगों के लिए समावेशी एजेंडा अपनाया जाएगा।

- परियोजना बाघ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो बाघ उत्पादक राज्यों को नामित बाघ अभ्यारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है, जिसकी एक व्यापक पर्यवेक्षी/समन्वय भूमिका है, और यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

- पिछले पांच वर्षों में योजना के प्रदर्शन को नीचे दिए गए ग्राफ में देखा जा सकता है:

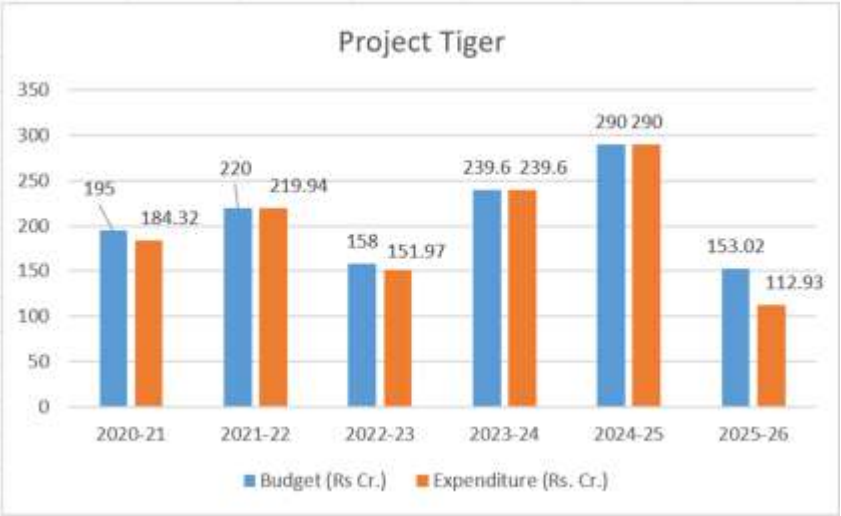

गैर सरकारी संगठनों सहित संस्थानों/संगठनों को जारी की गई अनुदान सहायता

क्रमांक संख्या	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि (रुपये में)
1	भारतीय वन्यजीव संस्थान	एआईटीई	9,86.00,000
		टाइगर प्रकोष्ठ	1,64.76,742
		एमस्ट्राइप	50,05.000
		भारत में चीता के परिचय के लिए कार्य योजना	2,94.09,030
		उत्तर पूर्वी भारत में बाघों का संरक्षण	20,00.000
		मध्य प्रदेश के कान्हा बाघ अभ्यारण्य में बाघों के फैलाव की गहन निगरानी और अध्ययन	28,63.800
		कंबोडिया और भारत के पर्यावरण मंत्रालयों के बीच सहयोग	15,78.720
		प्रोजेक्ट बटागुर	25,00.000
		दीर्घकालिक निगरानी	30,97.500
2.	ग्लोबल टाइगर फोरम	बाघ परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्र की प्रबंधन योजना	36,00.000
3.	अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन	आईबीसीए की स्थापना	14,10.00,000
4.	राष्ट्रीय चिड़ियाघर पार्क, नई दिल्ली	वैश्विक बाघ दिवस के लिए	18,84.000
5.	सुंदरबन बाघ संरक्षण फाउंडेशन	एनटीसीए की 28वीं बैठक,	10,00.000
6.	नामेरी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन	क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए परियोजना विकास	20,00.000
7.	सांखला फाउंडेशन	नई दिल्ली में जनजातीय प्रदर्शनी के आयोजन के लिए सहयोग और समर्थन	39,39.000

7.6 भारतीय वन्यजीव संस्थान

क परिचय:

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की स्थापना 1986 में देहरादून में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। यह संस्थान दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया में वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में उभरा है। इसके प्राथमिक अधिदेश हैं (i) वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना, (ii) शैक्षणिक कार्यकलापो के माध्यम से वन्यजीव विज्ञान को एक अनुशासन के रूप में विकसित करना, (iii) वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण योजना के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना, और (iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य हितधारकों को तकनीकी इनपुट प्रदान करना। संस्थान ने अनुसंधान के माध्यम से वन्यजीव विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण सूचना और ज्ञान उत्पाद तैयार किए हैं और उन्हें विभिन्न लक्षित समूहों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में मुख्यधारा में शामिल किया है।

सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एसएकॉन), जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी और जो 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, अब भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के अधीन भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के दक्षिण भारत केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। पक्षीविज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित, एसएकान के उद्देश्यों में प्राकृतिक इतिहास के अध्ययनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जिसमें पक्षी संरक्षण और उन्हें सहारा देने वाले पारिस्थितिक तंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। डब्ल्यूआईआई के साथ हाल ही में हुआ विलय भारत सरकार के उस कदम को दर्शाता है जिसके तहत वह एसएकॉन की पक्षीविज्ञान संबंधी विरासत को वन्यजीव संरक्षण में डब्ल्यूआईआई की व्यापक विशेषज्ञता के साथ एकीकृत करना चाहती है।

ख अनुसंधान

i. अनुसंधान परियोजनाएँ

संस्थान में वन्यजीव अनुसंधान मुख्य रूप से बहुविषयक है, जिसमें देश के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में पारिस्थितिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है। ये शोध परियोजनाएं भारतीय परिस्थितियों से संबंधित बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी उत्पन्न करती हैं और प्रशिक्षित क्षेत्र जीवविज्ञानी, सामाजिक-आर्थिक विशेषज्ञ और वन्यजीव प्रबंधकों का एक समूह तैयार करती हैं। प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए किया जाता है। अनुसंधान संस्थान के संकाय सदस्यों को वर्तमान क्षेत्र की स्थितियों, प्रबंधन आवश्यकताओं और अनुसंधान प्रवृत्तियों से अवगत रहने, अपने पेशेवर कौशल को लगातार बढ़ाने और अपने शिक्षण इनपुट को अद्यतन करने में भी सक्षम बनाता है। अनुसंधान एजेंडा का मार्गदर्शन प्रशिक्षण, अनुसंधान सलाहकार समिति (टीआरएसी) द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रख्यात संरक्षणवादी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधि और राज्य वन्यजीव संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुसंधान राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पूर्ण की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ

- एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास (आईडीडब्ल्यूएच) के अंतर्गत लुप्तप्राय प्रजातियों का अखिल भारतीय आकलन और निगरानी

- कोडरमा अवक्रमण के प्रभाव क्षेत्र में हजारीबाग वन्यजीव वन प्रभाग, हजारीबाग पश्चिम वन प्रभाग और कोडरमा वन प्रभाग के संपूर्ण वन क्षेत्र के लिए परिदृश्य दृष्टिकोण के साथ शमन और प्रतिपूर्ति उपायों को समाहित करते हुए रेड पांडा एकीकृत वन्यजीव कार्य योजना।

- पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी और वन्यजीव संरक्षण एवं शमन योजना के विकास पर अध्ययन, काइगा परमाणु ऊर्जा परियोजना इकाई 5 और 6, उत्तरा कन्नड़, कर्नाटक, भारत के लिए।

- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और ओबरा वन प्रभागों में स्थित 3660 मेगावाट की ग्रीनको यूपी01 ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पंप्ड स्टोरेज परियोजना (ओसीपीएसपी) की वन्यजीव संरक्षण योजना।

- हरिके आर्द्रभूमि की गाद निकालने के कारण होने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करना।

- मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के जुन्नार तालुका में तेंदुओं की जनसंख्या गतिशीलता, स्थान उपयोग, आवागमन और आहार को समझना। महाराष्ट्र में बड़े मांसाहारी जानवरों से जुड़े संघर्ष के मुद्दों को समझना और संघर्ष को कम करने के उपाय सुझाना।

- बाघ, उसके सह-शिकारी, शिकार और उसके पर्यावास की देशव्यापी निगरानी।

- नदी डॉल्फिन का व्यापक अनुमान।

- भारत भर में बंदी हाथियों के कल्याण और प्रबंधन के लिए एक आनुवंशिक डेटाबेस का विकास करना।

- पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयी चिड़ियाघर में संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनिंदा लुप्तप्राय प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता और प्रजनन हार्मोन प्रोफाइल का आकलन।

- उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण, पूर्ण होने की तिथि:

- कैराकल, जंगली भैंस, एक सींग वाले गैंडे, फिशिंग कैट और क्लाउडेड लेपर्ड के लिए प्रजाति पुनर्प्राप्ति योजना

- निकोबार द्वीपसमूह में लुप्तप्राय रेटिकुलेटेड अजगर (मलायोपायथन रेटिकुलेटस श्नाइडर, 1801) का संरक्षण पारिस्थितिकी।

- मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के संदर्भ में भूदृश्य प्रबंधन योजना का विकास और निगरानी"

- परियोजना का शीर्षक: उत्तराखंड राज्य में मानव सहजीवी - घरेलू गौरैया (पैसर डोमेस्टिकस) की पारिस्थितिकी और जनसंख्या स्थिति पर एक व्यापक अध्ययन।

- तमिलनाडु के चुनिंदा आर्द्रभूमि क्षेत्रों में और उसके आसपास सामूहिक रूप से घोंसला बनाने वाले जलपक्षियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आकलन करना।

- राजस्थान में कोटा बैराज से हैंगिंग ब्रिज तक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के ऊपरी हिस्से में एक किलोमीटर के खंड में वन्यजीव मूल्यों का आकलन, पूर्ण होने की तिथि: जुलाई 2025।

- संरक्षण योजना के लिए चुनिंदा भारतीय नदियों की पारिस्थितिक स्थिति का आकलन।

ग शैक्षणिक कार्यक्रम

- XIX एम.एससी. (वन्यजीव विज्ञान) पाठ्यक्रम 2023-25

उन्नीसवें एमएससी वन्यजीव विज्ञान पाठ्यक्रम की तीसरे सत्र की परीक्षाएं नवंबर 2024 के दौरान आयोजित की गईं। छात्रों द्वारा शोध प्रबंध पूरा करने और जमा करने के बाद, एसीएसआईआर द्वारा जून 2025 में अंतिम परिणाम घोषित किए गए और एक्सआईएक्स एम.एससी. वन्यजीव विज्ञान का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- XX एम.एससी. (वन्यजीव विज्ञान) पाठ्यक्रम 2024-26

संस्थान में वन्यजीव विज्ञान में एम.एससी. का 2024 अगस्त में शुरू हुआ। इस पाठ्यक्रम में एक विदेशी छात्र सहित कुल 18 छात्रों ने भाग लिया। उनका परिचय दौरा अगस्त 2024 में राजाजी टाइगर रिजर्व के लांसडाउन वन प्रभाग में आयोजित किया गया था और मध्य भारत का क्षेत्र दौरा नवंबर-दिसंबर 2024 के महीनों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था।

एम.एससी. के बीसवें सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर 2025 के महीने में सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। इसके बाद, एम.एससी. के छात्रों द्वारा शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसकी प्रस्तुति के बाद, वे अपने शोध कार्य के लिए क्षेत्र में जाते हैं।

- XXI एम.एससी. (वन्यजीव विज्ञान) पाठ्यक्रम 2025-27

  XXI एम.एससी. (वन्यजीव विज्ञान) पाठ्यक्रम अगस्त 2025 में संस्थान में 19 छात्रों के प्रवेश के साथ शुरू हुआ, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय छात्र भी शामिल है। यह परिचय दौरा 15 से 26 सितंबर 2025 तक लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटडी और दुगाधा पर्वतमालाओं में आयोजित किया गया था। इसके बाद, 21वें बैच के लिए तकनीक भ्रमण कार्यक्रम 8 से 21 नवंबर 2025 तक राजाजी टाइगर रिजर्व में आयोजित किया गया।

- प्रथम एम.एससी. (मीठे जल पारिस्थितिकी एवं संरक्षण) पाठ्यक्रम 2024-26

  डब्ल्यूआईआई ने 'मीठे पानी की पारिस्थितिकी और संरक्षण (2024-2026)' नामक एक अग्रणी पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र की बारीकियों को समझना है। यह पाठ्यक्रम भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा "नमामि गंगा" कार्यक्रम के तहत पूर्णतया प्रायोजित और वित्त पोषित है।

  मीठे जल पारिस्थितिकी और संरक्षण में अवधारणाओं, सिद्धांतों, दृष्टिकोणों, विश्लेषणात्मक कौशल और क्षेत्र तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुल 14 छात्रों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, जहां उन्हें मीठे जल पारिस्थितिकी के क्षेत्र में प्रख्यात वैज्ञानिकों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त होगा। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कई बाहरी विशेषज्ञों को एमएससी के छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रथम एम.एससी. के लिए पांच फील्ड तकनीक और आर्द्रभूमि भ्रमण आयोजित किए गए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मीठे जल पारिस्थितिकी और संरक्षण में पाठ्यक्रम

घ प्रशिक्षण कार्यक्रम

- एक्सएलवी पीजी उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

  (01.09.2025 से 30.06.2025 तक)

  10 महीने का पीजी संस्थान में उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 सितंबर 2024 से शुरू हुआ, जिसमें उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक और समकक्ष स्तर के 17 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। अधिकारियों ने निम्नलिखित राज्यों नमत: ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 2-2, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा से 1-1 का प्रतिनिधित्व किया ।

- XLVI पीजी उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

  (01.09.2025 से 30.11.2025 तक)

  30 नवंबर 2025 तक का अपडेट: 10 महीने का पीजी संस्थान में उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, जिसमें उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक और समकक्ष स्तर के 20 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। निम्नलिखित राज्यों ओडिशा से 4, हिमाचल प्रदेश से 2, मध्य प्रदेश से 6, पश्चिम बंगाल से 2, राजस्थान से 3, और कर्नाटक, त्रिपुरा और उत्तराखंड से 1-1 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया गया।

- 39वां वन्यजीव प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, देहरादून, 1 नवंबर 2024 – 31 जनवरी 2025

  वन्यजीव प्रबंधन में XXXIX प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 1 नवंबर 2024 से शुरू हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से कुल 22 सेवारत रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर/डिप्टी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या समकक्ष रैंक के अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

ङ कार्यशालाएँ, सेमिनार, बैठकें और अन्य गतिविधियाँ

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकलाप संचालित की गईं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी नीचे दी गई है:

- दिनांक 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उत्सव।
- मध्य प्रदेश के पन्ना में 11 से 22 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला मिशन लाइफ सह जागरूकता कार्यक्रम को।
- 14 - 17 फरवरी 2025 को ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अंतर्गत कैंपस बर्ड काउंट।
- आईआरएएलई सम्मेलन (26-28 फरवरी 2025) में जागरूकता सह मिशन लाइफ कार्यक्रम को।
- 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस और विश्व वन्य संरक्षण दिवस का उत्सव।
- 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ।
- 18 अप्रैल 2025 को विश्व धरोहर दिवस का उत्सव, ।
- 22 अप्रैल 2025 को विश्व पृथ्वी दिवस का उत्सव ।
- मई 2025 को मिशन लाइफ आउटरीच और प्रतिज्ञा समारोह ।
- 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस का उत्सव ।
- 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव।
- 8 जून 2025को विश्व महासागर दिवस का उत्सव ।
- 17 जून 2025 को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस का उत्सव ।
- 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
- 04-08 जुलाई एवं 09-14 जुलाई, 2025 तक वन महोत्सव सप्ताह का आयोजन ।
- 26 जुलाई 2025 को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उत्सव
- 29 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उत्सव
- 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस का उत्सव
- 12 अगस्त 2025 को विश्व हाथी दिवस का उत्सव
- सितंबर-अक्टूबर, 2025 को मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व पर राष्ट्रीय हैकाथॉन: युवाओं को नवाचारी समाधानों के लिए प्रेरित करना
- 06 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का उत्सव
- 7-8 अक्टूबर, 2025 को 18वां आंतरिक वार्षिक अनुसंधान संगोष्ठी (आईएआरएस) के दौरान आयोजित किया जाएगा।
- 14-15 अक्टूबर, 2025 को भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून का 26वां (36वां) वार्षिक अनुसंधान संगोष्ठी (एआरएस) आयोजित किया जाएगा।
- 23 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस का उत्सव।
- 11 नवंबर 2025 को विश्व टाइगर बीटल दिवस का उत्सव।
- 30 अप्रैल 2025 को वन्यजीव-मानव संघर्ष में उभरती चुनौतियाँ विषय पर एक दिवसीय मॉड्यूल: डब्ल्यूआईआई में आईएफएस अधिकारियों के लिए "कृषि भूमि आवासों में सहअस्तित्व की चुनौती"।
- 28 मई 2025 को वन्यजीव सुरक्षा बल (डब्ल्यूआईआई) में आईएफएस अधिकारियों के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन में प्रगति पर एक दिवसीय मॉड्यूल।
- 11-16 जून 2025 को कृषि परिदृश्य में मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व के प्रबंधन पर चार दिवसीय आईजीएनएफए-WII वैकल्पिक मॉड्यूल।
- 18-20 सितंबर 2025 को ईआईएसीपी राष्ट्रीय

मूल्यांकन कार्यशाला।

- 04 अक्टूबर 2025 को युवा प्रकृति और सहअस्तित्व राष्ट्रीय सम्मेलन (वाई4एनसी 2025)।

अध्याय 8

जलवायु परिवर्तन

8.1 जलवायु परिवर्तन

क परिचय

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की जलवायु परिवर्तन नीति के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह प्रभाग मंत्रालय के भीतर जलवायु संकट के प्रति राष्ट्र की व्यापक कार्यवाही की योजना बनाने, समन्वय करने और उसकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), इसके क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के साथ भारत की सहभागिता सुनिश्चित करता है, ताकि यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (कोप) के वार्षिक सत्र सहित वैश्विक वार्ताओं में राष्ट्रीय हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

यह प्रभाग अनुकूलन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय संचार (नाटकॉम) प्रकोष्ठ, जलवायु वित्त विभाग और कार्बन बाजार प्रकोष्ठ तथा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के साथ समन्वय स्थापित करता है, ताकि जलवायु नीति के विविध पहलुओं का सामूहिक रूप से प्रबंधन किया जा सके, जिसमें अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग (पारदर्शिता ढांचा) से लेकर घरेलू कार्बन बाजारों का विकास शामिल है।

यह विभाग घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के लिए केंद्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करता है और इसके नौ क्षेत्रीय मिशनों की प्रगति की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) तैयार करने में राज्य सरकारों की तैयारी की देखरेख करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलवायु उद्देश्यों को उप-राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में मुख्यधारा में शामिल किया जाए। यह विभाग भारत के प्रमुख जलवायु संबंधी उपायों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शामिल हैं। यह प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करके नीतिगत सामंजस्य सुनिश्चित करता है। यह वैश्विक जलवायु दायित्वों और भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं के बीच एक रणनीतिक सेतु के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जलवायु कार्रवाई सहभागी, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित बनी रहे।

ख महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित क्रमिक अंशदान की तैयारी
- नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 30) के 30वें सत्र में भारत की भागीदारी।
- जून 2025 में जर्मनी के बॉन में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सहायक निकायों के 62वें सत्र में भारत की भागीदारी ।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का संशोधन
- राज्य जलवायु मंच की स्थापना के प्रस्ताव की अवधारणा तैयार करना
- महाराष्ट्र, मेघालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना का निर्माण।

ग प्रगति / नवाचार

- नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 30) के 30वें सत्र में भारत की भागीदारी।
- महाराष्ट्र, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना का निर्माण।

घ महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (कॉप30) के 30वें सत्र में भारत की भागीदारी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के माननीय मंत्री के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने कॉप30 में भाग लिया, जिसमें विदेश मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन

और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।

इस आशा के साथ कॉप30 का शुभारंभ किया गया कि यह वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हो सकता है। सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलने पर विशेष बल दिया गया, जिसमें जलवायु वित्त, अनुकूलन योजना और कार्यान्वयन ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया। कॉप30 का महत्व इसलिए भी था क्योंकि यह उस समय आयोजित होने वाला था जब पेरिस समझौते के अधिकांश नियम लागू हो चुके थे। ब्राजील की अध्यक्षता में प्रमुख एजेंडा मदों पर सार्थक और संतुलित परिणामों की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसमें जलवायु वित्त में वृद्धि, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य की दिशा में प्रगति, शमन कार्य कार्यक्रम की उन्नति और न्यायसंगत संक्रमण पर कार्य कार्यक्रम का संचालन शामिल है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्षता ने समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लैंगिक कार्य योजना को आगे बढ़ाने, प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने और प्रतिक्रिया उपायों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डाला है।

भारत ने कॉप30 वार्ता के दौरान सकारात्मक, रचनात्मक और सेतु निर्माण का दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण ने सम्मेलन के परिणामों को आकार देने में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को मजबूत करने में योगदान दिया। भारत ने जी77 और चीन सहित अन्य विकासशील देशों के समूहों और वार्ता मंचों, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (एलएमडीसी) और बेसिक के साथ मिलकर काम किया, जिससे प्रमुख मुद्दों पर मजबूत सहमति को बढ़ावा मिला। भारत ने एलएमडीसी समूह के प्रवक्ता और बेसिक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। पूरी वार्ता प्रक्रिया के दौरान भारत ने प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर अपने हितों की प्रभावी रूप से रक्षा की, साथ ही व्यापक सहभागिता बनाए रखी और वार्ता प्रक्रिया में अलग-थलग पड़ने से बचा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के माननीय मंत्री ने कॉप30 के उच्च स्तरीय सत्र के दौरान भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। भारत ने विकसित देशों से जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने और पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का आह्वान किया। यह जोर देकर कहा गया कि विकसित देशों को अपने मौजूदा लक्ष्यों से काफी पहले नेट-ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करना चाहिए। साथ ही, उन्हें जलवायु वित्त के लिए नई, अतिरिक्त और रियायती सहायता चुनौती के अनुरूप बड़े पैमाने पर देनी चाहिए, जो अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर में हो। भारत ने जलवायु प्रौद्योगिकियों की सस्ती और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। साथ ही, इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी प्रौद्योगिकियों को प्रतिबंधात्मक बौद्धिक संपदा बाधाओं द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। वैश्विक जलवायु कार्रवाई की दिशा में भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर हुई प्रगति को इस बात को दर्शाने के लिए रेखांकित किया गया कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस संदर्भ में यह बताया गया कि वर्ष 2005 के बाद से भारत की उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। साथ ही, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत अब देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा बनाते हैं। इससे भारत ने अपने अद्यतन एनडीसी (2021–2030) के एक लक्ष्य को 2030 की समय-सीमा से पाँच वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है।

भारत ने अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के साथ-साथ परमाणु मिशन और हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा 2070 तक नेट जीरो की दिशा में भारत के पथ को आगे बढ़ाने में उत्पन्न गति का भी उल्लेख किया। यह सूचित किया गया कि कार्बन सिंक के संरक्षण और संवर्धन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों के अनुरूप, सोलह महीनों की अवधि के भीतर सामुदायिक नेतृत्व वाले प्रयासों के माध्यम से दो अरब से अधिक पौधे लगाए गए।

जलवायु वित्त के संबंध में, समान विचारधारा वाले विकासशील देश (एलएमडीसी) मंच के माध्यम से, भारत ने जलवायु वित्त पर दो वर्षीय कार्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के संदर्भ में अनुच्छेद 9 पर विचार-विमर्श शामिल है। यह परिणाम अनुच्छेद 9.1 के तहत निर्धारित विकसित देशों के जलवायु वित्त दायित्वों पर नए सिरे से जोर देता है, साथ ही विकासशील देशों को बेहतर और अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के रास्ते भी खोलता है। पक्षकारों ने 2025 के स्तर की तुलना में 2035 तक अनुकूलन वित्त को कम से कम तीन गुना करने के प्रयासों को जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। इसमें विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन वित्त के सामूहिक प्रावधान की गति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का आग्रह किया गया।

दोनों पक्षों ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (जीजीए) की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी के लिए 59 संकेतकों का एक समूह अपनाने पर सहमति व्यक्त की। ये संकेतक स्वैच्छिक, गैर-अनिवार्य और गैर-हस्तक्षेपकारी प्रकृति के हैं, और इनमें देशों के लिए किसी भी अतिरिक्त रिपोर्टिंग की आवश्यकता शामिल नहीं हैं। यह परिणाम भारत की स्थिति के अनुरूप है और राष्ट्रीय सहनशीलता को बनाए रखता है।

कुल मिलाकर, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन पर जोर दिया। इसमें संकीर्ण रूप से शमन-केंद्रित ढांचे से आगे बढ़कर अनुकूलन और कार्यान्वयन के साधनों, विशेष रूप से वित्त और प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर देना शामिल है। नेट-जीरो के दृष्टिकोण को उचित रूप से संशोधित किया गया, जिससे यह भारत की 2070 तक नेट-जीरो हासिल करने की प्रतिबद्धता जैसे विभिन्न राष्ट्रीय मार्गों को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के लिए एक समान समय सीमा के बजाए 2050 के आसपास के वैश्विक उद्देश्य प्रतिबिंबित करे। इसके अलावा, ग्लोबल स्टॉकटेक और संश्लेषण रिपोर्टों के माध्यम से ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के प्रयासों का विरोध किया गया। यह समानता, राष्ट्रीय परिस्थितियों और नीचे से ऊपर की कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करता है।

माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम पर वार्ता की अध्यक्षता की। टीआईपी के तहत, संबंधित देशों ने विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकियों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करने; प्रौद्योगिकी चक्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने; राष्ट्रीय नवाचार प्रणालियों का समर्थन करने; वित्तपोषण योग्य परियोजना तैयार करने हेतु क्षमता निर्माण करने; और वित्त और साझेदारी तक पहुंच बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे देशों को प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतों को राष्ट्रीय विकास दिशानिर्देशों और अनुकूलन प्राथमिकताओं के अनुरूप लागू करने योग्य समाधानों में बदलने में मदद मिलेगी।

समापन सत्र के दौरान, भारत ने ब्राजील और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनके सहयोग के लिए अपना समर्थन और आभार व्यक्त किया। इसमें सभी पक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया गया कि बेलेम से आगे का मार्ग निष्पक्षता, एकजुटता और सभी के लिए साझा समृद्धि पर आधारित भविष्य की ओर ले जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दोहराते हुए, भारत ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन को कम करने का बोझ उन लोगों पर नहीं डाला जाना चाहिए, जो इसके कारणों के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं। इसमें वैश्विक स्तर पर कमजोर आबादी, जो मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में स्थित है, को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से प्रभावी ढंग से खुद को बचाने में सक्षम बनाने के लिए बेहतर वैश्विक समर्थन प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत ने विज्ञान आधारित और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की, साथ ही एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए अपने समर्थन को दोहराया जो निष्पक्ष, समावेशी और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करती हो। इस वक्तव्य में आगे इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को समावेशी, न्यायसंगत और समान बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- बेलेम में कॉप30 में विषयगत संस्थापना

बेलेम में आयोजित कोप-30 में, सामुदायिक भागीदारी के सार और सामूहिक जलवायु कार्रवाई के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक विषयगत संस्थापना स्थापित किया गया था। इस प्रदर्शनी में 'एक पेड़ मां के नाम' और 'मिशन लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) जैसी पहलों को प्रदर्शित किया गया, जो दैनिक व्यवहार में छोटे-छोटे बदलावों के माध्यम से सतत जीवनशैली को बढ़ावा देती हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा और जल संरक्षण, सतत खाद्य विकल्प अपनाने, कमी, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण के माध्यम से कचरे का प्रबंधन, कपड़े के थैलों और पुन: उपयोग योग्य बोतलों के माध्यम से प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को अपनाने जैसे कार्यों को प्रोत्साहित किया गया। भारत की सोच-विचार कर उपभोग की पारंपरिक समझ पर आधारित इस प्रस्तुति में पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन और सामूहिक प्रयास की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

- ब्राजील के बेलेम में आयोजित कॉप30 के सह आयोजनों में भारत की भागीदारी

मंत्रालय ने कॉप30 की अध्यक्षता सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से कॉप30 के दौरान निम्नलिखित उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठकों का आयोजन किया और उनमें भाग लिया:

1. माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ब्रिटेन के ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो मामलों के राज्य सचिव एडवर्ड मिलिबैंड ने एक अनौपचारिक बातचीत की।

2. लीड-आईटी: कॉप30 में उद्योग जगत के नेताओं का गोलमेज सम्मेलन: "महत्वाकांक्षा से निवेश तक: इस दशक में उद्योग के परिवर्तन को व्यापक स्तर पर लागू करना"

3. अंतर्राष्ट्रीय बिग केट गठबंधन पर मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम

4. 11वीं जापान संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) भागीदार देशों की बैठक

5. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) - लघु द्वीप विकासशील देशों (एसआईडीएस) मंच नेतृत्व सत्र

इन सह-आयोजनों ने भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को प्रदर्शित करने, दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से की गई प्रमुख पहलों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान किया। इन आयोजनों के दौरान, भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर किए जा रहे विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला गया।

इन सह आयोजनों के माध्यम से, टीम इंडिया ने अपने अनुभव साझा किए और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। टीम ने जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू स्तर पर की जा रही विभिन्न पहलों को प्रभावी ढंग से व्यक्त और प्रदर्शित किया।

- कॉप30 में द्विपक्षीय बैठकें: कॉप30 के दौरान, एचएमईएफसीसी ने यूरोपीय संघ, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राजील, नेपाल, एस्टोनिया, क्यूबा, जापान के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी एक बैठक की। मुख्य रूप से विचार-विमर्श और कॉप एजेंडा पर सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, हालांकि, कॉप से परे द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उल्लेखनीय चर्चाओं में निम्नलिखित शामिल थे: चीन ने जलवायु सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जापान ने मौजूदा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सहयोग तंत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा, क्यूबा ने जलवायु अनुकूलन पर भारत से समर्थन का अनुरोध किया, भारत-एस्टोनिया ने प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की और नेपाल ने यूएनएफसीसीसी के भीतर पर्वतीय एजेंडा पर भारत से समर्थन का अनुरोध किया। एचएमईएफसीसी ने अपने क्यूबा, जापान और एस्टोनिया के समकक्षों को सूचित किया कि इन देशों में भारतीय मिशन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद, यूएनईएस डिवीजन द्वारा क्यूबा, जापान और एस्टोनिया में हमारे मिशनों को

संदेश भेजे जा चुके थे।

- जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ: जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने क्षेत्रीय और प्रशासनिक संदर्भों के लिए विशिष्ट जलवायु संबंधी चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार किए गए व्यापक रणनीतिक ढांचे के रूप में कार्य करती हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुरूप विकसित की गई ये योजनाएँ भारत के व्यापक जलवायु शमन और अनुकूलन प्रयासों का एक अनिवार्य घटक हैं। एसएपीसीसी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु सहनशीलता को मजबूत करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों पर जोर देते हैं। मंत्रालय की सलाह के अनुसार, 34 राज्यों द्वारा एसएपीसीसी तैयार किए गए हैं। वर्ष 2025 के दौरान, मंत्रालय ने महाराष्ट्र और मेघालय तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संशोधित एसएपीसीसी की समीक्षा की और उन्हें मंजूरी दी। अब तक 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने एसएपीसीसी में संशोधन किया है।

भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-4) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 30 दिसंबर, 2024 को प्रस्तुत की गई थी। बीयूआर-4, तीसरे राष्ट्रीय संचार (टीएनसी) को अद्यतन करता है और इसमें 2020 के लिए राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) सूची शामिल है। इस रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों, शमन उपायों, बाधाओं के विश्लेषण, कमियों, संबंधित वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी शामिल है।

राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस सूची

2020 में, भूमि उपयोग भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) को छोड़कर भारत का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2,959 मिलियन टन CO2e था और एलयूएलयूसीएफ को शामिल करने के बाद शुद्ध उत्सर्जन 2,437 मिलियन टन CO2e था। तालिका में क्षेत्रवार और गैसवार राष्ट्रीय उत्सर्जन और निष्कासन का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

ग्रीनहाउस गैसों के स्रोत एवं उनका निष्कासन	CO_2 उत्सर्जन	CO_2 निष्कासन	CH_4	N_2O	HFC 23	CF_4	C_2F_6	SF_6	CO_2 समतुल्य
ऊर्जा	2181012	नहीं	1523	82	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2238409
आईपीपीयू	201044	नहीं	232	8	2	1	0.27	0.004	238556
कृषि	नहीं	नहीं	14290	342	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	405983
एलयूएलयूसीएफ	9369	-532357	41	1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-521933
अपशिष्ट	नहीं	नहीं	2726	58	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	75641
मेमो आइटम	802846	नहीं	0.09	0.11	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	802882
कुल उत्सर्जन	**2382535**	--	**18771**	**489**	**2**	**1**	**0.27**	**0.004**	**2958589**
शुद्ध उत्सर्जन	**2391904**	**532357**	**18811**	**490**	**2**	**1**	**0.27**	**0.004**	**2436656**

वर्ष 2020 के लिए क्षेत्रवार राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीजी(Gg) में)

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक (75.66 प्रतिशत) रहा, इसके बाद कृषि (13.72 प्रतिशत), औद्योगिक प्रक्रियाएँ और उत्पाद उपयोग (8.06 प्रतिशत) और अपशिष्ट (2.56 प्रतिशत) रहा (आकृति 1)। 2020 में, भारत के वन और वृक्ष आवरण के साथ-साथ अन्य भूमि उपयोग ने लगभग 522 मिलियन टन CO_2 अवशोषित किया, जो देश के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 22% की कमी के बराबर है।

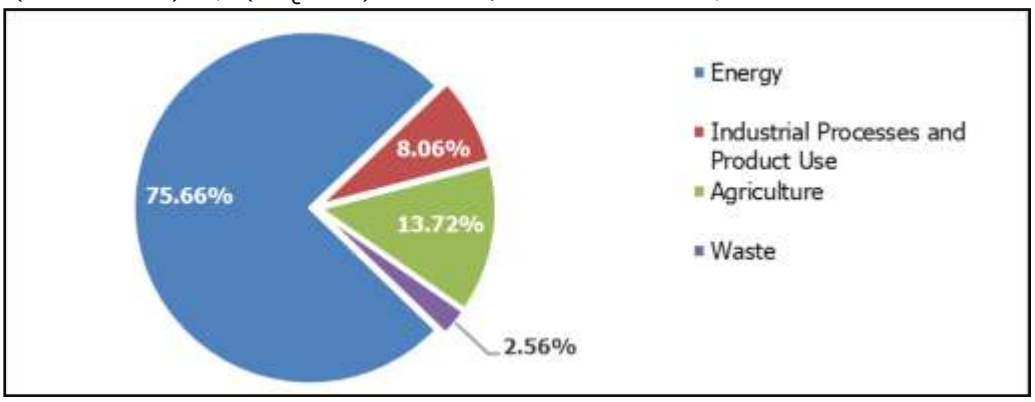

क्षेत्रवार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ($GgCO_2e$) वितरण , 2020

आकृति 2 वर्ष 2020 के लिए भारत में शीर्ष 15 प्रमुख उत्सर्जन श्रेणियों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है, जिसे CO e के रूप में व्यक्त किया गया है।

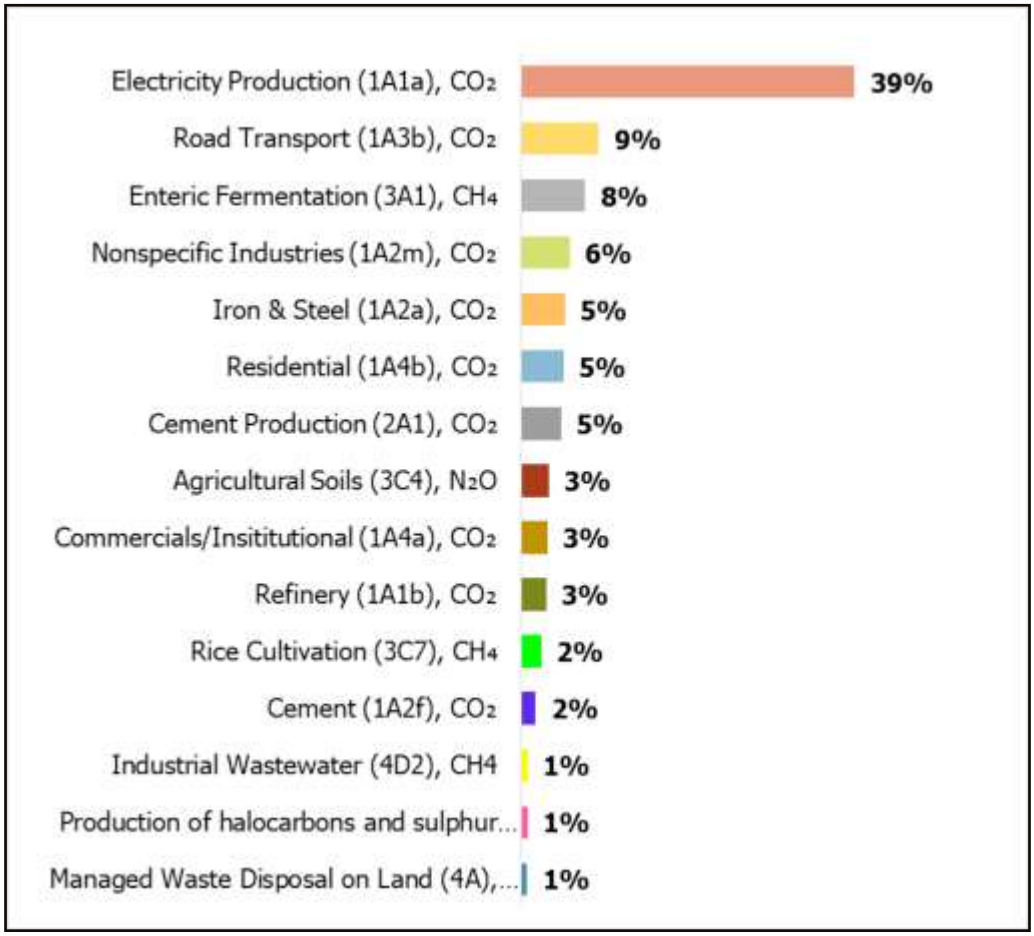

श्रेणीवार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रतिशत हिस्सा, 2020

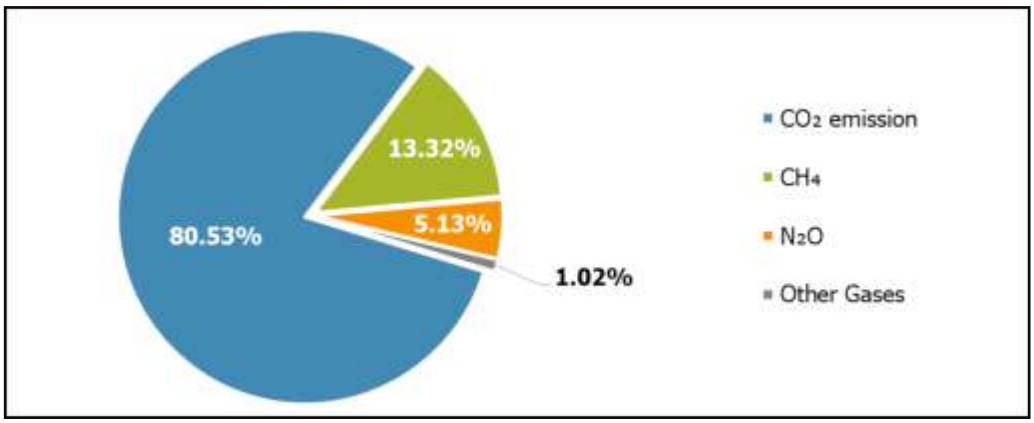

वर्ष 2020 के लिए गैस-वार उत्सर्जन

CO_2 , CH_4 और N_2O उत्सर्जन राष्ट्रीय जीएचजी उत्सर्जन का क्रमशः 80.53 प्रतिशत, 13.32 प्रतिशत और 5.13 प्रतिशत था, जिसमें एलयूएलयूसीएफ (आकृति 3) शामिल नहीं है। फ्लोरीनयुक्त गैसों के मामले में, HFC, CF_4, C_2F_6 और SF_6 का उत्सर्जन क्रमशः 0.73 प्रतिशत, 0.20 प्रतिशत, 0.09 प्रतिशत और 0.003 प्रतिशत था।

कुल राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (एलयूएलयूसीएफ सहित) में 2019 की तुलना में 7.93 प्रतिशत की कमी आई है (आकृति 4)।

1994 से भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में समग्र वृद्धि हुई है।1994 से 2020 तक, कुल CO2 उत्सर्जन (एलयूएलयूसीएफ को छोड़कर) में 144 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण अपशिष्ट क्षेत्र में 1994 से 2020 तक 226 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, कुल उत्सर्जन में इसका योगदान लगातार लगभग 3 प्रतिशत के आसपास बना रहता है, जो अपेक्षाकृत कम योगदान को दर्शाता है। ऊर्जा क्षेत्र ने 1994 से 2020 तक 201 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुभव किया, जिसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन के दहन में लगातार वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान, आईपीपीयू क्षेत्र में 132 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कृषि क्षेत्र में केवल 18 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई (आकृति 5)। 2000 से 2020 तक, एलयूएलयूसीएफ क्षेत्र ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 135 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

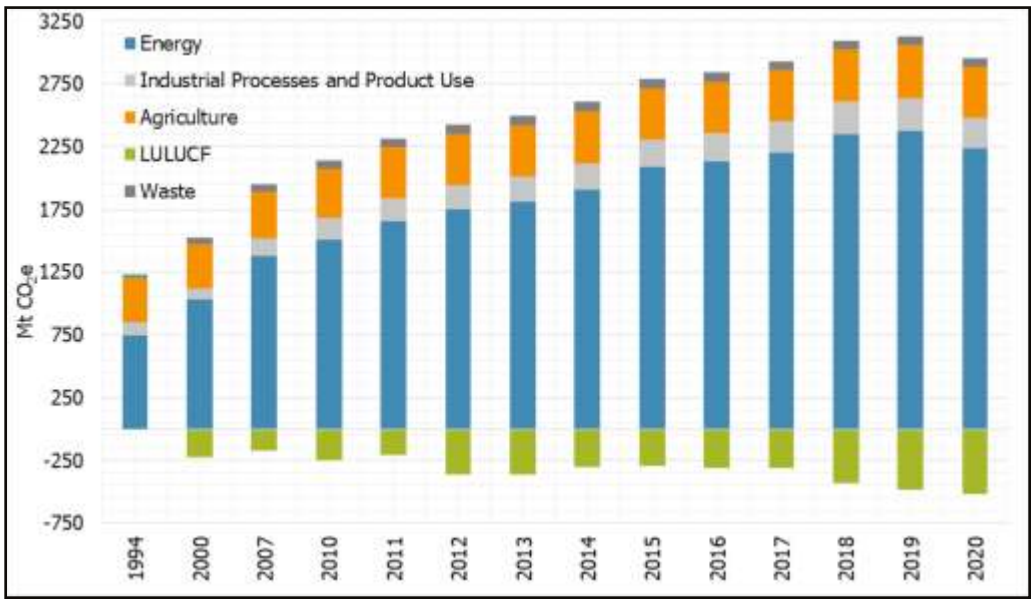

1994-2020 के लिए क्षेत्र वार राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (मीट्रिक टन CO2e में)। स्रोत: (MoEF, 2004); (MoEF, 2012); (MoEF, 2010); (MoEFCC, 2016); (MoEFCC, 2018); (MoEFCC, 2021); (MoEFCC, 2023)।

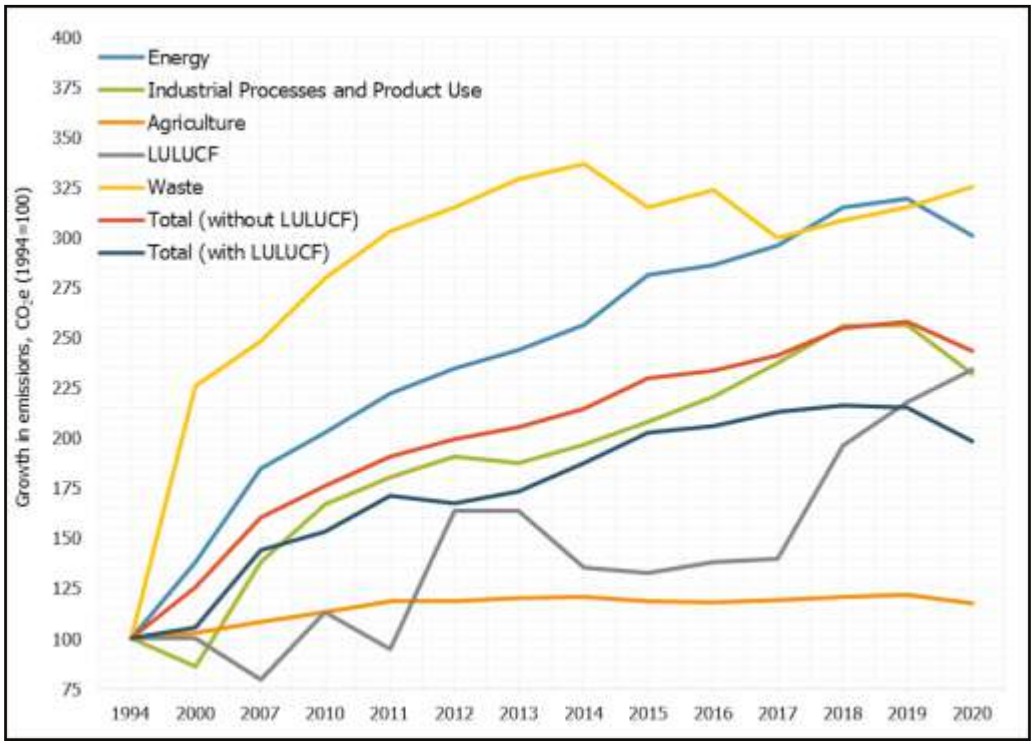

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, 1994 के सापेक्ष, स्रोत श्रेणियों के अनुसार दर्शायी गई, 1994-2019। अनुक्रमणिका 1994= 100.

स्रोत: (MoEF, 2004); (MoEF, 2012); (MoEF, 2010); (MoEFCC, 2016); (MoEFCC, 2018); (MoEFCC, 2021); (MoEFCC, 2023)।

की।

शमन उपाय: एनडीसी लक्ष्यों के संबंध में भारत की उपलब्धियाँ

लम्बे समय से चल रहे उत्सर्जन और वैश्विक उत्सर्जन के वर्तमान स्तरों में भारत का योगदान बहुत कम होने के बावजूद, भारत ने सतत विकास और अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं के संदर्भ में तथा अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। ये कदम यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते में निहित समानता और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। भारत की जलवायु नीति का मूल सिद्धांत यह है कि वह राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करे और साथ ही वैश्विक कार्बन बजट में अपने उचित हिस्से के भीतर रहे।

भारत सरकार ने जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहल की है। इन पहलों के कारण, भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर है। भारत में जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) आधारित बिजली आपूर्ति और पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में तीव्र वृद्धि है, साथ ही जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा क्षमता में भी निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में कुल स्थापित क्षमता के अनुपात में, जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2014 में लगभग 30% से बढ़कर दिसंबर 2025 में 51.93% हो गई है, जिससे भारत ने 2030 की निर्धारित समयसीमा से पांच साल पहले ही एनडीसी लक्ष्य

प्राप्त कर लिया है।

पिछले एक दशक में, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में लगभग 2.63 गीगावॉट से बढ़कर दिसंबर 2025 में लगभग 135.80 गीगावॉट हो गई है, जो एक दशक से अधिक समय में 51% से अधिक की वृद्धि है। ये उपलब्धियां भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) के अनुरूप हैं, जिनमें जिसमें इसके अतिरिक्त, 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी स्थापित विद्युत शक्ति क्षमता प्राप्त करना शामिल है। तालिका भारत की एनडीसी लक्ष्यों पर हुई प्रगति का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका : भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) की प्रगति

इच्छित एनडीसी (अक्टूबर 2015)	अद्यतन एनडीसी (अगस्त 2022)	उपलब्धियाँ	टिप्पणी
एनडीसी **1** - 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से **33%** से **35%** तक कम करना।	33-35% से बढ़कर **45%** हो गया।	**36%** (2005-2020 के बीच)	निर्धारित लक्ष्य समय से **11** साल पहले ही हासिल कर लिया गया। संशोधित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति जारी है
एनडीसी **2** - 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का लगभग **40%** प्राप्त करना।	40% को बढ़ाकर **50%** कर दिया गया है।	**>51.93%** (दिसम्बर, 2025)	निर्धारित लक्ष्य को तय समय से **9** साल पहले ही हासिल कर लिया गया। संशोधित लक्ष्य भी निर्धारित समय से **5** साल पहले ही हासिल कर लिया गया।
एनडीसी **3** - 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से **2.5** से **3** अरब टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।	कोई परिवर्तन नहीं	2021 तक **2.29** बिलियन टन CO2e का उत्सर्जन।	भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

ङ बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते (एमईए), देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ करार

- जलवायु परिवर्तन और कम कार्बन विकास पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 10 सितंबर 2025 को मंत्रालय में आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। इनमें जलवायु नीतियों का कार्यान्वयन शामिल था, जिसमें उत्सर्जन कटौती रणनीतियों और सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। संयुक्त कार्य समूह ने जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए लचीले बुनियादी ढांचे, जलवायु-अनुकूल योजना और ज्ञान साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्बन बाजारों के विकास पर सहयोग भी चर्चा का हिस्सा था। इस संबंध में, दोनों पक्षों ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 और अनुच्छेद 6.4 के तहत सहयोग के अवसरों का पता लगाया। इसके अतिरिक्त, उत्पादों के कार्बन फुटप्रिंट को मापने के दृष्टिकोणों के सामंजस्य पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य कम कार्बन मूल्य श्रृंखलाओं में पारदर्शिता, तुलनीयता और विश्वास में सुधार करना था। इस बैठक में जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने, कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास मार्गों

को बढ़ावा देने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के समर्थन में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

च प्रगति / उपलब्धियाँ

- भारत ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को सफलतापूर्वक अलग करना जारी रखा है, जिसके परिणामस्वरूप 2005 और 2020 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है।

- इसके अलावा, भारत ने अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (2022) के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत, भारत ने जून 2025 में अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यानी गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत हासिल कर लिया है। इसे 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया गया है।

- अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण पर एनडीसी लक्ष्य के संबंध में, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के तहत नवीनतम आकलन से पता चलता है कि भारत का कुल वन और वृक्ष कार्बन भंडार 30.43 बिलियन टन CO_2 समतुल्य तक पहुंच गया है। यह 2005 के आधारभूत स्तर की तुलना में 2.29 बिलियन टन CO_2 समतुल्य के अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण को दर्शाता है, जो 2030 तक 2.5-3.0 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के एनडीसी लक्ष्य की दिशा में पर्याप्त प्रगति को प्रदर्शित करता है।

छ गैर-सरकारी संगठनों सहित संस्थानों/संगठनों को अनुदान सहायता जारी की गई -

नाटकॉम सेल के माध्यम से प्रभाग ने गैर-योजना स्थापना व्यय - जलवायु परिवर्तन कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे राष्ट्रीय कार्बनयुक्त एरोसोल कार्यक्रम (एनसीएपी) परियोजना के संबंध में निम्नलिखित संस्थानों को अनुदान सहायता (सामान्य) जारी की।

क्रमांक	संस्था का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि	तृतीय-पक्ष मूल्यांकन की स्थिति
1.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	एनसीएपी परियोजना के कुछ पहलुओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता।	₹ 3.97 लाख	लागू नहीं
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	एनसीएपी परियोजना के कुछ पहलुओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता	₹ 47.30 लाख	लागू नहीं
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	एनसीएपी परियोजना के कुछ पहलुओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता।	₹ 24.45 लाख	लागू नहीं
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	एनएसीपी परियोजना के कुछ पहलुओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता।	₹ 61.00 लाख	लागू नहीं
5.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, दिल्ली	एनसीएपी परियोजना के कुछ पहलुओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता।	₹ 16.30 लाख	लागू नहीं
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे	एनसीएपी परियोजना के कुछ पहलुओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता।	₹ 33.60 लाख	लागू नहीं

ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ)

ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) एक जलवायु वित्त तंत्र है, जिसकी स्थापना 2010 में यूएनएफ़सीसीसी के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य अनुदान, ऋण, गारंटी, इक्विटी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर विकासशील देशों को निम्न-उत्सर्जन तथा जलवायु-सहनीय विकास पथ की ओर बढ़ने में सहयोग देना है। भारत सरकार जीसीएफ के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। भारत के ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) पोर्टफोलियो को https://www.greenclimate.fund/countries/india लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है।

- भारत के लिए स्वीकृत परियोजनाएँ/कार्यक्रम: देश के पोर्टफोलियो में अब तक पंद्रह (15) परियोजनाएँ / कार्यक्रम स्वीकृत हैं। यह कुल मिलाकर 1049 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि के बराबर है। यह उल्लेखनीय है कि 2021 से भारत ने 12 अतिरिक्त परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए मंजूरी हासिल कर ली है [2022 में चार (04), 2024 में तीन (03) और 2025 में तीन (03)]। 2025 में स्वीकृत तीनों परियोजनाएँ शमन, अनुकूलन और अंतर-क्षेत्रीय विषयों के अंतर्गत आती हैं।

- जीसीएफ तत्परता एवं तैयारी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ: संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने तथा बहुपक्षीय कोष से वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए हितधारकों की तैयारी बढ़ाने के उद्देश्य से, जीसीएफ क्षेत्रीय एवं प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यशालाएँ कोलकाता (जनवरी 2025), रांची (फरवरी 2025), बेंगलुरु (मार्च 2025), चेन्नई (अप्रैल 2025), भुवनेश्वर (जुलाई 2025) तथा मुंबई (नवंबर 2025) में आयोजित की गईं। ये कार्यशालाएँ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों को निधि तक पहुँचने के तौर-तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करने का एक अवसर थीं।

  जनवरी 2025 में कोलकाता में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में "भारत की हरित परिवर्तन योजना का वित्तपोषण और अनुकूलन आवश्यकताएँ" विषय पर हितधारकों के साथ परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की हरित संक्रमण योजना के वित्तपोषण, संक्रमण के वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की भूमिका और अनुकूलन आवश्यकताओं के लिए वित्तपोषण की जरूरतों और कमियों पर आयोजित तीन तकनीकी सत्रों ने भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों और विभिन्न वित्तीय साधनों की भूमिका की समझ को उजागर किया।

  फरवरी से जुलाई तक रांची, बेंगलुरु, चेन्नई और भुवनेश्वर में आयोजित कार्यशालाओं ने जलवायु नीति, परियोजना कार्यान्वयन और वित्त जुटाने में शामिल हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व में झारखंड, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गोवा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल थे। सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोग में बदलने के लिए, प्रतिभागियों को थ्योरी ऑफ चेंज (टीओसी) तैयार करने और इसे फंडिंग प्रस्ताव में एकीकृत करने पर केंद्रित व्यावहारिक अभ्यासों में शामिल किया गया था। कार्यशाला के दौरान हुई चर्चाओं में जीसीएफ से वित्तपोषण प्राप्त करने में आने वाली कई प्रणालीगत चुनौतियाँ भी सामने आईं, जैसे स्वीकृति प्रक्रिया का लंबा समय, उच्च गुणवत्ता वाले वित्तपोषण प्रस्ताव के विकास में अधिक संसाधनों की आवश्यकता तथा अनुदान-आधारित सहायता का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा।

चित्र 1(अ) और (ब):

कार्यशाला का आयोजन जनवरी 2025 में कोलकाता में और फरवरी 2025 में बेंगलुरु में किया गया ।

रांची (फरवरी 2025) और भुवनेश्वर (जुलाई 2025) में क्षेत्रीय और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।

अनुकूलन कक्ष

1. उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह

उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह (लीडआईटी), जिसे सितंबर 2019 में स्थापित किया गया था, अब अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है। लीडआईटी 2.0 को 2023 में दुबई में कोप28 के दौरान भारत और स्वीडन के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा स्थापित किया गया था।

लीडआईटी बहु-हितधारक संवादों के लिए एक मंच प्रदान करता है, भारी उद्योग क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-विकास का समर्थन करता है, और ऐसी साझेदारियों को सुगम बनाता है जो समन्वित बहुपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उनके उद्योग संक्रमण में तेजी लाने में सहायता करती हैं।

आईटीपी कार्य समूह की दूसरी बैठक, 7 मई 2025, स्टॉकहोम, स्वीडन

लीडआईटी की के सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 48 सदस्य हो गई है, जिनमें 18 देश और 30 कंपनियाँ शामिल हैं।

भारत-स्वीडन उद्योग संक्रमण साझेदारी (आईटीपी), जिसकी शुरुआत 2024 में हुई थी, भारत और स्वीडन के संबंधित मंत्रालयों के संयुक्त नेतृत्व में पांच कार्य समूहों - इस्पात, सीमेंट, नवाचार, कार्बन बाजार और वित्त - द्वारा संचालित गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ी।

आईटीपी कार्य समूह ने फरवरी और मार्च 2025 में भारत से स्वीडन और इसके विपरीत, उद्योग और सरकारी हितधारकों के साथ प्रतिनिधिमंडल यात्राओं और कार्यशालाओं की सुविधा प्रदान की, ताकि प्रमुख इस्पात और सीमेंट उद्योगों का दौरा किया जा सके, नवीन प्रौद्योगिकियों और तैनाती में आने

वाली चुनौतियों को समझा जा सके और संभावित सहयोग के अवसरों की पहचान की जा सके। आईटीपी कार्य समूहों की दूसरी वार्षिक बैठक मई 2025 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रगति का जायजा लेना और कॉप30 की दिशा में योजना बनाना था।

लीडआईटी शिखर सम्मेलन, कॉप30, 17 नवंबर 2025, बेलेम, ब्राजील

आईटीपी नवाचार कार्य समूह के नेतृत्व द्वारा अप्रैल और जून 2025 में प्रस्तावों के लिए समानांतर आह्वान जारी किए गए, जिनके तहत भारत–स्वीडन के इस्पात और सीमेंट उद्योग भागीदारों से संयुक्त आवेदन आमंत्रित किए गए, ताकि प्रारंभिक परियोजनाओं की तैयारी के लिए निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता अध्ययन किए जा सकें। प्रस्तावों के लिए इन आह्वान ने भारतीय और स्वीडिश इस्पात और सीमेंट कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के बीच कई उद्योग स्तरीय समन्वय संबंधी चर्चाओं को संभव बनाया। इन निविदाओं के परिणाम कॉप30 के दौरान आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में घोषित किए गए और चयनित परियोजनाओं का विवरण दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित आईटीपी परियोजना शुभारंभ कार्यक्रम में घोषित किया गया।

अक्टूबर 2025 में, लीडआईटी ने भारत और स्वीडन की अग्रणी ऑटोमोटिव कंपनियों - टाटा मोटर्स और वोल्वो समूह - के बीच कम कार्बन उत्सर्जन वाले भारी शुल्क वाले वाणिज्यिक परिवहन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक साझेदारी की भी घोषणा की।

बेलेम में आयोजित कॉप30 सम्मेलन में, लीडआईटी शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और स्वीडन की जलवायु और पर्यावरण मंत्री सुश्री रोमिना पौरमोख्तारी ने की।

सह-अध्यक्षों ने आईटीपी के प्रस्तावों के लिए आमंत्रित सात परियोजनाओं के चयन की घोषणा की, जिसमें भारतीय और स्वीडिश इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों के 18 उद्योग और अनुसंधान भागीदार शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में सरकारों, उद्योगों और प्रमुख हितधारकों ने वैश्विक स्तर पर और लीडआईटी देशों में उद्योग परिवर्तन की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया और परिवर्तन को गति देने के लिए संबंधित हितधारकों को एक साथ लाने में सहयोग की भूमिका पर जोर दिया।

आईटीपी परियोजना का शुभारंभ समारोह, 8 दिसंबर 2025, नई दिल्ली, भारत

8 दिसंबर 2025 को, नई दिल्ली में स्वीडन के दूतावास में आईटीपी परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आईटीपी कार्य समूहों के साथ-साथ आईटीपी के तहत चयनित परियोजनाओं का नेतृत्व करने वाली कंपनियां और अनुसंधान संस्थान एक साथ आए। इन सात परियोजनाओं को प्रौद्योगिकी व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में संरचित किया गया है ताकि प्रारंभिक परियोजनाओं के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग में स्वीडिश नवाचारों की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। इन सात परियोजनाओं के भागीदार और उनके उद्देश्य इस प्रकार हैं -

1. टाटा स्टील, आईआईटी-आईएसएम धनबाद, जेके सीमेंट, सेमविजन - स्टील स्लैग रिबॉर्न: उच्च धात्विक पुनर्प्राप्ति और टिकाऊ पूरक सीमेंटयुक्त सामग्री (एससीएम) उत्पादन के माध्यम से दोहरा मूल्य सृजन। इससे औद्योगिक सिम्बायोसिस की स्थिति उत्पन्न होगी, जहां इस्पात उद्योग के उप-उत्पाद सीमेंट

उत्पादन के लिए संसाधन बन जाएंगे।

2. टाटा स्टील, आईआईटी हैदराबाद, ग्रीन14 — ब्लास्ट फर्नेस ऑफ-गैस से CO_2 का माइक्रोवेव प्लाज़्मा-सहायित रूपांतरण। इस परियोजना में इस्पात ब्लास्ट फर्नेस की ऑफ-गैस में मौजूद CO_2 को माइक्रोवेव प्लाज़्मा की सहायता से CO में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है, जिसे पुनः अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

3. आईआईटी बॉम्बे, अंबुजा सीमेंट्स, इकोटेक सॉल्यूशंस - सीमेंट उद्योग संयंत्र में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग इकाई स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन

4. प्रिज़्म जॉनसन, दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग, इकोमेट्रिक्स — आरएमसी उद्योग में जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट मिश्रण डिज़ाइन के अनुकूलन हेतु 'एकॉर्न' नामक एआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म का व्यवहार्यता अध्ययन। कंक्रीट रेसिपी को बेहतर बनाने के लिए एआई के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाता है।

5. जिंदल स्टील एंड पावर, कंथल, स्वेरिम - भविष्य में CO2 तटस्थ इस्पात उत्पादन के लिए विद्युत तापन विधियाँ। लौह निर्माण प्रक्रिया में हाइड्रोजन और अन्य प्रक्रिया गैसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विद्युत गैस तापन की अवधारणाओं का मूल्यांकन करता है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य CO2 उत्सर्जन को कम करना या समाप्त करना है।

6. आईआईटी भुवनेश्वर, मेटसोल, होगनास, होगनास इंडिया - रोटरी भट्टी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विद्युतीकृत हरित लौह निर्माण पायलट परियोजना। इसका उद्देश्य हाइड्रोजन और विद्युत रूप से गर्म होने वाली घूर्णनशील भट्टी का उपयोग करके जीवाश्म-मुक्त लौह निर्माण की एक नवीन प्रक्रिया पर आधारित एक प्रारंभिक संयंत्र के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करना है।

7. माई होम इंडस्ट्रीज (महा सीमेंट), कैप्टिमाइज एबी (एंड्रिट्ज ग्रुप) - कार्बन कैप्चर के साथ सीमेंट उत्पादन का डीकार्बोनाइजेशन। तीन कार्बन कैप्चर तकनीकों का परीक्षण करना—अमीन अवशोषण, गर्म पोटेशियम कार्बोनेट और झिल्ली।

2. जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष:

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) की स्थापना 2015 में की गई थी। एनएएफसीसी को परियोजना मोड में लागू किया जा रहा है और 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

अगस्त 2025 में किए गए तृतीय पक्ष मूल्यांकन के अनुसार पूर्ण हो चुके एनएएफसीसी परियोजनाओं की प्रमुख उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

i. सामुदायिक संपर्क एवं जागरूकता: जलवायु अनुकूलन, जल सुरक्षा और टिकाऊ आजीविका पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक मोबिलाइज़ेशन गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

ii. जलवायु-प्रतिरोधी कृषि: खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सूखा और खारेपन को सहन करने वाली फसलों, एकीकृत खेती और टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया।

iii. कमजोर समुदायों के लिए सहायता: कौशल विकास, संसाधनों तक पहुंच और मूल्यवर्धित उत्पादन के माध्यम से आदिवासी, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों की आजीविका में सुधार करना।

iv. ज्ञान एवं डेटा प्रणालियाँ: जीआईएस मैपिंग, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और राज्य की जलवायु योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से जलवायु संबंधी जानकारी तक पहुंच को मजबूत करना।

v. अनुकूलन हेतु क्षमता निर्माण: कार्यान्वयन एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे अनुकूलन कौशल, बाजार संपर्क और सामुदायिक सहनशीलता में सुधार हुआ।

3. सीओपी 30 प्रकाशन

वर्ष 2025 में, भारत ने ब्राज़ील के बेलेम में यूएनएफसीसीसी COP30 के मौके पर प्रमुख प्रकाशन "वन अर्थ, वन फ़ैमिली, वन फ़्यूचर: ए डिकेड ऑफ़ क्लाइमेट एक्शन" रिलीज़ किया। यह प्रकाशन पिछले एक दशक में भारत की जलवायु यात्रा का एक पूरा ब्यौरा पेश करता है, जिसमें जलवायु कार्रवाई के लिए देश के लोगों पर केंद्रित, इक्विटी पर आधारित और विकास पर आधारित नज़रिए को प्रमुखता से दिखाया किया गया है। यह शमन, अनुकूलन, रेज़िलिएंस बनाने और टिकाऊ जीवनशैली में भारत की तरक्की को डॉक्यूमेंट करता है, साथ ही वसुधैव कुटुम्बकम – यानी दुनिया एक परिवार – की गाइडिंग फिलॉसफी को भी पक्का करता है। यह प्रकाशन यह भी दिखाता है कि भारत ने पेरिस समझौता के कई प्रतिबद्धता को समय से पहले पूरा कर लिया है।

यह प्रकाशन एक ज़रूरी ग्लोबल रेफरेंस के तौर पर भी काम करता है। यह भारत की अडैप्टेशन स्ट्रेटेजी और रेज़िलिएंस बनाने की कोशिशों को सिस्टमैटिक तरीके से दिखाता है, जिसमें जलवायु-रेज़िलिएंट खेती, वॉटर सिक्योरिटी की कोशिशें, डिज़ास्टर रिस्क कम करना, पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक करना और कम्युनिटी पर आधारित काम शामिल हैं। यह नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC), नेशनल अडैप्टेशन प्लान (NAP) के चल रहे डेवलपमेंट और हीट एक्शन प्लान, मिशन LiFE, जल जीवन मिशन और पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित समाधान जैसी बड़ी पहलों जैसे राष्ट्रीय ढांचा की भूमिका पर ज़ोर देता है। नीति ढांचा, क्षेत्रीय कार्रवाई, राज्य स्तर की कोशिशों और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव को मज़बूत करके, यह प्रकाशन वैश्विक दक्षिण की एक अग्रणी आवाज़ और वैश्विक जलवायु अनुकूलन और रेज़िलिएंस की कोशिशों में एक भरोसेमंद योगदान देने वाले के तौर पर भारत की स्थिति को मज़बूत करता है।

8.2 ओजोन परत संरक्षण

1. ओजोन परत संरक्षण

समतापमंडलीय ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। समताप मंडल की ओजोन परत एक ढाल की तरह काम करती है और हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी-बी (यूवी-बी) विकिरण से बचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी), हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड (सीटीसी), मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोफ्लोरोमीथेन (बीएफएम) आदि को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों (ओडीएस) के रूप में मान्यता प्राप्त है। समतापमंडल की ओजोन परत के क्षय से त्वचा कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, फसलों की पैदावार में कमी आना आदि समस्याएँ हो सकती हैं, जिसके कारण 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन और 1987 में ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्य देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर 99% ओडीएस (जंगली जल निकासी प्रणाली) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रावधानों तथा भारत में ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) के चरणबद्ध उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने हेतु ओजोन सेल की स्थापना एक राष्ट्रीय ओजोन इकाई (एनओयू) के रूप में की है। मंत्रालय ने देश में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रावधानों के समग्र कार्यान्वयन की देखरेख के लिए सचिव (ईएफ एंड सीसी) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त संचालन समिति (ईएससी) का गठन किया।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत व्यापक ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 जारी किए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के चरणबद्ध समाप्ति कार्यक्रम के अनुरूप देश में ओडीएस चरणबद्ध समाप्ति गतिविधियों को लागू करने के लिए ओडीएस नियमों में 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2014 और 2019 में संशोधन किया गया है।

भारत ने देश में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की गतिविधियों के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी चरणबद्ध समाप्ति कार्यक्रमों का पालन किया है। भारत देश में ओडीएस के चरणबद्ध उन्मूलन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), कार्बन टेट्राक्लोराइड (सीटीसी) और हैलोन जैसे पदार्थों को नियंत्रित उपयोगों के लिए पहले ही चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है।

भारत अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित चरणबद्ध समाप्ति कार्यक्रम के अनुसार हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहा है, अर्थात् 1 जनवरी, 2015 से 10% की कमी, 1 जनवरी, 2020 से 35% की कमी, 1 जनवरी, 2025 से 67.5% की कमी और 2030 तक एचसीएफसी के उत्पादन और खपत का पूर्ण रूप से चरणबद्ध समाप्ति हो जाएगी, जिसमें 2030-2040 की अवधि के दौरान 2.5% वार्षिक औसत की निरंतर कमी होगी।

2. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) चरणबद्ध समाप्ति प्रबंधन योजना (एचपीएमपी) का कार्यान्वयन

एचपीएमपी चरण-I

भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित चरणबद्ध समाप्ति कार्यक्रम के अनुसार, 2015 में नियंत्रित अनुप्रयोग के लिए एचसीएफसी के उत्पादन और खपत के 10% चरणबद्ध समाप्ति लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

एचपीएमपी के पहले चरण के माध्यम से, भारत सरकार और बहुपक्षीय कोष की कार्यकारी समिति के बीच हुए समझौते के अनुसार, कुल 341.77 ओडीपी टन एचसीएफसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। CO_2 समतुल्य टन के संदर्भ में शुद्ध प्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी 3,071,260.5 है।

एचपीएमपी चरण-II

भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित चरणबद्ध समाप्ति कार्यक्रम के अनुसार, 2020 में नियंत्रित अनुप्रयोग के लिए एचसीएफसी के उत्पादन और खपत के 35% चरणबद्ध समाप्ति लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 5 के पक्षकारों (विकासशील देशों) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत ने एचपीएमपी चरण II के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, समताप मंडल ओजोन क्षरण में शामिल सबसे शक्तिशाली रसायनों में से एक, एचसीएफसी-141 बी को पूरी तरह से समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसका उपयोग फोम निर्माण क्षेत्र में किया जाता था।

एक अलग अधिसूचना S.O. संख्या। दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को जारी अधिसूचना संख्या 4724 (ई) के तहत ओजोन क्षयकारी पदार्थों (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 में संशोधन करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा एचसीएफसी-141बी के आयात लाइसेंस जारी करने और 1 जनवरी, 2020 से इसके उपयोग पर रोक लगाई गई थी।

एचपीएमपी चरण-II के कार्यान्वयन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ पूर्ण की जा चुकी हैं:

- 158 भागीदार फोम निर्माण इकाइयों द्वारा एचसीएफसी-141बी का पूर्ण चरणबद्ध उन्मूलन।
- 6 भागीदार एयर-कंडीशनिंग इकाइयों द्वारा एचसीएफसी-22 का पूर्ण चरणबद्ध उन्मूलन।
- एयर कंडीशनिंग विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी रूपांतरण के दौरान आर-32 कम जीडब्ल्यूपी विकल्प के सुरक्षित संचालन सहित स्थापना और सर्विसिंग से संबंधित अच्छे सर्विसिंग तरीको पर 17000 आरएसी सर्विस तकनीशियनों का प्रशिक्षण।

एचपीएमपी चरण-III

भारत के लिए एचपीएमपी चरण–III को बहुपक्षीय कोष की कार्यकारी समिति की 91वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत शुरुवाती बिंदु स्तर से 10,678.87 मीट्रिक टन (अर्थात 579.99 ओडीपी टन) एचसीएफ़सी खपत के चरणबद्ध उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एचसीएफ़सी के लिए भारत के 2025 और 2030 के नियंत्रण लक्ष्यों के अनुपालन में योगदान मिलेगा।

एचपीएमपी चरण-III भारत के लिए एचपीएमपी का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य देश को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2025 और 2030 के नियंत्रण लक्ष्यों का अनुपालन प्राप्त करने में सहायता करना है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों (विनियमन और नियंत्रण) नियमों, जैसा कि 2014 में संशोधित किया गया था, के अनुसरण में, एचसीएफसी का उपयोग करने वाले सभी नए उपकरणों का निर्माण 31 दिसंबर, 2024 को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित चरणबद्ध समाप्ति कार्यक्रम के अनुसार, प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में सर्विसिंग गतिविधियों के लिए एचसीएफसी का उपयोग 2040 तक जारी रहेगा।

एचपीएमपी के तीसरे चरण में प्रशीतन विनिर्माण क्षेत्र की कुल 48 कंपनियां और एयरकंडीशनिंग विनिर्माण क्षेत्र की 16 कंपनियां भाग ले रही हैं।

इसके अतिरिक्त, एचपीएमपी चरण-III में आरएसी विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, क्षमता निर्माण, परियोजना गतिविधियों, नीति और विनियमों, प्रवर्तन प्रशिक्षण आदि में एचसीएफसी-22 से गैर-ओडीएस और कम जीडब्ल्यूपी वाली प्रौद्योगिकी में रूपांतरण को संबोधित किया गया है।

एचपीएमपी चरण-III के तहत सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, क्षेत्रीय और भौगोलिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के सहयोग से देश भर के 120 आईटीआई को उपकरण सहायता प्रदान की जा रही है। जो उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं: (i) बेसिक रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रिकल साइकिल यूनिट (फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर), (ii) स्प्लिट एसी ट्रेनिंग यूनिट (इन्वर्टर तकनीक के अनुकूल) क्षमता: 1.5 टन, (iii) वाणिज्यिक प्रशीतन प्रशिक्षण इकाई, (iv) रैक सिस्टम के लिए औद्योगिक प्रशीतन इकाई, और (v) स्प्लिट एसी प्रशिक्षण इकाई धातु फ्रेम।

एचसीएफसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के त्वरित चरणबद्ध उन्मूलन कार्यक्रम के अनुरूप, भारत ने 2024 में उपभोग क्षेत्र में एचसीएफसी की 50% कमी हासिल की, जबकि चरणबद्ध उन्मूलन का लक्ष्य 35% था।

एचपीएमपी के अंतर्गत सक्षम करने वाली गतिविधियाँ

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओजोन सेल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के सहयोग से एचपीएमपी के सक्षमकारी घटकों (क्षमता निर्माण एवं जागरूकता सृजन) का कार्यान्वयन कर रही है। एचपीएमपी के अंतर्गत सहायक घटक के हिस्से के रूप में निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई हैं।

- **प्रवर्तन विभाग / एजेंसियों का क्षमता निर्माण**

सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और मादक पदार्थों की राष्ट्रीय अकादमी (नासिन) के सहयोग से प्रवर्तन विभागों की क्षमता निर्माण से संबंधित गतिविधियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके तहत एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से आयात और निर्यात के क्षेत्र में नए सीमा शुल्क और प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके क्षमता निर्माण किया जा रहा है। निम्नलिखित गतिविधियाँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं:

i. एचपीएमपी-चरण-II के तहत एचसीएफसी के अवैध व्यापार से निपटने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला 20 से 21 जनवरी, 2025 के दौरान कूर्ग, कर्नाटक में आयोजित की गई थी।

- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर अध्ययन:**

o 2025-26 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन किए गए हैं:

i. भारत में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन पर अध्ययन रिपोर्ट। यह अध्ययन भारतीय शहरों में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम (डीसीएस) की क्षमता का मूल्यांकन करता है, जिससे इसे भवन क्षेत्र में एक टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल शीतलन समाधान के रूप में अपनाने में सहायता मिलती है।

ii. बड़े एयर कंडीशनिंग भवनों में चिलर के लिए कम जीडब्ल्यूपी वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों पर अध्ययन रिपोर्ट।

iii. भारत की शीत श्रृंखला अवसंरचना में कम जीडब्ल्यूपी प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षित और कुशल स्थापना और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अमोनिया / कम जीडब्ल्यूपी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की स्थापना और रखरखाव के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों पर अध्ययन रिपोर्ट।

iv. परिवहन प्रशीतन क्षेत्र में कम सौर ताप स्तर वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों पर अध्ययन रिपोर्ट।

- **ज्ञान उत्पादों का विकास और प्रसार**

आरएसी सर्विस तकनीशियनों के लिए एक त्रैमासिक ई-न्यूज़लेटर प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेंट को संभालने सहित अच्छे सर्विस करने के तरीको के महत्व, संबंधित सुरक्षा मुद्दों और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत रेफ्रिजरेंट संक्रमण पर अपडेट के बारे में जानकारी दी गई है। यह न्यूज़लेटर मेसर्स टेरी के सहयोग से प्रकाशित

किया जा रहा है। वर्ष 2025 के दौरान ई-न्यूज़लेटर के चौथे और पाँचवें संस्करण प्रकाशित किए गए।

3. भारत द्वारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) के चरणबद्ध तरीके से उत्सर्जन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का अनुसमर्थन।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी बैठक में भारत द्वारा एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी दी। भारत ने 27 सितंबर 2021 को एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन की पुष्टि की।

किगाली संशोधन के तहत एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति के अनुसार, भारत को 2032 से आगे 4 चरणों में एचएफसी के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना होगा, जिसमें क्रमशः 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 में 85% की कमी शामिल है। किगाली संशोधन के तहत चरणबद्ध तरीके से कम किए जाने वाले एचएफसी की सूची इस प्रकार है:

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रावधानों के अनुसार, एचएफसी के आयात और निर्यात के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली और रिपोर्टिंग दायित्वों के ढांचे को 20 जनवरी 2022 को आयोजित पहले राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के बाद लागू किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला

क्रमांक	पदार्थ	100 साल का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल
1.	HFC-134	1100
2.	HFC-	1.430
3.	HFC-143).	353
4.	HFC-245fa	1030
5.	HFC-365mfc	794
6.	HFC-227ea	3220
7.	HFC-236cb	1340
8.	HFC-236ea	1370
9.	HFC-236fa	9810
10.	HFC-245ca	693
11.	HFC-43-10mee	1640
12.	HFC-32	675
13.	HFC-125	3500
14.	HFC-143a	4470
15.	HFC-41	92
16.	HFC-152	53
17.	HFC-152a	124
18.	HFC-23	14800

डीजीएफटी एचएफसी के आयात / निर्यात के लिए लाइसेंसिंग हेतु मुख्य एजेंसी है। यह मोईएफसीसी के ओजोन सेल की सिफारिशों के आधार पर एचएफसी के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को लागू कर रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य ओडीएस के साथ-साथ एचएफसी के लिए डेटा रिपोर्टिंग 2022 से शुरू हुई।

4. भारत शीतलन कार्य योजना (आईसीएपी)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2019 के दौरान भारत शीतलन कार्य योजना (आईसीएपी) विकसित की और इसकी शुरुआत की। भारत विश्व के उन पहले देशों में से एक है जिनके पास एक व्यापक शीतलन कार्य योजना है। आईसीएपी का उद्देश्य 20 वर्षों की समय सीमा, यानी 2037-38 तक, शीतलन की मांग को कम करना, रेफ्रिजरेंट परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्पों सहित विभिन्न क्षेत्रों में शीतलन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना है।

आईसीएपी सामाजिक-आर्थिक सह-लाभों को अधिकतम करने के लिए चल रहे सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ तालमेल स्थापित करने की सिफारिश करता है। भारत सरकार ने आईसीएपी में दी गई सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के लिए सिफारिशों का मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों / योजनाओं के साथ मिलान करना और उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की सूची बनाना शामिल है, साथ ही आवश्यक नीति और नियामक हस्तक्षेपों की पहचान करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषयगत समूहों ने अपनी बैठकों के दौरान आईसीएपी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई बिंदुओं की एक सूची तैयार की है, जिन्हें संचालन समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया है और संबंधित नोडल मंत्रालयों / विभागों / एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के अधीन हैं:

i. इमारतों में स्पेस कूलिंग : स्पेस कूलिंग में पैसिव और एक्टिव कूलिंग रणनीतियाँ, कूलिंग लोड का अनुकूलन, बिल्डिंग डिज़ाइन में प्राकृतिक और यांत्रिक वेंटिलेशन को शामिल करना, वाणिज्यिक निर्मित स्थानों में एयर कंडीशनिंग उपकरणों के लिए तापमान की पूर्व-निर्धारण निर्दिष्ट करने वाले थर्मल आराम मानक और गैर-समान तकनीकों सहित ऊर्जा कुशल रेफ्रिजरेंट आधारित उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

ii. कोल्ड चेन : कोल्ड चेन सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउस, पैक हाउस, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और राइपनिंग चैंबर शामिल हैं। यह आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है। निर्बाध कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे खाद्य हानि को कम करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय को दोगुना करना आदि में एक प्रमुख कारक होगा।

iii. घरेलू विनिर्माण और उत्पादन क्षेत्र - वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट और प्रौद्योगिकियाँ: भारतीय फ्लोरोकार्बन उद्योग ने एचएफओ और एचएफओ तथा एचएफसी के मिश्रण जैसे नई पीढ़ी के कम जीडब्ल्यूपी वाले रेफ्रिजरेंट सहित उत्पादन प्रक्रियाओं के स्वदेशी विकास में अपनी तकनीकी क्षमता में सुधार किया है। इस उद्योग ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं और उम्मीद है कि यह स्वदेशी रेफ्रिजरेंट विकास और कम / शून्य जीडब्ल्यूपी वाले वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करना जारी रखेगा।

iv. अनुसंधान और विकास: भारत में एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में इस क्षेत्र में वैज्ञानिक मानव संसाधन का और अधिक विकास; आवश्यक शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थागत क्षमताएँ; शीतलन उपकरण, निष्क्रिय भवन डिजाइन हस्तक्षेप, गैर-पारंपरिक प्रौद्योगिकियाँ और नई उभरती प्रौद्योगिकियों सहित शीतलन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए समर्थन शामिल होगा।

v. सर्विसिंग क्षेत्र: सर्विसिंग क्षेत्र सीधे तौर पर रेफ्रिजरेंट की खपत और उपयोग में आने वाले एयर कंडीशनिंग उपकरणों के इष्टतम और कुशल प्रदर्शन से संबंधित है। आरएसी सेवा तकनीशियनों के प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण से पर्यावरण और आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। सर्विस तकनीशियनों के उचित कौशल विकास के साथ-साथ कुशल तकनीशियनों के लिए बाजार की मांग पैदा करके इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, जो एक प्रमुख प्रेरक कारक होगा।

vi. परिवहन क्षेत्र: परिवहन में टिकाऊ शीतलन को बढ़ावा देने के लिए प्रणाली की दक्षता में सुधार, कम जीडब्ल्यूपी वाले पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट और रिसाव रहित प्रौद्योगिकियों की ओर संक्रमण, कुशल सेवा कार्यबल के साथ सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के लिए अधिक प्रोत्साहन और परिचालन व्यवहार में परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। इन पहलुओं को आईसीएपी में परिवहन वातानुकूलन विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत सिफारिशों के रूप में समाधान किया गया है।

आईसीएपी को एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें रेफ्रिजरेंट के उपयोग में कमी, जलवायु परिवर्तन के शमन और सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने की क्षमता है।

भारत शीतलन कार्य योजना (आईसीएपी) की सिफारिशों से संबंधित अंतिम रूप दिए गए कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 29 अक्टूबर 2025 को पर्यावरण एवं ऊर्जा आयोग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

5. जागरूकता सृजन और परामर्श संबंधी गतिविधियाँ/ बैठकें

ओजोन परत के क्षरण के हानिकारक प्रभावों के बारे में उद्योगों और आम जनता को जागरूक करने और ओजोन परत की रक्षा के लिए नीतियों का समर्थन करने हेतु आवश्यक ओडीएस चरणबद्ध समाप्ति गतिविधियों को अपनाने के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई हैं:

i. विश्व ओजोन दिवस 2025:

क पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली में विश्व ओजोन दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय था "विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक"। इस कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सम्मिलित हुए थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पूर्व-रिकॉर्ड किए गए संदेश के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया।

ख विश्व ओजोन दिवस 2025 के कार्यक्रम में स्कूली बच्चे (लगभग 250 स्कूली छात्र), मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से जुड़े मंत्रालय / विभाग और उद्योग, प्रशीतन और वातानुकूलन (आरएसी) के सेवा तकनीशियन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से जुड़े भागीदार, थिंक टैंक और रेफ्रिजरेंट गैस निर्माता, आरएसी और फोम निर्माण उद्यम, कार्यान्वयन एजेंसी जैसे यूएनडीपी, यूएनईपी और जीआईजेड आदि ने भाग लिया।

ग विश्व ओजोन दिवस 2025 के दौरान की गयी प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- विद्यालय प्रतियोगिता: ओजोन परत की रक्षा के प्रति छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच) के सहयोग से, देश भर के स्कूली बच्चों के लिए पोस्टर बनाने और स्लोगन लेखन की श्रेणी में ऑनलाइन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता के लिए 6,322 प्रविष्टियाँ और स्लोगन श्रेणी के लिए 2,428 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जो इस उद्देश्य के लिए विकसित एक विशेष वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की गईं।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को प्रदान किए गए प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी) प्रशिक्षण उपकरण : इस कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उपलब्ध कराए गए प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी) प्रशिक्षण उपकरणों के संबंध में घोषणा की गई। भारत सरकार का पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) के निकट सहयोग से, आरएसी व्यापार और भौगोलिक संतुलन वाले संस्थानों को ध्यान में रखते हुए देश भर के 120 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को प्रशीतन और वातानुकूलन (आरएसी) प्रशिक्षण उपकरण प्रदान कर रहा है, जिसमें सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

- प्रशिक्षण उपकरण आईटीआई को आरएसी ट्रेड के छात्रों को प्रशिक्षित करने और उन्हें सर्वोत्तम पद्धतियों का उपयोग करके उपकरणों की स्थापना और रखरखाव के लिए तैयार करने में सक्षम बनाएंगे। इसमें कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (जीडब्ल्यूपी) वाले रेफ्रिजरेंट का सुरक्षित संचालन शामिल है, जिनमें ज्वलनशीलता, विषाक्तता और सुरक्षा से संबंधित समस्याएँ होती हैं, और साथ ही उनके कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना भी शामिल है।

- जागरूकता सामग्री का विमोचन :

  - विजेता पोस्टर : विश्व ओजोन दिवस समारोह के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता प्रविष्टि को जारी किया ।

  - "मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल" का 27वां संस्करण: भारत की सफलता की कहानी : "मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल" का 27वां संस्करण: "भारत की सफलता की कहानी" ओजोन परत को

नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में भारत की अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है।

  - भारत में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग

सिस्टम्स (डीसीएस) की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर अध्ययन। यह अध्ययन, पारंपरिक शीतलन प्रणालियों की तुलना में, देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में डीसीएस को

अपनाने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करता है।

- बड़े एयर कंडीशनिंग भवनों में चिलर के लिए कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (जीडब्ल्यूपी) वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों पर अध्ययन। यह अध्ययन बड़े भवनों में कम जीडब्ल्यूपी (ग्लोबल वाट पावर) वाली तकनीकों से लैस चिलर के उपयोग का आकलन करता है ताकि टिकाऊ तरीके से शीतलन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

- शीत श्रृंखला में अमोनिया / कम वैश्विक तापवृद्धि क्षमता वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की स्थापना और रखरखाव के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों पर अध्ययन। यह अध्ययन कम जीडब्ल्यूपी विकल्पों के साथ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और प्रबंधन के लिए टिकाऊ अभ्यासों पर केंद्रित है।

- परिवहन प्रशीतन क्षेत्र में कम जीडब्ल्यूपी प्रौद्योगिकियों पर अध्ययन। इस अध्ययन में परिवहन प्रशीतन में कम जीडब्ल्यूपी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की व्यवहार्यता का आकलन किया गया है और उनके अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपायों का प्रस्ताव दिया गया है।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को प्रशीतन और

वातानुकूलन (आरएसी) प्रशिक्षण उपकरण सहायता पर एक लघु वीडियो फिल्म जारी की गई।

ii. स्वदेशी क्षमता विकास के लिए की गई पहलों में एचएफसी के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाने वाले कम वैश्विक तापवृद्धि (जीडब्ल्यूपी) वाले रसायनों पर अनुसंधान शामिल है:

कम वैश्विक तापन क्षमता वाले रसायनों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (रुड़की, हैदराबाद, कानपुर, पटना, बनारस, मद्रास और तिरुपति) के साथ सहयोग किया है ताकि अनुसंधान विद्वानों की भागीदारी के माध्यम से उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित पदार्थों के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाने वाले कम वैश्विक तापन क्षमता वाले रसायनों, जिनमें उनके मिश्रण भी शामिल हैं, के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित पदार्थों के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाने वाले कम वैश्विक तापन क्षमता (जीडब्ल्यूपी) वाले रसायनों और उनके मिश्रणों के अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की प्रगति सहित गतिविधियों की देखरेख के लिए गठित समिति की दूसरी बैठक 27 फरवरी 2025 को ओजोन सेल (ईएफ एंड सीसी) के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

iii. यूएनडीपी के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यान्वित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल परियोजनाओं के लिए परियोजना संचालन समिति (पीएससी) की 9वीं बैठक 4 फरवरी, 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव और यूएनडीपी इंडिया कार्यालय के डिप्टी रेजिडेंट प्रतिनिधि की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई।

iv. भारत में एचपीएमपी चरण II की संस्थागत सुदृढ़ीकरण गतिविधियों के तहत जीआईजेड द्वारा 17 से 22 फरवरी 2025 तक दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) में "एचसीएफसी-22 और ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट वाले रूम एयर कंडीशनर के अच्छे सर्विस अभ्यास और स्थापना" विषय पर तीन आरएसी तकनीशियनों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

v. उत्पादन कोटा संबंधी बैठक 10 मार्च, 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओजोन सेल के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए नॉन फीडस्टॉक अनुप्रयोगों हेतु एचसीएफसी 22 के उत्पादन कोटा के वितरण पर चर्चा हुई।

vi. जीआईजेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन चरणबद्ध समाप्ति प्रबंधन योजना (एचपीएमपी) के चरण II और III के सेवा घटकों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) की बैठक 18 मार्च, 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

vii. हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) चरणबद्ध समाप्ति प्रबंधन योजना (एचपीएमपी) के दूसरे चरण के तहत प्रशीतन और वातानुकूलन (आरएसी) सेवा क्षेत्र के लिए हितधारकों की परामर्श कार्यशाला का आयोजन जीआईजेड प्रोक्लिमा इंडिया द्वारा 6-7 मई 2025 को एचपीएमपी चरण III सेवा क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदाताओं को शामिल करने और भारत में एचपीएमपी चरण III के तहत आरएसी प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था।

viii. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) प्रदर्शन और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित सलाहकार समिति की पहली बैठक 6 अगस्त 2025 को ऊर्जा एवं परिवहन एवं समन्वय मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

ix. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), सीमा शुल्क और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ 1 सितंबर, 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2024 के आयात और निर्यात आंकड़ों से संबंधित मुद्दों को हल करने और निगरानी पर पिछली स्थायी समिति के निर्णय पर लंबित कार्रवाई रिपोर्ट की स्थिति की समीक्षा करने का उद्देश्य था।

x. निगरानी संबंधी स्थायी समिति की बैठक 11 सितंबर, 2025 को सीपीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें अनुच्छेद-7 और देश कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट (सीपीपीआर) के 2024 के आंकड़ों को अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया था।

xi. भारत भर के 12 आईटीआई और एनएसटीआई के 16 संकाय सदस्यों ने एचपीएमपी के तहत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) में भाग लिया, जिसमें प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट और अच्छी सेवा प्रथाओं से संबंधित रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग (आरएसी) अवधारणाओं पर प्रशिक्षण दिया गया, जो 15 से 26 सितंबर 2025 तक बीएफएस, मेनटल, जर्मनी में आयोजित किया गया था।

xii. जीआईजेड द्वारा अगस्त (18-22), सितंबर (8-12) और अक्टूबर (27-31) 2025 में एचपीएमपी चरण-III इंडिया के लिए जीआईजेड प्रोक्लिमा इंडिया के साथ सूचीबद्ध आठ प्रशिक्षण प्रदाताओं के आरएसी संकाय प्रशिक्षकों के लिए तीन प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किए गए थे।

xiii. निगरानी संबंधी स्थायी समिति के कार्य समूह की तीन बैठकें 17.04.2025, 11.08.2025 और 07.11.2025 को आयोजित की गईं, जिनमें फीडस्टॉक उपयोग के लिए ओडीएस के उपयोग/निर्माण से संबंधित अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई। इसमें अन्य बातों के अलावा फीडस्टॉक उपयोग के रूप में प्रक्रिया को योग्य बनाना भी शामिल था।

xiv. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओजोन सेल ने एनआईटी राउरकेला,मानित भोपाल और पीड्ब्ल्यूसी के सहयोग से 4 सितंबर, 2025 को परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें "भारत में जिला शीतलन प्रणालियों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता", "बड़े वातानुकूलन भवनों में चिलर के लिए कम जीडब्ल्यूपी वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ", "शीत श्रृंखला अवसंरचना में अमोनिया / कम जीडब्ल्यूपी वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की स्थापना और रखरखाव के लिए सर्वोत्तम अभ्यास" और "परिवहन प्रशीतन क्षेत्र में कम जीडब्ल्यूपी वाली वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ" विषयों पर अध्ययन पर चर्चा की गई।

xv. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर उद्योग जगत, सरकारी विभागों आदि के साथ बातचीत के लिए नियमित रूप से कई परामर्श बैठकें आयोजित की गईं।

xvi. यूएनडीपी द्वारा कार्यान्वित एमएलएफ परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए यूएनडीपी के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

xvii. आरएसी सर्विसिंग सेक्टर की गतिविधियों के अंतर्गत, जीआईजेड द्वारा आरएसी सर्विसिंग तकनीशियनों के लिए देश भर में प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

xviii. ओजोन सेल ने अपनी वेबसाइट पर जनता के लिए जागरूकता पैदा करने वाली सामग्री उपलब्ध कराई है। आरएसी सर्विस तकनीशियनों के लिए छह अलग-अलग भाषाओं में निर्देशात्मक प्रशिक्षण वीडियो बनाए गए हैं।

xix. निर्देशात्मक वीडियो के लिए अलग-अलग क्यूआर कोड तैयार किए गए हैं ताकि प्रिंट माध्यम से इनका व्यापक प्रसार किया जा सके।

xx. नियमित अंतराल पर पर्चे और सूचना सामग्री प्रकाशित की जाती है और वितरित की जाती है।

xxi. ओजोन सेल ने ओजोन परत संरक्षण पर प्रकृति के संदेशों का एक एनिमेशन वीडियो और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में भारत की सफलता की कहानी पर एक वृत्तचित्र फिल्म बनाई है।

xxii. आरएसी सर्विसिंग से संबंधित प्रासंगिक सामग्री को समकालीन रूप से अद्यतन करने के उद्देश्य से किए गए एक बड़े अभियान के तहत, ओजोन सेल द्वारा प्रकाशित सामग्री को देश भर के सरकारी आईटीआई को भेजा गया, जिनमें आरएसी व्यापार संबंधी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

xxiii. देश में लागू किए जा रहे ओडीएस चरणबद्ध समाप्ति कार्यक्रम के बारे में सीपीसीबी, एसपीसीबी और अन्य राज्य सरकारी विभागों को नियमित रूप से अपडेट / सूचित किया जा रहा है।

xxiv. भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की निम्नलिखित बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया:

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों के खुले कार्य समूह की 47वीं बैठक 7-11 जुलाई, 2025 को आयोजित होने वाली है।
- ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक 3-7 नवंबर, 2025 को आयोजित की गई।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष (एमएलएफ) की कार्यकारी समिति (एक्सकॉम) की 96वीं बैठक 26-30 मई, 2025 को आयोजित होने वाली है।

6. ओडीएस नियम, 2000 और इसके संशोधनों तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ

अन्य बातों के अलावा, ओडीएस नियम, 2000 और इसके संशोधनों के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ की गईं, जिनमें पंजीकरण, निर्यात / आयात का विनियमन, उत्पादन कोटा जारी करना, निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल हैं।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 7 के तहत वैधानिक रिपोर्टिंग पूरी हो चुकी है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष के सचिवालय को देश कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट (सीपीपीआर) प्रस्तुत कर दी गई है। अनुच्छेद 7 और देश के कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट (सीपीपीआर) के तहत वर्ष 2024 के लिए प्रस्तुत संकलित आंकड़े इस प्रकार हैं:

ओडीएस	उत्पादन* (मीट्रिक टन)	निर्यात** (मीट्रिक टन)	आयात** (एमटी)	देश के भीतर उपयोग के लिए फीडस्टॉक का उत्पादन (मीट्रिक टन)	परिभाषा के अनुसार उपभोग * ओडीएस (एमटी)
सीएफसी -11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
सीएफसी -12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
सीएफसी -13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
सीएफसी -113[1]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
कुल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CTC[1]	41581.448	1500.685	0.000	40080.763[a]	0.000
कुल	41581.448	1500.685	0.000	40080.763	0.000
हैलोन -1211 [2]	0.000	2.200 (पुनर्प्राप्त/वापस लिया गया)	19.512 (पुनर्प्राप्त/वापस लिया गया)	0.000	0.000
हैलोन -1301 [1&2]	300.060 (चारा)	300.060 (चारा)	14.416 (पुनर्प्राप्त/वापस लिया गया)	0.000	0.000

ओडीएस	उत्पादन* (मीट्रिक टन)	निर्यात** (मीट्रिक टन)	आयात** (एमटी)	देश के भीतर उपयोग के लिए **फीडस्टॉक का** उत्पादन (मीट्रिक टन)	परिभाषा के अनुसार उपभोग * ओडीएस (एमटी)
हैलोन -2402 [2]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
कुल	300.060	302.260	33.928 [2]	0.000[b]	0.000
मिथाइल ब्रोमाइड [3]	3790.584	2087.820	3.706	0.000	1706.47
कुल	3790.584	2087.820	3.706	0.000	1706.47
एचसीएफसी -22	84123.493	16501.178[c]	0.000	59209.092[d]	8413.223
एचसीएफसी -123	0.000	0.000	37.688	0.000	37.688
एचसीएफसी-142b[1]	0.000	240.660	5460.000	5219.34[e] (आयातित)	0.000
एचसीएफसी -141b	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
एचसीएफसी -133A[1]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
एचसीएफसी -225[1]	1006.443[f]	690.490	15.600	15.600 (आयातित)	0.000
क्लोरो फ्लोरो प्रोपेन (एचसीएफसी 241, 242, 243 और 244 के मिश्रण) [1]	2625.720	2625.720	0.000	0.000	0.000
कुल	87755.656	20058.048	5513.288	64444.032	8450.911
ब्रोमोफ्लोरो-मीथेन [1]	0.340471	0.340471[g]	0.88	0.88 (आयातित)	0.000
कुल	0.340471	0.340471	0.88	0.88	0.000

नोट्स:

1. केवल कच्चे माल के लिए

2 पुनर्प्राप्त/पुनर्प्राप्त हैलोन

3 पूर्व-शिपमेंट और अलग करना

क कच्चे माल के लिए सीटीसी का कुल उत्पादन 41581.448 मीट्रिक टन है, जिसमें से 1500.685 मीट्रिक टन फीडस्टॉक के रूप में निर्यात किया जाता है और 40080.763 मीट्रिक टन फीडस्टॉक के रूप में देश के भीतर उपयोग किया जाता है।

ख फीडस्टॉक के लिए हैलोन-1301 का कुल उत्पादन 300.060 मीट्रिक टन है, जिसमें से 300.060 मीट्रिक टन फीडस्टॉक के लिए निर्यात किया गया, देश के भीतर फीडस्टॉक के लिए इसका कोई उपयोग नहीं हुआ।

ग इसमें जापान को फीडस्टॉक के रूप में निर्यात की गई 269.460 मीट्रिक टन मात्रा भी शामिल है।

घ फीडस्टॉक के लिए एचसीएफसी-22 का कुल उत्पादन 59478.552 मीट्रिक टन है, जिसमें से 269.460 मीट्रिक टन निर्यात किया गया और 59209.092 मीट्रिक टन का उपयोग देश के भीतर फीडस्टॉक के रूप में किया गया।

ङ फीडस्टॉक के लिए एचसीएफसी-142b का कुल आयात 5460 मीट्रिक टन है, जिसमें से 240.660 मीट्रिक टन फीडस्टॉक के लिए निर्यात किया जाता है और 5219.34 मीट्रिक टन का उपयोग देश के भीतर कच्चे माल के लिए किया जाता है।

च एचसीएफसी-225 का कुल उत्पादन 1006.443 मीट्रिक टन है, जिसमें से 690.490 मीट्रिक टन 2024 में फीडस्टॉक के लिए निर्यात किया गया था, और शेष मात्रा अगले वर्ष केवल फीडस्टॉक के लिए निर्यात की जाएगी।

छ सिंगापुर को 0.203134 मीट्रिक टन निर्यात + यूनाइटेड किंगडम को 0.137337 मीट्रिक टन निर्यात (फीडस्टॉक के लिए)

सूत्र :

* निर्माता

** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय/उत्पादक/उपभोक्ता**

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार, नियंत्रित उपयोग के लिए उपभोग = उत्पादन (नियंत्रित उपयोग के लिए) + आयात (नियंत्रित उपयोग के लिए) - निर्यात (नियंत्रित उपयोग के लिए)

एचएफसी	उत्पादन (मीट्रिक टन)	निर्यात (मीट्रिक टन)	आयात (एमटी)	खपत (मीट्रिक टन)
एचएफसी -23	0	0	18.000	18.000
एचएफसी -32	23583.220	4841.093	4678.462	23420.589
एचएफसी -41	0	0	0	0
एचएफसी -125	9177.708	2943.300	2006.231	8240.639
एचएफसी -134a	13739.15	4301.421	5901.916	15339.645
एचएफसी -227ea	0	3.083	266.983	263.900
एचएफसी -152a	0	0	5186.489	5186.489
एचएफसी -245fa	0	0	349.5	349.5
एचएफसी -236fa	0	1.27	101.48	100.21
एचएफसी -365MFC	0	0	0	0
एचएफसी -43-10mee	0	0	3.948	3.948
आर-404A* (एचएफसी -125 = 44%, एचएफसी -134a = 4%, एचएफसी -143a = 52%)		348.793	2596.906	2248.113

एचएफसी	उत्पादन (मीट्रिक टन)	निर्यात (मीट्रिक टन)	आयात (एमटी)	खपत (मीट्रिक टन)
आर-407C* (एचएफसी -32 = 23%, एचएफसी -125 = 25%, एचएफसी -134a = 52%)		384.448	82.56	505.852*
R-410A* (एचएफसी -32 = 50%, एचएफसी -125 = 50%)		6959.709	1089.02	4291.109*
R-438A* (एचएफसी-32=8.5%, एचएफसी-125= 45%, एचएफसी -134a=44.2%, HC600=1.7%, HC-601a=0.6%)		0	120	279.70*
आर-449A* (एचएफसी -32=24.3%, एचएफसी -125=24.7%, एचएफओ -1234yf=25.3%, एचएफसी -134a=25.7%)		0	7.042	7.042
आर-449C* (एचएफसी -32= 20%, एचएफसी -125=20%, एचएफओ -1234yf= 31%, एचएफसी -134a= 29%)		0	1.298	1.298
आर-454B* (एचएफसी -32=68.9%, एचएफओ -1234yf =31.1%)		0	8.596	8.596
आर-507A* (एचएफसी -125 = 50%, एचएफसी -143a = 50%)		0	14.49	14.49
आर-508B*(एचएफसी -23 = 46%, पीएफसी -116 = 54%)		0	0.84	0.84
आर-513A* (एचएफसी -1234yf=56%, एचएफसी -134a= 44%)		0	0.938	0.938
एचएफसी -365mfc/ एचएफसी -227ea* (87%/13%)		38.4	0	0
कुल	**46500.078**	**19821.517**	**22434.699**	**60280.898**

*अनुच्छेद-7 और देश कार्यक्रम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, मिश्रणों के उत्पादन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, खपत की गणना वर्ष 2024 के दौरान आर-407C उत्पादन = 807.740 मीट्रिक टन, आर-410A उत्पादन = 10161.798 मीट्रिक टन और आर-438A उत्पादन = 159.70 मीट्रिक टन को ध्यान में रखते हुए की गई है।

8.3 मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

मरुस्थलीकरण सेल

क परिचय:

मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ भारत में अवनत भूमि के पुनर्स्थापन और भूमि क्षरण तटस्थता (एलडीएन) की प्राप्ति के लिए गतिविधियों की योजना बनाता है, समन्वय करता है और सहयोग करता है।

- यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन (यूएनसीसीडी) से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी भारत ने 17 दिसंबर 1996 को पुष्टि की थी।

- मंत्रालय में एसडीजी 15.3 (मरुस्थलीकरण का सामना

करना, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना और 2030 तक भूमि क्षरण-मुक्त दुनिया प्राप्त करने का प्रयास करना) के लिए समन्वय प्रभाग।

- भूमि क्षरण की स्थिति से संबंधित जानकारी के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण रिपोर्ट समन्वय प्रभाग का कार्य है।

ख महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

i. अरावली जीर्णोद्धार

मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला को पुनर्जीवित करने की अपनी योजना की घोषणा की थी, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरा-भरा करने की एक बड़ी पहल है। अरावली ग्रीन वॉल पहल की विस्तृत कार्य योजना (डीएपी) जून 2025 में शुरू की गई थी, जिसे कृषि, जलसंभर आदि जैसे चिन्हित विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से लागू किया जाएगा, जबकि इसे राज्य वन विभागों में आधार बनाया जाएगा।

ii. मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2025

मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण हेतु विश्व दिवस 2025 के अवसर पर, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद - शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आईसीएफआरई-एएफआरआई), जोधपुर में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय "मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीतियाँ" था, जिसमें शुष्क और अर्ध-शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों में टिकाऊ भूमि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसद सदस्य (राज्यसभा) श्री राजेंद्र गहलोत भी गणमान्य व्यक्ति के रूप में मौजूद थे। भारत द्वारा मरुस्थलीकरण से निपटने और पारिस्थितिक बहाली के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला गया। सतत कृषि पद्धतियों, समुदाय-संचालित पहलों और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में कई नए प्रकाशनों का शुभारंभ किया गया, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- अरावली जिलों पर सूचना पुस्तिका
- ग्रीन इंडिया मिशन का संशोधित मिशन दस्तावेज़
- सतत भूमि प्रबंधन (एसएलएम) पर पुस्तक
- राष्ट्रीय वनरोपण निगरानी प्रणाली (एनएएमएस) का शुभारंभ
- माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा दस किसानों को एएफआरआई शीशम क्लोन का वितरण

इस कार्यशाला में भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण नियंत्रण के प्रमुख विषयों को कवर करने वाले कई तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। सतत भूमि प्रबंधन (एसएलएम) पर हुई चर्चाओं में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और आईसीएफआरई संस्थानों द्वारा किए जा रहे एकीकृत, समुदाय-नेतृत्व वाले पुनर्स्थापन प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। इसमें यूएनडीपी, एडीबी, जीआईजेड, केएफडब्ल्यू, एएफडी और विश्व बैंक जैसे विकास भागीदारों द्वारा वैश्विक और राष्ट्रीय केस स्टडी पर प्रस्तुतियां भी शामिल थीं। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना पर आयोजित एक विशेष सत्र में अरावली क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। अंतिम सत्र में राज्य सरकारों, एसएसी, सीएजेडआरआई, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए बहु-हितधारक कार्रवाइयों के माध्यम से भूमि क्षरण तटस्थता (एलडीएन) पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन एक समापन सत्र के साथ हुआ जिसमें भारत ने विज्ञान आधारित, सहभागी और नीति-संचालित मरुस्थलीकरण शमन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

iii. सीआरआईसी 23, यूएनसीसीडी में भारत

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूएनसीसीडी के सीआरआईसी-23 (1-5 दिसंबर 2025, पनामा सिटी) में भाग लिया, जिसने यूएनसीसीडी रणनीतिक ढांचे (2018-2030) की मध्यावधि समीक्षा और कोप-17 की तैयारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में कार्य किया। सीआरआईसी-23 में हुई चर्चाओं में भूमि क्षरण तटस्थता (एलडीएआई) लक्ष्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति और कमियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पीआरएआईएस के तहत निगरानी ढांचे, संकेतक और रिपोर्टिंग पर विशेष जोर दिया गया। नीतिगत प्रतिक्रियाओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, वित्तपोषण तंत्रों

और उभरते वैश्विक सूखा एजेंडा सहित सूखा प्रतिरोध पर व्यापक चर्चा हुई। इस सत्र में रेत और धूल भरी आंधी, भूमि स्वामित्व, लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण और क्षमता निर्माण से संबंधित कार्यान्वयन पहलुओं की समीक्षा की गई, जिसमें विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। भारत ने पूर्ण सत्रों, संपर्क समूहों और एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समन्वय बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर हस्तक्षेप किया। भारत ने विषयगत सहायक कार्यक्रमों और तकनीकी सत्रों में भाग लिया, जिससे भूमि पुनर्स्थापन, सतत भूमि प्रबंधन और एकीकृत दृष्टिकोणों पर अनुभवों और अच्छे अभ्यासों का आदान-प्रदान संभव हुआ। सीआरआईसी-23 के परिणाम भारत के राष्ट्रीय कार्यान्वयन को मजबूत करने, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने और यूएनसीसीडी कोप-17 के लिए भारत की भागीदारी और प्राथमिकताओं को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं।

iv. अध्ययन पहल

आईयूसीएन के परामर्श से एनएईबी "वन परिदृश्य बहाली और बॉन चैलेंज पर रिपोर्टिंग तंत्र पर हितधारकों और राज्य सरकारों की उन्नत क्षमता निर्माण" नामक एक प्रारंभिक परियोजना को लागू कर रहा है और बॉन चैलेंज प्रतिबद्धताओं के तहत उपलब्धियों की रिपोर्टिंग के लिए डेटा संकलित कर रहा है।

इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय राज्यों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और निगरानी प्रोटोकॉल को विकसित और अनुकूलित करना तथा परियोजना के पहले चरण में पांच प्रारंभिक राज्यों (हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक के रूप में पहचाने गए) में इस संबंध में क्षमता निर्माण करना है। इस परियोजना के बाद के चरणों में इसे अंततः देश भर के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।

अध्याय - 9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

9.1. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

क. परिचय:

अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) प्रभाग, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पर्यावरणीय सहयोग के लिए मंत्रालय की प्रमुख शाखा है। यह प्रभाग भारत की स्थिति का समन्वय करता है, ब्रिक्स, जी20, यूएनईए, बिम्सटेक, एससीओ आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों के तहत संबंध का मार्गदर्शन करता है और साथ ही पर्यावरण क्षेत्र में मंत्रिस्तरीय और सचिव स्तरीय संवादों और संयुक्त कार्य समूहों का समन्वय करता है। यह प्रभाग व्यापक प्रकृति के समझौता ज्ञापनों / आशय घोषणाओं का प्रशासन करता है, अनुपालन एवं अनुवर्ती कार्रवाइयों की निगरानी करता है, तथा वैधानिक / स्वैच्छिक योगदानों का प्रसंस्करण करता है। यह ईपीपीआर तंत्र के माध्यम से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को सुगम बनाता है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा पोर्टफोलियो (जिसमें लघु अनुदान कार्यक्रम शामिल है) को आधार प्रदान करता है एवं तकनीकी सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान का सक्षम बनाता है। आईसी प्रभाग विभिन्न विभागों एवं सहयोगी मंत्रालयों / विभागों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि लाइफ़, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के अनुरूप व्यावहारिक कार्यक्रमों में परिवर्तित करता है।

(क) बहुपक्षीय: आईसी प्रभाग, ब्रिक्स, एससीओ, जी20, सेसैप, जीईएफ, यूएनईए आदि सहित वैश्विक और क्षेत्रीय पर्यावरण मंचों के साथ भारत की सहभागिता का समन्वय करता है। यह संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करता है, प्रतिनिधिमंडलों को सेवाएँ प्रदान करता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्णयों, योगदानों और कार्य कार्यक्रमों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

(ख) द्विपक्षीय: आईसी प्रभाग विभिन्न देशों के बीच पर्यावरणीय सहयोग के लिए प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रिस्तरीय / सचिव-स्तरीय संवादों का मार्गदर्शन करता है, संयुक्त कार्य समूहों को सेवाएँ प्रदान करता है, और पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों / आशय घोषणाओं / सहयोग ज्ञापनों का प्रशासन करता है। इसमें सहमत कार्य योजनाओं एवं अनुवर्ती कार्रवाइयों के माध्यम से कार्यान्वयन, समीक्षा और अनुपालन की निगरानी शामिल है। वर्तमान में, ऑस्ट्रिया, भूटान, ब्राजील, कनाडा, साइप्रस, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, फिनलैंड, इज़राइल, जापान, मॉरीशस, मोरक्को, नीदरलैंड, रूसी संघ, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम के साथ 19 समझौता ज्ञापनों/समझौतों का प्रशासन आईसी प्रभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में योगदान: आईसी प्रभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं विभिन्न अभिसमयों के सचिवालयों को दिए जाने वाले आकलित / स्वैच्छिक योगदानों के लिए प्रमुख इकाई है। यूएनईपी और सैसेप को वार्षिक योगदान सीधे प्रभाग द्वारा संसाधित किए जाते हैं, जबकि अन्य निकायों को दिए जाने वाले योगदान आईसी प्रभाग के बजट के योगदान शीर्ष के अंतर्गत संबंधित कार्यक्रम प्रभागों के साथ समन्वय में किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में, अब तक प्रभाग द्वारा कुल ₹22.30 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध लगभग ₹24.50 करोड़ की राशि के संवितरण को स्वीकृति दी गई है, जो स्वीकृत प्रतिबद्धताओं, समय-सीमाओं तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुरूप है।

ख. महत्वपूर्ण बहुपक्षीय गतिविधियाँ

(i) जी-20:

दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर, 2024 को जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की और "एकजुटता, समानता, स्थिरता" विषय के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता के तहत छह प्राथमिकताएँ थीं, अर्थात् जैव विविधता और संरक्षण; भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखा; रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन; जलवायु परिवर्तन; महासागर और तटीय प्रबंधन; एवं वायु गुणवत्ता।

ईसीएसडब्ल्यूजी की पहली बैठक 25-28 मार्च 2025 को आयोजित की गई थी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आर्थिक सलाहकार सुश्री राजश्री रे की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लिया था।

दूसरी जी20 ईसीएसडब्ल्यूजी बैठक 14 से 18 जुलाई 2025 तक दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में आयोजित की गई थी। वन महानिरीक्षक श्री रघु प्रसाद की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया था।

तीसरी और अंतिम जी20 ईसीएसडब्ल्यूजी बैठक 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। इसके बाद 16-17 अक्टूबर 2025 को ईसीएसडब्ल्यूजी मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठकों में भाग लिया। मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने सह-विकसित, गैर-प्रतिबंधात्मक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा जी20 ज्ञान एवं समाधान विनिमय मंच की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों पर केंद्रित स्वैच्छिक एवं लचीले वैश्विक मानकों को रेखांकित किया तथा समुद्री परिवहन के विकार्बनन में समानता और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने, तथा विकासशील देशों के लिए कार्यान्वयन के साधन स्पष्टता के साथ परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

(ii) ब्रिक्स पर्यावरण:

वर्ष 2025 के लिए ब्राज़ील की अध्यक्षता में, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास पर संपर्क समूह (सीजीसीसीएसडी) ने जलवायु-वित्त ढाँचे, जलवायु प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार–जलवायु समन्वय तथा कार्बन उत्सर्जन के आकलन के लिए साझा सिद्धांतों पर विचार किया; जबकि पर्यावरण कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) ने मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं सूखा (डीएलडीडी), प्लास्टिक प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन/मूल्यांकन तथा जलवायु परिवर्तन के साथ उनके समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया।

3 अप्रैल 2025 को आयोजित 11वीं ईडब्ल्यूजी मंत्रिस्तरीय बैठक में (जिससे पूर्व 2 अप्रैल 2025 को तकनीकी बैठक तथा 1 अप्रैल 2025 को सीजीसीसीएसडी की बैठक आयोजित हुई), अपर सचिव श्री अमनदीप गर्ग के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं सूखा (डीएलडीडी), प्लास्टिक तथा पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन से संबंधित चर्चाओं का स्वागत किया। साथ ही, प्लास्टिक को जलवायु परिवर्तन/ जैव-विविधता ह्रास से जोड़ने वाले मूलपाठ तथा उत्पादन सीमा से संबंधित प्रस्तावों का विरोध किया और यूएनईए-5/14 ढाँचे को पुनः दोहराया। भारत के वैकल्पिक मूलपाठ को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास लक्ष्य 12 और 14 को प्रमुखता दी गई। भारत ने ब्रिक्स व्यापार-जलवायु प्रयोगशाला और जलवायु-वित्त ढांचे के लिए समय से पहले के प्रस्तावों के खिलाफ चेतावनी दी।

सीजीसीसीएसडी की ओपन एंडड बैठक और तीसरी उच्च स्तरीय बैठक 27-28 मई 2025 को ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। अपर सचिव श्री वीर विक्रम यादव ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र ने सीबीडीआर (सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व) की पुष्टि की, विकसित देशों से कार्यान्वयन के साधन उपलब्ध कराने का आह्वान किया और लचीलापन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत विकास पर जोर दिया।

(iii) शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ):

चीन की अध्यक्षता में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में 2025 को "सतत विकास वर्ष" के रूप में प्रस्तावित किया गया; और हरित, सतत एवं कम उत्सर्जन विकास के लिए सहयोग का आह्वान किया गया। 3 जुलाई 2025 को आयोजित की गई एससीओ पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में, आर्थिक सलाहकार सुश्री राजश्री राय के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। भारत ने समानता और सीबीडीआरसी पर जोर दिया, मिशन लाइफ, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने एवं उत्सर्जन में कमी लाने की उपलब्धियों को उजागर किया; वैश्विक सहयोग, जलवायु न्याय और विकासशील देशों के लिए उचित समर्थन का आह्वान किया। "सतत विकास के लिए सहयोग को मजबूत करने हेतु एससीओ सदस्य देशों की पहल" और संयुक्त वक्तव्य को अपनाया।

(iv) दक्षिण एशिया सहयोगात्मक पर्यावरण कार्यक्रम (सेसैप):

26 जून 2024 को भूटान के थिम्फू में आयोजित की सेसैप की 16वीं शासी परिषद। इसने 1981 के संघ उपविधानों (एओए) को समकालीन क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने हेतु अद्यतन किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इस जनादेश के अनुसरण में, भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने 2-5 सितंबर 2025 को आयोजित एओए समीक्षा कार्यशाला में आभासी रूप से (हाइब्रिड/बैंकॉक) भाग लिया। इस कार्यशाला में सदस्य देशों को वितरित करने के लिए समझौते का अंतिम मसौदा एओए तैयार किया गया, ताकि अगली जीसी में इसे अपनाने के लिए तैयार किया जा सके।

(v) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए):

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए): संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए-7) का सातवां सत्र 8-12 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया।

यह सत्र केन्या के नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के मुख्यालय में हुआ। इसका विषय, "एक अनुकूल ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना", जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण जैसी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर बल देता है।

आईसी डिवीजन ने वन्य अग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ करने के संबंध में भारत के प्रस्ताव का समन्वय किया, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अग्नि प्रबंधन, प्रौद्योगिकी सहयोग और अग्नि प्रभावित भूदृश्यों के पुनर्स्थापन पर विशेष बल दिया गया था। यूएनईए-7 में यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक पारित हो गया, जो वन्य अग्नि प्रबंधन पर भारत के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि है।

ग. महत्वपूर्ण द्विपक्षीय गतिविधियाँ

आईसी प्रभाग ने चक्रीय अर्थव्यवस्था और जलवायु कार्रवाई सहित पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित कीं।

स्वीडन

17 जनवरी 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव (ईएफसीसी) श्री तन्मय कुमार ने जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री के राज्य सचिव श्री डैनियल वेस्टलेन से भेंट की, जिसमें जलवायु वार्ताओं, लीडआईटी के अंतर्गत सहयोग तथा वैश्विक प्लास्टिक संधि पर चल रही वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

नॉर्वे

13 फरवरी 2025 को नॉर्वे की राजदूत, महामहिम सुश्री मे-एलिन स्टेनर ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव (ईएफसीसी) श्री तन्मय कुमार से भेंट की। इसके तहत, पर्यावरण सहयोग को और सुदृढ़ करने के प्राथमिक क्षेत्रों तथा प्रस्तावित भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से जुड़े समन्वय पर चर्चा की गई।

नीदरलैंड

14 फरवरी 2025 को, श्री तन्मय कुमार, सचिव (ईएफसीसी) ने कॉप29 के परिणामों की समीक्षा करने और पर्यावरण एवं जलवायु पर भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी में अगले कदमों का पता लगाने के लिए नीदरलैंड की राजदूत सुश्री मारिसा जेरार्ड्स से मुलाकात की।

यूरोपीय संघ (ईयू)

28 फरवरी 2025 को, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने ईयू आयुक्त सुश्री जेसिका रोज़वाल और श्री वोपके होकेस्ट्रा से मुलाकात की। चर्चा का केंद्र बिंदु आरईसीईआईसी (संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन) के तहत सहयोग, प्लास्टिक पर आईएनसी प्रक्रिया और ईपीआर (विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व) कार्यान्वयन था। इससे चक्रीय अर्थव्यवस्था और जलवायु कार्रवाई पर भारत-ईयू सहयोग को मजबूती मिली।

गुयाना

5 मार्च 2025 को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने महामहिम से शिष्टाचार भेंट की। गुयाना के प्रधानमंत्री, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मार्क फिलिप्स, कॉप29 के परिणामों के संदर्भ में आरईसीईआईसी, सतत वन प्रबंधन और सीडीआरआई (आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन) पर सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएंगे।

नेपाल

7 मार्च 2025 को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने महामहिम श्री ऐन बहादुर शाही ठाकुरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री से भेंट की, जिसमें बाघ संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन (आईबीसीए), मिशन लाइफ तथा व्यापक जैव-विविधता सहयोग पर चर्चा की गई।

जर्मनी

11 मार्च 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव (ईएफसीसी) श्री तन्मय कुमार ने जर्मनी के राजदूत महामहिम डॉ. फिलिप एकरमैन से भेंट की और मिशन लाइफ पर सहयोग तथा भारत–जर्मनी पर्यावरण मंच (आईजीईएफ) की तैयारियों की समीक्षा की। 1 अक्टूबर

2025 को, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बीएमयूकेएन के राज्य सचिव श्री जोचेन फ्लैसबार्थ से मुलाकात की और भारत-जर्मनी सहयोग तंत्र जैसे कि भारत-जर्मनी पर्यावरण मंच (आईजीईएफ), अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (आईकेआई) और जीआईजेड पहलों पर चर्चा की।

स्विट्ज़रलैंड

8 मई 2025 को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने स्विट्ज़रलैंड की राजदूत महामहिम श्रीमती माया टिसाफी से भेंट की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

ब्राज़ील

14 मई 2025 को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ब्राज़ील के लिए भारत के नामित राजदूत श्री दिनेश भाटिया से भेंट की। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, कॉप30, लीडआईटी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आरईसीईआईसी तथा व्यापक सतत विकास सहयोग पर भावी दृष्टिकोण से विचार-विमर्श किया गया।

डेनमार्क

9 जून 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव (ईईएफ़सी) श्री तन्मय कुमार ने डेनमार्क के राजदूत महामहिम श्री रासमुस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन से भेंट की और द्विपक्षीय पर्यावरण एजेंडा के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रों की समीक्षा की।

भूटान

27 जून 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव (ईईएफसी) श्री तन्मय कुमार ने भूटान में भारत के राजदूत श्री सुधाकर दलेला से भेंट की, जिसमें भारत–भूटान के बीच चल रहे पर्यावरण सहयोग की समीक्षा की गई तथा अनुवर्ती कार्रवाई के क्षेत्रों की पहचान की गई।

जापान (जेआईसीए इंडिया)

22 जुलाई 2025 को, सचिव (ईएफसीसी) श्री तन्मय कुमार ने जेआईसीए इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि श्री ताकुरो ताकेउची और विकास संचालन प्रमुख श्री विनीत एस. सरीन का स्वागत किया, ताकि वानिकी क्षेत्र में सहयोग सहित भारत-जापान सहयोग को बढ़ाया जा सके।

घ. संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें:

कार्य योजनाओं की समीक्षा करने और प्राथमिकता वाले विषयों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें आयोजित की गईं:

स्वीडन

भारत-स्वीडन के बीच पर्यावरण पर आयोजित तीसरे संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूसी) की बैठक 17 जनवरी 2025 को इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में हुई, जिसमें मिशन लाइफ, जैव विविधता और वनाग्नि प्रबंधन पर सहयोग की समीक्षा की गई, साथ ही दोनों पक्षों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए संबंधित क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई।

नॉर्वे

पर्यावरण पर 11वें भारत-नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की बैठक 10 सितंबर 2025 को पर्यावरण क्षेत्र में संस्थागत सहयोग और शासन संबंधी मामलों, अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और कार्बन बाजारो और जैव विविधता पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें सीबीडी के तहत राष्ट्रीयजैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) में अद्यतन भी शामिल थे।

स्विट्ज़रलैंड

पर्यावरण पर चौथा भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त कार्य समूह सम्मेलन 22 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान, दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से, भारत में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के तकनीकी सहयोग, भारत की जलवायु नीति प्राथमिकताओं में हाल के घटनाक्रम और स्विस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रणनीति 2025-28 पर समीक्षा और चर्चा की गई।

ड. समझौता ज्ञापन (एमओयू) / आशय घोषणा पत्र (डी ओ आई)

फ्रांस

भारत और फ्रांस ने 12 फरवरी 2025 को पेरिस में पर्यावरण और जलवायु सहयोग पर आशय पत्र (ड ओ एआई) पर हस्ताक्षर किए और जलवायु कार्रवाई, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण (प्लास्टिक सहित), जैव विविधता संरक्षण, सतत वानिकी और अनुकूलन / जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। सूचना विभाग नीतिगत संवाद, तकनीकी आदान-प्रदान और प्रायोगिक प्रदर्शनों के लिए एक परिणाम-उन्मुख ढांचा प्रदान करता है, जिसे दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत वार्षिक कार्य योजनाओं और नामित केंद्र बिंदु के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

जापान

भारत और जापान के बीच पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर 28 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के तहत जापान के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था और ईपीआर, समुद्री कचरा और अपशिष्ट प्रबंधन, वायु और जल गुणवत्ता सुधार, प्रकृति-आधारित समाधान, जैव विविधता और सतत वन प्रबंधन और जलवायु शमन/अनुकूलन सहित प्रौद्योगिकी सहयोग और क्षमता निर्माण पर संरचित सहयोग स्थापित किया गया है।

स्विट्जरलैंड

भारत और स्विट्जरलैंड ने 22 सितंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। यह समझौता ज्ञापन जलवायु नीति संवाद, अनुकूलन और लचीलापन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, न्यायसंगत और संसाधन-कुशल परिवर्तन और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप ज्ञान साझाकरण पर सहयोग करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इस नवीनीकरण से तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और संयुक्त अध्ययन जारी रखने में मदद मिलेगी, जिसका कार्यान्वयन एक केंद्रित कार्य योजना द्वारा निर्देशित होगा और स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

विशेष आयोजन

30 अक्टूबर 2025 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में यूरोपीय मीडिया का परिचयात्मक दौरा। विदेश मंत्रालय द्वारा समन्वित परिचयात्मक वार्ता के लिए 20 यूरोपीय देशों के मीडियाकर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का दौरा किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री तन्मय कुमार ने ब्रीफिंग की अध्यक्षता की और संयुक्त सचिव श्री नीलेश शाह ने मंत्रालय की ओर से प्रस्तुति दी, जिसमें प्रमुख पहलों और मिशनों (चक्रीय अर्थव्यवस्था, लाइफ, जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई सहित) को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद, विदेशी मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य व्यापक संपर्क स्थापित करना, भारत की पर्यावरणीय प्राथमिकताओं और सुधारों की बेहतर समझ विकसित करना और संक्षिप्त विवरणों और आधिकारिक संसाधनों के माध्यम से निरंतर सूचना साझाकरण के लिए मंच तैयार करना था।

च. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (ईएपी)

(i) ईपीपीआर (प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट)

बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की जांच और प्रक्रिया आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा की जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित प्रस्तावों पर संबंधित प्रभागो से प्राप्त अभिमत। टिप्पणियों का संकलन आईसी प्रभाग द्वारा किया जाता है तथा मंत्रालय की समेकित स्थिति - जिसमें टिप्पणियाँ । अभिमत तथा जहाँ उपयुक्त हो, अनापत्ति – डीईए के ईपीपीआर पोर्टल (eadea.gov.in/PPR) के माध्यम से प्रेषित की जाती है।

विभाग द्वारा निम्नलिखित पीपीआर की समीक्षा की गई:

- पीपीआर 12145- "भारतीय वस्त्र क्षेत्र में पुनर्चक्रण से परे चक्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडलों का समर्थन करना
- पीपीआर 12488- "कृषि क्षेत्र के लिए ग्रीन टैगिंग फ्रेमवर्क पर सहयोग"
- पीपीआर 12311- "भारत में अनुकूलन बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त नवाचार (सीएफएफआर)"
- पीपीआर 22571- "पीएम ई-बस सेवा योजना"

- पीपीआर 11553- "भारत के ईंट उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए बिना पकाए ईंटों के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी आधार तैयार करना"

- पीपीआर 22597- "बराक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण और पुनर्स्थापन"

- पीपीआर 22651- "जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- पीपीआर 22524- "मृदा का महत्व – मृदा स्वास्थ्य और कृषि पारिस्थितिकी के लिए नवाचार"

(ii) जीईएफ (वैश्विक पर्यावरण सुविधा)

रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर 1992 में स्थापित जीईएफ, 186 देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय बैंकों और नागरिक समाज संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है, जो प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करती है।। जीईएफ 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए एक वित्तीय तंत्र है: संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन (यूएनसीबीडी), मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), मर्करी पर मिनामाता सम्मेलन और स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर स्टॉकहोम सम्मेलन ।

भारत जीईएफ का संस्थापक सदस्य है, और भारत जीईएफ निधि का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है। भारत, जीईएफ परिषद में जीईएफ दक्षिण एशिया निर्वाचन क्षेत्र (जिसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं) का प्रतिनिधित्व करता है। आर्थिक कार्य विभाग जीईएफ का नामित राजनीतिक केंद्र बिंदु है, जो जीईएफ के शासन से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें नीतियाँ और निर्णय, साथ ही सदस्य देशों और जीईएफ परिषद और सभा के बीच संबंध शामिल हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जीईएफ की गतिविधियों के परिचालन संबंधी पहलुओं से संबंधित नामित जीईएफ परिचालन केंद्र बिंदु के रूप में नियुक्त किया गया है।

जीईएफ़ सशक्त समिति, जिसकी अध्यक्षता सचिव पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन करते है, कार्यक्रम निर्धारण के लिए राष्ट्रीय प्रधामिक्ताओं का निर्धारण करती है, परियोजनाएँ | गतिविधियों अनुमोदन करती है और उनकी प्रगति की निगरानी करती है।

जीईएफ-8 चक्र (जुलाई 2022 से जून 2026) के तहत, भारत को स्टार आवंटन के तहत 89.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। भारत ने 22 परियोजनाओं को मंजूरी देकर 89.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन का पूरी तरह से उपयोग किया है: स्टार के अंतर्गत 10 परियोजनाएँ, सहायक गतिविधियों के अंतर्गत 3 परियोजनाएँ, जीबीएफएफ के अंतर्गत 3 परियोजनाएँ और नॉन-स्टार परियोजनाओं के अंतर्गत 6 परियोजनाएँ। जीईएफ परिषद की 69वीं बैठक जून 2025 में हुई। जीईएफ-9 पुनर्भरण चक्र (जुलाई 2026 - जून 2030) वर्तमान में चल रहा है और जून 2026 तक इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, आईसी डिवीजन लघु अनुदान कार्यक्रम (एसजीपी) परियोजना के सातवें चरण को लागू कर रहा है, जिसके तहत यूएनडीपी और टीईआरआई के समर्थन से गैर सरकारी संगठनों / नागरिक समाज संगठनों को 61 परियोजनाएँ प्रदान की गई हैं। जीईएफ एसजीपी-ओपी7 की छठी राष्ट्रीय परियोजना संचालन समिति (एनपीएससी) की बैठक 25 जुलाई 2025 को मुंबई के सन-एन-सैंड होटल स्थित एंकर हॉल में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता अपर सचिव और एनपीएससी के अध्यक्ष श्री नरेश पाल गंगवार ने की। समिति ने उपलब्धियाँ (59 सामुदायिक अनुदान, 2 ज्ञान अनुदान, 10 विस्तार अनुदान) सहित ओपी7 की प्रगति की समीक्षा की, ओपी8 के लिए मसौदा देश कार्यक्रम रणनीति (सीपीएस) पर चर्चा की और 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी।

नॉर्वे और भारत के बीच 10 सितंबर 2025 को होने वाली संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक।

समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण के बाद भारत और स्विट्जरलैंड के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया।

20 यूरोपीय देशों के पत्रकारों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का परिचयात्मक दौरा। बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने की (विशेष कार्यक्रम)।

माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जी20 पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक में विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ भाग लिया (अक्टूबर 2025) (बहुपक्षीय)।

छठी राष्ट्रीय परियोजना संचालन समिति (एनपीएससी) — जीईएफ एसजीपी-ओपी7 (25 जुलाई 2025, एंकर हॉल, सन-एन-सैंड होटल, मुंबई) (जीईएफ)

9.2 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

क. संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य और कार्य

संक्षिप्त परिचय: मंत्रालय का बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना प्रभाग राज्य सरकारों, दाता एजेंसियों जैसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका), फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफ़डी), जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जीआईज़ेड), क्रेडिटानस्टाल्ट फ्यूर वीडरआउफ़बाउ (केएफ़डब्ल्यू), विश्व बैंक आदि तथा भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय आदि के साथ समन्वय में वानिकी से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रशासन करता है।

इन वानिकी परियोजनाओं के व्यापक उद्देश्य हैं - वन आवरण में वृद्धि, जैव-विविधता का संरक्षण, अवक्रमित वन क्षेत्रों का पुनर्वास, मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन, कृषि-वानिकी घटक को बढ़ावा देना, वन अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण, वन सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामवासियों के लिए आय एवं आजीविका के अवसरों का सृजन, वनों एवं उनके संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु अन्य उपाय अपनाना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सतत आजीविका को सुनिश्चित करना।

वर्तमान में, 13 राज्यों में वानिकी क्षेत्र में 18 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ चल रही हैं, जिनका परिव्यय 1000 करोड़ रुपये से अधिक है और जिनकी समयसीमा 2033 तक फैली हुई है। इन परियोजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना की अवधि	लाभार्थी राज्य	दाता एजेंसी
1	असम वन एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना (चरण- □□)	2019- 2025	असम	एएफडी
2	राजस्थान वन एवं जैव विविधता विकास परियोजना	2023-2031	राजस्थान	एएफडी
3	पंजाब जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण परियोजना	2025-2033	पंजाब	जेआईसीए
4	उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना	2014 से 2026	उत्तराखंड	जेआईसीए
5	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना	2018-2028	हिमाचल प्रदेश	जेआईसीए
6	ओडिशा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना चरण- □□	2017-2027	ओड़िशा	जेआईसीए
7	नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना	2018-2028	नागालैंड	जेआईसीए
8	त्रिपुरा में सतत वन एवं जलग्रहण प्रबंधन	2018-2028	त्रिपुरा	जेआईसीए
9	मेघालय में समुदाय आधारित वन प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना	2020-2030	मेघालय	जेआईसीए
10	तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया हेतु जैव विविधता संरक्षण एवं हरियाली परियोजना	2022-2030	तमिलनाडु	जेआईसीए

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना की अवधि	लाभार्थी राज्य	दाता एजेंसी
11	गुजरात पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन परियोजना	2020-2028	गुजरात	जेआईसीए
12	पश्चिम बंगाल जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया हेतु वन एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना	2023-2031	पश्चिम बंगाल	जेआईसीए
13	राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना	2024-2033	राजस्थान	जेआईसीए
14	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु-प्रतिरोध परियोजना	2016-2026	हिमाचल प्रदेश	केएफडब्ल्यू
15	मणिपुर में जल संसाधन संरक्षण हेतु समुदाय आधारित सतत वन प्रबंधन (□□□□□□)	2018-2026	मणिपुर	केएफडब्ल्यू
16	वनों का जलवायु-लचीलापन त्रिपुरा में वन-आश्रित समुदायों के पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और अनुकूलन क्षमता	2020-2027	त्रिपुरा	केएफडब्ल्यू
17	नागालैंड (हिमालय) में वन और जैव विविधता प्रबंधन	2019-2027	नागालैंड	केएफडब्ल्यू
18	मेघालय में संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण	2022-2029	मेघालय	केएफडब्ल्यू

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण कार्यकलाप

- असम वन एवं जैव विविधता संरक्षण चरण II परियोजना के अंतर्गत "इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप" के तहत 22.05.2025 को गुवाहाटी में आयोजित ज्ञान साझाकरण कार्यशाला और इसी परियोजना के अंतर्गत नामेरी टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व में किए गए कार्यों का फील्ड दौरा।

- समय-समय पर डीईए द्वारा आयोजित त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकों और स्क्रीनिंग समिति की बैठकों में परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है।

- 31.10.2025 को नई दिल्ली में जेआईसीए द्वारा एआई और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ वन संरक्षण को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय भागीदारी मंच का आयोजन किया गया।

- वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र के लिए जेआईसीए द्वारा 14वीं परियोजना निदेशकों की बैठक 07.11.2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

- एएफडी द्वारा 10.11.2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-फ्रांस जैव विविधता वार्ता।

- वन संबंधी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पीपीआर और डीपीआर की समीक्षा की।

ग. प्रगति / नवाचार

हितधारकों के लाभ हेतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना "वन पारितंत्र सेवाओं का सतत प्रबंधन" के पूर्ण होने पर 10 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में जीआईज़ेड के सहयोग से एक प्रसार (डिसेमिनेशन) कार्यशाला का आयोजन किया गया।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

क. पंजाब जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण परियोजना के लिए जेआईसीए के साथ चर्चा के कार्यवृत्त (एमओडी) पर 15.01.2025 को सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए।

ख. 11.05.2025 को देहरादून में "लिंग संवेदनशील वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और कृषि वानिकी को मजबूत करना" परियोजना के लिए संचालन योजना कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ग. जेआईसीए द्वारा वित्तपोषित ईएपी परियोजना "पंजाब जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना" के लिए डीपीआर की समीक्षा की और सिफारिश की।

घ. पंजाब सरकार और जेआईसीए के बीच 27.03.2025 को "पंजाब जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना" के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ड. "लैंगिक-संवेदनशील वन पारितंत्र प्रबंधन एवं कृषि-वानिकी को सुदृढ़ बनाना" विषय पर बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए डीईए की स्क्रीनिंग समिति की मंजूरी, जिसे जर्मनी गणराज्य (बीएमजेड) की ओर से जीआईजेड इंडिया द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ब्रिटेन की राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

च. विशेष अभियान 5.0 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

अध्याय 10

अनुसंधान

10.1 पर्यावरण में अनुसंधान

1. पर्यावरण अनुसंधान प्रभाग

(क) पर्यावरण अनुसंधान प्रभाग का परिचय, उद्देश्य और कार्य:

मंत्रालय के अंतर्गत पर्यावरण अनुसंधान (आरई) विभाग, पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम (ईआरडीपी) के लिए उत्तरदायी है। ईआरडीपी, मंत्रालय की व्यापक योजना "पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास" (ईईएआरएसडी) का एक घटक है।

अनुसंधान एवं शोध विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए, चिन्हित समस्या क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं और उनके निष्कर्षों का डेटाबेस तैयार करना।

- नीतियों, रणनीतियों, कार्य योजनाओं का विकास करने और ऐसे परिणामों को मंत्रालय की चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों में एकीकृत करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों से सूचना और ज्ञान उत्पन्न करना।

(ख) निष्पादित गतिविधियाँ:

- तकनीकी-सह-वित्तीय मूल्यांकन समिति (टीएफएसी) की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

- संचालन समिति (एससी) की 02 बैठकें आयोजित की गईं।

- 31.03.2026 के बाद योजना को जारी रखने के लिए ईआरडीपी का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया।

- योजना का ईएफसी तैयार किया गया।

- चालू परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने संबंधी मामलों पर कार्रवाई की गई।

(ग) प्रगति / नवाचार:

- बढ़ती पर्यावरणीय आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप, ईआरडीपी में नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों / कमियों की पहचान की गई।

(घ) महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ:

- चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान, अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए अब तक 03 टीएफएसी और 02 एससी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

- विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान संस्थानों / विश्वविद्यालयों को 14 नई अनुसंधान परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

- योजना को 31.03.2026 से बढ़ाकर 31.03.2031 तक जारी रखने के लिए ईआरडीपी का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया।

- योजना का मसौदा ईएफसी तैयार किया।

2. पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम (ईआरडीपी)

क. पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम (ईआरडीपी) का परिचय, उद्देश्य और कार्य:

- ईआरडीपी, "पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास" योजना (पूर्व में "पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली") के संशोधित संस्करण का हिस्सा है। इसका उद्देश्य मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात किये गए प्रमुख क्षेत्रों में पर्यावरण अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसमें प्रतिष्ठित संस्थान, सरकार द्वारा वित्त पोषित निकाय और पेशेवर संगठन शामिल हैं, जो मंत्रालय की पहलों में नीति और योजना के लिए निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

- ईआरडीपी देश के उन सभी संस्थानों के लिए खुला है, जो अभिज्ञात विषयगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं, ताकि वे मंत्रालय के "पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक

संसाधनों के संरक्षण" का उद्देश्य पूरा करने में मंत्रालय की प्राथमिकता और/या तात्कालिकता के विशिष्ट क्षेत्रों पर विशिष्ट परियोजनाएँ शुरू कर सकें। इस योजना के तहत ऐसी धनराशि प्राप्त करने वाले संस्थानों को परियोजना की अवधि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

- ईआरडीपी पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करके, संरक्षण को बढ़ावा देकर, उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता का सृजन करके और निर्णय लेने एवं अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के लिए आँकड़े जारी करके मंत्रालय की नीति और योजना का समर्थन करता है। यह मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को वित्त पोषित करता है और निम्नलिखित प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए डेटाबेस का प्रबंधन करता है:

  i. जैव विविधता संरक्षण, जिसमें विदेशी और आक्रामक प्रजातियों के मुद्दे और मानव-वन्यजीव अंतर्संबंध शामिल हैं।

  ii. पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण एवं प्रबंधन (पर्वतीय, वन, तटीय, आर्द्रभूमि, पेस्टोरल आदि) और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन।

  iii. पर्यावरण और संधारणीय विकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दे।

  iv. भूदृश्यों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन, जिसमें संधारणीय आजीविका के मुद्दे भी शामिल हैं।

  v. प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन।

  vi. जलवायु परिवर्तन: भेद्यता एवं जोखिम मूल्यांकन, प्रक्रिया, शमन और अनुकूलन।

  vii. प्रदूषण निवारण - स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और प्रक्रियाएँ, स्वच्छ उत्पादन, 3आर, संसाधन दक्षता, अपशिष्ट न्यूनीकरण और प्रबंधन आदि।

  viii. देश के प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वन, आर्द्रभूमि, हिमनद आदि की सूची तैयार करने, उनका आकलन करने और उनकी निगरानी करने तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग।

  ix. वर्गीकरण।

ख. ईआरडीपी के प्रमुख उद्देश्य:

देश के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की समझ बढ़ाने और संधारणीय विकास के व्यापक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन हेतु रणनीतियां और समाधान तैयार करने के उद्देश्य से जनहित में पर्यावरण अनुसंधान की योजना बनाना, उसका समर्थन करना और समन्वय करना।

ग. प्रगति / उपलब्धियाँ

- वर्ष 2021 में योजना के पुनर्गठन के बाद से ईआरडीपी के तहत कुल 34 अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया है।

- ईआरडीपी के तहत वर्ष 2025 में कुल 14 नई अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

3. गैर - सरकारी संगठनों सहित संस्थानों/संगठनों को जारी की गई अनुदान सहायता

क्रम संख्या	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि	तृतीय पक्ष मूल्यांकन की स्थिति
1.	मेप्को श्लेंक इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवकाशी	इमारतों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए एनआईआर प्रकाश परावर्तित नैनो कम्पोजिट प्लास्टरिंग मोर्टार/कोटिंग	₹6,33,470/-	पूर्ण
2.	राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	एकीकृत तरीकों के माध्यम से जलवायु-अनुकूल गुणों की पहचान हेतु आनुवंशिक और जीनोमिक संसाधनों के विकास के लिए जंगली ब्रैसिका प्रजातियों का अन्वेषण, संरक्षण एवं विशेषता-निर्धारण।	₹28,40,268/-	पूर्ण
3.	प्राणीशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय	भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के अधिक-ऊँचाई पर स्थित गर्म जलस्रोतों से थर्मोज़ाइम्स की एकीकृत पारिस्थितिक प्रोफाइलिंग एवं पृथक्करण। सीक्कोड (SeqCode) वर्गीकरण के साथ एक संवर्धनीय और गैर-संवर्धनीय दृष्टिकोण।	₹1,62,000/-	पूर्ण
4.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	पशुओं के मल से संश्लेषित नवीन रंग एवं उद्योग में उनके अनुप्रयोग	₹16,30,224/-	पूर्ण
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	अपशिष्ट जल शोधन के लिए संयुक्त निर्मित आर्द्रभूमि में जैवविद्युत उत्पादन की व्यवहार्यता का आकलन और सब्सट्रेट का अनुकूलन	₹40,49,296/-	पूर्ण
6.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	उत्तर पूर्वी भारत में ताकिन (बुडोरकास टैक्सिकोलर) के संरक्षण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण: प्रजातियों की पारिस्थितिकी और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को जोड़ना	₹ 10,40,480/-	पूर्ण
7.	विद्यासागर कॉलेज, कोलकाता	ज़िजेंटोमा (थिनसुरा) एप्टेरिगोटा पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना: इन्सेक्टा।	₹16,59,600/-	पूर्ण
8.	सामाजिक सांस्कृतिक विकास केंद्र, हाजीपुर	उड़ीसा के पुरी जिले में ग्रामीण उपयोग के लिए ऊर्जा से भरपूर और धुआं रहित खाना पकाने के ईंधन के रूप में कच्चे नारियल के कचरे को बायोकोल में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास।	₹ 9,60,510/-	पूर्ण

क्रम संख्या	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि	तृतीय पक्ष मूल्यांकन की स्थिति
9.	मेप्को श्लेंक इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु	ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों के लिए एरेका/एपॉक्सी कंपोज़िट की अग्नि-प्रतिरोधकता तथा यांत्रिक प्रदर्शन में सुधार।	₹ 9,54,000/-	पूर्ण
10.	सामाजिक-सांस्कृतिक विकास केंद्र, उड़ीसा	"उड़ीसा के पुरी जिले में ग्रामीण उपयोग के लिए ऊर्जा से भरपूर और धुआं रहित खाना पकाने के ईंधन के रूप में कच्चे नारियल के कचरे को बायोकोल में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास।	₹30,45,600/-	पूर्ण
11.	एशियाई शैक्षणिक संस्थान, पटियाला	हाइमेनोप्टेरा: उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिमालय से पाई जाने वाली एपोइडिया, भाग-1 मेलिपोनिने (बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ), बॉम्बिने (भौंरा मधुमक्खियाँ) और ज़ाइलोकोपिने (कारपेंटर मधुमक्खियाँ)	₹ 4,09,960/-	पूर्ण

10.2 हिमालयी अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएचएस)

1. सीएस-आई (पर्वतीय) प्रभाग

भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और समुदायों के लिए संधारणीय आजीविका विकल्प सुनिश्चित करने के मुद्दों पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक संगठनों के साथ प्रभावी नेटवर्किंग/सहयोग के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सीएस-आई (पर्वतीय) प्रभाग की स्थापना की गई है। इस प्रभाग के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

i. गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई) के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यकलापों (प्रशासनिक / स्थापना संबंधी मामलों) का समन्वय करना।

ii. राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) के सफल कार्यान्वयन के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की निगरानी करना, साथ ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाहकार समूह (एसटीएजी) / संचालन समिति (एससी) के मार्गदर्शन में परामर्श / समीक्षा बैठकों का आयोजन करना।

iii. भारत में अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) के कार्यकलापों के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित करना और साथ ही पर्यावरण एवं आर्थिक समन्वय मंत्रालय के जनादेश के अनुरूप आईसीआईएमओडी की रणनीति और कार्य योजनाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करना; भारत में उनके कार्यों की निगरानी के लिए परामर्श आयोजित करना।

2. हिमालयी अध्ययन संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएचएस)

क. उद्देश्य:

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के साथ-साथ मांग आधारित क्रियात्मक अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान का भंडार तैयार करना;

- हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले तकनीकी नवाचारों को मजबूत करना ताकि स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिक, जल और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके;

- विषयगत क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान पर कार्य कर रहे नीति-निर्माताओं और प्रैक्टिशनरों (व्यक्तियों एवं संस्थानों) के नेटवर्क के माध्यम से विज्ञान–नीति–व्यवहार के बीच एक सेतु स्थापित करना।

- प्राथमिकता वाले विषयगत क्षेत्रों में समस्याओं के लिए व्यावहारिक / लागू करने योग्य / प्रतिकृति योग्य समाधानों को प्रदर्शित करना।

ख. गतिविधियाँ:

- एनएमएचएस की प्रगति की समीक्षा तथा नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 13वीं संचालन समिति (एससी) की बैठक 29 जनवरी 2025 को तथा 14वीं संचालन समिति की बैठक 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई।

- 26वीं वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार समूह (एसटीएजी) की बैठकें चरणबद्ध तरीके से 23 और 30 दिसंबर 2024 और 13 जनवरी 2025 को आयोजित की गईं। एसटीएजी की 27वीं बैठकें 08 और 30 अगस्त 2025 को आयोजित की गईं। इन बैठकों की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की। ताकि नई परियोजनाओं का आकलन और अनुशंसा की जाए और साथ ही NMHS की प्रगति और गतिविधियों की समीक्षा की जाए।

- नौवीं निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) कार्यशाला का आयोजन 6-7 नवंबर, 2025 को किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, आमंत्रित अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित सदस्यों के मार्गदर्शन में, विषय-विशेषज्ञों ने दो तकनीकी सत्रों में एनएमएचएस-समर्थित 31 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया।

ग. प्रगति / उपलब्धियाँ:

- अरुणाचल प्रदेश में किसानों को सलाह देने और कृषि डेटा प्रबंधन के लिए " अरुण किसान - अरुणाचल कृषि में एक डिजिटल क्रांति " नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया।

- सीएईपीएचटी-सिक्किम में एक " माइक्रोप्लास्टिक विश्लेषण प्रयोगशाला " की स्थापना की गई, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दिया गया और सिक्किम में उपकरणों की खरीद की गई।

- हिमाचल प्रदेश में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सूक्ष्म-प्रदर्शन इकाइयाँ (13 सुविधाएँ) कार्यरत हैं, जिनमें कम्पोस्टर, श्रेडर, बेलिंग मशीन, एमआरएफ शामिल हैं।

- उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे को ग्राफीन में परिवर्तित करने, सूक्ष्मजीव अपशिष्ट शोधन और सूक्ष्मजीव इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया गया।

- ब्यास बेसिन के लिए आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली (डब्ल्यूआरएफ-आधारित पूर्वानुमान + डीएसएस डैशबोर्ड) का प्रोटोटाइप विकसित किया गया।

- जलवायु डेटा विश्लेषण के लिए गूगल अर्थ इंजन (जीईई) ऐप विकसित किया गया।

- रासायनिक अवक्षेपण + इलेक्ट्रोकोएगुलेशन + उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया + ओजोनेशन को मिलाकर 200 एलपीडी हाइब्रिड लीचेट शोधन प्रोटोटाइप विकसित किया गया।

- कॉपीराइट प्रदान किए गए: "(1) धरोहर एमएसडब्ल्यू लीचेट के उपचार हेतु हाइब्रिड प्रक्रिया का

इंजीनियरिंग ड्रॉइंग (L-158710/2024), तथा (2) यंत्रीकृत पृथक्करण प्रणाली का इंजीनियरिंग ड्रॉइंग (संदर्भ: 025CR2024).

- हिमाचल प्रदेश में " पर्यावरण के अनुकूल, मिट्टी आधारित कोल्ड-मिक्स सड़क निर्माण खंडों " का निर्माण और मूल्यांकन किया गया। टनल-मक्क आधारित कोल्ड-मिक्स रोड सेक्शन में 7-8 किलोनाइट्रोजन की संधारणीयता हासिल की गई, जो हिमालयी सड़कों के लिए इसकी उपयुक्तता को प्रदर्शित करती है।

- अनुकूलित डीएनए निष्कर्षण और पीसीआर प्रोटोकॉल के साथ एक कार्यात्मक " आणविक प्रयोगशाला " की स्थापना की गई, जिसमें 100 प्रायोगिक निष्कर्षण पूरे किए गए और 50 डीएनए बारकोड तैयार किए गए। इसके साथ ही पूर्ण जनशक्ति भर्ती और बेसकैंप की स्थापना भी की गई।

- "14 वर्गीकरण समूहों के लिए जैव विविधता डेटा संकलन" कार्य पूरा किया और जिलावार स्थानिक वितरण मानचित्र तैयार किए;

- कवक, टेरिडोफाइट्स, शैवाल, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों, कीड़ों, उभयचरों, मोलस्क, नेमाटोड और वायरस सहित लगभग 19,500 से अधिक प्रजातियाँ दर्ज की गईं।

- चयनित 20 हिमालयी प्रजातियों की "आईयूसीएन रेड लिस्ट" का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया, जिसमें 6 संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान की गई और उत्तराखंड के 9 जिलों में व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर स्कूल-आधारित जैव विविधता जागरूकता कार्यक्रम (6,796 प्रतिभागी) पूरे किए गए।

- कुल मिलाकर, मिशन-एनएमएचएस के अंतर्गत ज्ञान उत्पाद निम्नलिखित हैं: सफलता की कहानियाँ (28), तकनीकी रिपोर्ट (15), नीतिगत संक्षिप्त विवरण (18),

- पुस्तकें/अध्याय (48), शोध लेख (567, IF 1220.652 सहित),

- अन्य प्रमुख प्रकाशनों में न्यूज़लेटर (11), फ्लायर्स (139), मैनुअल (23), बुलेटिन (17) शामिल हैं।

- आईएचआर के व्यापक डेटाबेस को अद्यतन किया गया है, जिसमें निम्न शामिल हैं: (i) 6407 झरनों की सूची का ऑनलाइन डेटाबेस; (ii) 14,683 वनस्पतियों और 31,705 जीव-जंतुओं की प्रजातियों का डेटाबेस; (iii) 265 भू-स्थानिक डेटाबेस; (iv) 1415 संकटग्रस्त वनस्पतियों और 1595 जीव-जंतुओं की प्रजातियों का डीएनए बारकोडिंग / आणविक प्रोफाइलिंग डेटाबेस; (v) 1,119 संरक्षित कृषि-जैव विविधता अभिगम, आदि।

गैर सरकारी संगठनों सहित संस्थानों / संगठनों को जारी की गई अनुदान सहायता (दिनांक 21.11.2025 तक):

क्रम संख्या	संगठन का नाम	उद्देश्य	जारी की गई कुल राशि	तृतीय पक्ष की स्थिति मूल्यांकन
1	जीबीपीएनआईएचई	जीबीपीएनआईएचई के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए	₹ 14.06 करोड़	लागू नहीं
2	जीबीपीएनआईएचई (एनएमएचएस गैर-योजना के कार्यान्वयन हेतु)	एनएमएचएस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए	₹ 6.08 करोड़	लागू नहीं

लद्दाख में घासभूमि निगरानी स्थल की स्थापना

संस्थान द्वारा "भारतीय हिमालयी क्षेत्र-2047" विषय पर तीन दिवसीय हिमालयी सम्मेलन का आयोजन किया गया।

10.3 जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनआईएचई)

क. उद्देश्य:

i. भारतीय हिमालयी क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्याओं पर गहन शोध और विकास अध्ययन करना;

ii. पर्यावरण के स्थानीय ज्ञान की पहचान और उसे मजबूत करना तथा क्षेत्रीय महत्व के शोध को मजबूत करने में योगदान देना; और

iii. स्थानीय धारणाओं के अनुरूप क्षेत्र के संधारणीय विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी पैकेज और वितरण प्रणालियों को विकसित करना और उनका प्रदर्शन करना।

ख. कार्यकलाप:

- संस्थान की 47वीं शासी निकाय की बैठक 30 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

- भारतीय हिमालयी क्षेत्र-2047 विषय पर तीन दिवसीय हिमालयी सम्मेलन: संधारणीय सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण' विषय पर एक कार्यक्रम 13 से 15 नवंबर 2025 के दौरान उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित कोसी-कटारमल में एनआईएचई मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की "विकसित भारत 2047" दृष्टि के अनुरूप 2047 तक भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करना था। इस आयोजन में 75 से अधिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया।

- चार नई आंतरिक परियोजनाएँ शुरू की गईं; इनमें शामिल हैं: (i) संधारणीय समाधानों के लिए बहु-अवलोकन कार्य ढांचे के बाद भारतीय हिमालयी क्षेत्र में भूमि गतिशीलता और जल सुरक्षा की जांच, (ii) भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जलवायु-संवेदनशील बेसिनों में अनुकूलनीयता निर्माण, (iii) भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए एकीकृत रणनीतियाँ, (iv) समुदाय-संचालित ब्लॉकचेन शासन मॉडल के माध्यम से भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सामाजिक-पारिस्थितिक सुरक्षा और संधारणीय जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

- वेटिवर घास (क्राइसोपोगोन ज़िज़ानियोइड्स) का उपयोग कर क्षतिग्रस्त भूमि के पुनर्स्थापन हेतु एक बहु-स्थानिक प्रयोग आरंभ किया गया, जिसमें हिमालयी परिस्थितियों में वेटिवर की अनुकूलन क्षमता एवं वृद्धि-प्रदर्शन का आकलन किया जा रहा है तथा स्प्रिंगशेड प्रबंधन, भूमि स्थिरीकरण और क्षतिग्रस्त भूमि के पुनर्स्थापन सहित इसके सहायक उपयोगों का विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में परीक्षण किया जा रहा है।

- 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत संस्थान द्वारा कुल 14 वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए गए, जिनमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ग. प्रगति / नवाचार:

- सामाजिक-पारिस्थितिक और भौगोलिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहिष्णु पांच ग्राम मॉडल विकसित किए गए।

- नुब्रा के चामसेन में एक सीबकथॉर्न प्रसंस्करण इकाई और लाहौल के जहलमा में एक प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को स्थायी ग्रामीण आजीविका के लिए सशक्त बनाया जा सके।

- हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लिए एरोसोल और प्रमुख परिवेशी वायु प्रदूषकों के डेटाबेस को मजबूत किया गया।

- कारगिल, लद्दाख में स्थित हिमनद और उच्च ऊंचाई वाली झीलों की सूची तैयार की गई है।

- आरईटी प्रजातियों के जर्मप्लाज़्म का संरक्षण किया गया (बेर्बेरिस एवं महोनिया की 5 प्रजातियों का अभयारण्य, > भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 100 से अधिक एक्सट्रीमोफ़ाइल सूक्ष्मजीव)।

- लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में संकटग्रस्त और उच्च मूल्य वाले पौधों के लिए बाह्य संरक्षण स्थल विकसित किए गए।

- लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और चिबरा गांव के ग्रामीणों के सहयोग से चिबरा गांव में खराब हो चुके घास के मैदानों की दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी और पुनर्वास स्थल स्थापित किया गया है।

- पेटेंट संख्या 572807 और आवेदन संख्या 202511020347 के तहत, भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से 'मल कीचड़ शोधन संयंत्रों (एफएसटीपीएस) से शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग करके हाइड्रोपोनिक खेती के लिए एक प्रणाली' नामक आविष्कार के लिए संस्थान को पेटेंट प्रदान किया गया है।

- विज्ञान के लिए दो नई ऑर्किड प्रजातियाँ दर्ज की गईं — (i) अरुणाचल प्रदेश सेफालानोप्सिस क्वाड्रिडेंटाटा तथा (ii) सिक्किम से गैस्ट्रोडिया इंडिका और अरुणाचल प्रदेश, भारत सेपेडिकुलारिसधुरेंसिस आर.आर. मिल और आइसोडोनाट्रोरुबर आर.ए. क्लेमेन नामक दो नई प्रविष्टियाँ भी प्रलेखित की गईं।

- संस्थान के पाँच विभिन्न हिमालयी राज्यों में स्थित छह ग्रामीण प्रौद्योगिकी केंद्रों (आरटीसी) के माध्यम से भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 31,000 से अधिक लाभार्थियों के लिए 750 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैव-कम्पोस्ट, एकीकृत खेती, हाइड्रोपोनिक, मशरूम आदि पर 30 से अधिक कम-लागत प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। वनाग्नि को कम करने तथा आजीविका सृजन के उद्देश्य से चीड़ की सुइयों (पत्तियों) पर आधारित 5 से अधिक उत्पाद (जैसे काग़ज़, बायो-ब्रिकेट, बायो-पेलेट आदि) विकसित किए गए तथा 10 से अधिक छोटे-स्तरीय प्राकृतिक संसाधन-आधारित उद्यमों को बढ़ावा दिया गया।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निरंतर के अंतर्गत आंतरिक और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत किया गया। वर्टिकल-IV तथा अन्य वर्टिकल्स के अंतर्गत 04 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ आरंभ की गईं और 04 परियोजनाएँ 'निरंतर' की तकनीकी वित्त समिति (टीएफ़सी) को प्रस्तुत की गईं। इसके अतिरिक्त, 03 परियोजनाएँ एनसीएससीएम तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्य संस्थानों के साथ विकास की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, आईएफएस अधिकारियों के लिए संयुक्त क्षेत्र भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

घ. उपलब्धियाँ:

- अरुणाचल प्रदेश के केयीपानियोर जिले के याचुली

और याजाली में स्थित 77 जलप्रपातों को जियोटैग किया गया है। यह भौगोलिक प्रलेखन जल स्रोतों के वितरण की स्थानिक समझ को बढ़ाता है और जल संसाधन संरक्षण के लिए भविष्य की योजना बनाने में सहायता करता है।

- भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 1025 टेरिडोफाइट प्रजातियों का एक क्षेत्रीय डेटाबेस विकसित किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक प्रजाति विविधता (590 प्रजातियाँ) और लद्दाख में सबसे कम (91 प्रजातियाँ) पाई गई है। यह 799 देशी, 99 संकटग्रस्त, 215 औषधीय और 12 स्थानिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो संकटग्रस्त और स्थानिक टेरिडोफाइट प्रजातियों की रक्षा के लिए लक्षित संरक्षण नीतियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है।

- पश्चिमी हिमालय में स्थित ग्लोरिया स्थल का पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसमें प्रजाति समृद्धि में 6.3% की वृद्धि, वनस्पति आवरण में 13% की वृद्धि और थर्मोफिलिज़ेशन (D= 0.035) दर्ज किया गया, जो पर्वतीय शिखरों पर गर्म वातावरण के अनुकूल प्रजातियों की ओर संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।

- हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी तथा उत्तराखंड के कोसी क्षेत्र से प्राप्त दीर्घकालिक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें मौसमी एयरोसोल परिवर्तनशीलता, विकिरणीय बल (0.5–2.5 वाट प्रति वर्ग मीटर), तापमान में वृद्धि (0.02–0.04 डिग्री सेल्सियस प्रति वर्ष) तथा प्रदूषकों के उच्च स्तर (PM : 50–100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, PM . : 20–50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, BC: 2–8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) दर्शाए गए, जिससे निगरानी को सुदृढ़ करने तथा उत्सर्जन नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

- विज्ञान को दो नई ऑर्किड प्रजातियों से अवगत कराया गया (i) अरुणाचल प्रदेश सेफालानोप्सिस क्वाड्रिडेंटाटा तथा (ii) सिक्किम से गैस्ट्रोडिया इंडिका और अरुणाचल प्रदेश, भारत सेपेडिकुलारिसधुरेंसिस आर.आर. मिल और आइसोडोनाट्रोरुबर आर.ए. क्लेमेन नामक दो नई प्रविष्टियाँ भी प्रलेखित की गईं।

- पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की पायोंग ग्राम पंचायत में पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन (ईबीए) दृष्टिकोण के तहत दो जलप्रपातों - ताकिबोंग धारा और खवपाधारा - को लक्षित करते हुए जलप्रपात प्रबंधन को क्रियान्वित किया गया था। यह परियोजना सितंबर 2025 में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ चलाई गई थी, जिसके दौरान 84 पुनर्भरण खाइयों और 1 पुनर्भरण तालाब का विकास किया गया था।

- शिलांग पठार के दक्षिणी भाग में दौकी फॉल्ट के सक्रिय खंड का मानचित्रण किया गया।

- सिक्किम में ऑर्किड ट्रेल (152 प्रजातियाँ), रोडोडेंड्रोन ट्रेल (15 प्रजातियाँ) और रोडोडेंड्रोन गार्डन सहित विभिन्न संरक्षण मॉडलों को मजबूत किया गया।

- लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम में अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदानों के कार्बन बजट और पारिस्थितिक-जलवैज्ञानिक गतिशीलता की दीर्घकालिक निगरानी के लिए तीन स्थल स्थापित किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी)

- आईसीआईएमओडी एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी और ज्ञान साझाकरण केंद्र है जो बेहतर और न्यायसंगत आजीविका के लिए संधारणीय और अनुकूल पर्वतीय विकास पर केंद्रित है। इसे हिंदू कुश हिमालय के 8 सदस्य देशों - भारत, चीन, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश का समर्थन प्राप्त है। भारत में आईसीआईएमओडी के कार्यकलापों के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। आईसीआईएमओडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर (बीओजी) की 56वीं बैठक 22 से 28 अप्रैल, 2025 के दौरान कुनमिंग, चीन में आयोजित की गई, जिसमें भारत सहित सभी क्षेत्रीय सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अध्याय 11

पर्यावरण संबंधी जानकारी, शिक्षा और जागरूकता

11.1 पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण

1. पर्यावरण शिक्षा (ईई) प्रभाग

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

पर्यावरण शिक्षा प्रभाग, संशोधित केंद्रीय क्षेत्र योजना 'पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास (ईईएआरएसडी)' के घटकों में से एक 'पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी)' को कार्यान्वित करता है । इसके अतिरिक्त, यह विभाग बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यकलापों के आयोजन को सुगम बनाने के लिए इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों और इको-क्लब नेटवर्क के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 से संबंधित मामलों के लिए मंत्रालय में मुख्य विभाग के रूप में भी कार्य करता है।

पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी)

पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय के प्रयासों को पूरक बनाना है। इसके अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक पहलों के माध्यम से गैर-औपचारिक पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम बच्चों और युवाओं को कक्षा में प्राप्त ज्ञान के साथ-साथ प्रकृति से प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उन्हें सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए कार्यशालाओं, परियोजनाओं, प्रदर्शनों, अभियानों, प्रतियोगिताओं, प्रकृति शिविरों और ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रमों जैसी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

ईईपी के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बच्चों/युवाओं के लिए संधारणीय जीवनशैली कार्यशालाएँ / परियोजनाएँ / प्रदर्शनियाँ / अभियान / प्रतियोगिताएँ / प्रकृति शिविर / ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। ये पहल लक्षित लाभार्थियों को वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने, रचनात्मकता प्रदर्शित करने के साथ-साथ अवधारणाओं को मजबूत करने और संधारणीय समाधानों पर प्रयोग करने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रकृति शिविर बच्चों / युवाओं को भारत की अनूठी प्राकृतिक विविधता, विविध पारिस्थितिक तंत्रों, वनस्पतियों और जीवों को समझने और उनकी सराहना करने में मदद करते हैं, साथ ही उनके अस्तित्व के लिए मौजूद खतरों को समझने में भी सहायक होते हैं। विषयगत अभियान / प्रतियोगिताएँ जैसे कि प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, निबंध, चित्रकला, शारीरिक कार्यकलाप, सामुदायिक भागीदारी आदि बच्चों / युवाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने और जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) केंद्रीय या राज्य स्तर पर हो सकती हैं, जैसे कि

- केंद्र या राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की कोई भी एजेंसी या स्वायत्त निकाय / संस्थान, जिसका जनादेश शिक्षा / पर्यावरण से संबंधित हो और जिसे संबंधित केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया हो।

- नेहरू युवा केंद्र संगठन या युवा मामलों के विभाग के अधीन कोई भी ऐसा निकाय, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति या शिक्षा मंत्रालय के अधीन कोई अन्य ऐसा निकाय, इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पंचायती राज संस्थाएं / शहरी स्थानीय निकाय आदि।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण कार्यकलाप

ईईपी की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सतत जीवनशैली, शून्य अपशिष्ट पहल, एसयूपी के विकल्प, केले के रेशे की बुनाई, सूखे और गीले कचरे का पृथक्करण, पर्यावरण-अनुकूल शिल्पकारी, मक्के के छिलके से बटन फूल बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण, स्वच्छ कागज पहल , पर्यावरण-अनुकूल गणेश जी की मूर्ति बनाना, बीज की गेंद बनाना, कपड़े की थैली बनाना, बाजरे का खाद्य उत्सव आदि विषयों पर कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2025-26 के दौरान कई कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा "अपशिष्ट का सर्वोत्तम" और " अपशिष्ट से धन" पर प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की गईं। देश भर के पर्यावरण क्लबों ने रैलियों, चित्रकला / नारा / पोस्टर प्रतियोगिताओं, स्वच्छता अभियानों आदि का आयोजन करके विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस मनाए हैं।

प्रतीकात्मक कार्यकलापों के बजाय, कार्यक्रम अब उन कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो छात्रों और युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करती हैं। यह छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान से आगे बढ़कर पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता की अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीधे लागू करने में सक्षम बनाता है।

आर्द्रभूमि दिवस 2025 के दौरान जल निकाय की सफाई।

शून्य अपशिष्ट पहल पर व्यावहारिक कार्यशाला

बांस और मिट्टी से पर्यावरण-अनुकूल शिल्पकारी पर क्षमता निर्माण

ग. उपलब्धियाँ

कार्यक्रम से संबंधित सूचनाओं के प्रभावी प्रबंधन, निगरानी और प्रसार के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ईईपी पोर्टल (https://eepmoefcc.nic.in) तथा "प्रकृति कनेक्ट" नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है, जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह एप कार्यान्वयन एजेंसियों (आइए) / ईको-क्लबों को जमीनी स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों की रियल-टाइम रिपोर्टिंग में सहायता प्रदान करता है। 21 जनवरी 2026 तक इस पोर्टल पर 1,14,258 पर्यावरण क्लब पंजीकृत हो चुके हैं तथा स्कूल और कॉलेज के पर्यावरण क्लबों से 21,43,146 छात्र कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 23,187 आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग ले चुके हैं|

ईईपी के अंतर्गत "इकोटोपिया" कार्ड गेम विकसित किया गया है, जो मिशन लाइफ के 7 विषयों पर आधारित है। इस खेल के माध्यम से विद्यार्थी दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले सरल कार्यों के बारे में सीखते हैं, जो सततता को बढ़ावा देते हैं। यह कार्ड गेम ईईपी पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 से पूर्व, ईईपी की कार्यान्वयन एजेंसियों ने आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के प्रति ईको-क्लब के छात्रों और युवाओं को जागरूक करने के लिए एक व्यापक अभियान आयोजित किया। इसके अंतर्गत शैक्षिक वीडियो का प्रदर्शन किया गया तथा छात्रों को वेटलैंड मित्र प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर मित्र प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान के दौरान 16 राज्यों में कुल 1,474 गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 1,43,456 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) 2025 के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। पहले चरण (14-25 जनवरी 2025) ने एक अधिगम-सह-मूल्यांकन चरण के रूप में कार्य किया, जिसमें 21,588 छात्रों ने भाग लिया और 2,15,401 मिनट का सक्रिय अधिगम दर्ज किया गया। दूसरे और अंतिम चरण के लिए कुल 896 छात्रों का चयन किया गया, जिन्होंने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। समय सीमा के भीतर प्रश्नोत्तरी पूरी करने वाले और 25 में से 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 छात्रों को ई-प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

2. संस्थानों / संगठनों को जारी की गई अनुदान सहायता

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ईईपी के अंतर्गत कुल बजट आवंटन 60 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) तथा 43.54 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान सहायता किश्तों में जारी की जाती है। 22.01.2026 तक इस मद के अंतर्गत कुल 40.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

तालिका: पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान ईईपी के तहत राज्यवार अनुदान सहायता का वितरण

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी (आइए) का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 22-01-2026 तक)
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय हरित कोर	3,05,96,000	2,77,20,000
2	असम	असम विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद	3,57,44,607	3,01,98,015
3	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड	81,00,000	6,40,000
4	दिल्ली	पर्यावरण विभाग	-	30,95,500
5	गोवा	गोवा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	32,82,234	55,05,174
6	गुजरात	गुजरात पारिस्थितिक शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन	2,78,53,784	3,39,19,450
7	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद	1,83,60,019	1,27,42,707
8	कर्नाटक	पर्यावरण प्रबंधन एवं नीति अनुसंधान संस्थान	13,91,814	65,79,856
9	केरल	केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद	77,46,607	1,42,26,254

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी (आइए) का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 22-01-2026 तक)
10	मध्य प्रदेश	पर्यावरण योजना एवं समन्वय संगठन	2,24,65,342	2,78,72,236
11	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सामाजिक वानिकी विभाग	-	2,91,95,000
12	मणिपुर	मणिपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	45,50,000	-
13	मिजोरम	मिजोरम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1,06,35,859	1,28,55,637
14	नगालैंड	नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2,03,34,250	1,61,87,532
15	ओडिशा	पर्यावरण अध्ययन केंद्र	5,34,48,599	5,28,21,778
16	पंजाब	पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	3,20,82,398	4,06,01,000
17	राजस्थान	राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड	2,30,26,415	9,00,773
18	सिक्किम	वन एवं पर्यावरण विभाग	1,39,40,000	1,28,70,000
19	तमिलनाडु	तमिलनाडु पर्यावरण प्रबंधन एजेंसी	5,53,00,000	2,06,88,968
20	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य राष्ट्रीय हरित कोर	86,28,777	3,59,93,442
21	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	62,40,399	61,32,750
22	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1,78,95,896	2,82,90,183
	कुल		**40,16,23,000**	**41,90,36,255** ***(as on 22.01.2026)***

ईआईएसीपी प्रकोष्ठ:

पर्यावरणीय सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) – ईईएआरएसडी योजना के अंतर्गत

पर्यावरण सूचना प्रणाली (एनविस) योजना, जो पहले "पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना एवं परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली" नामक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत संचालित थी, को अब पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान एवं कौशल विकास (ईईएआरएसडी)) की पुनर्गठित योजना में समाहित कर दिया गया है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए जून 2022 में अनुमोदित किया गया था। पुनर्गठित योजना के तीन घटक हैं, जिनमें से एक पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) है।

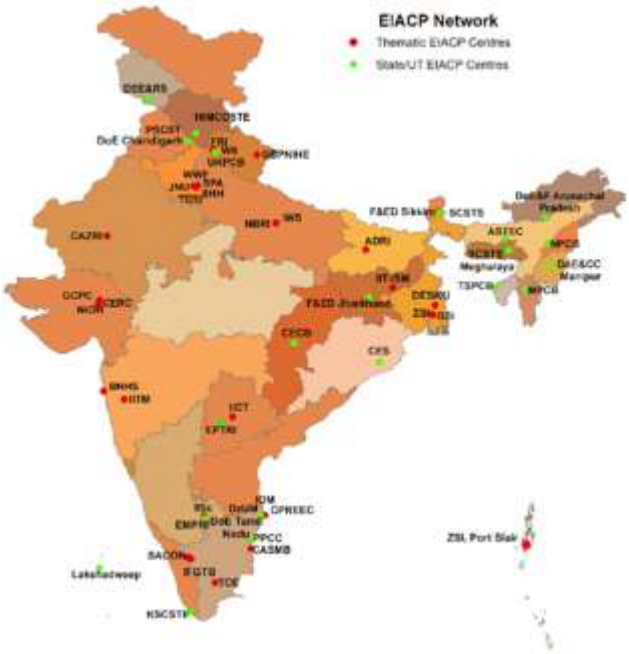

ईआईएसीपी देशभर में पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत ढांचे के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसमें पूर्ववर्ती एनविस योजना के सर्वोत्तम कार्यात्मक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। यह पर्यावरण संबंधी जानकारी के प्रसार, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर सूचित नीति निर्माण, तथा ग्रीन स्किलिंग के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर प्रभाव बढ़ाने के लिए समाज के साथ सशक्त संपर्क स्थापित करने हेतु एक पुनर्संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

कार्यक्रम केंद्रों को हब और रिसोर्स पार्टनर (आरपी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हब राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के पर्यावरण / वन विभागों तथा अन्य संगठनों में स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में ईआईएसीपी के अंतर्गत कुल 22 हब कार्यरत हैं। रिसोर्स पार्टनर (आरपी) पर्यावरण से संबंधित सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा उत्कृष्ट पेशेवर संस्थानों में स्थापित हैं। वर्तमान में ईआईएसीपी के अंतर्गत कुल 32 रिसोर्स पार्टनर कार्यरत हैं।

ईआईएसीपी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ उभरते क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, खतरनाक अपशिष्ट / जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट आदि में कौशल विकास पाठ्यक्रम आयोजित कर हरित, सतत और समावेशी कार्यबल का विकास करना।

- मंत्रालय द्वारा परिकल्पित मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना।

- विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जनजातीय आबादी के सतत आजीविका को प्रोत्साहित करने हेतु पारंपरिक ज्ञान और शिल्प पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

- जनता और समुदायों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उन्हें पर्यावरण के प्रति सचेत भविष्य के नागरिकों के रूप में विकसित करने में सहायता करना।

- ज्ञान के आदान-प्रदान और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में योगदान देना।

1. ईआईएसीपी के अंतर्गत कौशल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

(क) ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीएसडीपी)

ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीएसडीपी) को हरित अर्थव्यवस्था में कौशल अंतर (स्किल गैप) को दूर करने के उद्देश्य से जून 2017 में देश के 9 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 10 स्थानों पर पायलट आधार पर प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में कौशल प्रदान करना है ताकि उन्हें वेतन आधारित रोजगार और / या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। पायलट परियोजना की सफलता के आधार पर इस कार्यक्रम का विस्तार वर्ष 2018–19 में अखिल भारतीय स्तर (पैन-इंडिया) पर किया गया। वर्तमान में 10 पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप संरेखित हैं तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित हैं। इसके अतिरिक्त चार और पाठ्यक्रमों पर कार्य प्रगति पर है। वायु एवं जल प्रदूषण, भू-स्थानिक तकनीकों के माध्यम से वन्यजीव प्रबंधन, पर्यावरणीय मानकों हेतु विद्युत परीक्षण, पर्यावरण-अनुकूल खाद्य परीक्षण जैसे विषय विभिन्न प्रक्रियात्मक चरणों में हैं।

स्वीकृत पाठ्यक्रमों का एनएसक्यूएफ स्तर लेवल 2 से 6 तक है तथा अवधि 240 घंटे से 600 घंटे तक है। पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

1. वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोफेशनल (लेवल 6 एवं 570 घंटे)

2. एपिकल्चरिस्ट (जंगली मधुमक्खी) – एनटीएफपी (लेवल 2 एवं 240 घंटे)

3. नेचर कंज़र्वेटर सह इको-टूरिज्म (लेवल 4 एवं 420 घंटे)

4. सोलर एंटरप्राइज असिस्टेंट मैनेजर (लेवल 5 एवं 510 घंटे)

5. माइक्रो एंटरप्रेन्योर एनटीएफपी – पौध-आधारित: बांस एवं नारियल खोल (लेवल 4 एवं 420 घंटे)

6. मृदा प्रदूषण मॉनिटरिंग विशेषज्ञ (लेवल 5 एवं 600 घंटे)

7. जलकुंभी (मूल्यवर्धित हस्तशिल्प) माइक्रो एंटरप्रेन्योर (लेवल 4 एवं 390 घंटे)

8. ईवी चार्जिंग इंस्टॉलेशन तकनीशियन (लेवल 4 एवं 450 घंटे)

9. पर्यावरण प्रभाव आकलनकर्ता (लेवल 5 एवं 480 घंटे)

10. पैरा-टैक्सोनॉमिस्ट एवं जैव विविधता रजिस्टर प्रलेखन विशेषज्ञ (लेवल 4.5 एवं 480 घंटे)

(ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर संकल्प-पत्र वर्ष 2025 में ईआईएसीपी प्रकोष्ठ द्वारा ईआईएसीपी केंद्रों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण एवं वन्यजीव से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, ताकि संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल तथा संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा सके और वे पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करते हुए उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित कर सकें।

वर्तमान वर्ष में 22 ईआईएसीपी केंद्रों को 40 विभिन्न क्षमता

निर्माण कार्यक्रमों की कुल 67 बैचों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कार्यक्रम का एक प्रमुख उदाहरण पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (ADRI) के ईआईएसीपी संसाधन साझेदार द्वारा आयोजित दस दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसका विषय था — "पर्यावरण-अनुकूल आजीविका / सूक्ष्म उद्यमिता: सिक्की घास से मूल्यवर्धित उत्पाद"।

इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय महिला प्रतिभागियों के बीच सिक्की कला जैसी पारंपरिक एवं पर्यावरण-अनुकूल हस्तकलाओं को बढ़ावा दिया गया, जिससे उन्हें सतत आजीविका के अवसर प्राप्त हुए। दिनांक 24.11.2025 तक पूर्ण किए गए कुछ कार्यक्रमों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	ईआईएसीपी केंद्र	क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम	प्रारंभ तिथि	समापन तिथि	स्थान
1	आईआईएचए, दिल्ली	कम लागत वाली जैव-अवक्रमणीय सैनिटरी नैपकिन निर्माण	03-10-2025	08-10-2025	झज्जर, हरियाणा
		मंदिर पुष्प अपशिष्ट पुनर्चक्रण द्वारा अगरबत्ती एवं धूप कोन निर्माण	06-10-2025	10-10-2025	अलवर, राजस्थान
		अपशिष्ट प्रबंधन – कचरे से संपदा / एकल-उपयोग प्लास्टिक (SUPs) के विकल्प स्वरूप शिल्प निर्माण	10-10-2025	11-10-2025	दिल्ली
2	एडीआरआई, पटना, बिहार	पर्यावरण-अनुकूल आजीविका/ सूक्ष्म उद्यमिता: 'सिक्की घास से मूल्यवर्धित उत्पाद'	08-10-2025	17-10-2025	पटना (बिहार)
3	बीएसआई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	स्थानीय स्क्रैप कच्चे माल (लौह धातु स्क्रैप) से हस्तशिल्प एवं उपयोगी उत्पाद निर्माण	29-10-2025	10-11-2025	तुलसीडांगा, कुठीरपारा, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बंगाल
4	कर्नाटक ईआईएसीपी हब	टेरेस/किचन गार्डनिंग	10-11-2025	12-11-2025	EMPRI, बेंगलुरु
5	पुडुचेरी ईआईएसीपी हब	स्वयं सहायता समूहों हेतु इको-एंटरप्राइज कौशल: खस जड़ों से सतत उत्पाद निर्माण	27-10-2025	14-11-2025	पुदुवै कलंजियम इयर्काई विवसायिगल संगम हॉल, बहूर, पुडुचेरी
6	सीपीआरईईसी, चेन्नई, तमिलनाडु	नर्सरी स्थापना (बडिंग, लेयरिंग एवं पेपर कटिंग)	14-11-2025	20-11-2025	उयिलट्टी, ऊटी तालुक, नीलगिरि, तमिलनाडु

2. मिशन लाईफ़ गतिविधियाँ

- मिशन लाईफ़ के अंतर्गत सभी ईआईएसीपी कार्यक्रम केंद्रों (पीसी हब्स / आरपी) द्वारा चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु स्टैंडी एवं बैनर तैयार किए गए। इन सामग्रियों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ सीसी) के अधीनस्थ एवं संलग्न कार्यालयों, निकायों तथा संगठनों के प्रमुख स्थलों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। इस पहल में लगभग सभी ईआईएसीपी केंद्रों ने भाग लिया।

- इसके अतिरिक्त, केंद्रों ने जल एवं ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, "एक पेड़ माँ के नाम" वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा "स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता" अभियान संचालित करने सहित विभिन्न अन्य पर्यावरणीय जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। ईआईएसीपी हब्स एवं संसाधन साझेदारों (आरपी) ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान को समर्थन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीचे ईआईएसीपी केंद्रों द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों का विवरण दिया गया है:

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ईआईएसीपी केंद्र का नाम	प्रमुख बिंदु
1	मिशन लाइफ के अंतर्गत सात विषयों पर जागरूकता अभियान	सभी ईआईएसीपी हबआरपी/	ईआईएसीपी केंद्रों ने मिशन लाइफ के सात प्रमुख विषयों पर केंद्रित जागरूकता अभियान आयोजित किए। इन अभियानों का उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना, अपशिष्ट में कमी, स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना तथा ईकचरे के पुनर्चक्रण - जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित था। करना
2	एक पेड़ माँ के नाम	सभी ईआईएसीपी हबआरपी/	ईआईएसीपी केंद्रों ने "एक पेड़ माँ के नाम" वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कीं, जिसके दौरान भारत के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया।
3	स्वच्छ भारत अभियान	सभी ईआईएसीपी हबआरपी/	इस अवधि के दौरान ईआईएसीपी केंद्रों ने स्वच्छता और जनजागरूकता अभियानों-, पौधारोपण, कचरा, गंदगी और अपशिष्ट के संग्रहण तथा ग्रीन प्रतिज्ञा दिलाने जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कीं।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ईआईएसीपी केंद्र का नाम	प्रमुख बिंदु
4	सेवा पर्व	सभी ईआईएसीपी हबआरपी/	सेवा पर्व के अंतर्गत ईआईएसीपी केंद्रों ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक पूरे भारत में वायु प्रदूषण और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता अभियान चलाए। इन अभियानों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र, स्थानीय समुदाय और आम नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की, जिससे कार्यक्रम की देशव्यापी पहुँच को दर्शाया गया।
5	मिशन लाइफ के अंतर्गत लाइफ प्रतिज्ञा एवं सेल्फी पॉइंट की स्थापना	सभी ईआईएसीपी हबआरपी/	ईआईएसीपी केंद्रों के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सेल्फी बूथ स्थापित किए गए, जहाँ लोगों ने सेल्फी ली और साथ ही लाइफ प्रतिज्ञा भी ली।

लाईफ़ रिपोर्ट:

ईआईएसीपी मिशन लाईफ़ गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है। ईआईएसीपी हब्स एवं संसाधन साझेदारों द्वारा संचालित सभी गतिविधियों को लाईफ़ रिपोर्ट में संकलित कर प्रत्येक माह लाईफ़ प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया जाता है।

3. ईआईएसीपी के अंतर्गत आयोजित गतिविधियाँ / कार्यशालाएँ / कार्यक्रम

राष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यशाला 2025

तीन दिवसीय ईआईएसीपी राष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यशाला 2025 का आयोजन 18 से 20 सितंबर 2025 तक देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान 54 ईआईएसीपी केंद्रों द्वारा किए गए कार्यों का प्रदर्शन मूल्यांकन करना था।

इस कार्यशाला में 230 हितधारकों ने भाग लिया।

कार्यशाला के प्रथम दिवस का शुभारंभ उद्घाटन सत्र से हुआ, जिसके अंतर्गत डिजिटल रिसोर्स सेंटर (डीआरसी) पोर्टल एवं विभिन्न प्रकाशनों का लोकार्पण, अभियान का समापन, मूल्यांकन सत्र तथा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। द्वितीय दिवस में तीन स्थलों पर समानांतर रूप से गहन मूल्यांकन सत्र आयोजित किए गए। तृतीय दिवस की शुरुआत शेष केंद्रों के मूल्यांकन से हुई, जिसके साथ ही मंत्रालय द्वारा डीआरसी पोर्टल, वित्तीय विषयों, ग्रीन स्किलिंग तथा क्षमता निर्माण पहलों पर सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला का समापन समापन समारोह के साथ हुआ, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया (नई दिल्ली), सीपीआरईसी (चेन्नई) और एएसटेक (असम) को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के समापन वक्तव्य, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव तथा पर्यावरण जागरूकता, क्षमता निर्माण और सतत विकास में

ईआईएसीपी की भूमिका को सुदृढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

डिजिटल रिसोर्स सेंटर

डिजिटल रिसोर्स सेंटर (डीआरसी) एक वन-स्टॉप पोर्टल है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर ईआईएसीपी प्रकोष्ठ द्वारा विकसित एवं संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से सभी ईआईएसीपी केंद्र अपनी निर्धारित एवं आयोजित विभिन्न गतिविधियों / कार्यक्रमों / आयोजनों का अद्यतन कर सकते हैं।

इसमें विभिन्न सूचना उत्पादों का अपलोड, प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों, विशेष प्रकाशनों एवं रिपोर्टों से संबंधित जानकारी, विभिन्न पर्यावरणीय दिवसों का आयोजन, ग्रीन स्किल (जीएसडीपी) एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से संबंधित सूचना, मीडिया गैलरी, ईआईएसीपी से संबंधित भर्ती जानकारी, किड्स कॉर्नर आदि सम्मिलित हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ

सीसी) तथा अन्य हितधारक अब ईआईएसीपी के अंतर्गत संचालित सभी गतिविधियों से संबंधित जानकारी को एकीकृत इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, प्रत्येक ईआईएसीपी केंद्र के लिए समर्पित पृष्ठ उपलब्ध होने के कारण हितधारक केंद्र-वार गतिविधियों का अवलोकन भी कर सकते हैं।

डीआरसी को एपीआई के माध्यम से मेरी लाईफ़ पोर्टल से भी एकीकृत किया गया है, जिसके द्वारा लाईफ़ से संबंधित गतिविधियाँ सीधे मेरी लाईफ़ पोर्टल पर साझा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, डीआरसी में गतिशील डैशबोर्ड भी अंतर्निहित हैं, जो सारणीबद्ध आँकड़े, ग्राफ एवं चार्ट प्रदर्शित करते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न हितधारक अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं।

ब्रेथ ऑफ चेंज अभियान: स्वच्छ वायु के लिए दिल्ली-एनसीआर की एकजुट पहल

'ब्रेथ ऑफ चेंज' अभियान केवल एक अभियान नहीं था, बल्कि एक जन-आंदोलन था, जिसे साझेदारियों की शक्ति, युवाओं की ऊर्जा और सामुदायिक आवाज़ों की प्रेरणा ने आगे बढ़ाया। इस पहल ने दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर युवाओं, को स्वच्छ वायु हेतु सामूहिक कार्रवाई में सक्रिय रूप से जोड़ा।

ईआईएसीपी प्रकोष्ठ, एमओईएफ सीसी तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा प्रायोजित यह तीन माह की पहल (मध्य जून से सितंबर 2025) मिशन लाईफ़ से संरेखित एक सशक्त जागरूकता अभियान के रूप में संपन्न हुई।

इसका क्रियान्वयन दिल्ली–एनसीआर स्थित पाँच ईआईएसीपी केंद्रों — टेरी, एसपीए, आईआईएचएच, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और जेएनयू — के माध्यम से किया गया, जिसमें सीएमएस वातवरन मीडिया एवं जनसंपर्क सहयोगी के रूप में सम्मिलित रहा।

सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय संपर्क कार्यक्रम, युवा रैलियाँ, हरित गतिविधियाँ तथा रचनात्मक डिजिटल संवाद के माध्यम से इस अभियान ने स्वच्छ वायु के लिए नागरिक-नेतृत्व वाली पहल के प्रभाव को प्रदर्शित किया।

यह मॉडल विस्तार योग्य सिद्ध हुआ है तथा इसे देशभर के ईआईएसीपी केंद्रों द्वारा अपनाकर नीतिगत हस्तक्षेप, वैज्ञानिक आँकड़ों एवं प्रभावी सामुदायिक भागीदारी के

माध्यम से अपनी सामुदायिक पहलों को सुदृढ़ किया जा सकता है।

मेगा इवेंट: मिशन लाईफ़ पर प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम

मिशन लाईफ़ महाकुंभ, जो 27 जनवरी से 5 फरवरी 2025 तक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ सीसी) की एक व्यापक स्तर की जागरूकता एवं संवेदनशीलता पहल थी, विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय क्षेत्रों में।

सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन – ईआईएसीपी संसाधन साझेदार टीम ने मिशन लाईफ़ जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जूना अखाड़ा, मेला क्षेत्र (दारा गंज के निकट महाकुंभ) तथा सोनकर बस्ती, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में और उसके आसपास सतत जीवनशैली को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया।

इस पहल के अंतर्गत मिशन लाईफ़ कैप वितरित किए गए तथा भक्तों और स्थानीय निवासियों को अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए सूचनात्मक बैनर प्रदर्शित किए गए। स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक मिशन लाईफ़ की शपथ ग्रहण की और स्वस्थ पर्यावरण के लिए सतत कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मिशन लाईफ़ जन-जागरूकता सह संवेदनशीलता कार्यक्रम

दिल्ली स्थित SPA (ईआईएसीपी संसाधन साझेदार) द्वारा 27 एवं 28 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित पड्डल मैदान में आयोजित महाशिवरात्रि मेले (27 फरवरी से 5 मार्च 2025) के दौरान दो दिवसीय मिशन लाईफ़ जागरूकता सह संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मिशन लाईफ़ के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा दैनिक जीवन में सतत व्यवहारों को समाहित करने के महत्व पर बल देना था। संवादात्मक सत्रों एवं जानकारीपूर्ण व्याख्यानों के माध्यम से टीम ने जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत जीवनशैली अपनाने की तात्कालिक आवश्यकता जैसे प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया।

मानव–वन्यजीव सह-अस्तित्व पर राष्ट्रीय हैकाथॉन: नवोन्मेषी समाधानों हेतु युवाओं की सहभागिता (प्रारंभिक चरण)

मानव–वन्यजीव सह-अस्तित्व पर राष्ट्रीय हैकाथॉन: नवोन्मेषी समाधानों हेतु युवाओं की सहभागिता (प्रारंभिक चरण) 30 सितंबर–1 अक्टूबर 2025 को देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वाइल्डलाइफ वीक 2025 के अंतर्गत मेज़बान संस्थान एवं उसके ईआईएसीपी केंद्रों द्वारा आयोजित किया गया।

मानव–वन्यजीव संघर्ष से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु युवाओं की रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस हैकाथॉन में देशभर से छात्र, नवोन्मेषक, शोधकर्ता एवं स्टार्टअप्स ने भाग लिया।

प्रतिभागियों ने चार विषयगत क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की— प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान, वित्तीय तंत्र, सामुदायिक सहभागिता दृष्टिकोण तथा प्रजाति-विशिष्ट समाधान।

4. विभिन्न पर्यावरणीय दिवसों का आयोजन

विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2025 – 2 फरवरी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के आर्द्रभूमि प्रभाग द्वारा 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 के उपलक्ष्य में देशभर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। "हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण" विषय के अनुरूप आयोजित इन कार्यक्रमों में सतत भविष्य सुनिश्चित करने हेतु आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया।

प्रस्तावित गतिविधियों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी शामिल थीं।

ईआईएसीपी केंद्रों — गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपीएनएचआई), इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्डलाइफ साइंसेज़ (आईडब्ल्यूएस), लखनऊ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) तथा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) — ने इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की।

इन केंद्रों ने विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित कीं तथा प्रदर्शनी में ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीएसडीपी) की पहलों और हरित उत्पादों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित पार्वती अरगा रामसर स्थल पर किया गया।

प्रदर्शनी स्टॉल में जीएसडीपी उत्पाद, मानव बस्तियों से संबंधित ज्ञान सामग्री, आर्द्रभूमियों पर आधारित बच्चों के लिए पहेली (पज़ल) तथा पुनर्नवीनीकरण कपड़े के थैले जैसे सतत उत्पाद प्रदर्शित किए गए। केंद्रों ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा तथा सतत आजीविका के समर्थन में आर्द्रभूमियों की महत्वपूर्ण भूमिका को विशेष रूप से उजागर किया।

• विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 – 5 जून

5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसके अंतर्गत ईआईएसीपी कार्यक्रम के संसाधन साझेदारों एवं हब्स के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क द्वारा विभिन्न प्रभावशाली गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन पहलों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता रैलियाँ, केंद्रित अभियान, जानकारीपूर्ण पोस्टरों का प्रकाशन, पर्यावरण विषयक प्रश्नोत्तरी तथा संवादात्मक सत्र शामिल थे।

• अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024 – 21 जून

21 जून 2024 को सभी ईआईएसीपी केंद्रों ने "स्वयं और

समाज के लिए योग" विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर योग के शारीरिक एवं मानसिक लाभों पर बल देने के साथ-साथ मिशन लाईफ़ के संदेश को भी समाहित किया गया, जिसमें स्वस्थ, संतुलित और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को रेखांकित किया गया।

इस आयोजन के माध्यम से ईआईएसीपी केंद्रों ने व्यक्तियों को व्यक्तिगत कल्याण तथा सामूहिक सामाजिक समरसता के लिए योग को अपनाने हेतु प्रेरित किया।

इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से उल्लेखनीय डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के ईआईएसीपी संसाधन साझेदार द्वारा आयोजित 'योग संगम' कार्यक्रम रहा, जो "वन अर्थ, वन हेल्थ के लिए योग"

विषय पर आधारित था। इसमें कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) पर आधारित समन्वित सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

यह पहल पर्यावरणीय और व्यक्तिगत कल्याण की सामूहिक भावना को प्रतिबिंबित करती है तथा योग को एक समग्र जीवनशैली के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।

• विश्व ओज़ोन दिवस, 2024 – 16 सितंबर

विश्व ओज़ोन दिवस 2025 का विषय था — "विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक"। इस महत्वपूर्ण अवसर पर ईआईएसीपी कार्यक्रम केंद्रों ने ओज़ोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका तथा वैश्विक जलवायु संतुलन में उसके योगदान के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न की।

जानकारीपूर्ण व्याख्यानों, पोस्टर प्रदर्शनी, रोचक प्रश्नोत्तरी तथा शैक्षिक गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से केंद्रों ने ओज़ोन संरक्षण की आवश्यकता तथा जलवायु कार्रवाई से उसके महत्वपूर्ण संबंध को रेखांकित किया।

इन आयोजनों में लगभग 22,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ईआईएसीपी हब्स और संसाधन साझेदारों ने वर्ष भर कई अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अवसरों का भी आयोजन किया, जिनमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व महासागर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वन्यजीव सप्ताह, लायन डे तथा विश्व मच्छर दिवस शामिल हैं। प्रत्येक अवसर पर, संबंधित विषयों के अनुरूप विविध जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, ताकि पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा दिया

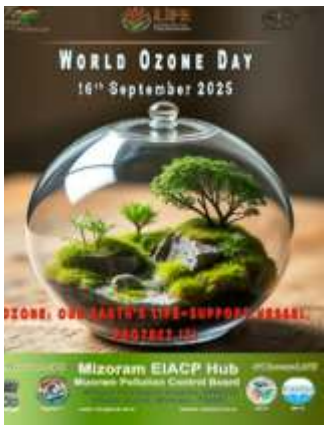

जा सके तथा जनसामान्य की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा सके। इन पहलों में विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ-साथ आम जनता ने भी सक्रिय भागीदारी की।

5. ईआईएसीपी की उपलब्धियाँ

- ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीएसडीपी): वित्तीय वर्ष 2024–25 में 823 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 579 ने रोजगार प्राप्त किया या उद्यमिता प्रारंभ की। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 18 ईआईएसीपी केंद्रों को 40 बैच संचालित करने हेतु धनराशि जारी की गई है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंत तक अतिरिक्त 950 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना है।

- क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी): 22 ईआईएसीपी केंद्रों ने 67 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में 1,363 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

- राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क: ईआईएसीपी केंद्रों द्वारा सामूहिक रूप से लगभग 1,825 जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मिशन लाईफ़ से संबंधित कार्यक्रम भी शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर में लगभग 29.7 लाख प्रतिभागियों तक पहुँच बनाई गई।

- डिजिटल रिसोर्स सेंटर (डीआरसी): सभी व्यक्तिगत ईआईएसीपी वेबसाइटों की पूर्ववर्ती (लेगेसी) सूचनाओं को डीआरसी पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अक्टूबर 2025 से सभी 54 ईआईएसीपी केंद्रों द्वारा सृजित एवं संकलित जानकारी पोर्टल पर रियल-टाइम में अद्यतन की जा रही है।

- ब्रेथ ऑफ चेंज अभियान: "द ब्रेथ ऑफ चेंज – क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज़" शीर्षक से तीन माह का अभियान दिल्ली–एनसीआर के 13 वायु-प्रदूषण हॉटस्पॉट्स में संचालित किया गया। इस पहल के माध्यम से 50,000 युवाओं सहित 1.7 लाख से अधिक नागरिकों को स्वच्छ वायु हेतु सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया गया। सतत सहभागिता के माध्यम से अभियान ने 50 लाख से अधिक डिजिटल इंप्रेशन उत्पन्न किए।

- मिशन लाईफ़ – महाकुंभ 2025 जनसंपर्क: 27 जनवरी से 5 फरवरी 2025 तक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित मिशन लाईफ़ महाकुंभ के दौरान ईआईएसीपी केंद्र द्वारा व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। जूना अखाड़ा जैसे प्रमुख स्थलों पर प्रतिदिन लगभग 10,000 श्रद्धालुओं तक पहुँच बनाई गई तथा कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता एवं जल प्रबंधन के विषय में जागरूक किया गया।

- महाशिवरात्रि मेले में मिशन लाईफ़ जागरूकता: दिल्ली स्थित ईआईएसीपी संसाधन साझेदार द्वारा 27–28 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि मेले के दौरान दो दिवसीय मिशन लाईफ़ जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3,500 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- मानव–वन्यजीव सह-अस्तित्व पर राष्ट्रीय हैकाथॉन: 20 राज्यों के 75 संस्थानों से 420 प्रतिभागियों (120 टीमों) ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के विभिन्न स्थलों से ऑनलाइन माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। सभी टीमों का मूल्यांकन नवाचार, व्यवहार्यता, विस्तार क्षमता, सततता एवं प्रभाव के आधार पर किया गया, जिनमें से 12 टीमों को ग्रैंड फिनाले हेतु चयनित किया गया।

6. वर्ष के दौरान जारी ज्ञान उत्पाद

ईआईएसीपी द्वारा पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं जलवायु परिवर्तन विषयों पर विविध एवं मूल्यवान सूचना उत्पाद नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें विषय-आधारित समाचार पत्र, विशेष प्रकाशन, ई-न्यूज़लेटर, विषयगत बुलेटिन, तकनीकी रिपोर्ट, मोबाइल एप्लीकेशन, पोस्टर तथा राज्य, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सूचना निर्देशिकाएँ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रंथसूची, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों पर आधारित सूचना उत्पाद, विषयगत मानचित्र तथा वनस्पति एवं जीव-जंतुओं के प्रजाति वितरण मानचित्र भी विकसित किए जाते हैं।

नीचे ईआईएसीपी द्वारा तैयार किए गए प्रमुख ज्ञान उत्पादों का विवरण प्रस्तुत है:

प्रकाशन

क्रम सं.	ईआईएसीपी केंद्र का नाम	शीर्षक	प्रकाशन प्रकार
1	जेडएसआई एएनआरसी	आइलैंड क्रॉनिकल्स: फ्रॉम नेचर कॉल्स टू कम्युनिटी एक्शन, खंड 1	समाचार पत्रिका
2	सिक्किम हब	पांडा, खंड 16	समाचार पत्रिका
3	एसपीए	सोर्स एंड सिंक्स ऑफ एयर पॉल्यूशन	पुस्तिका
4	डब्ल्यूआईआई, देहरादून	एलीफेंट रिज़र्व्स ऑफ इंडिया (https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19368.84485)	वन्यजीव श्रृंखला
5	टेरी	ब्रेथ ऑफ चेंज – क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज	पुस्तिका
6	सीईआरसी	सस्टेनेबिलिटी एट डोरस्टेप्स: नर्चरिंग अ ग्रीनर फ्यूचर फ्रॉम होम	ई-पुस्तक
7	ईएमपीआरआई	क्लाइमेट एक्शन इन वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर	विशेष प्रकाशन
8	टीसीई	नेशनल वाइल्डलाइफ़ वीक	विशेष अंक

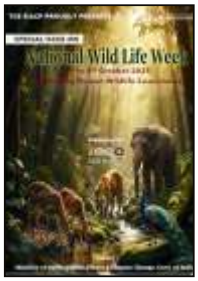

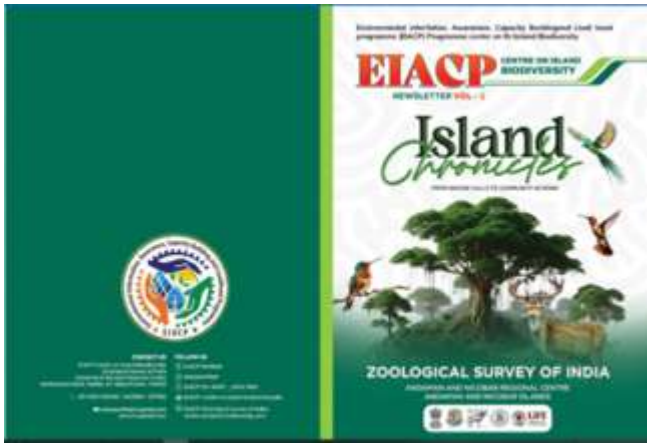

मोबाइल ऐप

ग्रीन पुडुचेरी:

ग्रीन पुडुचेरी ऐप वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है, पौधों की रियल-टाइम निगरानी की सुविधा प्रदान करता है तथा नागरिकों को हरित एवं सतत पुडुचेरी के निर्माण हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है।

मोबाइल एप्लिकेशन

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.green.pondy

7. संस्थानों/संगठनों सहित गैर-सरकारी संगठनों को जारी अनुदान सहायता (20 नवंबर, 2025 तक)

वित्तीय वर्ष 2025–26 (1 अप्रैल 2025 से 20 नवंबर 2025 तक) के दौरान मंत्रालय में ईआईएसीपी प्रकोष्ठ तथा ईआईएसीपी हब्स/संसाधन साझेदारों (आरपी) की निर्धारित गतिविधियों हेतु विभिन्न संगठनों को जारी अनुदान सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

संस्थानों/संगठनों को जारी अनुदान सहायता (वित्तीय वर्ष 2025–26)

क्रम सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि 2025–26 (₹ में)
1	एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट , पटना	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निधि जारी	1,82,500.00
2	पर्यावरण एवं वन विभाग – अरुणाचल प्रदेश	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
3	असम विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद गुवाहाटी	आवर्ती अनुदान तथा जीएसडीपी पाठ्यक्रम एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निधि जारी	13,50,000.00
4	बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी , मुंबई	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
5	बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया , कोलकाता	आवर्ती अनुदान तथा जीएसडीपी पाठ्यक्रम एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निधि जारी	12,62,625.00
6	सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन मरीन बायोलॉजी, परंगिपेट्टई	आवर्ती अनुदान तथा जीएसडीपी पाठ्यक्रम एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निधि जारी	46,02,000.00

क्रम सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि 2025–26 (₹ में)
7	सेंट्रल एरिड ज़ोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
8	कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	13,84,566.00
9	पर्यावरण विभाग – चंडीगढ़	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
10	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
11	सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र, चेन्नई	आवर्ती अनुदान तथा जीएसडीपी पाठ्यक्रम एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निधि जारी	47,46,500.00
12	पर्यावरण विज्ञान विभाग, कल्याणी विश्वविद्यालय नदिया	आवर्ती अनुदान एवं मेगा इवेंट हेतु निधि जारी	16,42,000.00
13	प्राणीशास्त्र विभाग – मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु निधि जारी	44,78,000.00
14	एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	30,91,250.00
15	एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	55,37,875.00
16	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट , देहरादून	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
17	जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	14,88,000.00
18	गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर गांधीनगर	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
19	हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, शिमला	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	12,66,500.00
20	इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग , कोयंबटूर	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	44,95,000.00
21	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	24,11,212.00
22	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन दिल्ली	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	1,03,44,500.00

क्रम सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि 2025–26 (₹ में)
23	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	16,50,785.00
24	आईआईटी (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	62,39,750.00
25	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी पुणे	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
26	इंस्टिट्यूट फॉर ओशन मैनेजमेंट चेन्नई	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	12,57,500.00
27	इंस्टिट्यूट फॉर वाइल्डलाइफ साइंसेज़, लखनऊ विश्वविद्यालय	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	13,28,000.00
28	पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं रिमोट सेंसिंग विभाग, जम्मू-कश्मीर	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
29	वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार, रांची	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
30	पर्यावरण विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	आवर्ती अनुदान एवं मेगा इवेंट हेतु निधि जारी	14,52,614.00
31	केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद तिरुवनंतपुरम	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	58,07,125.00
32	पर्यावरण एवं वन विभाग, कवरत्ती, लक्षद्वीप	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
33	पर्यावरण निदेशालय, मणिपुर सरकार, इम्फाल	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	13,25,750.00
34	मेघालय राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर्यावरण परिषद	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम हेतु निधि जारी	42,28,999.00
35	मिज़ोरम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आइजोल	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम हेतु निधि जारी	49,58,000.00
36	नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीमापुर	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
37	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई), लखनऊ	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	13,48,658.00

क्रम सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि 2025–26 (₹ में)
38	राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,15,799.00
39	पर्यावरण अध्ययन केंद्र ओडिशा सरकार	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	12,53,000.00
40	पुडुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति पुडुचेरी	आवर्ती अनुदान एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	73,13,250.00
41	पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, चंडीगढ़	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	23,44,000.00
42	सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयंबटूर	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	12,50,750.00
43	वन, पर्यावरण एवं वन्यजीव प्रबंधन विभाग, सिक्किम	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
44	सिक्किम राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद गंगटोक	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
45	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली	आवर्ती अनुदान, मेगा इवेंट एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	20,90,929.00
46	पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार	आवर्ती अनुदान एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	12,69,500.00
47	त्यागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मदुरै	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,45,400.00
48	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी), नई दिल्ली	आवर्ती अनुदान, मेगा इवेंट एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	1,30,40,500.00
49	त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अगरतला	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
50	उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
51	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	आवर्ती अनुदान, मेगा इवेंट, राष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यशाला एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम हेतु निधि जारी	73,42,000.00
52	वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर–इंडिया , नई दिल्ली	आवर्ती अनुदान, मेगा इवेंट एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु निधि जारी	75,26,249.00

क्रम सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी राशि 2025–26 (₹ में)
53	प्राणी सर्वेक्षण भारत , कोलकाता	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आवर्ती अनुदान	12,02,000.00
54	प्राणी सर्वेक्षण भारत, अंडमान एवं निकोबार क्षेत्रीय केंद्र	आवर्ती अनुदान, मेगा इवेंट एवं जीएसडीपी पाठ्यक्रम हेतु निधि जारी	56,88,000.00
		कुल	₹ 14,98,93,086.00

11.2 राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय

1. राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच)

1. परिचय:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय को 5 जून 1978 को नई दिल्ली के मंडी हाउस में विश्व पर्यावरण दिवस के साथ प्रतीकात्मक रूप से आम जनता के लिए खोला गया। इसका उद्देश्य विषयगत दीर्घाओं, प्रदर्शनियों, फिल्म प्रदर्शनों तथा शैक्षिक कार्यकलापों जैसे अनौपचारिक माध्यमों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति पर्यावरणीय जागरूकता का प्रसार करना है।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच) के देश के विभिन्न हिस्सों में चार क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (आरएमएनएच) हैं, जिनमें मैसूरु, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर स्थित क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (आरएमजीएनएच) शामिल हैं। गंगटोक में एक और आरएमएनएच (रिम नेशनल हाइवे) का निर्माण कार्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को कवर करने के लिए चल रहा है।

अप्रैल 2016 में हुए अग्निकांड के बाद, एनएमएनएच नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से संचालित हो रहा है। नई दिल्ली के भैरों मंदिर मार्ग स्थित प्रगति मैदान में एनएमएनएच के स्थायी भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (एनएमएनएच) के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: देश की राजधानी में स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का विकास करके राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्चतम गुणवत्ता स्तर प्राप्त करना; क्षेत्रीय / स्थानीय स्तर पर अपनी कार्यकलापों का विस्तार करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय (प्राकृतिक विज्ञान के संग्रहालय) विकसित करना; पर्यावरण शिक्षा (ईई) पर स्कूली पाठ्यक्रम में सहायता के लिए संग्रहालय-आधारित शैक्षिक परियोजनाएँ विकसित करना; पर्यावरण शिक्षा (ईई) को बढ़ावा देने के लिए ईई संसाधन सामग्री (जैसे ऑडियो-विजुअल एड्स, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री, स्कूल लोन किट आदि) विकसित करना; संग्रहालय के दायरे और संसाधनों के अनुरूप अनुसंधान (संग्रहालय संबंधी और संग्रह-आधारित) करना; प्राकृतिक विज्ञान संग्रह / संग्रहालयों के संबंध में अन्य एजेंसियों / संगठनों को पेशेवर सहायता प्रदान करना; प्राकृतिक इतिहास / ईई से संबंधित अन्य संगठनों / पेशेवर निकायों/ संग्रहालयों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / साझेदारी विकसित करना।

2. निष्पादित कार्यकलाप

- एनएमएनएच और इसके क्षेत्रीय केंद्र वर्ष भर समाज के सभी वर्गों के लिए पर्यावरण जागरूकता पर ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम / कार्यकलाप आयोजित करते रहे हैं, जैसे कि अस्थायी / विषयगत प्रदर्शनियाँ (16), शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ (05), प्रतियोगिताएँ (30), वार्ताएँ/व्याख्यान (43), जन जागरूकता अभियान (61), माह की प्रदर्शनियाँ (29), जलवायु परिवर्तन पर कार्यशालाओं की श्रृंखला (05), विशेष आवश्यकता

वाले / वंचित बच्चों के लिए कार्यक्रम (09), परिसर पक्षी गणना कार्यक्रम (01)।

- शैक्षिक कार्यक्रम / कार्यकलाप

एनएमएनएएच के प्रमुख / महत्वपूर्ण कार्यक्रम / कार्यकलाप आयोजित की गईं, जैसे ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व वानिकी दिवस, पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, वन महोत्सव, विश्व हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, वन्यजीव सप्ताह, शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यशाला, मिशन लाइफ पर जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता ही सेवा विशेष अभियान, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता आदि। उपयोगकर्ताओं की बेहतरी के लिए वेबिनार, ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों और कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न संस्थानों/ संगठनों जैसे सरकारी विभागों / संगठनों, यूएनडीपी और राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य वन विभाग आदि के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार के लिए आधिकारिक वेबसाइट और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। शैक्षिक वीडियो अपलोड करने और साझा करने के लिए एनएमएनएएच के यूट्यूब चैनल का उपयोग किया गया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 'भारत पर्व 2025' (लाल क़िला) में # मिशन लाइफ आधारित एमओईएफसीसी पैविलियन के आयोजन में सहयोग प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत मंडपम में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित मेगा बीच क्लीन-अप कार्यक्रम, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 'ग्लोबल टाइगर डे 2025' समारोह, तथा सेवा पर्व के अंतर्गत भागीदारी की गई। इसमें दिल्ली / एनसीआर के छात्रों को नई दिल्ली स्थित असोला-भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में आमंत्रित किया गया तथा लगभग 800 पौधों का रोपण किया गया।

11.3 मीडिया सेल

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(MoEF&CC) का मीडिया प्रकोष्ठ

मीडिया प्रकोष्ठ को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जागरूकता अभियान संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय नियमों के बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहन मिले।

1. मीडिया, प्रचार एवं सूचना के व्यापक उद्देश्य:

i. सभी स्तरों पर पर्यावरण जागरूकता का सृजन।

ii. पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, वन/वन्यजीव कार्यक्रमों तथा जैव विविधता से संबंधित विषयों पर सूचना का प्रसार।

iii. पर्यावरण के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना।

2. मीडिया प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ:

(क) विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 का आयोजन:

मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी) मनाता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके।

मंत्रालय ने 5 जून, 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 'एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 मनाया। इस कार्यक्रम में उद्योग, नागरिक समाज, छात्रों तथा राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान (एनपीपीआरसी) 5 जून से 31 अक्टूबर, 2025 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने हेतु गतिविधियाँ संचालित की गईं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा मेरी लाइफ पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 'स्वच्छता ही सेवा' कार्यक्रम के दौरान देशभर में 4,23,951 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र किया गया तथा 1,07,155 'से नो टू प्लास्टिक' अभियान चलाए गए।

5 जून, 2025 को प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो में देशभर से लगभग 150 स्टार्टअप, रिसाइक्लर एवं स्थानीय निकायों ने भाग लिया और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नवीन तकनीकों और श्रेष्ठ प्रथाओं का प्रदर्शन किया।

विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 के अंतर्गत तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए:

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट पर स्थानीय निकायों के दृष्टिकोण

(ii) पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन

(iii) प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर): अवसर एवं आगे की राह

मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 के अवसर पर 'प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के निर्माताओं/विक्रेताओं का संकलन' जारी किया। इस संकलन में देशभर में फैली लगभग 1000 इकाइयों का विवरण उपलब्ध है। यह संकलन व्यापक प्रसार और उपयोग हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 पर 'प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने हेतु सरकारी पहलें' विषय पर एक प्रकाशन भी जारी किया गया, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है। इस पुस्तक में सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को रेखांकित किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 के अवसर पर 'एकल-उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्प' विषय पर राष्ट्रीय हैकाथॉन–2025 का शुभारंभ किया। यह पहल राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला का हिस्सा थी। इस पहल ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत स्टार्टअप्स, विज्ञान, अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक इकाइयों को प्लास्टिक अपशिष्ट चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

हैकाथॉन में 931 पंजीकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 231 समाधान प्रस्तुत किए गए। विजेताओं का विवरण निम्नानुसार है:

समस्या कथन–01 के विजेता

प्रतिबंधित पतले प्लास्टिक कैरी बैग (120 माइक्रोन से कम मोटाई), जो नियामक प्रतिबंधों के बावजूद प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा विस्तार योग्य समाधान प्रदान करना।

क्रम	समाधान का शीर्षक	विजेता संस्थान का नाम
1	ए नॉवेल फ्लावर-टू-फिल्म अप्रोच: डिजाइन एंड सीसीडी ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ स्टार्च-बेस्ड बायोप्लास्टिक्स रिइनफोर्स्ड विद हिबिस्कस रोसा-सिनेंसिस फाइबर	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, एमआईटी मणिपाल
2	सॉल्विंग प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट विद जूट-बेस्ड फ्लेक्सिबल कॉम्पोज़िट्स	आईसीएआर-एनआईएनएफईटी, कोलकाता
3	सीवीड-डिराइव्ड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक	पेपर एवं पैकेजिंग प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी रुड़की

समस्या कथन–02 के विजेता

पतली प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल, तकनीकी रूप से व्यवहार्य एवं आर्थिक रूप से व्यावहारिक समाधान प्रदान करना।

क्रम	समाधान का शीर्षक	विजेता संस्थान का नाम
1	फाइकोकोलॉइड अगर-बेस्ड फूड पैकेजिंग मटेरियल	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज
2	ए हाई-परफॉर्मेंस, इको-फ्रेंडली कोटिंग मेड विद राइस स्ट्रॉज़	रेवा विश्वविद्यालय
3	काइटोसान-बेस्ड सस्टेनेबल पैकेजिंग: एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू सिंगल-यूज़ प्लास्टिक्स	पेपर एवं पैकेजिंग प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी रुड़की

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को क्रमशः ₹1,00,000, ₹75,000 तथा ₹50,000 की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

मिशन लाइफ के अंतर्गत 'Ideas4LiFE पहल'

मिशन लाइफ के अंतर्गत वर्ष 2024 में 'Ideas4LiFE पहल' प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, शोधार्थियों आदि से मिशन लाइफ के सात विषयों पर नवोन्मेषी विचार आमंत्रित करना था। कुल 1384 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से प्रत्येक सात विषयों में शीर्ष 3 सहित कुल 21 विचारों को चयनित कर 5 जून, 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया।

जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के अंतर्गत, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर मंत्रालय द्वारा एक 'मिशन लाइफ पवेलियन' स्थापित किया गया। समर्पित लाइफ पवेलियनों में इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले, वर्चुअल रियलिटी अनुभव एवं लाइव प्रदर्शन शामिल थे, जिनके माध्यम से आगंतुकों को मिशन लाइफ के सात विषयों की जानकारी दी गई, उन्हें प्रतिज्ञा लेने तथा सतत जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच) की पहल

विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच) ने "एक राष्ट्र, एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण का अंत" विषय पर विद्यालयी छात्रों के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिताएँ प्रारंभ कीं:

1. कविता लेखन (कक्षा 9–12)
2. स्लोगन लेखन (कक्षा 6–8)
3. नुक्कड़ नाटक (कक्षा 6–12)

विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 के उपलक्ष्य में तथा युवाओं को प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु एनएमएनएच द्वारा "वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण का अंत" विषय पर कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 28 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 19,633 चित्र प्राप्त हुए। इन चित्रों को विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 के दौरान प्रदर्शित किया गया।

(ख) वृत्तचित्र श्रृंखला 'धरती करे पुकार' का निर्माण एवं प्रसारण

मंत्रालय द्वारा 'धरती करे पुकार' शीर्षक से 26 कड़ियों की एक वृत्तचित्र श्रृंखला का निर्माण किया गया, जिसका प्रसारण दूरदर्शन नेशनल पर 10 अगस्त, 2024 से 22 फरवरी, 2025 तक प्रत्येक शनिवार को प्राइम टाइम में किया गया तथा रविवार को पुनः प्रसारित किया गया।

इस श्रृंखला में आर्द्रभूमि, वन, वन्यजीव, एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, जलवायु परिवर्तन, मिशन LiFE, जैव विविधता आदि विषयों को शामिल किया गया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् माइक पांडेय ने इस श्रृंखला का संचालन किया।

(ग) सोशल मीडिया

मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर दिसंबर 2025 तक अनुयायियों (फॉलोअर्स) की संख्या तथा अपलोड की गई सामग्री का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सोशल मीडिया हैंडल	दिसंबर 2025 तक फॉलोअर्स	अपलोड किए गए वीडियो	अपलोड किए गए क्रिएटिव	कुल पोस्ट
1	फेसबुक	2,80,000	11	77	88
2	इंस्टाग्राम	1,11,000	13	81	94
3	X(ट्विटर(	3,01,000	15	88	103
4	यूट्यूब	14,300	19	–	19
5	लिंक्डइन	34,500	8	51	59

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर कई रीपोस्ट भी किए गए। मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियों एवं महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में व्यापक जागरूकता फैलाने के प्रयास किए गए।

(घ) अन्य गतिविधियाँ:

मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों, पर्यावरण प्रतियोगिताओं, जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों एवं शैक्षणिक अभियानों आदि के लिए मंत्रालय के आधिकारिक लोगो तथा मिशन लाइफ के लोगो के रूप में गैर-वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों, शिखर सम्मेलनों, एक्सपो आदि के लिए कुल 34 लोगो समर्थन प्रदान किए गए।

11.4 स्वच्छ और स्वस्थ भारत सेल

1. स्वच्छ और स्वस्थ भारत (एसएसबी) सेल

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

स्वास्थ्य मंत्रालय का एसएसबी सेल स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के लिए जिम्मेदार है।

एसएपी मंत्रालय की छत्र योजना 'पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान एवं कौशल विकास' (ईईएआरएसडी) के 'जागरूकता' घटक का एक भाग है।

ख. प्रमुख उद्देश्य

स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों की देखरेख, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए वर्ष 2017-18 में मंत्रालय में स्वच्छ और स्वस्थ भारत (एसएसबी) प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी।

ग. निष्पादित कार्यकलाप:

जैव शौचालय स्थापित करने के लिए स्वच्छता कार्य योजना 2025-26 को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्यान्वयन एजेंसी एनटीसीए को ₹3.80 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।

घ. महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियाँ

- जैव शौचालयों की स्थापना के लिए स्वच्छता कार्य योजना 2025-26 को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- कार्यान्वयन एजेंसी एनटीसीए को जारी करने के लिए ₹3.80 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
- कार्यान्वयन एजेंसी एनटीसीए को 30.12.2025 तक ₹1.90 करोड़ की राशि जारी की गई।

2. स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

i. सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के

लिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। यह मिशन राष्ट्रव्यापी अभियान/जन आंदोलन के रूप में कार्यान्वित किया गया था जिसका उद्देश्य 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच बंद कराना था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, घरों और समुदायों के स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण और शौचालय निर्माण और उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना शामिल था। ग्रामीण क्षेत्रों में जैव-शौचालय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के निर्माण का कार्य जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सौंपा गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को यह कार्य सौंपा गया है।

ii. स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) भारत सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी पहल है, जिसे कैबिनेट सचिवालय और जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया था। तदनुसार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों ने एसएपी की तैयारी और कार्यान्वयन शुरू कर दिया।

iii. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, एसएपी के तहत किए गए व्ययों की केंद्रीय निगरानी को सक्षम बनाने के लिए, वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिए एक अलग बजट मद बनाया गया था। स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों की देखरेख, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए वर्ष 2017-18 में मंत्रालय में स्वच्छ और स्वस्थ भारत (एसएसबी) प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी।

iv. 2018-21 की अवधि के दौरान एसएपी को एक गैर-योजना कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया था, जिसमें एसएपी कार्यकलाप पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय मद से धनराशि वितरित की गई थी।

v. उपरोक्त प्रक्रियात्मक बाधा को दूर करने और कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए वर्ष 2021-22 में "सामान्य अनुदान सहायता" शीर्षक बनाया गया और स्वच्छता कार्य योजना को "पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास" योजना के पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यधारा में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के दायरे में अब राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जैव-शौचालयों का निर्माण भी शामिल है।

vi. संशोधित योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

1. पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम
2. पर्यावरण अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम
3. पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम

जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर विस्तारित और सुदृढ़ करने के लिए एसएपी को मंत्रालय के अंतर्गत तीसरे घटक के रूप में रखा गया है।

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के प्रमुख उद्देश्य

i. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जैव-शौचालयों का निर्माण करके जागरूकता बढ़ाना।

ii. आगंतुकों/हितधारकों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना और इस प्रकार नागरिकों को शौचालयों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य को बल मिलेगा।

ख. प्रगति/उपलब्धियाँ

एसएपी योजना के तहत जैव-शौचालन स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी एनटीसीए को अब तक कुल ₹12.19 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है, क्योंकि इस योजना को 2021 में ईईएआरएसडी के अंतर्गत मुख्यधारा में शामिल किया गया था।

एसएपी के तहत 2025 में एनटीसीए को ₹1.90 करोड़ की राशि जारी की गई है।

ग. गैर सरकारी संगठनों सहित संस्थानों/संगठनों को जारी की गई अनुदान सहायता।

क्रम संख्या	संगठन का नाम	उद्देश्य	कुल जारी की गई राशि	तृतीय पक्ष आकलन की स्थिति	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)	चयनित बाघ अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य में जैव-शौचालय की स्थापना।	₹1.90 करोड़	पूर्ण	

11.5 आर्थिक प्रभाग

क. परिचय, उद्देश्य और कार्य

मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने के लिए ज़िम्मेदार है:

i. यह मुख्य प्रभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त व्यापार एवं पर्यावरण से संबंधित संदर्भों का निपटारा करता है, जिसमें वाणिज्य विभाग (डीओसी) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से जुड़े मंत्रिमंडल/ मंत्रिमंडलीय समितियों/ सचिवों की समिति के विषय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण हेतु आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को इनपुट प्रदान करना, बजट घोषणाओं पर अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) सचिवालय एवं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ एनसीटीएफ से संबंधित मामलों का समन्वय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ डीबीटी तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों एवं उनसे संबंधित कार्ययोजना के विषयों का निपटारा भी इस प्रभाग के दायरे में आता है।

ii. अन्य मंत्रालयों द्वारा संदर्भित व्यापार संबंधी मामलों पर मंत्रालय के रुख का समन्वय करना, जिसमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी, वन्यजीव और वानिकी मुद्दों पर क्षेत्रीय/ द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय व्यापार समझौते; विश्व व्यापार संगठन द्वारा भारत की व्यापार नीति की समीक्षा; मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए); व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते; द्विपक्षीय निवेश समझौते/ निवेश संरक्षण समझौते आदि शामिल हैं।

iii. मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) द्वारा विचार किए गए/ समीक्षा किए गए प्रासंगिक क्षेत्रों से संबंधित मामलों का समन्वय, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के सचिव एक सदस्य हैं।

iv. डीबीटी योजनाओं से संबंधित मामलों के लिए मुख्य अधिकारी, जिसमें डीबीटी मिशन के साथ समन्वय, डीबीटी भारत पोर्टल पर मंत्रालय की योजनाओं को शामिल करना/हटाना शामिल है।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण कार्यकलाप

- भारत-ईयू, भारत-न्यूजीलैंड और भारत-चिली वार्ताओं के व्यापार और सतत विकास/ पर्यावरण अध्याय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से वार्ताओं में भाग लिया।

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार और वातावरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर टिप्पणियां प्रदान कीं और वाणिज्य विभाग को भेज दीं।

- विभिन्न मंत्रिमंडल नोट्स और ईएफसी पर डीओसी और डीपीआईआईटी को टिप्पणियां प्रदान कीं।

- राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति

(एनडीटीएसपी), कॉफी संवर्धन विकास विधेयक 2025, विस्फोटक अधिनियम 1884 का निरसन और विस्फोटक विधेयक 2025 का पुन: अधिनियमन, मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते का अनुसमर्थन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सीमा पार और कागज रहित व्यापार आदि पर डीसीएन पर टिप्पणियाँ क्रमशः डीओसी और डीपीआईआईटी को प्रस्तुत की गईं।

- औद्योगिक पार्कों के लिए प्लग एंड प्ले विकास योजना, 'भारत से उभरते निर्यात केंद्र' योजना, निर्यात संवर्धन मिशन, फुटवियर और लेदर ओरिएंटेड एडवांसमेंट (फ्लोट) कार्यक्रम, भारत मंडपम के चरण-II विकास पर डीआईबी को ईएफसी/ डीआईबी की टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं।

- पर्यावरण सेवाओं, व्यापार और सतत विकास, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के अध्यायों के अंतर्गत सर्वोपरि राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत माल संबंधी अध्याय और ऊर्जा एवं कच्चा माल संबंधी अध्याय, भारत-कोरिया सीईपीए वार्ता के अंतर्गत हितधारक परामर्श, आसियान-भारत माल व्यापार समझौते, भारत-मॉरीशस, भारत-न्यूजीलैंड, भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते, भारत-चिली मुक्त व्यापार समझौते के लिए टैरिफ लाइनें, भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए, भारत-चिली, भारत-न्यूजीलैंड के अंतर्गत पर्यावरण सेवाएँ, भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार समझौते के लिए पर्यावरण संबंधी विशिष्ट मुद्दे, भारत-रूस जेटको के पर्यावरण संबंधी मामलों पर टिप्पणियाँ / सुझाव प्रदान किए और भारत-ऑस्ट्रेलिया आरओओ (उत्पत्ति के नियम) पर टिप्पणियाँ / सुझाव दिए गए।

- वाणिज्य विभाग को टिप्पणियाँ प्रदान कीं और भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के तहत वार्ता में भाग लिया। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग द्वारा भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए के संबंध में मांगी गई सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) पर लिखित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया।

- विश्व बैंक के बी-रेडी मेथोडोलॉजी फ्रेमवर्क से संबंधित सभी प्रश्नों और कार्य योजना पर अद्यतन प्रतिक्रिया तैयार कर डीपीआईआईटी को भेज दी गई है।

- आसियान-भारत व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के लिए टैरिफ लाइनों के संबंध में वाणिज्य विभाग को सुझाव / टिप्पणियाँ प्रदान कीं। इस विभाग ने एआईटीआईजीए की समीक्षा और वार्ता के बाद के दौरों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

- व्यापार संबंधी विभिन्न मुद्दों पर डीओसी को सुझाव दिए, डीपीआईआईटी की संसदीय स्थायी समिति को जवाब दिए।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के लिए सामग्री तैयार की और डीईए को आईएफएडी-सीओएसओपी की देश रणनीति और कार्यक्रम आकलन रिपोर्ट से संबंधित मामलों पर टिप्पणियाँ / सुझाव दिए।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित बजट अनुच्छेदों का विश्लेषण तैयार किया और डीईए को बजट घोषणा / बजट अनुच्छेदों पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- ई-समीक्षा मामलों से संबंधित कार्रवाई बिंदुओं पर इनपुट / अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई।

- डीबीटी योजनाओं की उपलब्धियों पर मासिक प्रगति और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय को प्रस्तुत की गई।

11.6 सांख्यिकी प्रभाग

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सांख्यिकी

प्रभाग, मंत्रालय के सभी विभागों और, जहां आवश्यक हो, इसके अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करता है, ताकि सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन, प्रसंस्करण और व्याख्या की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। सांख्यिकी विभाग मंत्रालय में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के समन्वय इकाई के रूप में भी कार्य करता है।

मंत्रालय का सांख्यिकी विभाग निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत विभिन्न कार्य करता है:

I. मंत्रालय में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संबंध में की गई कार्यकलाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लागू कर रहा है और विशेष रूप से एसडीजी लक्ष्य 12, 13 और 15 के लिए जिम्मेदार है। सांख्यिकी विभाग सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए प्रमुख विभाग के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय में एसडीजी और संबंधित ढांचों के कार्यान्वयन के लिए समन्वय करता है। एसडीजी समन्वय इकाई की भूमिका निम्नलिखित है-

i. नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और एसडीजी वैश्विक संकेतकों की संरक्षक एजेंसियों के साथ समन्वय।

ii. मेटाडेटा, बेसलाइन डेटा और डेटा प्रवाह के लिए प्रभागों और विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के साथ समन्वय ।

iii. आंकड़ों में कमियों को दूर करना और सतत विकास लक्ष्यों के लिए विभिन्न संकेतकों की गणना हेतु वैकल्पिक कार्यप्रणाली का सुझाव देना।

iv. सतत विकास लक्ष्यों के संकेतकों में सुधार के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (उच्च स्तरीय संचालन समिति) की उच्च स्तरीय समिति में मंत्रालय के समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

v. मेटाडेटा और संकेतकों के परिष्करण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

vi. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कार्य किए गए-

क. एसडीजी एनआईएफ के लिए दो नए संकेतकों, अर्थात् 13.2.3: "पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने वाले उद्योगों का प्रतिशत" जिसके लिए डेटा स्रोत सीपीसीबी है और 15.2.2 "वन आवरण में कार्बन स्टॉक में प्रतिशत परिवर्तन" जिसके लिए डेटा स्रोत एफएसआई है, को अंतिम रूप दिया गया। इन संकेतकों का उल्लेख एसडीएफ एनआईएफ 2024 प्रगति रिपोर्ट में किया गया है।

ख. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संकेतकों के लिए 2025 के व्यापक समीक्षा प्रस्ताव के संबंध में, दो संकेतकों के बारे में सुझाव दिए गए थे:

- चेक वन प्रबंधन का खंड 15.2.1 "सतत वन प्रबंधन की दिशा में प्रगति"

- 15.9.1 (क) तुर्की सांख्यिकी संस्थान द्वारा 'रणनीतिक जैव-विविधता योजना 2011–2020' के अंतर्गत आइची जैव-विविधता लक्ष्य-2 के अनुरूप या उससे मिलते-जुलते राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति एवं कार्ययोजनाओं में स्थापित करने वाले देशों की संख्या तथा इन लक्ष्यों की दिशा में रिपोर्ट की गई प्रगति।

vii. भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र वित्तीय परिषद (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2005 और 2020 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी प्रदर्शित की है। संबंधित एनआईएफ एसडीजी 13.2.1, 2020 से पहले की कार्रवाई: है! देश की प्राथमिकता के अनुसार 2020 से पहले के लक्ष्यों की उपलब्धि (2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में प्रतिशत कमी)

II . पर्यावरण सांख्यिकी के संबंध में की गई कार्यकलाप

i. सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन, प्रसंस्करण और व्याख्या की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी विभागों और, जहां आवश्यक हो, इसके अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना।

ii. पर्यावरण सांख्यिकी विकास ढांचे (एफडीईएस) के अनुरूप आधिकारिक सांख्यिकी के विकास पर तकनीकी इनपुट प्रदान करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के साथ समन्वय करता है।

iii. इस विभाग ने पर्यावरण सांख्यिकी पर 'एनविस्टैट्स' । प्रकाशनों के प्रकाशन के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सहयोग प्रदान किया। सांख्यिकी विभाग ने मंत्रालय की ओर से वनों, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवन और प्रदूषण से संबंधित आंकड़ों पर इनपुट प्रदान करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय किया, ताकि एनविस्टैट्स-इंडिया 2024; खंड । का प्रकाशन किया जा सके। इस प्रकाशन में छह अलग-अलग अध्याय, जैसे पर्यावरणीय स्थितियाँ और गुणवत्ता, पर्यावरणीय संसाधन और उनका उपयोग, अवशेष, चरम घटनाएँ और आपदाएँ, मानव बस्तियां और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, और पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और सहभागिता शामिल हैं।

III. पर्यावरण लेखांकन से संबंधित कार्यकलाप

1) यह विभाग पर्यावरण एवं आर्थिक लेखा प्रणाली (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) के भीतर और अन्य मंत्रालयों तथा संयुक्त राष्ट्र के साथ प्राकृतिक पूंजी लेखांकन, एसईईए (पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली) और पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के विकास के संबंध में समन्वय के लिए भी जिम्मेदार है।

2) इस विभाग ने पर्यावरण लेखा के लिए आंकड़े और जानकारी उपलब्ध कराने में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) का समर्थन किया।

3) भारत में महासागर पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन पर विशेषज्ञ समूह का गठन महासागर पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के संकलन के लिए एमओएसपीआई द्वारा किया गया था। विभाग भारत के महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र खातों के संकलन के लिए टिप्पणियाँ प्रदान करता है और बैठकों में भाग लेता है।

IV. पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक तथा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का सुधार एवं विकास से संबंधित वैश्विक सूचकांकों के डैशबोर्ड से जुड़ा कार्य:

भारत सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय और नीति आयोग के निर्देशों के तहत विभिन्न वैश्विक सूचकांकों पर चल रही कार्यविधियों के संदर्भ में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) के लिए प्रमुख मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है।

ईपीआई और सीसीपीआई के लिए उपयोग किए जा रहे वैश्विक डेटा सेटों का विश्लेषण किया गया और इन डेटा सेटों के लिए उपयोग किए जा रहे भारतीय डेटा स्रोतों की भारतीय डेटा सेटों से उनके जुड़ाव, प्रकाशन में लगने वाले समय अंतराल और उन पर किए गए डेटा रूपांतरणों के संदर्भ में जांच की गई। आंकड़ों में विसंगतियों और कार्यप्रणाली संबंधी खामियों की गहन जांच की गई।

V. डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक

डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) का निर्माण विकास निगरानी एवं आंकलन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और गैर-योजना माध्यमों के तहत उत्पन्न और प्रबंधित डेटा के

डिजिटलीकरण, सुरक्षा, गुणवत्ता और उचित उपयोग के स्तर के आधार पर मंत्रालयों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है जिसमें मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी पहले से ही मौजूद होगी। प्रभाग ने मंत्रालय के अन्य प्रभागों के साथ समन्वय में सीएस/सीएसएस योजनाओं तथा मंत्रालय के गैर-योजना हस्तक्षेपों के लिए भरी गई प्रश्नावली को डीएमईओ के डैशबोर्ड पर प्रस्तुत किया। मंत्रालय का स्कोर 2021-22 की कई तिमाहियों के दौरान 3.08 से सुधरकर 2023-24 की चौथी तिमाही में 4.50 हो गया है।

VI. डेटा गवर्नेंस और प्रबंधन

यह विभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भीतर डेटा गवर्नेंस और डेटा प्रबंधन के लिए प्रमुख प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, प्रलेखन, प्रसार और राष्ट्रीय डेटा नीतियों और ढाँचों के अनुपालन से संबंधित मामलों का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होते हैं।

11.7 क्षेत्रीय सचिव समूह - संसाधन (एसजीओएस-3) और विकसित भारत

संसाधन सचिवों के क्षेत्रीय समूह (एसजीएसआर) प्रकोष्ठ, संसाधन संबंधी सचिवों के क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस-3) से संबंधित मामलों के लिए मंत्रालय के भीतर प्रमुख समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह सेल विजन @ 2047 के तहत क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों के निर्माण, समेकन और अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय के सभी संबंधित डिवीजनों के साथ-साथ एसजीओएस-3 में प्रतिनिधित्व करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। इस भूमिका में, एसजीएसआर सेल यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय की दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताएँ सतत विकास, कुशल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित हों।

यह सेल मंत्रालय के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की व्यवस्थित और नियमित निगरानी को भी सक्षम बनाता है, जो एसजीओएस-3 के 5-वर्षीय विजन 2024 की अनुशंसाओ से प्राप्त किए गए हैं। यह इन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के विरुद्ध प्रगति की आवधिक समीक्षा करता है, कमियों को दूर करने के लिए अंतर-विभागीय परामर्श की सुविधा प्रदान करता है और निर्धारित लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य-आधारित रिपोर्टिंग का समर्थन करता है।

इसके अतिरिक्त, एसजीएसआर सेल, विकसित भारत पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-वीबी) से संबंधित मामलों पर नीति आयोग के साथ समन्वय के प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय से समय पर सुझाव, प्रगति रिपोर्ट और नीतिगत प्रतिक्रिया प्राप्त करना सुनिश्चित करता है और मंत्रालय की पहलों और विकसित भारत की प्राप्ति के लिए व्यापक राष्ट्रीय एजेंडा के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है।

11.8 गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सेल

पर्यावरण और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से संबंधित नीतिगत मामलों से निपटने के लिए मंत्रालय में एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) प्रकोष्ठ कार्यरत है। यह सेल सीधे गैर सरकारी संगठनों को धनराशि वितरित नहीं करता है। वित्तीय सहायता मंत्रालय के संबंधित योजना प्रभागों द्वारा जारी की जाती है। इस प्रकोष्ठ की प्राथमिक भूमिका गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित दिशा-निर्देशों, निर्देशों और नीतिगत मुद्दों पर नीति आयोग, मंत्रालय के कार्यक्रम प्रभागों और अन्य सरकारी मंत्रालयों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए एक प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करना है।

नीति आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार और दर्पण 2.0 ढांचे के अनुरूप, मंत्रालय के लिए एक समर्पित वेब-आधारित एनजीओ पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली सभी एनजीओ-संबंधित गतिविधियों के लिए एक एकल-खिड़की मंच के रूप में कार्य करेगा।

अध्याय - 12

प्रशासन और नागरिक निर्माण

12.1 प्रशासन

प्रशासन (पी-I):

1. परिचय एवं उद्देश्य

- मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके उप-कार्यालयों के वैज्ञानिक पदों का संवर्ग प्रबंधन, मंत्रालय के वैज्ञानिक पदों का सृजन। मंत्रालय (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके उप-कार्यालयों के सभी वैज्ञानिक पदों की स्थापना/सेवा संबंधी मामले, जैसे नियुक्ति, पदोन्नति, कार्य आवंटन, अदालती मामले, अवकाश और सेवानिवृत्ति लाभ (मंत्रालय, मुख्यालय में तैनात लोगों के लिए)। मंत्रालय के वैज्ञानिक पदों का सृजन और उनका निरंतर जारी रखना।

- मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके उप-कार्यालयों के तकनीकी पदों का संवर्ग प्रबंधन, मंत्रालय के तकनीकी पदों का सृजन। मंत्रालय (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उसके उप-कार्यालयों के सभी तकनीकी पदों के स्थापना/सेवा संबंधी मामले, जैसे नियुक्ति, पदोन्नति, कार्य आवंटन, अदालती मामले, अवकाश और सेवानिवृत्ति लाभ (मंत्रालय, मुख्यालय में तैनात लोगों के लिए)।

- मंत्रालय के तकनीकी पदों की भर्ती और भर्ती नियमों का निर्माण।

- मंत्रालय के कैंटीन कर्मचारियों का संवर्ग प्रबंधन, जिसमें नियुक्ति, पदोन्नति, स्थापना/सेवा संबंधी मामले, अदालती मामले, अवकाश और सेवानिवृत्ति लाभ आदि शामिल हैं।

- पी-I अनुभाग की संवर्ग पद संख्या पर समूह 'क' 'ख' और 'ग' के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी मामले।

- मंत्रालय के भ व सेवा अधिकारियों के अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' के अधिकारियों / कर्मचारियों के एसीआर / एपीएआर का रखरखाव।

- मंत्रालय के *भाव* सेवा अधिकारियों के अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के छुट्टी यात्रा रियायत, सामान्य भविष्य निधि, मकान निर्माण अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिमों की प्रक्रिया।

- मंत्रालय के पर्यावरण विभाग के संबंध में एफटीपी की प्रक्रिया और विदेशी प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करना।

- वैज्ञानिक, तकनीकी और कैंटीन कर्मचारियों के चिकित्सा अग्रिम और प्रतिपूर्ति मामलों की प्रक्रिया।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इंटर्नशिप योजना।

- मंत्रालय के *भाव* सेवा अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों की एफआर 56(जे) और अन्य समान प्रावधानों के तहत सेवाओं की समीक्षा। एफआर 56(जे) से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना और उसे प्रोबिटी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए *भाव* सेवा प्रभाग को भेजना।

- भारत सरकार के पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व (आरआरसीपीएस) पोर्टल पर डेटा का अद्यतन।

- बजट संबंधी मामले सचिवालय प्रमुख से संबंधित हैं, जो जीए अनुभाग द्वारा संभाले जाने वाले मामलों से भिन्न हैं।

ख. संपन्न की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

इस अवधि के दौरान, प्रशासन विभाग द्वारा संपन्न की गई प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

- विभिन्न श्रेणियों में 06 वैज्ञानिकों की नियुक्ति सीधी भर्ती के आधार पर की गई।

- 01 शोध सहायक (पर्यावरण) की सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती।

- कर्मचारी चयन आयोग को 02 अनुसंधान सहायकों (पर्यावरण), 02 अनुसंधान अन्वेषकों (वानिकी) और 01 तकनीकी सहायक (वन्यजीव) की भर्ती के लिए अनुरोध भेजा गया है।

- संघ लोक सेवा आयोग को सीधी भर्ती आधार पर 03 तकनीकी अधिकारी (वानिकी) ग्रेड II की भर्ती के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

- इस अवधि के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों और पीजी पोर्टल मामलों की निगरानी और समय पर निपटान।

- सेवानिवृत्ति लाभों संबंधी समय पर कार्यवाही।

  1. शीतकालीन सत्र 2024-25 और ग्रीष्मकालीन सत्र 2025 के लिए इंटर्नशिप योजना लागू कर दी गई है।

  2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तकनीकी संवर्ग में 02 अधिकारियों की पदोन्नति।

  3. तकनीकी स्टाफ के संबंध में एपीएआर का कार्य स्पैरो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया गया।

  4. जीपीएफ, एलटीसी, मेडिकल बिल आदि की प्रक्रिया ई-एचआरएमएस के माध्यम से प्रारंभ की गई।

ग. सरकारी पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े:

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई डब्लू एस वर्ग और दिव्यांगजन वर्ग के पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े (दिनांक 01.01.2026 तक):

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	दिव्यांगजन	अन्य	कुल
25	11	40	3	4	73 (दिव्यांगजन को छोड़कर)	156

ii. वर्ष के दौरान भरी गई आरक्षित श्रेणी की बैकलॉग रिक्तियाँ तथा शेष रिक्तियाँ, उनके न भरे जाने के कारणों सहित:

बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

- अनुसूचित जाति -02 (पदोन्नति), ईडब्ल्यूएस-01 (डीआर), दिव्यांगजन -03 (डीआर), अन्य पिछड़ा वर्ग -01 (डीआर)। वर्ष 2025 के दौरान ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 01 लंबित पद ही भरा गया। योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण शेष रिक्त पदों को भरा नहीं जा सका।

iii. संपर्क अधिकारियों का विवरण:

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पूर्व सैनिक / ई डब्लू एस / दिव्यांग व्यक्ति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है।

iv. आरक्षण प्रकोष्ठ का विवरण:

विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन कार्यालय आदेश संख्या A-14011/2/2013-P.I दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से किया गया था।

प्रशासन (पी-II):

- सीएसएसएस / सीएसएस / सीएससीएस, केंद्रीय कर्मचारी योजना, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों का संवर्ग प्रबंधन।

- सचिवालय समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' पदों से संबंधित सभी स्थापना एवं सेवा विषय, इसमें राजभाषा

कर्मचारी भी शामिल हैं। भारतीय वन सेवा तथा राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको-डेवलपमेंट बोर्ड के संवर्ग पर कार्यरत अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं। कार्य-क्षेत्र में नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदस्थापन, समीक्षा प्रकरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही, अवकाश से जुड़े मामले, सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सीय दावे, ट्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति और अवकाश नकदीकरण शामिल हैं तथा बच्चों की शिक्षा भत्ता तथा न्यायालयीन प्रकरणों का निपटारा भी किया जाता है।

- भर्ती नियमों का निर्माण / संशोधन और गैर-तकनीकी संवरगबाह्य पदों की भर्ती, जैसे कि मंत्रालय के स्टाफ कार चालक, प्रोटोकॉल अधिकारी और एमटीएस।
- अखिल भारतीय सेवाओं (*भाव* सेवा संवर्ग को छोड़कर) और सभी सचिवालय अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- मंत्री के कर्मचारियों से संबंधित मामले।
- कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग।
- चुनाव संबंधी कार्यों के लिए कर्मियों की तैनाती।
- वैज्ञानिक, तकनीकी और *भाव* सेवा अधिकारियों के अलावा सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के बीच कार्य का आवंटन।
- ई-एचआरएमएस के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्य प्रभाग।
- सुप्रीमो पोर्टल पर एवीएमएस प्रमाणपत्र का निर्माण।
- मिशन मोड भर्ती के तहत रिक्त पदों को भरने की निगरानी करना।
- अखिल भारतीय सेवाओं और सचिवालय के अधिकारियों के पेंशन मामलों की प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति लाभों का वितरण।
- मिशन कर्मयोगी से संबंधित कार्य।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले (रोकथाम, निषेध और निवारण)

प्रशासन (पी-III):

क परिचय:

वर्ष 1986 में वैज्ञानिक विभागों / मंत्रालयों के पुनर्गठन के बाद समूह 'क' के वैज्ञानिक पदों को सं लो सेवा आयोग के दायरे से अलग किया गया। इसी अवधि में फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम (एफसीएस) लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय में पी–III अनुभाग की विशेष रूप से स्थापना की गई। यह अनुभाग एक पृथक, केंद्रीकृत और गोपनीय इकाई के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य समूह 'क' के वैज्ञानिक पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती / प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति करना है। यह अनुभाग एफसीएस के अंतर्गत पदोन्नति से जुड़े मामलों का भी निपटारा करता है। यह व्यवस्था मंत्रालय, उसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में स्थित समूह 'क' वैज्ञानिक पदों पर लागू होती है।

उद्देश्य:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक समूह ' क ' पदों के नियम, 2015 के अनुसार मंत्रालय के सभी समूह ' क ' वैज्ञानिक पदों पर भर्ती, जिसमें इसके क्षेत्रीय कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं।

ii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक समूह ' क ' पदों के नियम, 2015 के अनुसार लचीली पूरक योजना (एफसीएस) के तहत पदोन्नति के लिए समूह 'ए' के वैज्ञानिकों की समीक्षा / मूल्यांकन।

iii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक समूह ' क ' पदों के नियम, 2015 में संशोधन / व्याख्या।

ख निष्पादित गतिविधियाँ:

(क) भर्ती

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वैज्ञानिकों के 33 पदों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने

के लिए मार्च 2025 में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इनमें से वैज्ञानिक 'जी' (निदेशक-बीएसआई) का 01 पद एसीसी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद पहले ही भर दिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में कुछ और पदों को भरने के लिए एक और विज्ञापन प्रकाशन की प्रक्रिया में है।

(ख) पदोन्नति

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, संशोधित लचीली पूरक योजना (आरएफसीएस) संशोधित लचीली पूरक योजना का स्थान लेगी, जो कि प्रभावी तिथि से लागू होगी। 01.07.2024 को, वर्तमान में भ व सेवा को लागू करने वाले सभी वैज्ञानिक मंत्रालय / विभाग संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों में संशोधन करके संशोधित एफसीएस के प्रावधानों को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे, ताकि भर्ती नियमों को संशोधित एफसीएस के प्रावधानों के अनुरूप लाया जा सके।

(सी) अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों / विभागों द्वारा गठित विभिन्न मूल्यांकन समितियों / बोर्डों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विशेषज्ञों / बाह्य सदस्यों का नामांकन, जो उनके संगठन में वैज्ञानिक पदों के संबंध में पदोन्नति / उन्नयन / प्रत्यक्ष भर्ती पर विचार करने के लिए गठित किए गए हैं।

12.2 भारतीय वन सेवा (भाव सेवा) संवर्ग प्रबंधन

जनादेश:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय वन सेवा के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है।
- *भाव* सेवा विभाग सेवा के सभी संवर्ग प्रबंधन संबंधी मामलों से निपटता है।
- 1 जनवरी, 2025 को भारतीय वन सेवा की कुल अधिकृत संवर्ग संख्या 3193 (तीन हजार एक सौ तिरानवे) है, जिसमें 2242 (दो हजार दो सौ बयालीस) सीधी भर्ती और 951 (नौ सौ इक्यावन) पदोन्नति पद शामिल हैं। भारतीय वन सेवा में कुल वरिष्ठ कर्तव्य पद (एसडीपी) 1960 (एक हजार नौ सौ साठ) हैं और शेष विभिन्न आरक्षित क्षेत्रों के अधीन हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 वन विभागों में सेवा देने के अलावा, बड़ी संख्या में *भाव* सेवा अधिकारी राज्यों और केंद्र दोनों में विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।

भाव सेवा प्रभाग की गतिविधियाँ:

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रत्यक्ष भर्ती भारतीय वन सेवा अधिकारियों की नियुक्ति।
- संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों का निर्धारण और नियमों का निर्माण तथा भाव सेवा परिवीक्षाधीन कर्मियों को संवर्ग का आवंटन।
- भारतीय वन सेवा में पदोन्नति द्वारा राज्य वन सेवा अधिकारियों की भर्ती के लिए रिक्तियों का निर्धारण, चयन समिति की बैठकों का समन्वय, चयनित सूची की अधिसूचना और भारतीय वन सेवा में भर्ती किए गए अधिकारियों को आवंटन का वर्ष।
- विभिन्न कैडरों में भाव सेवा की संरचना और संख्या में संशोधन और संवर्ग की समीक्षा।
- मंत्रालय की केंद्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भारतीय वन सेवा अधिकारियों का चयन / नियुक्ति और भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून आदि सहित विभिन्न स्वायत्त निकायों में नियुक्ति के लिए संवर्ग मंजूरी।

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) की केंद्रीय भर्ती योजना के तहत भाव सेवा अधिकारियों के चयन / नियुक्ति में सुविधा प्रदान करना।

- अंतर-संवर्ग तबादलों, अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति, तैनाती / प्रशिक्षण के लिए संवर्ग मंजूरी और अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों जैसे विभिन्न सेवा मामलों को अंतिम रूप देना।

- एजीएमयूटी संवर्ग का प्रबंधन, जिसमें पदोन्नति, तबादले, पदस्थापन और अन्य सेवा संबंधी मामले शामिल हैं।

- भाव सेवा अधिकारियों की सिविल सूची का प्रकाशन।

- सेवा में कार्यरत भाव सेवा अधिकारियों की पुष्टि।

उपलब्धियाँ:

क. भारतीय वन सेवा (भाव सेवा) में राज्य वन सेवा (एसएफएस) के अधिकारियों की भर्ती के लिए 24 कैडरों के संबंध में रिक्तियों का निर्धारण किया गया है।

ख. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2024 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा अनुशंसित 148 उम्मीदवारों की पैदल और चिकित्सा परीक्षा आयोजित की गई और 140 उम्मीदवारों (01 अनंतिम उम्मीदवार सहित) को नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

ग. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नागालैंड राज्यों के लिए भारतीय वन सेवा की संवर्ग समीक्षा 2025 में अधिसूचित की गई है। मध्य प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों के लिए संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव अधिसूचना हेतु विभाग को प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य राज्यों की संवर्ग समीक्षा संबंधित राज्य सरकारों / स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से विचाराधीन है।

घ. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षत्र (एजीएमयूटी) के संयुक्त संवर्ग प्राधिकरण (जेसीए) की दो बैठकें 2025 में आयोजित की गई हैं।

ड. एआईजीएफ, डीआईजीएफ, आईजीएफ, डीडीजीएफ, एडीजीएफ और डीजीएफ में पदों को भरने के लिए रिक्ति परिपत्र समय पर जारी किए गए। एआईजीएफ, डीआईजीएफ, आईजीएफ, डीडीजीएफ और एडीजीएफ स्तर पर पदों को भरने के लिए रिक्ति परिपत्र दो बार जारी किया गया था। वर्ष 2025 में मंत्रालय की केंद्रीय भर्ती योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर 34 भाव सेवा अधिकारियों का चयन किया गया है।

च. सीएसएस-एमओईएफ एंड सीसी योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। सीएसएस-एमओईएफ एंड सीसी योजना के तहत पैनल में शामिल करने संबंधी दिशानिर्देश एसीसी की मंजूरी के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिए गए हैं।

छ. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात भाव सेवा अधिकारियों के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (एसपीएआरओ) में तैयार किया गया है।

झ. 01.01.2025 तक भाव सेवा अधिकारियों की अद्यतन सिविल सूची प्रकाशित की गई।

12.3 सतर्कता अनुभाग

- ए जी एम यु टी संवर्ग के सभी सेवारत और सेवानिवृत भाव सेवा अधिकारीयों , वन एवं जलवायु मंत्रायल के अधीन अन्य अधिकारीयों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही (सतर्कता के पहलु सहित) शुरू करना यदि आवश्यक है।

- राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित भाव सेवा अधिकारीयों पर बर्खास्तगी / अनिवार्य निष्कासन (सतर्कता संभंधि पहलुओं से संबंधी) आदि जैसे डंडों के अधीरोपड के मामलों की जांच और प्रक्रिया

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दायर की गई अपीलें (निलंबन के विरुद्ध अपीलें सहित)/समीक्षा, जिनमें सभी भाव सेवा अधिकारी शामिल हैं।

- प्रारंभिक सूचना एवं जांच व जाँच संचालक के लिए जांच अधिकारी (आईओ) और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (पीओ) की नियुक्ति एवं संचालन करना।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों (सभी आईएफसी अधिकारियों सहित) के कदाचार से संबंधित सतर्कता शिकायतों का निपटान आम जनता / संगठनों / केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी / सीवीसी पोर्टल)/पीएमओ कार्यालय आदि से प्राप्त हुआ। 01.01.2024 से 03.11.2024 की अवधि के दौरान, सीवीसी / सीवीसी पोर्टल और सीधे मंत्रालय में लगभग 171 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी जांच की गई और पुरानी शिकायतों सहित 140 शिकायतों को बंद / फाइल / आगे बढ़ाया गया।

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट), 1988 के तहत भारतीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों और स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सेवारत / सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी। इस अवधि के दौरान अभियोजन के लिए मंजूरी का 1 (एक) मामला स्वीकृत किया गया।

- विभिन्न मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ संपर्क स्थापित करना और मंत्रालय के विभिन्न विभागों से सूचना /दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करना।

- संवेदनशील पदों की पहचान करना और ऐसे संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण सुनिश्चित करना। प्रशासन विभाग को संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमित रूप से रोटेशन करने के लिए कहा जाता है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों (जिनमें भाव सेवा अधिकारी भी शामिल हैं) के वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (एआईपीआर) की प्राप्ति और जांच।

- मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता के दृष्टिकोण से मंजूरी के अनुसार, इस अवधि के दौरान 1445 सतर्कता संबंधी मंजूरी प्रदान की गई।

- सभी अदालती मामलों में सतर्कता का पहलू शामिल होता है।

- आचरण नियम, 1964 और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के अंतर्गत चल / अचल संपत्ति की अनुमति /सूचना।

- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निवारक उपाय।

- सीवीसी के निर्देशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन ।

विजिलेंस जागरूकता सप्ताह इस वर्ष मंत्रालय में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक मनाया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने 27.10.2025 को मंत्रालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को सतर्कता शपथ दिलाई।

"विजिलेंस: हमारी साझा जिम्मेदारी" विषय पर 29.10.2025 को एक पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। 31.10.2025 को एक एक्सटेम्पोर (तत्काल भाषण) प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशंसा पत्र और नकद पुरस्कार ई-भुगतान के माध्यम से प्रदान किए गए।

12.4 संसद अनुभाग

क. परिचय:

संसद प्रभाग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित संसद के सभी मामलों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

ख. संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न:

वर्ष 2025 के दौरान 19 दिसंबर 2025 को राज्य सभा के 269वें सत्र तथा 18वीं लोक सभा के 6वें सत्र के समापन तक, मंत्रालय द्वारा अपने कार्यों से संबंधित कुल 824 संसदीय प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

राज्य सभा में कुल 415 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जिनमें से 43 तारांकित तथा 372 अतारांकित थे। लोक सभा में 409 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जिनमें से 27 तारांकित तथा 382 अतारांकित थे।

इन प्रश्नों में मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विषय शामिल थे, जिनमें प्रमुख रूप से प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव, वन संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण प्रभाव आकलन, जैव विविधता, आर्द्रभूमि आदि से संबंधित प्रश्न शामिल थे।

वर्ष 2025 में मंत्रालय द्वारा दिए गए संसदीय प्रश्नों के उत्तरों का ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण, राज्य सभा के 269वें सत्र और 18वीं लोक सभा के 6वें सत्र के समापन तक दर्शाया गया है।

(i) राज्यसभा

सवाल	267वां सत्र	268वां सत्र	269वां सत्र	कुल योग
तारांकित	20	10	13	43
अतारांकित	173	117	82	372
कुल	193	127	95	415

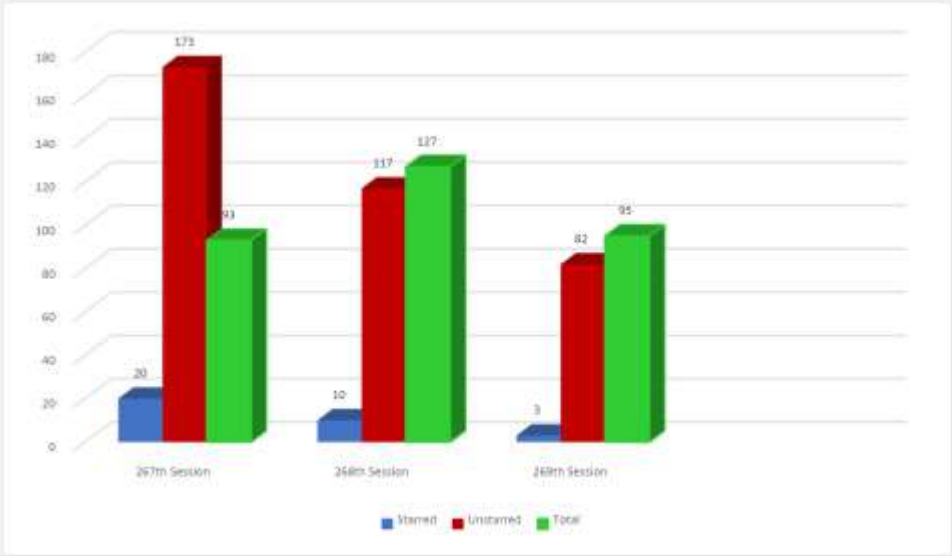

(ii) लोकसभा

प्रश्न	चौथा सत्र	5वां सत्र	6 वां सत्र	कुल योग
तारांकित	8	12	7	27
अतारांकित	145	164	73	382
कुल	153	176	80	409

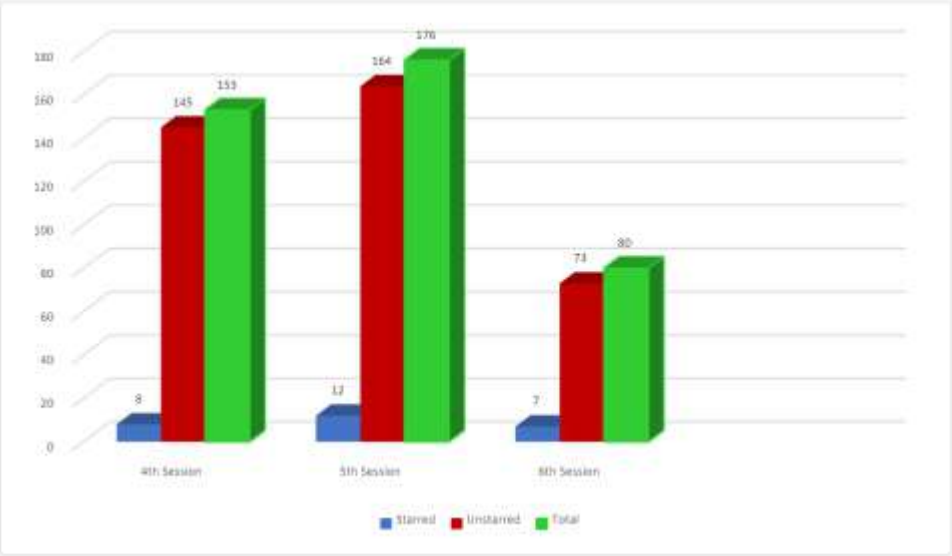

ग. संसदीय स्थायी समिति और परामर्श समिति की बैठकें:

वर्ष 2025 के दौरान संसदीय प्रभाग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति की चार बैठकों का समन्वय किया।

इन बैठकों में अनुदानों की मांग (2025–26), दिल्ली–एनसीआर में जल प्रदूषण और इसके शमन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदम (दो बैठकें) तथा दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण और इसके शमन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदम जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) से संबंधित मामले तथा मानव–वन्यजीव संघर्ष जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

12.5 सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस

क . परिचय, उद्देश्य और कार्य

सरकारी कामकाज गहन ज्ञान और सूचना साझाकरण पर आधारित है। प्रभावी संचार और सुदृढ़ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एक दूसरे के पूरक हैं। विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न ई-गवर्नेंस गतिविधियों / परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है।

ख . संपन्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- मंत्रालय और उसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों में ई- ऑफिस का कार्यान्वयन।
- LAN/WAN की स्थापना।
- आईटी अवसंरचना को मजबूत करना।
- साइबर सुरक्षा प्रबंधन।
- वैज्ञानिकों सहित सभी अधिकारियों के लिए स्पैरो का प्रबंधन।
- परिवेश 2.0 का कार्यान्वयन।
- ऑनलाइन सहमति प्रबंधन का कार्यान्वयन।

ग. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए कार्य:

i. आईटी विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण:

- सरकार में निर्णय प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना' कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा सहायक कर्मचारियों के पुनः कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), प्रयागराज; भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भोपाल को ई-ऑफिस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया।

ii. बैठकों में सुविधा प्रदान करना:

- ईएसी बैठकों सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के आयोजन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- वेबेक्स और भारत वीसी प्रणाली का उपयोग करके मीटिंग आईडी बनाना और मॉडरेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित करना।

iii. साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय:

- मंत्रालय में साइबर सुरक्षा तैयारियों के तहत नेटवर्क सुरक्षा उपकरण सेंटिनलवन ईडीआर और यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट (यूईएम) को लागू किया गया। यूईएम की स्थापना से (i) एंडपॉइंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, (ii) ऑपरेटिंग सिस्टम पैच अपडेट, (iii) तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर - इंस्टॉल करना, अपडेट करना और हटाना, (iv) भेद्यता मूल्यांकन, (v) एंड पॉइंट पॉलिसी प्रबंधन और (vi) एंडपॉइंट स्क्रिप्टिंग को सुनिश्चित किया |
- मंत्रालय के अधीन पंजीकृत 219 वेबसाइट /

पोर्टल का संकलन किया गया, जिनमें से 32 डोमेन निष्क्रिय कर दिए गए और 7 डोमेन संबंधित मंत्रालय / विभागों को हस्तांतरित कर दिए गए।

- मंत्रालय के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) का मसौदा तैयार किया गया।

iv. आईटी सेवाएँ

- सम्मेलन हॉलों के नवीनीकरण के लिए तकनीकी सलाह प्रदान की और चालू होने के बाद सभी आईटी संबंधी उपकरणों का परीक्षण किया।

- मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस उपयोगकर्ताओं को गैर-एनआईसी आईएसपी से एक्सेस करने के लिए वीपीएन एक्सेस प्रदान किया गया।

- 120 अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) बनाया गया।

- ई-ऑफिस के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए @gov.in डोमेन में ईमेल आईडी बनाई गई।

- बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (बीएएस) को लागू किया और उसका प्रबंधन किया।

- मंत्रालय के आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया।

- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों की जांच।

v. वेबसाइटों और पोर्टलों का प्रबंधन

- मंत्रालय की वेबसाइट का नवीनीकरण किया और उसका निरंतर प्रबंधन किया।

- भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश 3.0 के अनुसार मंत्रालय की वेबसाइट के लिए एसटीक्यूसी प्रमाणन प्राप्त किया।

- स्टेशनरी के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु ऑनलाइन स्टेशनरी अनुरोध प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन।

- मंत्रालय में कार्यरत आईएएस, आईईएस, आईएसएस, आईपीएस, सीएसएस और सीएसएस अधिकारियों और वैज्ञानिकों के एपीएआर (वार्षिक कार्यनिबयादान मूल्यांकन रिपोर्ट) को ऑनलाइन जमा करने के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (एसपीएआरओ) का प्रबंधन।

- मंत्रालय में इंटर्नशिप, ई-समीक्षा, प्रयास, स्वागतम और विभिन्न अन्य पोर्टलों का प्रबंधन।

- मेरी लाइफ वेबसाइट के विकास में सहायता प्रदान की और साथ ही सभी प्रमुख मंत्रालयों, केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों, स्कूलों और अन्य संगठनों तथा आम जनता को 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत वृक्षारोपण विवरण अपलोड करने के लिए मेरी लाइफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया।

घ. ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में की गई गतिविधियाँ:

i. ई-ऑफिस का कार्यान्वयन:

- ई-ऑफिस पोर्टल में 4734 पंजीकृत उपयोगकर्ता। कार्य आवंटन, कार्यप्रवाह, पद्दोंति तैनाती अदिश नियमित अपडेट करना।

- शिमला स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के उप-कार्यालय में ई-ऑफिस लागू किया और ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया।

ii. ऑनलाइन सहमति प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली:

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के लिए विकसित ऑनलाइन सहमति प्रबंधन और

निगरानी प्रणाली (ओसीएमएमएस) मौजूदा कार्यप्रवाह को स्वचालित करती है। यह प्रणाली उद्योगों को विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों / संस्थानों / होटल / अस्पतालों के लिए स्थापना की सहमति (सीटीई) / संचालन की सहमति (सीटीओ) के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने और प्राधिकरण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली एसपीसीबी के अधिकारियों को सीटीई / सीटीओ के लिए उद्योगों के आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया, प्राधिकरण के साथ-साथ एसपीसीबी/पीसीसी की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी में मदद करती है।

- ऑनलाइन सहमति प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (ओसीएमएमएस) को विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, हरियाणा, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख और लक्षद्वीप में लागू किया गया है । गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के होम पेज में ओपन एपीआई के साथ एकीकृत सुविधाएँ दी गई हैं और मानचित्र में इन राज्यों के हाइपरलिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं।

- ओसीएमएमएस विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के संबंध में डीआईपीपी / राज्य सरकार की एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत है। ओसीएमएमएस का मोबाइल संस्करण चौदह (14) राज्यों में लागू किया गया है, अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम और हिमाचल प्रदेश। सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड और पंजाब के 5 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकसित किया गया है।

iii. परिवेश

क) परिवेश का परिचय:

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'डिजिटल इंडिया' पहल की भावना के अनुरूप और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सार को ध्यान में रखते हुए, अगस्त 2018 में मंत्रालय द्वारा परिवेश (इंटरैक्टिव, वर्चुअस और पर्यावरणीय सिंगल विंडो हब द्वारा सक्रिय और उत्तरदायी सुविधा) नामक एक एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है।

- वेब आर्किटेक्चर की अवधारणा पर आधारित, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) को प्रस्तुत प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक वर्कफ़्लो आधारित एप्लिकेशन शुरू किया गया है, ताकि केंद्र, राज्य और जिला स्तरीय प्राधिकरणों से विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियाँ (जैसे पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र की

स्वीकृतियाँ) प्राप्त की जा सकें। यह आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करता है और प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में ऐसे प्रस्तावों की स्थिति पर नज़र रखता है। इस सिस्टम को एनआईसी, नई दिल्ली द्वारा डिजाइन, विकसित और क्लाउड वातावरण पर होस्ट किया गया है।

- नियामक एजेंसियों के ऐसे सभी पोर्टलों में यह वेब-आधारित एप्लिकेशन अद्वितीय है। इस पहल से मंत्रालय उद्योग जगत और नागरिकों दोनों के और करीब आएगा। पहले चरण में ई-संचार की शुरुआत के बाद, यह ई-गवर्नेंस की दिशा में सुधारों का दूसरा चरण है, जो इसे वास्तविक रूप देता है।

- मंत्रालय और हितधारकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवेश कार्यक्रम में सुधार करने और इसका पुनर्गठन करने का कार्य प्रगति पर है।

ख) परिवेश के उद्देश्य:

- पर्यावरण, वन, वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी प्रक्रियाओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।

- सही और सोच-समझकर निर्णय लेना।

- वर्कफ़्लो स्वचालन के माध्यम से प्रतिक्रियाशीलता बढ़ाना।

- एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्रत्येक चरण में अलर्ट के साथ आवेदन की स्थिति के बारे में वास्तविक समय की जानकारी।

- कुशल और त्वरित प्रक्रिया एवं निर्णय लेने से कार्य पूरा होने में लगने वाला समय कम हो जाता है।

- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रो में प्रक्रिया और निर्णय लेने में मानकीकरण

- नागरिकों और व्यवसायों को सूचना और सेवाओं तक पहुँचने में आसानी और सुविधा प्रदान करना।

- सत्यापन के लिए वास्तविक समय की निगरानी और समयसीमा का पालन।

- उपयोगकर्ता के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल आवेदन प्रक्रियाएँ।

- पर्यावरण निगरानी और अनुपालन में सुधार करना।

- जिससे अधिकतम पारदर्शिता के साथ मोबाइल शासन के युग का शुभारंभ होता है।

ग) लाभ

(i) परियोजना प्रस्तावक / उपयोगकर्ता एजेंसी के लिए:

- एनएसडीएल पैन सेवाओं का उपयोग करके एकल पंजीकरण और सभी प्रकार की स्वीकृतियों (जैसे पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड) के लिए एकल साइन-इन।

- मौजूदा प्रस्तावक के लिए केवाईसी प्रमाणीकरण।

- किसी विशेष परियोजना के लिए आवश्यक सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिए अद्वितीय आईडी।

- प्रस्तावक के लिए सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ (जैसे पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड स्वीकृतियाँ) प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने हेतु एकल विंडो इंटरफ़ेस।

- वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ता को आवेदन करने, देखने, ट्रैक करने, बातचीत करने और प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करना।

- ई-हस्ताक्षरित अनुमोदन पत्र डाउनलोड करने की सुविधा।

- एंड्रॉइड और आईओएस आधारित स्मार्टफ़ोन के लिए मोबाइल ऐप "परिवेश" द्वारा इसे और भी बेहतर बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से आवेदन की स्थिति, प्रश्नों के उत्तर, बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त, अनुमोदन पत्र किसी भी समय स्मार्टफोन पर देखे / डाउनलोड किए जा सकते हैं।

- यह डैशबोर्ड विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों तक पहुंच प्रदान करता है, जिनमें चार्ट / ग्राफ शामिल हैं जो सूचनाओं की लंबितता, प्रत्येक स्तर पर प्रक्रिया अधिकारियों द्वारा लिया गया समय आदि को दर्शाते हैं।

- आवेदन प्रक्रिया के सभी स्तरों पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट।

- मंजूरी के लिए अनुपालन रिपोर्ट अपलोड करने की सुविधा। जीआईएस मानचित्रों पर भू-टैग वाली छवियों को अपलोड करने की सुविधा।

- नियमों का पालन न करने की स्थिति में एसएमएस और ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजा जाएगा। इससे मंजूरी की शर्तों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

- पर्यावरण संबंधी नियमों के बेहतर अनुपालन के माध्यम से सार्वजनिक छवि में सुधार।

- प्रपत्रों का युक्तिकरण - दोहराव और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को समाप्त करना और एक ही जानकारी को कई बिंदुओं पर सत्यापित करने में लगने वाले प्रयास को कम करना।

- 'अपनी स्वीकृति जानें' और डीएसएस मॉड्यूल लॉन्च किया गया है।

- एजेंडा और मासिक बैठक के टेम्पलेट का मानकीकरण - एजेंडा और मासिक बैठक को अंतिम रूप देने और इस प्रकार मंजूरी प्राप्त करने में लगने वाले समय में कमी।

- आवेदकों की पंजीकरण प्रक्रिया में परिवर्तन - एकाधिक परियोजनाओं को एक विशिष्ट व्यावसायिक इकाई से जोड़ने की क्षमता।

- सभी रूपों में सुधार किया गया है।

- परिवेश का एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकरण प्रगति पर है।

(ii) प्रक्रिया प्राधिकारियों के लिए:

- केंद्र, राज्य और जिला स्तर की स्वीकृतियों के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली।

- स्वचालित रूप से एजेंडा तैयार करना (पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर), बैठकों का कार्यवृत्त और सक्षम अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर के माध्यम से अनुमोदन पत्रों का ऑनलाइन तैयार होना, जिससे मंजूरी आवेदनों के प्रसंस्करण में आसानी और एकरूपता आती है।

- विचाराधीन विभिन्न आवेदनों की लंबितता और समयसीमा के भीतर पूर्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करना।

- यहां तक कि बेहतर अनुपालन निगरानी के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी, साइट की जियो-टैग की गई छवियों सहित अनुपालन रिपोर्टों को नियामक निकाय / निरीक्षण अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन जमा करने और निगरानी करने की सुविधा।

- डीआईपीपी और विभिन्न अन्य राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के साथ एकीकरण।

- त्वरित निर्णय लेने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से फाइलों की प्रोसेसिंग।

- मूल्यांकन समिति के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) इंटरफेस, ताकि उन्हें प्रस्ताव का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करने में मदद मिल सके।

- विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए डैशबोर्ड। आत्म-मूल्यांकन और बेहतर प्रदर्शन में सहायता।

- उच्च अधिकारियों द्वारा लंबित मामलों की कुशल और वास्तविक समय में समीक्षा करने की सुविधा के साथ-साथ प्रक्रिया अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

- किसी भी प्रकार की देरी की जांच करने के लिए संबंधित अधिकारियों, समिति सदस्यों और उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण चरणों में स्वचालित अलर्ट (एसएमएस और ईमेल के माध्यम से) भेजे जाएंगे।

- मंजूरी की शर्तों का पालन न करने पर स्वचालित अलर्ट मिलने से अनुपालन में सुधार होगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- सार्वजनिक छवि में सुधार - महज नियामक की भूमिका से हटकर एक सुविधादाता की भूमिका में अधिक बदलाव।

- चुनाव आयोग के लिए उन्नत प्रणाली-जनित एजेंडा विकसित कर लिया गया है और इसे लाइव कर दिया गया है।

- एफसी के लिए नई प्राधिकरण प्रक्रिया कार्यप्रवाह तैयार कर ली गई है।

(iii) नागरिकों के लिए:

- नागरिकों और व्यवसायों को सूचना और सेवाओं तक पहुँचने में आसानी और सुविधा प्रदान करना।

- प्रत्येक परियोजना के विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

- वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से विभिन्न तकनीकी और प्रभाव आकलन रिपोर्ट, अनुमोदन पत्र आदि तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है।

- सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रत्येक चरण की समय-सीमा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

- डेटाबेस साझा करने से अनुसंधान और विकास गतिविधियों में सुविधा मिलेगी।

- बेहतर अनुपालन, बेहतर पर्यावरणीय गुणवत्ता

- हरित कौशल विकास कार्यक्रम के साथ एकीकरण - हरित नौकरियों के लिए खोज इंजन

- अपनी स्वीकृतियों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए नो योर अप्रूवल (केवाईए) और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) मॉड्यूल का उपयोग करना।

घ) परिवेश के मॉड्यूल:

- प्रस्तावक / उपयोगकर्ता एजेंसी का ऑनलाइन पंजीकरण

- कार्यप्रवाह / फ़ाइल प्रसंस्करण और अनुमोदन प्रबंधन

- ई-फाइल नोटिंग

- अलर्ट और सूचनाएँ (एसएमएस और ईमेल)

- जीआईएस आधारित मूल्यांकन और जियो-टैगिंग

- परियोजना प्रस्तावकों और नियामक प्राधिकरणों के लिए अनुपालन निगरानी

- विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

- ऑनलाइन एजेंडा प्रबंधन

- ऑनलाइन बैठक का कार्यवृत्त

- आवश्यक/अतिरिक्त जानकारी (ईडीएस / एडीएस) के लिए क्वेरी मॉड्यूल।

- टीओआर / ईसी / एफसी / वन्यजीव / सीआरजेड मंजूरी के लिए अनुमोदन पत्र तैयार करना

- परियोजना प्रस्तावकों, प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों के लिए डैशबोर्ड

- ई-ग्रीन कुशल नौकरियाँ
- लेखापरीक्षा
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- केवाईए एवं डीएसएस

12.6 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई)

- आरटीआई-एमआईएस पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान मंत्रालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 4615 आरटीआई आवेदन तथा 374 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं। इन आरटीआई आवेदनों और अपीलों का निस्तारण आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

- आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओज़) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएएज़) नामित किए गए हैं। सीपीआईओज़ / एफएएज़ की नामांकन सूची को कार्य आवंटन में परिवर्तन होने पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों द्वारा भी नामित सीपीआईओज़ / एफएएज़ की सूची का नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है|

- मंत्रालय में प्राप्त ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के आवेदन / अपीलें, तथा मंत्रालय में निर्धारित काउंटर पर प्राप्त आवेदनों को नियमित रूप से अद्यतन, अपलोड और विषय-वस्तु के आधार पर संबंधित सीपीआईओ / एफएए को अग्रेषित किया जाता है।

- आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार मंत्रालय से संबंधित स्वप्रेरणा से प्रकाशित (Suo-motu) जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन /अपलोड की जाती है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा नोडल मंत्रालय /विभाग अर्थात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी निर्देश भी आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीपीआईओज़ / एफएएज़ को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किए जाते हैं।

- आरटीआई अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक संस्थागत तंत्र के रूप में आरटीआई आवेदनों और अपीलों की स्थिति की नियमित समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में की जाती है।

12.7 सामान्य प्रशासन (जीए) अनुभाग

क . परिचय:

मंत्रालय के सामान्य प्रशासन (जीए) प्रभाग को वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन और कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए रसद और सहायता सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें स्टेशनरी की खरीद और आपूर्ति, भंडार का रखरखाव, अप्रचलित सामग्री और उपकरणों का निपटान, परिवहन, संचार और सामान्य रखरखाव आदि सहित मंत्रालय के अधिकारियों को सहायक सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। मंत्रालय 2014 से इंदिरा पर्यावरण भवन से कार्य कर रहा है और इसे एलईईडी इंडिया प्लैटिनम और जीआरआईएचए-5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त है।

ख . दायित्व में लिए गए कार्य

a. 2 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 तक मनाया गया।

1. इंदिरा पर्यावरण भवन (आईपीबी) परिसर की स्वच्छता

   आईपीबी के पूरे परिसर की सफाई की गई, जिसमें सफेदी / पेंटिंग भी शामिल थी। प्रत्येक मंजिल पर सूखे और गीले कचरे के लिए अलग-अलग डिब्बे लगाए गए।

2. अप्रचलित / अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के लिए ई-नीलामी

   - अप्रचलित / अनुपयोगी वस्तुओं और ई-कचरे का निपटान इस्पात मंत्रालय के मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (एमएसटीसी) द्वारा ई-नीलामी

के माध्यम से किया गया।

- ई-कचरे की वस्तुओं का निपटान सीपीसीबी द्वारा पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से एमएसटीसी द्वारा किया गया।

- तीन स्टाफ कारों और एक ऑटो की ई-नीलामी भी एमएसटीसी के माध्यम से की गई।

- ई-नीलामी के माध्यम से ₹11.54 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

- ई-नीलामी के बाद कुल 1180 वर्ग फुट जगह खाली हुई।

3. नवोन्मेषी कार्य

- मानचित्रों, फाइलों और अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने के लिए सभी विभागों को स्कैनिंग सुविधाएँ प्रदान की गईं।

- छांटे गए दस्तावेजों के सुरक्षित निपटान के लिए श्रेडिंग मशीनें लगाई गईं।

- प्रत्येक ब्लॉक में ई-कचरा डिब्बे स्थापित किए गए।

- जैविक कचरे (सूखे पत्तों) को खाद में परिवर्तित करने के लिए एक वर्मी-कम्पोस्टिंग गड्ढे को कार्यात्मक बनाया गया है।

12.8 लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

- मंत्रालय में लोक शिकायत प्रकोष्ठ (पीजी सेल) कार्यरत है, जो सीपीजीआरएएमएस अथवा अन्य माध्यमों से जनता से प्राप्त शिकायतों / अभ्यावेदनों का निवारण करता है। ये शिकायतें मुख्यतः पर्यावरण, प्रदूषण, वन्यजीव, वानिकी तथा अन्य पर्यावरणीय विषयों से संबंधित होती हैं।

- लोक शिकायतों और लोक शिकायत अपीलों के निस्तारण के लिए क्रमशः शिकायत निवारण अधिकारी और उप अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गए हैं। इनकी नियुक्ति प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा निर्धारित चार आयामों—दक्षता, फीडबैक, विषय-क्षेत्र (डोमेन) तथा संगठनात्मक प्रतिबद्धता सहित अन्य संकेतकों को ध्यान में रखते हुए की गई है। लोक शिकायतों और अपीलों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए तथा उत्तर की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।

- इस वर्ष मंत्रालय के पीजी प्रकोष्ठ को कुल 8,776 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 238 शिकायतें पिछले वर्ष से लंबित थीं तथा 8,538 शिकायतें वर्ष के दौरान प्राप्त हुईं। इस अवधि के दौरान 8,290 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

- वर्ष के दौरान मंत्रालय में 913 लोक शिकायत अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 849 अपीलों का निस्तारण किया गया।

- आरटीआई अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक संस्थागत तंत्र के रूप में, आरटीआई आवेदनों और अपीलों की स्थिति की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में नियमित समीक्षा की जाती है, जिसमें मूल कारण विश्लेषण (रूट कॉज़ एनालिसिस) तथा इंटरैक्टिव फीडबैक सत्र भी शामिल होते हैं।

12.9 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

1. परिचय:

मंत्रालय में राजभाषा प्रभाग के कार्य भारत के संविधान, राजभाषा अधिनियम, 1963 (संशोधित 1967), राजभाषा नियम, 1976 (संशोधित 1987, 2007 और 2011), वार्षिक कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में निर्धारित संघ की राजभाषा नीति को लागू करना है। इसमें दस्तावेजों का अनुवाद और मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन शामिल है।

2. दायित्व में लिए गए कार्य

- **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें –**

उक्त अवधि के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं। इनमें मंत्रालय के विभागों / अनुभागों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर में स्थित मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई।

- **हिंदी कार्यशालाएँ-**

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, मंत्रालय और उसके नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना दैनिक कार्य हिंदी में करने में सक्षम बनाने के लिए 3 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- **निरीक्षण-**

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, राजभाषा संबंधी संसद की समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में स्थित 9 कार्यालयों का निरीक्षण किया। वर्ष 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपने 14 विभागों/अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण किया और पाई गई कमियों को दूर किया।

- **"पर्यावरण" पत्रिका का प्रकाशन:**

मंत्रालय की पत्रिका 'पर्यावरण' का 73वां अंक प्रकाशित हो चुका है।

- **हिंदी सलाहकार समिति**

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है और समिति की पहली बैठक जल्द ही आयोजित होने वाली है।

- **राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह, हिंदी दिवस और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भागीदारी।**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 24 जून, 2025 को दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह और गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 14 से 15 सितंबर, 2025 को गांधी नगर, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया।

- **हिंदी माह आयोजन:**

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी माह का आयोजन मंत्रालय में 01.09.2025 से 30.09.2025 तक किया गया है। इस अवधि के दौरान, 9 हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मंत्रालय और सीसीयू के बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मिशन कर्मयोगी का क्रियान्वयन

- क्षमता निर्माण इकाई ने मंत्रालय के सभी प्रभागों तथा 11 क्षेत्रीय कार्यालयों में 76 नोडल अधिकारियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया, जिससे प्रशिक्षण योजना और निगरानी के लिए विकेन्द्रीकृत स्वामित्व को संस्थागत रूप दिया गया।

- एमडीओ एडमिन्स का व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए संरचित प्रशिक्षण योजनाएँ तैयार कर प्रभागों में अनुमोदित की गईं। इनमें कौशल मानचित्रण और भूमिका-आधारित अधिगम को मंत्रालय की वार्षिक योजना प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया।

- मिशन कर्मयोगी का क्रियान्वयन अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों तक विस्तारित किया गया। इसके अंतर्गत नोडल अधिकारियों का औपचारिक नामांकन, संगठनात्मक पदानुक्रम प्रारूपों का अंतिम रूप, तथा क्षेत्र-विशिष्ट दक्षताओं के लिए अनुकूलित क्षमता आवश्यकता विश्लेषण किया गया। प्रमुख संस्थानों जैसे आईजीएनएफए, कैसफोस (देहरादून, बर्नीहाट और कोयंबटूर) तथा डब्ल्यूसीसीबी की क्षमता निर्माण योजनाओं को अनुमोदित किया गया, जिससे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ संस्थागत समन्वय सुनिश्चित हुआ।

- राष्ट्रीय कर्मयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय ने व्यवहारगत परिवर्तन से संबंधित व्यापक पहल सफलतापूर्वक पूरी की। राष्ट्रीय स्तर पर 7 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, जिनके बाद 17 कार्यशालाएँ

आयोजित की गईं, जिनमें 505 अधिकारियों को सेवा भाव, नैतिक आचरण तथा नागरिक-केंद्रित प्रशासन पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात मंत्रालय के तंत्र में 2 लीड ट्रेनर और 102 मास्टर ट्रेनर विकसित किए गए, जिनके माध्यम से विभिन्न संस्थानों, संगठनों और अधीनस्थ कार्यालयों में लगभग 4,100 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे व्यवहारगत दक्षताओं को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ किया गया।

- मंत्रालय ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल अधिगम में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। वर्ष के दौरान 6,500 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं ने 1,05,000 से अधिक अधिगम घंटे पूर्ण किए। मंत्रालय और उससे संबद्ध संस्थानों द्वारा विकसित 25 क्षेत्र-विशिष्ट पाठ्यक्रमों का भंडार विभिन्न संवर्गों के लिए संरचित और दक्षता-आधारित अधिगम को समर्थन प्रदान करता है।

- 30 नवंबर 2025 तक, क्षमता निर्माण आयोग की मध्यावधि प्रगति रिपोर्ट में मंत्रालय 89 मंत्रालयों/विभागों में द्वितीय स्थान पर रहा तथा राष्ट्रीय कर्मयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छोटे मंत्रालयों/विभागों में शामिल रहा, जो मंत्रालय की निरंतर संस्थागत प्रतिबद्धता और मापनीय प्रदर्शन परिणामों को दर्शाता है।

12.10 सिविल निर्माण इकाई (सीसीयू)

a. परिचय:

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि पर्याप्त वार्षिक सिविल कार्य बजट वाले प्रत्येक प्रमुख वैज्ञानिक विभाग में योजनाओं से संबंधित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वयं की सिविल इंजीनियरिंग इकाई होनी चाहिए। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मार्च 1987 में सिविल इंजीनियरिंग विंग (अब सीसीयू) की स्थापना की गई थी। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाला सीसीयू पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रभाग है। सीसीयू की मुख्य भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

i. कार्य की योजना बनाना। इसमें आंतरिक रूप से अनुमान तैयार करना और अन्य कार्य योजनाकारों द्वारा तैयार किए गए अनुमानों की जांच करना शामिल है।

ii. प्रमुख निर्माण कार्यों का स्वयं निर्माण करना या अन्य निर्माण कंपनियों के माध्यम से इनका निर्माण करवाना।

iii. मंत्रालय के निर्माण कार्यों में तकनीकी सलाहकार।

ऐसे कार्यों पर सीपीडब्ल्यूडी संहिता/कार्य नियमावली के प्रावधान लागू होते हैं। नीतिगत मामलों से संबंधित सभी प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को प्रस्तुत किए जाते हैं।

विभाग का कार्य

सीसीयू के पास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त कार्यालयों के सिविल और विद्युत कार्यों के निष्पादन का कार्य है। इनमें आरओ, बीएसआई, एफएसआई, डीएफई, एनएमएनएच, आईजीएनएफए, आईसीएफआरई, एनजेडपी, आईआईएफएम, जीबीपीएनआईएचई, आईपीआईआरटीआई, सीपीसीबी, डब्ल्यूआईआई और सीजेडए शामिल हैं। सार्वजनिक कार्य संगठनों (पीडब्ल्यूओ) द्वारा निष्पादित कार्यों का समन्वय और बजट प्रबंधन सीसीयू द्वारा किया जा रहा है।

b. दायित्व में लिए गए कार्य:

i. पूर्ण किए गए कार्य:

क्रमांक	कार्य का नाम	ए/ए और ई/एस राशि ₹ (करोड़ में)
1	नई दिल्ली के जोरबाग रोड स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन में स्थित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विभिन्न सम्मेलन कक्षों का नवीनीकरण।	12.83
2	सेक्टर 31 सी, चंडीगढ़ में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का पुनर्निर्माण।	3.87
3	शिलांग स्थित सीपीसीबी क्षेत्रीय निदेशालय में पर्यावरण प्रयोगशाला का विकास।	1.88

ii. कार्य प्रगति पर हैं:

क्रमांक	कार्य का नाम	ए/ए और ई/एस राशि ₹ (करोड़ में)
1	उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के सेक्टर-38 में भारतीय गणराज्य के वनस्पति उद्यान (बीजीआईआर) का विकास ईपीसी मोड पर किया जाएगा।	369.00
2	परिवेश भवन, नई दिल्ली में सीपीसीबी के लिए नए भवन का निर्माण कार्य।	86.10
3	अमरावती, आंध्र प्रदेश में स्थित जेडएसआई के पूर्वी घाट क्षेत्रीय केंद्र के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।	84.15
4	गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र के लिए नागरिक अवसंरचना का विकास (चरण-1)	76.50
5	हावड़ा के अंडुल रोड पर बीएसआई के मुख्यालय कार्यालय भवन, छात्रावास, सभागार और गेस्ट हाउस का निर्माण।	59.51
6	देहरादून स्थित एफआरआई परिसर में आईजीएनएफए के लिए जी+2 श्रेणी के नए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण।	52.61

क्रमांक	कार्य का नाम	ए/ए और ई/एस राशि ₹ (करोड़ में)
7	जीबीपीएनआईएचईएसडी, श्रीनगर (उत्तराखंड) में प्रकार-II, प्रकार-III, प्रकार-IV एवं प्रकार-V आवासों, वैज्ञानिक छात्रावास, फील्ड छात्रावास, सभागार तथा प्रशासनिक भवन का निर्माण।	44.64
8	देहरादून स्थित एफआरआई परिसर में आईजीएनएफए के लिए नए शैक्षणिक ब्लॉक (जी+1) का निर्माण।	17.90
9	इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली स्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वायु विंग के गंगा सभागार, भोजन कक्ष, गोदावरी हॉल, सचिव कार्यालय और वायु विंग (भूतल, प्रथम मंजिल और चौथी मंजिल) तथा जल विंग (भूतल) आदि के सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण/उन्नयन कार्य।	11.77
10	कोयंबटूर में कैसफ़ोस के लिए महिला छात्रावास का निर्माण	8.58

iii. योजना चरण में चल रही परियोजनाएँ:

क्रमांक	कार्य का नाम	ए/ए और ई/एस राशि ₹ (करोड़ में)
1	बेंगलुरु के जेपी नगर स्थित डोरेसानिपाल्या आरएफ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एफएसआई, एनटीसीए और सीपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण।	115.98
2	राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान (एनसीआरआरआई), जेडएसआई, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण।	93.76
3	तमिलनाडु के चेन्नई में नानमंगलम आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (एसईजेड), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चेन्नई के लिए कार्यालय भवन परिसर का निर्माण।	32.24

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

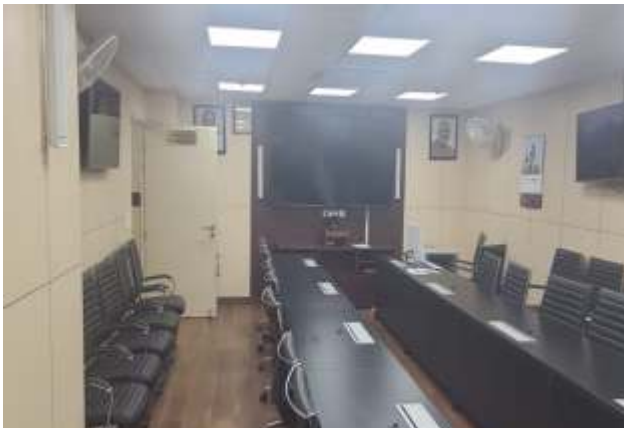

सम्मेलन कक्ष, आरओ, चंडीगढ़

अध्याय -13

विकास निगरानी, मूल्यांकन, बजट और लेखा

13.1 विकास, निगरानी और मूल्यांकन प्रभाग (डीएमईडी)

क. परिचय:

विकास, निगरानी और मूल्यांकन प्रभाग (डीएमईडी) का कार्य नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) से संबद्ध है।

जनादेश:

डीएमईडी के कार्य का विवरण नीचे दिया गया है:

- मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन करना।
- परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना और चल रही योजनाओं को जारी रखने के लिए मूल्यांकन के दौरान उन्हें ध्यान में रखना।
- मूल्यांकन निगरानी समिति (ईएमसी) का गठन करना
- नीति आयोग के साथ समन्वय

ख. उपलब्धियाँ

i. नीति आयोग संबंधित मंत्रालय / विभाग के सहयोग से सभी सीएस / सीएसएस योजनाओं के लिए आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) 2026-27 तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य आउटपुट के अलावा परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित करना है और इसे वित्तीय वर्ष 2019-20 से केंद्रीय बजट में शामिल करके संस्थागत रूप दिया गया है।

ii. सभी योजनाओं की प्रगति की निगरानी को सुगम बनाने के लिए, नीति आयोग ने एक डैशबोर्ड विकसित किया था और मई 2018 में सभी मंत्रालयों / विभागों को लक्ष्यों के मुकाबले प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए इसकी ऑनलाइन अभिगम प्रदान किया गया था।

iii. डीएमईडी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ओओएमएफ तैयार करने हेतु योजना/कार्यक्रम प्रभागों से जानकारी एकत्रित की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंध में तैयार किया गया संकलित ओओएमएफ-2025-26 नीति आयोग को भेजा गया था। इसकी हार्ड कॉपी मुद्रित की गई एवं राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय को समिति के संबंधित सदस्यों के वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई।

iv. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजनाओं के संबंध में लक्ष्यों का त्रैमासिक विवरण योजना/कार्यक्रम प्रभागों के साथ समन्वित किया गया और नीति आयोग को भेजा गया।

v. डीएमईडी ने योजना / कार्यक्रम प्रभागों के साथ समन्वय स्थापित करके ओओएमएफ के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 के त्रैमासिक लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट को ओओएमएफ पोर्टल पर अद्यतन/अपलोड करने की कार्य योजना प्रभागों को सौंपी।

vi. डीएमईडी ने नीति आयोग के डीएमईओ के साथ समन्वय करके नीति आयोग द्वारा इस मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के मूल्यांकन अध्ययन से संबंधित जानकारी प्रदान की। नीति आयोग द्वारा इस मंत्रालय के सीएसएस की अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए योजना प्रभागों को भेज दी गई है।

vii. डीएमईडी ने तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से योजना प्रभागों के समन्वय से केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (सीएस) के मूल्यांकन अध्ययन के संचालन का समन्वय किया। तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंतिम मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए योजना प्रभागों को भेज दिया गया है।

13.2 बजट और लेखा

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय बजट, व्यय प्रबंधन, लेखांकन, स्थापना संबंधी मामलों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों से संबंधित मामलों में मंत्रालय की सहायता करता है। मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन मंत्रालय में लेखा संगठन में एक लेखा नियंत्रक, एक सहायक लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय, नई दिल्ली और कोलकाता में स्थित 2

वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) और 63 आहरण एवं संवितरण कार्यालय (डीडीओ) शामिल हैं। 46 चेक जारी करने वाले डीडीओ और 17 गैर-चेक जारी करने वाले डीडीओ।

प्रधान लेखा कार्यालय: प्रधान लेखा कार्यालय को मंत्रालय के विभिन्न खातों जैसे वित्त लेखा, विनियोग लेखा और मासिक लेखा को बनाए रखने और लेखा महानियंत्रक कार्यालय को समय पर खाते प्रस्तुत करने, व्यय की निगरानी करके यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि यह व्यय महानियंत्रक कार्यालय द्वारा निर्धारित मासिक / त्रैमासिक व्यय योजना के अनुरूप हो, आंतरिक लेखापरीक्षा और योजना लेखापरीक्षा आयोजित की जाए और वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक कार्यालय और लेखा परीक्षक (सीपीएओ) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आईएडब्ल्यू) : आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा मंत्रालय के पीएओ, डीओओ, स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखा परीक्षा तथा मंत्रालय की योजनाओं का प्रदर्शन लेखा परीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 33 इकाइयों का नियमित लेखापरीक्षा किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 529 लेखा परीक्षा आपत्तियों का निपटारा किया गया, जबकि 327 नई आपत्तियाँ उठाई गईं। इन नई आपत्तियों में से 55 आपत्तियाँ राशि की वसूली न होने, अधिक भुगतान, निरर्थक व्यय, अनियमित व्यय, अनियमित खरीद, आकस्मिक अग्रिम का समायोजन न होने तथा सरकारी धन के अवरोधन से संबंधित हैं, जिनकी कुल राशि ₹10,032.72 लाख है।

वेतन एवं लेखा कार्यालय : वेतन एवं लेखा कार्यालय, बजट और व्यय की सीमा तथा वित्तीय औचित्य के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करते हुए, समय पर भुगतानों की प्रक्रिया करने के लिए जिम्मेदार है। यह सभी लाभार्थियों, विक्रेताओं एवं एजेंसियों को पीएफ़एमएस के माध्यम से डिजिटल रूप से समय पर धनराशि जारी करना भी सुनिश्चित करता है, साथ ही यह भी देखता है कि अनुदान प्राप्त निकायों के पास कोई निष्क्रिय धनराशि अनावश्यक रूप से जमा न रहे। मंत्रालय के सभी सीडीडीओएस में पीएफएमएस को भी लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, गैर-कर प्राप्तियों के लिए नॉन-टैक्स रिसीप्ट्स पोर्टल (एनटीआरपी) के माध्यम से ऑनलाइन संग्रह से देरी समाप्त हुई है और प्राप्तियों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित हुआ है। भुगतान प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय सभी डीडीओ यानी सीडीडीओ और एनसीडीडीओ को ई-बिल मॉड्यूल में शामिल करने की प्रक्रिया में है।

ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग सिस्टम-भविष्य को पीएफएमएस से जोड़कर पेंशन प्रक्रिया को डिजिटाइज़ किया गया है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को ऑनलाइन फॉर्म भरने में सुविधा हुई है और प्रशासनिक प्राधिकरण को ऑनलाइन दावे की प्रक्रिया करने और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने के लिए सीपीएओ को सूचित करने में सुविधा हुई है।

मंत्रालय के अंतर्गत एनसीडीडीओएस / सीडीओओएस में कार्मिक भुगतान और मंत्रालय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया के लिए कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

मंत्रालय में पीएफएमएस का जीपीएफ मॉड्यूल सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे ग्राहकों के लिए स्वयं जीपीएफ खातों की निगरानी करना सुविधाजनक हो गया है। कर्मचारियों द्वारा लिए गए अग्रिम और निकासी की सुचारू रूप से निगरानी की जा रही है।

इस मंत्रालय में अनुदान प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का सफल कार्यान्वयन किया गया है, जिससे अप्रयुक्त शेष राशि और बकाया यूसी एसएनए, सीएनए और टीएसए की बेहतर निगरानी संभव हो पाई है।

कैम्पा निधि का लेखा-जोखा भी कैम्पा प्राधिकरण की सहायता से प्रधान लेखा कार्यालय में किया जा रहा है।

बजट विभाग: बजट विभाग को मंत्रालय की सभी योजनाओं और गैर-योजनाओं की योजना बनाने और समन्वय करने का दायित्व सौंपा गया है। यह वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग, बजट प्रभाग और व्यय विभाग) से संबंधित मुद्दों और मामलों के लिए नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है। इस विभाग के अंतर्गत मंत्रालय की वार्षिक योजनाओं की तैयारी, निगरानी और समीक्षा तथा मंत्रालय के केंद्रीय बजट से संबंधित कार्य किए जाते हैं। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए आवंटित धन के उपयोग में हुई प्रगति की निगरानी की जिम्मेदारी भी इस विभाग को सौंपी गई है। बजट विभाग के कार्यों का विवरण निम्नलिखित है: बजट

अनुमान विवरण (एसबीई), संशोधित अनुमान (आरई), अनुपूरक तथा पुनर्विनियोजन प्रस्तावों की तैयारी, विस्तृत अनुदान मांगों (डीडीजी) की तैयारी, अनुदान के अंतर्गत बचत / अधिक व्यय पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की तैयारी। विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के साथ समन्वय, नकद प्रबंधन का अनुपालन, संसद सदस्य / संसद सदस्य (क्यूईपी), व्यय की निगरानी, सरकारी कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों के तहत निधियों का आवंटन।

वार्षिक योजना 2025-26: वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान (बीई) में मंत्रालय के लिए ₹3,412.82 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान अंतिम परिव्यय और व्यय निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

(रुपये करोड़ में)

समग्र योजना-वार आवंटन (2025–26)

समग्र योजना-वार आवंटन (2025–26)			
क्रमांक	योजना का नाम	बी.ई	वास्तविक व्यय (31.12.2025 तक)
	केंद्रीय क्षेत्र योजना		
क	पर्यावरण संबंधी ज्ञान और क्षमता निर्माण	102.70	6.42
ख	राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	2.00	1.36
ग	पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास	101.96	58.33
घ	प्रदूषण नियंत्रण	853.90	814.18
	केंद्र प्रायोजित योजना		
ङ	राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	220.00	19.72
च	वन्यजीव पार्यावास का एकीकृत विकास	450.00	144.43
छ	प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण	50.00	16.16
	कुल	1780.56	1060.60

(रुपये करोड़ में)

समग्र गैर-योजना-वार आवंटन (2025-26)

समग्र गैर-योजना-वार आवंटन (2025-26)			
क्रम ांक	योजना का नाम	बी.ई	वास्तविक व्यय (31.12.2025 तक)
क	सचिवालय	304.95	186.68
ख	संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय	640.81	428.13
ग	स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	454.62	294.99
घ	वैधानिक और नियामक निकाय	231.88	138.46
	कुल	1632.26	1048.26

लंबित लेखापरीक्षा अनुच्छेद की स्थिति

क्रम संख्या	इनके द्वारा उठाई गई आपत्ति (समयावधि)	लंबित आपत्तियों की संख्या
क.	सी एंड एजी (31 दिसंबर, 2025 तक)	25
ख.	आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति (दिनांक)	966
ग.	एपीएमएस पोर्टल के अनुसार पीएसी पैरा (31 दिसंबर, 2025 तक)	शून्य

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली – 110 003
वेबसाइट : https://www.moef.gov.in
: https://www.facebook.com/moefcc
: http://www.twitter.com/moefcc | ईमेल : moefcc@gov.in